हिमाचल प्रदेश सरकार
आर्थिक सर्वेक्षण
2024-25



आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
हिमाचल प्रदेश



हिमाचल प्रदेश सरकार

आर्थिक सर्वेक्षण

2024-25

आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग

हिमाचल प्रदेश

प्रस्तावना

हिमाचल प्रदेश सरकार सार्वजनिक कल्याण की योजनाओं और सेवाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों तक समय पर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। "सुशासन" के मूल तत्वों को सशक्त करके अंत्योदय (समाज के अंतिम व्यक्ति की उत्थान) के सिद्धांतों को लागू करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। ये सिद्धांत यह सुनिश्चित करने पर ध्यान देता है कि शासन सहभागिता, नवाचार और समानता की दिशा में काम करे ताकि सभी हितधारकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जा सके, उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके, और विकास के लाभों को समाज के सभी वर्गों के बीच समान रूप से वितरित किया जा सके।

आर्थिक सर्वेक्षण 2024–25 राज्य के आर्थिक स्थिति, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने, नीतियों की प्रभावशीलता को समझने के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में कार्य करता है। यह रिपोर्ट आर्थिक वृद्धि, सामाजिक विकास, आवश्यक सेवाओं और प्रमुख आर्थिक संकेतकों सहित विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में राज्य की प्रगति का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करती है।

यह राज्य के सामाजिक–आर्थिक परिदृय के सुधार मे की गई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है, और विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों की सफलता पर प्रकाश डालता है। यह प्रकाशन पाठकों को आर्थिक वृद्धि के प्रमुख संकेतकों को दर्शाने के लिए बनाया गया है जो रोजगार, आय सृजन, आधारिक संरचना के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों का विश्लेष्ण करता है।

हिमाचल प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य प्रगति की ओर बढ़ रहा है, जिसे कृषि, विनिर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी और फार्मास्यूटिकल्स जैसे विविध क्षेत्रों द्वारा बढ़ावा दिया जा है। इस दिशा में राज्य की सहायक नीतियों ने महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित किए हैं, जिससे आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रदेश की राज्य सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है, जो हिमाचल प्रदेश की आर्थिक ताकत और विकास की सम्भावनाओं को प्रदर्शित करता है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2024–25 हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों, भारत सरकार, सरकारी प्रकाशनों और सरकारी वेबसाइटों से उपल्ब्ध आंकड़ों पर आधारित है। रिपोर्ट में कुछ आंकड़े और आंकलन अनुमानित हैं ताकि राज्य अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थीति का विवरण प्रस्तुत किया जा सके। कुल मिलाकर, यह प्रकाशन सक्ष्म निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुगम बनाने में सहायक है और राज्य के निरंतर विकास और समृद्धि में योगदान करता है। मुझे विश्वास है कि यह प्रकाशन राज्य के सामाजिक–आर्थिक विकास में लगे सभी योजनाकारों, नीति निर्धारकों और शिक्षाविदों के लिए सहायक सिद्ध होगा।

सरकार सभी विभागों, निगमों और बोर्डों के प्रयासों की सराहना करती है, जिन्होंने आवश्यक सूचना उपल्ब्ध करवाई है। विशेष रूप से आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियो को उनके समर्पण के लिए सराहना करता हुं जिन्होंने इस रिपोर्ट को संकलित किया और उनका योगदान इस प्रकाशन को तैयार करने में अत्यधिक मूल्यवान रहा, जो भविष्य में शासन और विकास को दिशा देगा।

देवेश कुमार, आई.ए.एस.
प्रधान सचिव (वित्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी)
हिमाचल प्रदेश सरकार

स्वीकृतियाँ

आर्थिक सर्वेक्षण 2024–25 राज्य की अर्थव्यवस्था, विकास प्रवृत्तियों, नई नीतियों और उभरते अवसरों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह रिपोर्ट आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राज्य सरकार के सभी विभागों, निगमों और बोर्डों द्वारा किए गए सामूहिक प्रयासों एवं अमूल्य योगदान का परिणाम है।

मैं श्री प्रबोध सक्सेना, आई.ए.एस., मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार को इस रिपोर्ट की तैयारी के दौरान उनके अमूल्य मार्गदर्शन और दृष्टिकोण के लिए हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके द्वारा वर्षों से किए गए समर्पित प्रयासों के कारण रिपोर्ट वर्तमान आकार ले सकी।

मैं श्री देवेश कुमार, आई.ए.एस., प्रधान सचिव (वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी) का भी आभारी हूँ, जिन्होंने ड्राफ्ट रिपोर्ट की संपूर्ण समीक्षा की, प्रोत्साहक शब्द कहे और आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया। उनके समर्थन ने ड्राफ्ट को शीघ्र पूरा करने और आर्थिक सर्वेक्षण 2024–25 को समय पर पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मैं डॉ. अभिषेक जैन, आई.ए.एस., सचिव (वित्त, योजना और आर्थिक एवं सांख्यिकी) को उनके विचारशील मार्गदर्शन, निरंतर समर्थन और अमूल्य सुझावों के लिए हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ।

मैं श्री अक्षय सूद, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) का नवीनतम विकासों से रिपोर्ट को समृद्ध करनें में उनके महत्वपूर्ण योगदान और समग्र समीक्षा के लिए हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसने आर्थिक सर्वेक्षण 2024–25 को व्यापक और सरल बना दिया है।

मैं अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों, विभागाध्यक्षों, प्रबंध निदेशकों और विभिन्न विभागों, निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी, नवीनतम जानकारी और रचनात्मक प्रतिक्रियाओं के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके प्रयासों ने इस सर्वेक्षण जैसे प्रकाशन को विश्लेषणात्मक और मूल्यवान बनाने में अहम योगदान दिया है।

मैं विशेष रूप से आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का उल्लेख करना चाहता हूं जिनके कठिन परिश्रम ने डेटा संग्रहण, संकलन और विभिन्न अध्यायों के विषय वस्तु की तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो आर्थिक सर्वेक्षण 2024–25 की सफलता के लिए आवश्यक था। उनके समर्पण से इस प्रकाशन का समय पर मुद्रण सुनिश्चित हुआ।

मैं हिमाचल सरकार प्रैस के अधिकारियों और कर्मचारियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस सर्वेक्षण की उच्च गुणवत्ता वाली छपाई को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया।

अंत में, मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने इस प्रकाशन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान किया। जबकि आर्थिक सर्वेक्षण 2024–25 की सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है, मैं पाठकों से आग्रह करता हुं कि किसी भी त्रुटि या चूक से सम्बन्धित जानकारी आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार को ई.मेल. के माध्यम से ecostat-hp@nic.in. पर भेजें। हम टिप्पणियों और सुझावों का स्वागत करते हैं, जो रिपोर्ट की गुणवता बढ़ाने में उपयोगी सिद्ध होंगे।

चूंकि यह प्रकाशन विभिन्न हितधारकों के लिए एक प्रमुख संसाधन के रूप में कार्य करता है, जिसमें विधायक, नीति निर्माता, विद्याविद्ध, शोधकर्ता और अन्य शामिल हैं, इसका डिजिटल संस्करण हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा: https://himachalservices.nic.in/economics/in.

(डॉ. विनोद कुमार राणा)
आर्थिक सलाहकार
हिमाचल प्रदेश सरकार

भाग – I

आर्थिक सर्वेक्षण

2024–25

विषय–सूची

अध्याय संख्या	अध्याय का नाम	पृष्ठ संख्या
	प्रस्तावना	
	आभारोक्ति	
1	**सामान्य समीक्षा**	**1–12**
	मुख्य बिन्दु	1
	विश्व अर्थव्यवस्था का अवलोकन	2
	अवलोकन : भारतीय अर्थव्यवस्था	5
	अवलोकन : हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था	8
2	**राज्य आय–दीर्घकालीन आर्थिक अवलोकन**	**13–28**
	मुख्य बिन्दु	13
	परिचय–राज्य की अर्थव्यवस्था	15
	सकल राज्य घरेलू उत्पाद– 2023–24 के लिए एक दृष्टिकोण	15
	प्रति व्यक्ति आय	17
	क्षेत्रीय विकास प्रक्षेपवक्र	18
	क्षेत्रीय योगदान	23
	मूल्य वर्धित और रोजगार का क्षेत्रवार वितरण	24
3	**सार्वजनिक वित्त एवं कराधान**	**29–41**
	मुख्य बिन्दु	29
	परिचय	30
	हिमाचल प्रदेश की वित्तीय रूपरेखा	31
	सरकारी व्यय	36
	राज्य की ऋण स्थिति	38
	जेंडर बजट	39
4	**बैंकिंग संस्थागत वित्त**	**42–58**
	मुख्य बिन्दु	42
	परिचय	43
	वित्तीय समावेशन पहल	46
	बैंकों की व्यवसायिक स्थिति	48
	सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन	51
	राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक	52
	नाबार्ड की परामर्श सेवाएं	57
5	**मूल्य संचलन और खाद्य प्रबंधन**	**59–76**
	मुख्य बिन्दु	59
	परिचय	60
	हिमाचल प्रदेश में मुद्रास्फीति के रुझान	61
	औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	65
	मासिक थोक मूल्य सूचकांक	67

	हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली	71
	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम	74
6	**कृषि और बागवानी**	77–106
	मुख्य बिन्दु	77
	परिचय–कृषि क्षेत्र	78
	भूमि उपयोग का स्वरूप	81
	कृषि और संबद्ध गतिविधियां: उत्पादन में रुझान	84
	सरकार की पहलें	88
	हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड और कृषि उपज विपणन समिति	96
	बागवानी	98
	हिमाचल प्रदेश विपणन निगम	103
7	**पशुपालन**	107–127
	मुख्य बिन्दु	107
	परिचय–पशुपालन	108
	दूध उत्पादन और प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता	109
	सरकारी पहलें	113
	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड	118
	ऊन एकत्रीकरण एवं विपणन संघ	121
	मत्स्य एवं जलचर पालन	122
8	**वानिकी, पर्यावरण और जल संसाधन प्रबंधन**	128–147
	मुख्य बिन्दु	128
	परिचय–राज्य में वन	129
	वानिकी और लॉगिंग का योगदान और विकास	132
	पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	138
	हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद	141
	जल जीवन मिशन	143
9	**उद्योग**	148–175
	मुख्य बिन्दु	148
	परिचय–औद्योगिक क्षेत्र	149
	हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति	155
	हिमाचल में निवेश के लिए फोकस क्षेत्र	155
	सरकारी पहल: राज्य प्रायोजित योजनाएँ	157
	रेशम उत्पादन उद्योग	165
	औद्योगिक क्षेत्र और इसके उप–क्षेत्र का योगदान	166
	खादी और ग्रामोद्योग आयोग	171
	हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड	172
	हिमाचल प्रदेश अवसंरचना विकास बोर्ड	173
	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	174
10	**ऊर्जा**	176–199
	मुख्य बिन्दु	176

	परिचय	177
	ऊर्जा निदेशालय	178
	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	179
	हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	185
	हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	192
	हिमऊर्जा	196
11	**श्रम और रोजगार**	200–218
	मुख्य बिन्दु	200
	परिचय	201
	रोजगार परिदृश्यः हिमाचल प्रदेश, पड़ोसी राज्य और भारत	201
	रोजगार सहायता और सूचना सेवा	210
	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	213
	हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड	217
12	**पर्यटन सड़क एवं परिवहन**	219–243
	मुख्य बिन्दु	219
	परिचय	220
	हिमाचल में पर्यटन–आर्थिक विकास के लिए एक अभिन्न चालक	222
	पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने की पहल	224
	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम	230
	सड़कें और पुल	230
	परिवहन विभाग	232
	परिवहन विभाग की नीतियां	233
	हिमाचल पथ परिवहन निगम	240
13	**शिक्षा**	244–275
	मुख्य बिन्दु	244
	परिचय	246
	प्राथमिक शिक्षा	246
	उच्च शिक्षा	249
	समग्र शिक्षा	262
	तकनीकी शिक्षा	267
	औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण परियोजना	268
	शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट	270
14	**स्वास्थ्य**	276–297
	मुख्य बिन्दु	276
	परिचय	277
	चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान	289
	संस्थानवार प्रमुख उपलब्धियां	335
	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी	295

15	**समाज कल्याण**	**298–313**
	मुख्य बिन्दु	298
	परिचय	299
	समाज कल्याण एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	299
	राज्य की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं	300
	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ावर्ग व अल्पसंख्यकों के लिए राज्य की विभिन्न योजनाएँ	304
	महिला एवं बाल विकास	308
16	**ग्रामीण विकास और पंचायती राज**	**314–325**
	मुख्य बिन्दु	314
	ग्रामीण विकास	315
	दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	315
	दीनदयाल उपाध्याय–ग्रामीण कौशल्य योजना	318
	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	322
	पंचायती राज	323
17	**आवास और शहरी विकास**	**326–336**
	मुख्य बिन्दु	326
	आवास	327
	शहरी विकास	327
	स्मार्ट सिटी मिशन	331
	नगर एवम् ग्राम योजना	333
	हिमाचल प्रदेश रियल इस्टेट नियामक अधिनियम	334
	भवन निर्माण लागत सूचकांक	335
18	**डिजिटल प्रौद्योगिकी और शासन**	**337–348**
	मुख्य बिन्दु	337
	परिचय	338
	डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर और डेटा गवर्नेंस	338
	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	348
	परिवर्णी शब्द	**349–360**
	शब्दावली	**361–364**

अध्याय
1

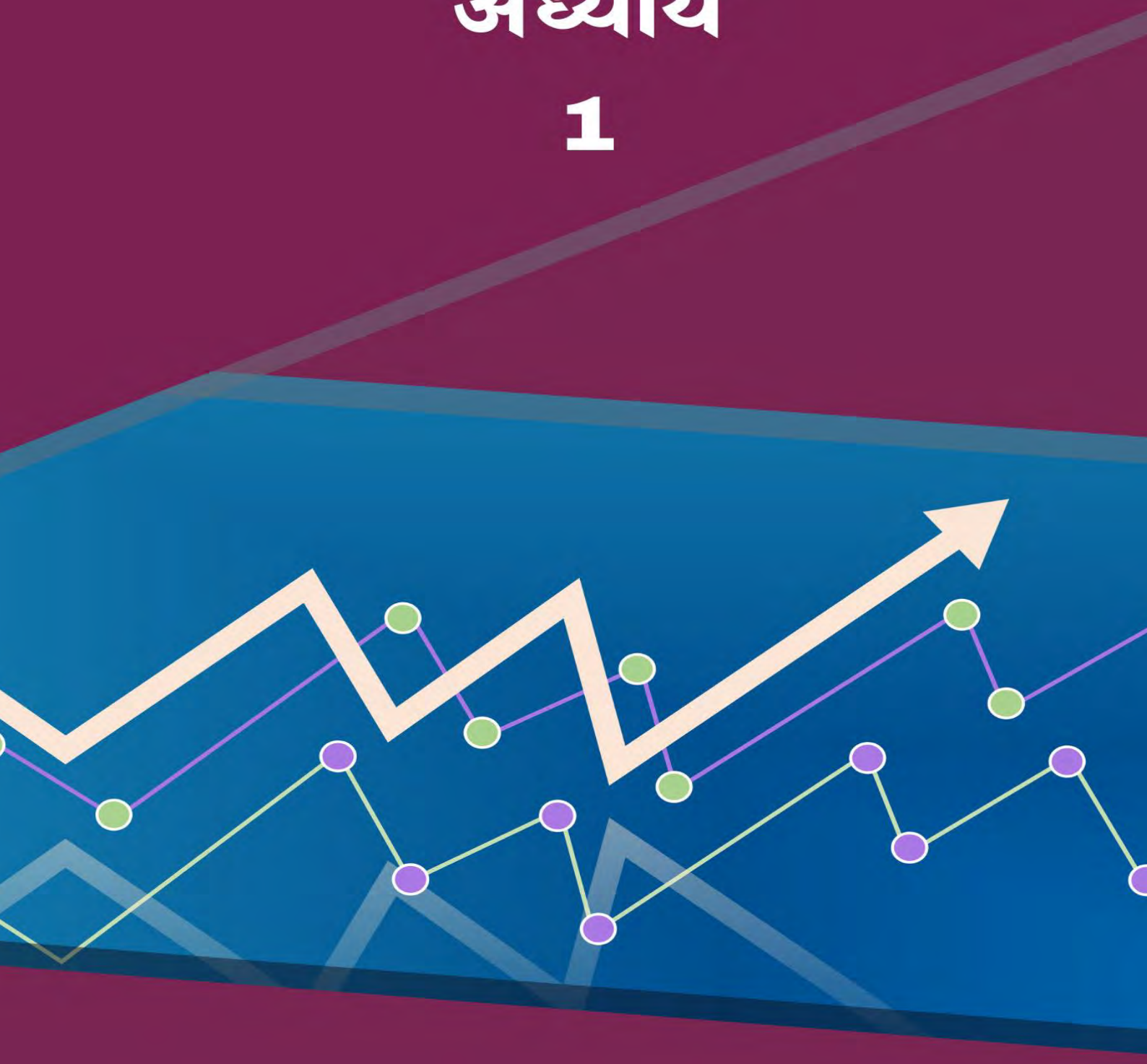

सामान्य समीक्षा


Chamba
Lahaul and Spiti
Kangra
Kullu
Hamirpur
Una
Mandi
Kinnaur
Bilaspur
Shimla
Solan
Sirmaur

मुख्य बिन्दु

- ओ.ई.सी.डी. द्वारा जारी आर्थिक आउटलुक 2024 में वर्ष 2025 के लिए वैश्विक विकास दर 3.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
- भारत और दक्षिण एशिया वैश्विक स्तर पर प्रमुख विकास चालकों के रूप में उभरे हैं, जो मजबूत घरेलू मांग और संरचनात्मक सुधारों को दर्शाते हैं।
- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी अग्रिम अनुमान (अ.अ.) के अनुसार, वित्त वर्ष 2023–24 के लिए स्थिर (2011–12) कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद के अनंतिम अनुमान में वृद्धि दर 8.2 प्रतिशत के समकक्ष वित्त वर्ष 2024–25 के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2023–24 में 9.6 प्रतिशत की वृद्धि दर के समकक्ष वित्त वर्ष 2024–25 में मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद (जी. डी.पी.) में 9.7 प्रतिशत की वृद्धि दर देखी गई है।
- वित्त वर्ष 2023–24 में स्थिर (2011–12) कीमतों पर भारत की वास्तविक जी.डी. पी. के अनंतिम अनुमान ₹173.82 लाख करोड के समकक्ष वित्त वर्ष 2024–25 के लिए जी.डी.पी. ₹184.88 लाख करोड़ अनुमानित है।
- विनिर्माण निर्माण, लोक प्रशासन, वित्तीय और रियल एस्टेट वित्त वर्ष 2023–24 की विकास दर में सबसे अधिक योगदान देने वाले क्षेत्र हैं।
- प्रचलित कीमतों पर भारत की प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय वित्त वर्ष 2024–25 के लिए ₹2,00,162 अनुमानित है।
- प्रचलित कीमतों पर हिमाचल प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद(जी.एस.डी.पी.) वित्त वर्ष 2022–23 में द्वितीय संशोधित अनुमान (द्वि.सं.अ.) में ₹1,91,659 करोड़ के समकक्ष वित्त वर्ष 2023–24 में प्रथम संशोधित ₹2,10,662 करोड़ होने का अनुमान है, जो की वर्ष के दौरान 9.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
- कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि और संबद्ध गतिविधियों का प्रतिशत योगदान 1950–51 में 70.37 प्रतिशत से घटकर 1990–91 में 35.06 प्रतिशत, 2011–12 में 17.16 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2023–24 में 14.74 प्रतिशत रह गया है।

1.1 विश्व अर्थव्यवस्था का अवलोकन

पिछले कुछ वर्षों में, वैश्विक अर्थव्यवस्था ने महामारी और ऊर्जा संकट जैसे बड़े झटकों के बावजूद उल्लेखनीय तन्यकता का प्रदर्शन किया है। इस साल वैश्विक वृद्धि स्थिर रही, जबकि मुद्रास्फीति में गिरावट जारी रही। श्रम बाज़ारों में कुछ नरमी के बावजूद, कई देशों में बेरोज़गारी दर अभी भी ऐतिहासिक निचले स्तर के करीब है। वैश्विक व्यापार में भी सुधार हो रहा है। इस पृष्ठभूमि में, इस अध्याय को तीन खंडों में व्यवस्थित किया गया है। पहला खंड वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को व्यापक रूप से रेखांकित करता है, जिसमें विकास और विकास की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाला गया है। दूसरा खंड राष्ट्रीय समग्र आर्थिक स्थिति पर केंद्रित है और तीसरा खंड हिमाचल की अर्थव्यवस्था में प्रमुख प्रवृत्तियों की जांच करता है।

वैश्विक आर्थिक वृद्धि मध्यम बनी हुई है। वर्ष 2023 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 3.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस वर्ष वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 3.2 प्रतिशत और 2025 और 2026 में 3.3 प्रतिशत होने का अनुमान है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओ.ई.सी.डी.) ने कई देशों में राजकोषीय नीति की कठोरता के कारण कुछ बाधाओं के बावजूद, मांग को सुचारु रखने के लिए के लिए कम मुद्रास्फीति, स्थिर रोजगार वृद्धि और कम प्रतिबंधात्मक मौद्रिक नीति पर महत्व दिया। भारत और इंडोनेशिया में घरेलू मांग में बढ़ोतरी और चीन और जापान में हाल ही में घोषित प्रोत्साहन उपायों से एशिया में निरंतर मजबूत आर्थिक वृद्धि की उम्मीद है।

चित्र 1.1

चयनित अर्थव्यवस्थाओं का 2024, 2025 और 2026 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का वृद्धि अनुमान

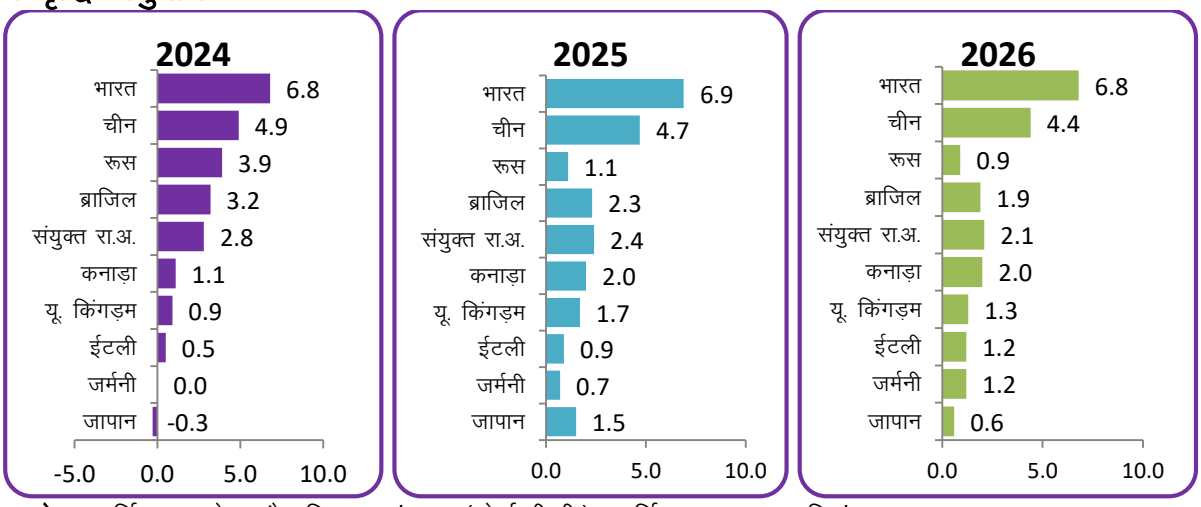

स्रोतः आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओ.ई.सी.डी.), आर्थिक आउटलुक, दिसंबर 2024

चित्र 1.1 से पता चलता है कि भारत 2024, 2025 और 2026 में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होगी। चीन तीनों वर्षों में भारत के साथ निकटतम दावेदार प्रतीत होता है जबकि अन्य सभी अर्थव्यवस्थाएं भारत द्वारा हासिल की जाने वाली वृद्धि दर से बहुत दूर प्रतीत होती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.) के विश्व आर्थिक आउटलुक (डब्ल्यू.ई.ओ.) ने अनुमान लगाया है कि वैश्विक जी.डी.पी. वृद्धि मोटे तौर पर समान रहेगी – जो 2023 में 3. 3 प्रतिशत से घटकर 2029 तक 3.1 प्रतिशत हो जाएगी। वर्षवार वैश्विक जी.डी.पी. वृद्धि 2024 और 2025 के लिए 3.2 प्रतिशत कम हो गई है। महामारी से पहले के रुझानों की तुलना में सेवाओं के मुकाबले वस्तुओं की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं, महामारी और उसके परिणाम स्वरूप दबी हुई मांग का प्रभाव लंबे समय तक बना रहा, जिससे वस्तुओं की मजबूत मांग देखी गई। नतीजतन, स्थिर वृद्धि के आंकडों के पीछे, वस्तुओं से सेवाओं की खपत की ओर वैश्विक बदलाव चल रहा है। यह पुर्न सन्तुलन उन्नत और उभरते बाजारों में सेवा क्षेत्र में गतिविधि को बढ़ावा दे रहा है लेकिन विनिर्माण को कमजोर कर रहा है।

अप्रैल 2024 में आईएमएफ ने भारत की जी.डी.पी. ग्रोथ 6.8 फीसदी रहने का अनुमान लगाया था। जुलाई 2024 में, इस पूर्वानुमान को 20 आधार अंक संशोधित करके 7.0 प्रतिशत और 2025 में 6.5 प्रतिशत कर दिया, क्योंकि महामारी के दौरान जमा हुई मांग समाप्त हो गई और अर्थव्यवस्था अपनी क्षमता के साथ फिर से वृद्धि कर रही है। इस आशावादी दृष्टिकोण का श्रेय विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़े हुए घरेलू खर्च को दिया जाता है, जो उच्च कृषि आय और सरकारी सहायता कार्यक्रमों से प्रेरित है।

2025 और 2026 के लिए विश्व अर्थव्यवस्थाओं के लिए आर्थिक वृद्धि का अनुमान, वैश्विक आर्थिक संभावनाएँ में लगाया गया है, जिसमें भारत को पिछली वृद्धि बरकरार रखते हुए इन वर्षों में भी दुनिया में सबसे अधिक विकास दर वाले देश के रूप में पेश किया गया है। यह घरेलू परिस्थितियों, वैश्विक रुझानों और नीतिगत उपायों से प्रभावित आर्थिक वृद्धि प्रक्षेप पथ में भिन्नता पर प्रकाश डालता है।

दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की आर्थिक नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, हालांकि, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में विकास दर काफी हद तक भिन्न है, जिसे नीचे सारणी 1.1 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 1.1

प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के लिए विकास अनुमान और अनुमानः प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं, दक्षिण एशिया क्षेत्र, भारत और उसके पड़ोसी (वर्ष–दर–वर्ष, प्रतिशत)

क्षेत्र /देश	2022	2023	2024	2025	2026
संयुक्त राज्य अमेरिका	2.5	2.9	2.8	2.3	2.0

जापान	0.9	1.5	0.0	1.2	0.9
चीन	3.0	5.2	4.9	4.5	4.0
दक्षिण एशिया	5.8	6.6	6.0	6.2	6.2
बांग्लादेश	7.1	5.8	5.0	4.1	5.4
भूटान	4.8	5.0	5.3	7.2	6.6
भारत	**7.0**	**8.2**	**6.5**	**6.7**	**6.7**
मालदीव	13.9	4.1	4.7	4.7	4.6
नेपाल	5.6	2.0	3.9	5.1	5.5
पाकिस्तान	5.6	– 0.2	2.5	2.8	3.2
श्रीलंका	–7.3	– 2.3	4.4	3.5	3.1

स्त्रोतः वैश्विक आर्थिक संभावनाएँ, विश्व बैंक, जनवरी 2025:

टिप्पणीः 2023 के आंकड़े वास्तविक जी.डी.पी. वृद्धि दर अनुमान हैं और अन्य वर्षों के आंकड़े अनुमानित/पूर्वानुमान जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है।

उपरोक्त सारणी के अनुसार, जहाँ जापान की अर्थव्यवस्था सकारात्मक वृद्धि दर बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है बहीं प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के लिए वृद्धि दर तुलनात्मक रूप से स्थिर है। दूसरी ओर, दक्षिण एशिया 2024 से 2026 तक तीन वर्षों तक लगातार 6 से 6.2 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ दुनिया में वृद्धि दर के चालक के रूप में उभरा है। अनुमान लगाया गया है कि भारत 2025 और 2026 में उच्चतम वृद्धि दर हासिल करेगा।

सारणी 1.2 दुनिया की शीर्ष दस सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को दर्शाती है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका को शीर्ष पर दर्शाया गया है। भारत को 2024 के लिए विश्व की जी. डी.पी. रैंकिंग में 5 वें स्थान पर रखा गया है। देश की अर्थव्यवस्था विविध है और तेजी से बढ़ रही है, जो सूचना प्रौद्योगिकी, सेवाओं, कृषि और विनिर्माण जैसे प्रमुख क्षेत्रों द्वारा संचालित है। व्यापक घरेलू बाज़ार, युवा और तकनीकी रूप से कुशल श्रम शक्ति और विस्तारित मध्यम वर्ग भारत की आर्थिक वृद्धि के प्रमुख संचालक है।

सारणी 1.2

2024 में विश्व की शीर्ष 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ

रैंक	देश	जी.डी.पी. (ट्रिलियन यू. एस.डी.)	अनुमानित वास्तविक जी.डी.पी. (%परिवर्तन)	प्रति व्यक्ति जी.डी. पी. (प्रचलित मूल्य) (000, यू.एस.डी.)	वैश्विक जी. डी.पी. का हिस्सा
1	अमेरिका	29.17	2.8	86.6	14.99
2	चीन	18.27	4.8	12.97	19.05
3	जर्मनी	4.71	0.0	55.52	3.09
4	जापान	4.07	0.3	32.86	3.38

5	**भारत**	**3.59**	**7.0**	**2.70**	**8.23**
6	इंग्लैंड़	3.59	1.1	52.42	2.2
7	फ्रांस	3.17	1.1	48.01	2.24
8	ईटली	2.38	0.7	40.29	1.85
9	कनाड़ा	2.21	1.3	53.83	1.33
10	ब्राजिल	2.19	3.0	10.3	2.42

स्त्रोतः फोर्ब्स विश्व जी.डी.पी. रैंकिंग 2024 रिपोर्ट।
https://www.forbesindia.com/article/explainers/top-10-largest-economies-in-the-world/86159/1

1.2 अवलोकनः भारतीय अर्थव्यवस्था

भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद, गतिशील सुधारों और विविध क्षेत्रों में इसके महत्वपूर्ण योगदान से चिह्नित है। प्रचलित कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के संदर्भ में भारत दुनिया में पांचवीं सबसे बड़ी जी.डी.पी. और क्रय शक्ति समता (पी.पी.पी.) में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ, भारत वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में, यह भारतीय स्वतंत्रता की शताब्दी, 2047 तक उच्च मध्यम आय की स्थिति तक पहुंचने की आकांक्षाओं के साथ, इस पथ पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है।

पिछले दो दशकों की आर्थिक वृद्धि के कारण भारत ने अत्यधिक गरीबी को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। अनुमान है कि 2011 और 2019 के बीच, देश में अत्यधिक गरीबी–प्रति व्यक्ति प्रति दिन डॉलर 2.15 से नीचे (2017 पी.पी.पी.) में रहने वाली आबादी का हिस्सा आधा हो गया है।

बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निवेश और रियल एस्टेट में बढ़ते घरेलू निवेश से आर्थिक वृद्धि को गति मिली। वित्त वर्ष 2023–24 में उत्साही विनिर्माण क्षेत्र में 9.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि सेवाएँ लचीली रहीं, जिससे कृषि में खराब प्रदर्शन की भरपाई हुई।

सरकारी पहलों ने कारोबारी माहौल में सुधार, लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, कर दक्षता में सुधार और कर दरों को तर्कसंगत बनाकर विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने का काम किया है।

महामारी के बाद से, खासकर महिला श्रमिकों के लिए शहरी बेरोजगारी में धीरे–धीरे सुधार हुआ है, यह वित्त वर्ष 2021–22 में 14.3 प्रतिशत से गिरकर वित्त वर्ष 2024–25 में 9 प्रतिशत हो गई है। हालाँकि, शहरी युवाओं के बीच बेरोजगारी वित्त वर्ष 2024–25 में 16.8 प्रतिशत पर बनी रही।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी अग्रिम अनुमान (अ.अ.) के अनुसार, वित्त वर्ष 2024–25 के लिए वास्तविक सकल घरेलू

उत्पाद (जी.डी.पी.) 6.4 प्रतिशत होने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2023–24 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के अनंतिम अनुमान (पी.ई.) में वृद्धि दर 8.2 प्रतिशत है। वित्त वर्ष 2024–25 में वित्त वर्ष 2023–24 के 9.6 की तुलना में मौद्रिक जी.डी.पी. में 9.7 प्रतिशत की वृद्धि दर देखी गई है।

वर्ष 2024–25 के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्र का वास्तविक सकल मूल्य वर्धित (जी.वी.ए.) 3.8 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया गया है, जबकि पिछले वर्ष 2023–24 के दौरान इसमे 1.4 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई थी।

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान निर्माण क्षेत्र और वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवा क्षेत्र की वास्तविक जी.वी.ए. में क्रमशः 8.6 प्रतिशत और 7.3 प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है।

जैसा कि विश्व बैंक ने नोट किया है कि भारत तीन–आयामी दृष्टिकोण के साथ – व्यापार लागत को और कम करना, व्यापार बाधाओं को कम करना और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकरण को गहरा करना–भारत को 2030 तक व्यापारिक निर्यात के लिए 1 ट्रिलियन डॉलर के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। हालांकि, सेवा गतिविधि स्थिर रही है, जबकि कृषि क्षेत्र की वृद्धि में सुधार हुआ है। निजी उपभोग वृद्धि लचीली बनी हुई है, जो मुख्य रूप से कृषि उत्पादन में सुधार के साथ–साथ ग्रामीण आय में सुधार से प्रेरित है। इसके विपरीत, उच्च मुद्रास्फीति और धीमी ऋण वृद्धि ने शहरी क्षेत्रों में खपत पर अंकुश लगाया है। व्यापार के प्रति व्यापक खुलापन, बदले में, भारत की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाएगा, उत्पादकता में सुधार करेगा, विकास को गति देगा और दीर्घकालिक आर्थिक लचीलेपन का निर्माण करेगा।

भारतीय अर्थव्यवस्था की क्षेत्रवार विकास दर निम्नलिखित चित्र में प्रस्तुत की गई है:

चित्र 1.2

भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दरः क्षेत्रवार

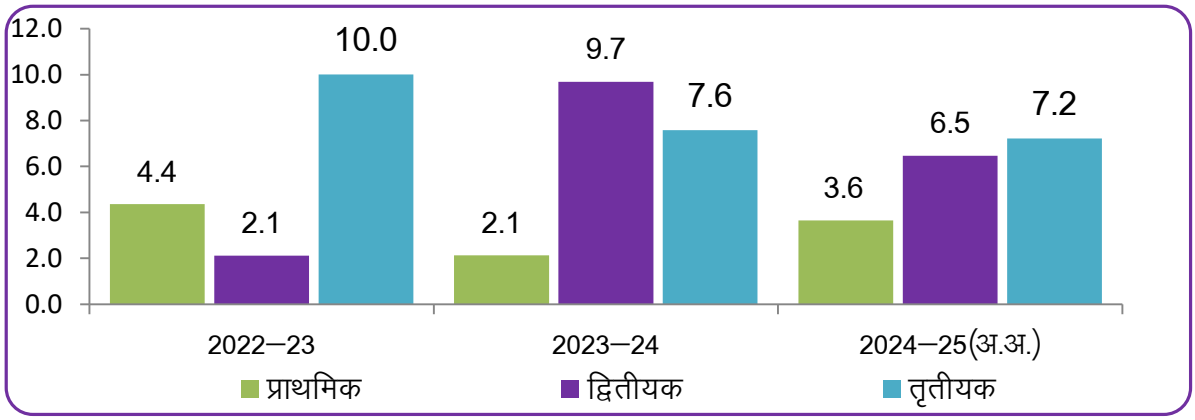

स्त्रोतः राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एन.एस.ओ.), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एम.ओ.एस.पी.आई.), भारत सरकार।

क्षेत्र–वार, भारतीय अर्थव्यवस्था ने प्राथमिक क्षेत्र में वित्त वर्ष 2023–24 में 2.1 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में वित्त वर्ष 2024–25 (अ.अ.) में 3.6 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल की। द्वितीयक क्षेत्र में वृद्धि वर्ष 2023–24 में 9.7 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2024–25(अ.अ.) में 6.5 प्रतिशत हो गई है।

स्थिर कीमतों पर वास्तविक जी.डी.पी. वित्त वर्ष 2024–25 में ₹184.88 लाख करोड़ के स्तर तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2023–24 के लिए अनंतिम अनुमान के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद ₹173.82 लाख करोड़ रहने का अनुमान था। वर्ष 2024–25 के दौरान वास्तविक जी.डी.पी. में वृद्धि दर 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि 2023–24 में यह 8.2 प्रतिशत थी। प्रचलित कीमतों पर मौद्रिक जी.डी.पी. वर्ष 2024–25 में 9.7 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ ₹324.11 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, जो 2023–24 में ₹295.36 लाख करोड़ थी।

चित्र 1.3

स्थिर (2011–12) कीमतों पर जी.वी.ए. वृद्धि

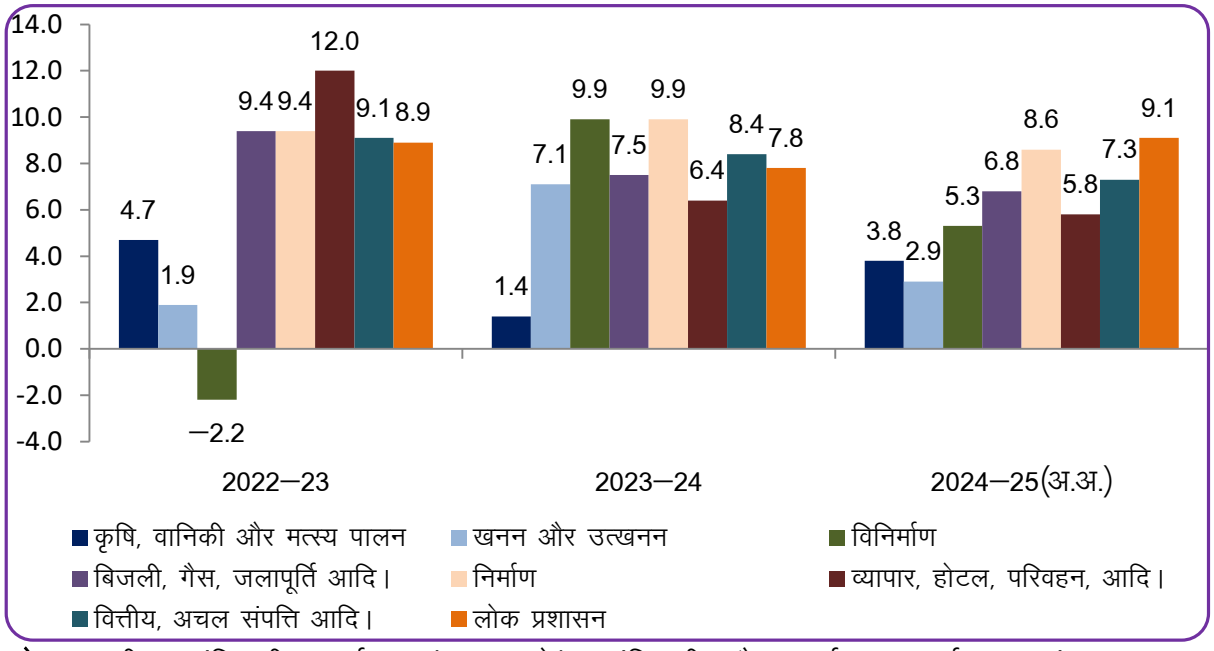

स्रोतः राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एन.एस.ओ.), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

स्थिर कीमतों पर सकल मूल्य वर्धित (जी.वी.ए.) में वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्र में 9.1 प्रतिशत की उच्चतम वृद्धि दर्ज़ की गई, जो पिछले वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 7.8 प्रतिशत थी। इस के बाद निर्माण क्षेत्र में पिछले वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 9.9 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले वित्त वर्ष 2024–25 में 8.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज़ की गई।

कृषि, वानिकी और मत्स्य क्षेत्र की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2023–24 में 1.4 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2024–25 में 3.8 प्रतिशत हो गई है। इसके विपरीत जहां वित्त वर्ष 2022–23 में व्यापार, होटल और रेस्तरां में सबसे अधिक वृद्धि दर दर्ज़ की गई थी, अब वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान 5.8 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज़ की गई है।

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान खनन और उत्खनन क्षेत्र में सबसे कम 2.9 फीसदी की वृद्धि दर दर्ज की गई है, जो पिछले वित्त वर्ष के दौरान 7.1 फीसदी थी.

सकल घरेलू उत्पाद और जी.एस.डी.पी. की वृद्धि दर के संदर्भ में राष्ट्रीय और साथ ही राज्य के आर्थिक प्रदर्शन की तुलनात्मक स्थिति नीचे प्रस्तुत की गई है।

चित्र 1.4

स्थिर (2011–12) कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद और जी.एस.डी.पी. की तुलनात्मक विकास दर

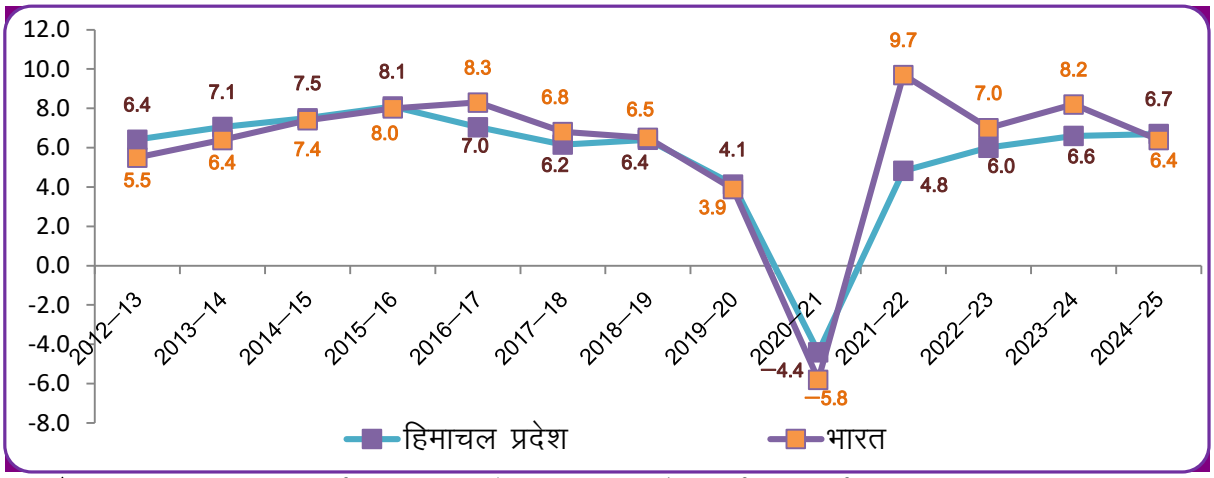

स्त्रोतः राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एन.एस.ओ.), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार एवं अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश

वित्त वर्ष 2020–21 में वृद्धि दर में तेज गिरावट देखी गई, जबकि वित्त वर्ष 2021–22 में वृद्धि दर में तेज रिकवरी देखने को मिली जो की महामारी के झटके के बाद अर्थव्यवस्था की वापस पटरी में आने के कारण था और आर्थिक गतिविधियाँ महामारी से पहले की तरह सामान्य हो रही थीं।

2021–22 में अर्थव्यवस्था में अचानक उछाल के बाद लगातार तेजी का रुख देखने को मिला है। वित्त वर्ष 2024–25 में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय वृद्धि दर 8.7 प्रतिशत के साथ ₹2,00,162 होने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2023–24 में यह ₹1,84,205 थी।

1.3 अवलोकनः हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था

हिमाचल प्रदेश भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। राज्य उत्तर में जम्मू और कश्मीर, पश्चिम और दक्षिण–पश्चिम में पंजाब, दक्षिण में हरियाणा, दक्षिण–पूर्व में उत्तर प्रदेश और

पूर्व में तिब्बत चीन से घिरा हुआ है। लौह अयस्क और कोयले जैसे समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों की कमी और भारत के अन्य राज्यों की तुलना में कम उपजाऊ होने के बावजूद, हिमाचल ने राज्य के मेहनती लोगों के निरंतर प्रयासों और प्रगतिशील नीतियों के कार्यान्वयन के माध्यम से प्रगति की है।

प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) वित्त वर्ष 2023–24 (प्र.सं.अ.) में ₹2,10,662 करोड़ होने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2022–23 में दूसरे संशोधित अनुमान (द्वि.सं.अ.) में ₹1,91,659 करोड़ है, जो वर्ष के दौरान 9.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

वित्त वर्ष 2023–24 (प्र.सं.अ.) में स्थिर (2011–12) कीमतों पर जी.एस.डी.पी. वित्त वर्ष 2022–23 (द्वि.सं.अ.) में ₹1,28,779 करोड़ के मुकाबले ₹1,37,320 करोड़ होने का अनुमान है, जो वर्ष के दौरान 6.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

राज्य में जी.एस.डी.पी. की गति को निम्नलिखित चित्र में दर्शाया गया है:

चित्र 1.5

1948 से 2023–24 तक प्रचलित कीमतों पर जी.एस.डी.पी.

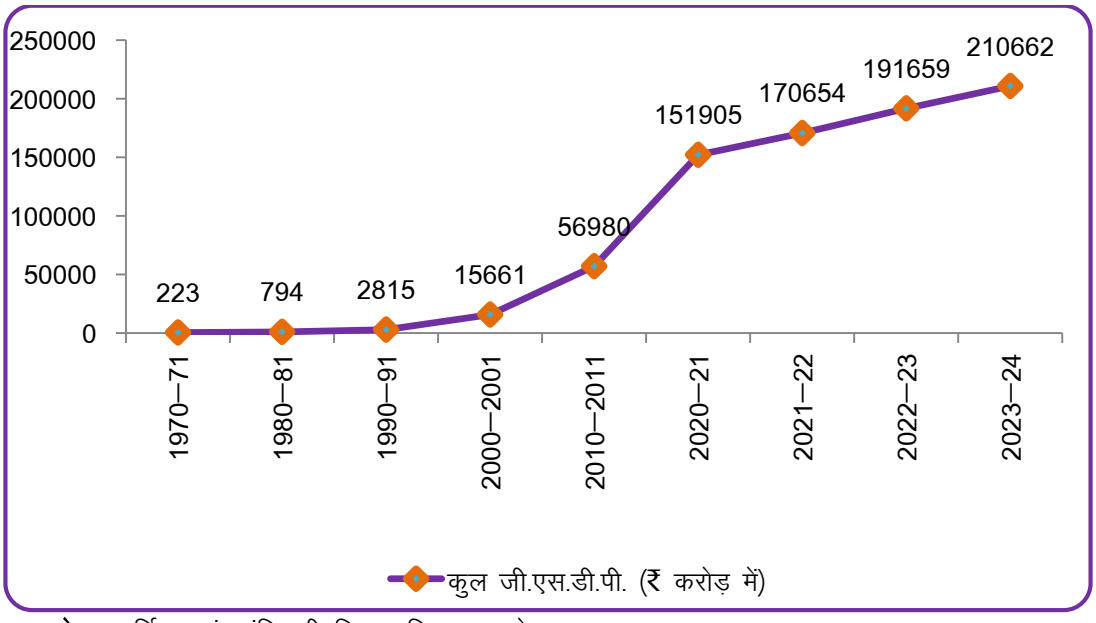

स्त्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश

इसके अलावा जिस अर्थव्यवस्था पर मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र का प्रभुत्व था, वह जी.एस.डी.पी. में योगदान के मामले में बड़े पैमाने पर सेवा और विनिर्माण में परिवर्तित हो गई है। हालाँकि, रोज़गार के मामले में अभी भी राज्य की 53.98 प्रतिशत जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में लगी हुई है।

चित्र 1.6

1971 से 2023–24 तक प्रचलित कीमतों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय

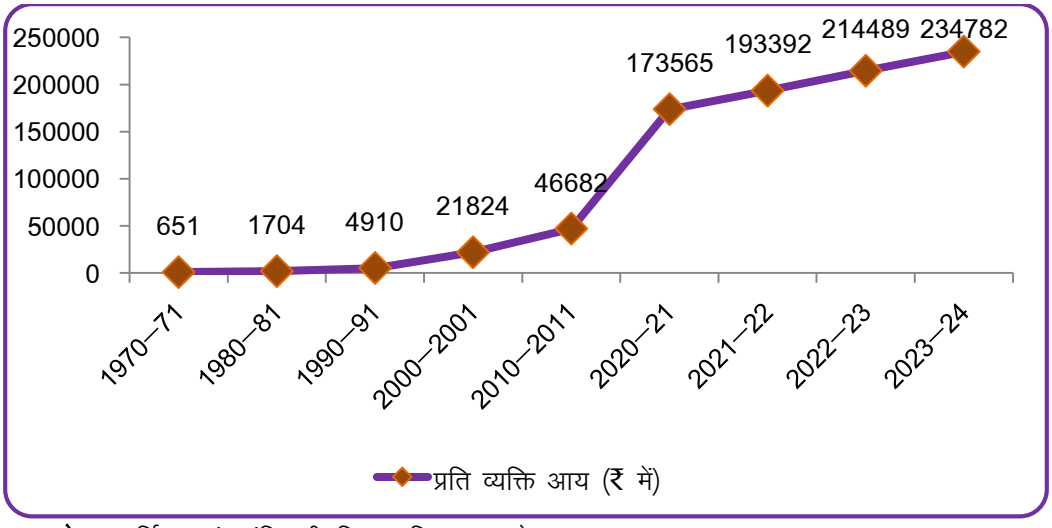

स्त्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश

वित्त वर्ष 2022–23 में प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय ₹2,14,489 के समकक्ष 2023–24 के प्रथम संशोधित अनुमानों के अनुसार प्रति व्यक्ति आय ₹2,34,782 रही है जो की 9.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

चित्र 1.7

1950–51 से 2023–24 तक राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों का योगदान

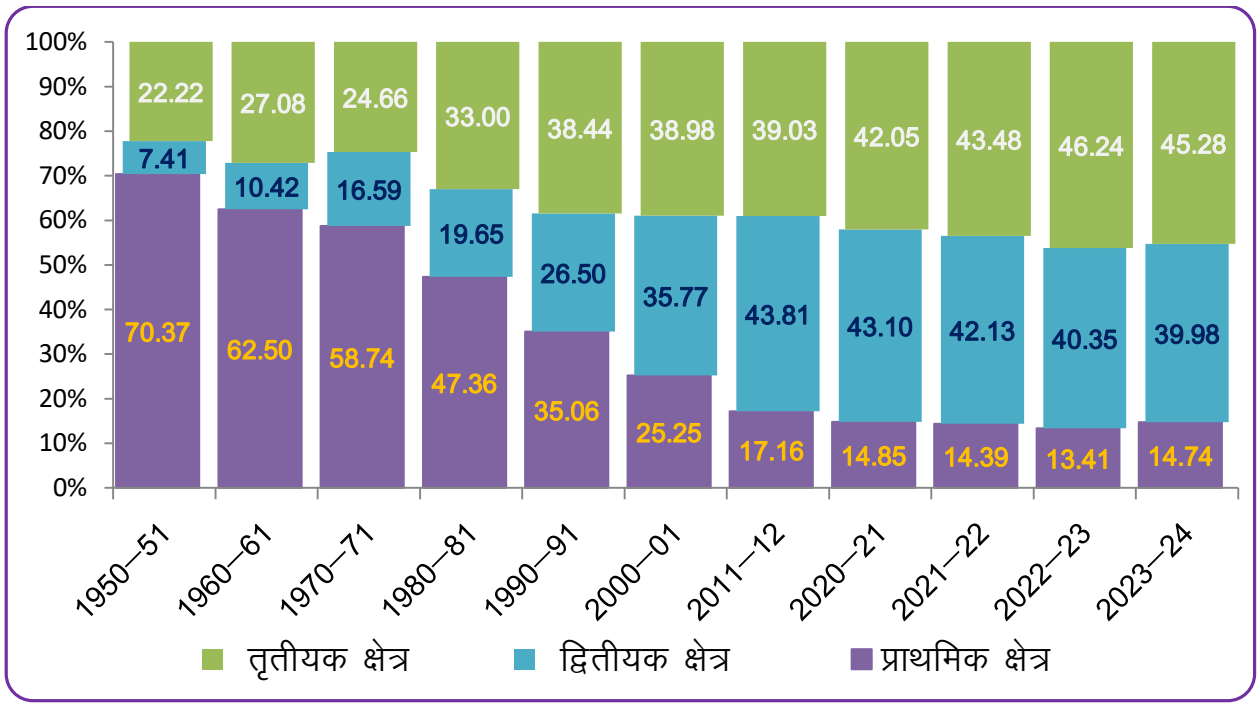

स्त्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश

राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र से उद्योगों और सेवाओं की ओर बदलाव हुआ है क्योंकि कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का प्रतिशत योगदान 1950–51 में 70.37 प्रतिशत से घटकर 1990–91 में 35.06 प्रतिशत, 2011–12 में 17.16 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2023–24 में 14.74 प्रतिशत रह गया है।

द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की हिस्सेदारी जो 1950–51 में क्रमशः 7.41 और 22.22 प्रतिशत थी, 1990–91 में बढ़कर 26.5 और 38.44 प्रतिशत, 2011–12 में 43.81 और 39.03 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2023–24 में 39.98 और 45.28 प्रतिशत हो गई है।

कृषि क्षेत्र की घटती हिस्सेदारी राज्य की अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र के महत्व को कम नहीं करती है क्योंकि राज्य की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि अभी भी कृषि और बागवानी उत्पादन की प्रवृत्ति से निर्धारित होती है। यह कुल घरेलू उत्पाद में प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक है और इनपुट लिंकेज, रोजगार, व्यापार परिवहन आदि के माध्यम से अन्य क्षेत्रों पर इसका समग्र प्रभाव पड़ता है। सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण, कृषि उत्पादन अभी भी मुख्य रूप से समय पर वर्षा और मौसम की स्थिति पर निर्भर करता है।

राज्य ने बागवानी विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है। उपजाऊ, गहरी और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी के साथ–साथ स्थलाकृतिक विविधताएं और ऊंचाई के अंतर, समशीतोष्ण से उपोष्णकटिबंधीय फलों की खेती के पक्ष में हैं। यह क्षेत्र फूलों, मशरूम, शहद और हॉप्स जैसे सहायक बागवानी उत्पादों की खेती के लिए भी उपयुक्त है।

निष्कर्षः वैश्विक अर्थव्यवस्था ने महामारी और ऊर्जा संकट जैसी वर्तमान चुनौतियों के होते हुए भी तन्यकता दिखाई है। वर्ष 2023 में आर्थिक वृद्धि दर 3.3 प्रतिशत रही और वर्ष 2026 तक स्थिर वृद्धि का अनुमान है। भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अग्रणी रहने की आशा है। जिसका कारण विशेष रूप से ग्रामिण क्षेत्रों में मजबूत घरेलू मांग और सरकारी प्रोत्साहन है। भारत की जी.ड़ी.पी. में वर्ष 2024 में 7 प्रतिशत की वृद्धि रहने का अनुमान है, जो वर्ष 2026 तक गति बनाए रखेगी।

भारतीय संदर्भ में, विनिर्माण, सेवा और कृषि जैसे प्रमुख क्षेत्र सकारात्मक वृद्धि के साथ बढ़ रहे हैं। सेवा क्षेत्र की ओर वैश्विक बदलाव के अतिरिक्त, भारत अपनी गतिशील अर्थव्यवस्था और विशाल घरेलू बाजार से लाभान्वित होने के लिए तैयार है। आधारभूत ढ़ाचे और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल से आर्थिक विकास को और भी बल मिलने की आशा है।

हिमाचल प्रदेश ने राज्य स्तर पर कृषि–प्रधान विकास से विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की ओर बदलाव किया है। सीमित प्राकृतिक संसाधनों जैसी चुनौतियों के अतिरिक्त राज्य की अर्थव्यवस्था में लगातार वृद्धि हुई है, जिसमें प्रति व्यक्ति आय में उत्कृष्ट सुधार हुआ है।

निर्माण और सेवा जैसे उभरते क्षेत्रों के साथ–साथ बागवानी क्षेत्र भी राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

******

अध्याय
2



राज्य आय-दीर्घकालीन आर्थिक अवलोकन


TAX
%
%
%
7 8 9 ÷
4 5 6 ×
3 2 + =
1 0 −
****
****



मुख्य बिन्दु

- अग्रिम अनुमानों (अ.अ.) के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए प्रचलित भावों पर हिमाचल प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) ₹2,32,185 करोड़ होने का अनुमान है जोकि वित्तीय वर्ष 2023–24 में ₹2,10,662 करोड़ था जो वित्तीय वर्ष 2023–24 के प्रथम संशोधित(प्र.स.अ.) के 9.9 प्रतिशत के समकक्ष वित्त वर्ष 2024–25 के लिए 10.2 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर प्रदर्शित करता है।

- वर्ष 2024–25 अ.अ.के अनुसार स्थिर (2011–12) भावों या वास्तविक जी. एस.डी.पी. ₹1,46,553 करोड़ अनुमानित है, जबकि वित्त वर्ष 2023–24 में यह ₹1,37,320 करोड़ थी और यह वित्त वर्ष 2023–24 (प्र.स.अ.) के 6.6 प्रतिशत की समकक्ष वर्ष 2024–25 के लिए 6.7 प्रतिशत वृद्धि दर प्रदर्शित करता है।

- वित्त वर्ष 2024–25 के लिए प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय(पी.सी.आई.) वित्त वर्ष 2023–24 में ₹2,34,782 की तुलना में ₹2,57,212 रुपये अनुमानित है, जो वित्त वर्ष 2024–25 में 9.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। राज्य के प्रति व्यक्ति आय (पी.सी.आई.) में 2011–12 में ₹87,721 से 2024–25 में ₹2,57,212 की तेजी से वृद्धि हुई है, जो 2011–12 की तुलना में 8.6 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सी.ए.जी.आर.) दर्शाती है।

- वित्त वर्ष 2024–25 के लिए जी.एस.वी.ए. के अ.अ. के आधार पर, तृतीयक क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर राज्य के जी.एस.वी.ए. में 45.3 प्रतिशत हिस्सा है, इसके बाद द्वितीयक क्षेत्र का 39.5 प्रतिशत और प्राथमिक क्षेत्र का 15.2 प्रतिशत योगदान रहा।

- वित्त वर्ष 2024–25 अ.अ. के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र से जी.एस.वी.ए. 3.2 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ स्थिर मूल्यों पर वित्त वर्ष 2023–24(प्र.स.अ.) में ₹16,116 करोड़ की तुलना के ₹16,625 करोड़ अनुमानित है।

- वित्तीय वर्ष 2024–25 अ.अ. के अनुसार द्वितीयक क्षेत्र का जी.एस.वी.ए. स्थिर (2011–12) कीमतों पर, वित्तीय वर्ष 2023–24 (प्र.स.अ.) के लिए ₹60,238 करोड़ के मुकाबले ₹65,134 करोड़ अनुमानित है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 8.1 प्रतिशत वृद्धि दर दर्ज होने की आशा है।

- राज्य में सेवा क्षेत्र जी.एस.वी.ए. में सबसे अधिक योगदानकर्ता है। वित्तीय वर्ष 2024–25 (अ.अ.) के अनुसार सेवा क्षेत्र का जी.एस.वी.ए. स्थिर (2011–12) भावों पर ₹56,654 करोड़ अनुमानित है, जबकि वित्त वर्ष 2023–24 (प्र.स.अ.) में यह ₹53,481 करोड़ था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शाता है।

- द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में कार्यरत कार्यबल की हिस्सेदारी (क्रमशः 22.01 और 24.01 प्रतिशत) जी.वी.ए. (39.98 प्रतिशत और 45.28 प्रतिशत) की हिस्सेदारी से कम है, जिसका अर्थ है कि कम श्रमिक जी.वी.ए. में अधिक योगदान दे रहे हैं जो कृषि से कार्यबल के पुनः आवंटन की संभावना को दर्शाता है। कृषि से कार्यबल द्वितीयक क्षेत्र में पुनः आवंटन से प्राथमिक क्षेत्र में छिपी बेरोजगारी कम हो जाएगी।

2.1 परिचय–राज्य की अर्थव्यवस्था

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) राज्य की भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाला एक अनुमान है, जिसे एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान दोहराव के बिना गिना जाता है, जिसके सामान्यता एक वर्ष की अवधि रहती है। यह आर्थिक वृद्धि का एक प्रमुख पैमाना है, जो क्षेत्रीय योगदान और समग्र विकास के रुझान पर प्रकाश डालता है। जी.एस.डी.पी. राज्य की प्रगति पर निवेश, नीतिगत पहलों और आर्थिक अवसरों के प्रभाव का आकलन करने में मदद करता है।

जी.एस.डी.पी. की वृद्धि दर समय के साथ राज्य के आर्थिक प्रदर्शन को इंगित करती है, जो इसके विस्तार और लचीलेपन को दर्शाती है। राज्य आय के रूप में भी जाना जाता है, जी.एस.डी.पी. आर्थिक विकास के मूल्यांकन के लिए एक महत्वपूर्ण पैमाना है। नियोजित विकास के संदर्भ में, राज्य आय और प्रति व्यक्ति आय (पी.सी.आई.) दोनों ही प्रशासकों, नीति निर्माताओं और योजनाकारों के लिए नीतियों को आकार देने और निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

वित्त वर्ष 2024–25 के लिए, राज्य के जी.एस.डी.पी. के लिए दृष्टिकोण कृषि, उद्योग, पर्यटन और सेवाओं जैसे प्रमुख क्षेत्रों में चल रही चुनौतियों और अवसरों दोनों को दर्शाता है। यह अध्याय विभिन्न क्षेत्रों में रुझानों का विश्लेषण करते हुए अपेक्षित आर्थिक प्रदर्शन का अवलोकन प्रदान करता है। हिमाचल प्रदेश आगामी वित्तीय वर्ष में निरंतर समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए उभरती चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी शक्ति का लाभ उठाने के लिए तैयार है और इस अध्याय में चर्चा के लिए संदर्भ निर्धारित करता है।

2.2 सकल राज्य घरेलू उत्पाद – 2024–25 के लिए एक दृष्टिकोण

2.2.1 प्रचलित और स्थिर (2011–12) भावों पर जी.एस.डी.पी.

अग्रिम अनुमानों (अ.अ.) के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए प्रचलित भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹2,32,185 करोड़ होने का अनुमान है, जबकि वित्तीय वर्ष 2023–24 में यह ₹2,10,662 करोड़ था जोकि वर्ष 2023–24 में 9.9 प्रतिशत वृद्धि दर की तुलना में वर्ष 2024–25 में 10.2 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर प्रदर्शित करता है।

अ.अ. के अनुसार, वर्ष 2024–25 के लिए स्थिर (2011–12) भावों या वास्तविक जी. एस.डी.पी. ₹1,46,553 करोड़ अनुमानित है, जबकि वित्त वर्ष 2023–24 में यह ₹1,37,320 करोड़ थी और यह वित्त वर्ष 2023–24 (प्र.स.अ.) के 6.6 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2024–25 के लिए 6.7 प्रतिशत वृद्धि दर प्रदर्शित करता है। वर्षवार विवरण चित्र 2.1 और 2.2 में दर्शाया गया है।

चित्र 2.1

प्रचलित और स्थिर भावों पर सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़)

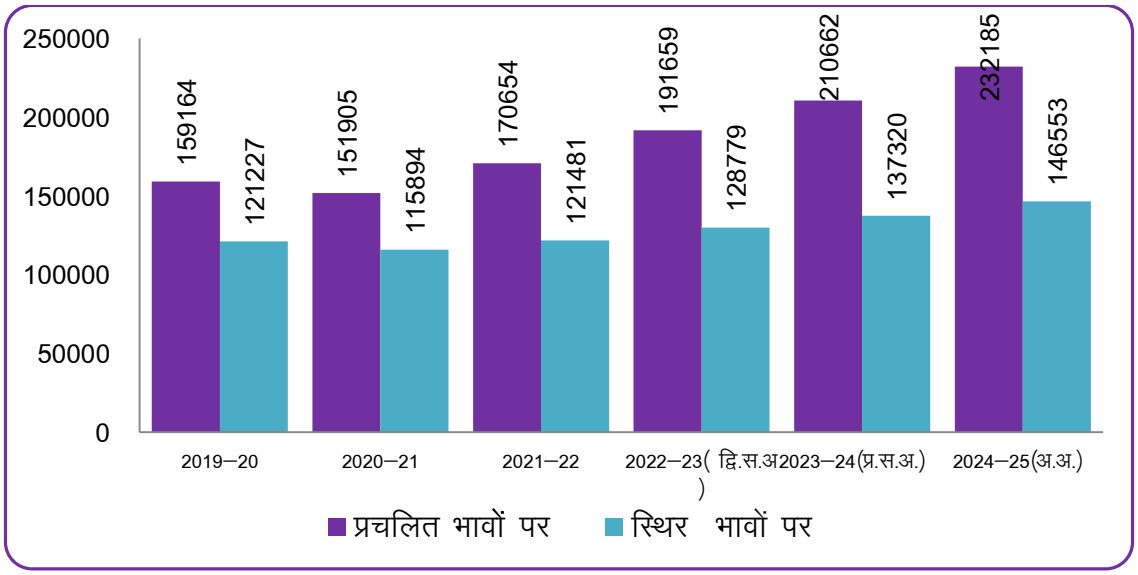

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

चित्र 2.2

प्रचलित और स्थिर भावों पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)

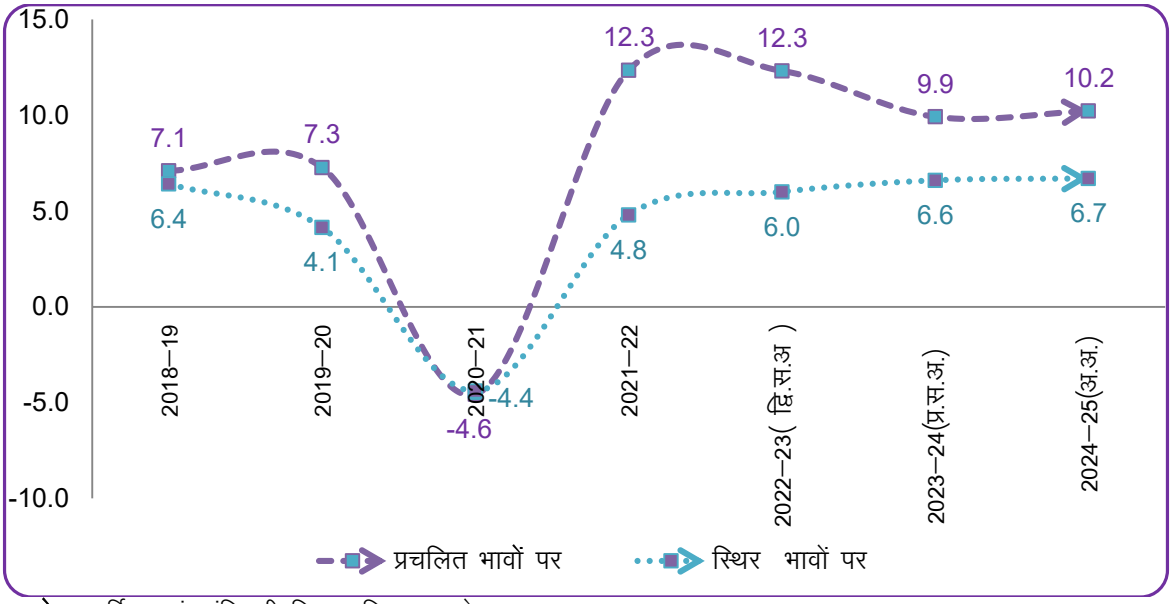

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार
द्वि.स.अ.= दूसरा संशोधित अनुमान
प्र.स.अ.= प्रथम संशोधित अनुमान
अ.अ.= अग्रिम अनुमान

2.2.2 प्रति व्यक्ति आय (पी.सी.आई.)

राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान, जब राज्य की कुल जनसंख्या के संबंध में अध्ययन किया जाता है, तो उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं के प्रति व्यक्ति शुद्ध उत्पादन के स्तर को इंगित करता है। प्रति व्यक्ति आय संबंधित वर्ष में राज्य की अर्धवार्षिक जनसंख्या द्वारा शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को विभाजित करके प्राप्त की जाती है। अग्रिम अनुमानों के अनुसार, प्रचलित भावों पर (पी.सी.आई.) 2023–24 में ₹2,34,782 के मुकाबले वित्त वर्ष 2024–25(अ. अ.) के लिए ₹2,57,212 अनुमानित है, जो वित्त वर्ष 2024–25 में 9.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

पिछले कुछ वर्षों में राज्य की पी.सी.आई भारत से अधिक रही है। राज्य के पी.सी. आई. में 2011–12 में ₹87,721 से 2024–25 में ₹2,57,212 की तेजी से वृद्धि हुई है, जो 2011–12 की तुलना में 8.6 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सी.ए.जी.आर.) दर्शाती है। वर्ष 2011–12 में भारत की पी.सी.आई. ₹63,462 थी, जो वित्त वर्ष 2024–25 में बढ़कर ₹2,00,162 हो गयी है, जो 2011–12 की तुलना में 9.2 प्रतिशत की सी.ए.जी.आर. दर्ज करती है। भारत की तुलना में हिमाचल प्रदेश की पी.सी.आई और प्रचलित भावों पर उनकी वृद्धि के रुझान क्रमशः चित्र 2.3 और 2.4 में दर्शाए गए हैं।

चित्र 2.3

प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय (₹)

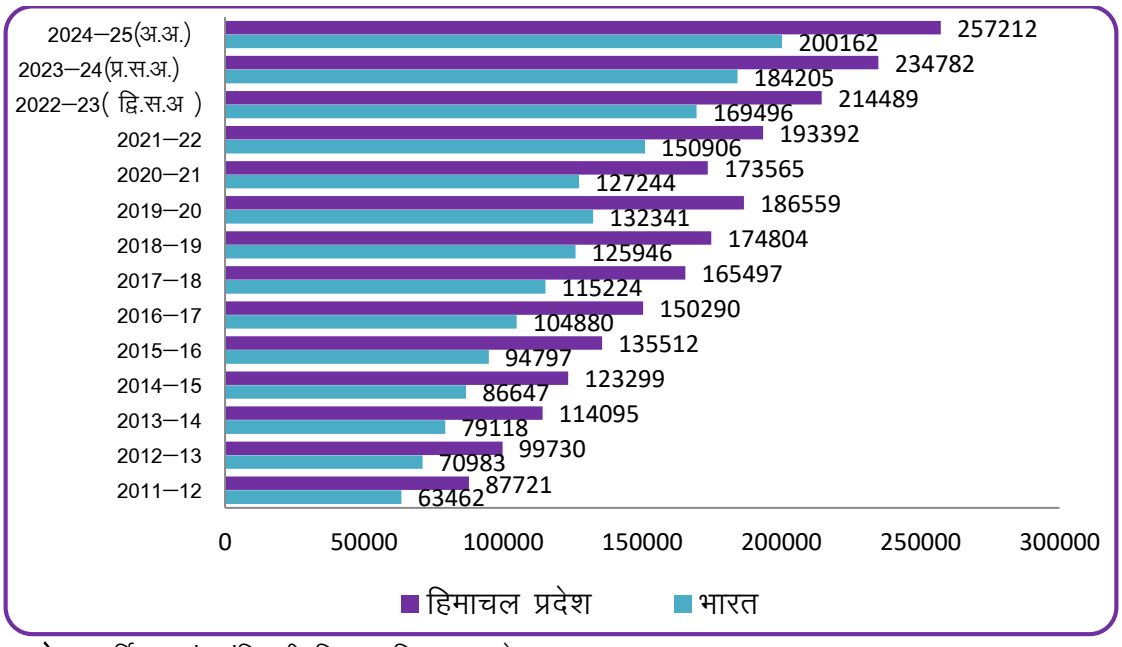

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

चित्र 2.4

प्रचलित कीमतों पर राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रति व्यक्ति आय की तुलनात्मक वृद्धि दर

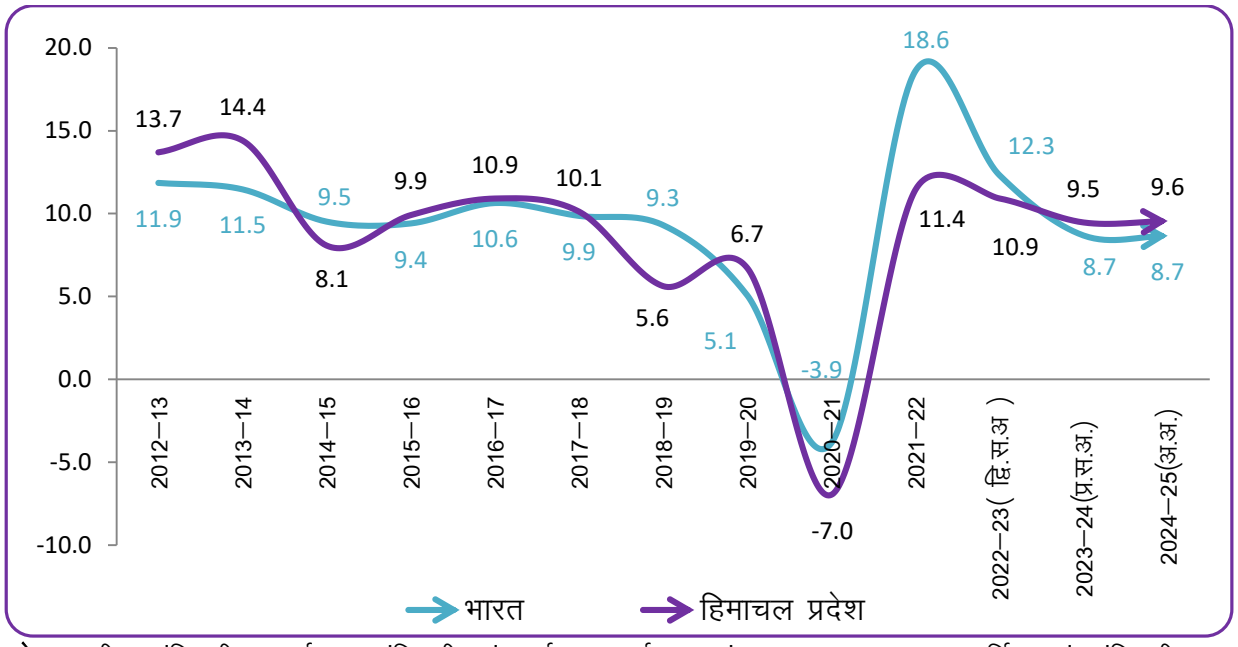

स्रोतः राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश।

2.2.3 क्षेत्रीय विकास प्रक्षेपवक्र

अर्थव्यवस्था को तीन व्यापक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र की विकास दर को बेसिक भावों पर जी.वी.ए. के संदर्भ में मापा जाता है। बेसिक भाव को निर्माता की कीमत के रूप में समझा जा सकता है।

इन क्षेत्रों के घटक (1) प्राथमिक क्षेत्रः इस क्षेत्र में शामिल हैं; फसल; पशुधन; वानिकी और लॉगिंग; मतस्य पालन; और खनन और उत्खनन। (2) द्वितीयक क्षेत्रः यह क्षेत्र में शामिल हैं जैसे विनिर्माण; बिजली; गैस; जल आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं; और निर्माण। (3) तृतीयक क्षेत्रः इस क्षेत्र शामिल हैं, जैसे व्यापार; होटल; परिवहन; संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएं; वित्तीय सेवाएं; रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाओं का स्वामित्व; लोक प्रशासन; और अन्य सेवाएं।

2.2.3.1 प्राथमिक क्षेत्र

वित वर्ष 2024–25 (अ.अ.) में प्राथमिक क्षेत्र से सकल मूल्य वर्धित (जी.वी.ए) में स्थिर भावों पर 3.2 प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है। वित्त वर्ष 2024–25 (अ.अ.) के दौरान प्राथमिक क्षेत्र का जी.वी.ए. स्थिर भावों पर 2023–24 (प्र.स.अ.) में ₹16,116 करोड़ के मुकाबले ₹16,625 करोड़ हो गया। (चित्र 2.5)

चित्र 2.5

प्राथमिक क्षेत्र का जी.वी.ए. (₹करोड़ में)

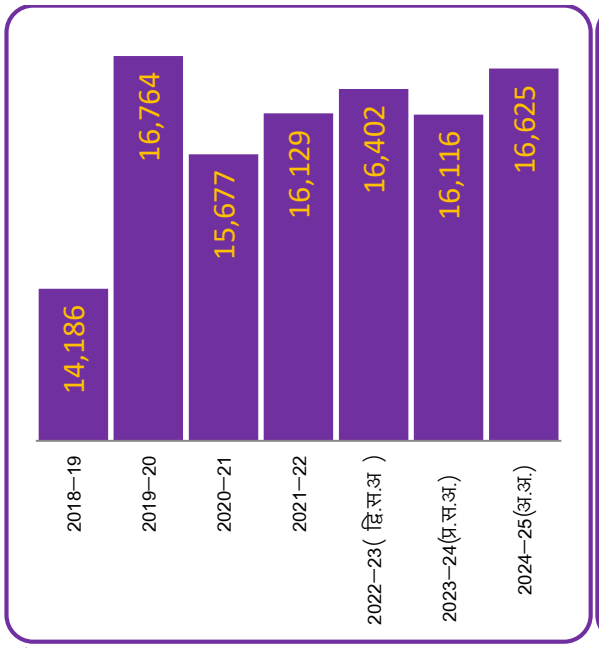

प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि (प्रतिशत)

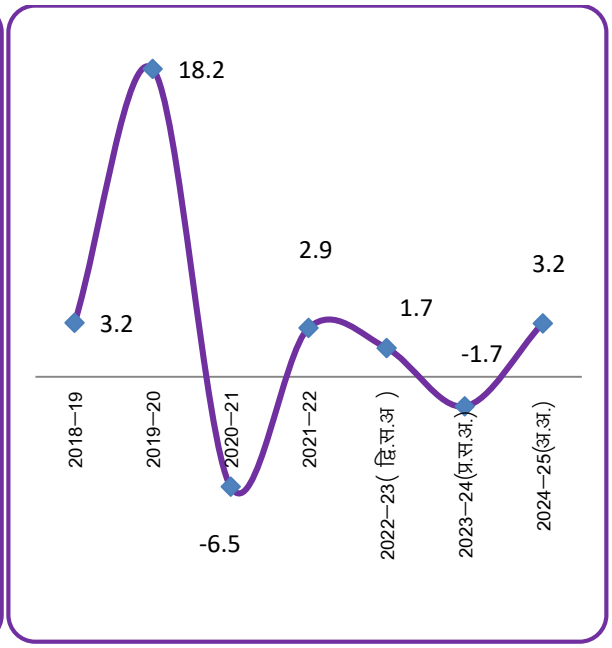

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

स्थिर भावों पर जी.वी.ए. में प्राथमिक क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2022–23, 2023–24 और 2024–25 में क्रमशः 1.7 प्रतिशत, –1.7 प्रतिशत और 3.2 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की। यह उल्लेखनीय है कि राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले प्राथमिक क्षेत्र राज्य की 53.98 प्रतिशत जनसंख्या को रोजगार देते हैं। इसलिए, हिमाचल प्रदेश में जीवन स्तर में सुधार के लिए इसकी आर्थिक सफलता महत्वपूर्ण है।

सारणी 2.1

स्थिर भावों (2020–21 से 2024–25) पर उप–क्षेत्र–वार जी.वी.ए. (₹करोड़ में) और वृद्धि दर (प्रतिशत)

क्षेत्र	2020–21		2021–22		2022–23 (द्वि.स.अ.)		2023–24 (प्र.स.अ.)		2024–25 (अ.अ.)	
	जी.वी.ए.	वृद्धि	जी.वी.ए.	वृद्धि	जी.वी.ए.	वृद्धि	जी.वी.ए.	वृद्धि	जी.वी.ए.	वृद्धि
फसल	7821	–10.9	8297	6.1	8255	–0.5	7573	–8.3	7692	1.6
पशुधन	2375	5.7	2473	4.1	2478	0.2	2806	13.2	2952	5.2
वानिकी और लॉगिंग	5096	–5.2	4904	–3.8	5181	5.6	5105	–1.5	5310	4.0
मत्स्य	107	9.6	116	7.8	126	9.1	134	6.3	143	7.0
खनन और उत्खनन	276	4.5	339	22.8	362	6.6	498	37.7	528	6.1

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

वित्त वर्ष 2024–25 (अ.अ.) के अनुसार फसल क्षेत्र का जी.वी.ए. वास्तविक रूप से 1.6 प्रतिशत के विस्तार के साथ वित्त वर्ष 2023–24 (प्र.स.अ.) में ₹7,573 करोड़ के मुकाबले ₹7,692 करोड़ रहने का अनुमान है। वास्तविक रूप से वित्त वर्ष 2024–25 (अ.अ.) के लिए वानिकी और लॉगिंग क्षेत्र का जी.वी.ए. 4.0 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ वित्त वर्ष 2023–24 (प्र.स.अ.) में ₹5,105 करोड़ की तुलना में ₹5,310 करोड़ रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2024–25 (अ.अ.) में पशुधन क्षेत्र में 5.2 प्रतिशत की वृद्धि, मत्स्य क्षेत्र में 7.0 प्रतिशत की वृद्धि और खनन और उत्खनन क्षेत्र में 6.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्राथमिक क्षेत्र और इसके उप–क्षेत्र के वृद्धि के रुझान और स्थिर भावों पर जी.वी.ए. सारणी 2.1 में दर्शाए गए हैं।

2.2.3.2 द्वितीयक क्षेत्र

वित्त वर्ष 2024–25 के लिए अ.अ. के अनुसार, स्थिर (2011–12) भावों पर द्वितीयक क्षेत्र का जी.वी.ए. ₹65,134 करोड़ अनुमानित है जोकि वित्त वर्ष 2023–24 (प्र.स.अ.) के लिए ₹60,238 करोड़ था और पिछले वर्ष की तुलना में 8.1 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज होने की आशा है। (चित्र 2.6)

चित्र 2.6

द्वितीयक क्षेत्र जी.वी.ए. (₹करोड़ में)

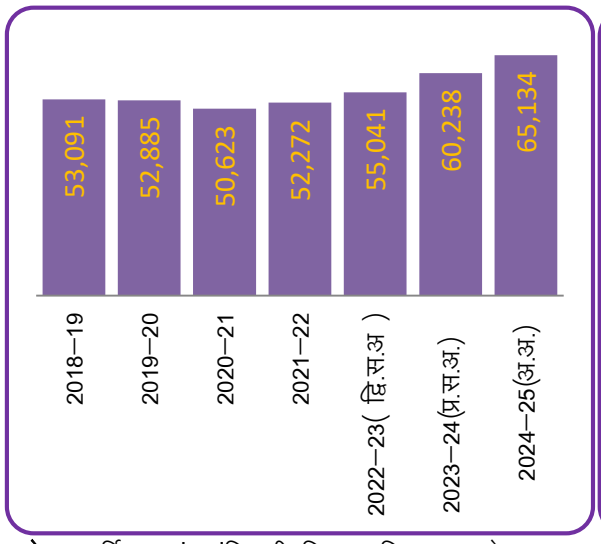

द्वितीयक क्षेत्र विकास (प्रतिशत में)

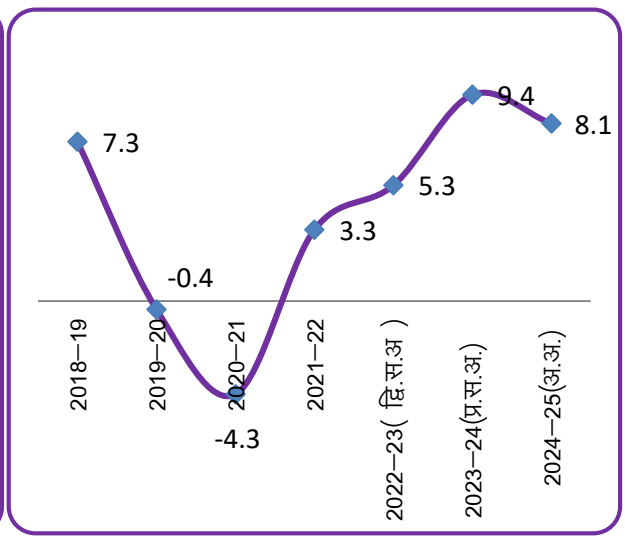

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

वर्ष 2024–25 के लिए अ.अ. के अनुसार, स्थिर (2011–12) भावों पर विनिर्माण क्षेत्र में 7.1 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज होने की आशा है और 2023–24 (प्र.स.अ.) में ₹41,177 करोड़ की तुलना में 2024–25 में ₹44,109 करोड़ होने का अनुमान है। वर्ष 2024–25 के लिए अ.अ. के अनुसार बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाएँ क्षेत्र ने 11.5 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर दर्ज की है। निर्माण क्षेत्र में 9.4 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज

होने की आशा है और 2024–25 में 11,856 करोड़ रहने का अनुमान है, जबकि 2023–24 (प्र.स.अ.) में यह ₹10,837 करोड़ था, जैसा कि सारणी 2.2 में दिखाया गया है।

सारणी 2.2

स्थिर भावों (2020–21 से 2024–25) पर उप–क्षेत्र–वार जी.वी.ए. (₹करोड़ में) और वृद्धि दर (प्रतिशत में)

क्षेत्र	2020–21		2021–22		2022–23 (द्वि.स.अ.)		2023–24 (प्र.स.अ.)		2024–25 (अ.अ.)	
	जी.वी.ए.	वृद्धि	जी.वी.ए.	वृद्धि	जी.वी.ए.	वृद्धि	जी.वी.ए.	वृद्धि	जी.वी.ए.	वृद्धि
विनिर्माण (संगठित और असंगठित)	35437	–4.5	35986	1.5	37608	4.5	41177	9.5	44109	7.1
बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाएँ	6591	–4.7	7101	7.7	7578	6.7	8224	8.5	9169	11.5
निर्माण	8595	–3.2	9186	6.9	9855	7.3	10837	10.0	11856	9.4

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

2.2.3.3 तृतीयक या सेवा क्षेत्र

राज्य में सेवा क्षेत्र का जी.एस.वी.ए. और रोजगार में सबसे अधिक योगदान है। वित्तीय वर्ष 2024–25 (अ.अ.) के लिए सेवा क्षेत्र के लिए स्थिर (2011–12) भावों पर ₹56,654 करोड़ अनुमानित है, जबकि वित्त वर्ष 2023–24 (प्र.स.अ.) में यह ₹53,481 करोड़ था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शाता है। (चित्र 2.7)

चित्र 2.7

तृतीयक क्षेत्र जी.वी.ए. (₹ करोड़ में)

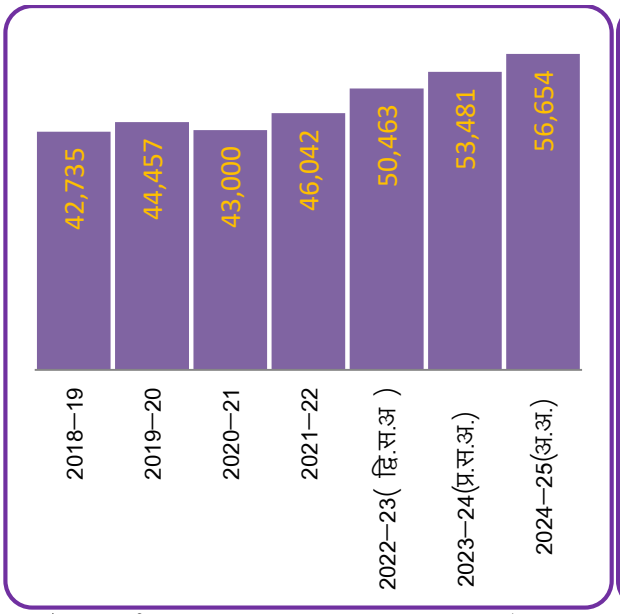

तृतीयक क्षेत्र विकास (प्रतिशत में)

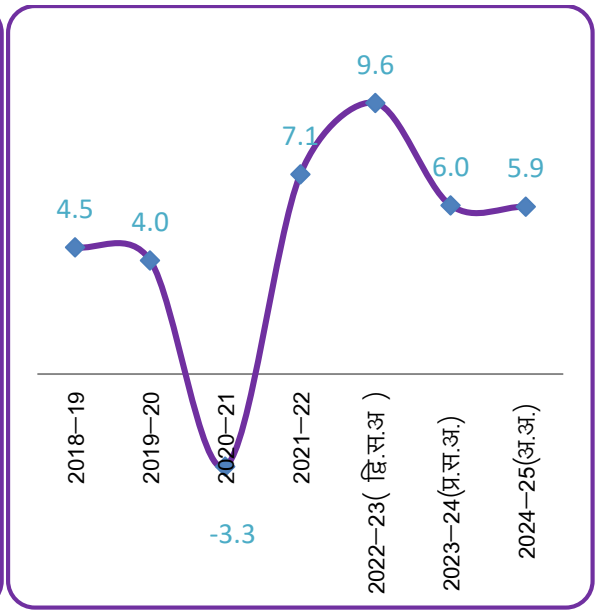

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

सेवा क्षेत्र के सभी प्रमुख उप–क्षेत्रों ने हिमाचल प्रदेश में वित वर्ष 2024–25 (अ.अ.) में तीव्र वृद्धि दर को दर्शाया है। वर्ष 2024–25 (अ.अ.) में "व्यापार, मुरम्मत, होटल और रेस्तरां" क्षेत्र का जी.वी.ए. 8.1 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। "परिवहन, भंडारण, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाओं" में 9.4 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई और "रियल एस्टेट, आवास का स्वामित्व और व्यावसायिक सेवाओं" में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सारणी 2.3 दर्शाती है कि वर्ष 2020–21 से 2024–25 तक सेवा क्षेत्र के भीतर विभिन्न उप–क्षेत्रों में वृद्धि का कितना प्रदर्शन रहा।

सारणी 2.3

उप–क्षेत्रवार जी.वी.ए. (₹करोड़ में) और स्थिर भावों पर जी.वी.ए. की वृद्धि दर (2020–21 से 2024–25) प्रतिशत में।

क्षेत्र	2020–21		2021–22		2022–23 (द्वि.स.अ.)		2023–24 (प्र.स.अ.)		2024–25 (अ.अ.)	
	जी.वी.ए.	वृद्धि	जी.वी.ए.	वृद्धि	जी.वी.ए.	जी.वी.ए.	वृद्धि	जी.वी.ए.	वृद्धि	जी.वी.ए.
व्यापार, मुरम्मत होटल और रेस्तरां	8721	1.0	8753	0.4	9441	7.9	10145	7.4	10962	8.1
परिवहन भंडारण और संचार	4414	–16.2	5475	24.1	5867	7.1	6700	14.2	7329	9.4
वित्तीय सेवाएं	3527	3.8	3770	6.9	3823	1.4	4046	5.8	4383	8.4
रियल एस्टेट, आवास का स्वामित्व और व्यावसायिक सेवा	11015	–2.0	12221	10.9	13029	6.6	13516	3.7	14244	5.4
लोक प्रशासन	5625	–0.1	5482	–2.5	6686	22.0	6572	–1.7	6763	2.9
अन्य सेवाएं	9699	–5.7	10341	6.6	11617	12.3	12503	7.6	12973	3.8

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

चित्र 2.8

स्थिर भावों पर जी.वी.ए की तुलनात्मक क्षेत्रवार वृद्धि दर (2018–19 से 2024–25)

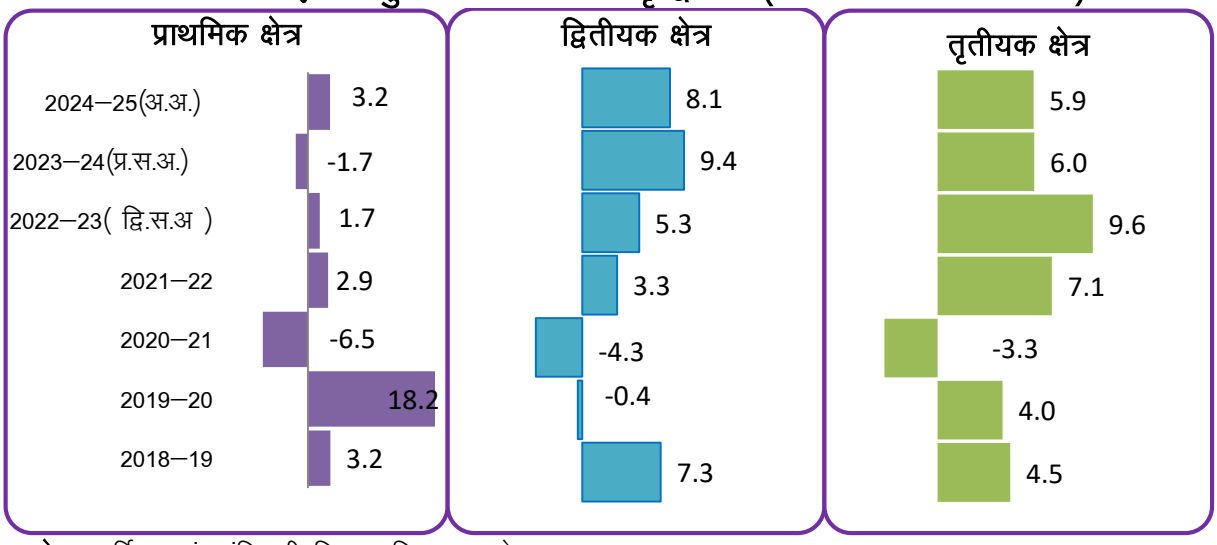

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

2.2.4 क्षेत्रीय योगदान

किसी भी राज्य का जी.एस.डी.पी. तीन प्रमुख क्षेत्रों–प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक द्वारा किए गए आर्थिक योगदान के संदर्भ में मापा जाता है। राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धित (जी.एस.वी.ए.) में तृतीयक क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान रहा है, इसके बाद द्वितीयक और प्राथमिक क्षेत्रों का स्थान है। वित्त वर्ष 2024–25 के लिए जी.एस.वी.ए. के अ. अ. के आधार पर, तृतीयक क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर राज्य के जी.एस.वी.ए. में 45.3 प्रतिशत हिस्सा है, इसके बाद द्वितीयक क्षेत्र का 39.5 प्रतिशत और प्राथमिक क्षेत्र का 15.2 प्रतिशत है ।

चित्र 2.9

प्रचलित भावों पर जी.एस.वी.ए. की क्षेत्रीय संरचना (2018–19 से 2024–25)

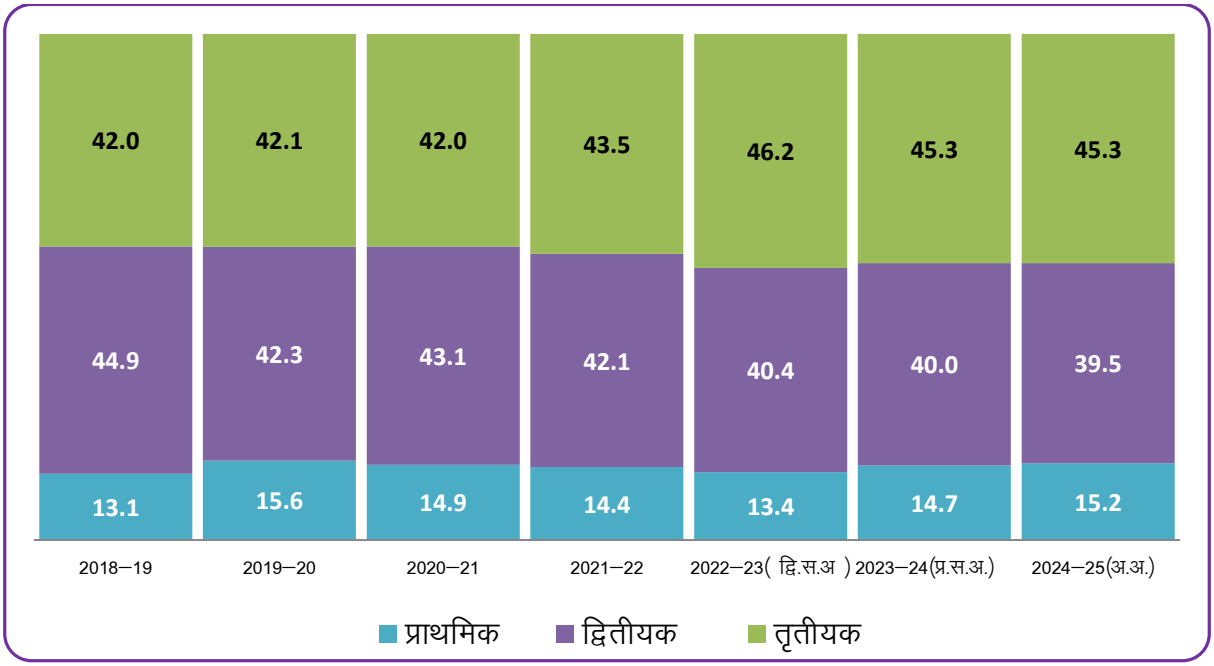

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश में द्वितीयक क्षेत्र फल–फूल रहा है, और राज्य सरकार औद्योगिक विकास को सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन और उत्पादकता वृद्धि के प्रमुख चालक के रूप में पहचानती है। निरंतर विस्तार सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई रणनीतिक उपाय लागू किए हैं। इन निवेशों का सकारात्मक प्रभाव आने वाले वर्षों में और अधिक स्पष्ट हो जाएगा, और दीर्घकालिक लाभ भविष्य में भी जारी रहेंगे।

राज्य के मूल्य वर्धन में तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा लगातार बढ़ रहा है और इसलिए, राज्य की अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। राज्य के वास्तविक जी.एस.वी.

ए. में इसकी हिस्सेदारी 2018–19 में 42.0 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2024–25 (अ.अ.)में 45.3 प्रतिशत हो गई (चित्र 2.9)।

वित्त वर्ष 2024–25 के लिए अ.अ. के अनुसार, प्राथमिक क्षेत्र से सकल मूल्य वर्धित (जी.वी.ए.) प्रचलित भावों पर ₹32,868 करोड़, द्वितीयक क्षेत्र ₹85,706 करोड़, जबकि सेवा क्षेत्र ₹98,245 करोड़ अनुमानित है। (सारणी 2.4)

सारणी 2.4

प्रचलित भावों पर जी.वी.ए. का क्षेत्रवार योगदान (मूल्य ₹करोड़)

क्षेत्र	2021–22	2022–23 (द्वि.स.अ.)	2023–24 (प्र.स.अ.)	2024–25 (अ.अ.)
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ, खनन और उत्खनन (प्राथमिक क्षेत्र)	22,957	24,043	29,124	32,868
2. विनिर्माण और संबद्ध सेवाएं (द्वितीयक क्षेत्र)	67,187	72,383	79,017	85,706
3. सेवाएं (तृतीयक क्षेत्र)	69,344	82,948	89,499	98,245
4. प्रचलित मूल भावों पर सकल मूल्य वर्धित (जी.वी.ए.)	1,59,487	1,79,374	1,97,640	2,16,819
5. कुल कर (उत्पाद कर जमा और सब्सिडी घटा)	11,167	12,285	13,022	15,366
6. बाजार मूल्य पर जी.एस.डी.पी.	1,70,654	1,91,659	2,10,662	2,32,185

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

2.2.4.1 मूल्य वर्धन और रोजगार का क्षेत्रवार वितरण

हिमाचल प्रदेश में अर्थव्यवस्था और कार्यबल की संरचना स्पष्ट रूप से शेष भारत में अर्थव्यवस्था और कार्यबल की संरचना से अलग है। भारत के 46.08 प्रतिशत की तुलना में कृषि और संबद्ध गतिविधियों में हिमाचल प्रदेश के कुल कार्यबल का 53.95 प्रतिशत कार्यरत है और भारत में 18.19 प्रतिशत की तुलना में जी.वी.ए. में इसकी हिस्सेदारी 14.27 प्रतिशत है (सारणी 2.5)।

सारणी 2.5

सकल मूल्य वर्धन और रोजगार हिमाचल और भारत 2023–24 में विभिन्न क्षेत्रों में योगदान

क्षेत्र	जी.वी.ए. में हिस्सा		रोजगार में हिस्सा	
	हि.प्र.	भारत	हि.प्र.	भारत
कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	14.27	18.19	53.95	46.08
खनन और उत्खनन	0.47	2.00	0.03	0.23
प्राथमिक	14.74	20.19	53.98	46.31
विनिर्माण	26.66	14.34	8.60	11.44

बिजली, गैस जल आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाएं	5.59	2.45	1.89	0.54
निर्माण	7.73	8.84	11.52	11.98
द्वितीयक	**39.98**	**25.63**	**22.01**	**23.96**
व्यापार, होटल परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवा	13.09	17.88	12.41	17.86
वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाएं	15.35	22.39	1.14	1.94
लोक प्रशासन और अन्य सेवाएं	16.84	13.91	10.46	9.93
तृतीयक	**45.28**	**54.18**	**24.01**	**29.73**
	100.00	**100.00**	**100.00**	**100.00**

स्रोतः (जी.एस.वी.ए.) आर्थिक और सांख्यिकी विभाग, (जी.वी.ए.) राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी और (रोजगार में भागीदारी) आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी.एल.एफ.एस.)।

वर्ष 2023–24 के दौरान द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में कार्यरत, कार्यबल की हिस्सेदारी (क्रमशः 22.01 और 24.01 प्रतिशत) जी.वी.ए. (39.98 और 45.28 प्रतिशत) की हिस्सेदारी से कम है, जिसका अर्थ है कि कम श्रमिक जी.वी.ए. में अधिक योगदान दे रहे हैं जो कृषि से कार्यबल के पुनः आवंटन की संभावना को दर्शाता है। कृषि से कार्यबल द्वितीयक क्षेत्र में पुनः आवंटन से प्राथमिक क्षेत्र में छिपी बेरोजगारी कम हो जाएगी।

हिमाचल के संदर्भ में, सेवा क्षेत्र न केवल जी.एस.डी.पी. में योगदान के मामले में बल्कि रोजगार सृजन के लिए एक प्रमुख माध्यम के रूप में भी अति महत्वपूर्ण हो गया है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी.एल.एफ.एस.) अनुमान के अनुसार 2023–24 में राज्य में सेवा क्षेत्र में रोजगार 24.01 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया था, जबकि भारत के लिए यह 29.73 प्रतिशत था। मूल्यवर्धन और रोजगार के वितरण की क्षेत्रवार तुलना सारणी 2.5 में दी गई है।

वर्ष 2011–12 से 2024–25 तक हिमाचल प्रदेश और भारत के प्रचलित और स्थिर (2011–12) भावों पर सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान सारणी 2.6 में दिया गया है।

सारणी 2.6

हिमाचल प्रदेश और भारत का सकल घरेलू उत्पाद 2011–12 से 2024–25 (अ.अ.) प्रचलित और स्थिर भावों पर (मूल्य ₹ करोड़ में और विकास दर प्रतिशत में)

वर्ष	हिमाचल प्रदेश				भारत			
	जी.एस.डी.पी. प्रचलित भावों पर	वृद्धि	जी.एस.डी.पी. स्थिर भावों पर (2011–12)	वृद्धि	जी.डी.पी. प्रचलित भावों पर	वृद्धि	जी.डी.पी. स्थिर भावों पर (2011–12)	वृद्धि
2011–12	72,720		72,720		87,36,329		87,36,329	
2012–13	82,820	13.9	77,384	6.4	99,44,013	13.8	92,13,017	5.5
2013–14	94,764	14.4	82,847	7.1	1,12,33,522	13.0	98,01,370	6.4
2014–15	1,03,772	9.5	89,060	7.5	1,24,67,959	11.0	1,05,27,674	7.4
2015–16	1,14,239	10.1	96,274	8.1	1,37,71,874	10.5	1,13,69,493	8.0
2016–17	1,25,634	10.0	1,03,055	7.0	1,53,91,669	11.8	1,23,08,193	8.3
2017–18	1,38,551	10.3	1,09,407	6.2	1,70,90,042	11.0	1,31,44,582	6.8
2018–19	1,48,383	7.1	1,16,414	6.4	1,88,99,668	10.6	1,39,92,914	6.5
2019–20	1,59,164	7.3	1,21,227	4.1	2,01,03,593	6.4	1,45,34,641	3.9
2020–21	1,51,905	–4.6	1,15,893	–4.4	1,98,54,096	–1.2	1,36,94,869	–5.8
2021–22	1,70,654	12.3	1,21,481	4.8	2,35,97,399	18.9	1,50,21,846	9.7
2022–23 (द्वि.स.अ.)	1,91,659	12.3	1,28,779	6.0	2,69,49,646	14.2	1,60,71,429	7.0
2023–24 (प्र.स.अ.)	2,10,662	9.9	1,37,320	6.6	2,95,35,667	9.6	1,73,81,722	8.2
2024–25 (अ.अ.)	2,32,185	10.2	1,46,553	6.7	3,24,11,406	9.7	1,84,88,381	6.4

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश में आर्थिक विकास के एक संक्षिप्त विश्लेषण से पता चलता है कि राज्य ने भारत की विकास दर के साथ गति बनाई रखी है जैसा कि सारणी 2.7 में दिखाया गया है।

सारणी 2.7

हिमाचल प्रदेश और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की तुलनात्मक विकास दर

अवधि		औसत वार्षिक विकास दर (प्रतिशत)	
योजना	वर्ष	हिमाचल प्रदेश	भारत
पहली पंचवर्षीय योजना	1951–56	1.6	3.6
दूसरी पंचवर्षीय योजना	1956–61	4.4	4.1
तीसरी पंचवर्षीय योजना	1961–66	3.0	2.4
वार्षिक योजनाएं	1966–67 से 1968–69	–	4.1
चौथी पंचवर्षीय योजना	1969–74	3.0	3.4
पांचवी पंचवर्षीय योजना	1974–78	4.6	5.2
वार्षिक योजनाएं	1978–79 से 1979–80	–3.6	0.2
छठी पंचवर्षीय योजना	1980–85	3.0	5.3
सातवीं पंचवर्षीय योजना	1985–90	8.8	6.0
वार्षिक योजना	1990–91	3.9	5.4
वार्षिक योजना	1991–92	0.4	0.8
आठवीं पंचवर्षीय योजना	1992–97	6.3	6.2
नौवीं पंचवर्षीय योजना	1997–02	6.4	5.6
दसवीं पंचवर्षीय योजना	2002–07	7.6	7.8
ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना	2007–12	8.0	8.0
बारहवीं पंचवर्षीय योजना	2012–17	7.2	7.1
वार्षिक योजनाएं	2017–18	6.2	6.8
	2018–19	6.4	6.5
	2019–20	4.1	3.9
	2020–21	–4.4	–5.8
	2021–22	4.8	9.7
	2022–23	6.0	7.0
	2023–24	6.6	8.2
	2024–25	6.7	6.4

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार।

2.2.5 अग्रगामी रणनीति

राज्य की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है, जिसमें द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का प्रमुख योगदान है। इस वृद्धि को बनाए रखने के लिए, कार्यबल पुनर्वितरण, कृषि आधुनिकीकरण और क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने सहित प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रयासों को कौशल विकास, श्रमिकों को कृषि से विनिर्माण में बदलना और

कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। छिपी हुई बेरोजगारी को दूर करने और कृषि को आधुनिक बनाने से उत्पादकता में सुधार हो सकता है। द्वितीयक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, उच्च–विकास वाले उद्योगों और बुनियादी ढाँचे के विकास में निवेश आवश्यक है। तृतीयक क्षेत्र को मजबूत करने में सेवा निर्यात और डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देना शामिल है। प्राथमिक क्षेत्र में सतत विकास के लिए कृषि विविधीकरण और आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। समावेशी विकास और गरीबी में कमी को विस्तारित व्यावसायिक प्रशिक्षण, बेहतर सामाजिक सुरक्षा जाल और लक्षित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। जिसमें दीर्घकालिक आर्थिक लचीलेपन के लिए नीति सुधार, व्यापार विनियमन को आसान बनाना और स्थिरता को बढ़ावा देना शामिल है।

अंत में, हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत वृद्धि दिखा रही है, वित्त वर्ष 2024–25 में जी.एस.डी.पी. ₹2,32,185 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, जो वर्तमान कीमतों पर 10.2 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। स्थिर कीमतों पर राज्य का वास्तविक जी.एस.डी.पी. 6.7 प्रतिशत बढ़कर ₹1,46,553 करोड़ होने की आशा है। वित्त वर्ष 2024–25 के लिए पी.सी.आई. ₹2,57,212 अनुमानित है, जो 9.6 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। अर्थव्यवस्था तृतीयक क्षेत्र द्वारा संचालित है, जो जी.वी.ए. में 45.3 प्रतिशत का योगदान देता है, इसके बाद माध्यमिक क्षेत्र (39.5 प्रतिशत) और प्राथमिक क्षेत्र (15.2 प्रतिशत) का स्थान है। प्राथमिक क्षेत्र महत्वपूर्ण बना हुआ है, जो 53.98 प्रतिशत जनसंख्या को रोजगार देता है। राज्य का औद्योगिक क्षेत्र बढ़ रहा है और जी. एस. डी. पी. योगदान और रोजगार दोनों के लिए सेवा क्षेत्र महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से निर्माण, विनिर्माण और सेवाओं जैसे क्षेत्रों में समग्र आर्थिक प्रक्षेपवक्र में सुधार हुआ है।

******

अध्याय
3



सार्वजनिक वित्त एवं कराधान


money
business
conceptual
development
office
law
credit
national
campaign
economy
sign
project
public
dollar
exchanges
hand
funding
bank
progress
think
regional
market
total
budget
banking
economic
tax services
solution
concept
corporate
contract
strategy
agreement
grid
infrastructure
leadership
city
sector
process
currency
management
idea
financial
mobility
managed
pay
sustainable
finance
savings
trade
debt
recession
crisis
loan
government
person
capital
businessman
success
building
security
initiative
smart
paper
people
cost
word
internet
legal



मुख्य बिन्दु

- वित्त वर्ष 2024–25 के बजट अनुमान (ब.अ.) के लिए अनुमानित राजस्व प्राप्तियां ₹42,153 करोड़ हैं, जो वित्त वर्ष 2023–24 के संशोधित अनुमान (सं. अ.) ₹40,446 करोड़ से 4.22 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि है।
- राज्य का कर राजस्व (केंद्रीय कर सहित) ₹25,225 करोड़ तक पहुंचने की आशा है, जो वित्त वर्ष 2023–24 (सं.अ.) में ₹21,936 करोड़ से वित्त वर्ष 2024–25 (ब.अ.) में 14.99 प्रतिशत की वृद्धि है।
- वित्त वर्ष 2024–25 (ब.अ.) में शिक्षा के लिए ₹9,812 करोड़ अथवा स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ₹3,390 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।
- वित्त वर्ष 2024–25 बजट अनुमान (ब.अ.) में केंद्र से अनुदान राज्य की कुल प्राप्तियों का 24.1 प्रतिशत है। वित्तीय अनुमानों के अनुसार, वित्त वर्ष 2022–23(वा.) की तुलना में वित्त वर्ष 2024–25(ब.अ.) में केंद्र से अनुदान लगभग 3.5 प्रतिशत अंक कम होगा।
- वित्त वर्ष 2024–25 (ब.अ.) के लिए राज्य की राजस्व प्राप्तियां जी.एस.डी.पी. का 18.15 प्रतिशत होने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2022–23 (वा.) में यह 19.87 प्रतिशत थी।
- राज्य के गैर–कर राजस्व में आर्थिक सेवाओं जो गैर–कर राजस्व का सबसे अधिक योगदान देने वाला घटक हैं, जिसमें बिजली, गैस और जल आपूर्ति शामिल हैं का वित्त वर्ष 2024–25 (ब.अ.) में राज्य की कुल प्राप्तियों में योगदान प्रतिशत 4.8 प्रतिशत है।
- वित्त वर्ष 2024–25 के बजट अनुमान के अनुसार कुल व्यय ₹58,444 करोड़ है।
- बजट में वित्त वर्ष 2024–25 (ब.अ.) में पूंजीगत व्यय के लिए ₹6,270 करोड़ और राजस्व व्यय के लिए ₹46,667 करोड़ निर्धारित किए गए हैं।
- वित्त वर्ष 2024–25 (ब.अ.) के लिए कुल प्रतिबद्ध व्यय ₹33,463 करोड़ होने की उम्मीद है जो कुल व्यय का 57.26 प्रतिशत और जी.एस.डी.पी. का 14.41 प्रतिशत है।
- वित्त वर्ष 2022–23 में जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में ऋण 39.99 प्रतिशत था जबकि वित्त वर्ष 2021–22 में यह 37.35 प्रतिशत था।
- वित्त वर्ष 2024–25 (ब.अ.) के लिए जेंडर बजट ₹3,065 करोड़ निर्धारित है।

3.1 परिचय

सार्वजनिक वित्त एक महत्वपूर्ण ढांचा है जो यह नियंत्रित करता है कि सरकार समाज के सामूहिक हितों की सेवा के लिए सार्वजनिक धन कैसे जुटाती है, आवंटित करती है और खर्च करती है। इसमें एक क्षेत्राधिकार के भीतर व्यक्तियों, व्यवसायों और अन्य कर योग्य संस्थाओं से करों का संग्रह शामिल है, जिसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आधारभूत ढ़ांचे इत्यादि जैसी आवश्यक सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान करने में लगाया जाता है। प्रभावी सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन तीन मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित होता हैः संसाधन सृजन (धन कैसे जुटाया जाता है), संसाधन आवंटन (प्रतिस्पर्धी आवश्यकताओं के बीच धन कैसे वितरित किया जाता है), और व्यय प्रबंधन (धन को कुशलतापूर्वक और स्थायी रूप से कैसे खर्च किया जाता है)।

किसी राज्य के वित्तीय संसाधन आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने और दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भौतिक पूंजी, जैसे कि बुनियादी ढाँचा (सड़कें, इमारतें, ऊर्जा सुविधाएँ) और मानव पूंजी, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कार्यबल प्रशिक्षण, दोनों में निवेश निरंतर आर्थिक उन्नति के लिए आवश्यक हैं। जबकि भौगोलिक असुविधाएँ महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पैदा कर सकती हैं – चाहे सीमित प्राकृतिक संसाधनों, दूरस्थता या अन्य कारकों के कारण – राज्य सरकारें प्रायः अपने वित्तीय संसाधनों की उपयोगिता को प्रमुख विकासात्मक क्षेत्रों की ओर निर्देशित करके अधिकतम करने का प्रयास करती हैं। इस तरह के रणनीतिक निवेश आर्थिक मानकों को ऊपर उठाने, गरीबी को कम करने और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

राज्य के वित्तीय संसाधन कर राजस्व (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दोनों), गैर–कर राजस्व (जैसे शुल्क, प्रभार और जुर्माना), कर राजस्व में केंद्र सरकार का हिस्सा और केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुदान सहायता के संयोजन से प्राप्त होते हैं। ये संसाधन राज्य को अपने विभिन्न विकास कार्यक्रमों, सार्वजनिक सेवाओं और नीतिगत पहल के लिए धन उपलब्ध करवाने की अनुमति देते हैं।

हालांकि, राज्य सरकार की राजकोषीय रणनीति सकारात्मक और चुनौतीपूर्ण दोनों तरह के रुझानों का मिश्रण दर्शाती है। सकारात्मक पक्ष यह है कि राज्य अपने कर राजस्व में वृद्धि करने में सक्षम रहा है, जिससे उसकी कर संग्रह दक्षता में सुधार या उसके कर योग्य आधार का विस्तार प्रदर्शित होता है। हालांकि, कर राजस्व में यह वृद्धि अनुदान–सहायता में कमी के कारण संतुलित हो जाती है, जो प्रायः विशिष्ट परियोजनाओं के वित्तपोषण या सामाजिक–आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। चूंकि राज्य को बाह्य वित्तीय सहायता में कमी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए उसे पूंजीगत व्यय के प्रबंधन में अधिक अनुशासित और सतर्क दृष्टिकोण अपनाना होगा –

बड़े बुनियादी ढांचे वाली परियोजनाओं के दायरे को सीमित करना होगा तथा वर्तमान संसाधनों के अनुकूलन पर अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा।

3.2 हिमाचल प्रदेश की वित्तीय रूपरेखा

वित्तीय रूपरेखा में मोटे तौर पर राज्य की प्राप्तियां, व्यय और ऋण शामिल होते हैं। राज्य सरकार की प्राप्तियों में विभिन्न स्रोतों से राजस्व प्राप्तियाँ और पूँजीगत प्राप्तियाँ शामिल होती हैं, जबकि सार्वजनिक व्यय में राजस्व और पूँजी परिव्यय शामिल होते हैं। ऋण राज्य की वित्तीय रूपरेखा का एक महत्वपूर्ण घटक बना हुआ है। 2024–25 का बजट आर्थिक विकास और राजकोषीय विवेकशीलता के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बजटीय आवंटन और राजस्व अनुमान राज्य के आर्थिक आधार को बढ़ाने और सतत विकास सुनिश्चित करने पर जोर देते हैं। हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम–2005 के अधिनियमन में कहा गया है कि राज्य सरकार अपने संसाधनों के अनुरूप स्थायी तरीके से वित्त का प्रबंधन करती है।

3.2.1 राज्य के राजकोषीय संकेतक

राज्य सरकार प्रशासनिक और विकासात्मक गतिविधियों के लिए व्यय को पूरा करने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों, गैर–कर राजस्व, केंद्रीय करों के हिस्से और केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के माध्यम से वित्तीय संसाधन जुटाती है। वित्त वर्ष 2024–25 (ब.अ.) में कुल राजस्व प्राप्तियाँ ₹42,153 करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2020–21 के ₹33,438 करोड़ से अधिक है। वित्त वर्ष 2024–25 (ब.अ.) में कर राजस्व (केंद्रीय हिस्से सहित) 14.99 प्रतिशत बढ़कर ₹25,225 करोड़ होने का अनुमान है। सहायता अनुदान वित्त वर्ष 2020–21 में ₹18,413 करोड़ से घटकर वित्त वर्ष 2024–25 (ब.अ.) में ₹13,287 करोड़ रह गया है। वित्त वर्ष 2024–25 (ब.अ.) में गैर–कर राजस्व बढ़कर ₹3,641 करोड़ होने का अनुमान है।

वित्त वर्ष 2024–25 (ब.अ.) के लिए कुल व्यय ₹58,444 करोड़ निर्धारित किया गया है। राजस्व व्यय ₹46,667 करोड़ अनुमानित है, जो कुल व्यय का 79.85 प्रतिशत है। पूंजीगत व्यय ₹6,270 करोड़ अनुमानित है, जो कुल व्यय का 10.73 प्रतिशत है। वित्त वर्ष 2024–25 (ब.अ.) में ब्याज भुगतान 10.55 प्रतिशत बढ़कर ₹6,255 करोड़ हो गया है। सरकार के कुल व्यय में से मुख्य आवंटन शिक्षा के लिए ₹9,812 करोड़ और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ₹3,390 करोड़ है।

वित्त वर्ष 2024–25 (ब.अ.) में राजस्व प्राप्तियां, कर राजस्व और कुल व्यय जी.एस.डी.पी. का 18.15 प्रतिशत, 10.86 प्रतिशत और 25.17 प्रतिशत क्रमशः रहने का अनुमान है।

क) कर राजस्व

सारणी 3.1 में दर्शाए गए वित्तीय वर्ष 2024–25 के (ब.अ.) के अनुसार वित्त वर्ष 2023–24 (स.अ.) में ₹21,936 करोड़ की तुलना में कर राजस्व (केंद्रीय करों सहित) 14.99 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹25,225 करोड़ अनुमानित है जबकि वित्त वर्ष 2020–21 में यह ₹12,837 करोड़ था।

चित्र 3.1 कुल प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व के घटकों को दर्शाता है।

चित्र 3.1

कुल प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व के घटक

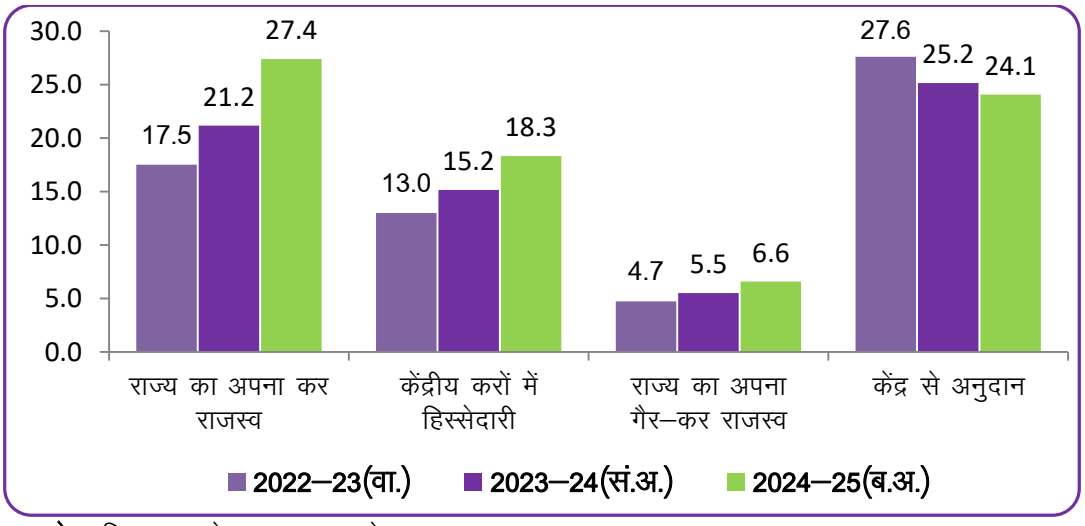

स्त्रोतः हिमाचल प्रदेश बजट दस्तावेज

सारणी 3.1

प्रमुख राजकोषीय संकेतांक (₹ करोड़ में)

	मद/वर्ष	2020–21	2021–22	2022–23 (वा.)	2023–24 (सं.अ.)	2024–25 (ब.अ.)
1.	कुल राजस्व प्राप्तियां	33,438	37,309	38,090	40,446	42,153
1.1	कर राजस्व (केंद्रीय हिस्से सहित)	12,837	17,064	18,479	21,936	25,225
1.2	राज्य का अपना (गैर–कर आय)	2,188	2,612	2,876	3,325	3,641
1.3	सहायता अनुदान	18,413	17,633	16,734	15,185	13,287
2.	विनिवेश प्राप्तियां (गैर–ऋण प्राप्तियां)	3	7	13	0	0
3.	ऋणों की वसूली	23	41	83	27	28
4.	कुल व्यय	50,305	46,989	60,701	61,625	58,444
5.	राजस्व व्यय	33,535	36,195	44,425	45,926	46,667

6.	पूंजीगत व्यय	5,309	6,029	6,029	6,781	6,270
7.	वितरित ऋण	320	378	111	61	28
8.	ब्याज भुगतान	4,472	4,641	4,829	5,658	6,255

स्त्रोतः वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट), हिमाचल प्रदेश सरकार

कुल प्राप्तियों में राज्य का स्वयं–कर राजस्व का प्रतिशत वित्त वर्ष 2022–23 (वा.) में 17.5 से बढ़कर वित्त वर्ष 2024–25 (ब.अ.) में 27.4 हो गया है। कुल प्राप्तियों में केंद्रीय करों की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2022–23 (वा.) में 13.0 से वित्त वर्ष 2024–25 (ब.अ.) में 18.3 हो गई है। राज्य का अपना गैर–कर राजस्व कुल प्राप्तियों का प्रतिशत वित्त वर्ष 2022–23 (वा.) में 4.7 से बढ़कर वित्त वर्ष 2024–25 (ब.अ.) में 6.6 हो गया है। कुल प्राप्तियों में सहायता अनुदान का प्रतिशत वित्त वर्ष 2022–23 (वा.) में 27.6 से घटकर वित्त वर्ष 2024–25 (ब.अ.) में 24.1 हो गया है।

ख) गैर–कर राजस्व

गैर–कर राजस्व में मुख्य रूप से ऋणों पर ब्याज प्राप्तियां, बिजली की बिक्री से प्राप्तियां, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से लाभांश और लाभ और लोक सेवा आयोग द्वारा प्रदान की गई सेवाओं सहित सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से प्राप्तियां, स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक सेवाओं के रूप में सामाजिक सेवाएं शामिल हैं। वित्त वर्ष 2024–25 (ब.अ.) में गैर–कर राजस्व बढ़कर ₹3,641 करोड़ होने की संभावना है, जबकि वित्त वर्ष 2023–24 (सं.अ.) में ₹3,325 करोड़ था, जो 9. 50 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों के गैर–कर राजस्व प्राप्तियों वाले घटक में आर्थिक सेवाओं का योगदान सबसे अधिक है।

चित्र 3.2 कुल प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में गैर–कर राजस्व के घटकों को दर्शाता है।

चित्र 3.2

कुल प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में गैर–कर राजस्व के घटक

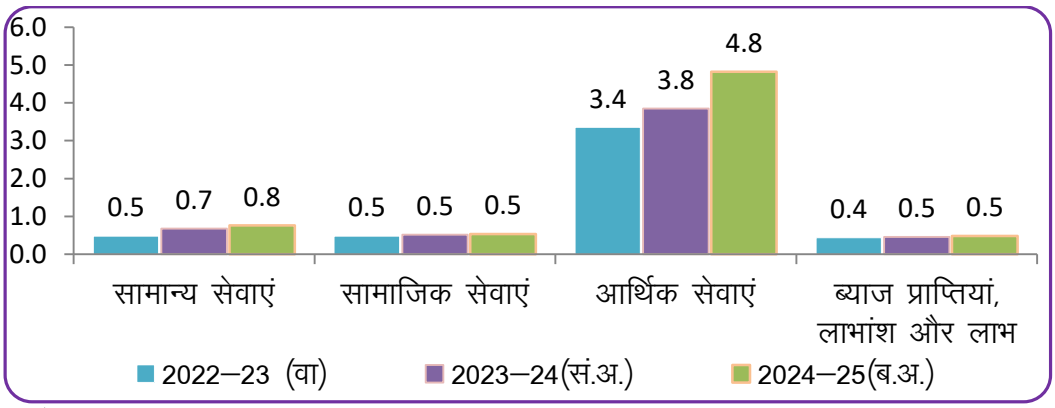

स्त्रोतः हिमाचल प्रदेश बजट दस्तावेज

आर्थिक सेवाओं में जिसमें बिजली, गैस और पानी की आपूर्ति शामिल है राज्य के गैर–कर राजस्व का लगातार अधिक्तम योगदान है जबकि सामाजिक सेवाएं और ब्याज प्राप्तियां, लाभांश और मुनाफा राज्य की गैर–कर राजस्व प्राप्तियों में सबसे कम योगदान करती है।

ग) सहायता अनुदान

पूर्ण रूप से, भारत सरकार से हिमाचल प्रदेश को सहायता अनुदान वित्त वर्ष 2023–24 (सं.अ.) में ₹15,185 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2024–25 (ब.अ.) में घटकर ₹13,287 करोड़ हो गया है। चित्र 3.3 कुल प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में सहायता अनुदान को दर्शाता है।

चित्र 3.3

कुल प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में सहायता अनुदान

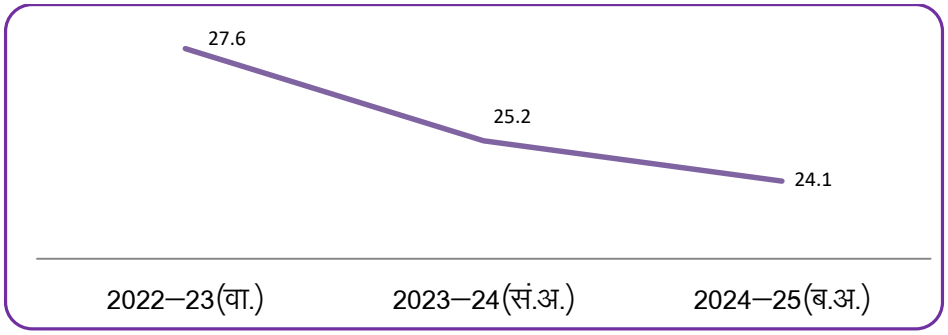

स्त्रोतः हिमाचल प्रदेश बजट दस्तावेज

सहायता अनुदान वित्त वर्ष 2024–25 (ब.अ.) के दौरान 24.1 प्रतिशत का योगदान देने वाली कुल प्राप्तियों में उच्चतम प्रतिशत है, जो वित्त वर्ष 2022–23(वा.) की तुलना में 3.5 प्रतिशत अंक कम है।

घ) गैर–ऋण पूंजीगत प्राप्तियां

गैर–ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में ऋणों और अग्रिमों की उगाही और विनिवेश प्राप्तियां शामिल होती हैं। वित्त वर्ष 2024–25 (ब.अ.) के बजट अनुमान में ऋण की उगाही के रूप में ₹28.00 करोड़ और विनिवेश से कोई आय नहीं होने की परिकल्पना की गई है।

3.2.2 राज्य के प्रमुख राजकोषीय संकेतक

सारणी 3.2 से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2024–25 (ब.अ.) में, कर राजस्व में 14.99 प्रतिशत की उच्चतम वृद्धि हुई है, इसके बाद ब्याज भुगतान में 10.55 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है। राजस्व व्यय में 1.61 प्रतिशत की मामूली वृद्धि देखी गई है। वित्त वर्ष

2024–25 (ब.अ.) के दौरान कुल व्यय और पूंजीगत व्यय में क्रमशः 5.16 और 7.54 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2022–23 (वा.) में 5.10 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में वित्त वर्ष 2024–25 (ब.अ.) में सहायता अनुदान में 12.50 प्रतिशत की उच्चतम गिरावट देखी गई है।

सारणी 3.2

राज्य सरकार के राजकोषीय संकेतक वृद्धि (प्रतिशत में)

मद/वर्ष		2020–21	2021–22	2022–23 (वा.)	2023–24 (सं.अ.)	2024–25 (ब.अ.)
1.	राजस्व प्राप्तियां	8.77	11.58	2.09	6.19	4.22
2.	कर राजस्व (केंद्रीय हिस्से सहित)	4.36	32.93	8.29	18.71	14.99
3.	गैर–कर राजस्व	–12.51	19.37	10.10	15.59	9.50
4.	सहायता अनुदान	15.51	–4.23	–5.10	–9.26	–12.50
5.	ब्याज भुगतान	5.62	3.76	4.05	17.18	10.55
6.	कुल व्यय	16.82	–6.59	29.18	1.52	–5.16
7.	राजस्व व्यय	9.13	7.93	22.74	3.38	1.61
8.	पूंजीगत व्यय	2.61	13.56	–0.01	12.47	–7.54

स्त्रोतः वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट), हिमाचल प्रदेश सरकार

3.2.3 राजकोषीय संकेतकों का जी.एस.डी.पी. प्रतिशत

बजट अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2024–25 (ब.अ.) के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियां वित्त वर्ष 2023–24 (सं.अ.) के 19.20 प्रतिशत की तुलना में जी.एस.डी.पी. के 18.15 प्रतिशत अनुमानित है। इसी तरह, वित्त वर्ष 2024–25 (ब.अ.) के लिए कर राजस्व 2023–24 (सं.अ.) के दौरान 10.41 प्रतिशत की तुलना में जी.एस.डी.पी. का 10.86 प्रतिशत अनुमानित है। वित्त वर्ष 2024–25 (ब.अ.) में गैर–कर राजस्व जी.एस.डी.पी. का 1.57 प्रतिशत है, जबकि 2023–24 (सं.अ.) के दौरान यह 1.58 प्रतिशत था। वित्त वर्ष 2024–25 (ब.अ.) में राज्य का कुल व्यय जी.एस.डी.पी. का 25.17 प्रतिशत, राजस्व व्यय 20.10 प्रतिशत जबकि पूंजीगत व्यय 2.70 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

सारणी 3.3 जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय संकेतक दिखाती है।

सारणी 3.3

प्रमुख राजकोषीय संकेतक जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में

मद / वर्ष		2020–21	2021–22	2022–23 (वा.)	2023–24 (सं.अ.)	2024–25 (ब.अ.)
1.	राजस्व प्राप्तियां	22.01	21.86	19.87	19.20	18.15
1.1	कर राजस्व (केंद्रीय हिस्से सहित)	8.45	10.00	9.64	10.41	10.86
1.2	राज्य की अपनी (गैर–कर आय)	1.44	1.53	1.50	1.58	1.57
1.3	सहायता अनुदान	12.12	10.33	8.73	7.21	5.72
2.	विनिवेश प्राप्तियां (गैर–ऋण प्राप्तियां)	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
3.	ऋणों की वसूली	0.02	0.02	0.04	0.01	0.01
4.	कुल व्यय	33.12	27.53	31.67	29.25	25.17
5.	राजस्व व्यय	22.08	21.21	23.18	21.80	20.10
6.	पूंजीगत व्यय	3.50	3.53	3.15	3.22	2.70
7.	वितरित ऋण	0.21	0.22	0.06	0.03	0.01
8.	ब्याज भुगतान	2.94	2.72	2.52	2.69	2.69

स्त्रोतः वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट), हिमाचल प्रदेश सरकार

3.2.4 सरकारी व्यय

वित्त वर्ष 2024–25 (ब.अ.) के लिए सरकार का व्यय महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समग्र और समावेशी विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। राजस्व और पूंजीगत व्यय सरकारी व्यय के मुख्य घटक हैं। वित्त वर्ष 2024–25 (ब.अ.) में शिक्षा के लिए ₹9,812 करोड़ का पर्याप्त बजट, जबकि स्वास्थ्य क्षेत्र को ₹3,390 करोड़ आवंटित किया गया है।

चित्र 3.4 से पता चलता है कि 2024–25 (ब.अ.) में कुल व्यय का 79.85 प्रतिशत राजस्व व्यय होने का अनुमान है, जबकि इसी वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय 10.73 प्रतिशत, ऋण (अग्रिम) और सार्वजनिक ऋण (पुनर्भुगतान) क्रमशः 0.05 और 9.38 प्रतिशत होने का अनुमान है। विस्तृत व्यय सारणी 3.1, 3.2 और 3.3 में प्रस्तुत किए गए हैं। वित्त वर्ष 2024–25 (ब.अ.) के बजट अनुमान के अनुसार, राज्य सरकार का कुल व्यय ₹58,444 करोड़ होने का अनुमान था, जिसमें से ₹46,667 करोड़ राजस्व व्यय के लिए निर्धारित किए गए थे।

चित्र 3.4

कुल व्यय में से राजस्व और पूंजीगत व्यय का हिस्सा

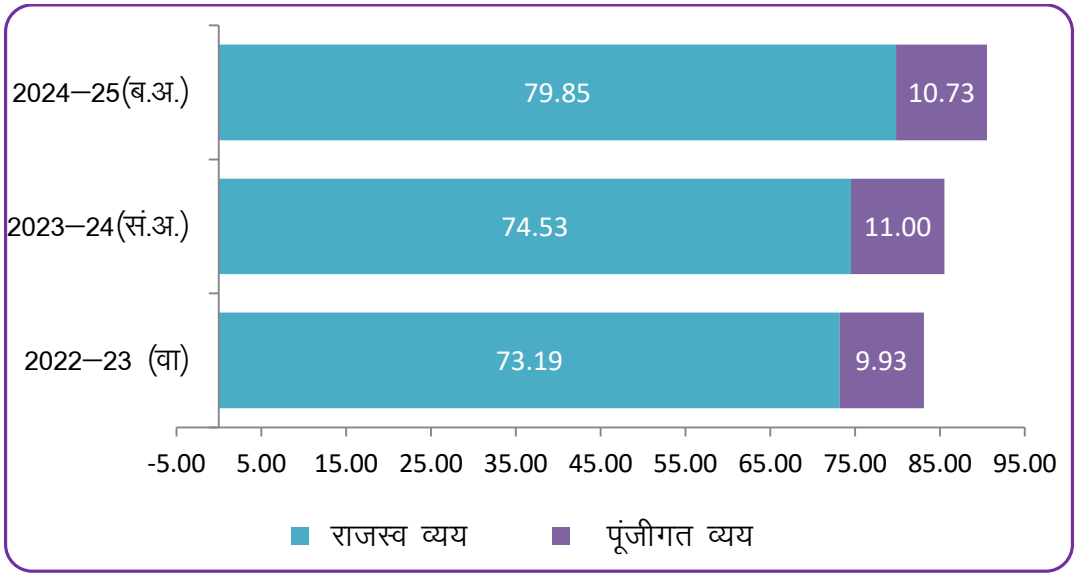

स्त्रोतः हिमाचल प्रदेश बजट दस्तावेज

क) राजस्व व्यय

बजट अनुमान वित्त वर्ष 2024–25 (ब.अ.) के लिए राजस्व व्यय ₹46,667 करोड़ है जो की वित्त वर्ष 2022–23(वा.) के लिए ₹44,425 करोड़ की तुलना में 5. 05 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शाता है। वित्त वर्ष 2024–25 (ब.अ.) के लिए राजस्व व्यय जी.एस.डी.पी. का 20.10 प्रतिशत अनुमानित है।

ख) पूंजीगत व्यय

वित्त वर्ष 2024–25 (ब.अ.) के लिए पूंजीगत व्यय ₹6,270 करोड़ है, जोकि जी.एस.डी.पी. का 2.70 प्रतिशत है, जबकि इसकी तुलना में वित्त वर्ष 2022–23 (वा.) के लिए ₹6,029 करोड़ के साथ 3.99 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। जोकि 2024–25 (ब.अ.) के अनुसार कुल व्यय का 10.73 प्रतिशत होने की उम्मीद है।

3.2.5 राजस्व व्यय की संरचना

सरकार अपने व्यय का एक बड़ा हिस्सा राजस्व व्यय पर खर्च करती है।

राजस्व व्यय की संरचना नीचे सारणी 3.4 में दी गई है जो दर्शाती है कि वित्त वर्ष 2024–25 (ब.अ.) में कुल व्यय का 57.26 प्रतिशत व्यय प्रतिबद्ध व्यय पर होने की संभावना है जिसमें वेतन पेंशन, ब्याज भुगतान और सब्सिडी शामिल है। कुल प्रतिबद्ध व्यय ₹33,463 करोड़ है जो वित्त वर्ष 2024–25 (ब.अ.) के लिए जी.एस.डी.पी. का 14.41 प्रतिशत है।

सारणी 3.4

राजस्व व्यय की संरचना (₹ करोड़ में)

मद	2020–21	2021–22	2022–23(वा.)	2023–24(सं.अ.)	2024–25(ब.अ.)
1. वेतन और मजदूरी	10,345	12,779	16,161	16,092	17,247
• कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में वेतन और मजदूरी	20.56	27.20	26.62	26.11	29.51
• जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में वेतन और मजदूरी	6.81	7.49	8.43	7.64	7.43
2. पेंशन	5,490	6,399	9,284	9,062	9,961
• कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पेंशन	10.91	13.62	15.29	14.71	17.04
3. ब्याज	4,234	4,641	4,829	5,658	6,255
• कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में ब्याज	8.42	9.88	7.95	9.18	10.70
4. कुल प्रतिबद्ध व्यय	20,069	23,819	30,274	30,813	33,463
• कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में कुल प्रतिबद्ध व्यय	39.89	50.69	49.87	50.00	57.26
• जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में कुल प्रतिबद्ध व्यय	13.21	13.96	15.80	14.63	14.41
5. सब्सिडी	1,068	1,188	1,973	1,964	1,189
• कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	2.12	2.53	3.25	3.19	2.03
कुल व्यय	**50,305**	**46,989**	**60,701**	**61,625**	**58,444**

स्त्रोतः वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट), हिमाचल प्रदेश सरकार

3.3 राज्य की ऋण स्थिति

राज्य का ऋण उसके वित्तीय स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। राज्य की वित्तीय विवेकशीलता उसके ऋण और उसकी चुकाने की क्षमता पर निर्भर करती है। सारणी 3.5 से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2022–23 में जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में ऋण 39.99 प्रतिशत रहा, जबकि 2021–22 में यह 37.35 प्रतिशत था।

सारणी 3.5

राज्य सरकार की ऋण स्थिति (₹ करोड़ में)

मद	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23
क. लोक ऋण (अ1 + अ2)	34,671	36,425	40,571	44,463	46,715	58,951
अ 1. आंतरिक ऋण	33,592	35,363	39,527	42,919	44,376	55,975
अ 2. ऋण और केंद्र सरकार से अग्रिम	1,079	1,062	1,044	1,544	2,339	2,976

ख. लोक खाता और अन्य देनदारियां	13,235	14,348	15,536	16,530	17,021	17,700
ग. कुल देयताएं (क+ख)	47,906	50,773	56,107	60,993	63,736	76,651
जी.एस.डी.पी.	1,38,551	1,48,383	1,59,164	1,51,905	1,70,654	1,91,659
जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में ऋण	34.58	34.22	35.25	40.15	37.35	39.99

स्त्रोतः वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

3.4 जेंडर बजट

इसमें लैंगिक दृष्टिकोण से बजट का विश्लेषण करना, बजट प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में लैंगिक दृष्टिकोण को एकीकृत करना, और लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने के लिए राजस्व और व्यय को पुनर्गठित करना शामिल है। संक्षेप में, जेंडर बजटिंग दीर्घकालिक उद्देश्य की पूर्ती के लिए एक कार्य योजना और प्रक्रिया है।

महिलाएं जेंडर बजट की प्रमुख हितधारक हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग जेंडर बजट का नोडल विभाग है जो लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम और रोजगार, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से सक्षम आदि के सशक्तिकरण सहित विभाग, जो मुख्य रूप से लैंगिक–संवेदनशील कार्यक्रम चलाते हैं।

जेंडर बजट व्यय नीचे सारणी 3.6 में दिखाया गया है, जिसमें श्रेणी–1 दिखा रहा है कि बजट का 100 प्रतिशत महिला–विशिष्ट कार्यक्रमों पर खर्च किया गया है और श्रेणी–2 यह दर्शाता है कि महिलाओं पर 100 प्रतिशत से कम खर्च किया गया है।

सारणी 3.6

वित्त वर्ष 2024–25 के लिए श्रेणी के अनुसार लैंगिक बजट (₹ लाख में)

क्र. स.	विभाग	बजट अनुमान		कुल
		श्रेणी–1 100 प्रतिशत	श्रेणी–2 100 प्रतिशत से कम	
1.	अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विशेष रूप से विकलांग	26793.22	119902.00	146695.22
2.	महिला बाल विकास	10476.00	35593.60	46069.60
3.	ग्रामीण विकास	86.00	31830.00	31916.00
4.	खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले	3.00	18050.00	18053.00
5.	पुलिस	763.90	–	763.90
6.	उच्च शिक्षा	414.36	7302.09	7716.45
7.	स्वास्थ्य	14200.33	1780.52	15980.85

8.	**तकनीकी शिक्षा**	43.78	239.00	282.78
9.	**परिवहन**	80.00	8537.00	8617.00
10.	**अन्य विभाग**	–	30358.05	30358.05
कुल		**52860.59**	**253592.26**	**306452.85**

स्त्रोतः जेंडर बजट, वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

टिप्पणीः अन्य विभाग (शहरी विकास, कृषि, उद्योग, पशुपालन, कला एवं संस्कृति, बागवानी, प्रारंभिक शिक्षा, मत्स्य पालन, पर्यटन और हिमऊर्जा।)

3.5 राजकोषीय घाटा/राजस्व घाटा

राजकोषीय घाटा सरकारी व्यय और राजस्व के बीच के अंतर को दर्शाता है। अधिक घाटा अधिक उधारी को दर्शाता है। जबकि, राजस्व घाटा सरकार के राजस्व में उसके वर्तमान व्यय की तुलना में कमी को दर्शाता है।

सारणी 3.7 में वित्त वर्ष 2020–21 से वित्त वर्ष 2024–25 (ब.अ.) के लिए राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे के आंकड़े दिखाए गए हैं।

सारणी 3.7

राज्य सरकार का राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा (₹ करोड़ में)

मद /वर्ष	2020–21	2021–22	2022–23 (वा.)	2023–24 (सं.अ.)	2024–25 (ब.अ.)
राजकोषीय घाटा(–)/अधिशेष(+)	–5700.09	–5224.86	–12379.84	–12294.75	–10783.87
राजस्व घाटा(–)/अधिशेष(+)	–96.66	1114.76	–6335.76	–5479.92	–4513.55

3.6 अग्रगामी रणनीति

हिमाचल प्रदेश के सार्वजनिक वित्त रुझानों के विश्लेषण के आधार पर, राजकोषीय स्थिरता और आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक दिशाएँ हैं:

क) **राजस्व संग्रहण में वृद्धिः** ऋण वित्तपोषण पर निर्भरता कम करने के लिए, राज्य प्रभावी कर प्रशासन, कर आधार को व्यापक बनाने और राजस्व सृजन की परिवर्तनात्मक पहलों को शुरू करने के माध्यम से राजस्व स्रोतों में सुधार पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। यह दृष्टिकोण राजस्व प्राप्तियों को बढ़ा सकता है, जिससे राजकोषीय घाटे में कमी आ सकती है।

ख) **व्यय युक्तिकरणः** व्यय को राजस्व क्षमताओं के साथ संरेखित करने के लिए व्यय नियंत्रण उपायों को लागू करना आवश्यक है। इसमें विकासात्मक आवश्यकताओं के आधार पर व्यय को प्राथमिकता देना, सार्वजनिक व्यय में क्षमता बढ़ाना और संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए अनावश्यक खर्चों पर अंकुश लगाना शामिल है।

ग) **बुनियादी ढांचे और विकास में निवेशः** वित्तीय बाधाओं के बावजूद, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में लक्षित निवेश आर्थिक विकास और उत्पादकता को बढ़ावा दे सकता है। उद्योग, जल विद्युत, पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता देने से निजी निवेश आकर्षित हो सकता है, रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं, राज्य सरकार की अर्थव्यवस्था, आय और राजस्व को बढ़ावा मिल सकता है।

निष्कर्षः हिमाचल प्रदेश की राजकोषीय स्थिति आर्थिक विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है, जिसमें कर राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि और केंद्र सरकार से अनुदान में थोड़ी कमी शामिल है। वित्त वर्ष 2024–25 (ब.अ.) के लिए राज्य के व्यय में विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में व्यय को प्राथमिकता दी गई है। केंद्रीय अनुदान में कमी के बावजूद, कर और गैर–कर राजस्व में वृद्धि हुई है, जो समग्र राजकोषीय स्थिरता में योगदान देता है। इसके अलावा, लैंगिक बजट एक प्रमुख घटक है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से महिला–विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त आवंटन है। कुल मिलाकर, राज्य राजकोषीय विवेक, संतुलित विकास और लैंगिक समावेशिता के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है।

******

अध्याय
4



बैंकिंग संस्थागत वित्त


(Scheduled Bank)
The Himachal Pradesh
State Co-operative Bank Ltd.
Bank of the State
राज्य
(Scheduled
The Himach
State Co-operat
Bank of
राज्य
ाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक सीमि



मुख्य बिन्दु

- राज्य में कुल 2,352 बैंक शाखाओं का नेटवर्क हैं और 76 प्रतिशत से अधिक शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही है। अक्तूबर, 2023 से सितंबर, 2024 तक 60 शाखाएं नई खोली गई। वर्तमान में 1,793 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में, 451 अर्ध–शहरी क्षेत्रों में तथा 108 शिमला में, जोकि राज्य का केवल एक ही शहरी क्षेत्र में स्थित है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्गीकृत किया हैं।

- सितम्बर, 2024 तक राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) की कुल 1,177 शाखाएं हैं जो कि राज्य में बैंकिंग क्षेत्र का कुल शाखा नेटवर्क का 50 प्रतिशत है। पंजाब नैशनल बैंक (पी.एन.बी.) की सबसे अधिक 354 शाखाऐं हैं, उसके बाद स्टेट बैंक आफ इंडिया (एस.बी.आई.) की 349 शाखाएं हैं तथा यूको बैंक की 181 शाखाएं हैं। 298 शाखाओं वाले निजी क्षेत्रों के बैंकों में आई.सी.आई.सी.आई बैंक की 57 और एच.डी. एफ.सी. की 108 शाखाएं हैं।

- जिलावार बैंक शाखाओं के प्रसार के संदर्भ में, कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 431 बैंक शाखाएं तथा लाहौल–स्पीति में सबसे कम 26 शाखाएं हैं। विभिन्न बैंकों द्वारा 2,120 ए.टी.एम. की स्थापना से बैंक सेवाओं की पहुंच और बढ़ गई है।

- बैंकों द्वारा दिए गए कुल ऋण में से सितम्बर, 2024 तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 18 प्रतिशत राष्ट्रीय मानकों की तुलना में 16.73 प्रतिशत कृषि ऋण प्रदान किए है।

- बैंकों के पास सितंबर, 2024 तक, पी.एम.जे.डी.वाई. में 18.55 लाख खाते हैं। इनमें से 16.60 लाख खाते ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जबकि 1.95 लाख शहरी क्षेत्रों में हैं।

- राज्य में बैंकों का ऋण जमा अनुपात (सी.डी.आर.) सितंबर, 2024 तक 47.16 प्रतिशत रहा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पी.एम.एस.बी.वाई.) के अन्तर्गत बैंकों के पास सितंबर, 2024 तक 35.22 लाख ग्राहक हैं।

4.1 परिचय

यह अध्याय हिमाचल प्रदेश में बैंकिंग और वित्तीय समावेशन परिदृश्य का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करता है, जो राज्य के बैंकिंग क्षेत्र में प्रमुख विकास के साथ–साथ वित्तीय समावेशन पहल की प्रगति पर प्रकाश डालता है। यह बैंक शाखाओं के नेटवर्क, बैंकिंग जिम्मेदारियों के वितरण और राज्य के सामाजिक–आर्थिक विकास में बैंकों द्वारा निभाई गई भूमिका पर प्रकाश डालता है। राज्य के बैंकिंग बुनियादी ढांचे जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों, सहकारी बैंकों और भुगतान बैंकों की उपस्थिति शामिल है, का विश्लेषण किया जाता है। इसके अतिरिक्त, यह राज्य के प्रदर्शन का आकलन करता है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय बैंकिंग मानकों, जैसे प्राथमिकता क्षेत्र, कृषि, छोटे और सीमांत किसान तथा सूक्ष्म उद्यमों को दिए गए ऋण को किस सीमा तक पूरा कर रहा है। यह अध्याय इस बात भी पर प्रकाश डालता है कि बैंकों ने हिमाचल प्रदेश के सामाजिक–आर्थिक विकास में कैसे योगदान दिया है, जिसमें कृषि, सूक्ष्म उद्यमों और महिलाओं जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दिए गए ऋण पर जोर दिया गया है। इन क्षेत्रों को ऋण देने के लिए आर.बी.आई. के राष्ट्रीय मापदंडों को पूरा करने में राज्य की प्रगति का विश्लेषण किया जाता है। इस अध्याय में प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पी.एम. एस.बी.वाई.), प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी.एम.जे.जे.बी.वाई.), और अटल पेंशन योजना (ए.पी.वाई.) सहित सरकार द्वारा प्रायोजित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन को भी शामिल किया गया है। हिमाचल प्रदेश के निवासियों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में इन योजनाओं को अपनाने का मूल्यांकन किया जाता है।

हिमाचल प्रदेश में तीन बैंकों को लीड बैंक की जिम्मेदारी दी गई है जिसमें पंजाब नैशनल बैंक को जिला हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, मण्डी तथा ऊना में, यूको बैंक को जिला बिलासपुर, शिमला, सोलन तथा सिरमौर में तथा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया को जिला चम्बा तथा लाहौल–स्पिति में यह कार्य आबंटित किया गया है। यूको बैंक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एस.एल.बी.सी.) का संयोजक बैंक है।

राज्य में कुल 2,352 बैंक शाखाओं के नेटवर्क में से 76 प्रतिशत से अधिक शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही है। जनगणना 2011, के अनुसार प्रति शाखा औसत जनसंख्या 2,919 है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 11,000 है। 4 आउटलैट के साथ भारतीय डाक पेमेंट बैंक, वित्तीय समावेशन नेटवर्क और संचालन (फिनो) पेमेंट बैंक, एअरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक शामिल हैं। राज्य में विभिन्न बैंक शाखाओं का विवरण नीचे सारणी–4.1 में दर्शाया गया है।

सारणी 4.1

हिमाचल प्रदेश में बैंक शाखाओं का विवरण

क्र. सं.	क्षेत्र	शाखाओं की संख्या
1.	**बैंको शाखाओं की कुल संख्या**	**2,352**
	क. क्षेत्रवार बैंक	
	i. ग्रामीण	1,793
	ii. शहरी / अर्धशहरी	451
	iii. शहरी केंद्र (शिमला)	108
	कुल	2,352
	ख. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पी.एस.बी.)	
	i. पंजाब नेशनल बैंक	354
	ii. भारतीय स्टेट बैंक	349
	iii. यूको बैंक	181
	iv. अन्य	293
	कुल	1,177
	ग. निजी क्षेत्र के बैंक	
	i. एच.डी.एफ.सी.	108
	ii. आई.सी.आई.सी.आई.	57
	iii. लघु वित्त बैंक (4)	25
	iv. अन्य	108
	कुल	298
	घ. हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (एच.पी.जी.बी.)	**274**
	ङ. भुगतान बैंक	**13**
	ट. हिमाचल प्रदेश सहकारी क्षेत्र के बैंक	
	i. हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक (एच.पी.एस.सी.बी.)	263
	ii. कांगड़ा केन्द्रीय सैन्ट्रल बैंक (के.सी.सी.बी.)	217
	iii. पांच शहरी सहकारी बैंक	26
	iv. अन्य	84
	कुल	590
2.	**खोली गई नई शाखाओं की कुल संख्या (अक्टूबर 2023–सितंबर 2024)**	**60**
3.	**ए.टी.एम. की कुल संख्या**	**2,120**

जिला–वार बैंक शाखाओं के प्रसार के संदर्भ में कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 431 बैंक शाखाएं तथा लाहौल स्पिति में सबसे कम 26 बैंक शाखाएं हैं।

बैंकों द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों में जहां ढांचा आधारित शाखाएं आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं हैं, बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु व्यापार संवाददाता प्रतिनिधि (जिन्हें 'बैंक मित्र' के रूप में जाना जाता है) को तैनात किया है। वर्तमान में राज्य में गांवों में मूलभूत बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न बैंकों द्वारा 11,340 बैंक मित्र तैनात किए गए हैं। राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के रुप में पी.एन.बी. बैंक, एस.बी.आई. बैंक, यूको बैंक, केनरा बैंक, सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्ण विकसित नियंत्रण कार्यालय अर्थात क्षेत्रीय कार्यालय/अचंल कार्यालय/सर्कल कार्यालय हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय क्षेत्रीय निदेशक की अध्यक्षता में तथा नाबार्ड का भी क्षेत्रीय कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक की अध्यक्षता में शिमला में स्थित है।

राज्य के सामाजिक–आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए बैंक भागीदार के रूप में ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। राज्य के बैंकों ने आर.बी.आई. द्वारा तय 7 में से 5 राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त किया है जिसमें प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र, लघु तथा सीमान्त किसान, लघु उद्योग, कमजोर वर्ग तथा महिलाओं को ऋण उपलब्ध करवाया है। वर्तमान में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों अर्थात कृषि, एम.एस.एम.ई. शिक्षा ऋण, आवास ऋण, माइक्रो क्रेडिट आदि के लिए कुल ऋण का 59.12 प्रतिशत ऋण दिया गया है।

बैंकों द्वारा दिए गए कुल ऋण में से सितम्बर, 2024 तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 18 प्रतिशत के राष्ट्रीय मानक की तुलना में 16.73 प्रतिशत कृषि ऋण प्रदान किए है। बैंको द्वारा कुल ऋण में कमजोर वर्गों तथा महिलाओं का क्रमशः 17.38 प्रतिशत तथा 12.60 प्रतिशत अग्रिम राशि का भाग है, जोकि राष्ट्रीय मानकों के अनुसार क्रमशः 12 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत होनी चाहिए। सितम्बर, 2024 तक राज्य में बैंकों का ऋण जमा अनुपात 47.16 प्रतिशत रहा। राष्ट्रीय मानकों की स्थिति नीचे सारणी 4.2 में दर्शाई गई है।

सारणी 4.2

हिमाचल प्रदेश में बैंकों के व्यावसायिक राष्ट्रीय मानकों की स्थिति

क्र.सं.	क्षेत्र	अग्रिम प्रतिशत 30.09.2023	अग्रिम प्रतिशत 30.09.2024	राष्ट्रीय मानक प्रतिशत
1.	प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अग्रिम	60.18	59.12	40
2.	कृषि अग्रिम	17.48	16.73	18
3.	लघु तथा सीमांत कृषकों को अग्रिम	12.62	12.07	9
4.	लघु उद्योगों को अग्रिम	16.00	16.08	7.5
5.	कमजोर वर्ग के लिए ऋण	18.79	17.38	12
6.	महिला ऋण	12.13	12.60	5
7.	जमा एवं अग्रिम अनुपात (थोरट)	44.03	47.16	60

8.	एम.एस.एम.ई. अग्रिम (पी.एस.सी.)	45.58	46.25	–
9.	अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ऋण (पी.एस.सी.)	9.72	9.79	–
10.	अल्पसंख्यक अग्रिम (पी.एस.सी.)	3.42	3.64	–

स्त्रोतः राज्य स्तरीय बैकर्स समिति, हिमाचल प्रदेश

4.2 वित्तीय समावेशन पहल

वित्तीय समावेश हमारे समाज के छुटे हुए वर्गों और कम आय वाले समूहों के लिए सस्ती दर पर वित्तीय सेवाओं और उत्पादों के प्रावधान को दर्शाता है। भारत सरकार द्वारा वित्तीय समावेश व्यापक अभियान के अन्तर्गत "प्रधानमन्त्री जन–धन योजना" सात वर्षों से अधिक समय से राज्य के आर्थिक विकास के लिए चल रही है और इसके अन्तर्गत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं, छोटे और सीमांत किसानों और मज़दूरों सहित समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के लिए कई पहलें की जा रही हैं।

4.2.1 प्रधानमन्त्री जन–धन योजना (पी.एम.जे.डी.वाई.)

बैंकों द्वारा राज्य में प्रत्येक घर में कम से कम एक बुनियादी बचत जमा(बी.एस.बी.डी.ए.) खाते के साथ समस्त परिवारों को सम्मिलित किया गया है। बैंकों द्वारा इस योजना के अन्तर्गत कुल 18.55 लाख खाते सितम्बर, 2024 तक खोले गए है। इन खातों में से 16.60 लाख बुनियादी बचत जमा खाते ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 1.95 लाख शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। राज्य में बैंकों द्वारा पी.एम.जे.डी.वाई. खाताधारकों को 12.69 लाख रूपे डेबिट कार्ड जारी किए गए, जोकि पी.एम.जे.डी.वाई. के अन्तर्गत खोले गए खातों का 69 प्रतिशत है। सितम्बर, 2024 तक बैंकों द्वारा 84 प्रतिशत पी.एम.जे.डी.वाई. खातों को आधार संख्या तथा मोबाइल नंबर के साथ जोड़ने की पहल की जा चुकी है।

4.2.2 प्रधानमन्त्री जन–धन योजना के अन्तर्गत सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा पहल

प्रधानमन्त्री जन–धन योजना के कार्यान्वयन के अन्तर्गत भारत सरकार ने तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को शुरू किया है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की वर्तमान स्थिति निम्नलिखित हैः

i) प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजना (पी.एम.एस.बी.वाई.)

इस योजना के अन्तर्गत 18 वर्ष से 70 वर्ष के आयु के सभी बचत बैंक खाताधारकों को प्रति वर्ष ₹20.00 के प्रीमियम से प्रति ग्राहक को एक वर्ष के नवीनीकरण पर आकस्मिक मृत्यु सह दिव्यांगता के लिए ₹2.00 लाख (आंशिक स्थायी दिव्यांगता के लिए ₹1.00 लाख) प्रदान किए जाते हैं तथा इसे हर वर्ष 1 जून को नवीनीकरण किया जाता है। प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत सितम्बर, 2024 तक बैंकों ने 35.22 लाख ग्राहकों को जोड़ा है।

ii) प्रधान मन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी.एम.जे.जे.बी.वाई.)

इस योजना के अन्तर्गत 18 वर्ष से 50 वर्ष के आयु के सभी बचत बैंक खाताधारकों को बैंक प्रति वर्ष ₹436.00 के प्रीमियम से प्रति ग्राहक को एक वर्ष के नवीनीकरण पर किसी भी कारण से हुई मृत्यु पर ₹2.00 लाख प्रदान किए जाते हैं तथा हर वर्ष 1 जून को नवीनीकरण होता है। सितम्बर, 2024 तक बैंकों में 12.67 लाख ग्राहकों को प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी.एम.जे.जे. बी.वाई.) के अन्तर्गत जोड़ा है।

iii) अटल पेंशन योजना (ए.पी.वाई.)

अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र पर केंद्रित है तथा इस योजना के अन्तर्गत ग्राहकों को 60 वर्ष की आयु पर ग्राहक के 18 से 40 वर्ष के दौरान प्रवेश करने पर किए गए अंशदान के आधार पर न्यूनतम पेंशन ₹1,000, ₹2,000, ₹3,000, ₹4,000 और ₹5,000 प्रति माह उपलब्ध करवाई जाती है। इस प्रकार इस योजना के अन्तर्गत ग्राहक द्वारा 20 वर्ष या इससे अधिक की अवधि में अंशदान किया हो तो निर्धारित न्यूनतम पेंशन की गारंटी सरकार द्वारा दी जाती है। राज्य सरकार मनरेगा श्रमिकों, मिड–डे मील कार्यकर्ताओं, कृषि एवं बागवानी श्रमिकों तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत लाने हेतु ध्यान दे रही है। इस योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा जोरदार अभियानों, शिविरों, मीडिया प्रचार, प्रैस इत्यादि के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ए.पी.वाई. के अर्न्तगत बैंकों द्वारा सितम्बर, 2024 तक 5.30 लाख ग्राहकों को नामांकित किया गया है। इसके अतिरिक्त, डाक विभाग भी इस योजना के कार्यान्वयन में भाग ले रहा है।

4.3 प्रधानमन्त्री मुद्रा योजना (पी.एम.एम.वाई.)

प्रधानमन्त्री मुद्रा योजना हिमाचल प्रदेश सहित देश भर में चल रही है। छोटे सूक्ष्म उद्यमों में मुख्य रूप से विनिर्माण, व्यापार और सेवाओं में गैर कृषि उद्यम शामिल हैं, जिनकी ऋण आवश्यकताएं ₹10.00 लाख से कम है और आय सृजन के लिए इस वर्ग को दिए सभी ऋणों को मुद्रा ऋण के रूप में जाना जाएगा। इस श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले सभी अग्रिम जो 8 अप्रैल, 2015 को या इसके बाद इस योजना के अधीन आए हो, को मुद्रा ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

हिमाचल प्रदेश में इस योजना के अन्तर्गत चालू वित्त वर्ष 2024–25 में सितम्बर, 2024 तक बैंकों द्वारा 40,280 नए लघु उद्यमियों को ₹990.31 करोड़ के नए ऋण स्वीकृत किए गए हैं। कुल वितरित ऋण राशि ₹3409.27 करोड़ है, जिससे 1,76,606 उद्यमियों को लाभ मिला है।

4.4 स्टैण्ड अप इण्डिया योजना (एस.यू.आई.एस.)

स्टैंड अप इंडिया योजना पूरे देश में शुरु की गई है जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं द्वारा प्रतिनिधित्व वाले समाज के सेवा से वंचित और उपेक्षित वर्गों में उद्यमशीलता की संस्कृति को प्रोत्साहित करना है।

इस योजना के अन्तर्गत कम से कम एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या एक महिला उधारकर्ता को विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र (इसे ग्रीन फील्ड उद्यम भी कहा जाता है) में एक नए उद्यम की स्थापना के लिए ₹10.00 लाख से लेकर ₹1.00 करोड़ के ऋण की प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा सुविधा दी जाती है। सितम्बर, 2024 तक इस योजना के अर्न्तगत बैंकों द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को 416 नए उद्यमों को स्थापित करने के लिए ₹66.13 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।

4.5 वित्तीय जागरूकता और साक्षरता अभियान

वित्तीय साक्षरता और जागरूकता अभियान, लक्षित जनसंख्या तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बैंक हिमाचल प्रदेश में वित्तीय साक्षरता केन्द्रों (एफ.एल.सी.) तथा अपनी बैंक शाखाओं के माध्यम से वित्तीय साक्षरता अभियान चला रहे हैं।

4.6 बैंकों की व्यावसायिक स्थिति

राज्य के सभी बैंकों द्वारा कुल जमा राशि सितम्बर, 2023 में ₹1,81,021 करोड़ से बढ़कर सितम्बर, 2024 में ₹1,97,790 करोड़ तक दर्ज की गई। बैंकों की जमा राशि वर्ष दर वर्ष 9.26 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। कुल अग्रिम सितम्बर, 2023 में ₹76,188 करोड़ से बढ़ कर सितम्बर, 2024 तक ₹89,447 करोड़ हो गया जो वर्ष दर वर्ष 17.40 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं। कुल बैंकिंग कारोबार सितम्बर, 2024 में 11.67 प्रतिशत बढ़कर ₹2,87,237 करोड़ हो गया जो सितम्बर, 2023 में ₹2,57,209 करोड़ था।

बैंकिग क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) का सबसे अधिक 62 प्रतिशत भाग है, आर.आर.बी. का 5 प्रतिशत भाग है, निजी बैंकों का 13 प्रतिशत तथा सहकारी बैंकों का 18 प्रतिशत तथा अन्य बैंकों का 2 प्रतिशत भाग है। तुलनात्मक आंकड़े नीचे सारणी 4.3 में दर्शाए गए है।

सारणी 4.3

हिमाचल प्रदेश में बैंकों के तुलनात्मक आंकड़े

(₹ करोड़ में)

क.सं.	मद	30.09.2023	30.09.2024	सितम्बर, 2023 से सितम्बर, 2024 में परिवर्तन (वर्ष दर वर्ष)	
				सम्पूर्ण	प्रतिशत
1.	**जमा राशि पी.पी.डी.**				
	ग्रामीण	108782.67	118870.31	10087.64	9.27
	शहरी/अर्ध शहरी	72238.04	78919.75	6681.71	9.25
	कुल	181020.71	197790.06	16769.35	9.26
2.	**अग्रिम (ओ/एस)**				
	ग्रामीण	36797.72	41879.19	5081.47	13.81
	शहरी/अर्ध शहरी	29315.91	33896.05	4580.14	15.62
	बाहरी क्रेडिट	10074.70	13671.73	3597.03	35.70
	कुल	76188.33	89446.97	13258.64	17.40
3.	**कुल बैंकिंग व्यापार (जमा+अग्रिम)**	**257209.04**	**287237.03**	**30027.99**	**11.67**
4.	आर.आई.डी.एफ.	3550.38	3827.97	277.59	7.82
5.	जमा उधार अनुपात थोरट कमेटी के आधार पर	44.05	47.16	3.11	7.06
6.	**प्राथमिक क्षेत्रों में अग्रिम (ओ/एस) जिनमें से:**	**39788.56**	**44799.17**	**5010.61**	**12.59**
	i) कृषि	11558.46	12680.37	1121.91	9.71
	ii) एम.एस.एम.ई.	18137.54	20719.48	2581.94	14.24
	iii) ओ.पी.एस.	10092.57	11399.32	1306.75	12.95
7.	कमजोर वर्ग को अग्रिम	12423.30	13166.03	742.73	5.98
8.	गैर प्राथमिक क्षेत्रों में अग्रिम	26325.06	30976.07	4651.01	17.67
9.	शाखाओं की संख्या	2292	2352	60	2.62
10.	महिलाओं के लिए अग्रिम	8018.35	9546.95	1528.6	19.06
11.	अल्प–संख्यकों को ऋण	1359.36	1629.26	269.90	19.85
12.	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को अग्रिम	3865.92	4386.40	520.48	13.46

स्त्रोतः राज्य स्तरीय बैकर्स समिति शिमला, हिमाचल प्रदेश।



4.7 वार्षिक जमा योजना के अन्तर्गत प्रदर्शन

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए बैंकों ने नाबार्ड की सहायता से, क्षमता के आधार पर विभिन्न प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की गतिविधियों के लिए वार्षिक जमा योजना तैयार कर नए ऋण उपलब्ध करवाए हैं। वार्षिक जमा योजना 2024–25 के अधीन पिछली योजना के वित्तीय परिव्यय में 14.49 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा ₹43,179 करोड़ परिव्यय का लक्ष्य तय किया गया। सितम्बर, 2024 तक बैंकों ने वार्षिक जमा योजना के अन्तर्गत ₹26,665 करोड़ के नए ऋण वितरित किए तथा 62 प्रतिशत की वार्षिक प्रतिबद्धता अर्जित की। 30 सितम्बर, 2024 तक क्षेत्रवार लक्ष्य तथा उपलब्धि सारणी 4.4 में दर्शाई गई ळें

सारणी 4.4

सितम्बर, 2024 तक की स्थिति पर एक दृष्टि

(₹करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	वार्षिक लक्ष्य 2024–25	उपलब्धि सितम्बर, 2024	प्रतिशत उपलब्धि सितम्बर–2024
1	कृषि प्रत्यक्ष	16858	5645	33
2	एम.एस.एम.ई.	14077	10985	78
3	शिक्षा	693	56	8
4	आवास	2650	563	21
5	अन्य प्राथमिकता क्षेत्र	1968	430	22
6	**कुल प्राथमिक क्षेत्र (1 से 5)**	**36246**	**17679**	**49**
7	कुल गैर प्राथमिकता क्षेत्र	6933	8986	130
	कुल योग (6+7)	**43179**	**26665**	**62**

स्त्रोतः राज्य स्तरीय बैकर्स समिति शिमला, हिमाचल प्रदेश

चित्र 4.1

वार्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत प्रदर्शन

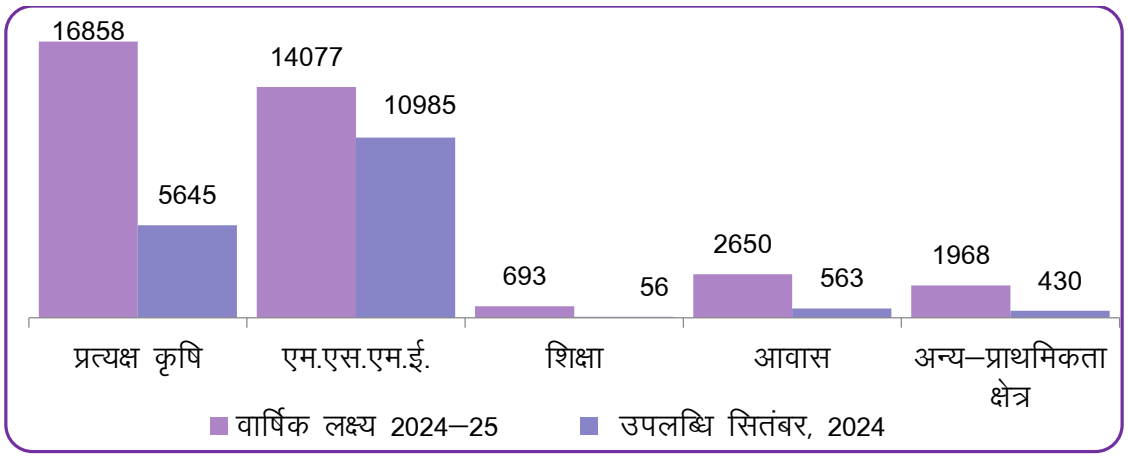

4.8 सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन

i) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.)

ग्रामीण विकास मन्त्रालय ने भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम को संचालित किया है जिसमें कि गरीबों, विशेष रुप से महिलाओं के लिए सुदृढ़ संस्थानों के निर्माण द्वारा नई वित्तीय सेवाओं और आजीविका सेवाओं तक पहुंच पाना है। इस योजना को राज्य में हि.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एच.पी.एस.आर. एल.एम.), ग्रामीण विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित किया गया है। राज्य में इस योजना के अन्तर्गत बैंकों को 24,700 लाभार्थियों को कवर करते हुए ₹300.00 करोड़ के वार्षिक लक्ष्य रखा है। बैंकों ने एन.आर.एल.एम. योजना में सितम्बर, 2024 तक ₹55.81 करोड़ के 2,647 ऋणों की स्वीकृति दी है।

ii) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कार्यक्रम (एन.यू.एल.एम.)

भारत सरकार, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मन्त्रालय (एम.ओ.एच.यू.पी.ए.) ने मौजूदा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) को पुनर्गठित किया और राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) को शुरू किया। स्वयं रोजगार कार्यक्रम (एस.ई.पी.) एन.यू.एल.एम. के घटकों (घटक 4) में से एक है जो शहरी गरीबों के व्यक्तिगत और सामूहिक उद्यमों तथा स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) की स्थापना के लिए ऋणों पर ब्याज अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित करता है। शहरी विकास विभाग तथा विभिन्न बैंको ने सितम्बर, 2024 तक एन.यू.एल.एम. के अन्तर्गत ₹4.06 करोड़ के ऋण वितरित किए हैं।

iii) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.)

पी.एम.ई.जी.पी. एक क्रेडिट लिंक्ड अनुदान कार्यक्रम है जोकि भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मन्त्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। इस योजना के कार्यन्वयन के लिए खादी एवं ग्राम उद्योग कमीशन (के.वी.आई.सी.) राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख एजेंसी है। राज्य स्तर पर के.वी.आई.सी., खादी एवं ग्रामीण बोर्ड (के.वी.आई.बी.) तथा जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से यह योजना कार्यान्वित की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में 1174 नई इकाइयों के वित्तपोषण का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना के अन्तर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों ने ₹32.16 करोड़ मार्जिन राशि के वितरण का लक्ष्य रखा

है। बैंकों ने मार्जिन मनी के रूप में सितम्बर, 2024 तक 495 इकाइयों को ₹18.71 करोड़ स्वीकृत किए हैं।

4.9 किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.)

किसानों को बैंकिंग प्रणाली के अन्तर्गत् अल्पकालिक ऋण, कृषि उत्पादन तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए एक ही स्थान एवं समय पर पर्याप्त ऋण बैंकों की ग्रामीण शाखाओं द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) के माध्यम से दिया जा रहा है। बैंकों द्वारा 1,20,367 किसानों को नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं। सितम्बर, 2024 तक बैंकों द्वारा कुल 5,79,299 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से ₹10,204.00 करोड़ की धनराशि प्रदान की है।

4.10 ग्रामीण स्वयं रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर.एस.ई.टी.आई.)

जिला स्तर पर उद्यमिता में रुचि रखने वाले ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के लिए बुनियादी ढाचे के विकास के लिए ग्रामीण विकास मन्त्रालय (एम.ओ.आर.डी.) की पहल पर ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर.एस.ई.टी.आई.) चलाए जा रहे है। राज्य के 10 जिलों (लाहौल–स्पिति, किन्नौर छोड़कर) में अग्रणी बैंकों, जिनमें यूको बैंक, पी.एन.बी. व स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शामिल हैं, द्वारा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों का गठन किया है। यह ग्रामीण स्वयं रोजगार प्रशिक्षण संस्थान, प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन (पी.एम.ई.जी.पी.) योजना के अन्तर्गत गरीबी उन्मूलन तथा उद्यमिता विकास के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत् इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग (ई.डी.पी.) कर रहे हैं। आर.एस.ई.टी.आई. ने वर्ष 2024–25 में कुल 328 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का लक्ष्य रखा और 4,992 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया।

4.11 राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

नाबार्ड ने पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण संरचना विकास, लघु ऋण, किसान उत्पादक संगठनों, ग्रामीण कृषि तथा गैर कृषि क्षेत्र, पुरुष एवं महिलाओं का कौशल विकास कर श्रम बल की भागीदारी में सुधार, पुर्नवित्त और राज्य में ग्रामीण ऋण वितरण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण करके सहयोग दिया है। नाबार्ड भी भारत सरकार की कुछ केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को लागू कर रहा है, या उनसे जुड़ा हुआ है।

4.11.1 ग्रामीण अधोसंरचना

1995–96 में स्थापना के बाद से, ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) राज्य सरकारों के साथ मिलकर ग्रामीण अधोसंरचना के विकास के लिए नाबार्ड की एक प्रमुख पहल बन गई है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों तथा राज्य के स्वामित्व वाले निगमों की चल रही योजनाओं को पूर्ण करने तथा कुछ चुने हुए क्षेत्रों में नई परियोजनाओं

को शुरू करने के लिए रियायती ऋण दिए जाते हैं। वर्षों से, समय के साथ–साथ इस निधि के उपयोग से वित्तीय सहायता का क्षेत्र विस्तृत करके 39 उपयुक्त गतिविधियां जिनमें कृषि तथा संबंधित क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र तथा ग्रामीण सम्पर्क सम्बन्धित आधारभूत गतिविधियों को भी शामिल किया गया है।

इस निधि के अन्तर्गत् आर.आई.डी.एफ–XXX में (वर्ष 2024–25) नई परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए राज्य को ₹900 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है। इस में नवाचार क्षेत्रों की स्वीकृत परियोजनाएँ जैसे हरित गतिशीलता और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने हेतु 53 ई.वी. चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इकाइयों की स्थापना शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, दूध के उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए किसानों की सहायता हेतु कांगड़ा जिले के ढगवार में डेयरी प्रसंस्करण के लिए एक मेगा परियोजना स्वीकृत की गई है। साथ ही, नाबार्ड ने मंडी जिले में माता बगलामुखी रोपवे परियोजना को भी स्वीकृति दी है, जो चंडीगढ़–मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ स्थित है और पंडोह को बखाली में स्थित मंदिर से जोड़ती है।

आर.आई.डी.एफ. की स्थापना से अब तक निधि के अन्तर्गत राज्य को 31 मार्च, 2024 तक परियोजनाओं को लागू करने के लिए ₹11,863.39 करोड़ की वित्तीय सहायता की स्वीकृति दी जा चुकी है जिनमें मुख्यतः ग्रामीण सड़कें/पुल, सिंचाई, पेयजल आदि की परियोजनाएं भी शामिल हैं। आर.आई.डी.एफ.–XXX के अन्तर्गत ₹903.2 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है और राज्य को चालू वित्त वर्ष के लिए 14 जनवरी, 2025 तक ₹526 करोड़ का वितरण किया गया है।

आर.आई.डी.एफ.–XXX के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के पूर्ण होने पर, हिमाचल प्रदेश में 53 स्थानों पर ई.वी. चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा, जिससे हरित और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त, 208.65 किलोमीटर की ग्रामीण सड़क परियोजनाएँ, ग्रामीण संपर्क में सुधार करेंगी। साथ ही, जल आपूर्ति परियोजनाओं और सीवरेज योजनाओं की स्वीकृति से ग्रामीण समुदायों को लाभ मिलेगा, जिससे स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। ढगवार दुग्ध संयंत्र रोजगार के अवसर सृजित करेगा, डेयरी उत्पादों को प्रतिस्पर्धी मूल्य पर उपलब्ध कराएगा और ग्रामीण आबादी को उचित मूल्य प्रदान करेगा, जिससे आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।

4.11.2 प्रौद्योगिकी सुविधा कोष (टी.एफ.एफ.)

नाबार्ड में तकनीक सुधार को समर्थन और उसे बढ़ावा देने के लिए तकनीक सुधार निधि (टी.एफ.एफ.) को 50 करोड़ रुपये के प्रारंभिक पूंजी के साथ स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र को लाभान्वित करने वाले तकनीकी

अनुप्रयोग को समर्थित करना है, ताकि तकनीकी स्टार्ट–अप्स के साथ संबंधों के लिए एक कुशल नीति हो और एक समर्पित अनुदान स्रोत हो।

4.11.3 मत्स्यपालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (एफ.ए.आई.डी.एफ.)

नाबार्ड ने एफ.ए.आई.डी.एफ.(मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2025 तक जिला ऊना के कार्प फार्म, गगरेट में एक अत्याधुनिक मत्स्य पालन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए राज्य सरकार को सहायता दी है।

4.11.4 पुर्नवित्त सहायता

नाबार्ड, विभिन्न कार्य–कलाप, जिनमें ग्रामीण आवास, लघु सड़क परिवहन आपरेटरों, भूमि विकास, लघु सिंचाई, डेयरी विकास, स्वंय सहायता समूह, कृषि यंत्रीकरण, मुर्गी पालन, वृक्षारोपण एवं बागवानी, भेड़/बकरी/सुअर पालन, घरेलू कार्यकलापों की पैकिंग ग्रेडिंग व अन्य क्षेत्रों के विभिन्न कार्यो के लिए दीर्घ अवधि के लिए पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है। वित्त वर्ष 2024–25 में संवितरण के लिए नाबार्ड ने हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंकों और हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एस. सी.ए.आर.डी.बी.) को 13 जनवरी, 2025 तक पुनर्वित के अन्तर्गत् ₹335.99 करोड दिए हैं।

इसके अतिरिक्त, नाबार्ड ने सहकारी बैंकों और आर.आर.बी. के प्रयासों को भी पूरक किया है, राज्य में फसल ऋण संवितरण के लिए लघु अवधि (एस.टी.) के लिए ₹2,150 करोड़ की ऋण सीमा को मंजूरी दी है जिसके अंतर्गत बैंकों ने कृषि ऋण के प्रवाह को सुदृढ़ करने के लिए 2024–25 के दौरान 13 जनवरी 2025 तक ₹1,788 करोड़ की पुनर्वित्त सहायता दी है।

4.11.5 विशष पुनर्वित्त योजनाएं

पोस्ट कोविड युग में कृषि और ग्रामीण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड ने निम्नलिखित नई योजनाएं शुरु की हैं:

क) प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पी.ए.सी.एस.)का बहु सेवा केन्द्र (एम.एस.सी.) के रुप में परिवर्तन:

इस योजना का उद्देश्य देश भर में पी.ए.सी.एस. को एम.एस.सी. में परिवर्तित करना है, जिससे अंतिम लाभार्थियों को सस्ता ऋण देने के लिए बैंकों को 3 प्रतिशत की दर पर रियायती पुनर्वित्त सुविधा प्रदान की जा सके। राज्य सहकारी बैंक पी.ए.सी.एस. को 4 प्रतिशत की दर पर ऋण देते हैं और यदि परियोजना ए. आई.एफ. के तहत पात्र है तो भारत सरकार द्वारा 3 प्रतिशत अनुदान दिया

जाएगा। यह योजना वर्तमान में केवल पैक्स द्वारा गोदाम निर्माण के लिए सहायता तक सीमित है।

ख) जल स्वच्छता और स्वच्छता गतिविधियों के लिए योजनाबद्ध पुनर्वित्त (WASH): इस योजना का उद्देश्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं की क्रेडिट आवश्यकता को पूरा करना है ताकि वे पात्र लाभार्थियों/उद्यमियों को समय पर परेशानी मुक्त ऋण प्रदान कर सकें ताकि जल और स्वास्थ्य रक्षा सम्बन्धित गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके। योग्य संस्थान–सभी वाणिज्यिक बैंक, एस.एफ.बी, आर.आर.बी, सहकारी बैंक और नाबार्ड की सहायक कंपनियां हैं। WASH गतिविधियों के लिए वित्तपोषण सतत विकास लक्ष्यों के तहत एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और पुनर्वित्त के लिए 95 प्रतिशत ऋण के लिए पात्र होगा। नाबार्ड सभी पात्र बैंकों को 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर (त्रैमासिक चक्रवृद्धि) से रियायती दीर्घकालिक पुनर्वित्त प्रदान करेगा। योग्य गतिविधियाँ–सैनिटरी फिटिंग, रेडीमेड शौचालय आदि के निर्माण/आपूर्ति करने वाले स्टार्ट–अप/उद्यमियों/एम.एस.एम.ई. को सहायता प्रदान करना है।

4.11.6 सरकारी प्रायोजित योजनाएं

नई कृषि विपणन अवसंरचना (ए.एम.आई.) योजनाः कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना (आई.एस.ए.एम.) की एक उप–योजना, नई कृषि विपणन अवसंरचना (ए.एम.आई.) को लागू कर रही है। योजना को 31 मार्च, 2026 तक स्वीकृत सावधि ऋणों के लिए बढ़ा दिया गया है।

4.11.7 लघु ऋण

स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.) कार्यक्रम का अब हिमाचल प्रदेश में एक सशक्त आधार के साथ विस्तार हो गया है। इस आंदोलन ने मानव संसाधन और वित्तीय मदों में अतिरिक्त सहायता प्रदान की है। 2024–25 के दौरान 15 जनवरी 2025 तक, 6,337 क्रेडिट–लिंक्ड एस.एच.जी. को ₹296.52 करोड़ के ऋण के साथ क्रेडिट–लिंक किया गया है।

केन्द्रीय बजट 2014–15 में संयुक्त कृषि समूहों के वित्तपोषण के लिए नाबार्ड द्वारा किए गए वित्तपोषण के प्रयासों से संयुक्त देयता समूह साधन से "भूमिहीन किसानों" तक वित्तीय सहायता पहुंचाने के लिए नवीन पहल हुई है। प्रदेश में 30 सितंबर, 2024 तक 15,765 संयुक्त देयता समूहों को ₹98.58 करोड़ का कुल ऋण दिया जा चुका है।

राज्य में "संयुक्त देयता समूह" योजना को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड राज्य में विभिन्न गैर सरकारी संगठनों/संयुक्त देयता संवर्धन संस्थानों के साथ सहयोग कर रहा है।

नाबार्ड ने वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान तीन वर्षों में 200 जे.एल.जी. के प्रचार और क्रेडिट लिंकेज के लिए विभिन्न गैर सरकारी संगठनों को ₹8 लाख मंजूर किए हैं।

4.11.8 कृषक उत्पादन संगठन का प्रचार

हिमाचल प्रदेश में नाबार्ड ने सभी 12 जिलों में 124 एफ.पी.ओ. के गठन/प्रचार के लिए ₹15.73 करोड़ के अनुदान को स्वीकृत किया है। यह एफ.पी.ओ. संयुक्त रुप से सब्जियों, औषधियों और सुगंधित पौधों, दुग्ध और फूलों के उत्पादन, प्राथमिक प्रसंस्करण और विपणन का कार्य करेंगे। ये एफ.पी.ओ. राज्य भर के लगभग 26,332 किसानों को सुरक्षा देते हैं जिनकी सालाना बिक्री ₹17.01 करोड़ है। एक अन्य केंद्रीय क्षेत्र की योजना में नाबार्ड ''एक जिला एक उत्पाद'' की अवधारणा के साथ 10,000 एफ.पी.ओ. के गठन और संवर्धन के लिए कार्यान्वयन एजेंसी होगा। राज्य में क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों (सी.बी.बी.ओ.) के माध्यम से एफ.पी.ओ. को बढ़ावा दिया जाएगा और पोषित किया जाएगा। नाबार्ड ने इस योजना के अन्तर्गत् कुल स्वीकृत अनुदान ₹10.47 करोड़ के साथ 23 एफ.पी.ओ. का गठन किया है।

4.11.9 वाटरशेड विकास

नाबार्ड ने राज्य के दस जिलों में 52 वाटरशैड विकास परियोजनाओं (31 वाटरशेड जिसमें प्राकृतिक खेती पर आधारित पहल जीवा भी शामिल है और 21 स्प्रिंग शैड परियोजना) को मंजूरी दी है। इस परियोजना के अर्न्तगत 40,380 हेक्टेयर को सुरक्षित करते हुए, 10 जिलों के 365 गॉवों को ₹32.65 करोड़ की राशि द्वारा लाभान्वित किया गया। इन परियोजनाओं के द्वारा पानी की उपलब्धता, पर्यावरण संरक्षण, उत्पादकता, किसानों की आय में वृद्धि, घटती हुई चरागाहों का संरक्षण और पशुपालन को बढ़ावा दिया जाएगा।

4.11.10 जनजातीय विकास निधि के माध्यम से जनजातीय लोगों का विकास (टी.डी.एफ.)

नाबार्ड ने 15 जनजातीय विकास परियोजनाओं के अर्न्तगत् ₹23.55 करोड की वित्तीय सहायता द्वारा 31 दिसम्बर, 2024 तक 3,982 परिवारों को लाभान्वित किया है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य चयनित गांवों में वादी (छोटे उद्यानों) और डेयरी इकाइयों की स्थापना करना है। इनके अर्न्तगत् 2,838 एकड़ भूमि में सेब, नींबू, अखरोट, नाशपाती और जंगली खुबानी के पौधे लगाए गए हैं।

4.11.11 कृषि क्षेत्र प्रोत्साहन कोष के माध्यम से सहायता (एफ.एस.पी.एफ.)

एफ.एस.पी.एफ. के अन्तर्गत अब तक 20,773 किसानों को 42 परियोजनाओं द्वारा लाभान्वित करने के लिए ₹4.80 करोड़ की संचयी अनुदान सहायता स्वीकृत की गई है। इस निधि के तहत समर्थित गतिविधियों में बाजरा को बढ़ावा देना, सटीक खेती के लिए आई. ओ.टी. (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) प्रौद्योगिकी का उपयोग, सीबकथॉर्न का मूल्य श्रृंखला विकास,

स्वदेशी मधुमक्खी का संरक्षण, सजावटी नर्सरी में कौशल विकास, रेशम उत्पादन के माध्यम से आजीविका में वृद्धि और पिपलूघाट, सोलन में मवेशी विकास केंद्र की स्थापना शामिल है।

4.11.12 ग्रामीण कारीगरों/बुनकरों को सहायता

नाबार्ड ने सरोआ हैंडलूम प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के नाम से पंजीकृत एक ऑफ फार्म प्रोड्यूसर संगठन के गठन के लिए ₹90.11 लाख की अनुदान सहायता मंजूर की है। ओ.एफ.पी.ओ. के लाभार्थियों में 503 बुनकर शामिल हैं, जिनमें से 90 प्रतिशत महिलाएं हैं, जो अब पटटू, शॉल, स्टोल और मफलर जैसे विभिन्न ऊनी उत्पादों का उत्पादन करने में सक्षम हैं।

4.12 नाबार्ड की परामर्श सेवाएं (नैबकॉन्स)

नाबार्ड परामर्श सेवाएं (नैबकॉन्स), नाबार्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी है और यह कृषि, ग्रामीण विकास और इससे सम्बन्धित क्षेत्रों में परामर्श प्रदान करती है। नैबकॉन्स ने निम्नलिखित प्रमुख कार्य किये हैं:

- हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड की पराला और खड़ापत्थर में एकीकृत शीत श्रृंखला परियोजना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श।
- हिमाचल प्रदेश में राज्य स्तर पर एग्री–इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (ए.आई.एफ.) के अर्न्तगत पी.एम.यू. (परियोजना प्रबंधन इकाई) की स्थापना।
- नैबकॉन्स हिमाचल प्रदेश में डी.डी.यू.–जी.के.वाई. के लिए केंद्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी है।

निष्कर्ष: हिमाचल प्रदेश में बैंकिंग क्षेत्र राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और वित्तीय समावेशन में चल रहे प्रयास विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में वंचित समुदायों को सशक्त बनाने में मदद कर रहा है। कुछ क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता बनी हुई है, परंतु राज्य ने राष्ट्रीय बैंकिंग मापदंडों और सरकारी योजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

हिमाचल प्रदेश में कुल 2,352 बैंक शाखाओं में से 76 प्रतिशत से अधिक शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि बड़ी ग्रामीण जनता के लिए वित्तीय सेवाएं सुलभ हैं। राज्य का बैंक शाखा–से–जनसंख्या अनुपात राष्ट्रीय औसत से काफी अच्छा है, जहां केवल प्रति शाखा 2,919 लोग हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 11,000 है।

राज्य के बैंकों ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण देने के लिए आर.बी.आई. के राष्ट्रीय मापदंडों को पूरा करने में उल्लेखनीय प्रगति की है, तथा कुल ऋणों का 59.12 प्रतिशत कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) और महिला वर्ग जैसे क्षेत्रों को

दिया है। हालांकि, राज्य कृषि अग्रिमों के लिए राष्ट्रीय लक्ष्य से थोड़ा पीछे है। हिमाचल प्रदेश में पी.एम.जे.डी.वाई. का कार्यान्वयन सफल रहा है, इसके अर्न्तगत, सितंबर 2024 तक 18.55 लाख से अधिक खाते खोले गए हैं। इस पहल से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ हुआ है, जहाँ 16.60 लाख खाते हैं। इनमें से अधिकतर खातों को आधार और मोबाइल नंबरों से जोड़ा गया है, जिससे वित्तीय संपर्क बढ़ा है। पी.एम.एस.बी.वाई., पी.एम.जे.जे.बी. वाई. और ए.पी.वाई. जैसी सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को अच्छे से अपनाया जा रहा है। जिससे लाखों लोग बीमा और पेंशन योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। ये योजनाएं विशेष रूप से छोटे किसानों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों तथा कम आय वाले परिवारों जैसे कमजोर वर्गों की वित्तीय सुरक्षा के सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण है।

******

अध्याय
5



मूल्य संचलन और खाद्य प्रबंधन




VAISHNAVI ROLLER FLOUR MILL
BAIJNATH, DIST. KANGRA H.P.
WITHIN 30 DAYS FROM MFG. DATE
VAISHNAVI ROLLER FLOUR MILL
BAIJNATH, DIST
M. 98052-03137,
USE WITHIN 30 DAYS FROM

मुख्य बिन्दु

- वित्त वर्ष 2024–25 में सी.पी.आई.–सी मुद्रास्फीति 5.0 प्रतिशत से घटकर 4.2 प्रतिशत हो गई। वित्त वर्ष 2024–25 में सी.पी.आई.–ग्रामीण मुद्रास्फीति 5.1 प्रतिशत से घटकर 4.4 प्रतिशत हो गई। वित्त वर्ष 2024–25 में सी.पी. आई.–शहरी मुद्रास्फीति 4.7 प्रतिशत से घटकर 3.3 प्रतिशत हो गई।
- समग्र मुद्रास्फीति में ईंधन और प्रकाश समूह का योगदान सबसे कम रहा है। यह कुल सी.पी.आई–सी मुद्रास्फीति का (–)20.2 प्रतिशत है जो इंगित करता है कि ईंधन और ऊर्जा की कीमतों में बदलाव संयुक्त मुद्रास्फीति दर को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है।
- वित्तीय वर्ष 2021–22 में आपूर्ति पक्ष की रुकावटों के कारण मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) की अधिकतम सहनशीलता सीमा 6 प्रतिशत से ऊपर चली गई। हिमाचल प्रदेश की मुद्रास्फीति दर हाल ही में कुछ हद तक कम हो गई है, जो 2018–19 में आर.बी.आई. की हेडलाइन मुद्रास्फीति लक्ष्य दर 4 प्रतिशत से नीचे आ गई है। चालू वित्त वर्ष 2024–25 में अप्रैल से दिसंबर तक, राज्य स्तर पर थोक मूल्य मुद्रास्फीति (डब्ल्यू.पी.आई.) गिरकर 2.2 प्रतिशत हो गई।
- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.) सरकार की गरीबी उन्मूलन नीति के हिस्से के रूप में 5,330 उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से गेहूं, आटा, चावल, चीनी और अन्य आवश्यक चीजें वितरित करती है। चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान एच.पी. नागरिक आपूर्ति निगम का कुल कारोबार ₹2100 करोड़ रहने का आंकलन है।
- सरकार की जनजातीय कार्य योजना के हिस्से के रूप में, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जनजातीय और बर्फीले क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं और पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति भेजी गई। वित वर्ष 2024–25 (दिसंबर, 2024 तक) के दौरान, निगम ने राज्य में विकासात्मक कार्यों के लिए विभिन्न पंचायतों को ₹101.93 करोड़ मूल्य के 32,36,660 सीमेंट बैग की खरीद और वितरण का प्रबंधन किया।
- हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार, एच. पी. स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा कृषि विभाग के माध्यम से "प्राकृतिक खेती के द्वारा उत्पादित मक्का" की खरीद की गई है।

5.1 परिचय

एक गतिशील दुनिया में, कीमतें स्थिर नहीं रहती हैं और समय के साथ कीमतें बदलती रहती हैं। कीमतों में परिवर्तन व्यापक स्तर पर आर्थिक गतिविधियों और लोगों की क्रय शक्ति को भी प्रभावित करता है। मूल्य सूचकांक समय के संदर्भ में वस्तुओं की कीमतों में सापेक्ष परिवर्तन को मापने के लिए एक सांख्यिकीय उपकरण है और यह आर्थिक नियोजन प्रक्रिया में प्रमुख संकेतकों में से एक है। वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि, जिसे मुद्रास्फीति कहा जाता है, अर्थव्यवस्था की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। मुद्रास्फीति की गणना थोक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का उपयोग करके की जाती है। यह अध्याय मुख्य तौर पर चार खंड़ो मे व्यवस्थित है। पहला खंड वैश्विक मुद्रा स्फीति प्रवृतियों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। दूसरा खंड घरेलू मुद्रास्फीति प्रवृतियां व तीसरा खंड प्रदेश में मुद्रास्फीति के रूझान पर केन्द्रित है और अंतिम खंड प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर प्रकाश डालता है।

5.1.1 वैश्विक मुद्रास्फीति

आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और भू–राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक मुद्रास्फीति 2022 में 8.7 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो 2024 में 5.7 प्रतिशत हो गई। भारत में, चुनौतीपूर्ण खाद्य मूल्य गतिशीलता के बावजूद, खुदरा मुद्रास्फीति वर्ष 2024 में 5.4 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2025 (अप्रैल–दिसंबर) में 4.9 प्रतिशत हो गई। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का लगभग दो–पाँचवाँ हिस्सा खाद्य पदार्थों का है। इसलिए, उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सी.एफ.पी.आई.) खुदरा मुद्रास्फीति का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। हाल के वर्षों में, हेडलाइन मुद्रास्फीति में खाद्य मुद्रास्फीति का प्रमुख योगदान रहा है। हालाँकि, सभी खाद्य श्रेणियों में कीमतों में वृद्धि व्यापक नहीं है। यह मुख्य रूप से कुछ वस्तुओं द्वारा संचालित होता है।

5.1.2 भारत की मुद्रास्फीति

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) द्वारा मापी गई भारत की हेडलाइन मुद्रास्फीति, वित्त वर्ष 2024 की तुलना में वित्त वर्ष 2025 (अप्रैल–दिसंबर) में कम हो गई है। यह गिरावट मुख्य रूप से मुख्य मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय कमी के कारण है, जो वित्त वर्ष 2024 और वित्त वर्ष 2025 (अप्रैल–दिसंबर) के बीच 0.9 प्रतिशत अंक गिर गई। मुख्य मुद्रास्फीति में तेज गिरावट मुख्य रूप से मुख्य सेवा मुद्रास्फीति से प्रेरित थी, जो मुख्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति से कम थी। ईंधन मूल्य मुद्रास्फीति में कमी ने भी मुख्य मुद्रास्फीति में कमी लाने में योगदान दिया है, जिससे घरेलू बजट पर दबाव कम हुआ है। सामान्य तौर पर, खुदरा मुद्रास्फीति में गिरावट को इनपुट कीमतों में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा

सकता है, जैसा कि थोक मूल्य मुद्रास्फीति में परिलक्षित होता है, जो वित्त वर्ष 2024 में अपस्फीति क्षेत्र (–0.7 प्रतिशत) में था और वर्ष 2025 (अप्रैल–दिसंबर) में कम रही।

मुद्रास्फीति लक्ष्य हर पांच साल में निर्धारित किए जाते हैं। मार्च 2021 में, सरकार ने अप्रैल 2021 से मार्च 2026 तक हेडलाइन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.) मुद्रास्फीति के लिए क्रमशः 2 से 6 प्रतिशत की स्वीकार्य सीमा के साथ 4 प्रतिशत के अपने लक्ष्य की पुष्टि की।

5.1.3 हिमाचल प्रदेश में मुद्रास्फीति के रुझान

हालाँकि, हिमाचल प्रदेश के मामले में मुद्रास्फीति दर अपेक्षाकृत स्थिर रही है। वित्त वर्ष 2023–24 की सी.पी.आई.–सी मुद्रास्फीति 5.0 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2024–25 में 4.2 प्रतिशत हो गई। इसी समय अवधी में सी.पी.आई.–ग्रामीण मुद्रास्फीति 5.1 प्रतिशत से घटकर 4.4 प्रतिशत, सी.पी.आई.–शहरी मुद्रास्फीति 4.7 प्रतिशत से घटकर 3.3 प्रतिशत हो गई और इसके विपरीत सी.पी.आई.–औद्योगिक श्रमिक मुद्रास्फीति 1.8 प्रतिशत से बढकर 2. 2 प्रतिशत, सी.पी.आई.– कृषि श्रमिको मुद्रास्फीति 4.9 प्रतिशत से बढकर 5.7 प्रतिशत हो गई। वित्त वर्ष 2024–25 में सी.पी.आई.–ग्रामीण श्रमिको मुद्रास्फीति भी वर्ष 2023–24 के 5. 2 प्रतिशत के मुकाबले बढकर 5.5 प्रतिशत हो गई। उल्लेखनीय रूप से वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीतियों में 2.2 और 5.7 प्रतिशत के बीच उतार–चढाव आया (सारणी 5.1 और चित्र 5.1) जिसने कभी भी आर.बी.आई. द्वारा निर्धारित ऊपरी सहनशीलता स्तर को पार नहीं किया।

सारणी 5.1

हिमाचल प्रदेश में सामान्य मुद्रास्फीति विभिन्न कीमत सूचकांक के आधार पर (प्रतिशत में)

सूचकांक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2023-24^	2024-25*(अ)
थोक मूल्य सूचकांक (समस्त भारत)	1.7	1.3	13.0	9.41	-0.73	-1.1	2.2
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण)	3.1	4.7	6.1	4.3	5.1	5.1	4.4
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (शहरी)	5.4	7.1	5.4	5.3	4.7	5.1	3.3
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त)	3.5	5.2	6.0	4.5	5.0	5.1	4.2
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिक)	4.9	5.5	5.0	4.8	1.8	1.8	2.2
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (कृषि श्रमिक)	4.3	4.2	5.2	6.1	4.9	4.6	5.7

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण श्रमिक)	4.3	4.2	5.3	5.6	5.2	4.8	5.5

स्त्रोतः आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, उद्योग संवर्धन विभाग और डब्ल्यू.पी.आई. के लिए आंतरिक व्यापार (डी.पी.आई.आई.टी.) उपभोक्ता मूल्य संयुक्त शहरी व ग्रामीण के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एन.एस.ओ.) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिकों, कृषि श्रमिकों, ग्रामीण श्रमिकों के लिए श्रम ब्यूरो, 2020–21 के आगे उपभोक्ता मुल्य सूचकांक नई श्रृंखला 2016= 100 पर आधारित है।

^अप्रैल से दिसम्बर तक 2023–24 *अप्रैल से दिसम्बर तक 2024–25

(अ)अस्थिर

चित्र 5.1

डब्ल्यू.पी.आई., सी.पी.आई. (संयुक्त), सी.पी.आई. ग्रामीण, सी.पी.आई. शहरी के बीच मुद्रास्फीति की मासिक तुलना

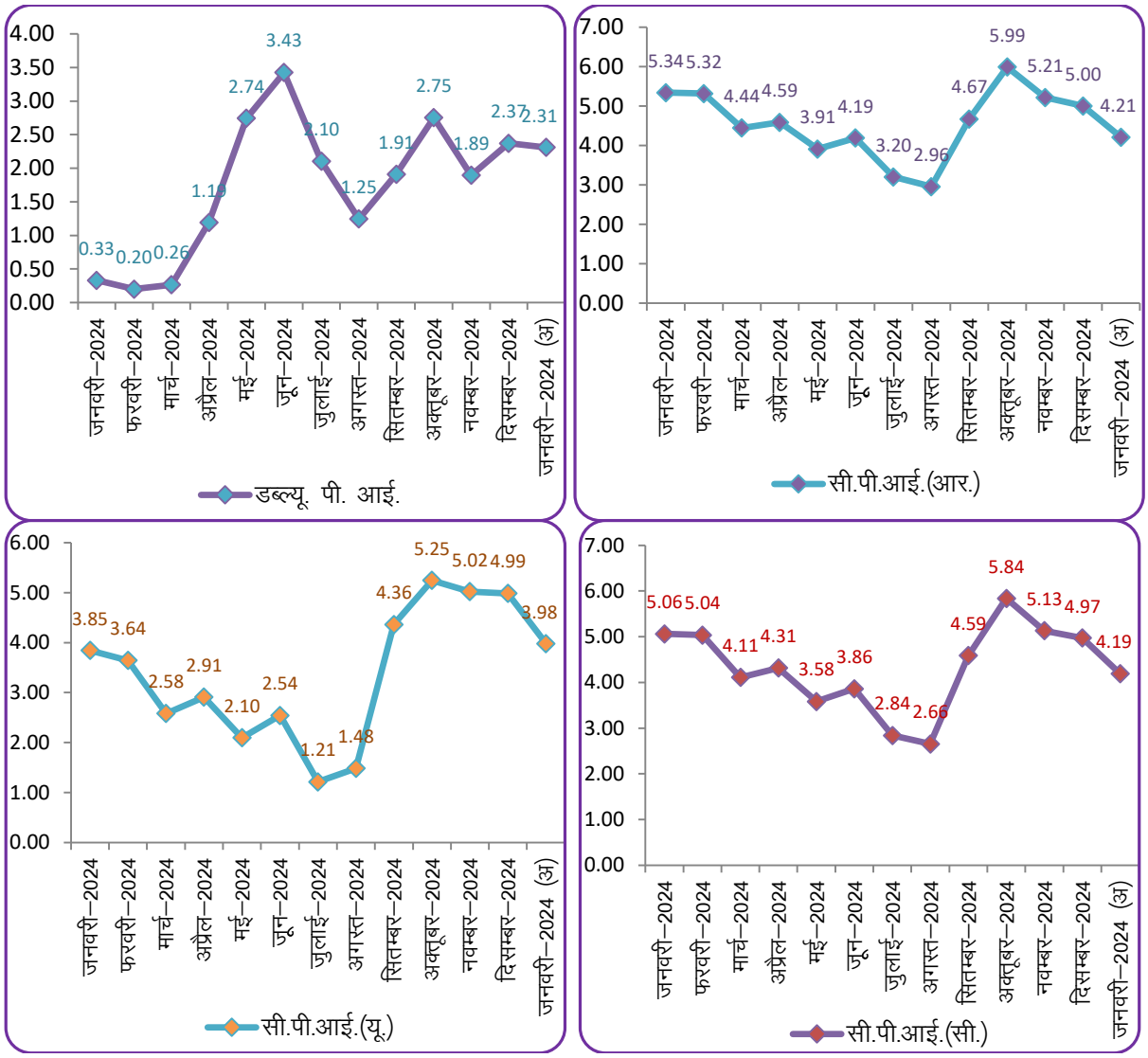

स्त्रोतः राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एन.एस.ओ.) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

बॉक्स 5.1
मुद्रास्फीति मापने के सूचकांक

मुद्रास्फीति के उतार–चढाव को मापने के लिए उपकरण के रूप में विभिन्न सूचकांकों का उल्लेख किया गया है। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई.) उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डी.पी.आई.आई.टी) के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा संकलित किया जाता है। सी.पी.आई. (सी, आर, यू) संयुक्त, ग्रामीण, शहरी को भारत सरकार के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा संकलित किया जाता है, (सी.पी.आई–आई.डब्ल्यू) औद्योगिक श्रमिक, (सी.पी.आई–ए.एल) कृषि मजदूर (सी.पी.आई–आर.एल) ग्रामीण मजदूरों को श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित किया जाता है।

थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई.)
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक–ग्रामीण (सी.पी.आई.–आर.)
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक–शहरी (सी.पी.आई.–यू.)
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक–संयुक्त (सी.पी.आई.–सी.)
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक–औद्योगिक श्रमिक (सी.पी.आई.–आई.डब्ल्यू.)
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक–कृषि मजदूर (सी.पी.आई.–ए.एल.)
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक–ग्रामीण मजदूर (सी.पी.आई.–आर.एल.)

5.1.4 अन्य राज्यों के बीच उपभोक्ता मूल्य सूचकांक–संयुक्त (सी.पी.आई.–सी) मुद्रास्फीति

जैसा कि वर्णित है, हिमाचल प्रदेश में मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति पूरे वर्ष 2024 में उतार–चढाव के पैटर्न को दर्शाती है। जनवरी में 5.1 प्रतिशत से शुरू होकर अक्तूबर में 5. 8 प्रतिशत पर पहुंच गई, मुद्रास्फीति में वृद्धि मुख्य रूप से सब्जियों की कीमतों में बढोतरी से प्रेरित थी। यह घटना विभिन्न कारकों के कारण हो सकती है जैसे प्रतिकूल मौसम की स्थिति फसल की पैदावार को प्रभावित कर रही है, बढती परिवहन लागत या अन्य आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान। केंद्रीय बैंक अक्सर बढ़ती अर्थव्यवस्था को शांत करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरें बढाते हैं। हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मुद्रास्फीति पर ब्याज दर में बदलाव का प्रभाव तत्काल नहीं होता है और इसे साकार होने में समय लगता है। अगस्त, 2024 तक मुद्रास्फीति में गिरावट से पता चलता है कि या तो ब्याज दर में बढोतरी सहित उठाए गए उपायों का सकारात्मक प्रभाव पडा है या सब्जियों की कीमतों में बढोतरी के शुरुआती कारकों में कमी आई है।

जनवरी 2025 में, हिमाचल प्रदेश में सीपीआई–सी मुद्रास्फीति दर 4.19 प्रतिशत दर्ज की गई, जो अन्य राज्यों की तुलना में अपेक्षाकृत मध्यम थी, जहां मुद्रास्फीति दर 8.8 प्रतिशत से 1.8 प्रतिशत के बीच थी। (चित्र 5.2)

राज्यों के बीच मुद्रास्फीति दरों में इस असमानता को विभिन्न कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसमें आर्थिक गतिविधियों, आपूर्ति श्रृंखला, कृषि उत्पादन और क्षेत्रीय आर्थिक नीतियों में अंतर शामिल हैं। अधिकांश अन्य राज्यों की तुलना में हिमाचल प्रदेश में कम मुद्रास्फीति दर, अपेक्षाकृत स्थिर आर्थिक माहौल और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए राज्य द्वारा उठाए गए प्रभावी उपायों का संकेत देती है।

चित्र 5.2

अन्य राज्यों की तुलना में सी.पी.आई.–सी मुद्रास्फीति की हिमाचल प्रदेश से तुलनात्मक स्थिति

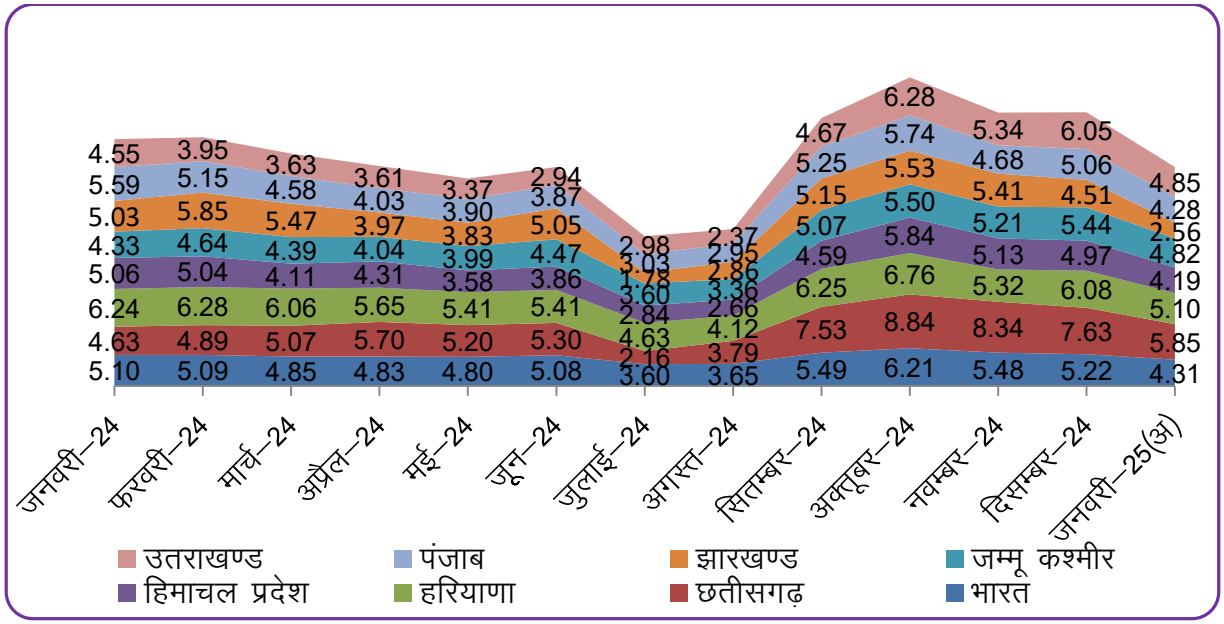

स्रोतः राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एन.एस.ओ.) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

5.1.5 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति में योगदानकर्ता (संयुक्त) 2024 बनाम 2017 चित्र 5.3

चित्र 5.3 हिमाचल प्रदेश में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति में प्रमुख योगदानकर्ताओं को दर्शाता है। यह देखा गया है कि समग्र मुद्रास्फीति में ईंधन और प्रकाश समूह का योगदान सबसे कम रहा है। यह कुल सी.पी.आई–सी मुद्रास्फीति का (–)20.2 प्रतिशत है जो इंगित करता है कि ईंधन और ऊर्जा की कीमतों में बदलाव संयुक्त मुद्रास्फीति दर को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। इसके विपरीत खाद्य एवं पेय पदार्थ समूह 41.6 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ समग्र मुद्रास्फीति में सबसे बडा योगदानकर्ता था। संयुक्त मुद्रास्फीति में दूसरा सबसे बडा योगदानकर्ता पान तम्बाकू और नशीले पदार्थ थे, जिन्होंने कुल मुद्रास्फीति में 35.6 प्रतिशत का योगदान दिया, कपडे और जूते ने संयुक्त मुद्रास्फीति योगदान में 19.0 प्रतिशत का योगदान दिया। विविध वस्तुओं ने 23.9 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ संयुक्त मुद्रास्फीति में योगदान दिया।

चित्र 5.3

वर्ष 2024 से 2017 की तुलनात्मक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति (संयुक्त) के संचालक और योगदानकर्ता

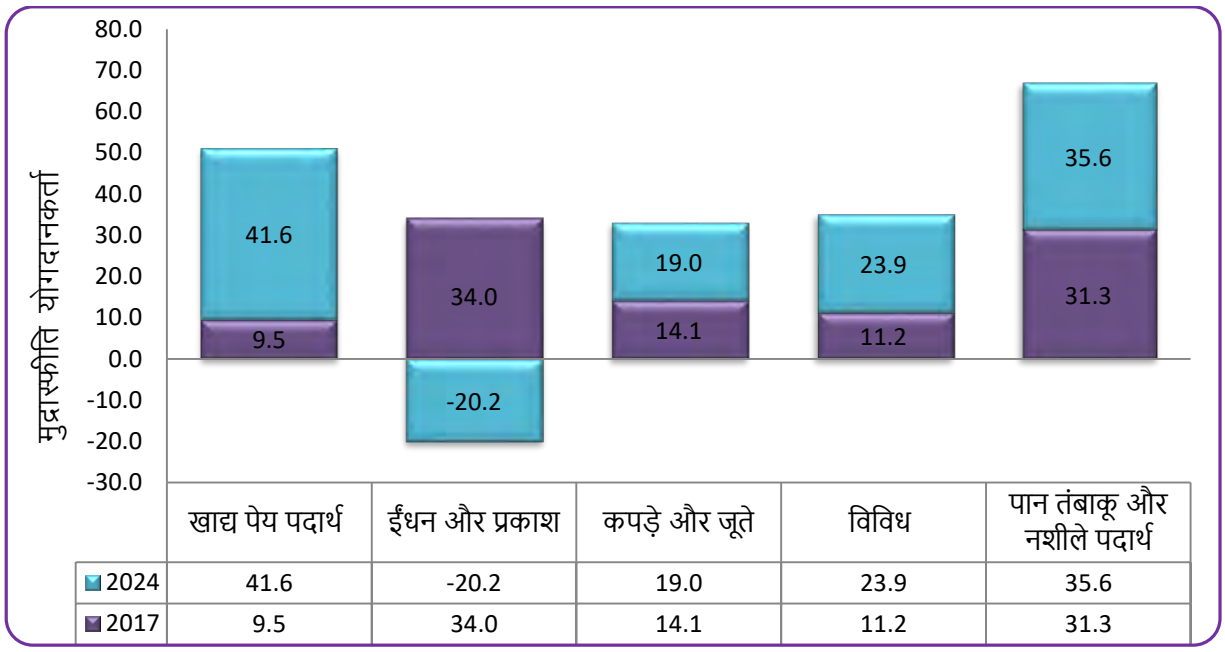

	खाद्य पेय पदार्थ	ईंधन और प्रकाश	कपड़े और जूते	विविध	पान तंबाकू और नशीले पदार्थ
2024	41.6	-20.2	19.0	23.9	35.6
2017	9.5	34.0	14.1	11.2	31.3

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

5.1.6 औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रम ब्यूरो द्वारा जारी एक मूल्य सूचकांक है, जो कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों के लिए रहने की लागत में मूल्य वद्धि के प्रभाव को मापने के लिए जारी किया जाता है। सितम्बर, 2020 से हिमाचल प्रदेश में आधार वर्ष को 2001 से 2016 के लिए संशोधित किया गया है। नई श्रृंखला में पारंपारिक सात वर्गों के औद्योगिक श्रमिकों को इस सूचकांक में सम्मिलित किया गया है जिसमें कारखानों, खानें, वृक्षारोपण, रेलवे, सार्वजनिक मोटर परिवहन उपक्रम, विद्युत उत्पादन और वितरण प्रतिष्ठान, बंदरगाहें आदि शामिल हैं।

यह विभिन्न कारणों से हो सकता है जैसे क्षेत्रीय आर्थिक स्थिति, उद्योगों की संरचना में अंतर और विशिष्ट कारक जो कि हिमाचल प्रदेश में रहने की लागत को प्रभावित करते हों शामिल हैं। राष्ट्रीय औसत की तुलना राज्य में औद्योगिक श्रमिक सूचकांक मे कमी से श्रमिकों की क्रय क्षमता, रहन सहन के स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पढ़ता है।

चित्र 5.4

हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और राष्ट्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिकों के लिए) में परिवर्तनशीलता 2023–24 (जनवरी से नवम्बर, 2024) आधार वर्ष 2016 =100

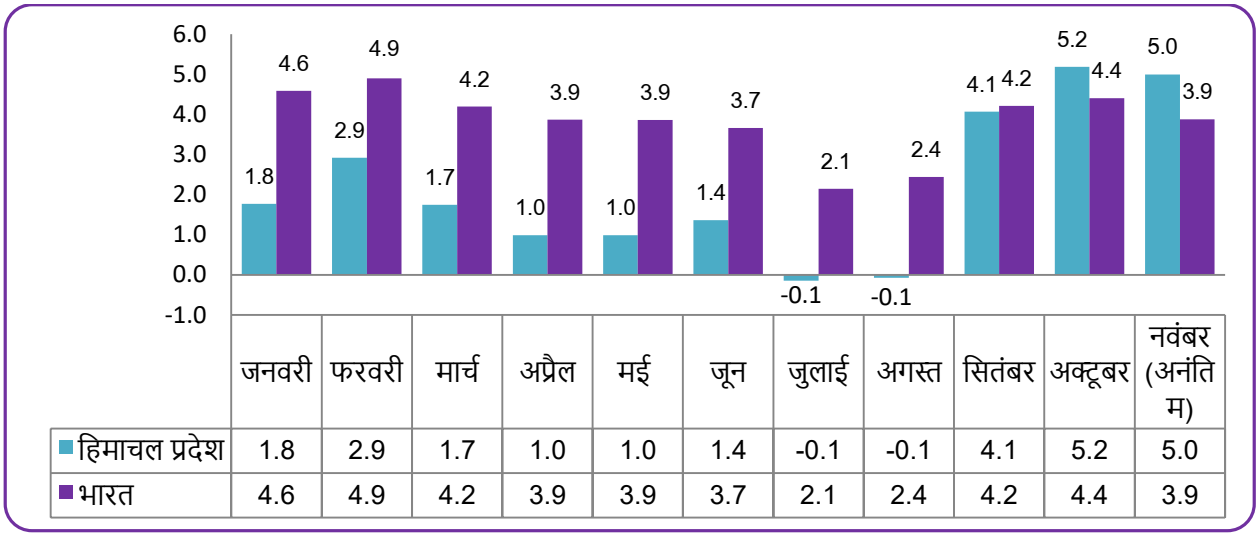

	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितंबर	अक्टूबर	नवंबर (अनंतिम)
हिमाचल प्रदेश	1.8	2.9	1.7	1.0	1.0	1.4	-0.1	-0.1	4.1	5.2	5.0
भारत	4.6	4.9	4.2	3.9	3.9	3.7	2.1	2.4	4.2	4.4	3.9

स्रोतः श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

सारणी 5.2

हिमाचल प्रदेश में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिक) (आधार वर्ष 2001 व 2016*)

माह	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	पिछले वर्ष से प्रतिशता में परिवर्तन
अप्रैल	257	270	282	121.8	129.1	131.7	133.0	1.0
मई	256	271	280	121.7	131.3	131.5	132.8	1.0
जून	258	272	282	122.5	131.9	132.2	134.0	1.4
जुलाई	265	274	288	123.8	129.7	136.3	136.1	-0.2
अगस्त	267	275	291	124.0	131.2	136.1	136.0	-0.1
सितम्बर	266	277	120.8*	124.6	131.2	132.6	138.0	4.1
अक्तूबर	267	280	122.1*	126.7	131.7	133.0	139.9	5.2($)
नवम्बर	266	281	122.5*	127.6	131.3	133.4	140.0	5.0($)
दिसम्बर	265	283	120.6*	125.7	130.2	131.8	..	..
जनवरी	266	282	120.0*	126.0	130.2	132.5	..	..
फरवरी	266	280	120.5*	126.4	130.1	133.9	..	..
मार्च	267	281	121.4*	126.9	131.5	133.8	..	..
औसत	**264**	**277**	**118.9$**	**124.8**	**130.8**	**133.2**	**136.2($)**	**2.2($)**

स्रोतः श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
* आधार वर्ष 2016
$ अस्थाई

सारणी 5.3

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिक)

(आधार वर्ष 2001 व 2016*)

माह	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	पिछले वर्ष से प्रतिशता में परिवर्तन
अप्रैल	288	312	329	120.1	127.7	134.2	139.4	3.9
मई	289	314	330	120.6	129.0	134.7	139.9	3.9
जून	291	316	332	121.7	129.2	136.4	141.4	3.7
जुलाई	301	319	336	122.8	129.9	139.7	142.7	2.1
अगस्त	301	320	338	123.0	130.2	139.2	142.6	2.4
सितम्बर	301	322	118.1*	123.3	131.3	137.5	143.3	4.2
अक्तूबर	302	325	119.5*	124.9	132.5	138.4	144.5	4.4
नवम्बर	302	328	119.9*	125.7	132.5	139.1	144.5	3.9($)
दिसम्बर	301	330	118.8*	125.4	132.3	138.8	..	..
जनवरी	307	330	118.2*	125.1	132.8	138.9	..	..
फरवरी	307	328	119.0*	125.0	132.7	139.2	..	..
मार्च	309	326	119.6*	126.0	133.3	138.9	..	..
औसत	**300**	**323**	**117.6$**	**123.6**	**131.1**	**137.9**	**142.3($)**	**3.6($)**

स्रोतः श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

* आधार वर्ष 2016

$ अस्थाई

5.1.7 मासिक थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई.)

हिमाचल प्रदेश का अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग प्रत्येक महीने के पहले शुक्रवार को जिला सांख्यिकी कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से 160 वस्तुओं पर डेटा संकलित और विश्लेषण करता है, कीमतें जिलों में नामित दुकानों से एकत्र की जाती हैं। ये दरें मुख्यालय में जांच के बाद हितधारकों को उपलब्ध कराई जाती हैं। भिन्नता का गुणांक चित्र 5.6 और 5.7 में दिखाया गया है।

जनवरी, 2024 के दौरान राज्य के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मासिक थोक मूल्य सूचकांक 151.2 था जो जनवरी, 2025 में बढकर 154.7 (अस्थाई) हो गया, जो 2.31 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर दर्शाता है। वर्ष 2024–25 के लिए माहवार थोक मूल्य सूचकांक चित्र 5.1 में दिया गया है।

चित्र 5.5 दो अवधियों के बीच थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई) मुद्रास्फीति की तुलना दर्शाता है (जनवरी से दिसंबर, 2023) और (जनवरी से दिसंबर, 2024) अप्रैल से दिसम्बर, 2023 की वर्तमान अवधि में, डब्ल्यू.पी.आई मुद्रास्फीति नकारात्मक क्षेत्र में गिर गई, (–) 4.2 से 4.8 प्रतिशत के बीच रही। नकारात्मक मुद्रास्फीति अपस्फीति की अवधि को इंगित करती है, जहां उत्पादकों द्वारा उनकी वस्तुओं और सेवाओं के लिए प्राप्त औसत

कीमतों में कमी आई है। जनवरी से दिसंबर 2024 तक थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति 0.2 से 3.4 प्रतिशत के बीच रही। यह उस अवधि के दौरान मुद्रास्फीति के अपेक्षाकृत मध्यम से निम्न स्तर में दर्शायी गई हैं।

चित्र 5.5

मासिक थोक मुल्य सूचकांक मुद्रास्फीति वर्ष 2023 और 2024 (जनवरी से दिसंबर) के बीच में तुलना

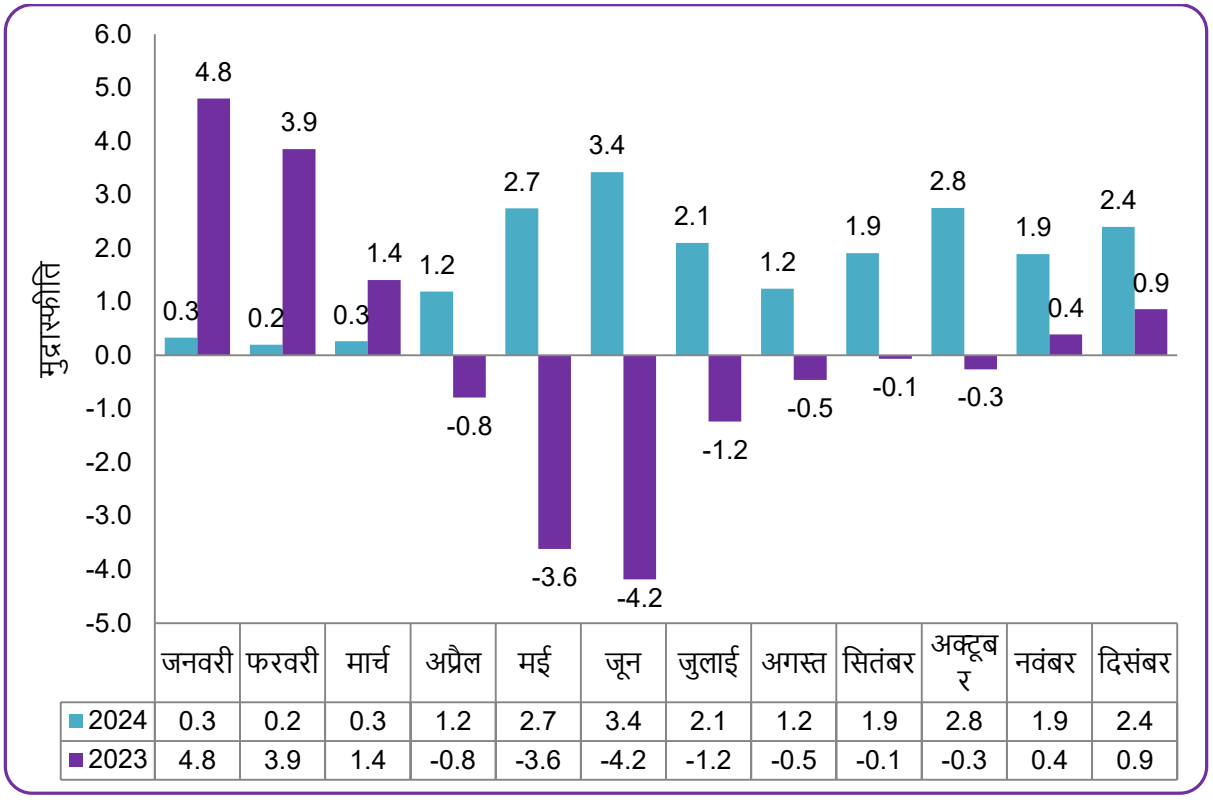

	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितंबर	अक्टूबर	नवंबर	दिसंबर
2024	0.3	0.2	0.3	1.2	2.7	3.4	2.1	1.2	1.9	2.8	1.9	2.4
2023	4.8	3.9	1.4	-0.8	-3.6	-4.2	-1.2	-0.5	-0.1	-0.3	0.4	0.9

स्रोतः आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, उद्योग, और आंतरिक व्यापार भारत सरकार (डी.पी.आई.आई.टी.)

थोक मुद्रास्फीति में इस गिरावट से पता चलता है कि कुल मिलाकर, थोक कीमतों में कमी आई है या नरम बनी हुई है, जो संभावित स्थिरता या यहां तक कि खुदरा कीमतों में कमी का संकेत देती है। आंकडो से पता चलता है कि दोनों अवधियों के बीच थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय गिरावट आई है, कम थोक कीमतें संभावित रूप से खुदरा विक्रेताओं के लिए कम लागत में रूपातंरित हो सकती हैं और उपभोक्ता कीमतों में स्थिरता या कमी में योगदान कर सकती हैं। निष्कर्ष यह है कि थोक मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय गिरावट के साथ, भारत में खुदरा कीमतें अगले महीनों में स्थिर रहने या गिरने की आशा है।

5.1.7.1 मोटा आनाज का थोक मूल्य की भिन्नता का गुणांक वर्ष 2023 व 2024 में

आंकडे, विशेष रूप से चित्र 5.6 और चित्र 5.7, क्रमशः मोटे अनाज और दालों की कीमतों के लिए भिन्नता के गुणांक का दृश्य प्रतिनिधित्व हैं। ये आंकडे उल्लिखित वस्तुओं के थोक मूल्यों में अस्थिरता के रुझान का एक चित्रमय प्रतिनिधित्व प्रदान कर सकते हैं। 2023 (अप्रैल से दिसंबर) और 2024 (अप्रैल से दिसंबर) में मोटे अनाज की थोक कीमतों की अस्थिरता का विश्लेषण करने के लिए भिन्नता के गुणांक का उपयोग किया जाता है। गेहूं, मक्का, मकई का आटा और गेहूं के आटे जैसी वस्तुओं पर है जो 2024–25 के दौरान बढती अस्थिरता दिखा रहे हैं।

चित्र 5.6

मोटा आनाज में थोक मूल्य की भिन्नता का गुणांक 2023 व 2024

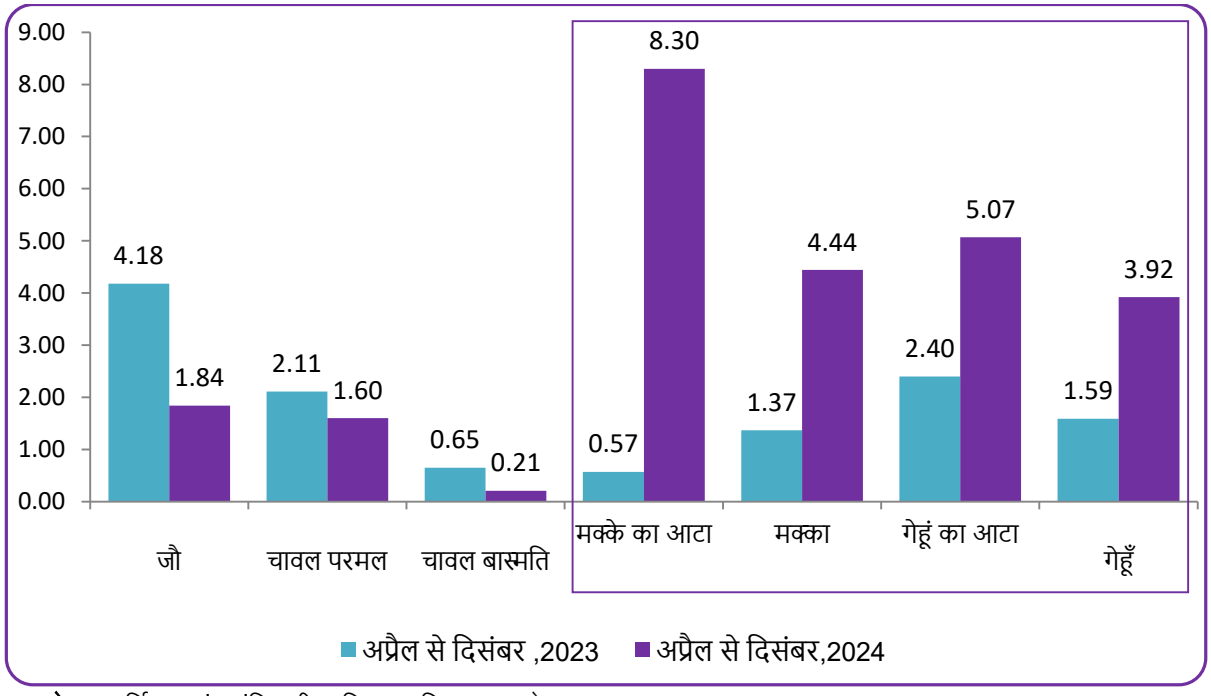

स्त्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग, हिमाचल प्रदेश

5.1.7.2 दालों के मूल्यों को प्रभावित करने वाले कारक

चित्र 5.7 दालों में भिन्नता का गुणांक प्रस्तुत करता है और यह दर्शाता है कि उत्पादन में वृद्धि, बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए सरकार की पहल और दालों पर कम आयात कर और उपकर के कारण दालों की कीमतें कम रहीं। बढे हुए उत्पादन स्तर से दालों की कीमतों में स्थिरता आती है।

चित्र 5.7

दालों में थोक मूल्य की भिन्नता का गुणांक वर्ष 2023 व 2024 में

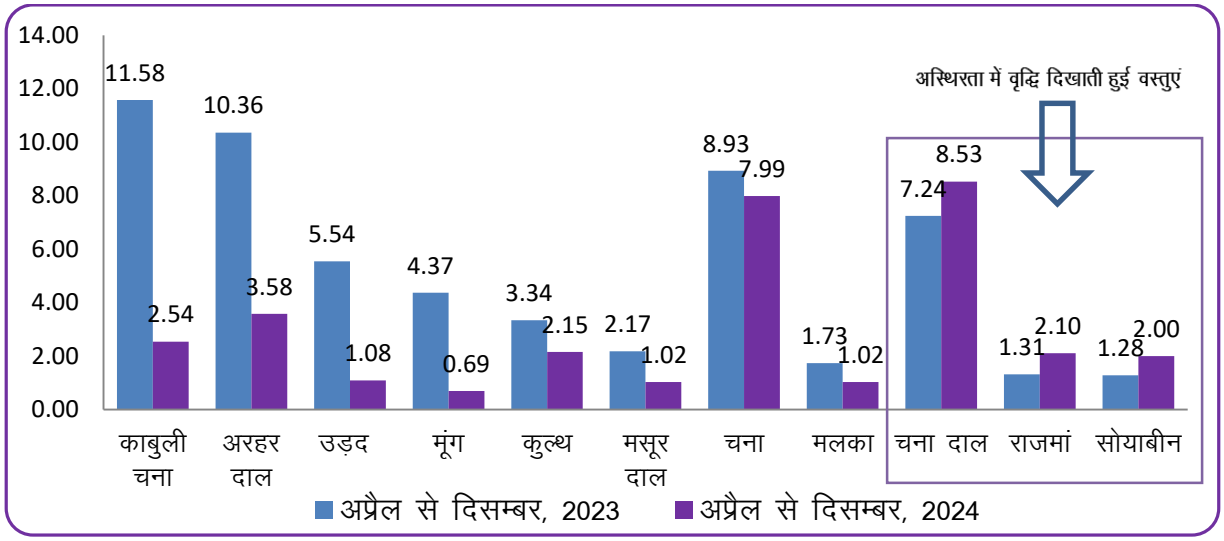

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश

चने दाल, राजमाह और सोयाबीन सहित कुछ दलहन वस्तुओं को 2023 (अप्रैल से दिसंबर) और 2024 (अप्रैल से दिसंबर) के लिए भिन्नता गणना के गुणांक के आधार पर अत्यधिक उतार–चढाव वाले के रूप में पहचाना जाता है, यह इंगित करता है कि इन विशिष्ट दाल वस्तुओं की कीमतों में उल्लिखित अवधि के दौरान महत्वपूर्ण उतार–चढाव का अनुभव हुआ। दूसरी ओर, काबुली चना, अरहर दाल, उडद दाल, मूंग दाल, कुल्थ और मलका जैसी वस्तुओं को कम अस्थिर के रूप में पहचाना जाता है, क्योंकि उनकी स्थिरता में सुधार हुआ है। इन दलहन वस्तुओं में स्थिरता का श्रेय लगातार उत्पादन स्तर या प्रभावी बाजार हस्तक्षेप जैसे कारकों को दिया जा सकता है।

5.1.8 साप्ताहिक खुदरा मूल्य

जिला सांख्यिकी कार्यालय, जो आर्थिक और सांख्यिकी विभाग का हिस्सा हैं, बुनियादी वस्तुओं पर डेटा एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने के लिए जिम्मेदार हैं। प्रत्येक शुक्रवार को, जिले में भाग लेने वाली दुकानों से कीमतें एकत्र की जाती हैं और सत्यापित होने के बाद www.weeklyprices.hp.gov.in पर पोस्ट की जाती हैं। खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग और अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग को हर सप्ताह एक रिपोर्ट प्राप्त होती है जिसमें पिछले सप्ताह के मूल्य निर्धारण परिवर्तनों का विवरण दिया जाता हैं।

5.1.8.1 आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अस्थिरता

चित्र 5.8 में दर्शाया गया है कि प्याज, उडद दाल, मिट्टी का तेल, गुड, चीनी पैकेट, चाय लूज ब्रोक बॉन्ड और चीनी सहित कुछ वस्तुओं की कीमतें अप्रैल से दिसंबर, 2024 के दौरान स्थिर रहीं।

चित्र 5.8

16 आवश्यक वस्तुओं की खुदरा कीमतों में भिन्नता का गुणांक वर्ष 2017 व 2024 में

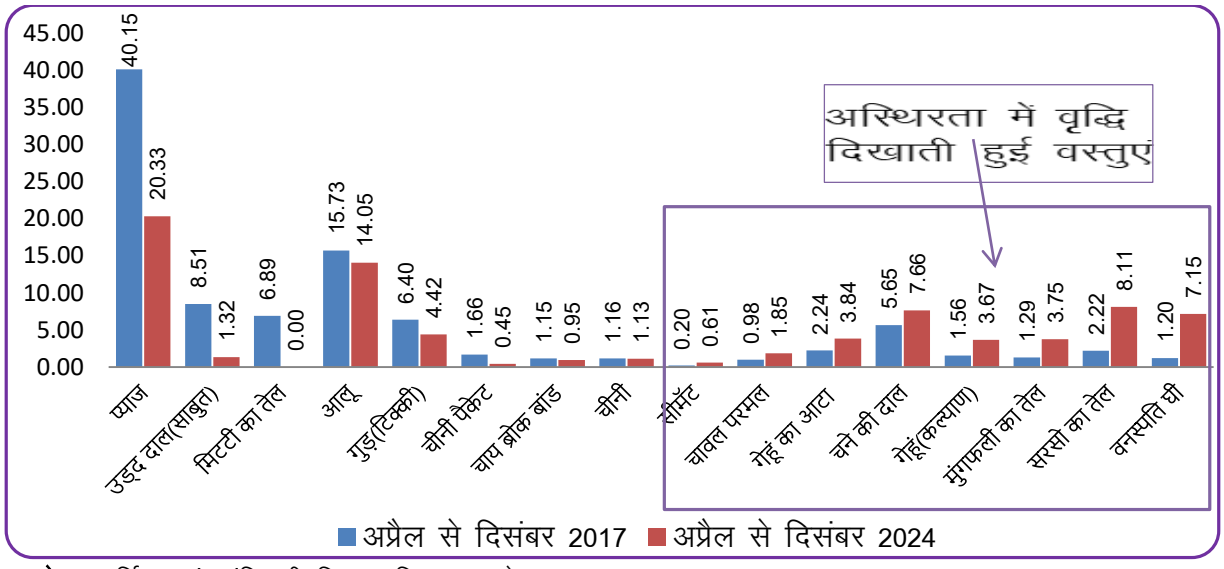

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश

स्थिरता का श्रेय घरेलू उत्पादन से उत्पन्न पर्याप्त आपूर्ति और खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चावल और गेहूं के लिए पर्याप्त बफर स्टॉक के रखरखाव जैसे कारकों को दिया जाता है। सीमेंट, चावल परमल, गेहूं आटा, चना दाल, गेहूं कल्याण, मूंगफली तेल, सरसों तेल और वनस्पति घी की कीमतों में अप्रैल से दिसंबर, 2024 के बीच अस्थिरता देखी गई। इन वस्तुओं में उतार–चढाव देखा गया, जिससे पता चलता है कि मांग, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान या बाहरी प्रभावों जैसे विभिन्न कारकों ने उनकी कीमतों को प्रभावित किया होगा।

5.2 हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली

5.2.1 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.)

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) का उद्देश्य गरीबों को सस्ती कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना और उन्हें आवश्यक वस्तुओं की बढती कीमतों के प्रभाव से बचाना है। पी.डी.एस. के तहत, आवश्यक वस्तुओं को उचित मूल्य की दुकानों (एफ.पी.एस.) के एक सुस्थापित नेटवर्क के माध्यम से वितरित किया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 ने पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए खाद्य सुरक्षा का दायरा बढा दिया है। गरीबी उन्मूलन के लिए सरकारी रणनीति का एक मुख्य घटक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.) है जो 5,330 उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से गेहूं, गेहूं आटा, चावल, चीनी आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए परिवारों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन.एफ.एस.ए.)

i) अंत्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.)
ii) प्राथमिकता वाले आवास

2. एन.एफ.एस.ए. के अलावा अन्य (गरीबी रेखा से ऊपर) (ए.पी.एल.)

5.2.2 31 दिसंबर, 2024 तक, राज्य में 5,330 उचित मूल्य की दुकानें थी, जिनमें से 3,387 सहकारी समिति द्वारा, 25 पंचायतों द्वारा, 48 एच.पी.एस.सी.एस.सी. द्वारा, 1,812 व्यक्तिगत रूप से, 23 स्वयं सहायता समूह द्वारा, 35 महिला मंडलों द्वारा चलाए जा रहे थे। स्वामित्व के आधार पर एफपीएस की संख्या तालिका 5.4 में दी गई है

सारणी 5.4

स्वामित्व के प्रकार द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की संख्या

क्र. सं.	स्वामित्व के प्रकार	इकाई
1	सहकारी समितियाँ	3,387
2	पंचायतों	25
3	एच.पी.एस.सी.एस.सी.	48
4	व्यक्तियों	1,812
5	स्वयं सहायता समूह	23
6	महिला मंडल	35
	कुल	5,330

राज्य में, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कुल 19,32,150 राशन कार्ड हैं, इन कार्ड धारकों को 5,330 के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं प्रदान की जाती हैं। वर्ष 2024–25 के दौरान दिसंबर, 2024 तक आवश्यक वस्तुओं का वितरण तालिका 5.5 में निम्नानुसार दिया गया है।

सारणी 5.5

आवश्यक वस्तुओं का वितरण

क्र0 सं0	वस्तु का नाम	इकाई	वस्तुओं का वितरण दिसम्बर, 2024 तक (बैकलॉग सहित)
1.	गेहूँ/गेहूँ का आटा (ए.पी.एल.)	मी. टन	1,25,770
2.	चावल (ए.पी.एल.)	मी. टन	59,220
3.	गेहूँ/ आटा (बी.पी.एल.)/(पी.एच.एच.)/ए.ए. वाई/एन.एफ.एस.ए.	मी. टन	1,01,276

4.	चावल (बी.पी.एल.)/(पी.एच.एच.)/.ए.ए. वाई/एन.एफ.एस.ए.	मी. टन	81,663
5.	चीनी	मी. टन	29,018
6.	दालें	मी. टन	29,963
7.	आयोडीन नमक	मी. टन	7,801
8.	सरसों का तेल	कि. लीटर	19,521

स्रोतः खाद्य एवं आपूर्ति विभाग एवं उपभोक्ता मामले, हिमाचल प्रदेश सरकार

वर्तमान में, टी.पी.डी.एस. और हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा विशेष अनुदानित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित खाद्य सामग्री वितरित की जा रही है जो सारणी 5.6 के अनुसार है:

सारणी 5.6

राज्य विशेष रूप से सब्सिडी योजना और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.)

वस्तुओं की मात्रा का वितरण व रेट प्रति राशन कार्ड/प्रति परिवार /प्रति सदस्य/प्रति माह

हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल, 2007 से सभी राशन कार्ड धारकों के लिए राज्य विशेष अनुदानित योजना शुरू की है जिसे समय–समय पर संषोधित किया गया है। उपभोक्ता को 4 में से 3 दालों का विकल्प दिया गया है।

क्र. स.	वस्तु का नाम	एन.एफ.एस.ए.	ओ.टी.एन.एफ.एस.ए. (ए.पी.एल.)	ए.पी.एल. आयकरदाता	मात्रा
1	दाल चना	₹ 65.00 प्रति कि.ग्रा.	₹65.00 प्रति कि.ग्रा.	₹69.00 प्रति कि.ग्रा.	3 किलोग्राम सभी राशन कार्ड धारको के लिए प्रति माह प्रति परिवार
2	दाल उड़द साबुत	₹ 58.00 प्रति कि.ग्रा.	₹68.00 प्रति कि.ग्रा.	₹93.00 प्रति कि.ग्रा.	
3	मूंग साबुत	₹ 71.00 प्रति कि.ग्रा.	₹81.00 प्रति कि.ग्रा.	₹106.00 प्रति कि.ग्रा.	
4	दाल मलका	₹ 56.00 प्रति कि.ग्रा.	₹66.00 प्रति कि.ग्रा.	₹91.00 प्रति कि.ग्रा.	
5	खाद्य तेल (फॉर्टीफाईड मर्स्टड ऑयल)	₹123.00 प्रति लीटर	₹123.00 प्रति लीटर	₹129.00 प्रति लीटर	1 लीटर 1 व 2 सदस्य तक, 2 लीटर 3 व 3 से ज्यादा वाले परिवार को प्रति राशन कार्ड/ प्रति माह
6	खाद्य तेल (फॉर्टी फाईड) रिफांईड ऑयल	₹97.00 प्रति लीटर	₹97.00 प्रति लीटर	₹102.00 प्रति लीटर	
7	(डबल फॉर्टी फाईड आयोडीन नमक)	₹ 8.00 प्रति कि.ग्रा.	₹8.00 प्रति कि.ग्रा.	₹17.00 प्रति कि.ग्रा.	1 किलोग्राम सभी राशन कार्ड धारको के लिए प्रति माह प्रति परिवार
8	चीनी	₹13.00 प्रति कि.ग्रा.	₹33.00 प्रति कि.ग्रा.	₹45.00 प्रति कि.ग्रा.	500 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमाहः नोटः– अन्तोदय परिवार के एक या दो सदस्य वाले लाभार्थी परिवार को 1 किलो ग्राम चीनी प्रतिमाह व दो से ज्यादा सदस्य वाले लाभार्थी परिवार को 500 ग्राम अतिरिक्त चीनी प्रतिमाह @ ₹13.00 प्रति किलो की दर से उपलब्ध करवाई जा रही है।
9	**ए.पी.एल. और ए.पी.एल. आयकरदाता के अलावा**				
14 किलोग्राम फॉर्टीफाईड गंदम आटा @ ₹12.00 प्रति किलो/ गन्दम, @ 7.60 प्रति किलोग्राम व 6 किलोग्राम चावल @ ₹13 प्रति किलो ग्राम प्रति परिवार प्रति माह					
नोट : राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के ए.पी.एल. उपभोक्ताओं को 20 किग्रा. गेहूं/फोर्टिफाईड गेहूं का आटा और 15 किग्रा. चावल प्रति परिवार प्रति माह सितम्बर, 2014 से उपलब्ध करवाया जा रहा है।					
10	एन.एफ.एस.ए.				

<table>
<tr><td>(i)</td><td>अन्तोदय परिवार राशन कार्ड धारको के लिए</td><td>18.800 किलोग्राम फॉर्टीफाइड गन्दम आटा @ ₹1.20 प्रति किलो/20 किलोग्राम गंदम व 15 किलो चावल प्रति परिवार प्रति माह मुफ्त।</td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td>प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए</td><td>2.8 किलोग्राम फॉर्टीफाइड गंदम आटा @ ₹1.20 प्रति किलोग्राम, या गंदम 3 किलोग्राम व 2 किलोग्राम चावल मुफ्त प्रति सदस्य प्रति माह ।
1,2,3 सदस्य वाले प्राथमिकी गृहस्थियां परिवारों को राज्य के ओ.टी.एन.एफ.एस.ए. आवंटन से ओ.टी.एन. एफ.एस.ए. (ए.पी.एल.) की दरों पर अतिरिक्त खाद्यान्न (गंदम व चावल) उपलब्ध करवाया जाता है ताकि उनकी पात्रता क्रमशः 10,15,20 किलोग्राम प्रति राशनकार्ड हो सके।</td></tr>
<tr><td></td><td>बी.पी.एल. (बी.पी.एल. दरों पर एन.एफ.एस.ए. पात्रता के अतिरिक्त)</td><td>वितरित की जा रही फॉर्टीफाइड गन्दम/गंदम आटा/चावल @ ₹5.25/@ ₹9.30 कि0ग्रम/@ ₹10.00 प्रति कि0 ग्राम का विवरण निम्न प्रकार से है:
<table>
<tr><th>योजना</th><th>1 सदस्य वाले परिवार के लिए</th><th>2 सदस्य वाले परिवार के लिए</th><th>3 सदस्य वाले परिवार के लिए</th><th>4 सदस्य वाले परिवार के लिए</th><th>5 सदस्य वाले परिवार के लिए</th><th>6 सदस्य वाले परिवार के लिए</th></tr>
<tr><td>गन्दम/ गंदम आटा</td><td>17 कि.ग्रा.</td><td>14 कि.ग्रा.</td><td>11 कि.ग्रा.</td><td>8 कि.ग्रा.</td><td>5 कि.ग्रा.</td><td>2 कि.ग्रा.</td></tr>
<tr><td>चावल</td><td>13 कि.ग्रा.</td><td>11 कि.ग्रा.</td><td>9 कि.ग्रा.</td><td>7 कि.ग्रा.</td><td>5 कि.ग्रा.</td><td>3 कि.ग्रा.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

5.3 हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (एच.पी.एस.सी.एस.सी.)

एच.पी. स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड राज्य में सभी नियंत्रित और गैर–नियंत्रित आवश्यक वस्तुओं के लिए एक केंद्रीय खरीद एजेंसी है और टी.पी.डी.एस, एन. एफ.एस.ए. और अन्य सरकारी योजनाओं के तहत खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीद और वितरण करती है। वर्ष 2024–25 के दौरान दिसंबर, 2024 तक निगम ने ₹1681. 76 करोड़ रुपये का कुल कारोबार हासिल किया है।

वर्तमान में, निगम अपने 121 थोक गोदामों, 47 उचित मूल्य की दुकानों, 54 गैस एजेंसियों, 4 पेट्रोल पंपों और 41 दवा दुकानों के माध्यम से राज्य के हर नुक्कड़ और कोने में उपभोक्ताओं को उचित दरों पर चावल, गेहूं, आटा, नमक, दालें, चीनी, खाद्य तेल, रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी के तेल, दवाइयां और अन्य सभी आवश्यक वस्तुएं जैसी नियंत्रित और गैर–नियंत्रित वस्तुएं प्रदान कर रहा है। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान, दिसंबर, 2024 तक, निगम ने राज्य में आम जनता को अनुदानित योजना के अन्तर्गत ₹693.06 करोड़ की विभिन्न वस्तुओं की खरीद और वितरण किया है। निगम संबंधित उपायुक्त द्वारा किए गए आवंटन के अनुसार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में दोपहर भोजन योजना के तहत चावल और अन्य पूरक वस्तुओं की आपूर्ति की व्यवस्था कर रहा है। वर्तमान वित्त वर्ष 2024–25 (दिसम्बर, 2024 तक) के दौरान निगम ने इस योजना के अंतर्गत 9,789.79 मीट्रिक टन चावल के वितरण की व्यवस्था की है। निगम सरकार द्वारा गठित क्रय समिति के निर्णयों के अनुसार राज्य प्रायोजित योजना के तहत विशेष अनुदानित वस्तुओं (विभिन्न प्रकार की दालें, फोर्टिफाइड सरसों और रिफाइंड तेल और आयोडीन युक्त नमक) की आपूर्ति की व्यवस्था भी कर रहा है। वर्तमान वितीय वर्ष 2024–25 के दौरान (दिसम्बर, 2024 तक) निगम ने उक्त योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पैमाने के

अनुसार राशन कार्ड धारकों को ₹454.10 करोड़ की वस्तुएं वितरित की हैं। राज्य सरकार वर्ष 2024–25 के दौरान इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य अनुदान के रूप में ₹197.54 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। वर्ष 2024–25 के दौरान निगम का कुल कारोबार लगभग ₹2100 करोड़ रहेगा जबकि वर्ष 2023–24 के दौरान यह ₹1730.81 करोड़ था।

5.3.1 सरकारी आपूर्ति

एच.पी. स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड सरकारी अस्पतालों को आयुर्वेदिक दवाइयाँ, सरकारी विभागों/बोर्डों/निगमों और अन्य सरकारी संस्थानों को सीमेंट और जल शक्ति विभाग को गैल्वेनाइज्ड आयरन (जी.आई.), डक्टाइल आयरन (डी. आई.), कास्ट आयरन (सी.आई.) पाइप की खरीद और आपूर्ति का प्रबंधन कर रहा है। वर्तमान वित्त वर्ष 2024–25 से दिसंबर, 2024 तक सरकारी आपूर्ति की स्थिति इस प्रकार है:

सारणी 5.7

क्र. सं.	वस्तुएं	₹करोड़ में
1.	आयुर्वेदिक दवाईयों की आपूर्ति	4.85
2.	सीमेंट की आपूर्ति (सरकारी विभागों/बार्डों/निगमों को)	110.84
3.	जी.आई./डी.आई/सी.आई. पाईप	–
	जोड़	**115.69**

5.3.2 सरकारी मनरेगा सीमेंट की आपूर्ति

वर्ष 2024–25 (दिसम्बर, 2024 तक) के दौरान निगम ने राज्य में विकास कार्यों के लिए विभिन्न पंचायतों को ₹101.93 करोड़ की राशि के 32,36,660 सीमेंट बैग की खरीद और वितरण का प्रबंधन किया।

5.3.3 राज्य के आदिवासी एवं दुर्गम क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा

निगम जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में सभी आवश्यक वस्तुओं, केरोसिन तेल और द्रवित पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) सहित पेट्रोलियम उत्पादों को उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां निजी व्यापारी व्यापार की आर्थिक अव्यवहार्यता के कारण इन कार्यों को करने का जोखिम नहीं उठाते हैं।

5.3.4 दवाई की दुकानें

वित्तीय वर्ष 2024–25 में AIMSS, चमियाना में एक नई दवा की दुकान खोली गई है, जिससे इस निगम द्वारा संचालित की जा रही दवा की दुकानों की कुल संख्या 41 हो गई है। इसके अलावा, राज्य भर में विभिन्न स्थानों पर 12 अतिरिक्त दवा की दुकानें स्थापित करने का प्रस्ताव है।

5.3.5 किसानों से धान एवं गेहूं की खरीद

राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार, निगम ने नोडल खरीद एजेंसी के रूप में विभिन्न विभागों/एजेंसियों खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, कृषि विभाग, भूमि अभिलेख विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड और भारतीय खाद्य निगम आदि की सहायता से खरीफ मिलिंग सीजन (के.एम.एस.), 2021–22 और रबी मिलिंग सीजन (आर.एम.एस.), 2022–23 से किसानों से सीधे धान और गेहूं की खरीद शुरू कर दी है। इस वर्ष, रबी मिलिंग सीजन (आर.एम.एस.) 2024–25 में निगम द्वारा 10 क्रय केंद्रों पर ₹6.55 करोड़ की लागत से कुल 2,880.25 मीट्रिक टन गेहूं सीधे किसानों से खरीदा गया है, जिससे राज्य भर में 645 किसान लाभान्वित हुए हैं। इस वर्ष खरीफ मिलिंग सीजन (के. एम.एस.) 2024–25 में निगम द्वारा 12 क्रय केंद्रों पर ₹85.34 करोड़ की लागत से कुल 36,901.76 मीट्रिक टन धान किसानों से सीधे खरीदा गया है, जिससे राज्य भर में 5,572 किसान लाभान्वित हुए हैं।

5.3.6 किसानों से मक्का खरीद

हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार, निगम द्वारा कृषि विभाग के माध्यम से "प्राकृतिक खेती के अन्तर्गत उत्पादित मक्का" की खरीद की गई है। वर्तमान वर्ष के दौरान, खरीफ मिलिंग सीजन (के.एम.एस.) 2024–25 में, निगम द्वारा 24 खरीद केंद्रों से ₹1.19 करोड़ की लागत से कुल 398.97 मीट्रिक टन मक्का सीधे किसानों से खरीदा गया है, जिससे राज्य भर में 1,508 किसान लाभान्वित हुए हैं। राज्य में उपभोक्ताओं को 1 किलोग्राम और 5 किलोग्राम की पैकिंग में "हिम भोग" ब्रांड नाम से मक्की का आटा वितरित किया जा रहा है।

निष्कर्ष, वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान हिमाचल प्रदेश में मुद्रास्फीति के रुझान, उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में उतार–चढ़ाव के बावजूद एक स्थिर आर्थिक वातावरण को दर्शाते हैं। वित्त वर्ष 2023–24 में सी.पी.आई.–सी. मुद्रास्फीति 5.0 प्रतिशत थी, जो घटकर 2024–25 में 4.2 प्रतिशत रह गई। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भी मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति समान रही। विशेष रूप से, सी.पी.आई.–औद्योगिक श्रमिक मुद्रास्फीति 2.2 प्रतिशत के निम्न स्तर पर बनी रही। राज्य में मुद्रास्फीति मुख्य रूप से खाद्य कीमतों से प्रभावित हुई, जिसमें खाद्य और पेय पदार्थ समूह का सबसे बड़ा योगदान रहा। तुलनात्मक रूप से, हिमाचल प्रदेश ने कई अन्य राज्यों से अपेक्षाकृत कम सी.पी.आई.–सी. मुद्रास्फीति दर बनाए रखी, जो प्रभावी आर्थिक प्रबंधन और नीतिगत उपायों की सफलता को दर्शाता है।

******

अध्याय
6





कृषि और बागवानी





मुख्य विचार

- प्रचलित कीमतों पर जी.एस.वी.ए. में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का योगदान 2020–21 में ₹20,838 करोड़ से 53 प्रतिशत बढ़कर 2024–25 में अग्रिम अनुमान (अ.अ.) के अनुसार ₹31,879 करोड़ हो गया है। 2020–21 से 2024–25 के बीच (2020–21 में ₹12,341 करोड़ से 2024–25 में ₹21,912 करोड़) प्रचलित कीमतों पर फसलों के जी.एस.वी.ए. में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। प्रचलित कीमतों पर जी.एस.वी.ए. में फसल क्षेत्र का योगदान इसी अवधि में 78 प्रतिशत बढ़ गया है।
- वित्त वर्ष 2024–25 में प्रचलित कीमतों पर कुल जी.एस.वी.ए. में वानिकी का हिस्सा 3.10 प्रतिशत और कृषि और संबद्ध क्षेत्र जी.एस.वी.ए. का 21.09 प्रतिशत था। वानिकी उप–क्षेत्र वित्त वर्ष 2023–24 में –1.5 प्रतिशत के मुकाबले वित्त वर्ष 2024–25 में 4.0 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है।
- वित्त वर्ष 2024–25 में प्रचलित कीमतों पर मत्स्य पालन उपक्षेत्र कुल जी.एस.वी.ए. का केवल 0.14 प्रतिशत और कृषि और संबद्ध क्षेत्र जी.एस.वी.ए. का 0.94 प्रतिशत है। पिछले दस वर्षों में मत्स्य पालन क्षेत्र की वृद्धि उत्साहजनक रही है। मत्स्य उप–क्षेत्र वित्त वर्ष 2023–24 में 6.3 प्रतिशत के समकक्ष वित्त वर्ष 2024–25 में 7.0 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है।
- वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, राज्य के कुल फसल उत्पादन में खाद्यान्न का योगदान लगभग 41.75 प्रतिशत और वाणिज्यिक फसलों का योगदान 58.25 प्रतिशत था।
- राज्य में कृषि विभाग की 11 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं, 3 उर्वरक और बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं, 2 जैव नियंत्रण प्रयोगशालाएं, एक राज्य कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशाला और एक जैव उर्वरक उत्पादन और गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला है।
- सेब का क्षेत्रफल 1950–51 में 400 हेक्टेयर से बढ़कर 1960–61 में 3,025 हेक्टेयर और 2023–24 में 1,16,240 हेक्टेयर हो गया है।
- वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान ₹45.18 करोड़ से 37,653.42 मीट्रिक टन सी–ग्रेड सेब की खरीद की गई।
- 2023–24 में कुल फलों का उत्पादन 6.37 लाख टन था, जबकि वित्त वर्ष 2024–25 में 31 दिसम्बर, 2024 तक फलों का उत्पादन 5.92 लाख टन रहा।

6.1 परिचय

कृषि, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में, देश के सामाजिक–आर्थिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीय कृषि का एक विविध और व्यापक क्षेत्र है जिसमें बड़ी संख्या में कारक शामिल हैं। यह हरित क्रांति प्रौद्योगिकियों के सहयोग से स्वतंत्रता के बाद के युग की उल्लेखनीय सफलता की कहानियों में से एक रही है। हरित क्रांति ने खाद्य आत्मनिर्भरता और बेहतर ग्रामीण कल्याण प्रदान करके भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान दिया। हरित क्रांति के संदर्भ में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (एन.ए.आर.एस.) की भूमिका अनिवार्य थी।

भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी और संस्थागत रूप से सबसे जटिल कृषि अनुसंधान प्रणालियों में से एक है। ऐतिहासिक रूप से, भारतीय कृषि अनुसंधान प्रणाली उस प्रक्रिया का उच्चतम स्तर है जो 19वीं शताब्दी में शुरू हुई और जिसके परिणामस्वरूप 1929 में कृषि पर रॉयल कमीशन की सिफारिश पर इंपीरियल (अब भारतीय) कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) की स्थापना हुई।

हिमाचल प्रदेश की कृषि विशेषकर खाद्यान्न उत्पादन में कुछ सीमाओं से ग्रस्त है। इसका एक कारण यह है कि खेती का क्षेत्र किसी उल्लेखनीय सीमा तक नहीं बढ़ाया जा सकता है। खाद्यान्न की खेती के लिए पहाड़ियों की ढलानों पर भूमि का पुनर्ग्रहण न तो सस्ती है और न ही लाभदायक है। कृषि–जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल नकदी फसलें उगाकर किसान अधिक लाभ कमा सकते हैं। दूसरा कारण यह है कि पहाड़ों से भूमि के पुनर्ग्रहण से मिट्टी के कटाव का खतरा बढ़ जाता है। यह अध्याय हिमाचल प्रदेश में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को बढ़ावा देने वाले प्रमुख रुझानों, सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के वारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है।

कृषि हिमाचल प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय है और राज्य की अर्थव्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह राज्य के कुल श्रमिकों के लगभग 53.95 प्रतिशत को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान कुल जी.एस.वी.ए का लगभग 14.70 प्रतिशत कृषि और उसके संबद्ध क्षेत्रों से आता है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 55.67 लाख हेक्टेयर में से परिचालन क्षेत्र लगभग 9.44 लाख हेक्टेयर और 9.97 लाख हेक्टेयर संचालित है। किसान औसत जोत का आकार लगभग 0.95 हेक्टेयर है। 2015–16 की कृषि जनगणना के अनुसार भूमि जोत के वितरण से पता चलता है कि कुल जोत का 88.85 प्रतिशत छोटे और सीमांत किसानों का है, लगभग 10.85 प्रतिशत जोत अर्ध मध्यम और मध्यम किसानों के पास है और केवल 0.30 प्रतिशत बड़े किसानों के पास है।

6.1.1 कृषि और उसके उप–क्षेत्रों का योगदान

पिछले कुछ वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के योगदान में निरंतर वृद्धि हुई है। मौजूदा कीमतों पर जी.एस.वी.ए. में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का योगदान 2020–21 में ₹20,838 करोड़ से 53 प्रतिशत बढ़कर 2024–25 में ₹31,879 करोड़ अग्रिम अनुमान (अ.अ.) हो गया है। 2020–21 से 2024–25 के बीच (2020–21 में ₹12,341 करोड़ से 2024–25 में ₹21,912 करोड़) मौजूदा कीमतों पर फसलों के जी.एस.वी.ए. में उल्लेखनीय सुधार हुआ है । मौजूदा कीमतों पर जी.एस.वी.ए. में फसल क्षेत्र का योगदान इसी अवधि में 78 प्रतिशत बढ़ गया है।

2020–21 से 2024–25 (अ.अ.) के बीच, हिमाचल प्रदेश में कृषि, वानिकी, पशुधन और मत्स्य पालन की जी.एस.वी.ए. (प्रचलित कीमतों पर) में 11.22 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सी.ए.जी.आर.) देखी गई है। फसल क्षेत्र 15.43 प्रतिशत की सी.ए.जी.आर. के साथ इस वृद्धि का एक प्रमुख चालक था, कृषि और संबद्ध गतिविधियों के जी.एस.वी.ए. में इस क्षेत्र का योगदान 2020–21 में 59.2 प्रतिशत से बढ़कर 2024–25 में 68.7 प्रतिशत हो गया है। राज्य में कुल जी.एस.वी.ए. में कृषि और संबद्ध क्षेत्र की हिस्सेदारी पिछले पांच वर्षों में 13–15 प्रतिशत के बीच रही है।

6.1.2 कृषि और उसके उप–क्षेत्रों का विकास

अग्रिम अनुमान के अनुसार, कृषि और संबद्ध क्षेत्र जी.एस.वी.ए. में वित्त वर्ष 2024–25 में स्थिर कीमतों पर 3.07 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2023–24 में –2.63 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल की गई थी। हिमाचल प्रदेश में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में वृद्धि का मुख्य कारण फसल उप स्त्रोत की वृद्धि है।

6.1.2.1 फसल–उप–क्षेत्र

फसल उप–क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में कृषि के अन्तर्गत प्रमुख उप–क्षेत्र है, जो वित्त वर्ष 2024–25 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र जी.वी.ए. का 68.73 प्रतिशत और कुल जी.एस.वी.ए. का 10.1 प्रतिशत है (चित्र 6.1 और 6.2)। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, कृषि और संबद्ध क्षेत्र जी.एस.वी.ए. में पशुधन, मत्स्य पालन और वानिकी का योगदान क्रमशः 9.24 प्रतिशत, 0.94 प्रतिशत और 21.09 प्रतिशत रहा (चित्र 6.1)

चित्र 6.1

कुल कृषि जी.एस.वी.ए. में कृषि उपक्षेत्रों का योगदान वर्ष 2024–25

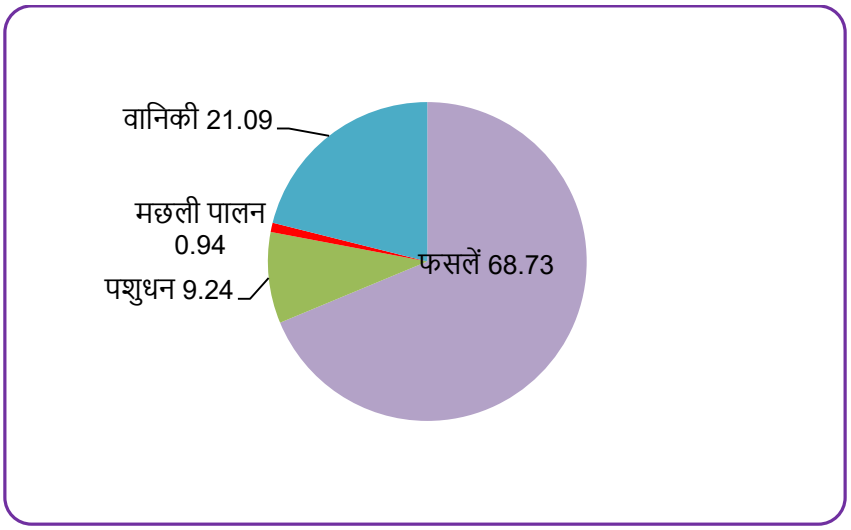

स्त्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग, हिमाचल प्रदेश।

चित्र 6.2

प्रचलित कीमतों पर 2020–21 और 2024–25 (अ.अ.) के बीच जी.एस.वी.ए. में कृषि और संबद्ध गतिविधियों का योगदान

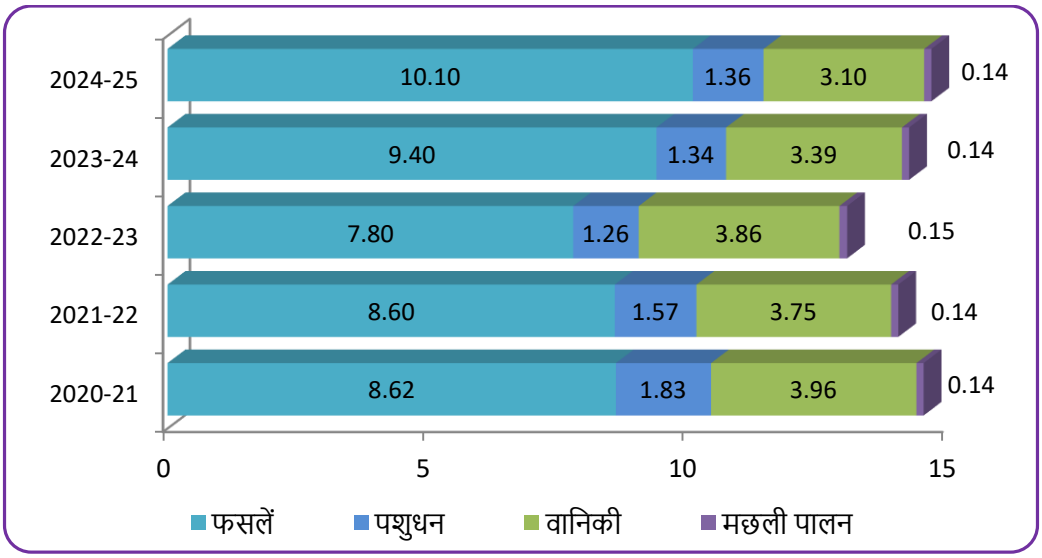

स्त्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग, हिमाचल प्रदेश।

6.1.2.2 पशुधन

पशुधन क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था, विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह न केवल किसानों की आय में योगदान देता हैं बल्कि किसी भी प्राकृतिक आपदा के खिलाफ उनके सर्वोत्तम बीमा में भी योगदान देता हैं। फसल उत्पादन की क्षमता

भारी निवेश, मौसम और मौसम संबंधी स्थितियों पर निर्भर करती है। तुलनात्मक रूप से, पशुधन क्षेत्र अधिक स्थिर हैं और इसे कम निवेश की आवश्यकता होती है। इसमें काफी संभावनाएं हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था में इनके योगदान की काफी संभावनाएं है। इसके अलावा, पशुधन और मुर्गीपालन कई संकटपूर्ण स्थितियों में, विशेषकर सूखे आदि के मामले में, ग्रामीण गरीबों के लिए जीवन रक्षक साबित हुए हैं। इसे और इस क्षेत्र की विकास क्षमता को समझते हुए, इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। वित्त वर्ष 2024–25 में पशुधन उपक्षेत्र कुल जी.एस.वी.ए. का 1.36 प्रतिशत और कृषि और संबद्ध क्षेत्र जी.एस.वी.ए. का 9.24 प्रतिशत है। पशुधन उप–क्षेत्र की वृद्धि दर 2024–25 में 5.2 प्रतिशत हो गया है।

6.1.2.3 वानिकी

वित्त वर्ष 2024–25 में प्रचलित कीमतों पर कुल जी.एस.वी.ए. में वानिकी का हिस्सा 3.10 प्रतिशत और कृषि और संबद्ध क्षेत्र जी.एस.वी.ए. का 21.09 प्रतिशत था। वानिकी उप–क्षेत्र वित्त वर्ष 2023–24 में –1.5 प्रतिशत के समकक्ष वित्त वर्ष 2024–25 में 4.0 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है।

6.1.2.4 मत्स्य पालन

वित्त वर्ष 2024–25 में प्रचलित कीमतों पर मत्स्य पालन उपक्षेत्र कुल जी.एस.वी.ए. का केवल 0.14 प्रतिशत और कृषि और संबद्ध क्षेत्र जी.एस.वी.ए. का 0.94 प्रतिशत है। पिछले दस वर्षों में मत्स्य पालन क्षेत्र की वृद्धि उत्साहजनक रही है। मत्स्य उप–क्षेत्र वित्त वर्ष 2023–24 में 6.3 प्रतिशत के मुकाबले वित्त वर्ष 2024–25 में 7.0 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है।

6.2 भूमि उपयोग का स्वरूप

हिमाचल प्रदेश 55,673 वर्ग किलोमीटर (वर्ग कि.मी) के भौगोलिक क्षेत्र के साथ भारत में 17वें और दुनिया में 126वें स्थान पर है। कुल भौगोलिक क्षेत्र में से 11.49 प्रतिशत क्षेत्र शुद्ध बुवाई क्षेत्र के अंतर्गत आता है और लगभग 24.55 प्रतिशत वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लगभग 7.98 प्रतिशत गैर–कृषि उपयोग वाली भूमि, परती भूमि 1.53 प्रतिशत, बंजर और अकृषि योग्य भूमि 16.73 प्रतिशत है (चित्र 6.3)

चित्र 6.3

भूमि उपयोग का स्वरूप

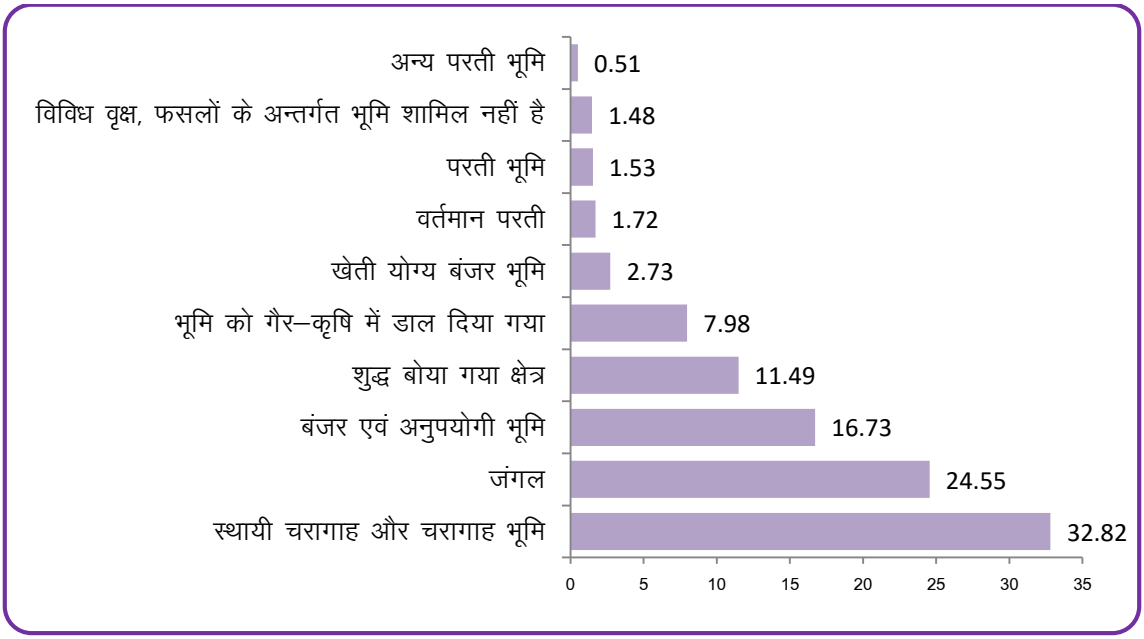

स्त्रोतः कृषि विभाग, हिमाचल प्रदेश।

6.2.1 भूमि जोत का स्वरूप

राज्य में परिचालन जोत की कुल संख्या 9.97 लाख है जो 9.44 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करती है और जोत का औसत आकार 0.95 हेक्टेयर है। सारणी–6.1 और चित्र 6.4 में जोत का आकार, संचालित क्षेत्र और भूमि स्वामित्व की प्रत्येक श्रेणी का प्रतिशत और संचालित क्षेत्र दर्शाया गया है।

सारणी 6.1

हिमाचल प्रदेश में भूमि जोत का वितरण

आकार वर्ग (हेक्टेयर)	जोतों की संख्या (लाख)	संचालित क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)	जोतों का औसत आकार (हेक्टेयर)
सीमांत (1.0 से नीचे)	7.12	2.85	0.40
छोटा (1.0–2.0)	1.73	2.42	1.39
अर्ध मध्यम (2.0–4.0)	0.82	2.23	2.72
मध्यम (4.0–10.0)	0.26	1.46	5.62
बड़ा (10.0 और ऊपर)	0.03	0.47	15.67
कुल	**9.97**	**9.44**	**0.95**

स्त्रोतः कृषि विभाग, हिमाचल प्रदेश।

चित्र 6.4

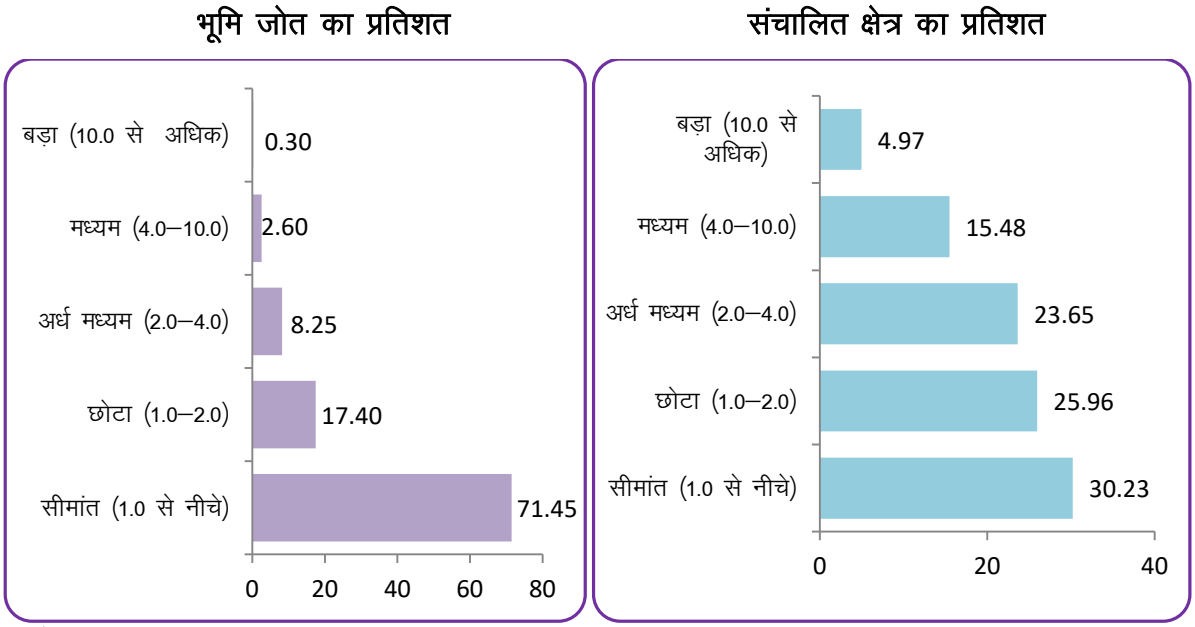

स्त्रोतः कृषि विभाग, हिमाचल प्रदेश।

6.2.2 वर्षा

हिमाचल प्रदेश में जून से सितंबर, 2024 तक 602 मिलीमीटर (मि.मी.) बारिश हुई, जो सामान्य बारिश 734 मि.मी. से 132 मि.मी. कम है। इसी प्रकार अक्टूबर से दिसंबर, 2024 तक राज्य में 50 मि.मी. वर्षा हुई जो सामान्य वर्षा 83 मि.मी. से 33 मि.मी. कम है (चित्र 6.5)।

चित्र 6.5

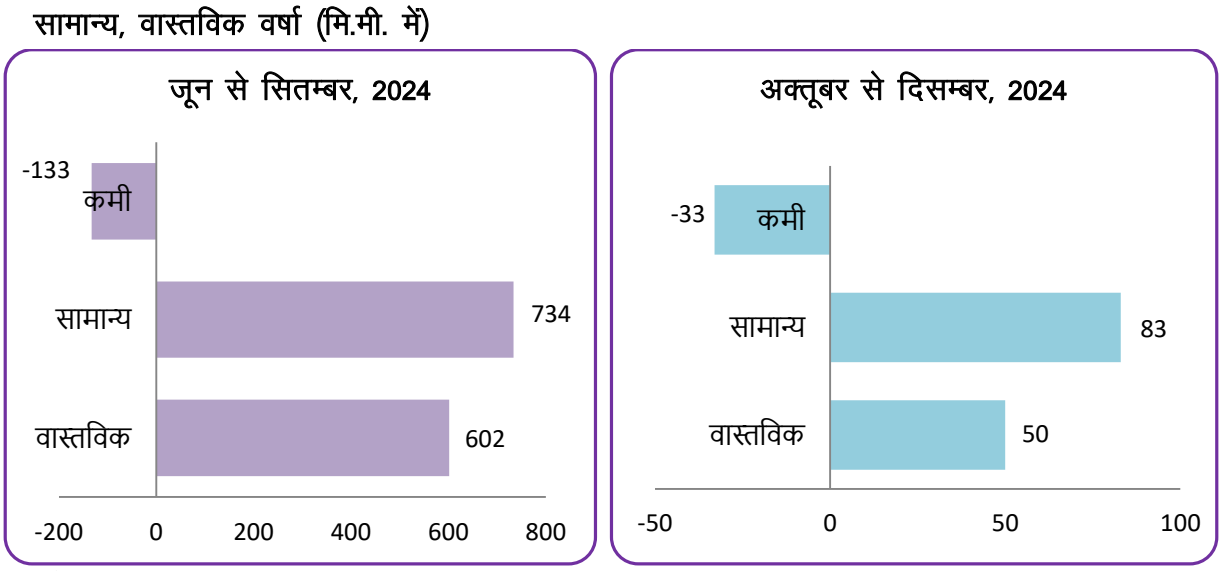

स्त्रोतः कृषि विभाग, हिमाचल प्रदेश।

चित्र 6.6

औसत वार्षिक वर्षा 2020 से 2023 (वास्तविक मि.मी. में)

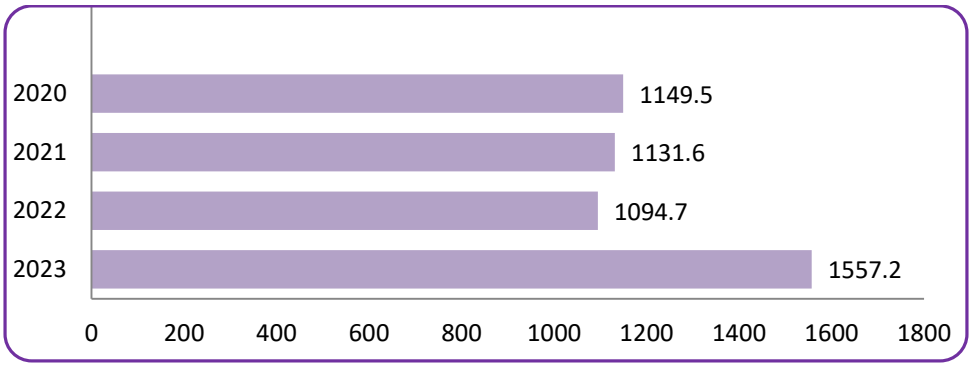

राज्य में खेती योग्य भूमि का लगभग 80 प्रतिशत वर्षा आधारित कृषि है। चावल, मक्का और गेहूं राज्य की प्रमुख फसलें हैं। सोयाबीन और सूरजमुखी खरीफ में प्रमुख तिलहनी फसलें हैं और रेपसीड/सरसों और तोरिया रबी में प्रमुख तिलहनी फसलें हैं। राज्य की प्रमुख दलहनी फसलों में खरीफ मौसम में माश, मूंग और राजमाश और रबी मौसम में चना और मसूर शामिल हैं। कृषि–जलवायु की दृष्टि से, राज्य को चार क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: (i) उपोष्णकटिबंधीय, उप पर्वत और निचली पहाड़ियाँ, (ii) उप समशीतोष्ण नमी वाले मध्य पर्वतीय क्षेत्र, उप आर्द्र मध्य (iii) आर्द्र शीतोष्ण ऊँची पहाड़ियाँ, और (iv) ठंडे रेगिस्तान। राज्य की कृषि –जलवायु विशेषताएं नकदी फसलों जैसे बीज आलू, बेमौसमी सब्जियां और अदरक के विकास के लिए अनुकूल हैं। राज्य सरकार बेमौसमी सब्जी उत्पादन, आलू, अदरक, दलहन और तिलहन के साथ–साथ जल संसाधनों के कुशल उपयोग के अन्तर्गत अधिक क्षेत्र लाना और बंजर भूमि विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन करना है। समय पर और पर्याप्त इनपुट आपूर्ति, प्रदर्शन और बेहतर कृषि प्रौद्योगिकी के प्रभावी प्रसार, एकीकृत प्रचार के माध्यम से अनाज की फसल की उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। वर्षा के संदर्भ में, चार अलग–अलग मौसम हैं। लगभग आधी वर्षा मानसून के मौसम में होती है, शेष अन्य मौसमों के दौरान होती है। राज्य में औसत वर्षा 1,251 मि.मी. है। कांगड़ा में सबसे अधिक वर्षा उसके बाद चंबा, सिरमौर और मंडी का स्थान आता है।

6.3 कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ: उत्पादन में रुझान

6.3.1 बोया गया क्षेत्र

शुद्ध बोया गया क्षेत्र (एन.एस.ए.) 2021–22 में 527 हजार हेक्टेयर से मामूली बढ़कर 2022–23 में 532 हजार हेक्टेयर हो गया है। गेहूं, मक्का, चावल, जौ और दालें राज्य में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं। संचयी रूप से, इन फसलों का क्षेत्रफल खेती के कुल

क्षेत्रफल का लगभग 80 प्रतिशत है। वर्तमान में, गेहूं (35.87 प्रतिशत) और मक्का (28.73 प्रतिशत) की खेती कुल क्षेत्रफल का 65 प्रतिशत है।

6.3.2 प्रमुख फसलों का उत्पादन

हिमाचल प्रदेश में 2021–22 से 2024–25 तक प्रमुख फसलों का उत्पादन सारणी 6. 2 में प्रस्तुत किया गया है, वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, राज्य के कुल फसल उत्पादन में खाद्यान्न का योगदान लगभग 41.75 प्रतिशत और वाणिज्यिक फसलों का योगदान 58.25 प्रतिशत था। जैसा कि सारणी 6.2 में दिखाया गया है, वर्ष 2024–25 में छोटे अनाज के उत्पादन में 76.15 प्रतिशत और मक्का में 3.33 प्रतिशत की बढ़ोतरी और गेहूं में –19.76 प्रतिशत की कमी का अनुमान है।

सारणी 6.2

प्रमुख फसलों का उत्पादन (000 मीट्रिक टन में)

फसलें	2021-22	2022-23	2023–24	2024–25 अनुमानित	2023–24 की तुलना में 2024–25 में वृद्धि प्रतिशत	कुल उत्पादन में योगदान 2024–25
1. धान/ चावल	151.39	130.06	172.86	161.82	-6.39	4.49
2. मक्का	703.26	680.65	607.94	628.18	3.33	17.43
3. रागी	1.06	1.07	0.96	0.90	-6.25	0.02
4. छोटे अनाज और बाजरा	1.41	1.33	1.30	2.29	76.15	0.06
5. गेहूँ	642.24	614.15	782.66	628.00	-19.76	17.43
6. जौ	28.28	26.42	30.72	30.00	-2.34	0.83
7. चना	0.27	0.20	0.19	0.37	94.74	0.01
8. दालें	51.51	44.00	46.92	52.79	12.51	1.47
ए. अनाज (1–8)	1579.42	1497.88	1643.55	1504.35	-8.47	41.75
9. आलू	195.15	194.50	195.09	195.00	-0.05	5.41
10. सब्जियां	1803.89	1867.41	1849.80	1870.00	1.09	51.90
11. अदरक (हरा)	33.94	32.80	33.15	34.00	2.56	0.94
बी. वाणिज्यिक फसलें	2032.98	2094.71	2078.04	2099.00	1.01	58.25
कुल योग (ए+बी)	3612.40	3592.59	3721.59	3603.35	-7.46	100.00

स्त्रोतः कृषि विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार।

6.3.3 उत्पादकता में प्रचलन

कृषि उत्पादकता कई कारकों जैसे सिंचाई, गुणवत्ता वाले बीजों, उर्वरकों और कीटनाशकों, विस्तार सेवाओं, ग्रामीण बुनियादी ढांचे आदि के उपयोग से संचालित होती है। क्षेत्र विस्तार के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने की क्षमता अपेक्षाकृत सीमित है। खेती योग्य भूमि

के मामले में, हिमाचल पहले ही देश के बाकी हिस्सों के समान एक पठार पर पहुंच गया है। नतीजतन, उत्पादकता के स्तर में वृद्धि और उच्च मूल्य वाली फसलों में विविधता दोनों प्राथमिकताएं हैं। खाद्यान्न उत्पादन के लिए उपयोग किया जाने वाला क्षेत्र धीरे–धीरे कम होता जा रहा है क्योंकि व्यावसायिक फसलों की ओर झुकाव बढ़ रहा हैं वर्ष 1997–98 में यह 853.88 हजार हेक्टेयर था लेकिन वित्त वर्ष 2023–24 में केवल 688.69 हजार हेक्टेयर रह गया है। खाद्य फसलों के अन्तर्गत प्रति हेक्टेयर उत्पादक क्षमता चित्र 6.7 दर्शाया गई है।

चित्र–6.7

प्रति हेक्टेयर उत्पादकता (मीट्रिक टन में)

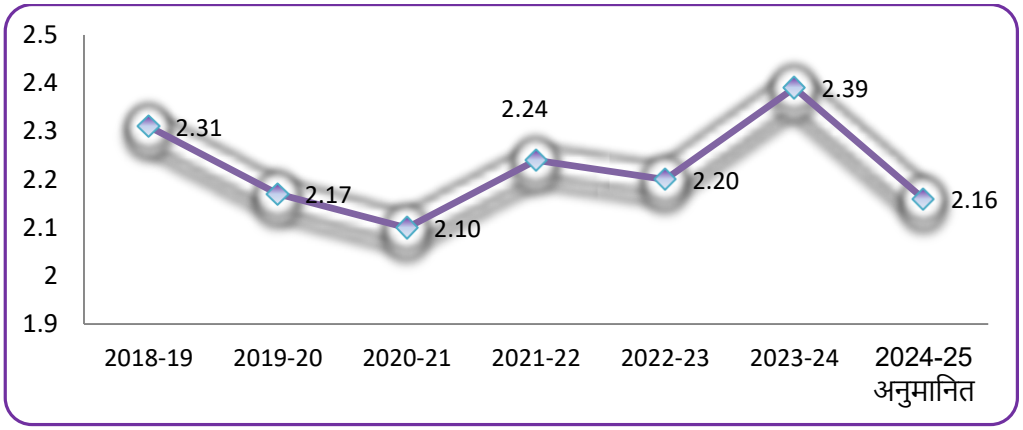

स्त्रोतः कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश।

6.3.4 उच्च उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम (एच.वाई.वी.पी.)

खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के प्रयास में किसानों को उच्च उपज किस्मों के बीज (एच. वाई.वी.एस.) के वितरण पर बल दिया गया है। मक्का, धान और गेहूँ जैसी प्रमुख फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्मों का क्षेत्रफल सारणी 6.3 में दिखाया गया है।

सारणी 6.3

उच्च उपज वाली किस्मों (एच.वाई.वी.) के अन्तर्गत लाया जाने वाला क्षेत्र

(000 हैक्टेयर)

वर्ष	मक्का	धान/चावल	गेहूँ
2019–20	205.00	62.00	330.00
2020–21	207.00	62.00	330.00
2021–22	207.00	62.00	330.00
2022–23	102.00	52.00	210.00
2023–24	200.00	60.00	300.00
2024–25	200.00	60.00	300.00

स्त्रोतः कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश।

6.3.5 कृषि विभाग के फार्म/विकास केंद्र

राज्य में, कृषि विभाग ने 20 बीज गुणन फार्म (एस.एम.एफ.), 3 सब्जी विकास केंद्र (वी.डी.एस.), 12 आलू विकास केंद्र (पी.डी.एस.) और एक अदरक विकास केंद्र (जी.डी.एस.) विकसित किए हैं। इन सरकारी फार्मों का उपयोग भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) या राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से प्राप्त प्रजनक बीजों को आधार बीजों में बहुगुणित करने के लिए किया जाता है। नीति के अनुसार कृषि विशेषज्ञों की कड़ी निगरानी में सरकारी खेतों में प्रजनक बीज का प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए। खेतों पर उत्पन्न आधार बीज को पंजीकृत बीज उत्पादकों को गुणन के लिए भेजा जाता है, जिसे विभाग द्वारा राज्य की बीज आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिग्रहित किया जाता है।

6.3.6 पौध संरक्षण कार्यक्रम

अगर सही समय पर कीटों और बीमारियों का प्रबंधन न किया जाए तो भारी क्षति भी हो सकती है। इस प्रकार, इन कीटों और बीमारियों से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए, उनकी संख्या /घटना को आर्थिक क्षति स्तर से नीचे रखने के लिए उचित एकीकृत कीट प्रबंधन (आई.पी.एम) उपायों को अपनाने की आवश्यकता है।

6.3.7 उर्वरकों की खपत और अनुदान

उर्वरक एक महत्वपूर्ण इनपुट है, जो उत्पादन को एक सीमा तक बढ़ाने में मदद करता है। पचास के दशक के अंत और साठ के दशक की शुरुआत में प्रदर्शन स्तर से शुरू होकर जब हिमाचल प्रदेश में उर्वरक पेश किया गया था, उर्वरक की खपत का स्तर 1985–86 में 23,664 मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2023–24 में 51,470 मीट्रिक टन हो गया है। 2023–24 में धीरे–धीरे रासायनिक उर्वरकों और रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग को हतोत्साहित किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2023–24 के दौरान खपत में गिरावट देखी गई है, संतुलित उर्वरकों को प्रोत्साहित करने के लिए जटिल उर्वरकों के लिए ₹1,000 प्रति मीट्रिक टन की अनुदान की अनुमति दी गई है। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग वर्षवार विवरण सारणी 6.4 में दर्शाया गया है।

सारणी 6.4

उर्वरकों की खपत (मिट्रिक टन में)

वर्ष	नाइट्रोजन (एन.)	फॉस्फेटिक (पी.)	पोटाशिक (के.)	कुल (एन.पी.के.)
2019–20	38146	12263	11369	61778
2020–21	43388	11681	10172	65241
2021–22	40086	9527	8282	57895
2022–23	38859	10892	8101	57852
2023–24	37164	8195	6111	51470
2024–25	38000	8250	6230	52480

स्त्रोतः कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश।

चित्र 6.8

रसायनों का वितरण (मिट्रिक टन में)

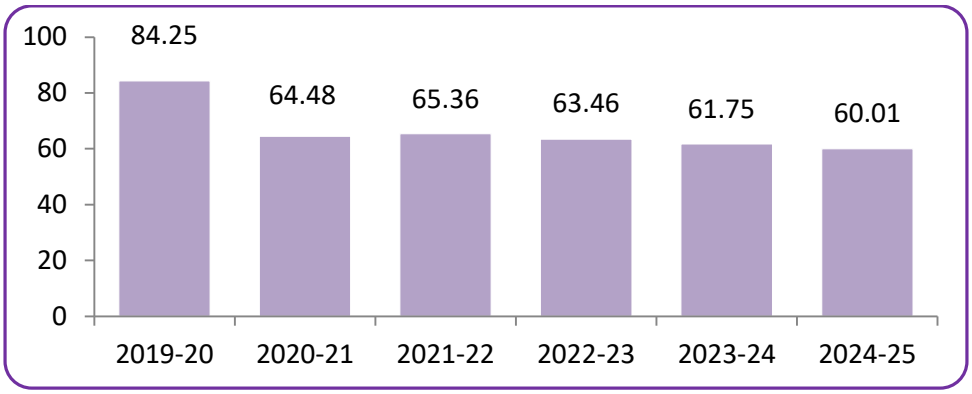

स्त्रोतः कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश।

6.3.8 मृदा परीक्षण कार्यक्रम

राज्य में कृषि विभाग की 11 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं, 3 उर्वरक और बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं, 2 जैव नियंत्रण प्रयोगशालाएं, एक राज्य कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशाला और एक जैव उर्वरक उत्पादन और गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला है। कृषि विभाग मृदा स्वास्थ्य का आकलन करने के उद्देश्य से किसानों को नि:शुल्क मृदा परीक्षण प्रदान करता है। इंटरनेट सेवा के माध्यम से किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध करवाए जा रहे है।

6.4 सरकार की पहलें

राज्य प्रायोजित योजनाएँ

6.4.1 मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना (एम.एम.के.एस.वाई.)

विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों पर, निम्नलिखित घटकों के साथ गतिविधियों के ओवरलैपिंग से बचने के लिए समान गतिविधियों और सामान्य उद्देश्यों वाली 8 चल रही योजनाओं को 2022–23 के दौरान मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना (एम.के.एस.वाई.) के नाम से विलय कर दिया गया था। इस योजना के अर्न्तगत वित्त वर्ष 2024–25 के लिए ₹35.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। परियोजना के मुख्य घटक निम्न है:–

(i) क्लस्टर आधारित सब्जी उत्पादन योजना

वर्तमान कृषि में नवीनतम तकनीकी प्रगति ने विविधीकरण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है यह दर्शाता है कि सब्जियों से किसानों और राज्य को त्वरित आर्थिक विकास के लिए बड़ी क्षमता प्रदान करने की उम्मीद है। कृषि विभाग ने पूरे राज्य में सब्जी उगाने के लिए "क्लस्टर दृष्टिकोण" का उपयोग करने की योजना

बनाई है। इस रणनीति का उद्देश्य आर्थिक रूप से प्रतिस्पर्धी सब्जी फसलों के विकास को बढ़ावा देना और किसानों की आय में वृद्धि करना है।

(ii) बीज गुणन श्रृंखला का सुदृढ़ीकरण

सरकारी फार्म राज्य में गुणवत्तापूर्ण बीजों के गुणन में पड़ोसी राज्य एजेंसियों पर निर्भरता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तमान में, 36 विभागीय फार्म विभिन्न फसलों की खेती करते हैं, जिनमें धान, माश, सोयाबीन, गेहूं, बीज आलू, राजमाश आदि शामिल हैं। इन खेतों पर, विभिन्न फसलों के लगभग 17,000 क्विंटल आधार बीज प्रतिवर्ष उत्पन्न होते हैं, जिसे बाद में राज्य के प्रगतिशील किसानों द्वारा प्रमाणित बीज के रूप में प्रतिकृत किया जाता है।

(iii) प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण (उर्वरक परीक्षण, मृदा परीक्षण, जैव नियंत्रण, बीज परीक्षण, जैव उर्वरक और राज्य कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशाला)

कृषि विभाग के पास 11 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएँ, 3 उर्वरक परीक्षण प्रयोगशालाएं (शिमला सुंदरनगर और हमीरपुर), 3 बीज परीक्षण प्रयोगशालाएँ (सोलन, पालमपुर, मण्डी), 2 जैव–नियंत्रण प्रयोगशालाएँ (पालमपुर, मण्डी), राज्य में एक कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशाला, एवं जैव–उर्वरक उत्पादन और गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला शिमला में कार्यरत हैं। विभाग किसानों को निशुल्क मृदा परीक्षण की सुविधा प्रदान करता है और उनके द्वारा खेतों में उपयोग की जाने वाली उर्वरकों की खुराक की अनुशंसा भी करता है ताकि किसान खेतों की मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के साथ–साथ उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग द्वारा फसल की क्षमता के अनुसार अच्छी फसल प्राप्त कर सकें। बीज परीक्षण प्रयोगशालाएँ विभिन्न गुणवत्ता मापदंडों के लिए बीजों के परीक्षण में लगी हुई हैं जैसे कि भौतिक शुद्धता, अंकुरण परीक्षण और किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज का वितरण सुनिश्चित हो सके।

6.4.2 मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना (एम.एम.के.यू.एस.वाई.)

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान इस योजना के कार्यान्वयन के लिए ₹40.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। योजना में निम्नलिखित घटक हैं

(i) बंदर और जंगली जानवर फसल उत्पादन के लिए एक बड़ा खतरा हैं क्योंकि वे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं और इससे किसानों को बहुत नुकसान होता है। इसे देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों की फसलों को इस खतरे से बचाने के लिए 2016–17 मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना प्रारम्भ की। अब, यह योजना "मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना" का एक घटक है और इसे बाड़बंदी के नाम से जाना जाता है।

(ii) इस योजना के अंतर्गत किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सोलर फेंसिंग, इंटरलिंक चेन फेंसिंग, कम्पोजिट इंटरलिंक चेन सोलर फेंसिंग और कांटेदार तार बाड़ लगाने के लिए 70 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान है।

6.4.3 हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण संवर्धन परियोजना (एच.पी.सी.डी.पी.) जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जे.आई.सी.ए.)–बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना (ई.ए.पी.)

जे.आई.सी.ए, ई.ए.पी–चरण–II

जे.आई.सी.ए. ई.ए.पी–चरण–II आधिकारिक विकास सहायता ओ.डी.ए. परियोजना 9 वर्षों की समय अवधि में ₹1010.13 करोड़ के परिव्यय के साथ राज्य के सभी जिलों में लागू होगा। दूसरे चरण के कार्यान्वयन के लिए 26 मार्च, 2021 को भारत और जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी और भारत सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान योजना को लागू करने के लिए ₹50.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। जे.आई.सी.ए. चरण–II के अंतर्गत निम्नलिखित घटकों को शामिल किया जाएगा।

(i) बुनियादी ढांचे का विकास (लघु और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, फार्म तक पहुंच के लिए सड़कें और सौर/इलेक्ट्रिक बाड़ लगाना)।

(ii) किसान सहायता घटक (इंजीनियरिंग और कृषि कर्मचारियों और सब्जी संवर्धन, बीज उत्पादन और प्रदर्शन का क्षमता निर्माण कार्यक्रम)।

(iii) मूल्य श्रृंखला और बाजार विकास घटक।

(iv) संस्थागत विकास घटक।

6.4.4 मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना

राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान ''मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा'' नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य कृषि मशीनरी के संचालन के दौरान घायल होने या मृत्यु होने पर किसानों और खेतिहर मजदूरों को बीमा कवरेज प्रदान करना है। प्रभावित किसानों को आंशिक विच्छेदन, स्थायी दिव्यांगता और मृत्यु की स्थिति में क्रमशः ₹10,000 से ₹40,000, ₹1.00 लाख और ₹3.00 लाख का मुआवजा दिया जाता है।

6.4.5 कृषि विपणन

''हिमाचल प्रदेश कृषि और बागवानी उत्पाद विपणन विकास और विनियमन अधिनियम, 2005'' कृषि विपणन को नियंत्रित करता है। हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा (एच.पी.एस.ए.एम.बी.) 10 जिला कृषि उत्पाद विपणन कमेटी (ए.पी.एम.सी.) राज्य में कृषि उत्पादों के विपणन के लिए गठित किए गए हैं। उत्पादकों को 71 मार्केट यार्ड (10 ए.पी.एम.सी. और 61 सब मार्केट यार्ड) द्वारा सेवांए दी जाती है।

6.4.6 प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के अन्तर्गत शून्य बजट प्राकृतिक खेती (पी. के.के.के.वाई.–जेड.बी.एन.एफ.)

राज्य सरकार ने खेती की लागत को कम करने के लिए ''जेड.बी.एन.एफ.'' को बढ़ावा देने के लिए ''पी.के.के.के.वाई.'' पहल शुरू की है। जिसमें सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को हतोत्साहित किया जाएगा। कृषि और बागवानी विभाग को आवंटित धन का उपयोग जैव कीटनाशक को वितरित करने के लिए किया जाएगा। अब तक राज्य में 2,19,383 किसानों ने 37,599 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती का विकल्प चुना है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2024–25 में 5450 हेक्टेयर भूमि को कवर किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए ₹15.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

6.4.7 जल से कृषि को बल योजना

सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने एक परियोजना ''जल से कृषि को बल'' बनाई है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चेक डैम और तालाब बनाए जाएंगे। किसान अलग–अलग छोटी लिफ्टिंग स्कीम या प्रवाह सिंचाई योजना बनाकर सिंचाई के लिए इस पानी का उपयोग कर सकते हैं। सरकार इस योजना के अन्तर्गत एक समुदाय आधारित मामूली जल बचत प्रणाली को लागू करने की पूरी लागत वहन करेगी। वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए ₹8.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

6.4.8 प्रवाह सिंचाई योजना

इस योजना के तहत कुहलों के स्रोत स्थान का जीर्णोद्धार करने के साथ ही सामान्य क्षेत्र में कुहलों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इस योजना के अन्तर्गत समुदाय आधारित कार्य पर 100 प्रतिशत व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत सिंचाई उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से बोर–वेल और उथले कुओं के निर्माण के लिए 50 प्रतिशत अनुदान देने का निर्णय लिया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए ₹8.00 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है।

6.4.9 राज्य कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम

इस वर्ष, सरकार अतिरिक्त उपकरणों जैसे चारा कटर, मक्का शेलर, गेहूं थ्रैशर, स्प्रेयर, ब्रश कटर, टूलकिट, स्टेनलेस स्टील हल, मोल्ड बोर्ड हल, बीज बिन, पानी टब इत्यादि पर 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत सब्सिडी की मिल रही है।

6.4.10 पोषक अनाजों को बढ़ावा देना

मोटे अनाज का स्वास्थ्य और पोषण संबंधी लाभों के बारे में जागरूकता के लिए वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष (आई.वाई.ओ.एम.–2023) के रूप में मनाया था।

इन फसलों के बारे में किसानों को सचेत करना और प्रोत्साहित करना आवश्यक है और साथ ही किसानों को बाजार अधिशेष उत्पादन के लिए प्रेरित करने के लिए आवश्यक तकनीकी इनपुट और बाजार लिंकेज प्रदान करना आवश्यक है। मोटे अनाज की खेती के अन्तर्गत् क्षेत्र को बढ़ाने के लिए परियोजना के लिए निम्नलिखित घटकों का प्रस्ताव किया गया है।

(i) अनुदान पर बीज वितरण।
(ii) मिनीकिट का वितरण।
(iii) मोटे अनाज फूड फेस्टिवल का आयोजन।
(iv) उत्पादन में किसानों की क्षमता निर्माण, फसल कटाई के बाद की तकनीक और पोषण सुरक्षा में इसका उपयोग।
(v) मोटे अनाज की फार्म गेट बिक्री (कैनोपी के माध्यम से)।

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए ₹1.51 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ

6.4.11 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.–रफ्तार)

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना राज्य को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को बढ़ाने में मदद कर रही है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य राज्यों को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र की स्कीमों की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में राज्यों को लचीलापन और स्वायत्तता प्रदान करना, कृषि–जलवायु परिस्थितियों, प्रौद्योगिकी और प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर जिलों और राज्यों के लिए कृषि योजनाओं की तैयारी सुनिश्चित करना है जिससे कि स्थानीय जरूरतें/फसलें/प्राथमिकताएं पूरी हों।

इस योजना के कार्यान्वयन में विश्वविद्यालयों के साथ–साथ कृषि विभाग, हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड (एच.पी.एस.ए.एम.बी.) और उद्योग और बागवानी विभाग भी शामिल हैं। इस योजना के अर्न्तगत वित्त वर्ष 2024–25 के लिए ₹16.23 करोड के बजट आवंटन को मंजूरी दी गई है।

6.4.12 राष्ट्रीय बांस मिशन

इस मिशन का मुख्य लक्ष्य कृषि आय के पूरक के लिए गैर–वन सरकारी और निजी भूमि पर बांस के वृक्षारोपण के अंतर्गत क्षेत्र को बढ़ाना तथा इसमें योगदान देना है। जलवायु परिवर्तन का लचीलापन, और उद्योगों के लिए गुणवत्तापूर्ण कच्चा माल उपलब्ध कराना। कृषि निदेशक, हिमाचल प्रदेश को राज्य मिशन निदेशक और कृषि विभाग, हिमाचल प्रदेश को एंकरिंग विभाग के रूप में नामित किया गया है। हितधारकों में वन विभाग, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, उद्योग और राज्य कृषि विश्वविद्यालय शामिल हैं।

6.4.13 फसल बीमा योजना

खरीफ–2016 फसल चक्र से, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.) और ''पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आर–डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस.)'' हिमाचल प्रदेश में प्रभावी हैं। पी.एम.एफ.बी.वाई. के अन्तर्गत रबी सीजन के दौरान गेहूं और जौ की फसल को कवर किया जाता है, जबकि खरीफ सीजन के दौरान मक्का और धान की फसल को कवर किया जाता है। इस कार्यक्रम में निवारक रोपण, कटाई के बाद के नुकसान, स्थानीय हानि और खड़ी फसलों को होने वाले नुकसान (बुवाई से फसल तक) के कारण होने वाले कृषि जोखिम के कई चरणों में शामिल किया गया है। यह कार्यक्रम अब खरीफ–2020 तक ऋण लेने वाले और गैर–ऋण वाले दोनों किसानों के लिए स्वैच्छिक है। पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आर–डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस.) के अर्न्तगत आलू, अदरक, टमाटर, मटर, गोभी और फूलगोभी सहित छह फसलें खरीफ मौसम के दौरान और आलू, टमाटर, लहसुन और शिमला मिर्च रबी मौसम के दौरान कवर की जाती हैं। कार्यक्रम का लक्ष्य उत्पादकों को बारिश, गर्मी, सापेक्ष आर्द्रता, ओलावृष्टि, शुष्क दौर आदि सहित मौसम संबंधी घटनाओं के खिलाफ बीमा सुरक्षा देना है, जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ सीज़न–2024 के दौरान, 1,08,160 किसानों को कवर किया गया है और रबी सीज़न 2024–25 के दौरान 1,12,055 किसानों को कवर किया गया है। वित्त वर्ष 2024–25 के लिए ₹6.00 करोड़ का बजट आवंटन किया गया है। जिसका उपयोग प्रीमियम सब्सिडी को कवर करने के लिए किया जाता है।

6.4.14 राष्ट्रीय मिशन के तहत विस्तार सुधार (ए.टी.एम.ए.)

ए.टी.एम.ए. के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में हस्तक्षेपों को सहक्रियात्मक बनाने के लिए विस्तार मशीनरी को मजबूत करने और इसका उपयोग करने के उद्देश्य से संशोधित विस्तार सुधार योजना शुरू की गई थी। कृषि के अलावा, अन्य विभागों जैसे बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि भी इस कार्यक्रम में हितधारक हैं। इस योजना के अंतर्गत राज्य में कृषि क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने के लिए किसानों के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा करने के लिए कृषक पुरस्कार योजना भी शुरू की गई है। वित्त वर्ष 2024–25 के लिए ₹18.89 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है।

6.4.15 बीज और रोपण सामग्री का उप मिशन (एस.एम.एस.पी.)

घटक के अन्तर्गत खंड स्तर पर प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन एवं गेहूं बीज का वितरण किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए ₹ 7.78 करोड का बजट आवंटित किया गया है।

6.4.16 कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन (एस.एम.ए.एम.)

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के किसानों को नए विकसित उपकरण, समकालीन मशीनरी और लिंग–संवेदनशील उपकरण तक पहुंच प्रदान की जाती है। भारत सरकार के अधिकृत नियमों के अनुसार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमांत और महिला किसान समूहों के किसानों को ट्रैक्टर, पावर टिलर, पावर वीडर, फसल काटने वाले उपकरण और रोटावेटर जैसे कृषि उपकरणों पर 50 प्रतिशत अनुदान प्राप्त होता है और अन्य किसानों को भी 40 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस योजना के अन्तर्गत कस्टम हायरिंग सेंटर भी बनाए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए ₹27.78 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।

6.4.17 कृषि वानिकी

कृषि को जलवायु परिवर्तन के प्रति कम संवेदनशील बनाने के लिए, भारत सरकार ने फसलों/फसल प्रणाली के साथ–साथ "हर मेड़ पर पेड़" के आदर्श वाक्य के साथ कृषि भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने और विस्तार करने के लिए "कृषि वानिकी" योजना शुरू की है। वित्त वर्ष 2024–25 के लिए इस घटक के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा ₹1.67 करोड़ का बजट आबंटित किया गया है।

6.4.18 सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन (एन.एम.एस.ए.)

सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन (एन.एम.एस.ए.) को कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ वर्षा जल प्राप्त होता है। कार्यक्रम के विभिन्न तत्वों में जलवायु परिवर्तन और टिकाऊ कृषि के लिए निगरानी, मॉडलिंग और नेटवर्किंग और साथ–साथ वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, कृषि विकास पहल और सी.सी.एस.ए. एम.एम.एन. शामिल हैं। भारत सरकार द्वारा 2024–25 हेतु ₹7.77 करोड़ इस मिशन के लिए स्वीकृत किये गये हैं।

6.4.19 परम्परागत कृषि विकास योजना (पी.के.वी.वाई.)

सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन के अन्तर्गत परम्परागत कृषि विकास योजना किसानों को उनके जैविक सामान को प्रमाणित करने और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए समूहों में जोड़ना है। योजना के मुख्य घटकों में क्लस्टर निर्माण और क्षमता निर्माण के लिए प्रबंधन लागत और जैविक/प्राकृतिक खेती इनपुट पर डी.बी.टी. के रूप में किसानों को प्रोत्साहन शामिल है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए ₹8.29 करोड़ (केन्द्र व राज्य) का बजट प्रावधान रखा गया है।

6.4.20 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)

इस योजना का बल सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं (''हर खेत को पानी'') और एंड–टू–एंड सिंचाई समाधान पर होगा। देश में हर खेत को सिंचाई प्रदान करने के लिए

जल संरक्षण और अपशिष्ट में कमी को पूरा करना महत्वपूर्ण है। यह टिकाऊ जल संरक्षण प्रथाओं और जल संसाधनों के अनुकूलन (अधिक फसल प्रति बूंद) को नई सिंचाई सुविधाओं की शुरूआत के रूप में महत्वपूर्ण बनाता है। इस योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024–25 के लिए ₹22.22 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

6.4.21 राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना कृषि (अब डिजिटल इंडिया मिशन)

भारत सरकार ने राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना के अंतर्गत 'उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके कृषि में परिवर्तन पर''एक परियोजना मंजूर की है जिसे अब डिजिटल कृषि मिशन के रूप में सुधार किया गया है जो कि कृषोन्नति योजना का एक घटक है। इस मिशन के अंतर्गत भारत में रहने वाले किसानों का डेटा बेस बनाया जाएगा और उन्हें आधार नंबर जैसी विशिष्ट किसान आई.डी प्रदान की जाएगी। विशिष्ट आई.डी में किसान की कृषि भूमि/ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जी.पी.एस.) किसान की प्रत्येक भूमि के निर्देशांक/प्रत्येक भूखंड पर उगाई गई फसलें/किसानों द्वारा प्राप्त लाभ शामिल होंगे। आधार यू.पी.आई. के समान एकीकृत किसान सेवा इंटरफेस (यू.एफ.एस.आई.) विकसित किया जाएगा और इसे आधार नियामक की तरह (ए.जी.आर.आई.एस.टी.ऐ.सी.के) द्वारा विनियमित किया जाएगा।

यह केंद्रीकृत, इंटरऑपरेबल डिजिटल बुनियादी ढांचा देश भर के व्यवसायों के लिए एकीकृत कृषि–बाजार तक पहुंच की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे दक्षता और पारदर्शिता बढ़ेगी। हिमाचल प्रदेश में डिजिटल मिशन कृषि के डिजिटलीकरण में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है, जो किसानों को सशक्त बनाने, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और राज्य के कृषि परिदृश्य में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए बाध्य है। हिमाचल प्रदेश के लिए वर्ष 2025–26 के लिए घटक डिजिटल कृषि के अन्तर्गत ₹22.60 करोड़ की राशि अनुमोदित (केंद्रीय हिस्सेदारी) की गई है।

6.4.22 प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना (पी.एम.–कुसुम)

सरकार ने फसलों को सुनिश्चित सिंचाई प्रदान करने, उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक नई योजना "प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना" की है, जहां दूरदराज के क्षेत्रों में बिजली की पहुंच सौर पी.वी पंपों की तुलना में महंगी है। इस योजना के अतंर्गत, सौर पंपिंग मशीनरी की स्थापना के लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक आधार पर किसानों के छोटे और सीमांत समूहों को 85 प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है, और किसानों के मध्यम और बड़े समूहों को 80 प्रतिशत सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान है। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान भारत सरकार से ₹3.13 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। जिस में से ₹1.62 करोड़ दिसंबर, 2024 तक खर्च किए जा चुके हैं।

6.5 हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एच.पी.एस.ए.एम.बी.) और कृषि उपज विपणन समिति (ए.पी.एम.सी.)

1. हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एच.पी.एस.ए.एम.बी.) सर्वोच्च निकाय है जो अपनी कृषि मंडी समितियों (ए.पी.एम.सी.) के माध्यम से राज्य में कृषि विपणन अवसंरचना प्रदान करता है। कृषि विपणन अवसंरचना के अलावा, एच.पी.एस.ए. एम.बी कृषि/बागवानी फसलों के व्यापार, ग्रेडिंग और भंडारण के लिए आधुनिक सुविधाएँ प्रदान करता है।
2. राज्य में 79 थोक फल, सब्जी और खाद्यान्न मंडियों का संचालन और प्रबंधन किया जा रहा है। इनमें से 10 मुख्य मंडी यार्ड (पी.एम.वाई) और 69 उप मंडी यार्ड (एस.एम.वाई.) हैं। ये मंडी यार्ड विभिन्न हितधारकों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। 38 मंडियों को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक बाजार(ई–एन.ए.एम.) के साथ एकीकृत किया गया है।
3. फल एवं सब्जी थोक मंडियों बंदरोल (जिला कुल्लू), शिलारू एवं टूटू (जिला शिमला), जाछ (जिला मंडी) और परवाणू (जिला सोलन) का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। नई थोक फल एवं सब्जी मंडियों मेंहदली, थरमट्टी (जिला शिमला) और पतलीकुहल (जिला कुल्लू) का निर्माण 85 प्रतिशत पूरा हो चुका है। लाहौल एवं स्पीति जिले में पहली थोक मंडी स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है तथा प्रथम चरण का कार्य आवंटित कर दिया गया है।
4. जिला सिरमौर में पांवटा साहिब, खैरी, घंडूरी, जिला कुल्लू में चौरीबिहाल और खेगसू, जिला मंडी में टकोली और कांगनी, जिला कांगड़ा में जसूर, पालमपुर और पास्सू और जिला सोलन में परवाणु, वाकनाघाट और कुनिहार में मंडियों का उन्नयन कार्य पूरा हो चुका है।
5. ए.पी.एम.सी. ने मुख्य रूप से फलों और सब्जियों का व्यापारः खाद्यान्नों के लिए मंडियों का निर्माण किया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 दिसम्बर 2024 तक विभिन ए.पी.एम.सी. में कुल 41.74 लाख क्विंटल फलों और सब्जियों का व्यापार किया था। जिसका विवरण सारणी 6.5 में दर्शाया गया है।

सारणी 6.5

जिलावार फल व सब्जियों की पहुंच

क्र. स.	ए.पी.एम.सी. का नाम	आवक (क्विंटल में) दिसंबर 2024 तक		
		फल	सब्जियाँ	कुल
1	बिलासपुर	6,912	32,685	39,597
2	हमीरपुर	14,178	47,094	61,272
3	मंडी	1,15,158	1,92,537	3,07,695
4	कुल्लू और लाहुल स्पीति	1,97,558	1,24,012	3,21,570

5	**कांगड़ा**	82,329	1,94,551	2,76,880
6	**ऊना**	34,903	91,334	1,26,237
7	**सिरमौर**	27,785	85,815	1,13,600
8	**सोलन**	8,04,461	3,90,956	11,95,417
9	**शिमला और किन्नौर**	13,00,961	4,14,667	17,15,628
10	**चंबा**	4,305	12,659	16,964
	कुल	**25,88,550**	**15,86,310**	**41,74,860**

स्त्रोतः हिमाचल प्रदेश कृषि उपज विपणन समिति।

6. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) का लाभ प्रदान करने के लिए रबी विपणन सत्र (आर.एम.एस.) और खरीफ विपणन सत्र के दौरान 10 खरीद केंद्रों पर खाद्यान्नों की खरीद की गई। 645 किसानों से ₹6.55 करोड़ का कुल 2,880 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। खरीफ विपणन सत्र के दौरान 5,572 किसानों से ₹85.34 करोड़ का कुल 36,901 मीट्रिक टन धान खरीदा गया।
7. सेब की बिक्री से प्राप्त आय का भुगतान वास्तविक वजन के आधार पर किसानों को सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों के साथ परामर्श बैठकें आयोजित की गई और सभी सुझावों/आपत्तियों पर विचार करने के बाद, सेब की पैकेजिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन (वास्तविक वजन) के कार्यान्वयन के लिए 23 अप्रैल 2024 को अधिसूचना जारी की गई। सरकार के इस निर्णय को पूरे राज्य में लागू किया गया और वास्तविक बजन के आधार पर भुगतान सुनिश्चित करके किसानों को लाभ पहुंचाया गया।
8. सेब विपणन सीजन 2024 में कुल 2.09 करोड़ सेब बक्सों में से 1.17 करोड़ बक्सों का कारोबार ए.पी.एम.सी. मंडियों में हुआ। 2023 के सेब विपणन सीजन में कुल 1.82 करोड़ बक्सों का कारोबार हुआ, जिसमें से 89.80 लाख बक्सों का कारोबार हिमाचल प्रदेश के ए.पी.एम.सी. यार्ड में हुआ। वित्त वर्ष 2024–25 में कुल 27.26 लाख बक्सों की वृद्धि देखी गई।
9. हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड तथा ए.पी.एम.सी. शिमला और किन्नौर, पराला और खडापत्थर में संरक्षण और मूल्य संवर्धन के लिए एक एकीकृत कोल्ड चेन परियोजना स्थापित कर रहे हैं।
   (i) इस परियोजना से किसानों को संकटपूर्ण बिक्री से बचने में मदद मिलेगी।
   (ii) कुल परियोजना लागतः ₹60.93 करोड़
   (iii) परियोजना में शामिल हैंः 5600 मीट्रिक टन क्षमता का सी.ए. स्टोर (हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में उच्चतम)
   (iv) फ्रीजिंग पैबरः 1500 मीट्रिक टन,
   (v) ग्रेडिंग/सोर्टिंग लाइनः 10 मीट्रिक टन /प्रति घंटा

(vi) व्यक्तिगत त्वरित फ्रीजींग लाईनः 1 एम.टी/प्रति घंटा

(vii) फार्म स्तरीय अवसंरचनाः खड़ापत्थर में 60 मीट्रिक टन प्री कूलिंग चैंबर

(viii) 15 मीट्रिक टन क्षमता के वातानुकुलित वाहन

(ix) कोल्ड चेन परियोजना का 95 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और शीघ्र ही शुरूआत की जाएगी।

10. हिमाचल प्रदेश में 26 मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार(ई–एन.ए.एम.) के साथ एकीकृत किया गया है। 31 दिसबर 2024 तक हिमाचल प्रदेश में ई–एन.ए.एम पोर्टल पर कुल 1,25,517 किसान पंजीकृत हैं। हिमाचल प्रदेश में ई–एन.ए.एम पोर्टल पर कुल पंजीकृत व्यापारी 2,322 हैं और 82 किस्मों का व्यापार हो रहा है और इस पोर्टल के माध्यम से 13445.03 मीट्रिक टन का लेन देन हुआ जिसका मुल्य ₹1668.49 करोड़ था। हिमाचल प्रदेश में योजना की शुरुआत से अब तक किसानों के खाते में ₹606.72 की राशि सीधे हस्तांतरित की गई है। ई–एन.ए.एम पोर्टल पर 123 एफ.पी.ओ. भी पंजीकृत हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में 31 दिसबर, 2024 तक ई–एन.ए.एम. नाम के माध्यम से 9,184 किसानों के बैंक खातों में सीधे ₹129.65 करोड़ का ई–भुगतान किया गया और कुल लेन देन की मात्रा 2.36 लाख क्विंटल रही।
11. सभी हितधारकों का पंजीकरण/लाइसेंस एच.पी.एस.ए.एम.बी के वेब पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से बनाया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल 4,128 लाइसेंस डिजिटल रूप से जारी किए गए। ए.पी.एम.सी और एच.पी.एस.ए. एम.बी. के सभी कार्यालयों में ई–ऑफिस लागू किया जा रहा है। अधिकारियों और अन्य हितधारकों के लिए जल्द ही सिंगल साइन ऑन (एस.एस.ओ.) सुविधा शुरू की जाएगी।
12. किसानों और अन्य हितधारकों को बाजार की जानकारी प्रदान करने के लिए, राज्यों के 50 बाजार नोड्स को agmarknet.gov.in पोर्टल से जोड़ा गया है। दैनिक कीमतों और आवक की जानकारी नियमित रूप से पोर्टल पर अपलोड की जाती है, जो वेबस्पेस पर सभी हितधारकों के लिए सुलभ है।

6.6 बागवानी

राज्य की अर्थव्यवस्था की एक अन्य आधारशिला बागवानी में भी उल्लेखनीय प्रगति देखी गई है। सेब उत्पादकों के लिए यूनिवर्सल कार्टन की शुरूआत से विपणन क्षमता में वृद्धि हुई है, जबकि बाजार हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत बकाया भुगतान को पूरा करने के लिए ₹153.00 करोड़ वितरित किए गए हैं।

हिमाचल प्रदेश सरकार किसान–केंद्रित कार्यक्रमों के लिए प्रतिबद्ध है और बागवानी क्षेत्र को राज्य के आर्थिक प्रगति में विकास इंजनों में से एक के रूप में पहचाना जाता है।

हिमाचल प्रदेश में बागवानी फसलों का क्षेत्रफल 1950–51 में 792 हेक्टेयर से बढ़कर 2023–24 में 2,36,950 हेक्टेयर हो गया। राज्य में बागवानी क्षेत्र कुल कृषि क्षेत्र (8,91,926 हेक्टेयर) का 26 प्रतिशत योगदान देता है, जबकि वर्ष 2023–24 में (सब्जियों,कृषि फसलों का मूल्य ₹16,076 करोड़ है और बागवानी फसलों का मूल्य ₹4,461.59 करोड का योगदान देता है) उपज के मूल्य के संदर्भ में यह क्षेत्र 22 प्रतिशत योगदान देता है। 2007–08 और 2023–24 के बीच बागवानी फसलों के क्षेत्र में 17.60 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। सेब, आम, संतरा, नाशपाती, पलम, आड़ू, गलगल और खुमानी राज्य की प्रमुख बागवानी फसलें हैं।

सेब हिमाचल प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण फल फसल है, जो 2023–24 के दौरान कुल फल क्षेत्र का लगभग 49.06 प्रतिशत और कुल फल उत्पादन का लगभग 79.51 प्रतिशत है। सेब का क्षेत्रफल 1950–51 में 400 हेक्टेयर से बढ़कर 1960–61 में 3,025 हेक्टेयर और 2023–24 में 1,16,240 हेक्टेयर हो गया है। वित्त वर्ष 2007–08 और 2023–24 के बीच सेब के अन्तर्गत क्षेत्र में 21.4 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान सेब के उत्पादन में आए उतार–चढ़ाव ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। राज्य विभिन्न कृषि–पारिस्थितिक क्षेत्रों में विविध बागवानी उत्पादन के माध्यम से पहाड़ी राज्य की विशाल बागवानी क्षमता का पता लगाने और उसका दोहन करने की कोशिश कर रहा है।

सेब के अलावा अन्य शीतोष्ण फलों का क्षेत्रफल 1960–61 में 900 हेक्टेयर से बढ़कर 2023–24 में 27,373 हेक्टेयर हो गया है। मेवे और सूखे मेवो के अन्तर्गत क्षेत्रफल में 1960–61 के 231 हेक्टेयर से 2023–24 में 9,277 हेक्टेयर तक की वृद्धि देखी गई है, जबकि सिट्रस और अन्य उपोष्णकटिबंधीय फलों में 1960–61 में 1,225 हेक्टेयर और 623 हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2023–24 में क्रमशः 26,432 हेक्टेयर तथा 57,628 हेक्टेयर हो गया है।

वर्ष 2023–24 में कुल फलों का उत्पादन 6.37 लाख टन था, जबकि वित्त वर्ष 2024–25 में 31 दिसम्बर, 2024 तक फलों का उत्पादन 5.92 लाख टन रहा, 1295.61 हेक्टेयर क्षेत्र को वृक्षारोपण के अन्तर्गत लाया गया और 3.31 लाख विभिन्न प्रकार के फलों के पौधे वितरित किए गए।

चित्र 6.9

बागवानी फसलों में फलवार योगदान (2023–24)

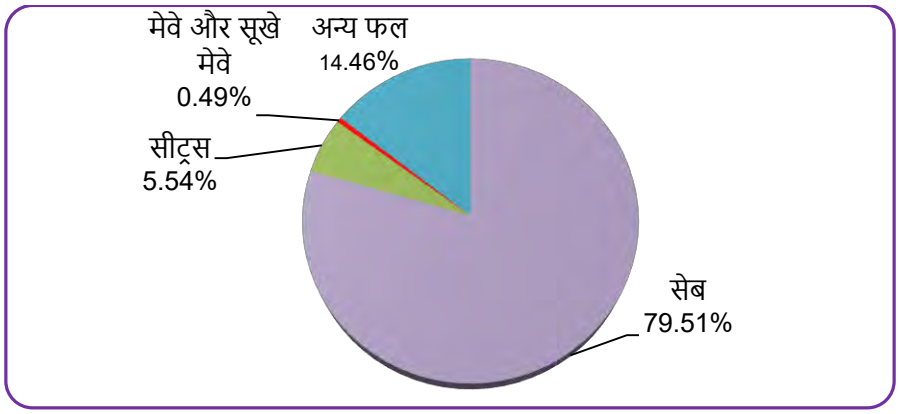

स्त्रोतः हिमाचल प्रदेश बागवानी विभाग।

6.6.1 कृषि तंत्र का उप–मिशन (एस.एम.ए.एम.)

(i) एस.एम.ए.एम. के अन्तर्गत, किसानों को विभिन्न प्रकार के आधुनिक कृषि उपकरण प्राप्त करने में मदद करने के लिए बैक–एंडेड सब्सिडी के रूप में सहायता दी जाती है। हिमाचल प्रदेश का राज्य कृषि विभाग योजना के लिए एक नोडल विभाग है। वित्त वर्ष 2024–25 के लिए उद्यानिकी विभाग को ₹1. 00 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई, जिसमें से ₹56.10 लाख इस योजना के अन्तर्गत खर्च कर 31 दिसम्बर, 2024 तक 302 किसानों को लाभान्वित किया गया।

(ii) वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान ₹45.18 करोड़ से 37,653.42 मीट्रिक टन सी–ग्रेड सेब की खरीद की गई।

(iii) बागवानी में विविधता लाने के प्रयास में वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान कुल 285.72 हेक्टेयर को व्यावसायिक फूल उत्पादन के अंतर्गत रखा गया था, जबकि 31 दिसम्बर, 2024 तक 78.81 हेक्टेयर संरक्षित फूलों के उत्पादन के अंतर्गत रखा गया है।

(iv) राज्य में फूलों के उत्पादन और विपणन के लिए सोलन, चम्बा, शिमला, बिलासपुर और हमीरपुर जिलों में 08 अलग–अलग किसान सहकारी समितियां कार्यरत हैं।

(v) मधुमक्खी पालन और अन्य सहायक बागवानी गतिविधियों को भी प्रोत्साहित किया जाता है। वित्त वर्ष 2023–24 के मधुमक्खी पालन कार्यक्रम के अर्न्तगत 1549.92 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन किया गया है।

(vi) वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान सोलन, रामपुर, बजौरा और पालमपुर में विभागीय कार्यालयों के माध्यम से मशरूम के लिए 500.63 मीट्रिक टन पाश्चुरीकृत खाद

का उत्पादन और वितरण किया गया और 8627.17 मीट्रिक टन मशरूम का उत्पादन किया गया।

6.6.2 बागवानी के समग्र विकास के लिए कार्यान्वित कार्यक्रम/योजनाएँ

राज्य योजनाएं

6.6.2.1 बागवानी विकास योजना (एच.डी.एस.)

बागवानी विकास योजना के हिस्से के रूप में, मशीनीकृत खेती को बढ़ावा देने के लिए वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान बागवानों को सब्सिडी के रूप में 1,005 पावर स्प्रेयर, 2,464 पावर टिलर (8 ब्रेक हॉर्स पावर), और 163 पावर टिलर (≥8 ब्रेक हॉर्स पावर) वितरित किए गए।

6.6.2.2 एंटी हेल नेट योजना

फलों की फसल को ओलावृष्टि से बचाने के लिए एंटी हेल नेट लगाने के लिए फील्ड पदाधिकारियों को ₹20.00 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है। 31 दिसम्बर, 2024 तक, उस धनराशि में से ₹12.42 करोड़ खर्च किए हैं, और राज्य में 1,594 किसान इस कार्यक्रम से लाभान्वित हुए हैं।

6.6.2.3 मुख्यमंत्री कीवी प्रोत्साहन योजना

इस योजना के अन्तर्गत फील्ड पदाधिकारियों को वर्ष 2024–25 में ₹1.00 करोड़ की धन राशि आवंटित की गई थी। अभी तक ₹26.00 लाख की राशि खर्च कर 4 हैक्टेयर क्षेत्र कवर कर 22 किसान लाभान्वित हुए हैं।

केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं

6.6.2.4 एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एम.आई.डी.एच.)

क्षेत्र आधारित क्षेत्रीय रूप से विभेदित रणनीतियों के माध्यम से बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए मिशन शुरू किया गया था। केंद्र प्रायोजित योजना–एम.आई.डी.एच. राज्य में बागवानी विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। कार्यक्रम का फोकस बागवानी के सभी उप–क्षेत्रों का व्यापक विकास करना है ताकि बागवानी उत्पादकों को अतिरिक्त आय प्रदान की जा सके। यह मिशन बागवानी गतिविधियों जैसे फल, फूल, सब्जियां, मसाले, नए बागान, मशरूम उत्पादन, उच्च मूल्य वाले फूलों और सब्जियों की ग्रीन हाउस खेती, एंटीहेल नेट, बागवानी मशीनीकरण, फल विधायन ईकाइयों जैसी बागवानी गतिविधियों किसानों को 40–85 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान करता है।एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा कुल स्वीकृत वार्षिक

कार्य योजना ₹37.60 करोड़ की है तथा पहली किश्त ₹15.00 करोड़ प्रदेश सरकार को प्राप्त हुए हैं। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2003–04 से लेकर दिसम्बर 2024 तक कुल 2,69,060 किसान लाभान्वित हुए हैं।

6.6.2.5 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–प्रति बूंद अधिक फसल (पी.एम.के.एस.वाई.–पी.डी.एम.सी.)

पी.एम.के.एस.वाई.–पी.डी.एम.सी. 2015–16 से हिमाचल प्रदेश में लागू की जा रही अनूठी परियोजना है। किसानों के लाभ के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के माध्यम से जल उपयोग दक्षता में सुधार करके फसल उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से योजना शुरू की गई थी। सूक्ष्म सिंचाई अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार टॉप–अप सब्सिडी दे रही है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए 55 प्रतिशत और बड़े किसानों के लिए 45 प्रतिशत की सब्सिडी का प्रावधान शामिल करने के लिए पी.एम.के.एस. वाई.–पी.डी.एम.सी. दिशानिर्देशों को वित्त वर्ष 2017–18 में संशोधित किया गया था। राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को 80 प्रतिशत अनुदान देने के लिए 25 प्रतिशत का अतिरिक्त हिस्सा राज्य प्रदान कर रहा है। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2024–25 के लिए पी. एम.के.एस.वाई.–पी.डी.एम.सी. के लिए ₹687.76 लाख मंजूर किए हैं। अब तक 31 दिसम्बर, 2024 तक 370.42 हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के अर्न्तगत कवर किया गया है और 586 किसानों को लाभान्वित कर रहा है।

6.6.2.6 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना – कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के कायाकल्प के लिए लाभकारी दृष्टिकोण (आर.के.वी.वाई.–रफ्तार)

आर.के.वी.वाई. का उद्देश्य बुनियादी सुविधाओं में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाना और बागवानी क्षेत्र में योजनाओं को बनाने और क्रियान्वित करने की प्रक्रिया में लचीलापन और स्वायत्तता प्रदान करना है। इस योजन के अर्न्तगत वर्ष 2024–25 में 31 दिसंबर, 2024 तक 150 किसानों को लाभान्वित किया गया है।

6.6.2.7 पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आर–डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस.)

हिमाचल प्रदेश में, मौसम आधारित फसल बीमा पहली बार रबी 2009–10 के दौरान सेब के लिए 6 खण्डो और आम की फसलों के लिए 4 खण्डो में उपलब्ध कराया गया था। कार्यक्रम की लोकप्रियता के कारण इस योजना के अन्तर्गत कवरेज को आगामी वर्षों तक बढ़ा दिया गया है। यह योजना अब सेब के लिए 36 खण्डों, आम के लिए 56 खण्डों, पलम के लिए 29 खण्डों, आड़ू के लिए 16 खण्डों, सिट्रस फलों के लिए 58 खण्डों, अनार के 21 खण्डों, लीची के 38 खण्डों और अमरूद के लिए 22 खण्डों में कार्यान्वित की जा रही है। इसके अलावा सेब, लीची एवं अनार की फसल को ओलावृष्टि से बचाने के लिए ऐड–ऑन कवर के अन्तर्गत फल फसलों को कवर किया गया है। 2016–17 से

कार्यक्रम का नया नाम आर–डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस. है। बीमित राशि को वर्ष 2023 से संशोधित किया गया है और एक बोली प्रणाली लागू की गई है। रबी सीजन 2023–24 के लिए 66,289 किसानों को उनके सेब, आड़ू, पलम, सिट्रस, अमरूद, अनार, लीची और आम फलों की फसलों के लिए आर–डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस. के अंतर्गत कवरेज दिया गया है। राज्य सरकार ने (केन्द्र 90 : राज्य 10) अपनी अंश में से ₹20.00 करोड़ की प्रीमियम सब्सिडी की देनदारीयों का भुगतान किया है।

6.7 हिमाचल प्रदेश विपणन निगम (एच.पी.एम.सी.)

i. एच.पी.एम.सी. राज्य का एक सार्वजनिक उपक्रम है, जिसकी स्थापना सन 1974 में ताजे फलों व सब्जियों के विपणन, अतिरिक्त उत्पादन जो बाजार तक नहीं पहुंच सकता, तैयार किए गए उत्पादों क विपणन के उदेश्य से की गई हैं। एच. पी. एम. सी. आरम्भ से ही बागवानों को उनके उत्पादन की लाभप्रद प्राप्तियां उपलब्ध करवाने में मुख्य भूमिका निभा रहा है।

ii. वित्तिय वर्ष 2023–24 में (एच.पी.एम.सी.) निगम ने ₹124.03 करोड़ का कारोबार किया। मण्डी मध्यस्थता योजना के अर्न्तगत हिमाचल प्रदेश सरकार ने आम, सेब और नीम्बू प्रजाति के फलों के लिए समर्थन मूल्य जारी रखा, जो निम्न प्रकार से है:

सारणी 6.6

राज्य में समर्थन मूल्य पर आम, सेब और सिट्रस फलों की फसलें

क्र.सं.	फल का नाम	अधिप्राप्ति मूल्य (₹ प्रति किग्रा.)
1	आम (ग्राफ्टेड किस्में)	12.00
2	आम (सीडिंग किस्में)	12.00
3	आम अचारी (कच्चा)	12.00
4	सेब	12.00
5	किन्नू, माल्टा और संतरा (बी ग्रेड)	12.00
6	किन्नू, माल्टा और संतरा (सी ग्रेड)	12.00
7	गलगल (सभी ग्रेड)	12.00

iii. निगम जिला शिमला के सेब उत्पादन क्षेत्रों में सफलतापूर्वक चार नियंत्रित वातानुकूलित भण्डार निम्नानुसार संचालित कर रहा है जोकि जरोल–टिक्कर (कोटगढ़) 640 मी० टन, गुम्मा (कोटखाई) 640 मी० टन, ओडी (कुमारसेन) 700 मी० टन, रोहडू 700 मी० टन सहित कुल 2,680 मी० टन क्षमता के भण्डारण किए है।

iv. नादौन (हमीरपुर) तथा घुमारवीं (बिलासपुर) में पैक हाउस व कोल्ड रूम फल, फूल व सब्जियों व जड़ी–बूटियों की ग्रेडिंग पैकिंग के लिए कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण (ए.पी.ई.डी.ए.) द्वारा प्राप्त वित्तिय सहायता से ₹7.89 करोड़ की लागत से स्थापित किए जा रहे ।

v. परवाणू में एप्पल जूस कंसन्ट्रेट (ए.जे.सी.) प्लांट के उन्नयन के लिए ए.पी.ई.डी. ए. से ₹8.00 करोड़ की सहायता अनुदान राशि प्राप्त हुई है तथा वर्ष 2018 में परीक्षण उत्पादन शुरू करके उन्नयन का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। उन्नत प्लांट ने वर्ष 2018 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है। निगम, एफ.पी.पी. जरोल (सुंदरनगर) और एफ.पी.पी पराला (ठियोग) में भी ए. जे.सी. का उत्पादन कर रहा है। 5 वर्षों के दौरान सभी 03 प्लांटों में कुल ए. जे.सी उत्पादन निम्नानुसार चित्र 6.10 में दिया है।

चित्र 6.10

सेब के रस का उत्पादन (एम.टी. में)

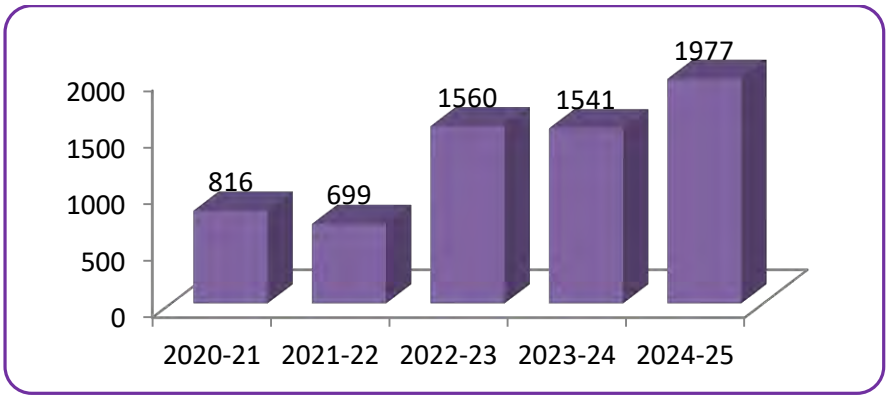

इस वर्ष 2024 सेब सीजन में निगम द्वारा 3 फल विधायन संयंत्रों परवाणू, जरोल तथा पराला (ठियोग) द्वारा अब तक सबसे अधिक लगभग 2,000 मी० टन ए.जे.सी. का उत्पादन किया गया है।

vi. फल विधायन संयंत्र परवाणू (एफ.पी.पी.) परवाणू जिला सोलन (एच.पी.) में तीन प्रकार के प्रसंस्कृत उत्पाद बनाए जाते हैं, जोकि ए.जे.सी. सेब सुगंध (एप्पल अरोगा), टेट्रा पैक (200 एम.एल.) और सेब साइडर सिरका (1000 और 600 एम.एल.) है। इसके अलावा फल विधायन संयंत्र जरोल में विभिन्न प्रकार के प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद जैसे ए.जे.सी.ए जैम, सकवैश, आचार और वाइन का उत्पादन भी किया जाता है।

vii. निगम ने फल विधायन संयंत्र परवाणू में सेब साईडर के उत्पादन हेतू मेसर्स पी.एच–4 के साथ अनुबंध (एम.ओ.यू) प्रतिपादित किया है। इसके अतिरिक्त

फल विधायन संयंत्र, जरोल ने रेड वाइन और अन्य फलों की वाइन के उत्पादन हेतू मैसर्स मांउटेन बैरल के साथ भी एक अनुबंध (एम.ओ.यू.) प्रतिपादित किया है।

viii. विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना (एच. पी.एच.डी.पी.) की सहायता से राज्य में उत्पादित्त विभिन्न फलों की ग्रेडिंग, भंडारण और प्रसंस्करण की मौजूदा क्षमता को बढ़ाने हेतु निम्नलिखित कार्य किए गए हैं उक्त परियोजना के फसलोत्तर समर्थन अवसंरचना घटक के अन्तर्गत विश्व बैंक द्वारा निगम को ₹ 266.14 करोड की वित्तिय सहायता प्रदान की गई तथा सी.ए. की कुल मौजूदा भंडारण क्षमता को 2,680 मी० टन से बढ़ाकर 7,328 मी० टन किया गया है। उपरोक्त सी.ए. स्टोरों के अतिरिक्त, निगम ने एच.पी.एच. डी.पी. के अन्तर्गत रिकॉगपिओ, जिला किन्नौर में 250 मी. टन और चच्योट जिला मण्डी में 500 मी. टन की भंडारण क्षमता वाले नए सी.ए. स्टोर स्थापित किए गए है।

ix. निगम ने टुटु, (जिला शिमला), रोहडू (जिला शिमला) और गिआबोंग, जिला किन्नौर और चच्योट, जिला मण्डी में सेब के नए ग्रेडिंग और पैकिंग हॉउस स्थापित किए गए है। इन सभी ग्रेडिग एवं पैकिंग हाऊसों की क्षमता 10,000 मी. टन/सीजन है। निगम एच.पी.एच.डी.पी. की सहायता से भुंतर, जिला कुल्लू में एक अनार ग्रेडिग और पैकिंग हाउस भी स्थापित किया है।

x. वित्त पोषित हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना के अन्तर्गत पराला में 200 मी. टन प्रतिदिन की क्षमता वाला आधुनिक ए.जे.सी. प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया गया है। यह संयंत्र ए.जे.सी. उत्पादन लागत को कम करने, उत्कृष्ट गुणवता प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने और निगम की बिक्री को भी बढ़ावा देने मे मदद कर रहा है। इस संयंत्र में 1,00,000 लीटर प्रतिवर्ष की बाइन उत्पादन क्षमता वाली एक वाइनरी भी स्थापित की गई है।

xi. एच.पी.एच.डी.पी. के अर्न्तगत जरोल जिला मण्डी और परवाणु जिला सोलन में मौजूदा फल प्रसंकरण संयत्रों को उन्नयन किया है, उपरोक्त के अतिरिक्त, जरोल में स्थित एच.पी.एम.सी. के फल विधायन संयंत्र में वाइन उत्पादन की क्षमता को भी 30,000 लीटर से 70,000 लीटर प्रति वर्ष बढ़ा दिया गया है।

Xii. निगम ने अपने पराला एफ.पी.पी. के लिए बागवानों से प्लास्टिक (पी.वी.सी) क्रेटस के द्वारा सेब की खरीद भी शुरू कर दी है. जिससे कि ऐ.जे.सी. की गुणवता और उत्पादन में सुधार हुआ है।

निष्कर्षः हिमाचल प्रदेश के जी.एस.वी.ए. में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान 53 प्रतिशत बढ़ गया है, जो वित्त वर्ष 2020–21 में ₹20,838 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2024–25 में ₹31,879 करोड़ हो गया है। और इस वित वर्ष में फसल क्षेत्र 78 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि के साथ ₹21,912 करोड़ तक पहुंच गया है। वानिकी, क्षेत्र जी.एस.वी.ए. में 21.09 प्रतिशत का योगदान देता है, वित्त वर्ष 2024–25 में 4 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है, जो पिछले वर्ष की गिरावट से उभर रहा है। मत्स्य पालन क्षेत्र, हालांकि छोटा है, इसमें लगातार वृद्धि देखी गई है, वित्त वर्ष 2024–25 में 7 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने कृषि पद्धतियों और किसान कल्याण में सुधार लाने के उद्देश्य से कई पहल शुरू की हैं। ये योजनाएं फसल विविधीकरण, सिंचाई बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर केंद्रित हैं। उल्लेखनीय योजनाओं में मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना (एम.एम.के.एस.वाई), जे.आई.सी.ए. के अंतर्गत मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना (एम.के.यू.एस.वाई.) और हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण संवर्धन परियोजना (एच.पी.सी.डी.पी.) शामिल हैं। अन्य योजनाएं जैसे फसल बीमा, कृषि मशीनीकरण और प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा योजना (पी.एम.–कुसुम) का उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाना, वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसानों के लिए लागत कम करना है। वित्त वर्ष 2024–25 में इन योजनाओं के लिए बजट आवंटन सतत कृषि विकास और किसान सशक्तिकरण के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बागवानी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसमें उत्पादन और खेती के क्षेत्र दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राज्य में बागवानी फसलों, विशेषकर सेब में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो फल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है। बागवानी विकास योजना, एंटी–हेल नेट और बागवानी के एकीकृत विकास मिशन जैसी विभिन्न योजनाओं का उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना, सब्सिडी और आधुनिक कृषि उपकरणों के माध्यम से किसानों का समर्थन करना है। राज्य, बागवानी उत्पादों की भंडारण क्षमता, ग्रेडिंग और प्रसंस्करण में सुधार, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता के साथ अपने बुनियादी ढांचे को और मजबूत कर रहा है।

******

अध्याय
7



पशुपालन


CURD SECTION
INCUBATION ROOM



मुख्य बिन्दु

- हिमाचल प्रदेश में पशुधन क्षेत्र के अन्तर्गत किये गए विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा पशुओं के स्वास्थ्य और उत्पादकता सुधार पर ध्यान दिया जाता है, जिसमें दूध, मांस और अंडे के उत्पादन में वृद्धि और कृषि प्रक्षेपो के लिए बल शक्ति प्रदान करने के लिए उन्मुख है।
- 2012 की पशुधन गणना की तुलना में 2019 की पशु गणना में राज्य में क्रॉसब्रीड मवेशियों की संख्या में 8.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। क्रॉसब्रीड मवेशियों का हिस्सा कुल मवेशियों की आबादी का 58.48 प्रतिशत तक पहुंच गया है।
- पशुधन गणना 2019 के अनुसार, राज्य के पास भारत के कुल पशुधन का 0.82 प्रतिशत और कुल पोल्ट्री का 0.16 प्रतिशत हिस्सा है। राज्य देश में मवेशियों में 20वें और पोल्ट्री आबादी में 27वें स्थान पर है।
- हिमाचल प्रदेश में पशुधन द्वारा सृजित सकल मूल्य उत्पादन (जी.वी.ओ.) पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ा है। यह प्रचलित मूल्य पर 2018–19 में ₹5,496 करोड़ से बढ़कर 2024–25 के दौरान ₹7,326 करोड़ देखा गया है (अग्रिम अनुमान)।
- राज्य में दुग्ध उत्पादन 2012–13 के 11.39 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर वित्त वर्ष 2024–25 में 17.50 लाख मीट्रिक टन हो गया और 3.6 प्रतिशत की चक्रवृधि वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है।
- वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, 1,10,136 भेड़ों की ऊन काटी गई, जिससे 600 भेड़ पालकों को लाभ हुआ।
- हिमाचल प्रदेश मिल्कफेड में 1,148 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां हैं। इन सोसायटियों की कुल सदस्यता 47,905 है,
- मछली उत्पादन 2012–13 और 2023–24 के बीच दोगुना से अधिक हो गया और 3.3 प्रतिशत का चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई।

7.1 परिचय– पशुपालन

हिमाचल प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में पशुपालन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो ग्रामीण आबादी के एक बड़े हिस्से की आजीविका में योगदान देता है। राज्य की विविध स्थलाकृति और जलवायु परिस्थितियाँ पशुधन खेती के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती हैं, जो संस्कृति और अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। परंपरागत रूप से, पशुपालन निर्वाह किसान की जीवन शैली का हिस्सा था, जो न केवल परिवार के लिए आवश्यक भोजन का उत्पादन करता था बल्कि ईंधन, उर्वरक, कपड़े, परिवहन और खीचने की क्षमता शक्ति भी पैदा करता था। भोजन के लिए जानवर को मारना एक प्राथमिक विचार नही रह गया बल्कि जहां तक संभव हो उसके जीवित रहते ही ऊन, अंडे, दूध जैसे उत्पादों का उपभोग किया जा सकता है।

पशुधन क्षेत्र अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जहां गरीब सीधे विकास में योगदान करते हैं। यह आजीविका में सुधार, किसानों की आय बढ़ाने और देश में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पशुपालन कृषि समुदायों का एक अभिन्न अंग है क्योंकि यह कृषि परिवारों की आय का पूरक है। इसमें न्यूनतम निवेश पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्व–रोजगार पैदा करने की बहुत बड़ी संभावना है। यह अध्याय पशुधन व मत्स्यपालन के विकास के लिए सरकारी पहल के साथ–2 पशुपालन व मत्स्यपालन के प्रदर्शन पर चर्चा करता है।

7.1.1 पशुधन के माध्यम से समावेशी विकास

हिमाचल प्रदेश में, पशुपालन के अन्तर्गत गतिविधियां पशुधन के स्वास्थ्य में सुधार, दूध, मांस और अंडे के उत्पादन में वृद्धि और कृषि कार्यों के लिए बलशक्ति के प्रावधान की ओर उन्मुख हैं। इस संबंध में, राज्य में पशुधन उत्पादन में सुधार, प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने, लोगों के पोषण मानकों में सुधार करने, पशुधन नस्लों के रखरखाव और सुधार के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय नीतियों के अनुसरण में कई योजनाएं बनाई गई हैं।

ग्रामीण परिवारों की रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करने वाले ''पशु'', पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य उत्पाद, गोबर के रूप में जैविक खाद, घरेलू ईंधन, खाल और त्वचा प्रदान करते हैं। वे एक प्राकृतिक पूंजी मानी जाने वाली नकद आय के नियमित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, जिसे आसानी से पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। पशुधन एक जीवित बैंक के रूप में कार्य करता है, जिसमें संताने ब्याज के रूप में कार्य करती है, और प्रकृति की अनिश्चितताओं के विरुद्ध भी सबसे अच्छा बीमा है।

7.1.2 दूध, मांस और अंडा – प्रमुख विकास चालक

पशुधन गणना

पशुधन खेती लोगों की वसा और प्रोटीन की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पशुधन उद्योग देश में गैर–सरकारी स्तर पर नौकरियों का एक प्रमुख स्रोतः है। बीस में से उन्नीस घरों में किसी न किसी तौर पर पशुधन उपलब्ध है जिसमें गाय व भैंस सामान्य तौर पर है और पशुधन क्षेत्र ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के लिए सबसे अधिक संभावित और आय पैदा करने वाले क्षेत्रों के रूप में उभर रहा है। हिमाचल प्रदेश में जंगल, पानी, चारागाह और कृषि भूमि सभी सामान्य संपत्ति संसाधन (सी. पी.आर.) के उदाहरण हैं।

पशुधन गणना 2019 के अनुसार, राज्य में भारत के कुल पशुधन का 0.82 प्रतिशत और कुल पोल्ट्री का 0.16 प्रतिशत हिस्सा है। राज्य देश में मवेशियों में 20वें और पोल्ट्री आबादी में 27वें स्थान पर है। राज्य में कुल पशुधन आबादी 44.13 लाख थी, और कुक्कुट आबादी 13.42 लाख थी। हिमाचल प्रदेश में, पशुधन जनसंख्या में मवेशियों का 18.28 लाख के साथ सबसे बड़ा हिस्सा है, इसके बाद बकरियां, भेड़ और भैंसों की संख्या आती हैं।(चित्र–7.1) राज्य में कुल मवेशियों की संख्या में विदेशी नस्ल के मवेशियों का प्रतिशत बढ़ रहा है। 2012 की पशुगणना की तुलना में 2019 की पशु गणना में राज्य में क्रॉसब्रीड मवेशियों की संख्या 8.64 प्रतिशत बढ़ी है। क्रॉसब्रीड मवेशियों का हिस्सा कुल मवेशियों की संख्या का 58.48 प्रतिशत तक पहुंच गया है। यह अधिक उत्पादक पशुओं की बढ़ती हिस्सेदारी को इंगित करता है और यह राज्य में बढ़ते दूध उत्पादन में परिलक्षित होता है।

चित्र 7.1

पशुधन गणना 2019 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में प्रजाति–वार पशुधन आबादी (लाख में)

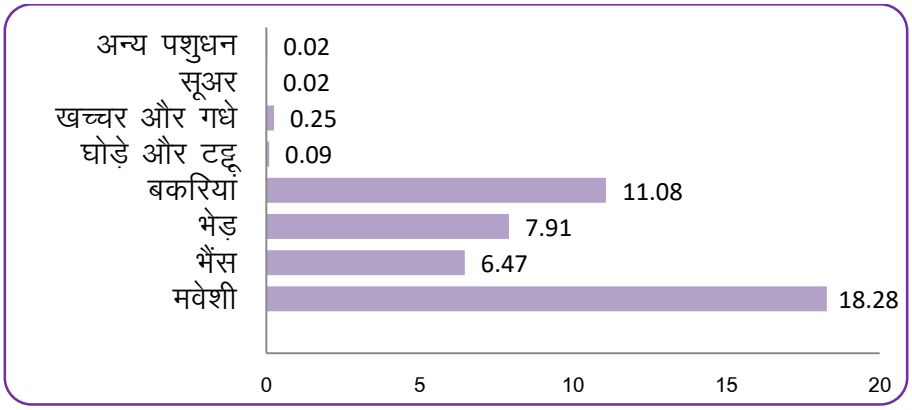

स्त्रोतः पशुपालन निदेशालय, हिमाचल प्रदेश सरकार

7.1.3 दूध उत्पादन और प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता

सरकार द्वारा शुरू की गई डेयरी, भेड़ और मुर्गीपालन इकाइयों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के साथ–साथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज और संगठित विपणन

चैनलों की स्थापना ने ग्रामीण समुदायों को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन प्रयासों ने न केवल आय के अंतर को पाटने में मदद की है बल्कि घरेलू जैव विविधता के संरक्षण में भी योगदान दिया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये प्रथाएं भू–जल संसाधनों को कम किए बिना शुष्क भूमि में खाद्य उत्पादन का साधन प्रदान करती हैं।

पशुधन बीमा कवरेज को बड़ी संख्या में भेड़ और बकरियां रखने वाले परिवारों तक बढ़ाया गया है, जिससे इस क्षेत्र में अप्रत्याशित चुनौतियों के लिए सुरक्षा जाल उपलब्ध हुआ है। कुल मिलाकर, पशुपालन में वृद्धि और विकास ने न केवल आर्थिक समृद्धि में योगदान दिया है, बल्कि ग्रामीण आजीविका और पर्यावरण संरक्षण दोनों को बढ़ावा देते हुए टिकाऊ प्रथाओं के साथ भी जुड़ गया है।

चित्र 7.2

कुल दुग्ध उत्पादन में प्रजातिवार योगदान (प्रतिशत में)

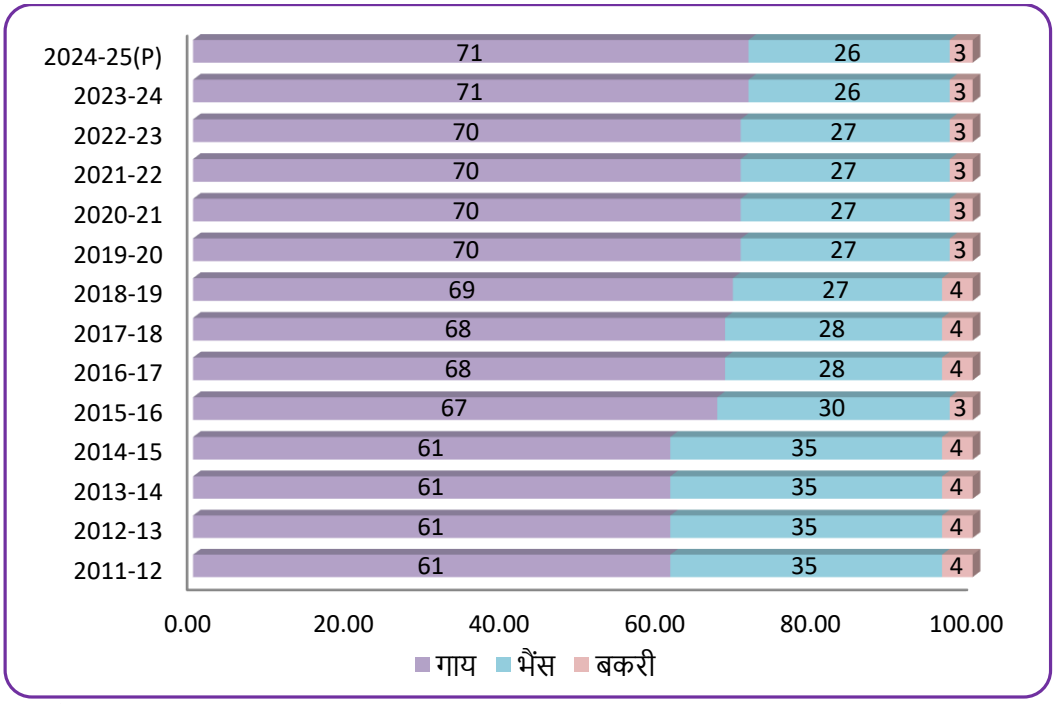

स्त्रोतः पशुपालन निदेशालय, हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2012–13 से 2024–25 तक दुग्ध उत्पादन की बढ़ती स्थिति को सारणी 7.1 में दर्शाया गया है। यह दर्शाता है कि राज्य में दुग्ध उत्पादन वित्त वर्ष 2012–13 के 11.39 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर वित्त वर्ष 2024–25 में 17.50 लाख मीट्रिक टन (अनुमानित) हो गया है, जिनकी सी.ए.जी.आर. 3.6 प्रतिशत हैं। गाय का दूध कुल दूध उत्पादन का लगभग 71.0 प्रतिशत है जबकि भैंस के दूध का हिस्सा लगभग 26.0 प्रतिशत और बकरी के दूध का हिस्सा 3.0 प्रतिशत है। 2011–12 से 2024–25 के बीच कुल दुग्ध उत्पादन में प्रजातिवार दुग्ध उत्पादन का योगदान चित्र 7.2 में दिखाया गया है।

राज्य में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 2012–13 में 455 ग्राम प्रतिदिन से बढ़कर 2024–25 में 698 ग्राम प्रतिदिन हो गई है। यह 2024–25 में राष्ट्रीय औसत 427 ग्राम प्रति दिन से अधिक है। अभी भी अच्छी कृषि पद्धतियों को अपनाकर दूध उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने की गुंजाइश है ताकि किसान की आय में वृद्धि हो सके।

सारणी 7.1

हिमाचल प्रदेश में दूध का उत्पादन (लाख टन) प्रति व्यक्ति उपलब्धता (2012–13 से 2024–25 तक दुग्ध उत्पादन में प्रतिशत परिवर्तन)

वर्ष	दुग्ध उत्पादन (लाख टन)	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन	प्रति व्यक्ति उपलब्धता ग्राम/दिन
2012–13	11.39	–	455
2013–14	11.51	1.1	460
2014–15	11.70	1.7	468
2015–16	12.83	9.7	511
2016–17	13.28	3.5	531
2017–18	13.92	4.8	556
2018–19	14.71	5.7	588
2019–20	15.31	4.1	612
2020–21	15.76	2.9	630
2021–22	16.15	2.5	645
2022–23	16.17	2.4	650
2023–24	17.49	8.20	698
2024–25 अनुमानित	17.50	0.10	698
चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर (सी.ए.जी.आर.)	**3.6**	–	**3.6**

स्त्रोतः पशुपालन निदेशालय, हिमाचल प्रदेश सरकार

7.1.4 मांस और कुक्कुट उत्पादन

हिमाचल प्रदेश में अंडे का उत्पादन 2011–12 में 10.50 लाख से घटकर 2024–25 में 9.60 लाख हो गया है। चित्र 7.3.

हिमाचल प्रदेश में मांस उत्पादन 2011–12 में 39.66 हजार टन से बढ़कर 2024–25 में 55.50 हजार टन हो गया है। चित्र 7.4.

चित्र 7.3

हिमाचल प्रदेश में अंडे का उत्पादन (2011–12 से 2024–25 तक) अण्डे (लाख में)

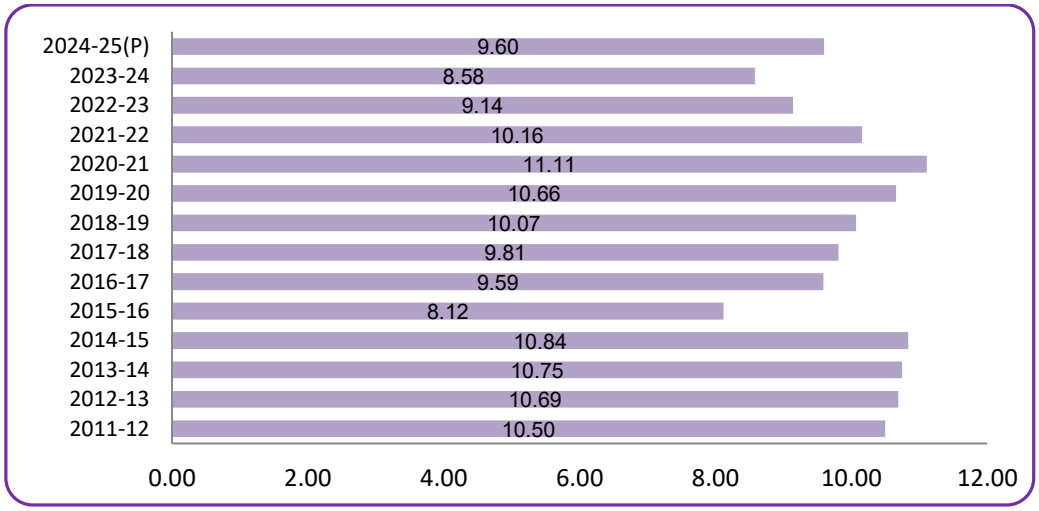

स्त्रोतः पशुपालन निदेशालय, हिमाचल प्रदेश सरकार

चित्र 7.4

हिमाचल प्रदेश में मांस का उत्पादन (2011–12 से 2024–25 तक)

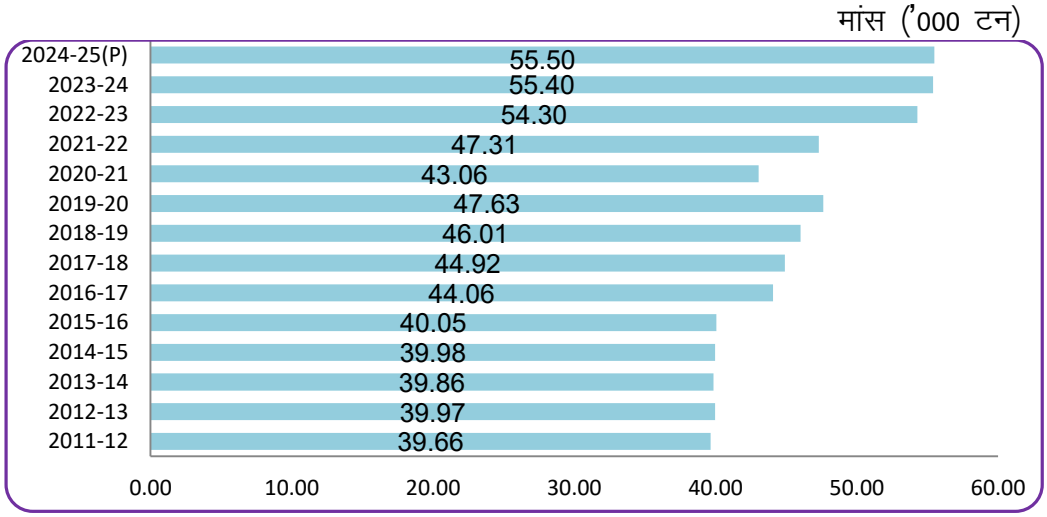

स्त्रोतः पशुपालन निदेशालय, हिमाचल प्रदेश सरकार

7.1.5 पशुधन क्षेत्र का विकास

पशुपालन कृषि और संबद्ध गतिविधियों के अर्न्तगत एक महत्वपूर्ण उप–क्षेत्र है। वर्ष 2024–25 में इसने कुल जी.एस.वी.ए. का 1.36 प्रतिशत और कृषि और संबद्ध क्षेत्र जी.एस. वी.ए. का 9.24 प्रतिशत योगदान दिया है। हिमाचल प्रदेश में पशुधन द्वारा सृजित सकल मूल्य उत्पादन (जी.वी.ओ.) पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ा है। यह प्रचलित मूल्य पर वित्त वर्ष 2018–19 में ₹5,496 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2024–25 (अग्रिम अनुमान) के दौरान

₹7,326 करोड़ हो गया। पशुधन क्षेत्र के विभिन्न घटकों का योगदान सारणी 7.2 में दर्शाया गया है:

चित्र 7.5

हिमाचल प्रदेश में पशुधन क्षेत्र के विभिन्न घटकों का जी.वी.ओ. में योगदान(2024–25)(अ.अ.)

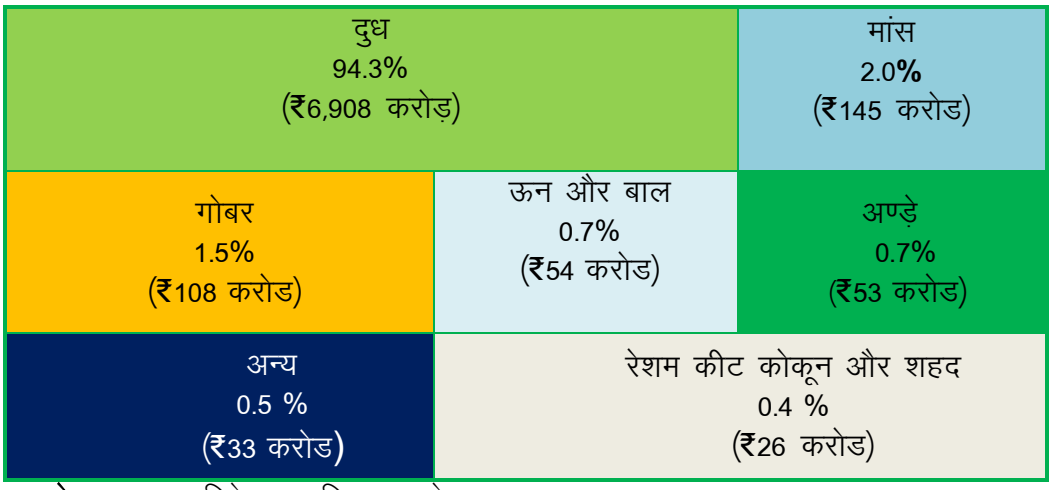

स्त्रोतः पशुपालन निदेशालय, हिमाचल प्रदेश सरकार

2024–25 (अ.अ.) में पशुधन क्षेत्र में 5.2 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। 2018–19 से 2024–25 की अवधि के दौरान, पशुधन क्षेत्र ने फसल क्षेत्र की(–)2.4 प्रतिशत की तुलना में 5.7 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर्ज की।

7.2 सरकारी पहलें

राज्य पशुपालन के संभावित आर्थिक लाभों को पहचानता है और इसलिए निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके पशुधन विकास रणनीति को लागू करने के लिए संसाधनों को समर्पित करता है।

- पशु स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण
- पशु विकास
- भेड़ प्रजनन तथा ऊन विकास
- कुक्कट विकास
- पशु आहार व चारा विकास
- पशु चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा
- पशुधन गणना

पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 31 दिसम्बर, 2024 तक राज्य में संस्थानों की कुल संख्या सारणी 7.3 में दर्शाया गया है।

सारणी 7.2

पशु स्वास्थ्य संस्थान

संख्या	संस्थान के प्रकार	संस्थान की संख्या
1	राज्य स्तरीय पशु चिकित्सालय	1
2	क्षेत्रीय पशु चिकित्सालय	3
3	पॉलीक्लिनिक	10
4	उपमण्डलीय पशु चिकित्सालय	60
5	पशु चिकित्सालय	362
6	केन्द्रीय पशु औषधालय	30
7	पशु निरीक्षण चौकियां	6
8	पशु औषधालय	1762
	कुल	**2234**

स्त्रोतः पशुपालन निदेशालय, हिमाचल प्रदेश सरकार

राज्य भर के प्रजनकों के पास भेड़ और ऊन की गुणवत्ता में सुधार के लिए उन्नत भेड़ प्रजनन फार्मों तक पहुंच है, सरकारी भेड़ प्रजनन फार्म ज्यूरी (शिमला), ताल (हमीरपुर), और करछम (किन्नौर) राज्य के प्रजनकों को बेहतर भेड़ों की आपूर्ति कर रहे हैं। मंडी जिले के नगवाईं में एक राम केंद्र भी काम कर रहा है जहां उन्नत भेड़ों का पालन किया जाता है और क्रॉस ब्रीडिंग के लिए प्रजनकों को आपूर्ति की जाती है।

हिमाचल में शुद्ध हॉगट की बढ़ती मांग और सोवियत मैरिनो और अमेरिकन रैम्बौइलेट की स्थापित लोकप्रियता को देखते हुए, राज्य ने मौजूदा सरकारी फार्मों में शुद्ध प्रजनन की ओर रुख किया है, और 9 भेड़ और ऊन विस्तार केंद्र चरवाहों के कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2024–25 के दौरान ऊन का उत्पादन 1,500 टन होने की संभावना है। प्रजनकों को खरगोशों के वितरण के लिए कंदवाडी (कांगड़ा) और नगवाई (मंडी) में अंगोरा खरगोश फार्म काम कर रहे हैं।

सारणी 7.3

कृत्रिम गर्भाधारण का विवरण

क्र.सं.	विवरण	दिसम्बर, 2024 तक	2024–25 (लक्ष्य)
1.	वीर्य तृण गाय के लिए (लाख)	3.66	7.00
2.	वीर्य तृण भैंस के लिए (लाख)	1.64	2.50
3.	तरल नाईट्रोजन LN2 (लाख लीटर)	2.32	12.70
4.	कृत्रिम गर्भाधारण गाय के लिए (लाख)	3.87	6.48
5.	कृत्रिम गर्भाधारण भैंस के लिए (लाख)	1.07	2.52

स्त्रोतः पशुपालन निदेशालय, हिमाचल प्रदेश सरकार

घोड़ों की स्पीति नस्ल को बनाऐ रखने के उद्देश्य से लाहौल और स्पीति जिले के लरी में एक घोड़ा प्रजनन फार्म स्थापित किया गया है। पशुओं की वर्तमान स्थिति सारणी 7.5 में दर्शायी गई है।

सारणी–7.4

लरी फार्म में पशुधन संख्या

क्र. सं.	विवरण	31 दिसम्बर, 2024
1	घोड़े	70
2	याक	48
3	चेगु बकरी	20
	कुल	**138**

स्त्रोतः पशु पालन विभाग, हिमाचल प्रदेश

7.2.1 पशुपालकों हेतु कल्याणकारी योजनाएँ

- **सामान्य श्रेणी के बी.पी.एल. किसानों से संबंधित योजना**

गर्भावस्था के बाद तीन महीनों के दौरान, सामान्य श्रेणी के बी.पी.एल. पशुपालक परिवारों को उनकी देसी/क्रॉस नस्ल की गायों को 3 किलोग्राम प्रतिदिन की दर से 50 प्रतिशत सब्सिडी पर गर्भावस्था राशन प्रदान किया जाता है। कुल 13,440 किसानो को इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। योजना का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है:

- दूध उत्पादन को बढ़ाना।
- अंतर–केल्विग अवधि को कम करना।
- गर्भवती गायों के स्वास्थ्य में सुधार करना।

- **उत्तम पशु पुरस्कार योजना**

यह योजना वित वर्ष 2023–24 में ₹150.00 लाख के प्रावधान से शुरू की गई थी इसके अन्तर्गत जिन किसानों के दुधारू पशु/भैंसों का प्रतिदिन 15 लीटर तथा इससे अधिक दूध उत्पादन होता है, उन्हें प्रति लाभार्थी प्रति पशु ₹1,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

7.2.2 कुक्कट विकास योजना

हिमाचल प्रदेश में कुक्कट क्षेत्र के विकास के लिए विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विभाग द्वारा निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही है:

- **बैकयार्ड पोल्ट्री परियोजनाः** 3 सप्ताह आयु के कम इनपुट प्रौद्योगिकी(एल.आई.टी.) पक्षियों के 10–100 संख्या में चूजों को लागत मूल्य पर पोल्ट्री प्रजन्नकों को वितरित किए जाते है। इस योजना के अर्न्तगत 2024–25 में दिसम्बर, 2024 तक 6,870 लाभार्थियों को 4,10,000 चूजों के वितरण के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 2,66,094 चूजों का वितरण किया गया।

- **हिम कुकुक्ट पालन योजनाः** राज्य में 97 कुक्कुट इकाइयों की स्थापना हेतु ₹388. 84 लाख का बजट निर्धारित किया गया है, वित्तीय वर्ष 2024–25 में लाभार्थियों को एक–दिन आयु के तीन हजार ब्रायलर चूजे, चारा, फीडर एवं ड्रिंकर प्राप्त हुए। लाभार्थियों को पूंजी निवेश (शेड बिल्डिंग, फीडर और ड्रिंकर) और आवर्ती लागत (चूजों, चारा आदि की लागत) दोनों पर 60 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाता है। दिसम्बर, 2024 तक 32 लाभार्थियों का चयन किया गया है और ₹126. 72 लाख की सब्सिडी जारी की जाएगी।

7.2.3 राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आर.जी.एम.)

दूध की बढ़ती मांग को पूरा करने, देश के ग्रामीण किसानों के लिए डेयरी को अधिक लाभकारी बनाने, दूध उत्पादन और गायों की उत्पादकता बढ़ाने में राष्ट्रीय गोकुल मिशन महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अन्तर्गत् हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में निम्नलिखित गतिविधियां कार्यान्वित की जा रही हैंः

- **राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान योजना (एन.ए.आई.पी.):** योजना का उद्देश्य किसानों के घर द्वार पर गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं के वितरण, दुग्ध उत्पादन और गोवंश की उत्पादकता में वृद्धि और इस तरह किसानों की आय में वृद्धि और किसानों के बीच कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं की स्वीकार्यता बढ़ाना है। इस योंजना का उद्देश्य संगठित किसान जागरूकता कार्यक्रम के कार्यान्वयन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। यह घटक राज्य के सभी जिलों में 2021–22 से 2025–26 तक 5 वर्षों की अवधि में सभी प्रजनन योग्य मवेशियों और भैंसों की आबादी को सम्मिलित करते हुए लागू किया जाएगा। वर्तमान मे कार्यक्रम के अन्तगर्त 15,88,242 निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान किया गया हैं।

- **जिला कांगड़ा के संतति परीक्षण (जर्सी) कार्यक्रमः** यह कार्यक्रम विभाग के 115 पशु चिकित्सा संस्थानों के नेटवर्क द्वारा कांगड़ा जिले के लगभग 800 राजस्व गांवों में निम्नलिखित उद्देश्य से क्रियान्वित किया जा रहा हैः

  - जर्सी मवेशियों की आबादी में दूध, वसा, वसा रहित ठोस और प्रोटीन की पैदावार, प्रजनन गुणों और प्रकार के लक्षणों के संबंध में एक स्थिर आनुवंशिक प्रगति प्राप्त करना।

- भविष्य की पीढ़ी के सांड बछड़ों के उत्पादन के लिए आनुवांशिक मूल्यांकन और बैल माताओं और सांडों के चयन की एक प्रणाली स्थापित करना।
- संतति परीक्षण के माध्यम से वीर्य केन्द्रों के लिए आनुवांशिक रुप से मूल्यांकित सांड बछड़ों की आवश्यक संख्या का उत्पादन करना।

भारत सरकार से इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन.डी.डी. बी.) के माध्यम से ₹616.61 लाख की राशि प्राप्त हुई है जिसमें से अब तक विभिन्न घटकों के अन्तर्गत राशि का उपयोग किया जा चुका है।

- **मौजूदा सीमन स्टेशनों का सुदृढ़ीकरणः** भारत सरकार ने इस घटक के अन्तर्गत एस.एस. पालमपुर स्टेशन के सुदृढ़ीकरण के लिए ₹734.19 लाख स्वीकृत किए हैं।

7.2.4 हिमाचल प्रदेश के सभी प्रकार के भेड़ पालकों को रैम सब्सिडी का प्रावधान

इस योजना के अन्तर्गत् सभी श्रेणियों के भेड़ पालकों को जिनके पास कम से कम 50 भेड़ें हों, को भेड़ों के प्रजनन के लिए 60 प्रतिशत अनुदान पर मेढे दिये जाते हैं (प्रति लाभार्थी अधिकतम दो मेढ़े)। वित्त वर्ष 2017–18 से 2024–25 के दौरान इस योजना के लिए ₹223.46 लाख आवंटित किए गए थे। अब तक 3,200 लाभार्थियों को इस योजना के तहत कवर किया गया है।

योजना के उद्देश्यः

- स्वदेशी नस्ल के भेड़ों में आनुवांशिक सुधार तथा हिमाचल प्रदेश के प्रवासी भेड़ों में बेहतर जर्मन प्लाज्म का प्रसार करना।
- राज्य में मांस और ऊन की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार करना तथा भेड़ पालकों को बेहतर आर्थिक लाभ सुनिश्चित करना।
- सभी प्रकार के भेड़ पालकों के प्रवासी भेड़ झुड़ों के बीच आंतरिक प्रजनन की समस्या का हल करना।

7.2.5 कृषक बकरी पालन योजना

इस योजना के अन्तर्गत् सभी श्रेणियों के बकरी पालकों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार के उद्देश्य से 11 बकरियां (10 मादा+1 नर), 5 बकरियां (4 मादा+1 नर) तथा 3 बकरियां (2 मादा+1 नर) 60 प्रतिशत अनुदान पर दिए जाते हैं। गर्भावस्था के अंतिम तिमाही के दौरान बकरियों के लिए फीड, चारे के अतिरिक्त बीमा का भी प्रावधान है। वर्ष 2017–18 से 2024–25 के लिए बजट प्रावधान ₹1,428.44 लाख आवंटित किया गया है। अब तक 2,930 इकाइयां (5,480 बकरीयां) वितरित की जा चुकी हैं।

7.2.6 पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्य को सहायता

केंद्र प्रायोजित योजना के तहत भारत सरकार द्वारा 90 प्रतिशत केंद्रीय हिस्सेदारी और 10 प्रतिशत राज्य हिस्सेदारी के आधार पर धनराशि प्रदान की जा रही है ताकि संक्रामक रोगों जैसे रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया और ब्लैक कार्टर (एच.एस.बी.क्यू.), एंटरोटॉक्सिमिया, पेस्ट डेस पेटिटस रूमिनेंटस (पी.पी.आर.), रानीखेत, मारेक और रेबीज के रोकथाम हेतु मुफ्त टीकाकरण सुविधा प्रदान की जा सके, इस योजना के अन्तर्गत क्रियान्वयन से उक्त लिखित संक्रामक रोगों का प्रकोप टल जाता है और पशुपालको को होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाया जा सकता है। योजना के अन्तगर्त 10.00 लाख, 2.50 लाख एवं 0.50 लाख के लक्ष्य के समकक्ष क्रमशः 3.56 लाख एच.एस.बी.क्यु. 2.50 लाख ई. टी. तथा 0.51 लाख ए.आर.बी. का टीकाकरण किया गया है।

7.2.7 प्रमुख के उत्पादन के अनुमान के लिए एकीकृत नमूना सर्वेक्षण

1977–78 के बाद से, निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ सालाना एकीकृत नमूना सर्वेक्षण आयोजित किया गया है:

- मौसम के अनुसार और वार्षिक दूध, अंडे और ऊन के उत्पादन का अनुमान लगाना।
- औसत जनसंख्या और उपज अनुमानों की गणना करना
- गोबर उत्पादन का अनुमान लगाने के लिए
- फीड और चारे की औसत खपत की गणना करना
- जनसंख्या, उपज और उत्पादन की प्रवृत्ति का अध्ययन करना

यह सर्वेक्षण कार्य राज्य में भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान (ए.एच.एस. प्रभाग) नई दिल्ली के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। यह पशुधन उत्पादों और पशुधन संख्या से संबंधित एक विश्वसनीय डाटाबेस प्रदान करता है।

7.3 हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड (एच.पी.मिल्क फेड)

हिमाचल प्रदेश में डेयरी विकास गतिविधियां आनन्द पद्धति के टू–टायर' ढांचे पर आधारित है। आनन्द पद्धति की मूल इकाई ग्रामीण दुग्ध उत्पादक सहकारी सभा है जहां पर दुग्ध उत्पादकों का आधिक्य दूध इक्कठ्ा किया जाता है और इस दूध का परीक्षण किया जाता है। दुग्ध उत्पादकों को दूध का भुगतान दूध की गुणवत्ता के आधार पर किया जाता है। हि0प्र0 दुग्ध प्रसंघ में 1,148 दुध उत्पादक सहकारी समितियां हैं। इन समितियों के सदस्यों की कुल संख्या 47,905 है, हि0प्र0 दुग्ध प्रसंघ ने 2023–24 के दौरान लगभग 406 लाख लीटर और चालू वितीय वर्ष के लिए नवम्बर 2024 तक 375 लाख लीटर दूध

एकत्र किया है। वर्ष 2025–26 के लिए हि0प्र0 दुग्ध प्रसंघ ने दुग्ध उत्पादकों से 500 लाख लीटर दुध खरीदने का अस्थाई लक्ष्य रखा है।

दुध को प्रशीतन केन्द्रों से एकत्रित कर दुध प्रससकरण केंन्द्रो में भेजा जाता है जहां इसे प्रसंस्कृत करने के उपरांत पैकट बंद किया जाता है और उपभोक्ताओं को बेचा जाता है। इस समय हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ 10 दुग्ध संयन्त्रों को चला रहा है जिनकी क्षमता प्रतिदिन 1,80,000 लीटर है, जिसमें मण्ड़ी एवं दत्तनगर (शिमला) दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की क्षमता 50,000 लीटर प्रतिदिन, कांगड़ा दुग्ध संयन्त्र की क्षमता 20,000 लीटर प्रतिदिन तथा नाहन, चम्बा, लालसिंगी जलेडा (ऊना) नालागढ़, जंगलबैरी (हमीरपुर), रिकांगपीओ (किन्नौर), रोहडू एंव मौहल (कुल्लू) प्रत्येक की क्षमता 5,000 लीटर प्रतिदिन है। इसके साथ 5 मीट्रिक टन प्रतिदिन की क्षमता वाला एक मिल्क पाऊडर प्लांट दत्तनगर जिला शिमला में कार्यरत है। पशु फीड़ के लिए 16 मीट्रिक टन की क्षमता वाला संयन्त्र भौर जिला हमीरपुर में स्थापित किया गया है।

7.3.1 हिमाचल प्रदेश दुग्ध सघं की पहल

- हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ हिम ब्राण्ड के दूध एंव दुग्ध पदार्थो का विपणन कर रहा है और हिमाचल प्रदेश के दुग्ध प्रसंघ के मुख्य उत्पाद जैसे कि मिल्क पाउडर, घी, मक्खन, पनीर, दही एंव मीठा दूध व स्किम मिल्क पाउडर, होल मिल्क पाउडर, मिठाईयां और बेकरी बिस्किट हैं।
- हिमाचल प्रदेश मिल्कफेड ने 2023–24 के दौरान दिवाली के त्यौहार के लिए लगभग 485 क्विंटल मिठाइयाँ बेची हैं। मिल्कफेड ने आकर्षक स्थानों पर नए मिल्क बार खोले हैं ताकि यह आसानी से सुलभ हो और बड़े उपभोक्ताओं की ज़रूरतों को पूरा कर सके। हिमाचल प्रदेश मिल्कफेड ने चालू वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान 500 किसानों को स्वच्छ दूध उत्पादन और पशुओं के पालन आदि के लिए प्रशिक्षण दिया है।
- मिल्कफेड ने दूध को ठंडा करने और कच्चे दूध की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए मंडी, कुल्लू और शिमला जिलों में 120 स्वचालित दूध संग्रह इकाइयां और 32 डिजिटल दूध संग्रह इकाइयां तथा शिमला, मंडी, कुल्लू, सिरमौर और कांगड़ा जिलों में विभिन्न क्षमताओं की 19 बल्क मिल्क कूलिंग प्रणालियां स्थापित की हैं।
- वर्ष 2024–25 के दौरान दत्तनगर में 50,000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले एक नए दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का उदघाटन किया गया।
- मिल्कफेड ने गाय के दूध की खरीद दर जनवरी, 2024 से ₹31.80 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹37.00 और अप्रैल, 2024 से ₹37.00 से बढ़ाकर ₹45.00 प्रति लीटर और भैंस के दूध की दर ₹47 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹55 प्रति लीटर कर दिया गया है। लगभग 154 समितियों ने व्यक्तिगत किसानों के लिए दूध परीक्षण शुरू

कर दिया है, जिसे वर्ष 2025–26 के दौरान चरणबद्ध तरीके से अन्य समितियों में भी लागू किया जाएगा।

- हिमाचल प्रदेश मिल्कफेड ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा घोषित हिम गंगा योजना को पहले चरण में हमीरपुर और कांगड़ा जिलों में पायलट आधार पर शुरू किया है। मिल्कफेड ने अब तक 264 नई समितियों का गठन किया है, जिनमें से 45 नई समितियां हमीरपुर जिले से संबंधित हैं, 4 समितियों को हमीरपुर में पुनर्जीवित किया गया है और 219 समितियां कांगड़ा जिले से संबंधित हैं।
- मिल्कफेड दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्रों के मौजूदा बुनियादी ढांचे में सुधार कर रहा है और इस योजना के तहत नाहन, मोहल, मंडी, दत्तनगर और कांगड़ा के मौजूदा दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्रों को मजबूत/मुरम्मत करने का कार्य प्रगति पर है। पिछले 6 महीनों में 6 दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्रों (मंडी, दत्तनगर, नाहन, मौहल (कुल्लू), परेल (चंबा) और धगवार (कांगड़ा)) और 2 दूध शीतलन केंद्रों (एम.सी.सी. सराहन, एम.सी.सी. कटौला) तथा 1 पशु आहार संयंत्र (भौर) के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए ₹1.30 करोड़ खर्च किए गए हैं।
- वर्ष 2024–25 के दौरान "हिम गंगा योजना" के तहत कांगड़ा मिल्कफेड जिले के ढंगवार, में 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता से 3.00 लाख लीटर प्रतिदिन तक विस्तारित नए पूरी तरह से स्वचालित दूध प्रसंस्करण की शुरुआत की है। इस संयंत्र का निर्माण नाबार्ड की अवसंरचना योजना के अन्तर्गत नेशनल डेयरी विकास बोर्ड द्वारा ₹200.43 करोड़ की लागत से किया जा रहा है जिसमें से ₹60.13 करोड़ की मंजूरी नाबार्ड द्वारा पहले ही दे दी गई है।
- वर्ष 2025–26 में मिल्कफेड केंद्रीय सरकार की एन.पी.डी.डी. योजना के अन्तर्गत 90:10 में ₹10.73 करोड़ की स्वीकृत परियोजना को राज्य में लागू करेगा। परियोजना की मुख्य गतिविधियों में कांगड़ा जिले के एमपीपी धगवार में नई केंद्रीय परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना और दुग्ध उत्पादकों एवं तकनीकी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना शामिल है। मिल्कफेड दूध संग्रहण प्रक्रिया और इकाइयों का डिजिटलीकरण करेगा। मिल्कफेड राज्य के बाहर दूध और दुग्ध उत्पादों की बिक्री के लिए एक विपणन एजेंसी नियुक्त करने की प्रक्रिया में है। मिल्कफेड ने 15 जून 2024 को "हिम" ट्रेडमार्क का पंजीकरण कराया है।
- गत दो वर्षों मे (वर्ष 2022–23 एवं 2023–24) मिल्कफेड ने बाल विकास कल्याण विभाग की आंगनवाडीयों को विभिन्न खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति की है जिसमें कि 31,783.11 क्विन्टल फोर्टिफाइड पंजीरी जिसका मूल्य ₹25.43 करोड़, 45,882.08 क्विन्टल बेकरी बिस्कुट जिसका मुल्य ₹46.80 करोड़, 17824.12 क्विन्टल सेंविया जिसका मुल्य ₹8.82 करोड़ और 7757.39 क्विन्टल मिल्क पाऊडर जिसका मुल्य ₹24.81 करोड शामिल है।

- हिमाचल प्रदेश डेयरी फार्मिंग को एक स्वरोजगार कार्यक्रम के रूप में अपनाने के लिए उपयुक्त है क्योंकि इसकी जलवायु संकर पशुओं के पालन के लिए अनुकूल है और बडे चरागाहों की उपलब्धता भी जिसका एक मुख्य कारण है। इसके अलावा, छोटे और मध्यम शहर स्थानीय रूप से उत्पादित दूध के लिए बाजार उपलब्ध कराते हैं। मिल्कफेड दुग्ध उत्पादकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए जिला किन्नौर और लाहुल स्पीति को छोडकर राज्य के हर हिस्से में दुग्ध उत्पादकों को उनके अतिरिक्त दूध के लिए बाजार उपलब्ध करा रहा है।

सारणी 7.5

हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ की पिछले चार वर्षों की भौतिक उपलब्धि इस प्रकार है

क्रमांक	विवरण	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
1	संगठित समितिया	1084	1097	1107	1148
2	सदस्यता	46973	47259	47500	47905
3	खरीदा गया दूध (लाख लीटर)	346.13	395.39	406	360
4	स्थानीय कस्बों में बेचा गया दूध (लाख लीटर)	172.26	228.24	252.46	235.77

स्त्रोतः हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ

7.4 ऊन एकत्रीकरण एवं विपणन संघ हिमाचल प्रदेश

ऊन एकत्रीकरण एवं विपणन संघ का मुख्य उद्धेश्य हिमाचल प्रदेश में ऊनी उद्योग को बढ़ावा एवं विकास करना तथा ऊन उत्पादकों को बिचौलियों/व्यापारियों के शोषण से मुक्त करना है। ऊन संघ अपने उपरोक्त उद्धेश्यों का अनुसरण करते हुए भेड़ व अंगोरा ऊन की खरीद, भेड़ों की चारागाह स्तर पर आयातित स्वचालित मशीनों द्वारा भेड़ कर्तन और ऊन के विक्रय के लिए प्रयासरत है। वितीय वर्ष 2024–25 में दिसंबर, 2024 तक 1,10,136 भेड़ों की चारागाह स्तर पर शियरिंग की गई जिससे राज्य के 600 प्रजनक परिवारों को लाभ हुआ है।

पशुपालन विभाग के सहयोग से संघ राज्य में भेड़ उत्पादकों के लाभ और उत्थान के लिए एक नई केंद्र प्रायोजित योजना भी लागू कर रहा है। चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला और किन्नौर जिलों में ₹2.5 करोड़ के परिव्यय से स्वास्थ्य देखभाल, विशेष रूप से डिपिंग और डी–वॉर्मिंग के तहत 7,20,000 भेड़ और बकरियों को कवर किया जाएगा।

सारणी 7.6

वर्ष 2025–26 के दौरान संघ की अनुमानित गतिविधियों का विवरण

क्र. सं.	विशेष	मात्रा	प्रत्याशित व्यय लाख में
1	भेड़ की ऊन	2,25,000 कि.ग्रा.	₹125.09
2	भेड़ें	1,35,000 की संख्या	–
3	भेड़ ऊन की सफाई कार्बोनाइजिंग	15,000 कि.ग्रा.	–

स्त्रोतः हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी ऊन एकत्रीकरण एवं विपणन सघं समिति

7.5 मत्स्य एवं जलचर पालन

मत्स्य पालन राज्य में प्राथमिक क्षेत्र का एक महत्त्वपूर्ण उप–क्षेत्र है। मत्स्य पालन को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता रही है और उसके लिए राज्य ने हिमाचल प्रदेश मत्स्य नियम–2020 बनाए हैं। राज्य की नदियों का जल, ट्राउट जल और जलाशय मत्स्य संसाधनों की समृद्धि क्षमता से संपन्न है।

इन संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करके घरेलू और निर्यात बाजार को पूरा करने के लिए प्रग्रहण, संस्कृति आधारित प्रग्रहण मात्स्यिकी से मछली उत्पादन को काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है। यह ग्रामीण गरीबों, महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार और आय–सृजन के अवसर पैदा करेगा और राज्य में खाद्य और पोषण सुरक्षा प्राप्त करनें में योगदान देगा।

ब्यास, सतलुज और रावी नदियॉ अपनी अनुप्रवाह यात्रा के दौरान कई धाराएँ सम्मिलित करती हैं और बहुमूल्य ठंडे पानी के मछली जीवों जैसे कि शिजोथोरैक्स, गोल्डन माहशीर और आकर्षक ट्राउट को आश्रय देती हैं। राज्य के ठंडे जल संसाधनों ने महत्वाकांक्षी इंडो–नॉर्वेजियन ट्राउट खेती परियोजना के सफल समापन और विकसित प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए पहाड़ी लोगों द्वारा दिखाई गई गहरी रुचि का प्रदर्शन किया है।

आर्थिक रूप से महत्त्वपूर्ण मछली की प्रजातियॉ गोबिंद सागर, पोंग, चमेरा और रणजीत सागर जैसे बांधों के जलाशयों में पनपती हैं। ये जलाशय स्थानीय आबादी के लिए मूल्यवान सम्पत्ति बन गए हैं। इन क्षेत्रों में मत्स्य पालन क्षेत्र की सफलता न केवल समुदाय की आर्थिक उन्नति में योगदान देती है, बल्कि टिकाऊ और लाभदायक ठंडे पानी की मछली पालन की क्षमता का भी प्रदर्शित करती है।

7.5.1 मछली उत्पादन

राज्य में 6,310 मछुआरे अपनी आजीविका के लिए जलाशय मत्स्य पालन पर सीधे निर्भर है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, दिसम्बर 2024 तक संचयी मछली उत्पादन 12,637.12 मीट्रिक टन था। जिसका मूल्य ₹197.10 करोड़ था। चालू वित वर्ष 2024–25 दिसम्बर, 2024 तक में राज्य के फार्मों से लगभग 13.56 टन ट्राउट की बिक्री कर ₹138.66 लाख की आय अर्जित की गई। मछली का उत्पादन एवं बिक्री सारणी 7.8 में दर्शाया गया है।

सारणी 7.7

मछली उत्पादन (मीट्रिक टन) और मछली उत्पादन का मूल्य (लाख)

वर्ष	कुल उत्पादन	विकास दर	मछली उत्पादन का मूल्य	विकास दर
2012–13	8560.89	–	5818.13	–
2013–14	9834.14	14.90	8057.79	38.5
2014–15	10736.11	9.2	9737.31	20.8
2015–16	11798.72	9.9	10980.92	12.8
2016–17	12506.85	6.0	12121.19	10.4
2017–18	12765.36	2.1	15822.45	30.5
2018–19	13401.68	5.0	17157.31	8.4
2019–20	14020.14	4.6	18443.92	7.5
2020–21	15288.60	9.0	20161.09	9.3
2021–22	16015.81	4.8	23355.82	15.8
2022–23	17026.91	7.0	24990.72	7.0
2023–24	17721.64	4.08	27323.87	–28.1
2024–25 (दिसम्बर–2024)	12637.12	–28.6	19710.41	–27.8
चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सी.ए.जी.आर.)	**3.3**		**10.7**	

स्त्रोतः मछली पालन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

पिछले एक दशक में हिमाचल प्रदेश में कुल मछली उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2012–13 और 2023–24 के बीच मछली उत्पादन दोगुना से अधिक हो गया और इसी अवधि के बीच 3.3 प्रतिशत का सी.ए.जी.आर. दर्ज किया गया। सारणी 7.7 हिमाचल प्रदेश में मछली उत्पादन की प्रवृत्ति और वृद्धि को दर्शाती है। कुल मछली उत्पादन 2012–13 में 8,560.89 मीट्रिक टन से बढ़ कर 2023–24 में 17,721.64 मीट्रिक टन हो गया और वित्त वर्ष 2024–2025 के दौरान 18,957.23 मीट्रिक टन तक पहुँचने की उम्मीद है। इसी अवधि में उत्पादन का मूल्य भी 2012–13 के ₹5818.13 लाख से बढ़ कर 2023–24 ₹27,323.87 लाख हो गया।

सारणी 7.8

ट्राऊट उत्पादन (टन) और मछली उत्पादन का मूल्य (लाख)

वर्ष	कुल उत्पादन	विकास दर	मछली उत्पादन का मूल्य	विकास दर
2012-13	19.18	-	98.48	-
2013-14	13.81	-28.0	114.41	16.2
2014-15	17.07	23.6	114.66	0.2
2015-16	17.63	3.3	120.93	5.5
2016-17	18.78	6.5	141.35	16.9
2017-18	10.82	-45.0	129.75	-8.2
2018-19	8.34	-19.2	118.22	-8.9
2019-20	7.71	-7.6	91.16	-22.9
2020-21	6.73	-12.7	101.72	11.6
2021-22	13.68	103.3	169.24	66.4
2022-23	6.33	-53.7	89.74	-46.9
2023-24	7.72	21.9	57.57	-35.8
2024-25 (दिसम्बर- 2024)	13.56	75.6	138.66	140.9

स्त्रोतः मछली पालन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

7.5.2 मत्स्य उत्पादों का निर्यात और आयात

मत्स्य उपक्षेत्र मछली के निर्यात और आयात में मिश्रित रूझान दिखाता है। जैसे कि सारणी 7.10 में दिखाया गया है। 2012–2013 और 2023–2024 के बीच सभी स्त्रोतों से मछली का कुल आयात व निर्यात बढ़ा है। मछली उत्पादन के निर्यात और आयात की वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि दर चित्र–7.5 और 7.6 में दर्शाई गई है।

सारणी 7.9

मछली का निर्यात और आयात (मीट्रिक टन) और मूल्य (लाख में)

वर्ष	निर्यात	मूल्य	आयात	मूल्य
2012-13	1046.08	918.04	312.87	106.79
2013-14	1285.85	1283.56	460.60	342.67
2014-15	1004.99	1134.79	439.42	359.49
2015-16	492.80	514.04	689.48	539.98
2016-17	884.78	1095.70	574.72	476.01
2017-18	1391.90	1632.84	823.00	772.70
2018-19	492.33	693.17	729.81	796.82
2019-20	743.25	1857.73	688.13	773.33
2020-21	624.94	1874.71	588.66	673.49
2021-22	939.99	3417.90	879.66	856.61
2022-23	933.98	3324.05	549.63	539.82
2023-24	1015.75	1877.61	653.23	739.17
चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सी.ए.जी.आर.)	**-0.27**	**6.7**	**6.9**	**19.23**



चित्र–7.6

मत्स्य का निर्यात वृद्धिदर साल दर साल (प्रतिशत में)

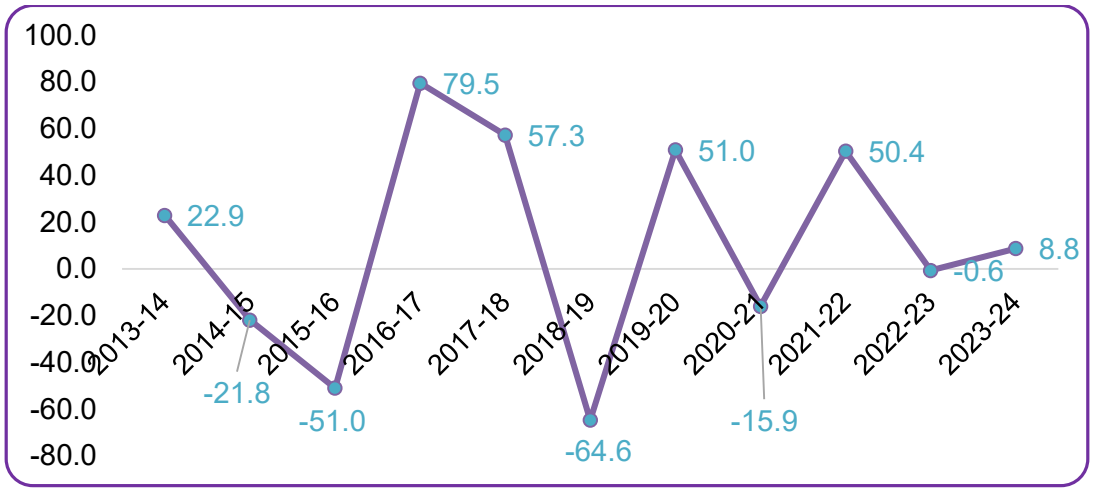

स्त्रोतः मछली पालन विभाग हिमाचल प्रदेश

चित्र–7.7

मत्स्य का आयात वृद्धिदर साल दर साल (प्रतिशत में)

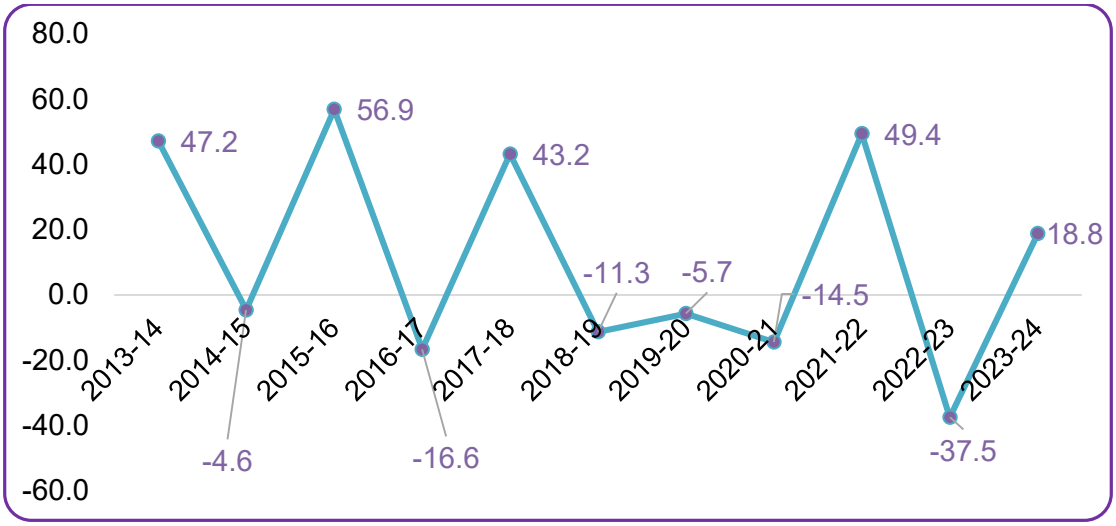

स्त्रोतः मछली पालन विभाग हिमाचल प्रदेश

7.5.3 मत्स्य क्षेत्र का विकास और योगदान

2024–2025 में मौजूदा कीमतों पर मत्स्य उप–क्षेत्र कुल जी.एस.वी.ए. का 0.14 प्रतिशत और कृषि सम्बद्ध क्षेत्र जी.एस.वी.ए. का 0.94 प्रतिशत है। पिछले पॉच वर्षों में मत्स्य क्षेत्र का विकास उत्साह जनक रहा है। मत्स्य उप–क्षेत्र के 2024–2025 में 7.0 प्रतिशत के मुकाबले 2023–2024 में 6.3 प्रतिशत से बढ़ने का अनुमान है।

7.6 मत्स्य पालन के लिए सरकारी पहल

सार्वजनिक और निजि क्षेत्रों में जलाशयों, ग्रामीण तालाबों और वाणिज्यिक खेतों की जरूरतों को पूरा करने के लिए मत्स्य विभाग ने राज्य के कार्प तथा ट्राउट बीज उत्पादन सुविधाओं की स्थापना की है। दिसम्बर, 2024 तक राज्य में 70 मि. मी. से ऊपर की कुल 23.07 लाख कॉमन कार्प फिंगरलिंगस, 5.24 लाख इसी आकार की आई.एम.सी. तथा 4.6 लाख रेनवो ट्राउट की अंगुलिकाओं का उत्पादन किया जिनका मूल्य ₹56.88 लाख है।

7.6.1 बीमा और कल्याणकारी योजनाएं

मत्स्य पालन विभाग ने विभिन्न कल्याणकारी योजनओं के माध्यम से मछुआरों के उत्थान के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। एक महत्वपूर्ण पहल में मछुआरों के लिए बीमा कवरेज प्रदान करना शामिल है। इस योजना के तहत, मछुआरों की मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में, मछुआरों को ₹5.00 लाख की वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त, सरकार मछुआरों को उनके गियर और नाव को हुए नुकसान की 50 प्रतिशत तक की भरपाई जोखिम निधि योजना से की जाती है।

वर्जित काल के दौरान मछुआरों के लिए जीवन यापन हेतु अंशदाई बचत योजना चलाई जा रही है जिसके अन्तर्गत मछुआरों के अंशदान के बराबर राशि राज्य सरकारों द्वारा मछुआरों में वितरित की जाती है। वर्ष 2024–25 के दौरान बचत तथा राहत निधि योजना जिसे बदलकर प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के घटक "मछली पकड़ने के प्रतिबंध या लीन अवधि के दौरान मत्स्य संसाधनों के संरक्षण के लिए सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े सक्रिय पारंपरिक मछुआरों के परिवारों के लिए आजीविका और पोषण संबंधी सहायता" के अन्तर्गत 3,553 मछुआरों को कुल ₹1.60 करोड़ की राशि प्रदान की गई है जिसमें ₹53.30 लाख मछुआरों द्वारा एकत्रित किए गये है तथा ₹106.70 लाख केंन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा वित्तीय अनुदान के रूप में दी गई है।

7.6.2 प्रधानमन्त्री मत्स्य सम्पदा योजना

केन्द्र सरकार ने यह कार्यक्रम शुरू किया है, और राज्य सरकार इसे क्रियान्वित कर रही है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार ने वित वर्ष 2024–25 के लिए कुल ₹26.21 करोड़ की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। सारणी 7.11 वित्तीय वर्ष 2024–25 दिसम्बर 2024 तक के लिए मत्स्य क्षेत्र की उपलब्धियों के साथ–साथ वित वर्ष 2024–25 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को दर्शाती है।

सारणी 7.10

उपलब्धियॉ एवं लक्ष्य

क्र0 सं0	विवरण	दिसम्बर,2024 तक की उपलब्धियां	प्रस्तावित लक्ष्य 2024–25
1.	मत्स्य उत्पादन (टन) (सभी साधनो से)	12637.12	18000
2.	कार्प बीज उत्पादन (लाख)	346.25	855.00
3.	खाने योग्य ट्राऊट उत्पादन सरकारी क्षेत्र (टन)	13.56	20.00
4.	खाने योग्य ट्राऊट उत्पादन निजी क्षेत्र (टन)	1107.9	1380.00
5.	रोजगार सृजन (संख्या)	457	550
6.	विभागीय राजस्व (लाखों में)	364.17	466.66

स्त्रोतः मत्स्य विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार

ये कल्याणकारी योजनाएं मछुआरों और उनके परिवारों के हितों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विकलांगताओं और अप्रत्याशित दुर्घटनाओं जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों के समय में बीमा कवरेज से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। जोखिम निधि योजना के अन्तर्गत गियर और शिल्प के नुकसान का मुआवजा एक मूल्यवान समर्थन तंत्र है, जो मछुआरों द्वारा अपने पेशे में आने वाली चुनौतियों और जोखिमों को स्वीकार करता है। इन कल्याणकारी उपायों को लागू करके, सरकार का लक्ष्य मछुआरों की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों में सुधार करना, मत्स्य पालन क्षेत्र में उनके योगदान को पहचानना और उनकी आजीविका में निहित अनिश्चितताओं के सामने उनकी भलाई सुनिश्चित करना है।

निष्कर्षः पशुपालन हिमाचल प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाता है और ग्रामीण आजीविका में योगदान देता है। राज्य की अनुकूल जलवायु और भौगोलिक विविधता पशुपालन को प्रोत्साहित करती है, जिससे भोजन, ईंधन, उर्वरक, परिवहन और भार वहन की सुविधा मिलती है। यह किसानों की आय बढ़ाने में भी सहायक है, क्योंकि न्यूनतम निवेश से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। राज्य सरकार पशुओं के स्वास्थ्य और उत्पादकता सुधार पर विशेष ध्यान दे रही है, जिसमें दूध, मांस और अंडे के उत्पादन में वृद्धि भी शामिल है। हिमाचल प्रदेश में दूध उत्पादन उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है, जहां प्रति व्यक्ति दुध उपलब्धता 698 ग्राम प्रतिदिन है जोकि राष्ट्रीय औसत से अधिक है। कुल मिलाकर, यह क्षेत्र सतत विकास को प्रोत्साहित करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था की समृद्धि और स्थिरता को बल प्रदान कर रहा है।

******

अध्याय
8



वानिकी, पर्यावरण और जल संसाधन प्रबंधन


मध्यम सिंचाई परियोजना
लेफ्ट बैंक
नादौन, जिला हमीरपुर (हि.प्र.)



मुख्य बिन्दु

- राज्य का कुल 15,580 वर्ग कि.मी. या 27.99 प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है। हिमाचल प्रदेश में अधिकारिक तौर पर वनों का क्षेत्रफल 37,948 वर्ग कि. मी. है। यह राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 68.16 प्रतिशत है।
- वास्तविक वन क्षेत्र में से 3,118 वर्ग किलोमीटर अति घने वन, 7,280 वर्ग किलोमीटर मध्यम घने वन और 5,182 वर्ग किलोमीटर खुले वन है।
- वित्त वर्ष 2024–25 के लिए प्रचलित मूल्य पर वानिकी और लॉगिंग उप–क्षेत्र ने ₹6,724 करोड़ मूल्य वर्धन किया, जो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र द्वारा सकल मूल्य वर्धित (जी.वी.ए.) का 21.09 प्रतिशत और कुल सकल राज्य मूल्य वर्धित (जी.एस.वी.ए.) का 3.10 प्रतिशत है।
- वर्ष 2024–25 के लिए 8,000 हेक्टेयर में पौधरोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से 6,715 हेक्टेयर लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है।
- राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश गैर–जैव निम्नीकरणीय कचरा (नियंत्रण) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत समय–समय पर प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग और कचरा फैलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- हिमाचल प्रदेश के कुल 17.09 लाख ग्रामीण परिवारों में से 7.63 लाख के पास जल जीवन मिशन की शुरुआत से पहले ही कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफ.एच.टी.सी.) थे। जे.जे.एम. के कार्यान्वयन के माध्यम से, शेष 9.46 लाख ग्रामीण परिवारों को अब सफलतापूर्वक कवर किया गया है। अब राज्य ने ग्रामीण परिवारों के लिए 100 प्रतिशत कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन का सराहनीय लक्ष्य हासिल कर लिया है, जो राष्ट्रीय औसत 79. 56 प्रतिशत से अधिक है।
- राज्य सरकार का लक्ष्य निर्मित और उपयोग की गई सिंचाई क्षमता के बीच अंतर को पाटना है, जिसका भौतिक लक्ष्य 2,740 हेक्टेयर खेती योग्य कमांड क्षेत्र (सी.सी.ए.) है। अक्टूबर 2024 तक 1,002.01 हेक्टेयर को ₹11.93 करोड़ की लागत से कवर किया जा चुका है।

8.1 परिचय–राज्य में वन

हिमाचल प्रदेश, ट्रांस–हिमालयी और हिमालयी जैव भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित है, तथा राज्य के भीतर शिवालिक, पश्चिमी हिमालय और ट्रांस–हिमालयी पर्वत श्रृंखलाओं के अस्तित्व के कारण वनस्पतियों और जीवों की समृद्ध विविधता है।

भारतीय संविधान अनुच्छेद 48ए के माध्यम से सभी स्तरों पर सरकारों को निर्देश देता है कि वे "पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करें"। संविधान का अनुच्छेद 51ए (जी) प्रत्येक नागरिक पर "वनों, झीलों, नदियों, वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा जीवित प्राणियों के प्रति दया रखने" का कर्तव्य डालता है।

संवैधानिक ढांचे के तहत पर्यावरण संरक्षण की भावना को अपनाते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार अपने वनों और जैव विविधता की रक्षा करने तथा पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कई पहल कर रही है। इस प्रयास में सरकार पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और लोगों की आजीविका की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

हिमाचल प्रदेश वन नीति का उद्देश्य वनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करना तथा उनका संरक्षण और विस्तार सुनिश्चित करना है। वन विभाग का लक्ष्य सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) को पूरा करने के लिए राज्य में वन क्षेत्र को लगभग 27.99 प्रतिशत (भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार) से बढ़ाकर 2030 तक अपने भौगोलिक क्षेत्र का 30 प्रतिशत करना है। यह अध्याय एक स्थायी पर्यावरण और जलवायु को बढ़ावा देते हुए वनों के उचित उपयोग, संरक्षण और विस्तार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नीति की पड़ताल करता है

8.1.1 हिमाचल प्रदेश में वन आवरण

राज्य का 37,948 वर्ग किलोमीटर (या लगभग 68.16 प्रतिशत) भूभाग आधिकारिक रूप से नामित वन भूमि से आच्छादित है। चैंपियन और सेठ के वनों के वर्गीकरण (1968) के अनुसार, वनों की 8 मुख्य श्रेणियाँ और 37 छोटे प्रकार के वन हैं। अधिकांश भूमि हिमालयी नम शीतोष्ण वन से आच्छादित है।

लगभग 15,580.33 वर्ग किलोमीटर (27.99 प्रतिशत) को वास्तविक वन क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है, जिसकी विशेषता 10 प्रतिशत से लेकर 70 प्रतिशत और उससे अधिक के घनत्व स्तर की है। इसमें 3,117.60 वर्ग किलोमीटर अत्यधिक घने वन शामिल हैं, जिनका शिखर घनत्व 70 प्रतिशत और उससे अधिक है, 7,280.29 वर्ग किलोमीटर मध्यम घने वन हैं, जिनका शिखर घनत्व 40 प्रतिशत से 70 प्रतिशत के बीच है, और 5,182.46 वर्ग किलोमीटर खुले वन हैं, जिनका शिखर घनत्व 10 से 40 प्रतिशत के बीच है। इसके

अतिरिक्त, 308.69 वर्ग किलोमीटर को झाड़ियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सारणी 8.1 शिखर घनत्व के अनुसार वनों का अवलोकन देती है।

सारणी 8.1

घनत्व के अनुसार वन

(क्षेत्रफल वर्ग कि.मी. में)

वर्ष	अधिक घने जंगल 70 प्रतिशत से अधिक	मध्यम घने जंगल 40 से 70 प्रतिशत	खुले जंगल 10 से 40 प्रतिशत	कुल वन आवरण
2011	3224	6381	5074	14679
2013	3224	6381	5078	14683
2015	3225	6387	5095	14707
2017	3110	6705	5285	15100
2019	3113	7126	5195	15434
2021	3163	7100	5180	15443
2023	3118	7280	5182	15580

स्रोतः इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023

चित्र 8.1

राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में जिलेवार वन क्षेत्र (प्रतिशत में)

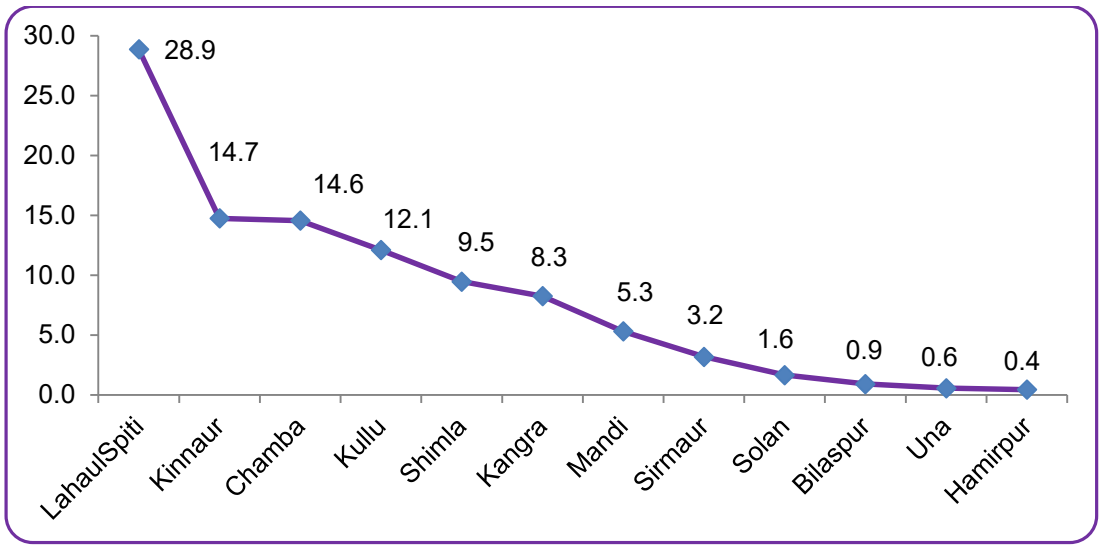

जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्र में जिलेवार वन क्षेत्र (प्रतिशत में)



सारणी 8.2

कानूनी स्थिति के अनुसार वन वर्गीकरण

(क्षेत्रफल वर्ग कि.मी. में)

वर्ष / जिला	आरक्षित वन	चिह्नित संरक्षित वन	अचिह्नित संरक्षित वन	अन्य वन	कुल वन
	1,883	**12,852**	**16,035**	**7,178**	**37,948**
1. बिलासपुर	1	156	186	0	343
2. चम्बा	374	4,566	572	11	5,523
3. हमीरपुर	0	99	66	0	165
4. कांगड़ा	70	580	1,572	909	3,131
5. किन्नौर	0	270	523	4,802	5,595
6. कुल्लू	164	3,360	892	174	4,590
7. लाहौल और स्पीति	70	397	10,486	0	10,953
8. मंडी	0	1,682	74	258	2,014
9. शिमला	56	1,348	1,378	809	3,591
10.सिरमौर	1,050	69	35	51	1,205
11.सोलन	54	281	127	164	626
12.ऊना	44	44	124	0	212

स्रोतः वन विभाग, हिमाचल प्रदेश

8.2 वानिकी और लॉगिंग का योगदान और विकास

वित्त वर्ष 2024–25 में, वानिकी और लॉगिंग उप–क्षेत्र ने ₹6,724 करोड़ का मूल्य वर्धन किया, जो कृषि क्षेत्र द्वारा सकल मूल्य वर्धित (जी.वी.ए.) का 21.09 प्रतिशत और कुल सकल राज्य मूल्य वर्धित (जी.एस.वी.ए.) का 3.10 प्रतिशत है। (चित्र 8.2 और 8.3)

वानिकी और लॉगिंग द्वारा स्थिर (2011–12) कीमतों पर जी.वी.ए. वित्त वर्ष 2023–24 में ₹5,105 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2024–25 में ₹5,310 करोड़ हो गया, जो कि ₹205 करोड़ की वृद्धि है।

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान वानिकी और लॉगिंग क्षेत्र में स्थिर कीमतों पर 4.0 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है।

चित्र 8.2

वानिकी और लॉगिंग का योगदान और विकास (2018–19 से 2024–25)

प्रचलित भाव पर वानिकी और लॉगिंग द्वारा सकल मूल्य वर्धन (₹करोड़)

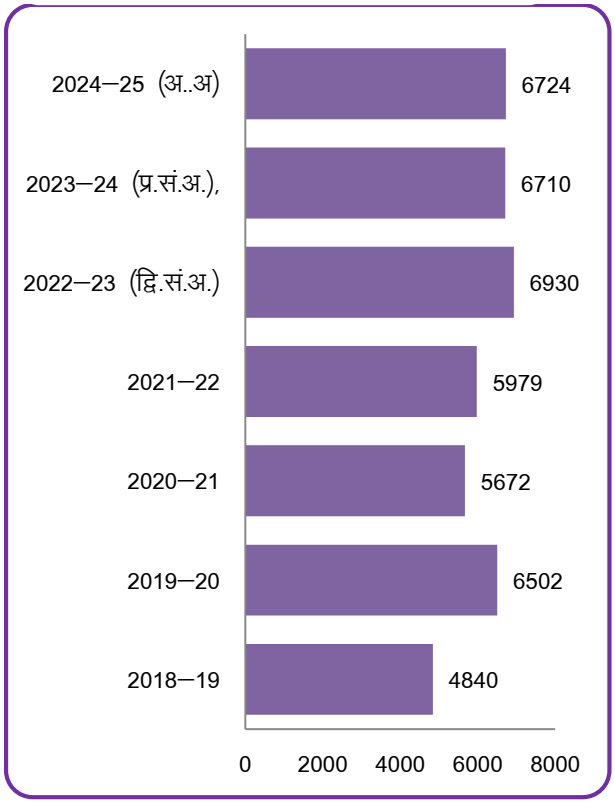

वानिकी और लॉगिंग की वृद्धि दर (प्रतिशत में) स्थिर कीमतों पर

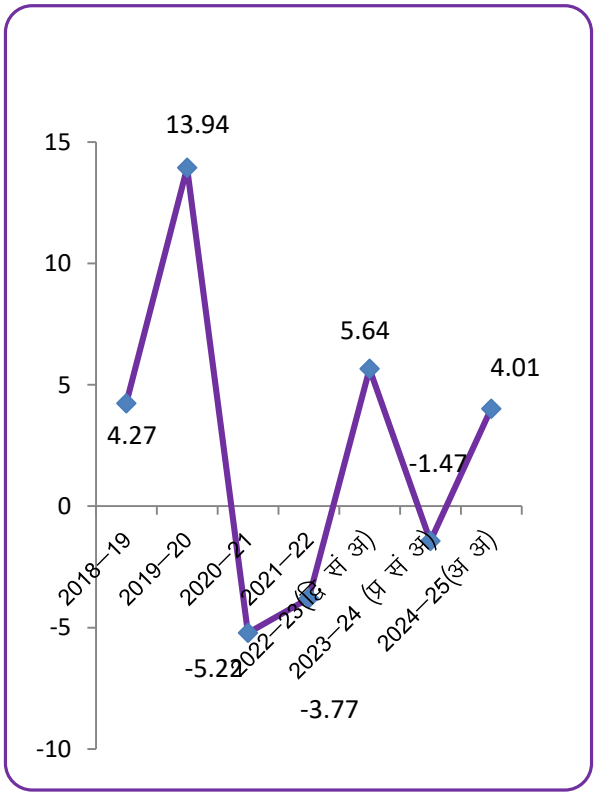

चित्र 8.3

वानिकी और लॉगिंग का प्रचलित कीमतों पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में सकल मूल्य वर्धन में योगदान (प्रतिशत में)

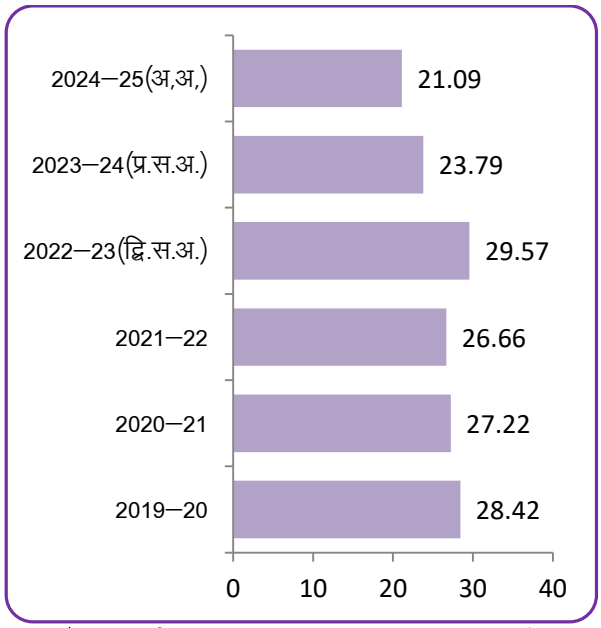

वानिकी और लॉगिंग का राज्य सकल मूल्य वर्धन में प्रचलित भावों पर योगदान (प्रतिशत में)

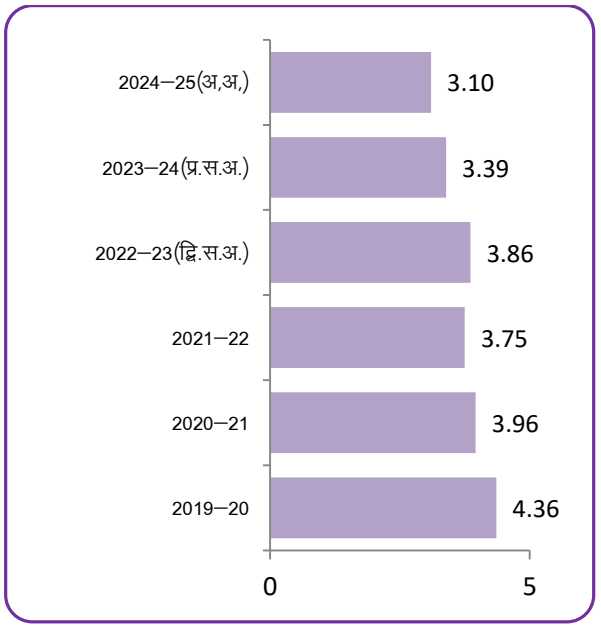

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश
नोटः अ.अ.–अग्रिम अनुमान
प्र.स.अ.– प्रथम संशोधित अनुमान
द्वि.स.अ.– द्वितीय संशोधित अनुमान

8.3 वानिकी के लिए सरकार की पहलें

वन विभाग द्वारा शुरू किए गए योजना कार्यक्रम का उद्देश्य इन नीतिगत प्रतिबद्धताओं को पूरा करना है। कुछ महत्वपूर्ण योजना कार्यक्रम गतिविधियाँ निम्नानुसार हैं:

8.3.1 वन पौधारोपण

वनरोपण की पहल विविध राज्य स्तरीय कार्यक्रमों के माध्यम से चल रही है, जिसमें प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA) के साथ–साथ राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम और राष्ट्रीय हरित भारत मिशन जैसी केंद्र प्रायोजित पहल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, वनरोपण के प्रयास बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं।

वित्त वर्ष 2024–25 के लिए कैम्पा और केंद्र प्रायोजित योजनाओं सहित 8,000 हेक्टेयर में वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से 6,715 हेक्टेयर लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है तथा शेष लक्ष्य 31 मार्च, 2025 तक प्राप्त कर लिया जाएगा।

8.3.2 वन प्रबंधन

राज्य के जंगलों पर बढ़ती मानव आबादी, पशुपालन के बदलते तौर–तरीकों और विकासात्मक गतिविधियों के कारण जैविक दबाव बढ़ रहा है। ये जंगल आग, अनधिकृत कटाई, अतिक्रमण और अन्य वन–संबंधी अपराधों जैसे जोखिमों के प्रति संवेदनशील हैं।

वन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक निगरानी सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी से लैस चेक पोस्ट बनाकर वन सुरक्षा को मजबूत किया जा रहा है। अग्निशमन उपकरण और उन्नत तकनीकें भी शुरू की जा रही हैं और उन्हें उन सभी वन प्रभागों में उपलब्ध कराया जा रहा है जहाँ आग एक प्रमुख विनाशकारी तत्व है।

वन संपदा के प्रभावी प्रबंधन एवं संरक्षण के लिए संचार नेटवर्क बहुत जरूरी है। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए राज्य में केंद्र प्रायोजित योजना–वन अग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजना तथा राज्य योजना अर्थात् वन अग्नि प्रबंधन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

जंगल की आग पर काबू पाने के लिए पूरे राज्य में सर्किल और डिवीजन स्तर पर रैपिड फॉरेस्ट फायर टीमें स्थापित की गई हैं। स्थानीय समुदाय को एस.एम.एस. भेजे जा रहे हैं जो स्वयंसेवक के रूप में पंजीकृत हैं। इसके अलावा, सभी संवेदनशील वन क्षेत्रों में आग के प्रति संवेदनशील महीनों के दौरान फायर वॉचर्स को भी लगाया जाता है।

8.3.3 प्रयोगात्मक वन संवर्धन तथा कटान में सहायक गतिविधियाँ

हिमाचल प्रदेश के जंगलों का मूल्य लगभग ₹1.50 लाख करोड़ आंका गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य को तीन रेंजों – नूरपुर वन प्रभाग की नूरपुर रेंज, बिलासपुर वन प्रभाग की भराड़ी रेंज और पांवटा वन प्रभाग की पांवटा रेंज में प्रायोगिक आधार पर तीन प्रजातियों, खैर, चील और साल की हरियाली को वनीकरण करने की अनुमति दी है।

पेड़ों की कटाई 2018–19 और वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान की गई। आज तक, लगभग 13,000 खैर के पेड़ों को काटने के लिए चिह्नित किया गया है और 33,272 मानव–दिवस का काम सृजित किया गया है।

8.3.4 नई योजनाएं

स्थानीय समुदायों, छात्रों और आम जनता के बीच वनों के महत्व और पर्यावरण संरक्षण में उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित नई योजनाएं शुरू की गई हैं:

क) मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना

हिमाचल प्रदेश के वनों को उत्तरी भारत का फेफड़ा माना जाता है और राज्य वन विभाग राज्य में हरित आवरण को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संदर्भ में, अगस्त 2023 में मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना भी शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य एकीकृत स्थल विशिष्ट वनीकरण के माध्यम से राज्य के हरित आवरण को दुर्गम स्थलों तक विस्तारित करना, स्थानीय आबादी को वन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ और आजीविका के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2024–25 में 500 हेक्टेयर बंजर वन भूमि पर वृक्षारोपण किया जा रहा है।

ख) 'वन मित्र' की नियुक्ति

समुदाय संचालित वन प्रबंधन और नियोजन को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 'वन मित्र' योजना शुरू की गई है। नियुक्त किए गए वन मित्र वन विभाग के सभी वानिकी कार्यों से जुड़े रहेंगे। चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक वन बीट में 01 (एक) वन मित्र नियुक्त किए जा रहे हैं। 2,061 वन मित्रों की नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

8.3.5 अन्य पहलें/उपलब्धियाँ

8.3.5.1 बनखंडी में एक बड़े चिड़ियाघर की स्थापना

कांगड़ा जिले के बनखंडी में 600 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक बड़ा चिड़ियाघर बनाया जा रहा है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। चिड़ियाघर को 2024–25 में चालू करने का प्रस्ताव है। चिड़ियाघर के डिजाइन और निर्माण में पर्यावरण के अनुकूल तकनीक, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा और कुशल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को शामिल किया जाएगा। पारिस्थितिकी पदचिह्न को कम करने के लिए पुनर्चक्रण और सतत खरीद प्रथाओं को अपनाया जाएगा।

8.3.5.2 वन रक्षकों की भर्ती

हिमाचल प्रदेश सरकार ने विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से वन रक्षकों के 100 पदों को भरने की मंजूरी दे दी है।

8.3.5.3 इकोटूरिज्म

सरकार ने इकोटूरिज्म को उच्च प्राथमिकता दी है। वन एवं वन्यजीव क्षेत्रों में सतत इकोटूरिज्म पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों 2021 तथा वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, 2023, जो वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का

संशोधन है, के आधार पर इको–टूरिज्म नीति 2024 तैयार की गई है। ग्यारह वन प्रभागों की कार्य योजनाओं में इको–टूरिज्म अध्याय को मंजूरी दी गई है तथा नौ अन्य प्रभागों में कार्य योजनाओं के अध्याय को अंतिम मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया गया है।

पहले चरण में दो इको–टूरिज्म साइटों के लिए ऑपरेटरों को अंतिम रूप दिया गया है, अर्थात शोघी कैंपिंग साइट ₹37.80 लाख प्रति वर्ष और पॉटर हिल साइट ₹23.19 लाख प्रति वर्ष को प्रत्येक क्रमिक वर्ष के लिए 3 प्रतिशत वार्षिक रियायत की शर्त के साथ अंतिम रूप दिया गया है। दूसरे चरण में 6 साइटों के लिए बोलियाँ लगाई गईं, अर्थात कैसधार ₹10 लाख, सोलंग नाला ₹51.52 लाख, कसोल ₹25 लाख, खीरगंगा के पास बिंद्रावणी ₹10 लाख, सुमारोपा ₹31.32 लाख और बीर–बिलिंग ₹54 लाख प्रति वर्ष को अंतिम रूप दिया गया और अब इन साइटों को अधिकतम बोलीदाताओं को दिया गया है।

हिमाचल प्रदेश में ट्रेकिंग रूटों को विनियमित करने के लिए ट्रेकिंग प्रबंधन प्रणाली के लिए मानक संचालन प्रणाली तैयार की गई है और इसे एच.पी.टी.डी.सी. के साथ उनकी सहमति के लिए साझा किया गया है। हिमाचल प्रदेश वन विभाग द्वारा कुल 245 ट्रेक की पहचान की गई है। ट्रेक को हार्ड, मीडियम और सॉफ्ट में वर्गीकृत किया जा रहा है। ऑपरेटरों और ट्रेकर्स के पंजीकरण के लिए मोबाइल ऐप और वेबसाइट अपग्रेडेशन का विकास प्रक्रियाधीन है।

100 वन विश्राम गृहों, निरीक्षण झोपड़ियों और कैम्पिंग स्थलों को वेबसाइट https://himachalecotourism.in के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग के लिए सक्रिय कर दिया गया है।

8.3.6 हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र जलवायु प्रूफ़िंग परियोजना (के.एफ.डब्ल्यू. सहायता प्राप्त)

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में चयनित वन पारिस्थितिकी तंत्रों का पुनर्वास, संरक्षण और सतत उपयोग करना है, ताकि जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध वन पारिस्थितिकी तंत्रों की लचीलापन बढ़ाया और सुरक्षित किया जा सके। इससे वन पारिस्थितिकी तंत्रों की जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन क्षमता को मजबूत करने, जैव विविधता की सुरक्षा, जलग्रहण क्षेत्रों के स्थिरीकरण, प्राकृतिक संसाधन आधार के संरक्षण और समय के साथ बेहतर आजीविका के परिणाम प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इस परियोजना का बजट ₹308.45 करोड़ है, जिसे जर्मनी के KFW बैंक (क्रेडिट इंस्टीट्यूट फॉर रिकंस्ट्रक्शन) द्वारा समर्थित किया गया है, जो वर्तमान में राज्य के चंबा और कांगड़ा जिलों के लिए चल रही है।

8.3.7 हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना

परियोजना का उद्देश्य वैज्ञानिक और आधुनिक वन प्रबंधन पद्धतियों का उपयोग करके वन क्षेत्र, घनत्व और उत्पादक क्षमता को बढ़ाकर वन और पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना तथा वन और चारागाह पर निर्भर समुदायों की आजीविका में सुधार करना, जैव विविधता को बढ़ाना और वन पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना है। ₹800 करोड़ की हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना को जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (JICA) द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए सरकार ने इस परियोजना के अन्तर्गत ₹55.00 करोड़ प्रदान किए हैं, जिसमें से 31 दिसंबर, 2024 तक ₹26.85 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं।

8.3.8 स्त्रोत स्थिरता और जलवायु अनुकूल वर्षा आधारित कृषि के लिए विश्व बैंक सहायता प्राप्त एकीकृत परियोजना

विश्व बैंक ने 100 मिलियन डॉलर (₹650 करोड़) के बजट वाली एक अतिरिक्त परियोजना को मंजूरी दी है, जिसे स्रोत स्थिरता और जलवायु–लचीले वर्षा आधारित कृषि के लिए एकीकृत परियोजना के रूप में जाना जाता है। इस परियोजना के लिए वित्तपोषण का अनुपात 80:20 निर्धारित किया गया है, और इसकी अवधि 7 वर्ष है। यह परियोजना राज्य के विभिन्न जलग्रहण क्षेत्रों में फैले शिवालिक और मध्य पर्वतीय कृषि–जलवायु क्षेत्रों की 900 ग्राम पंचायतों में लागू की जाएगी। इस परियोजना के अन्तर्गत मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- परियोजना क्षेत्र में लगभग 2 लाख हेक्टेयर गैर–कृषि योग्य और 0.20 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि का व्यापक उपचार।
- परियोजना क्षेत्र में 30 प्रतिशत तक जल उत्पादकता/दक्षता में वृद्धि।
- दूध के उत्पादन में 20 प्रतिशत की वृद्धि
- कमज़ोर परिवारों के 25 प्रतिशत परिवारों को आजीविका सुधार के अंतर्गत कवर किया जाएगा
- कृषि फसलों की उत्पादकता में 25 प्रतिशत की वृद्धि
- कृषि–व्यवसाय/संवर्धित उत्पादन के माध्यम से किसानों की आय में 30 प्रतिशत की वृद्धि।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए, सरकार ने इस परियोजना के अन्तर्गत ₹153.79 करोड़ प्रदान किए हैं, जिसमें से ₹102.96 करोड़, 31 दिसंबर, 2024 तक खर्च किए जा चुके हैं।

8.3.9 पर्यावरण वानिकी और वन्यजीव

वन पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पेड़ों और पौधों की उपस्थिति है। ग्रह पर जीवन के लिए स्वच्छ हवा और आश्रय आवश्यक हैं। वन जैव विविधता के संरक्षण में भी सहायता करते हैं।

वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने के अलावा, वन मिट्टी को कटाव से बचाते हैं और दुनिया की 80 प्रतिशत से अधिक पशु प्रजातियों और जैव विविधता के लिए आश्रय प्रदान करते हैं। वन्यजीव शब्द जानवरों की गैर–पालतू प्रजातियों को संदर्भित करता है। इसका मतलब है कि जंगल में रहने वाला कोई भी जीवित प्राणी वन्यजीवों से जुड़ा हुआ है। जंगली जानवर प्राकृतिक प्रक्रियाओं में अपनी भूमिका के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे पर्यावरण की स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारा पारिस्थितिकी तंत्र वन्यजीवों द्वारा प्रदान की जाने वाली विविधता और प्रचुरता के बिना अधूरा होगा।

- अपने औषधीय गुणों के कारण, जंगली पौधे हमारी फार्मास्युटिकल आवश्यकताओं का एक तिहाई से अधिक हिस्सा पूरा करते हैं। चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए एंटीबायोटिक दवाओं और अन्य दवाओं के बड़े पैमाने पर उत्पादन की आवश्यकताओं के अलावा, वन चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सफलताओं के लिए महत्वपूर्ण संभावनाएं प्रदान करते हैं।
- वैश्विक तापमान को बनाए रखकर समुद्र के स्तर को तेजी से बढ़ने से रोककर और ग्रीनहाउस प्रभाव का मुकाबला करके हमारे पर्यावरण के स्वास्थ्य में योगदान देता है।
- पारिस्थितिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए पौधों और जानवरों की परस्पर निर्भरता महत्वपूर्ण है।
- आर्थिक मूल्यः जंगलों से जीवाश्म ईंधन का उपयोग देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान देता है, जिसके परिणामस्वरूप इसके नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है।
- हजारों प्रजातियाँ इन विशाल जंगलों में आश्रय पाती हैं, जो जैव विविधता के संरक्षण में सहायता करती हैं।
- वन्यजीवों में सूक्ष्मजीवों द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ावा मिलता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है।

पर्यावरण और वन्य जीवन का संरक्षण, सुधार, वन्यजीव अभयारण्यों/राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण, तथा वन्यजीव आवास का संवर्धन, सभी इस योजना का हिस्सा हैं, जिसका अंतिम लक्ष्य लुप्तप्राय पक्षियों और पशु प्रजातियों को बचाना है।

8.4 पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग (DEST&CC) पर्यावरण प्रबंधन की प्रभावशीलता में सुधार, कमजोर पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और दीर्घकालिक स्थिरता को बढ़ावा देकर सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित सभी मामलों के लिए प्राथमिक और नोडल एजेंसी

के रूप में, विभाग पर्यावरणीय चुनौतियों और जलवायु लचीलेपन को संबोधित करने के लिए नीतियों को आकार देने और लागू करने में केंद्रीय भूमिका निभाता है। इसके प्रयासों में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण और सभी क्षेत्रों में पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देने सहित गतिविधियों का एक व्यापक दायरा शामिल है। विभाग जलवायु परिवर्तन पर राज्य और राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय निकायों के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु के रूप में कार्य करता है, यह सुनिश्चित करता है कि राज्य–स्तरीय रणनीतियाँ वैश्विक प्रतिबद्धताओं और सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित हों। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अभिनव समाधानों को एकीकृत करके, प्रदूषण को कम करने, पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करने और जलवायु प्रभावों के लिए सामुदायिक लचीलापन बनाने की पहल करता है, जिससे हिमाचल प्रदेश पर्यावरणीय प्रबंधन और सतत विकास में अग्रणी बन जाता है।

8.4.1. विभाग की पहल

हिमाचल प्रदेश को क्षरण और आर्थिक विकास के बीच परस्पर क्रिया के कारण पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे वायु, भूमि, जल और जैव विविधता प्रभावित हो रही है। इस समस्या से निपटने के लिए, पर्यावरण प्रदूषण, जलविद्युत, पर्यटन, उद्योग और ग्रामीण विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए नीतियाँ बना रहा है, जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास को टिकाऊ पर्यावरण प्रबंधन के साथ संतुलित करना है।

राज्य में ग्रामीण आबादी के विकास एवं सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना के लिए व्यापक दिशा–निर्देश तैयार किए गए हैं।

विभाग ने जिला स्तर पर जलवायु परिवर्तन कार्य योजनाओं की तैयारी शुरू कर दी है। इन योजनाओं को पंचायत स्तर पर क्रियान्वित किया जाएगा।

विभाग ने कृषि एवं बागवानी क्षेत्रों के सतत विकास के लिए जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार तथा जी.आई.जेड. के सहयोग से आवश्यकता मूल्यांकन अध्ययन (एन.ए.एस.) शुरू किया है।

राज्य में अवैज्ञानिक एवं अवैध खनन को रोकने के लिए जी.आई.एस. आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए ₹2.0 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसकी सहायता से राज्य में होने वाली खनन गतिविधियों पर वास्तविक समय के आधार पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

भौगोलिक संकेत (जी.आई.) को बढ़ावा देने के लिए राज्य में योजना शुरू करने के लिए केंद्र सरकार को अनुमोदन हेतु प्रस्ताव भेजा गया है, जिसके माध्यम से वाणिज्यिक

उत्पादों की जी.आई.टैगिंग की जाएगी, ताकि उत्पादकों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिल सके।

8.4.2 प्लास्टिक कचरा प्रबन्धन

हिमाचल प्रदेश गैर–जैवनिम्नीकरणीय कचरा (नियंत्रण) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत पूरे राज्य में पॉलीथीन प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया गया है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, राज्य भर के कई विभागों के अधिकारियों को प्लास्टिक और थर्मोकोल वस्तुओं का उपयोग करने वालों का निरीक्षण करने और उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत किया गया है। 2024–25 के दौरान राज्य में अब तक 907 उल्लंघनकर्ताओं पर ₹11.80 लाख का जुर्माना लगाया गया है।

प्लास्टिक अपशिष्ट वापस खरीद नीति के अन्तर्गत वर्ष 2024–25 के दौरान ₹75 प्रति किलोग्राम की दर से लगभग 29,385.10 किलोग्राम प्लास्टिक खरीदा गया है और व्यक्तियों तथा कूड़ा बीनने वालों को ₹13.04 लाख का भुगतान किया गया है। कूड़ा बीनने वालों तथा व्यक्तियों द्वारा जमा किए गए प्लास्टिक कचरे के बदले मौके पर भुगतान के लिए नगर निगम शिमला को ₹2.00 लाख की राशि की गई है।

8.4.3 पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार

पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक प्रमुख पहल, हिमाचल प्रदेश पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार योजना का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता के लिए अनुकरणीय योगदान को मान्यता देना और सम्मानित करना है। इस वर्ष, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अभिनव कार्यों और उपलब्धियों का जश्न मनाते हुए सात पुरस्कार प्रदान किए गए। पुरस्कार उन व्यक्तियों, संगठनों और संस्थानों को उजागर करते हैं जिन्होंने स्थायी प्रथाओं, संसाधन संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के लिए उत्कृष्ट प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है।

8.4.4 आदर्श पर्यावरण ग्रामों का निर्माण

हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मॉडल इको विलेज योजना को सक्रिय रूप से लागू कर रहा है, जो टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल जीवन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक अग्रणी पहल है।

मॉडल इको विलेज योजना राज्य के 19 गांवों में लागू की जा रही है। योजना को लागू करने के लिए ₹3.32 करोड़ की धनराशि आबंटित की गई है।

8.4.5 अनुसंधान एवं विकास (आर.डी.) परियोजनाएं

हिमाचल प्रदेश विशिष्ट अनुसंधान एवं विकास परियोजना पहल के अन्तर्गत नवाचार को बढ़ावा देने और अनुसंधान क्षमताओं को मजबूत करने के लिए विभाग राज्य के शैक्षणिक संस्थानों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और अन्य मान्यता प्राप्त अनुसंधान एवं विकास संगठनों को वित्त पोषित कर रहा है। इस योजना के तहत 100 अनुसंधान एवं विकास परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जिनमें से दो परियोजनाओं को कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दे दी गई है।

8.4.6 पर्यावरण प्रभाव आकलन और मंजूरी

पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग पर्यावरण प्रभाव आकलन (ई.आई.ए.) के प्रबंधन और पर्यावरण मंजूरी देने के लिए राज्य स्तरीय सचिवालय के रूप में कार्य करता है, जो पर्यावरण संरक्षण के साथ विकासात्मक गतिविधियों को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने अध्यादेश के हिस्से के रूप में, विभाग यह सुनिश्चित करता है कि प्रस्तावित परियोजनाएँ अपने संभावित पर्यावरणीय प्रभावों और स्थिरता मानदंडों के अनुपालन का आकलन करने के लिए एक कठोर और पारदर्शी मूल्यांकन प्रक्रिया से गुज़रें। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, विभाग ने पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में फैली 38 परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पर्यावरण मंजूरी प्रदान की।

8.4.7 जलवायु परिवर्तन पहल

हिमाचल प्रदेश राज्य को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा ग्रामीण भारत में जलवायु अनुकूलन एवं वित्त पोषण (सी.ए.एफ.आर.आई.) पर जी.आई.जेड. द्विपक्षीय परियोजना के अंतर्गत चुना गया है। वर्ष 2023 से 2026 के बीच राज्य के सूखाग्रस्त एवं जलवायु परिवर्तन वाले क्षेत्रों की लगभग 5,000 महिला किसानों के लिए अनुकूलन क्षमता विकास पर लगभग 10 मिलियन यूरो खर्च किए जा रहे हैं।

जी.आई.जेड. ने जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना (एस.ए.पी.सी.सी. 2.0) के अंतर्गत कृषि/बागवानी मिशन एवं जल मिशन के क्रियान्वयन के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को तकनीकी सहायता प्रदान की है। इस संबंध में दिसंबर 2024 के महीने में हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में हितधारक परामर्श का आयोजन किया गया।

8.5 हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद (हिमकोस्ट)

हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद (हिमकोस्ट) की स्थापना वर्ष 1986 में हिमाचल प्रदेश राज्य में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण से संबंधित नीतियों

के निर्धारण, कार्यक्रमों की निगरानी और कार्यान्वयन, प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण, जागरूकता, लोकप्रियकरण, अनुसंधान, विकास और प्रसार के लिए ज्ञान के आदान–प्रदान के लिए की गई थी।

8.5.1 राजीव गांधी पत्ती प्लेट (पत्तल) और अन्य बायोडिग्रेडेबल के अनुसंधान एवं विकास के लिए केंद्र

उपयुक्त प्रौद्योगिकी केंद्र, शाहपुर, कांगड़ा में स्थापित और संचालित, यह पहल स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) और ग्रामीण समुदायों को पर्यावरण के अनुकूल पत्तल बनाने की तकनीकों में प्रशिक्षण देने पर केंद्रित है। हिमाचल प्रदेश पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा समर्थित, यह प्लास्टिक के लिए टिकाऊ विकल्प प्रदान करता है, आजीविका को बढ़ावा देता है और अपनी शुद्धता और स्वास्थ्य लाभों के लिए पहचाने जाने वाले पारंपरिक प्रथाओं को पुनर्जीवित करता

8.5.2 ड्रोन आधारित संपत्ति कर निर्धारण

आर्यभट्ट भू–सूचना विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र ने संपत्ति की सीमाओं का मानचित्रण करने, अपंजीकृत विकास की पहचान करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जी.आई.एस. क्षमताओं वाले ड्रोन पेश किए। सोलन नगर निगम में पायलट किए गए इस नवाचार ने कर राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि की और शासन में सुधार किया, साथ ही राज्य–व्यापी विस्तार और एल.आई.डी.ए.आर. के संभावित उपयोग की योजना बनाई।

8.5.3 हिमाचल प्रदेश बाल विज्ञान कांग्रेस

समग्र शिक्षा और शिक्षा विभाग के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में 12 जिलों के 21,973 छात्रों ने क्विज़, गणितीय ओलंपियाड और स्किट जैसी गतिविधियों में भाग लिया। जिला स्तर के विजेता राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में आगे बढ़ेंगे।

8.5.4 भौगोलिक संकेत (जी.आई.) की सुविधा

एचपी पेटेंट सूचना केंद्र ने 400 से अधिक जी.आई. उपयोगकर्ताओं के पंजीकरण की सुविधा प्रदान की और चंबा चुख, भौत जौ और प्लेक्ट्रैन्थस शहद जैसे उत्पादों के लिए आवेदनों को अंतिम रूप दिया।

8.5.5 जैव विविधता संरक्षण एवं प्रबंधन गतिविधियाँ

हिमाचल प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड ने जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बी.एम.सी.) और लोगों के जैव विविधता रजिस्टर (पी.बी.आर.) के डिजिटलीकरण के माध्यम से संरक्षण प्रयासों को आगे बढ़ाया, जिसमें 3,775 से अधिक पी.बी.आर. तैयार या अद्यतन किए

गए। संसाधनों तक पहुंच को सुचारू बनाने के लिए जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पहुंच और लाभ साझाकरण (ए.बी.एस.) की शक्तियां प्रभागीय वन अधिकारियों को सौंपी गईं।

8.5.6 संरक्षण और जागरूकता अभियान

पर्यावरण जागरूकता को विश्व पर्यावरण दिवस 2024 जैसे राज्य–व्यापी समारोहों के माध्यम से बढ़ाया गया, जिसमें अभियान, प्रतियोगिताएं और सामुदायिक भागीदारी, आर्द्रभूमि बचाओ अभियान,संवेदनशीलता कार्यक्रम और सफाई अभियान शामिल थे, जिसमें 160,000 से अधिक व्यक्तियों को शामिल किया गया। राष्ट्रीय प्रकृति शिविर कार्यक्रम और विश्व ओजोन दिवस कार्यक्रमों जैसी शैक्षिक पहलों ने व्यावहारिक शिक्षण अनुभव प्रदान किए।

8.5.7 वेटलैंड्स फॉर लाइफ फिल्म फेस्टिवल और फोरम

30 अगस्त, 2024 को शिमला के होटल पीटरहॉफ में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया, जिसमें कई प्रभावशाली लघु फिल्में दिखाई गईं। HIMCOSTE हिमाचल प्रदेश राज्य वेटलैंड प्राधिकरण और C.M.S. नई दिल्ली द्वारा आयोजित इस फेस्टिवल में वेटलैंड्स के संरक्षक के रूप में महिलाएं दिखाई गई।

8.6 जल जीवन मिशन (जे.जे.एम.)

केंद्र सरकार द्वारा 15 अगस्त, 2019 को शुरू किया गया जल जीवन मिशन, वर्ष 2024 तक भारत के प्रत्येक ग्रामीण घर में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समर्पित है। इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए अनुमानित राष्ट्रव्यापी लागत ₹3.60 लाख करोड़ है। यह मिशन घरेलू स्तर की सेवा प्रणाली स्थापित करने पर केंद्रित है, जो निर्धारित गुणवत्ता पर पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करता है, जिसका लक्ष्य प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर है।

हिमाचल प्रदेश में कुल 17.09 लाख ग्रामीण परिवारों में से, 7.63 लाख परिवारों के पास जल जीवन मिशन (JJM) के शुरू करने पहले ही कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) थे। हिमाचल प्रदेश में शेष 9.46 लाख ग्रामीण परिवारों को जे.जे.एम. के अन्तर्गत कवर किया गया है और वर्तमान में राज्य ने ग्रामीण परिवारों को 100 प्रतिशत एफ.एच.टी. सी. प्रदान करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है, जबकि राष्ट्रीय औसत 79.56 प्रतिशत है।

8.6.1 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएँ

जे.जे.एम. के अन्तर्गत ₹6033.21 करोड़ आवंटित किए गए हैं (भारत सरकार का हिस्सा 5429.90 करोड़ और राज्य का हिस्सा ₹603.31 करोड़) जिसमें से ₹5167.00 करोड़

प्राप्त हुए हैं। अब तक ₹5154.04 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। वर्ष 2024–25 के लिए वार्षिक कार्य योजना ₹2042.40 करोड़ के लिए भारत सरकार को प्रस्तुत की गई है और भारत सरकार ने राज्य के लिए ₹916.53 करोड़ का आवंटन किया है, जिसके समकक्ष राज्य को अब तक ₹137.48 करोड़ की पहली किस्त प्राप्त हुई है, जिसमें राज्य का हिस्सा ₹15.27 करोड़ है।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत भारी वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त योजनाओं की बहाली के लिए ₹96 करोड़ की फ्लेक्सी फंड राशि खर्च की गई।

भारत सरकार द्वारा लाहौल एवं स्पीति, कुल्लू, किन्नौर और चंबा जिलों के लिए ₹517.16 करोड़ की लागत की 67 एंटीफ्रीज जलापूर्ति योजनाओं को मंजूरी दी गई है।

8.6.2. हैंडपंप कार्यक्रम

सरकार के पास गर्मी के मौसम में पानी की कमी से जूझ रहे क्षेत्रों में हैंडपंप उपलब्ध कराने के लिए एक सक्रिय कार्यक्रम है। दिसंबर, 2024 तक कुल 41,835 हैंडपंप लगाए जा चुके हैं।

8.6.3 शहरी जलापूर्ति योजनाएँ

जल शक्ति विभाग 58 कस्बों/ शहरी स्थानीय निकायों के लिए जलापूर्ति व्यवस्था का प्रबंधन करता है। शिमला शहर के लिए जलापूर्ति का प्रबंधन शिमला जल प्रबंधन निगम द्वारा किया जाता है, जबकि परवाणू शहर के लिए जलापूर्ति का प्रबंधन हिमुडा द्वारा किया जाता है।

46 कस्बों में शहरी मानदंडों के अनुसार जलापूर्ति प्रदान की जा रही है और अमृत 2.0 के अन्तर्गत 7 कस्बों (चंबा, डलहौजी, मंडी, सुन्नी, ठियोग, रामपुर और राजगढ़) में जलापूर्ति में और सुधार किया जा रहा है।

शहरी मानदंडों से नीचे जलापूर्ति वाले 12 कस्बों में से 6 कस्बों यानी हमीरपुर, बैजनाथ, जवाली, अंब, नेरचौक और शाहपुर में राज्य मद में अमृत 2.0 के अन्तर्गत शहरी मानदंडों के अनुसार जलापूर्ति योजनाओं में सुधार का कार्य प्रगति पर है।

करसोग शहर के लिए प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय मंजूरी नाबार्ड के तहत दी गई है और निरमंड के लिए अमृत 2.0 के अन्तर्गत और शेष शहरों के लिए शहरी मानदंडों के अनुसार जलापूर्ति योजनाओं के सुधार के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है।

8.6.4 शहरी क्षेत्र में सीवरेज योजनाएँ

शिमला शहर की सीवरेज व्यवस्था शिमला जल प्रबंधन निगम (एस.जे.पी.एन.एल.) के पास है। जल शक्ति विभाग ने 39 कस्बों में सीवरेज सुविधा प्रदान की है और 97.303 एम.एल.डी. क्षमता के 66 एस.टी.पी. स्थापित किए हैं, जिनमें 59.477 एम.एल.डी. का सीवेज प्रवाह है।

वह शहर सीवरेज सुविधा नहीं है, 6 कस्बों (भोटा, संतोखगढ़, तलाई, बैजनाथ–पपरोला, नेरचौक और बंजार) में सीवरेज योजनाओं के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। 4 कस्बों (नेरवा, चौपाल, राजगढ़, शाहपुर) में सीवरेज प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति और व्यय मंजूरी राज्य मद के अंतर्गत दी गई है और बिलासपुर शहर के लिए इसे ई.ए.पी. (ए.एफ.डी.) के अंतर्गत प्रदान किया गया है तथा 9 कस्बों के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं और उन्हें राज्य मद या बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ई.ए.पी.) के अंतर्गत वित्त पोषण के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।

8.6.5 ग्रामीण क्षेत्र में सीवरेज योजनाएँ

विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में सीवरेज योजनाओं का क्रियान्वयन शुरू कर दिया है। वर्तमान में 8 ग्रामीण क्षेत्रों में सीवरेज सुविधा आंशिक रूप से प्रदान की गई है, अर्थात शारबो (रिकांगपिओ), झाकड़ी, कुनिहार, सांगला (चरण–II और III), चिंतपूर्णी (जोन–I, हड़सर, मढ़ी (मनाली) और सन्धोल (चरण– II) जिनकी वर्तमान सीवरेज प्रवाह 2.61 एम.एल. डी. और जिसकी स्थापित क्षमता 4.30 एम.एल.डी. है तथा 16 ग्रामीण क्षेत्रों में सीवरेज योजना का कार्य प्रगति पर है।

इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में सीवरेज योजनाओं को भी नाबार्ड के तहत विधायक प्राथमिकता के तहत वित्त पोषण के लिए शामिल किया गया है। आज तक नाबार्ड के अन्तर्गत ₹295.06 करोड़ की राशि की 19 सीवरेज योजनाओं को मंजूरी दी गई है। 5 सीवरेज योजनाएं (1. तकलेच, तहसील रामपुर, जिला शिमला 2. ग्राम पंचायत बरंडा तहसील नूरपुर जिला कांगड़ा 3. ग्राम पंचायत छतराड़ी तहसील व जिला चंबा 4. रेहन जिला कांगड़ा क्षेत्र के लिए सीवरेज और एस.टी.पी. के साथ रेहन क्षेत्र के लिए जलापूर्ति योजनाओं का विस्तार 5. ग्राम पंचायत उदयपुर खास तहसील जिला चंबा) शुरू कर दी गई है।

8.6.6 कमान क्षेत्र विकास

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, हिमाचल प्रदेश सरकार ने लघु सिंचाई योजनाओं में हिमाचल प्रदेश कमांड एरिया डेवलपमेंट (HIMCAD) गतिविधियों के लिए 60.06 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, ताकि निर्मित और उपयोग की गई क्षमता के बीच अंतर को पाटा

जा सके, और शेष राज्य में प्रमुख/मध्यम और लघु सिंचाई योजनाओं के लिए भी, जिसमें केंद्रीय हिस्सा भी शामिल है। CAD संचालन को पूरा करने के लिए 2,740.00 हेक्टेयर खेती योग्य कमांड एरिया (CCA) को कवर करने के भौतिक लक्ष्य में से, अक्टूबर, 2024 तक 1,002.01 हेक्टेयर भूमि को ₹11.93 करोड़ की लागत से कवर किया गया है।

8.6.7 सिंचाई

हिमाचल प्रदेश में कुल 5.567 मिलियन हेक्टेयर भूमि है, लेकिन केवल 0.583 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर ही खेती की जाती है। अनुमान है कि राज्य की सिंचाई क्षमता लगभग 0.335 मिलियन हेक्टेयर है। 0.050 मिलियन हेक्टेयर भूमि को प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से सिंचित किया जा रहा है, जबकि शेष 0.285 मिलियन हेक्टेयर भूमि को लघु सिंचाई योजनाओं के माध्यम से सिंचित किया जा सकता है। अक्टूबर 2024 तक कुल 0.309 मिलियन हेक्टेयर भूमि सिंचित है।

8.6.7.1 प्रमुख सिंचाई

कांगड़ा जिले में शाहनहर परियोजना राज्य की एकमात्र महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है। परियोजना के पूरा होने के साथ ही 15,287 हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई बुनियादी ढांचा उपलब्ध हो गया है। अक्टूबर 2024 तक, CAD टीम ने कुल 15,287 हेक्टेयर में से 10,042 हेक्टेयर भूमि को CAD संचालन के अंतर्गत लाया।

8.6.7.2 मध्यम सिंचाई

बल्ह घाटी लेफ्ट बैंक सिंचाई परियोजना 2,780 हेक्टेयर भूमि को कवर करती है, सिद्धाथा कांगड़ा सिंचाई परियोजना 3,150 हेक्टेयर भूमि को कवर करती है, और चंगर क्षेत्र बिलासपुर सिंचाई परियोजना 2,350 हेक्टेयर भूमि को कवर करती है। अक्टूबर 2024 तक, सिद्धाथा क्षेत्र में 2,705 हेक्टेयर भूमि को शामिल करने के लिए CAD प्रयासों का विस्तार किया गया है। फीना सिंह कल्टीवेटेड कमांड क्षेत्र 4,205 हेक्टेयर है, जबकि जिला हमीरपुर में नादौन क्षेत्र 2,980 हेक्टेयर है, दोनों ही मध्यम स्तर की सिंचाई परियोजना के हिस्से के रूप में विकास के दौर से गुजर रहे हैं।

8.6.7.3 लघु सिंचाई

वित्त वर्ष 2024–25 में 6,275.00 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए सिंचाई बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए 810.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और अक्टूबर 2024 तक 2,577.88 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने के लिए ₹114.79 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं।

निष्कर्षः हिमाचल प्रदेश में 37,948 वर्ग किलोमीटर (68.16 प्रतिशत) वन भूमि है। राज्य का वास्तविक वन क्षेत्र 15,580.33 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें बहुत घने, मध्यम घने तथा खुले वन शामिल हैं। वानिकी क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है,

जिसका वित्त वर्ष 2024–25 में अनुमानित सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.) 6,724 करोड़ है। विभिन्न सरकारी पहलों में वन रोपण, प्रबंधन और संरक्षण पर ध्यान शामिल है, जिसमें मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना और वन मित्र जैसी योजनाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना और विश्व बैंक समर्थित पहलों का उद्देश्य वन क्षेत्र, जैव विविधता और आजीविका को बढ़ाना है। टिकाऊ वानिकी, प्रकृति–उन्मुख पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता इसकी पर्यावरणीय और आर्थिक लचीलेपन को मजबूत करती है।

राज्य सरकार ने प्रदूषण, जैव विविधता हानि और जलवायु परिवर्तन जैसी पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने एवं सतत विकास के लिए विभिन्न पहल की हैं। राज्य के प्रमुख प्रयासों में आदर्श इको विलेज योजना, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन कार्य योजनाएं और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को समर्थन देना शामिल है।

******

अध्याय 9





उद्योग




AGT10-45
adidas

मुख्य बिन्दु

- हिमाचल को राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2023 में **'सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शक'** के रूप में मान्यता दी गई है और सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण के लिए राष्ट्रीय प्रशंसा प्राप्त करते हुए, प्रधान मंत्री माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज (पी.एम.एफ.एम.ई) योजना की औपचारिकता में पहला स्थान हासिल किया है।

- 10 जनवरी, 2025 तक राज्य में उद्यम पोर्टल पर 1,94,738 उद्यम पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें से 1,90,775 (97.97 प्रतिशत) सूक्ष्म, 3,571 (1.83 प्रतिशत) लघु और 392 (0.20 प्रतिशत) मध्यम उद्यम हैं।

- राज्य ने कई उच्च प्रभाव वाली गतिविधियों के लिए औद्योगिक क्षेत्रों को चिह्नित किया है, जिसमें डेटा सेंटर, पर्यटन और संबद्ध गतिविधियों जैसे साहसिक पर्यटन, स्वास्थ्य, आयुष और कल्याण केंद्र और शैक्षणिक संस्थानों के साथ आईटी पार्क की स्थापना शामिल है।

- मौजूदा कीमतों पर उद्योग क्षेत्र (खनन और उत्खनन सहित) का कुल सकल मूल्य वर्धित (जी.वी.ए.) वित्त वर्ष 2024–25 (अग्रिम अनुमान) में ₹86,695 करोड़ है। यह हिमाचल के लिए सकल राज्य मूल्य वर्धित (जी. एस.वी.ए.) का 40 प्रतिशत दर्शाता है।

- विनिर्माण क्षेत्र का योगदान नाममात्र जी.वी.ए. में, उद्योग क्षेत्र के कुल मूल्य वर्धित का 65.49 प्रतिशत है, शेष 34.51 प्रतिशत निर्माण, खनन, उत्खनन, बिजली और अन्य उपयोगिता उद्योगों से आता है।

- वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान विनिर्माण क्षेत्र मे 7.1 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है।

- हिमाचल प्रदेश के लिए उद्योग द्वारा उद्योग द्वारा आम तौर पर काम करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत वितरण (कुल कार्यबल में से) दर्शाता है कि 53.98 प्रतिशत, 22.01 प्रतिशत और 24.01 प्रतिशत व्यक्ति क्रमशः प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्र में कार्यरत हैं (पी.एल.एफ.एस., 2023–24)।

9.1 परिचय–औद्योगिक क्षेत्र

हिमाचल प्रदेश उल्लेखनीय रूप से कृषि से उद्योग और सेवा–आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गया है। राज्य की अर्थव्यवस्था ने राज्य जी.एसडी.पी. में द्वितीयक क्षेत्र के योगदान के साथ एक लंबी छलांग लगाई है जो 1950–51 में 7 प्रतिशत से बढ़कर 2023–24 में 42.4 प्रतिशत हो गया है। प्रारंभिक युग में, हिमाचल प्रदेश में मोहन मीकिन्स, साल्ट माइन्स, नूरपुर सिल्क, पालमपुर सहकारी चाय फैक्ट्री आदि जैसे कुछ ही उद्योग थे। आज, हिमाचल अपनी औद्योगिक उन्नति में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों का दावा करता है। जिनमें फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफ.एम.सी.जी.) और खाद्य प्रसंस्करण, सीमेंट, ऑटो और इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स आदि क्षेत्रों में प्रदर्शन और उपलब्धियों ने राज्य को औद्योगिक प्रगति पर ला दिया है।

औद्योगिक पैकेज 2003 के परिणामस्वरूप एक परिवर्तनकारी पहल हुई जिसने प्रमुख उद्योगों को सोलन, सिरमौर और ऊना जिलों में आकर्षित किया, जिससे राज्य के औद्योगिक परिदृश्य को नया आकार मिला।

हिमाचल प्रदेश फार्मास्युटिकल विनिर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभरा है, जिसमें 600 से अधिक परिचालन फार्मास्युटिकल इकाइयाँ हैं, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा फॉर्मूलेशन हब बनाती है। राज्य ने ₹19,185 करोड़ (₹1,91,850.40 मिलियन) की निर्यात क्षमता और लगभग 40 देशों तक फैले व्यापार से स्वंय को एक प्रमुख सीमेंट उत्पादक और निर्यात केंद्र के रूप में भी स्थापित किया है। इससे इस अध्याय में चर्चा का संदर्भ तैयार होता है।

9.1.1 हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक परिदृश्यः

हिमाचल प्रदेश मुख्य रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) संचालित राज्य है, जिसके 95 प्रतिशत उद्योग एम.एस.एम.ई. श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। यह क्षेत्र राज्य के औद्योगिक परिदृश्य की रीढ़ है, जो रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। सहायक पारिस्थितिकी तंत्र एम.एस.एम.ई. के निरंतर विकास और विस्तार को सुनिश्चित करता है।

9.1.2 औद्योगीकरण का स्नैपशॉटः

9.1.2.1 बल्क ड्रग पार्क, जिला ऊनाः भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित यह आगामी बल्क ड्रग पार्क परियोजना 1405 एकड़ भूमि में फैली हुई है, जिसकी कुल परियोजना लागत ₹2071 करोड़ है। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार ₹1,000 करोड़ भारत सरकार के अनुदान का हिस्सा होगा और इस अनुदान से अधिक पूंजीगत व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। हाल ही में, वित्तीय वर्ष के लिए राज्यांश के रूप में ₹250

करोड़ की राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इस परियोजना में अनुमानित निवेश ₹8,000 से ₹10,000 करोड़ और रोजगार क्षमता 40,000 व्यक्तियों की है।

9.1.2.2 निवेश परिदृश्यः पोस्ट कोविड के बाद विनिर्माण क्षेत्र की बदलती गतिशीलता के साथ–साथ चीन के द्वारा पैदा किऐ गए घटना क्रम को ध्यान में रखते हुए, राज्य ''आमंत्रण के माध्यम से उद्योग'' दृष्टिकोण का पालन करके राज्य में औद्योगीकरण की गति को तेज करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में, माननीय उद्योग मंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने पिछले दो वर्षों के दौरान दुबई और मुंबई में संभावित निवेशकों के साथ बातचीत की। परिणामस्वरूप ₹2,500 करोड़ की राशि के प्रतिबद्धता ज्ञापन (एम.ओ.सी.) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

- 2023 में भारी वर्षा और बाढ़ और अन्य कारणों से हुई गड़बड़ी के बावजूद, राज्य ने 30,000 लोगों को रोजगार देने की क्षमता वाली ₹9,800 करोड़ रुपये के निवेश वाली 450 से अधिक औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
- सरकार. ने निवेश आकर्षित करने के लिए हरित ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, सौर, इथेनॉल, डेयरी और इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रों की भी पहचान की है।

9.1.2.3 हिमाचल प्रदेश में निर्यात परिदृश्यः हिमाचल प्रदेश ने अपनी निर्यात क्षमता में वृद्धि देखी है, जो 2003 में ₹550 करोड़ से बढ़कर 2023–24 में ₹19,185 करोड़ हो गई है। लगभग ₹10,000 करोड़ के वार्षिक फार्मा निर्यात के साथ, जो राज्य के कुल निर्यात का 60 प्रतिशत और उत्तरी क्षेत्र के निर्यात का 45 प्रतिशत है, राज्य में फार्मा क्षेत्र का महत्व पूर्ण रूप से स्पष्ट है।

9.1.2.4 निवेश आकर्षित करने के लिए नीतिगत सुधारः सरकार ने निम्नलिखित प्रमुख औद्योगिक नीति सुधारों को अपनाया है।

- डेटा केंद्रों सहित आई.टी. पार्क।
- साहसिक पर्यटन सहित पर्यटन और संबद्ध गतिविधियाँ,
- स्वास्थ्य, आयुष और कल्याण केंद्र,
- शैक्षणिक संस्थान,
- एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप/आवास परियोजनाएं/रियल एस्टेट/एकीकृत आवासीय/श्रमिक छात्रावास आदि।
- विनिर्माण और एकीकृत सेवा क्लस्टर से संबंधित सभी आकस्मिक सेवाएं।
- **शुद्ध एस.जी.एस.टी. छूटः** शुद्ध एस.जी.एस.टी. प्रतिपूर्ति (स्टील विनिर्माण को छोड़कर) के लिए निश्चित पूंजी निवेश सीमा को अधिकतम तक बढ़ा दिया गया है। ए, बी और सी श्रेणी में 7 से 10 वर्षों की अवधि के लिए एफ.सी.आई. की 100 प्रतिशत, जबकि एंकर इकाइयों के लिए इस एफ.सी.आई. सीमा को बी और सी श्रेणी में 10 वर्षों के लिए 250 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है।

9.1.2.5 एम.एस.एम.ई. प्रदर्शन (आर.ए.एम.पी.) को बढ़ाना और तेज करना: इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राज्य औद्योगिक दृष्टिकोण से एम.एस.एम.ई. राज्य है क्योंकि 95 प्रतिशत उद्योग एम.एस.एम.ई. श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। राज्य ने रुपये का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। आर.ए.एम.पी. योजना के तहत विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में एम.एस.एम.ई. को मजबूत करने के लिए ₹1,642 करोड़, एम.एस.एम.ई. मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रदान किए। एम. एस.एम.ई. पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाने के लिए ₹109.34 करोड़ अनुमोदित अनुशंसाओं के कार्यान्वयन पर कार्य प्रगति पर है।

9.1.2.6 व्यवसाय करने में आसानी: पिछले दो वर्षों में निम्नलिखित पहल की गई हैं।

- 120 से अधिक अंतरविभागीय सेवाओं को सिंगल विंडो पोर्टल पर एकीकृत किया गया है।
- न्यूनतम भूमि नुकसान के साथ–साथ ऊर्ध्वाधर स्थानों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, भवन विनियम मानदंडों को उदारतापूर्वक तौर पर छुट दी गई है। ताकि आवंटित भूखंड का लगभग 70 प्रतिशत विनिर्माण सुविधा के लिए उपयोग किया जा सके। इसी तरह, फ्लोर एरिया रेशियो (एफ.ए.आर.) में भी काफी बढ़ोतरी की गई है।

9.1.2.7 औद्योगीकरण के लिए भूमि बैंक: राज्य सरकार निवेशकों के लिए बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित नए औद्योगिक क्षेत्र और एस्टेट स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में राज्य सरकार निम्नलिखित बड़े/सूक्ष्म–औद्योगिक क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया।

- औद्योगिक क्षेत्र भोरंज, जिला, हमीरपुर।
- औद्योगिक क्षेत्र नैनोवाल, जिला, सोलन।
- औद्योगिक क्षेत्र सलूरी, जिला, ऊना।
- औद्योगिक क्षेत्र भदरोग, घुमारवीं, जिला, बिलासपुर।
- औद्योगिक क्षेत्र थेड़ा, तहसील बद्दी, जिला, सोलन।

उपरोक्त के अलावा, मंझौली और धबोटा में 1,000 बीघे की सरकारी भूमि का हस्तांतरण अंतिम अनुमोदन के चरण में है।

9.1.2.8 पीएम विश्वकर्मा योजना–हिमाचल प्रदेश: राज्य सरकार कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल सहायता के साथ–साथ वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार की पी.एम. विश्वकर्मा योजना लागू कर रही है। लगभग 6,000 कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण और टूलकिट के माध्यम से लाभान्वित किया गया है, जिससे वे योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र बन गए हैं।

9.1.2.9 स्व–रोजगार उद्यमों के लिए प्रोत्साहनः राज्य में बेरोजगारी की चुनौतियों का समाधान करने के लिए, सरकार युवाओं को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पिछले दो वर्षों में कई पहल की हैं।

- **मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना (एम.एम.एस.वाई.):** पिछले दो वर्षों के दौरान, ₹300 करोड़ के निवेश वाले स्व–रोजगार उद्यमों के 1,381 मामले स्वीकृत किए गए, जिनमें 3,869 व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना है। 1,381 आवेदकों में से 1,184 ने ₹284 करोड़ के कुल निवेश के साथ अपने स्वयं के उद्यम स्थापित किए हैं, जिससे 2,846 व्यक्तियों को रोजगार मिला है।
- **प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण(पी.एम.एफ.एम.ई.):** इस योजना का उद्देश्य क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी, प्रारम्भिक पूंजी और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को मजबूत करना, सशक्त बनाना है। पिछले दो वर्षों के दौरान, ₹64.56 करोड़ की लागत के 972 मामले स्वीकृत किए गए हैं। प्रारम्भिक पूंजी घटक के अन्तर्गत, 13,427 महिला स्वयं सहायता समूहों को ₹50.31 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी प्रदान की गई है।

9.1.2.10 खनन विंगः राज्य सरकार ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने, वैज्ञानिक खनन को बढ़ावा देने और राज्य के खजाने में राजस्व उत्पन्न करने के लिए सख्त निवारक कदम उठाए हैं। पिछले साल रॉयल्टी और पेनल्टी से ₹315 करोड़ की कमाई हुई थी। हाल ही में, सरकार ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने और वैज्ञानिक खनन को प्रोत्साहित करने के लिए ''हिमाचल प्रदेश खनिज नीति–2024'' नामक नई खनन नीति शुरू की है ताकि अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न हो सके। उम्मीद है कि इस वित्तीय वर्ष के दौरान ₹450 करोड़ की राजस्व आय उत्पन्न होगी।

9.1.2.11 औद्योगिक नीतियों की मान्यताः

- राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2023 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में मान्यता प्राप्त।
- 2024 में (ई.ओ.डी.बी.) आकांक्षी राज्य के रूप में उभरा।
- सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करते हुए पी.एम. एफ.एम.ई. योजना में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

राज्य औद्योगीकरण के संक्षिप्त संकेत निम्नानुसार हैं:

सारणी–9.1

विनिर्माण इकाइयों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के अनुसार हिमाचल प्रदेश में मौजूदा औद्योगिक परिदृश्य (15.01.2025 तक)

इकाइयां	श्रेणी की संख्या	निवेश (पी. एंड एम.) (करोड़)	परियोजना लागत (करोड़)	रोजगार
सूक्ष्म	29,210	1,519.67	53,519.51	1,25,476
लघु	1,335	4,164.42	8,284.04	60,367
मध्यम	207	4,459.46	8,500.50	38,015
बड़े	50	87,891.52	64,492.99	19,748
कुल	**30,802**	**98,035.07**	**1,34,797.04**	**2,43,606**

स्त्रोतः उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

सारणी–9.2

एम.एस.एम.ई. की संशोधित परिभाषा

समग्र मानदंडः संयंत्र और मशीनरी या उपकरण और वार्षिक कारोबार में निवेश			
वर्गीकरण	**सूक्ष्म**	**लघु**	**मध्यम**
विनिर्माण एवं सेवा प्रदान करने वाले उद्यम	निवेश < ₹1 करोड़	निवेश < ₹10 करोड़	निवेश <₹50 करोड़
	टर्नओवर <₹5 करोड़	टर्नओवर < ₹50 करोड़	< ₹250 करोड़ टर्नओवर

स्त्रोतः सुक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

एम.एस.एम.ई. का संशोधित लक्षण वर्णन उनके विस्तार और उन्नति को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। इस समायोजन से पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं उत्पन्न होने की उम्मीद है, जिससे उत्पादकता बढ़ेगी, साथ ही यह सुनिश्चित होगा कि एम.एस.एम.ई. को विभिन्न सरकारी प्रोत्साहनों से लाभ मिलता रहे। यह ढांचा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने और एम.एस.एम.ई. के बीच अवरुद्ध विकास को रोकने के लिए तैयार किया गया है।

सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) के लिए कारोबारी माहौल को बढ़ाने के लिए कई पहल लागू की हैं, जिसमें जुलाई, 2020 में उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत एक महत्वपूर्ण कदम है। पंजीकरण प्रक्रिया अब पूरी तरह से ऑनलाइन, डिजिटल और कागज रहित है, जो स्व–घोषणा पर निर्भर है। इस सुव्यवस्थित पंजीकरण प्रक्रिया ने लेन–देन के समय और लागत दोनों को कम करके एम.एस.एम.ई. के लिए व्यापार करने में आसानी में काफी सुधार किया है।

10 जनवरी, 2025 तक राज्य में 1,94,738 उद्यमों ने उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण कराया है, जिनमें से 1,90,775 (97.96 प्रतिशत) सूक्ष्म, 3,571 (1.83 प्रतिशत) लघु और 392

(0.20 प्रतिशत) मध्यम उद्यम हैं। उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण का जिला–वार डेटा सारणी 9.3 में सूचीबद्ध है।

सारणी–9.3

उद्यम पंजीकरण–एम.एस.एम.ई. में विनिर्माण और सेवा उद्यम

जिला का नाम	कुल उद्यम	सूक्ष्म	लघु	मध्यम
सोलन	32750	31298	1252	200
कांगड़ा	32458	31893	531	34
शिमला	25896	25486	391	19
मंडी	23369	23076	281	12
कुल्लू	18896	18727	166	3
ऊना	14064	13792	252	20
हमीरपुर	11995	11850	139	6
सिरमौर	13027	12599	342	86
बिलासपुर	9925	9804	113	8
चंबा	8591	8506	81	4
किन्नौर	2854	2832	22	0
लाहुल एवं स्पीति	913	912	1	0
कुल	**194738**	**190775**	**3571**	**392**
(प्रतिशत)	**100**	**97.96**	**1.83**	**0.2**

स्त्रोतः सुक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

9.1.2.12 एम.एस.एम.ई. प्रदर्शन को बढ़ाना और गति प्रदान करना (आर.ए.एम.पी.)

सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एम.ओ.एम.एस.एम.ई.), भारत सरकार ने देश के एम.एस.एम.ई. पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना, यानी "एम.एस.एम.ई. प्रदर्शन को बढ़ाना (आर.ए.एम.पी.)" शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना, विचारशीलता को प्रोत्साहित करना, प्रथाओं और प्रक्रियाओं में सुधार करना, बाजार पहुंच बढ़ाना, हरित पहल को बढ़ावा देना, महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों को गारंटी बढ़ाना आदि द्वारा एम.एस.एम.ई. की कार्यान्वयन क्षमता और कवरेज को बढ़ाना है। यह योजना 2022–23 से 2026–27 की पांच साल की अवधि में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एम.ओ.एम.एस.एम.ई.) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

उद्योग निदेशालय, हिमाचल प्रदेश ने सरकार को एस.आई.पी. (रणनीतिक निवेश योजना) प्रस्तुत की है। आर.ए.एम.पी. योजना के तहत भारत की। एस.आई.पी. को एम.ओ.

एम.एस.एम.ई. द्वारा अनुमोदित किया गया था, और अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ₹109.34 करोड़ का अनुदान स्वीकृत किया गया था।

9.2 हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति

औद्योगिक नीति 2019 में विजन स्टेटमेंट है, *"आर्थिक विकास और रोजगार के अवसरों के पैमाने को बढ़ाने के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाना हिमाचल को निवेश के लिए पसंदीदा स्थलों में से एक बनाने के लिए औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों का सतत विकास और संतुलित विकास सुनिश्चित करें"।* 2022–23 में, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए एक अनुकूल औद्योगिक विकास वातावरण प्रदान करने के लिए औद्योगिक नीति 2019 को दिसंबर, 2022 से दिसंबर, 2025 तक बढ़ा दिया गया था। यह अपने लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगा

- कानूनों और प्रक्रियाओं के सरलीकरण से ई.ओ.डी.बी. सुनिश्चित किया जाएगा।
- एक नए औद्योगिक बुनियादी ढांचे का निर्माण।
- विश्वसनीय, लागत प्रभावी बिजली का प्रावधान।
- राज्य द्वारा प्रदत्त प्रोत्साहनों, रियायतों और सुविधाओं के वितरण को सुव्यवस्थित करके राज्य में निवेश को बनाए रखा जा सकता है और गति बढ़ाई जा सकती है।
- सभी स्तरों पर 80 प्रतिशत मूल हिमाचलियों को रोजगार की शर्त के साथ प्रोत्साहन, सुविधाएं और रियायतें प्रदान करके।
- **शुद्ध राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी.) छूटः** शुद्ध एस.जी.एस.टी. प्रतिपूर्ति (स्टील विनिर्माण को छोड़कर) के लिए निश्चित पूंजी निवेश सीमा को अधिकतम तक बढ़ा दिया गया है। ए, बी और सी श्रेणी में 7 से 10 वर्षों की अवधि के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) की 100 प्रतिशत, जबकि एंकर इकाइयों के लिए इस एफ.सी.आई. सीमा को बी और सी श्रेणी में 10 वर्षों के लिए 250 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है।

9.3 हिमाचल में निवेश के लिए फोकस क्षेत्र (अतिरिक्त)

हिमाचल प्रदेश में विनिर्माण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन को उत्प्रेरित करने के लिए, राज्य सरकार ने विकास के केंद्र बिंदु के रूप में आठ प्रमुख उद्योगों की पहचान की है और उन्हें प्राथमिकता दी है। विनिर्माण और फार्मास्यूटिकल्स के सेक्टर की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- राज्य में 60 औद्योगिक क्षेत्र और 17 औद्योगिक एस्टेट हैं और यह 300 मिलियन से अधिक ग्राहकों (भारत की 25 प्रतिशत आबादी) तक बाजार पहुंच प्रदान करता

है। इसने निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से क्रेमिका फूड पार्क के विकास का समर्थन किया। प्रचुर मात्रा में कच्चे माल और बेहतर कनेक्टिविटी के साथ, राज्य सरकार और अधिक फूड पार्क के विकास की परिकल्पना करती है।

- राज्य में विभिन्न स्थानों पर नए औद्योगिक पार्क प्रस्तावित किए गए हैं जैसे कांगड़ा में एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, संशोधित औद्योगिक बुनियादी ढांचा उन्नयन योजना (एम.आई.आई.यू.एस.) की मेगा फूड पार्क योजना के अन्तर्गत मेगा फूड पार्क, ऊना में मेगा टेक्सटाइल पार्क, अदुवाल में बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ऊना में बल्क ड्रग पार्क, सोलन में मेडिकल डिवाइस पार्क, शिमला के मेहली में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क।
- बद्दी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (एन.आई.पी.ई.आर.) द्वारा सहायता प्राप्त एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला भी स्थापित करने का प्रस्ताव है। भारत में फार्मा मांग में हिमाचल प्रदेश का योगदान 35 प्रतिशत है।
- जिला ऊना की हरोली तहसील में 1,405 एकड़ भूमि पर बल्क ड्रग पार्क विकसित किया जा रहा है। जिसकी अनुमानित लागत ₹2,071 करोड़ है।
- राज्य में निवेश प्रोत्साहन पहल ने ''आमंत्रण के माध्यम से उद्योग'' दृष्टिकोण के अन्तर्गत उल्लेखनीय गति प्राप्त की है, जिसके परिणामस्वरूप ₹2,500 करोड़ के समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) हुए हैं।
- वर्तमान में, नालागढ़ तहसील के धबोटा और बीर प्लासी में 1,350 बीघा सरकारी भूमि औद्योगिक उपयोग के लिए हस्तांतरण के अंतिम चरण में है।

9.3.1 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास (एम.एस.ई.–सी.डी.पी.) योजना के अन्तर्गत आई.डी. क्लस्टरों की वर्तमान स्थितिः

तीन बुनियादी ढांचा विकास क्लस्टरों को भारत सरकार द्वारा अंतिम मंजूरी दे दी गई है। इन तीन आईडी परियोजनाओं की कुल लागत ₹32.35 करोड़ है। इसके अलावा, भारत सरकार ने इन परियोजनाओं के लिए ₹23.40 करोड़ की अनुदान सहायता(जी.आई.ए.) प्रदान की है। राज्य में परियोजना की स्थिति नीचे सारणीबद्ध हैः

सारणी–9.4

क्र. सं.	आईडी क्लस्टर का नाम	परियोजना लागत (₹करोड में)			स्थिति
		कुल	भारत सरकार	हिमाचल प्रदेश	
1.	खड़ीन, जिला सोलन में औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक बुनियादी ढांचे (सड़कें और नालियां) का उन्नयन	10.05	7.92	2.14	12.06.2023 को डी.सी.–एम.एस. एम.ई. द्वारा अंतिम मंजूरी दी गई।
2.	जिला ऊना की तहसील	12.24	8.00	4.24	17.07.2023 को

	जीतपुर बेहरी में औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक बुनियादी ढांचे (सड़कें और स्ट्रीट लाइट) का उन्नयन				डी.सी.–एम.एस. एम.ई. द्वारा अंतिम अनुमोदन समझौता।
3.	औद्योगिक क्षेत्र चरण–1, गोंदपुर, जिला सिरमौर में औद्योगिक बुनियादी ढांचे (सड़कें और नालियां) का उन्नयन	10.06	7.48	2.57	डी.सी.–एम.एस. एम.ई. द्वारा 17.07.2023 को अंतिम मंजूरी दी गई।

9.4 सरकारी पहलः राज्य प्रायोजित योजनाएँ

9.4.1 मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना (एम.एम.एस.वाई.)

हिमाचल प्रदेश के 18 से 45 वर्ष (महिलाओं के लिए 18 से 50 वर्ष) के वास्तविक युवाओं को आजीविका प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ''मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना'' लागू कर रही है।

इस योजना के तहत लाभार्थी निम्नलिखित लाभ उठा रहे हैंः

i. महिलाओं और दिव्यांगजनों के नेतृत्व वाले उद्यमों को 35 प्रतिशत निवेश सब्सिडी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 30 प्रतिशत और अन्य के लिए 25 प्रतिशत, संयंत्र और मशीनरी (या उपकरण) में ₹60 लाख की अधिकतम सीमा तक, जिसकी कुल परियोजना लागत ₹1.00 करोड़ से अधिक न हो।
ii. 60 लाख रुपये तक के ऋण पर 3 वर्ष के लिए 5 प्रतिशत की दर से ब्याज सब्सिडी।
iii. सी श्रेणी क्षेत्र में आई.ए./आई.ई. में औद्योगिक भूखंड, शेड, दुकानें केवल आवंटन के समय प्रचलित प्रीमियम के 25 प्रतिशत की दर पर आवंटित की जाएंगी।
iv. यदि कोई उद्यमी इस योजना के अन्तर्गत भूमि खरीदने का इरादा रखता है तो स्टांप शुल्क लागू दर का 3 प्रतिशत लिया जाएगा।
v. राज्य सरकार जमानत मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए भारत सरकार के सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सी.जी.टी.एम.एस.ई.) की गारंटी शुल्क के भुगतान पर किए गए वास्तविक शुल्क/व्यय की प्रतिपूर्ति कर रही है।
vi. इस योजना के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य 103 पात्र सेवा गतिविधियों की सूची है।

सारणी–9.5

एम.एम.एस.वाई. की उपलब्धि

वर्ष	स्वीकृत मामलों की संख्या	प्रस्तावित निवेश (₹ करोड में)	शामिल सब्सिडी (₹करोड़ में)	प्रस्तावित रोजगार (संख्या में)	यूनिट वास्तव में सेटअप (संख्या में)	वास्तविक निवेश (₹करोड़ में)	रोजगार सृजित (संख्या में)	सब्सिडी जारी (₹करोड़ में)
2018–19	346	71.88	17.45	1471	212	43.87	668	8.50
2019–20	1055	206.55	48.85	4377	733	132.19	2471	31.80
2020–21	1986	352.05	81.39	5464	1330	229.13	3990	79.15
2021–22	3042	542.02	116.75	6967	1863	279.48	4045	70.18
2022–23	2801	540.83	127.45	6939	1728	282.33	3310	94.80
2023–24	1155	251.76	64.32	3188	953	188.92	2283	43.08
2024–25	264	68.91	15.65	863	325	61.78	761	11.27
कुल	**10649**	**2034**	**471.86**	**29269**	**7144**	**1217.7**	**17528**	**338.78**

स्रोतः उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

9.4.2 राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एस.एम.एफ.पी.)

एस.एम.एफ.पी. के अन्तर्गत् कार्यान्वित की जा रही मुख्य योजनाएं, उनकी सहायता का पैटर्न और सहायता अनुदान की अधिकतम सीमा इस प्रकार हैः

- विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफ.पी.आई.) के प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण में, इकाइयों को ₹75 लाख की अधिकतम सीमा के साथ 33.33 प्रतिशत अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।
- कोल्ड चेन, मूल्य संवर्धन और संरक्षण बुनियादी ढांचे (गैर–बागवानी उत्पाद) में लगी इकाइयां ₹5 करोड़ की ऊपरी सीमा के साथ अनुदान सहायता के 50 प्रतिशत के लिए पात्र हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों/संग्रह केंद्रों को ₹2.50 करोड़ तक 75 प्रतिशत की अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।
- मांस की दुकानों के आधुनिकीकरण के लिए ₹5 लाख तक 75 प्रतिशत की अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।
- रेफर वाहन की खरीद के लिए ₹50 लाख की अधिकतम सीमा के साथ 50 प्रतिशत की अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।

सारणी–9.6

एस.एम.एफ.पी. के अन्तर्गत उपलब्धियां (वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2024–25 तक):

क्रम संख्या	योजना	कुल मामले स्वीकृत	कुल परियोजना लागत (करोड़ में)	जी.आई.ए. स्वीकृत (करोड़ में)	जी.आई.ए. जारी (करोड़ में)
1.	एस.एम.एफ.पी. के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण	80	137.80	20.64	16.28
2.	कोल्ड चेन, मूल्य संवर्धन और संरक्षण अवसंरचना (गैर–बागवानी उत्पाद) मांस की दुकानों का आधुनिकीकरण रेफर वाहन	7	50.44	19.55	14.33
3.	ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र/संग्रह केंद्र	11	43.26	21.01	9.68
4.	मांस की दुकानों का आधुनिकीकरण	99	7.33	3.97	2.99
5.	रेफर वाहन	27	5.96	2.80	2.30
कुल		224	244.79	67.97	45.58

9.4.3 मुख्यमंत्री स्टार्टअप/नवाचार परियोजनाएँ/नवीन उद्योग योजना

हिमाचल प्रदेश में एक बढ़ता हुआ स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जो ''मुख्यमंत्री स्टार्टअप/नवाचार परियोजनाओं/नई उद्योग योजना'' द्वारा समर्थित है।

नीति के द्वारा, उद्योग विभाग एक मजबूत पारिस्थिति की तंत्र का निर्माण कर रहा है जो नीति आवश्यकताओं का अनुपालन करता है। इस पहल में उद्यमियों को अपने उद्यमों में सफलता में मदद करने के लिए स्टार्टअप के लिए कई प्रोत्साहनों की परिकल्पना की गई है, जिसमें एक वर्ष के लिए प्रति माह ₹25,000 का मासिक निर्वाह छात्रवृति और प्लग–एंड–प्ले क्षमताओं के साथ मुफ्त इनक्यूबेशन सुविधाएं शामिल हैं।

राज्य में उद्यम पूंजी और प्रारम्भिक निवेश को और सक्षम बनाने के लिए, सरकार ने हिमाचल स्टार्टअप योजना की घोषणा की है, जिसके अन्तर्गत कंपनियों को समर्थन देने के लिए पांच वर्षों के लिए ₹10 करोड़ का फंड स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री के स्टार्टअप मिशन की मुख्य बातें इस प्रकार हैं: स्व–रोजगार या रोजगार सृजन और आय सृजन।

i राज्य सरकार ने राज्य भर में संचालन के लिए प्लग–एंड–प्ले सुविधाओं के साथ स्टार्ट–अप के लिए निःशुल्क इनक्यूबेटरों के साथ–साथ हैंडहोल्डिंग समर्थन, कार्य स्थान और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कुल 14 बिजनेस इनक्यूबेटरों को अधिकृत किया है।

ii इन्क्यूबेशन के लिए 365 स्टार्टअप का चयन किया गया है।

iii हिमाचल स्टार्टअप योजना ने पूंजी सहायता के रूप में 09 विभिन्न व्यवसायों को लगभग ₹ 2.11 करोड़ का योगदान दिया है।

iv चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अब तक चयनित स्टार्ट–अप को ₹81.50 लाख का भरण–पोषण भत्ता वितरित किया जा चुका है।

भारत सरकार के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डी.पी.आई.आई.टी.) द्वारा प्रसारित स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार राज्य की अब तक की स्टार्टअप यात्रा इस प्रकार है:



v. हिमाचल प्रदेश उद्यमिता विकास केंद्र (एच.पी.सी.ई.डी., उद्योग विभाग के तत्वावधान में एक सोसायटी) राज्य में एक एजेंसी है जिसकी स्थापना उद्यमशीलता गतिविधियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के प्राथमिक उद्देश्य से की गई है। वर्तमान में, एच.पी.सी.ई.डी. स्टार्ट–अप योजना के लिए एक सहायता केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है।

vi. एच.पी.सी.ई.डी. ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान अब तक राज्य में लोगों को स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र और उद्यमशीलता गतिविधियों के बारे में जागरूक करने के लिए 21 कार्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित की हैं।

vii. दो नए इनक्यूबेशन केंद्र अर्थात भारतीय प्रबंधन संस्थान (आई.आई.एम.) सिरमौर और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) बिलासपुर को बाजार रणनीतियों से संबंधित चुनौतियों का सामना करने और राज्य में चिकित्सा/स्वास्थ्य देखभाल नवाचारों और स्टार्टअप की सुविधा के लिए शामिल किया गया है।

9.4.4 व्यवसाय करने में आसानी (ई.ओ.डी.बी.)

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ई.ओ.डी.बी.) के बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (बी.आर.ए.पी.) जनादेश के तहत, राज्य ने बी.आर.ए.पी. 2022 अभ्यास के अन्तर्गत 352 सुधार बिंदुओं में से 347 के कार्यान्वयन के साथ 99 प्रतिशत का कार्यान्वयन स्कोर हासिल किया है। हिमाचल प्रदेश राज्य को ई.ओ.डी.बी. (बी.आर.ए.पी–2022) रैंकिंग में ''एस्पायरर्स श्रेणी'' में

स्थान दिया गया है। यह 2014 में जबसे यह फ्रेमवर्क शुरू हुआ था, हिमाचल प्रदेश ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। इससे पहले राज्य ने 9 अंकों की लंबी छलांग लगाई थी। ई.ओ.डी.बी.–2019 रैंकिंग में 16वें स्थान से 7वें स्थान पर पहुंच गया, जिसने हिमाचल को देश के ''पहाड़ी राज्यों में शीर्ष रैंकिंग वाला राज्य'' बना दिया।

चित्र 9.1

ई.ओ.डी.बी. के तहत प्रावधान का स्नैपशॉट

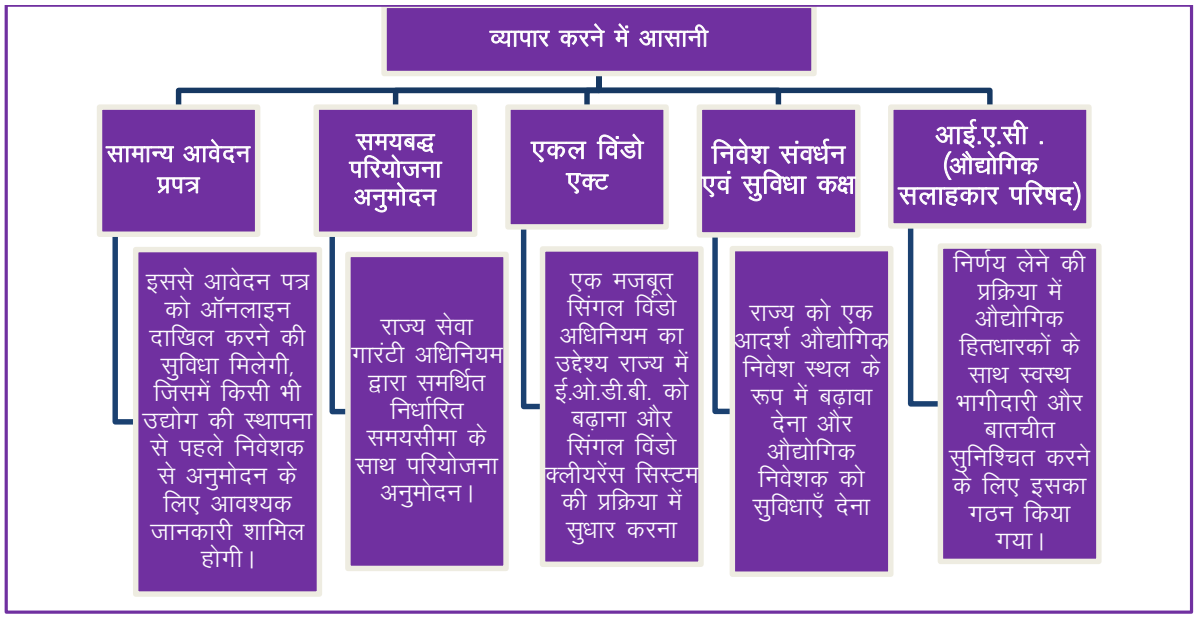

स्रोतः उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

9.5 केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

9.5.1 प्रधानमंत्री ने सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों (पी.एम.एफ.एम.एफ.पी.ई.) को औपचारिक रूप दिया

यह योजना हिमाचल प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में शामिल एस.एच.जी, एफ.पी.ओ., सहकारी समितियों और व्यक्तिगत उद्यमियों को वित्तीय, तकनीकी, ढांचागत और क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करके राज्य के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के औपचारिकीकरण को बढ़ावा देती है।

- **व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों को सहायताः**

  व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रति यूनिट ₹10.0 लाख की अधिकतम सीमा के साथ पात्र परियोजना लागत के 35 प्रतिशत की दर से क्रेडिट–लिंक्ड पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाती है।

- **एस.एच.जी. को प्रारम्भिक पूंजी:**

  खाद्य प्रसंस्करण में लगे लोगों को कार्यशील पूंजी और छोटे उपकरणों की खरीद के लिए प्रति एस.एच.जी. सदस्य को ₹40,000 की दर से प्रारम्भिक पूंजी प्रदान की जाती है।

  पी.एम.एफ.एम.ई. योजना के अन्तर्गत उपलब्धियां अप्रैल–दिसम्बर, 2024 तक प्रारम्भिक पूंजी घटक:

सारणी–9.7

क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी घटक:

क्र. संख्या	व्यक्तिगत मामले	कुल प्रारम्भिक पूंजी निधि स्वीकृत
1	1000	₹3.85 करोड़

सारणी–9.8

क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी घटक:

क्र. संख्या	स्वीकृत व्यक्तिगत मामले	कुल परियोजना लागत	कुल जारी सब्सिडी	कुल सब्सिडी राशि
1	380	₹25.50 करोड़	162	₹4.35 करोड

इन्युबेशन केंद्र: सूक्ष्म उद्यमों को उत्पादों और प्रक्रियाओं में अपने गुणवत्ता मानकों को लगातार उन्नत करने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राज्य में तीन इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। यह नई प्रौद्योगिकी, गुणवत्तापूर्ण उपकरणों और ऊर्जा कुशल विनिर्माण प्रथाओं के अनुकूलन को भी बढ़ावा देगा। पहचाने गए इन्युबेशन केंद्र इस प्रकार हैं:

सारणी–9.9

क्र. संख्या	मेजबान संस्थान	3 प्रसंस्करण लाइनें
1	सी.एस.के. एच.पी.के.वी., पालमपुर, कांगड़ा	आम, फल एवं सब्जी एवं डेयरी उत्पाद
2	के.वी.के.– कुकुमसेरी, लाहौल और स्पीति (सी.एस.के. हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय)	सिबकथॉर्न, फल और सब्जी
3	डॉ. वाई.एस.पी.यू.एच.एफ., नौणी, सोलन	मशरूम, फल और सब्जियाँ, मसाले, जड़ी–बूटियाँ

लाभार्थी/प्रशिक्षणकर्ता प्रशिक्षणः कुल 4500 लाभार्थियों को विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। क्षमता निर्माण, (ई.डी.पी.) उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम।

विश्व खाद्य भारतः हिमाचल प्रदेश राज्य को पी.एम.एफ.एम.ई. योजना के अन्तर्गत एक उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में चुना गया और 5 नवंबर 2023 को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा वर्ल्ड फूड इंडिया (डब्ल्यू.एफ.आई.) के समापन सत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य का पुरस्कार प्राप्त किया गया था।

9.5.2 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.)

- प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.) केंद्र सरकार का एक क्रेडिट–लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है।
- योजना के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र में परियोजना की अधिकतम लागत ₹50.00 लाख तथा सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ₹20.00 लाख है। यदि कुल परियोजना लागत विनिर्माण और सेवा/व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए क्रमशः ₹50.00 लाख या ₹20.00 लाख से अधिक है, तो शेष राशि बिना किसी सरकारी सब्सिडी के बैंकों द्वारा प्रदान की जा सकती है। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को प्रस्तावित उद्यम/इकाई के स्थान के आधार पर 15–25 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है और परियोजना लागत में योगदान 10 प्रतिशत है। अन्य श्रेणियों के लिए, उम्मीदवारों को प्रस्तावित उद्यम/इकाई के स्थान के आधार पर 25–35 प्रतिशत मिलता है और उनका योगदान केवल 5 प्रतिशत है।
- यह योजना उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (एच.पी.के.वी.आई.बी.) और खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) राज्य कार्यालयों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।
- 2024–25 के दौरान निम्नलिखित उपलब्धियाँ हैं:

सारणी–9.10

बैंक द्वारा स्वीकृत आवेदनों की संख्या			उन मामलों की संख्या जिनमें एम.एम. ने दावा किया			एम.एम. दावा (लाख में)			ऐसे मामलों की संख्या जिनमें एम. एम. संवितरण			एम.एम. संवितरण (लाख में)		
डी. आई. सी.	के.वी. आई. सी.	के.वी. आई.बी.	डी. आई. सी.	के.वी. आई. सी.	के.वी. आई. बी.	डी. आई.सी.	के.वी. आई सी.	के.वी. आई.बी.	डी. आई. सी.	के.वी. आई. सी.	के.वी. आई. बी.	डी.आई. सी.	के.वी. आई सी.	के.वी. आई.बी.
497	175	201	550	219	372	1790.1	990.25	1353.95	160	79	138	525.98	354.13	595.68

9.5.3 प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना (पी.एम.वी. योजना)

इस पहल का उद्देश्य 18 पहचाने गए व्यवसायों में कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाना है, उनकी आजीविका में सुधार लाने और कौशल विकास के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करना है। यह योजना टूल किट के लिए ₹15,000 की वित्तीय सहायता, 5 प्रतिशत सब्सिडी वाली ब्याज दर पर ₹3.00 लाख तक के जमानत मुक्त उद्यम विकास ऋण और बाजार लिंकेज की सुविधा प्रदान करती है। इन संबंधों को बढ़ावा देने के लिए, कारीगरों को राज्य–स्तरीय प्रदर्शनियों और मेलों में भाग लेने का अवसर दिया जाता है। अब तक, दो मेले आयोजित किए गए हैं: जागरूकता के लिए जुन्गा शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल, और रामपुर मेला, जहां लगभग 15 ट्रेडों के 48 कारीगरों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश के तीन कारीगरों को एम.ओ.एम. एस.एम.ई द्वारा इस योजना के अन्तर्गत सम्मानित किया गया है।

योजना के अंतर्गत शामिल प्रमुख व्यवसायों में शामिल हैं–बढ़ई, सिलाई, लोहार, सुनार (सुनार), ताला बनाने वाला, कवच बनाने वाला, नाव बनाने वाला, टोकरी/चटाई/झाड़ू बनाने वाला, माला बनाने वाला, धोबी (धोबी), नाई, कुम्हार (कुम्हार), हथौड़ा और टूलकिट निर्माता, मोची/जूते कारीगर, गुड़िया और खिलौना बनाने वाला, मछली जाल बनाने वाला, राजमिस्त्री, मूर्तिकार।

सारणी–9.11

06.01.2025 तक योजना की प्रमुख उपलब्धियाँ:

क्र.संख्या	घटक	संख्या
1.	**ग्राम पंचायतों को शामिल करना**	
	ग्राम पंचायत की कुल संख्या	3615
	ग्राम पंचायत को पी.एम. विश्वकर्मा पोर्टल पर जोड़ा गया	3611
	लंबित ग्राम पंचायत	4
2.	**कारीगरों का आवेदन और अनुमोदन चरण**	
	कुल प्राप्त आवेदन	1,78,704
	प्रथम चरण में स्वीकृत आवेदन (ग्राम पंचायत स्तर)	1,26,522 (71 प्रतिशत)
	द्वितीय चरण में स्वीकृत आवेदन (जिला स्तर)	32,985 (26 प्रतिशत)
	तृतीय चरण में आवेदन स्वीकृत (राज्य स्तर)	18,988 (58 प्रतिशत)
3.	**कौशल विकास**	
	कौशल विकास हेतु सूचीबद्ध	48
	कौशल विकास में संस्थान सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं	41
	बुनियादी कौशल प्रशिक्षण के लिए नामांकित लाभार्थी	8628
	लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया	7563

4.	ऋण के लिए पहुंच				
व्यापार	ऋण हेतु आवेदन भेजा गया	स्वीकृत	स्वीकृत राशि (करोडो मे)	संवितरित	संवितरित राशि (करोड में)
नाई (नाई)	245	68	0.64	61	0.56
बढ़ई (सुथरा/बढ़ई)	1534	422	3.90	358	3.30
हथौड़ा और टूलकिट निर्माता	19	4	0.04	2	0.02
राजमिस्त्री (राज मिस्त्री)	756	201	1.89	170	1.60
मेटल स्मिथ/मेटल कॉस्टर	86	24	0.23	23	0.21
दर्जी (दरजी)	320	68	0.59	55	0.41
कुल	**2960**	**787**	**7.29**	**669**	**6.10**

9.5.4 यूनिटी मॉलः राष्ट्रीय एकता और आर्थिक विकास का एक प्रतीक

भारत सरकार ने ''पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना 2023–24'' के भाग–VI के अन्तर्गत धर्मशाला, जिला कांगड़ा के मौहाल चकवन धगवार में यूनिटी मॉल की स्थापना को मंजूरी दे दी है। एक अत्याधुनिक व्यावसायिक परिसर के रूप में कल्पना की गई। वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने इस परिवर्तनकारी परियोजना के लिए ₹132 करोड़ मंजूर किए हैं। उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश को पहली किस्त के रूप में ₹66 करोड़ पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

इसके प्राथमिक उद्देश्यों में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, ''मेक इन इंडिया'' पहल को बढ़ावा देना, एक जिला एक उत्पाद (ओ.डी.ओ.पी.) ढांचे के तहत स्वदेशी उत्पादों की विपणन क्षमता को बढ़ाना और ग्रामीण कारीगरों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए एक मंच प्रदान करके सशक्त बनाना शामिल है। यह पहल क्षेत्र की आर्थिक जीवंतता में योगदान करते हुए रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और स्थानीय शिल्प कौशल का समर्थन करने के लिए तैयार है।

9.6 रेशम उत्पादन उद्योग

राज्य में रेशम उत्पादन कृषि समुदाय की आय बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रामीण आय सृजन सहायक व्यवसाय के रूप में विकसित हो रहा है। राज्य में रेशम उत्पादन में बड़ी संख्या में लोग लगे हुए हैं। राज्य सरकार ने 1951 में उद्योग विभाग निदेशक के नियंत्रण में एक अलग रेशम उत्पादन विंग की स्थापना की है।

रेशम उत्पादन 1691 गांवों में लगभग 10,470 परिवारों को काफी लाभकारी व्यवसाय प्रदान करता है और इसका प्रमुख केंद्र बिलासपुर, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना और सिरमौर जिलों में पाया जाता है। रेशम उत्पादन करने वाले जिलों में, बिलासपुर जिला रेशम कोकून का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो उत्पादन का 35 प्रतिशत साझा करता है, इसके बाद जिला मंडी (25 प्रतिशत), जिला कांगड़ा (22 प्रतिशत) और हमीरपुर (16 प्रतिशत) का स्थान है।

उद्योग विभाग ने राज्य के 11 जिलों में आठ रेशम उत्पादन प्रभाग स्थापित किए हैं, जिसके अन्तर्गत 79 रेशम उत्पादन केंद्र–सह–चौकी पालन केंद्र और 64 शहतूत फार्म कार्य कर रहे हैं। यह सरकारी रेशम उत्पादन केंद्र किसानों को रेशमकीट वितरित करते हैं और हितधारकों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। भौतिक उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं:–

9.6.1 खनन एवं उत्खनन क्षेत्र

सरकार ने हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियम, 2015, पांचवें संशोधन नियम, 2024 में संशोधन किया है जिसमें राजस्व वृद्धि के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं: –

i. अन्य स्रोतों/गैर खनन गतिविधियों से उत्पन्न सामग्री के उपयोग के लिए, उपयोगकर्ता एजेंसी को प्रसंस्करण शुल्क के रूप में देय रॉयल्टी के 75 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा।
ii. प्रत्येक खनिज रियायत धारक को ई.वी. शुल्क के रूप में ₹5 प्रति टन, ऑनलाइन शुल्क के रूप में ₹5 प्रति टन और दूध उपकर के रूप में ₹2 प्रति टन भुगतान करना होगा।
iii. राज्य में व्यवस्थित और वैज्ञानिक खनन को प्रोत्साहित करने के लिए, नदी तल में खनन की गहराई मौजूदा 1 मीटर से बढ़ाकर 2 मीटर कर दी गई है।

सरकार ने हिमाचल प्रदेश खनिज नीति–2024 को भी अधिसूचित किया है जिसे दस साल से अधिक की अवधि के बाद संशोधित किया गया है ताकि राज्य में टिकाऊ, व्यवस्थित और वैज्ञानिक खनन सुनिश्चित किया जा सके। वर्तमान सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण, वर्ष 2023–24 के दौरान खनन से राजस्व सृजन बढ़कर ₹315 करोड़ हो गया है जो कि 2022–23 के दौरान ₹241 करोड़ था। इस वित्त वर्ष 2024–25 के लिए खनन से अनुमानित राजस्व लगभग 400 करोड़ है।

9.7 औद्योगिक क्षेत्र और इसके उप–क्षेत्र का योगदान

उद्योग क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और हिमाचल में रोजगार की अत्यधिक संभावनाएं पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण है। 2024–2025 (अग्रिम) में औद्योगिक

क्षेत्र का (खनन और उत्खनन सहित) कुल जी.वी.ए. (प्रचलित भावों में) ₹86,695 करोड़ अनुमानित है।

विनिर्माण क्षेत्र के प्रचलित भावों पर कुल जी.वी.ए. में औद्योगिक क्षेत्र का 65.49 प्रतिशत योगदान है व शेष 34.51 प्रतिशत योगदान निर्माण, खनन एवं उत्खनन, बिजली और अन्य उपयोगिताओं के उप–क्षेत्रों से आता है।

जी.एस.वी.ए. में प्रचलित भावों पर औद्योगिक क्षेत्र (खनन और उत्खनन सहित) का योगदान वित्तीय वर्ष 2024–25 में 40.00 प्रतिशत है जिसमें 26.19 प्रतिशत विनिर्माण से, 7.68 प्रतिशत निर्माण तथा 5.66 प्रतिशत बिजली, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाओं से आता है।

प्रचलित भावो पर जी.एस.वी.ए. में खनन और उत्खनन क्षेत्र का योगदान वर्ष 2020–21 में 0.30 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2024–25 में 0.46 प्रतिशत हो गया

चित्र 9.2

औद्योगिक क्षेत्र में उप–क्षेत्रों का योगदान और कुल जी.एस.वी.ए. में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान (प्रचलित भाव पर)

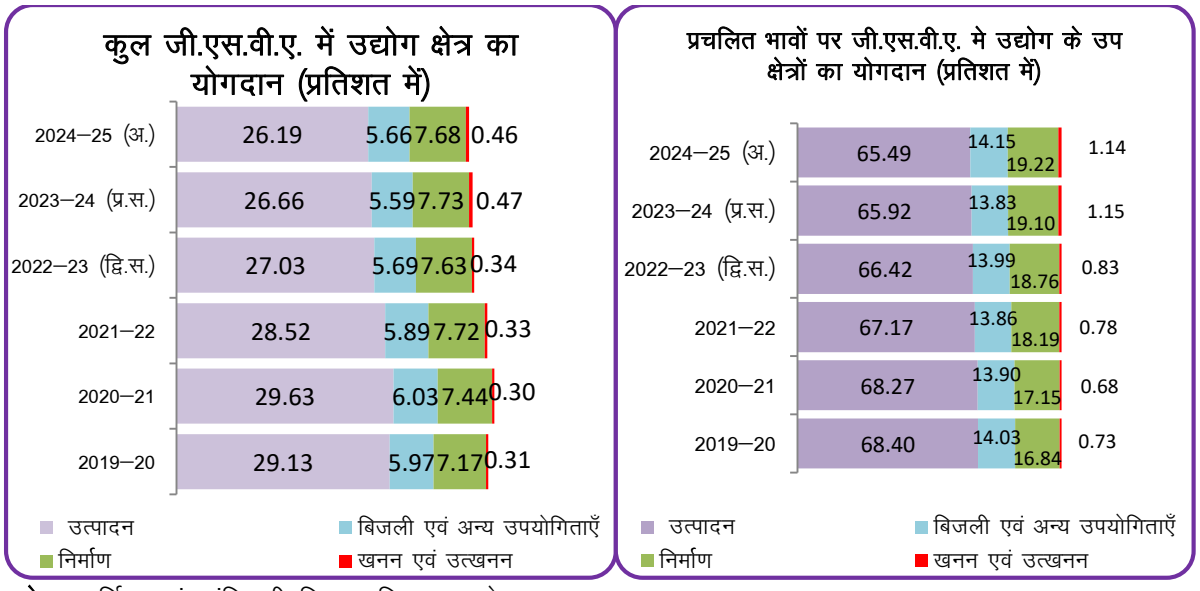

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

9.7.1 औद्योगिक क्षेत्र और इसके उप–क्षेत्र का विकास

अग्रिम अनुमान के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में वित्त वर्ष 2024–25 में औद्योगिक क्षेत्र का जी.एस.वी.ए. 8.1 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है और इसी अवधि के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र का जी.वी.ए. स्थिर भावों पर 6.5 प्रतिशत बढ़ा है।

9.7.2 विनिर्माण क्षेत्र

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, विनिर्माण क्षेत्र में 7.1 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है जो उद्योग क्षेत्र में तीसरी सबसे ऊंची वृद्धि दर है (चित्र 9.3)। 2013–14 से 2024–25 के बीच, विनिर्माण क्षेत्र ने उद्योग क्षेत्र के उप–क्षेत्रों के बीच 8.3 प्रतिशत की उच्च सी.ए.जी.आर. का अनुभव किया, जो हिमाचल प्रदेश के तेजी से विनिर्माण विकास और व्यापार सुधारों, बेहतर बुनियादी ढांचे के प्रावधान और संभावित निवेशकों को प्रतिस्पर्धी वित्तीय रियायतों के माध्यम से निवेश आकर्षित करने की क्षमता को दर्शाता है।

9.7.3 निर्माण क्षेत्र

संगठित और असंगठित क्षेत्र की आय बढ़ाने के लिए और राज्य के बुनियादी ढांचे का विकास करने के लिए निर्माण उप–क्षेत्र का विकास महत्वपूर्ण है। निर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर उद्योग क्षेत्र में द्वितीय स्थान पर है जोकि वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान उच्चतम विकास दर जो 9.4 प्रतिशत अनुमानित है (चित्र 9.3)।

9.7.4 बिजली, जलापूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवा क्षेत्र

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, बिजली, जल की आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवा क्षेत्र में 11.5 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है जो औद्योगिक क्षेत्र में सबसे अधिक विकास दर है (चित्र 9.3)।

9.7.5 खनन और उत्खनन क्षेत्र

खनन और उत्खनन क्षेत्र वित्तीय वर्ष, 2024–25 में 6.1 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है।

चित्र 9.3

स्थिर कीमतों पर औद्योगिक क्षेत्र के उप–क्षेत्रों की विकास दर

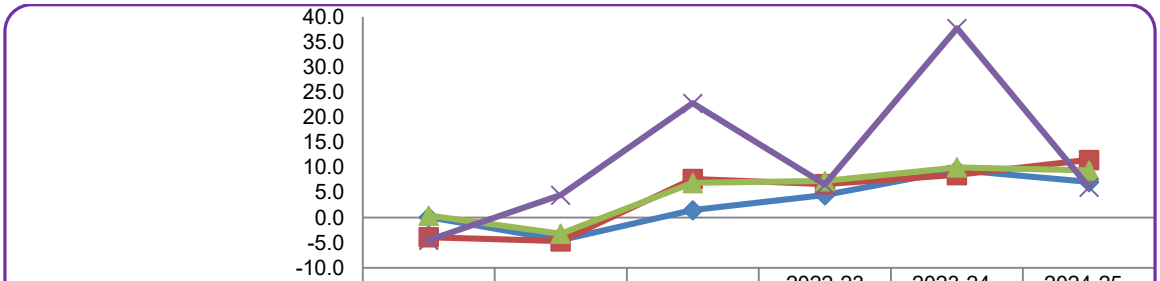

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (द्वि. स.)	2023-24 (प्र. स.)	2024-25 (अ.)
उत्पादन	0.1	-4.5	1.5	4.5	9.5	7.1
बिजली और अन्य उपयोगिताएँ	-3.9	-4.7	7.7	6.7	8.5	11.5
निर्माण	0.4	-3.2	6.9	7.3	10.0	9.4
खनन और उत्खनन	-4.5	4.5	22.8	6.6	37.7	6.1

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार

चित्र 9.4

प्रचलित कीमतों पर औद्योगिक क्षेत्र का उप–क्षेत्रों का जी.एस.वी.ए.(₹ करोड़ में)

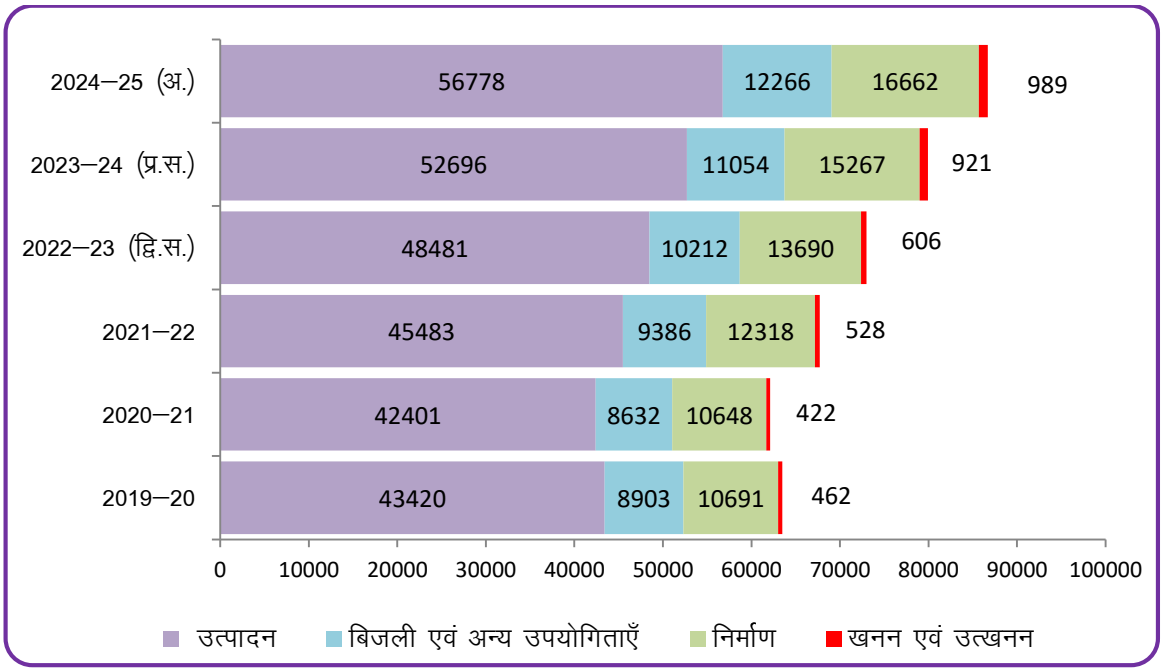

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

9.7.6 रोजगार अंशदान

वे व्यक्ति जो या तो काम कर रहे हैं (या कार्यरत हैं) या काम की तलाश कर रहे हैं या काम के लिए उपलब्ध हैं (या बेरोजगार) श्रम बल का गठन करते हैं। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी.एल.एफ.एस.) 2022–23 के अनुसार, राज्य के 17.18 प्रतिशत काम करने वाले वयस्क औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत थे जो 2023–24, पी.एल.एफ.एस. में बढ़कर 22.04 प्रतिशत हो गये हैं।

निर्माण और विनिर्माण क्षेत्र उद्योग क्षेत्र हैं जो राज्य के कार्यबल के उच्चतम प्रतिशत क्रमशः 8.60 प्रतिशत और 11.52 प्रतिशत रोजगार देते हैं। अन्य दो उप–क्षेत्र मिलकर राज्य के 1.92 प्रतिशत कार्यबल को रोजगार देते हैं। चित्र 9.5 से यह स्पष्ट है कि रोजगार में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 2023–24 में 41 प्रतिशत रही, जबकि बिजली और अन्य उपयोगिताओं की हिस्सेदारी 2022–23 में 7 प्रतिशत से घटकर 2023–24 में 4 प्रतिशत हो गई।

चित्रः 9.5

हिमाचल प्रदेश में उद्योग क्षेत्र में विभिन्न उप–क्षेत्रों में नियोजित श्रमिकों का प्रतिशत (15–59 वर्ष)

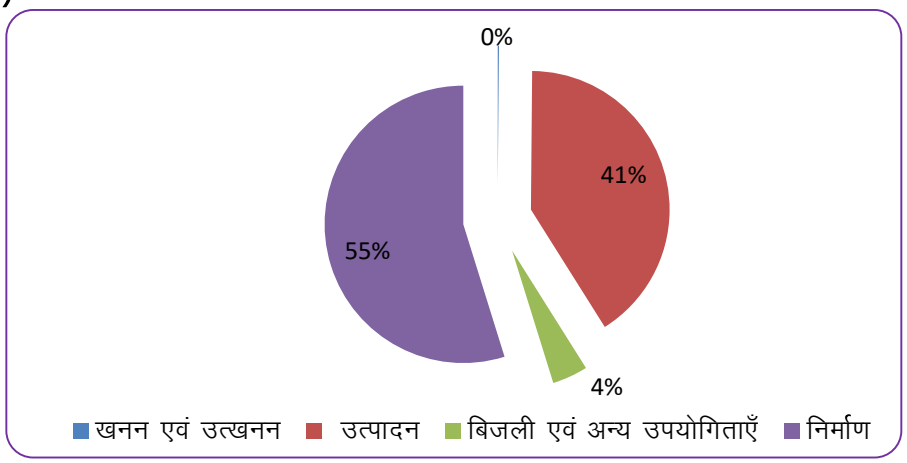

स्रोतः आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023–24

9.7.7 कार्यशील जनसंख्या का क्षेत्र वार वितरण

हिमाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में आम तौर पर काम करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत वितरण (कुल कार्यबल में से) चित्र 9.6 में प्रस्तुत किया गया है जो दर्शाता है कि 53.98 प्रतिशत, 22.01 प्रतिशत और 24.01 प्रतिशत क्रमशः प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में कार्यरत हैं। (पी.एल.एफ.एस. 2023–24)

चित्रः 9.6

हिमाचल प्रदेश के लिए उद्योग (एन.आई.सी.–2008 के उद्योग वर्गों) द्वारा आम तौर पर काम करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत वितरण (कुल कार्यबल में से)

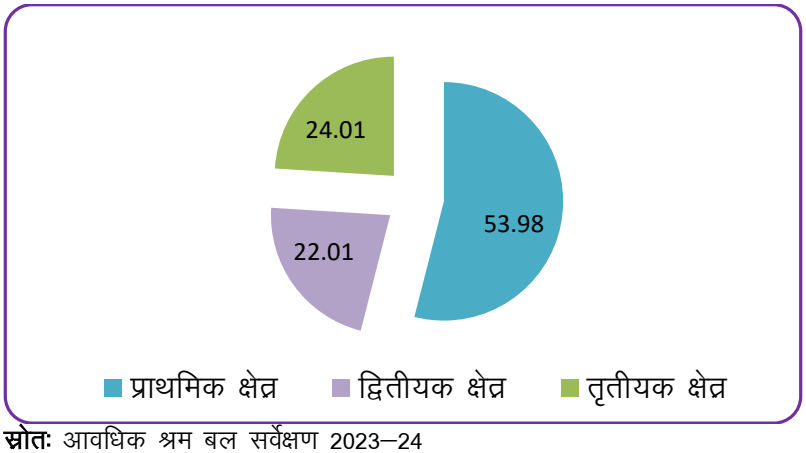

स्रोतः आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023–24

हिमाचल प्रदेश में द्वितीयक क्षेत्र के अन्तर्गत कार्यरत श्रमशक्ति शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः 44.3 व 19.5 प्रतिशत है।

चित्र 9.7 ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच श्रम बल में लिंग आधारित अंतर प्रदर्शित करता है। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 7.2 प्रतिशत महिलाएं व 30.63 प्रतिशत पुरुष द्वितीयक क्षेत्र में लाभकारी रूप से कार्यरत हैं। तुलनात्मक रूप में, शहरी क्षेत्रों में 28.19 प्रतिशत महिलाएं (ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में 20.99 प्रतिशत अधिक) व 50.63 प्रतिशत पुरुष श्रम बल में द्वितीयक क्षेत्र में लाभप्रद रोजगार में कार्यरत हैं।

चित्र 9.7

हिमाचल प्रदेश के लिए द्वितीयक क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों का प्रतिशत वितरण (ग्रामीण, शहरी और पुरुष और महिला)

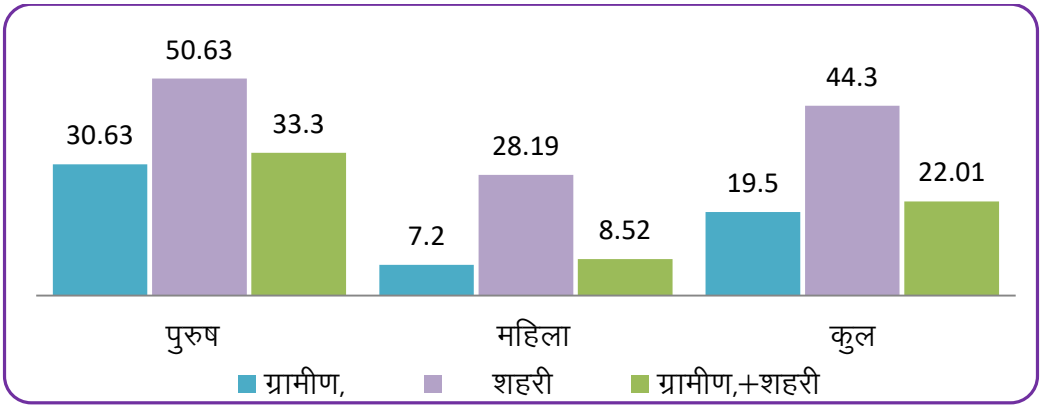

स्रोतः आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023–24

9.8 खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.)

के.वी.आई.सी. भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1957 में "खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956" के अन्तर्गत स्थापित एक वैधानिक संगठन है। के.वी.आई.सी. पूरे राज्य में 13 खादी संस्थान संचालित हैं। सारणी 9.13 के.वी.आई.सी. से संबद्ध/पंजीकृत समितियों और संस्थानों के माध्यम से उत्पादन और बिक्री की वर्तमान स्थिति को दर्शाती है।

सारणी 9.13

वर्ष	उत्पादन मूल्य (₹लाख में)	बिक्री मूल्य (₹लाख में)	रोजगार (सख्या में)
2018–19	370.10	828.55	1,615
2019–20	559.95	856.16	1,668
2020–21	234.61	568.73	1,804
2021–22	329.00	763.00	1,804
2022–23	310.05	769.00	1,164
2023–24	325.31	837.85	984
2024–25, दिसम्बर तक	100.00	300.00	984

स्रोतः सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (भारत सरकार) राज्य कार्यालय, शिमला

9.9 हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (एच.पी.के.वी.आई.बी.)

एच.पी.के.वी.आई.बी. विधान सभा के एक अधिनियम (8 नवम्बर, 1966) द्वारा बनाई गई एक वैधानिक निकाय है। यह 8 जनवरी, 1968 को अस्तित्व में आया।

एच.पी. खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड वर्तमान में स्थानीय लोगों को उनके घर द्वार पर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने में बेरोजगार युवाओं और कारीगरों की सहायता के लिए प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम लागू कर रहा है। पिछले 3 वर्षों के दौरान योजना के अंतर्गत प्रगति इस प्रकार है।

सारणी 9.14

वर्ष	इकाईयां	अनुदान वितृत किया (₹लाख में)	रोजगार सृजित
2021–22	434	1,255.21	3,480
2022–23	383	1,434.21	3,064
2023–24	349	1,431.20	2,792

स्रोतः हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड

9.10 हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (एच.पी.एस.आई.डी.सी.)

एच.पी.एस.आई.डी.सी. को सड़कों, पुलों, स्टेडियमों, सरकारी कॉलेजों, पॉलिटेक्निक कॉलेज, स्कूल भवन, जल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइटिंग परियोजनाएं, सीवरेज बुनियादी ढांचा सरकारी भवनों के निर्माण में विशेषज्ञता प्राप्त है। एच.पी.एस.आई.डी.सी. द्वारा बाथू में सामान्य सुविधा केंद्र, पलकवाह (ऊना) में कौशल विकास केंद्र, श्रमिक छात्रावास बाथू और पारगमन श्रमिक छात्रावास दुलेहर (ऊना) विकसित की गई कुछ अत्याधुनिक परियोजनाएं हैं। निगम ने राज्य सरकार के लिए कई औद्योगिक क्षेत्र/संपदा/पार्क भी विकसित किए हैं। निगम के पास बद्दी और दावनी में अपने स्वयं के औद्योगिक भूखंड (424 बीघा) हैं। निगम ने संशोधित औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (एम.आई.आई.यू.एस.) के अन्तर्गत सिविल कार्यों को सफलतापूर्वक निष्पादित किया है और कंदरोड़ी और पंडोगा में अत्याधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों का सफलतापूर्वक निर्माण किया है।

इसके पास पोंटा साहिब और परवाणु में शेड भी हैं। एच.पी.एस.आई.डी.सी. कोल्ड मिक्स उत्पादों के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और मैसर्स बिटकेम एस्फाल्ट लिमिटेड का अधिकृत डीलर है और स्टील उत्पादों (मैसर्स सेल इंडिया/टाटा स्टील) के लिए हिमाचल प्रदेश में एक व्यापारी है। इसके अलावा, निगम को नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना के लिए एक राज्य कार्यान्वयन

एजेंसी नियुक्त किया गया है। निगम ऊना जिला, हिमाचल प्रदेश में स्थित बल्क ड्रग पार्क के अन्तर्गत बुनियादी ढांचे के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। निगम कांगड़ा जिला, हिमाचल प्रदेश में यूनिटी मॉल विकसित करने की प्रक्रिया में है।

9.11 हिमाचल प्रदेश अवसंरचना विकास बोर्ड (एच.पी.आई.डी.बी.)

हिमाचल प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड (एच.पी.आई.डी.बी.) की स्थापना 28.01.2002 को हिमाचल प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्ट, 2001 के अन्तर्गत की गई थी। प्रारंभ में, अधिनियम के तहत एच.पी.आई.डी.बी. का मुख्य कार्य राज्य सरकार की ओर से राज्य विकास व्यय के वित्तपोषण के लिए संसाधन जुटाने के लिए विशेष प्रयोजन वाहन (एस.पी.वी.) के रूप में कार्य करना था। एच.पी.आई.डी.बी. ने अपनी मौजूदा गतिविधियों के अतिरिक्त राज्य सरकार के सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) कोष्ठ के रूप में कार्य कर रहा है।

9.11.1 भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियाँ/नीतिगत पहलें

i. एच.पी.आई.डी.बी. ने विभिन्न क्षेत्रों में पी.पी.पी. मोड पर 25 परियोजनाएं सफलतापूर्वक प्रदान की हैं, यानी शहरी क्षेत्र में 16 परियोजनाएं, पर्यटन क्षेत्र में 7 परियोजनाएं और एक–एक पर्यावरण एवं विज्ञान क्षेत्र में।

ii. पी.पी.पी. मोड पर किन्नू, चिंतपूर्णी में "माता का बाग" के विकास के लिए सलाहकार/ लेनदेन सलाहकार की नियुक्ति के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई.) प्रक्रियाधीन है ।

iii. सिरमौर के नाहन में फॉसिल पार्क, सुकेती के विकास के लिए लेनदेन सलाहकार की नियुक्ति के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई.) प्रक्रियाधीन है ।

iv. जिला मण्डी के सुंदरनगर में अटल पार्किंग को पार्किंग–सह–वाणिज्यिक परिसर के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है और पी.पी.पी. मोड पर लाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

v. हिमाचल निकेतन, द्वारका, नई दिल्ली के संचालन, प्रबंधन एवं रखरखाव का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

vi. इसके अतिरिक्त, एच.पी.आई.डी.बी. पी.पी.पी. मोड आदि पर विभिन्न चरणों में चल रही परियोजनाओं के विकास के लिए विभिन्न विभागों को सलाहकार सेवाएं प्रदान की जा रही है।

9.12 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई.आई.पी.)

आई.आई.पी. औद्योगिक विकास को मापने का एक पैमाना है, इसमें पिछली अवधि की तुलना में विशिष्ट अवधि के दौरान उद्योग के क्षेत्र में भौतिक उत्पादन के सापेक्ष परिवर्तन शामिल हैं। इस सूचकांक का मुख्य उद्देश्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र के योगदान का अनुमान लगाना है। प्रदेश में आई.आई.पी. को आधार वर्ष 2011–12 के आधार पर संकलित किया जा रहा है। आई.आई.पी. वार्षिक सूचकांकों अनुमान विनिर्माण, खनन, उत्खनन और बिजली की चयनित इकाइयों से सूचना एकत्र करके त्रैमासिक सूचकांकों के आधार पर पर किया गया है और सारणी 9.15 में दिखाया गया है।

सारणी 9.15

औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक

वर्ष	खनन	विनिर्माण	विद्युत	सामान्य
2021–22	105.2	176.5	462.3	235.3
2022–23	104.1	186.1	489.3	248.6
2023–24	120.8	191.1	677.8	291.8
2024.25*	163.45	199.00	758.30	314.9

* 2024–25 सूचकांक दो तिमाहियों जून और सितंबर, 2024 के हैं।
स्रोतः आर्थिक और सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार।

वित्त वर्ष 2022–23 में सामान्य सूचकांक 235.3 से बढ़कर 248.6 और वित्त वर्ष 2023–24 में 291.8 हो गया है, जो क्रमशः 5.7 प्रतिशत और 17.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वित्त वर्ष 2024–25 के सूचकांकों के संबंध में, इन्हें दो तिमाहियों यानी जून, 2024 और सितंबर 2024 के आधार पर तैयार किया गया है। इन दो तिमाहियों के आधार पर सामान्य सूचकांक में पिछली तुलना में 7.9 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। जबकि इन दोनों तिमाहियों के सूचकांक की तुलना पिछले वर्ष यानी 2023–24 की समान तिमाहियों के सूचकांक से करने पर वर्ष 2024–25 की इन तिमाहियों में सभी क्षेत्रों यानी सामान्य, बिजली, खनन और विनिर्माण के सूचकांकों में वृद्धि हुई है।

निष्कर्ष के तौर पर, हिमाचल प्रदेश कृषि से उद्योग प्रधान अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गया है, जहां 2024–25 में औद्योगिक क्षेत्र का राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद(जी. एस.डी.पी.) में 40 प्रतिशत का योगदान है। राज्य फार्मास्यूटिकल्स के लिए एक वैश्विक केंद्र बन चुका है, जहां 600 से अधिक इकाइयां स्थित हैं और इसके अतिरिक्त सीमेंट, वस्त्र और ऑटो निर्माण आदि भी राज्य के मजबूत क्षेत्र है। सरकार ने बल्क ड्रग पार्क, एम.एस.एम.ई. सहायता और निवेश सुधारों जैसी पहलों के माध्यम से औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया है। राज्य हरित ऊर्जा, स्वरोजगार और व्यापार करने में आसानी पर भी ध्यान केंद्रित करता

है। एम.एस.एम.ई. की बढ़ती संख्या और महत्वपूर्ण निर्यात क्षमता के साथ, हिमाचल प्रदेश का औद्योगीकरण लगातार बढ़ रहा है।

राज्य ने सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए औद्योगिक क्षेत्र निर्धारित किए हैं।

उत्पादन क्षेत्र का इसमें सबसे बड़ा योगदान है, उसके बाद निर्माण, बिजली और खनन का स्थान आता है। वित्त वर्ष 2024–25 में उद्योग क्षेत्र में 8.1 प्रतिशत की वृद्धि होने की आशा है, जिसमें उत्पादन और निर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। विशेष रूप से उत्पादन और निर्माण क्षेत्र में रोजगार में भी वृद्धि हुई है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग और हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विकास निगम जैसी विभिन्न सरकारी पहलें राज्य के औद्योगिक परिदृश्य में विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा दे रही हैं।

******

अध्याय 10



ऊर्जा


मिनी विद्युत गृह



मुख्य बिन्दु

- 40 मेगावाट क्षमता वाली पांच परियोजनाएं अर्थात् जिला कुल्लू में थुचानिंग लघु जल विद्युत परियोजना (एस.एच.ई.पी.) (1.5 मेगावाट), जिला कांगड़ा में लूनी एस.एच.ई.पी. (4.5 मेगावाट), किन्नौर जिला में सेल्टी मसरंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर (एच.ई.पी.) (24 मेगावाट), जिला चंबा में कुवारसी एच.ई.पी. (9.9 मेगावाट) और कांगड़ा जिले में रुद्र एस.एच.ई.पी. (0.75 मेगावाट) को अप्रैल–दिसंबर 2024. के बीच चालू किया गया है।
- हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024–25 (31 दिसंबर 2024 तक) के दौरान ₹1535 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है और मार्च, 2025 तक बिजली की बिक्री से रॉयल्टी एवं विद्युत परियोजनाओं में राज्य सरकार के हिस्से से बिक्री का अनुमानित राजस्व ₹265 करोड़ है।
- एच.पी.एस.ई.बी.एल. में, 489.35 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता वाली 27 एच.ई.पी. चालू हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान इन एच.ई.पी. द्वारा 1,664.57 एम.यू. ऊर्जा उत्पन्न की गई। वित्तीय वर्ष 2024–25 में, इन एच.ई.पी. द्वारा दिसंबर 2024 तक 1,528.11 एम.यू. ऊर्जा उत्पन्न की गई है और मार्च, 2025 तक अतिरिक्त 233.767 एम.यू. उत्पादन का अग्रिम अनुमान है।
- हिमाचल प्रदेश सरकार ने कार्यान्वयन के लिए एच.पी.एस.ई.बी.एल. को जिला चम्बा के तीसा क्षेत्र में 4 परियोजनाएं आवंटित की हैं – देवी कोठी एच.ई.पी. (16 मेगावाट), साईं कोठी–I एच.ई.पी. (15 मेगावाट), साईं कोठी–II (18 मेगावाट) और हेल एच.ई.पी. (18 मेगावाट)।
- एच.पी.पी.सी.एल. ने बिलासपुर जिला में श्री नैना देवी जी तीर्थ के पास 5 मेगावाट सौर ऊर्जा सुविधा का निर्माण किया है। यह सरकार द्वारा राज्य में स्थापित पहली सौर ऊर्जा परियोजना थी। अपनी स्थापना के बाद से, परियोजना ने दिसंबर, 2024 तक 48.20 एम.यू. बिजली का उत्पादन किया है। मार्च, 2025 तक परियोजना का उत्पादन लक्ष्य 50.42 एम.यू. है।
- प्रथम चरण के तहत, 73.6 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली परियोजनाओं के लिए 83 सौर ऊर्जा परियोजना (एस.पी.पी.) डेवलपर्स को अनंतिम पंजीकरण पत्र जारी किए गए हैं। इस चरण के दौरान, 54.56 मेगावाट की क्षमता को कवर करते हुए 58 बिजली खरीद समझौतों (पी.पी.ए.) पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें से 11.85 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 31 सौर परियोजनाएं पहले ही चालू हो चुकी हैं। मार्च, 2025 तक अतिरिक्त 5 मेगावाट एस.पी.पी. चालू होने की उम्मीद हैं।

10.1 परिचय

हिमाचल प्रदेश के प्रचुर जल संसाधन जलविद्युत ऊर्जा के विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं, जो राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं और आर्थिक विकास में योगदान करते हैं। राज्य में कई जलविद्युत परियोजनाएँ हैं जो इसकी नदियों की ऊर्जा का उपयोग करती हैं और क्षेत्र की बिजली आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में जलविद्युत संसाधन हैं, राज्य में पांच बारहमासी नदी घाटियों पर विभिन्न जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण से राष्ट्रीय क्षमता 24,000 मेगावाट जलविद्युत का लगभग 25 प्रतिशत उत्पन्न किया जा सकता हैं। राज्य की कुल जलविद्युत क्षमता में से अब तक 11,290 मेगावाट का दोहन किया जाता हैं। यह अध्याय हिमाचल प्रदेश के विद्युत एवं ऊर्जा क्षेत्र का व्यापक विश्लेषण और समग्र अवलोकन प्रदान करता है।

नीचे दी गई सारणी 10.1 राज्य में बिजली के उत्पादन और खपत की स्थिति को संक्षेप में प्रस्तुत करती है।

सारणी 10.1

बिजली की खपत (मिलियन यूनिट)

क्र. सं.	उपभोक्ता का प्रकार	2023–24	2024–25 (दिसम्बर, 2024 तक)
1	घरेलू	2724.49 (24.02)	2129.76 (23.95)
2	गैर–घरेलू गैर–वाणिज्यिक	186.00 (1.64)	132.61 (1.49)
3	व्यावसायिक	737.67 (6.50)	559.11 (6.29)
4	औद्योगिक	6616.48 (58.32)	5203.85 (58.53)
5	सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था	12.97 (0.11)	9.21 (0.10)
6	कृषि	79.40 (0.70)	75.44 (0.85)
7	थोक और विविध	192.83 (1.70)	123.37 (1.39)
8	राजकीय सिंचाई एवं जलापूर्ति योजना	738.93 (6.51)	612.05 (6.88)
9	अस्थायी आपूर्ति	54.66 (0.48)	44.01 (0.49)
10	विद्युत वाहन	1.27 (0.01)	1.94 (0.02)
कुल		**11345 (100.00)**	**8891.34 (100.00)**

***** कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल खपत का प्रतिशत हैं।

स्त्रोतः हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड

सारणी 10.1 इंगित करती है कि राज्य में उद्योग, बिजली के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं, उसके बाद घरेलू उपभोक्ताओं का स्थान आता हैं। बिजली की खपत के इस वितरण से पता चलता है कि बिजली औद्योगिक क्षेत्र की समग्र मांग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

10.2 ऊर्जा निदेशालय (डी.ओ.ई.)

ऊर्जा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के ऊर्जा संसाधनों के प्रबंधन और अनुकूलन की देखरेख करता है और बहुउद्देश्यीय परियोजना (एम.पी.पी.) व बिजली विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार का नोडल कार्यालय है। यह बिजली क्षेत्र में सभी बिजली उपयोगिताओं के साथ कुशल और समय पर समन्वय प्रदान करने का प्रयास करता है। यह 5 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली जलविद्युत परियोजनाओं के आवंटन, तकनीकी आर्थिक मंजूरी (टी.ई.सी.), जल विद्युत सुरक्षा से संबंधित मुद्दे, पर्यावरण और सामाजिक मुद्दे, स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का प्रबंधन, गुणवत्ता नियंत्रण, बिजली प्रवाह के प्रबंधन की देखरेख करता है। विभिन्न केंद्रीय, राज्य और निजी जल विद्युत परियोजनाओं से प्राप्त हिमाचल प्रदेश सरकार के विद्युत के हिस्से पावर शेयर की बिक्री, राज्य में ऊर्जा संरक्षण गतिविधियों का कार्यान्वयन और राज्य के सभी बडे बांधों के लिए सुरक्षा पहलू का कार्यान्वयन करता है।

10.2.1 क्षमता वृद्धि

40 मेगावाट क्षमता वाली पांच परियोजनाएं अर्थात् जिला कुल्लू में थुचानिंग लघु जल विद्युत परियोजना (एस.एच.ई.पी.) (1.5 मेगावाट), जिला कांगड़ा में लूनी एस.एच.ई.पी. (4.5 मेगावाट), किन्नौर जिला में सेल्टी मसरंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एच.ई.पी. (24 मेगावाट), जिला चंबा में कुवारसी एच.ई.पी. (9.9 मेगावाट) और कांगड़ा जिले में रुद्र एस. एच.ई.पी. (0.75 मेगावाट) को अप्रैल, 2024 से दिसंबर, 2024 के बीच चालू किया गया है।

10.2.2 सरकार की ऊर्जा पात्रता

हिमाचल प्रदेश राज्य में विभिन्न परियोजनाओं का विवरण जिसमें हिमाचल प्रदेश सरकार के पास ऊर्जा की पात्रता नीचे दी गई है:

सारणी 10.2

विभिन्न परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश सरकार की पात्रता

क्र. सं.	पावर स्टेशन श्रेणी	फ्री और इक्विटी पावर शेयर (एम.डब्ल्यू.)	परियोजनाओं की संख्या
1	केंद्र क्षेत्र के स्टेशन	558	8
2	राज्य क्षेत्र की परियोजनाएं	59	10
3	साझा उत्पादन की परियोजनाएं	28	2
4	निजी क्षेत्र की परियोजनाएं	297.18	100
	क) कुल रॉयल्टी पावर (1+2+3+4)	**942.18**	**120**
	ख) इक्विटी पावर	**438**	...
कुल बिक्री योग्य बिजली (क+ख)		**1380.18**	**120**

स्त्रोतः ऊर्जा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश सरकार

सारणी 10.2 से पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और निजी क्षेत्र की परियोजनाओं में कुल 1,380.18 मेगावाट की मुफ्त और इक्विटी बिजली की हकदार है। 1,380.18 मेगावाट की कुल उपलब्धता में से कुल 166.37 मेगावाट की क्षमता उन परियोजनाओं के संबंध में है जो सीधे हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एच.पी.एस.ई.बी.एल) प्रणाली से जुड़ी हैं और इसकी शक्ति का उपयोग पूरे वर्ष एच.पी.एस.ई.बी. एल. द्वारा किया जा रहा है। सतलुज जल विद्युत निगम (एस.जे.वी.एन.) की परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश सरकार की बराबर भागीदारी के कारण कुल 438 मेगावाट क्षमता का उपयोग एच.पी.एस.ई.बी.एल. द्वारा अपने उपभोक्ताओं को 24×7 आपूर्ति प्रदान करने के लिए किया जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024–25 (31 दिसंबर, 2024 तक) के दौरान ₹1535 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है और मार्च, 2025 तक बिजली की बिक्री से रॉयल्टी एवं विद्युत परियोजनाओं में राज्य सरकार के हिस्से से बिक्री का अनुमानित राजस्व ₹265 करोड़ है।

10.3 हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एच.पी.एस.ई.बी.एल.)

हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड का गठन 1 सितंबर, 1971 को बिजली आपूर्ति अधिनियम (1948) के प्रावधानों के अनुसार किया गया था और हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड के रूप में पुनर्गठित किया गया है (कंपनी अधिनियम 1956 के तहत)। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एच.पी.एस.ई.बी.एल.) हिमाचल प्रदेश में सभी उपभोक्ताओं को निरंतर और गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार है। ट्रांसमिशन लाइन, सब ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन सभी बडे नेटवर्क का हिस्सा हैं जो बिजली वितरित करते हैं। इसकी स्थापना के बाद से, बोर्ड ने इसे सौंपे गए लक्ष्यों के निष्पादन में महत्वपूर्ण प्रगति की है, वित्त वर्ष 2023–24 और 2024–25 के दौरान जिलेवार बिजली का उत्पादन सारणी 10.3 में दिखाया गया है

सारणी 10.3

एच.पी.एस.ई.बी.एल. के अपने बिजली घरों से जिलावार बिजली उत्पादन (एम.यू. में)

जिले का नाम	2023–24	2024–25 (दिसम्बर, 2024 तक)
1. बिलासपुर	–	–
2. चंबा	4.31	2.59
3. हमीरपुर	–	–
4. कांगडा	153.16	111.53
5. किन्नौर	544.21	562.19
6. कुल्लू	–	–

7. लाहौल और स्पीति	13.33	10.72
8. मंडी	518.03	543.56
9. शिमला	198.64	165.05
10. सिरमौर	232.89	132.47
11. सोलन	–	–
12. ऊना	–	–
कुल	1664.57	1528.11

स्त्रोतः हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान एच.पी.एस.ई.बी.एल. ने जिला किन्नौर और उसके बाद जिला मंडी में स्थित अपने बिजलीघरों से सबसे अधिक यूनिट बिजली का उत्पादन किया है। एच.पी.एस.ई.बी.एल. के पास राज्य के पांच जिलों सोलन, ऊना, कुल्लू, हमीरपुर और बिलासपुर में बिजली घर नहीं हैं।

10.3.1 जल विद्युत उत्पादन

एच.पी.एस.ई.बी.एल. में, 489.35 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता वाली 27 एच.ई.पी. चालू हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान इन एच.ई.पी. द्वारा 1,664.57 एम.यू. ऊर्जा उत्पन्न की गई। वित्तीय वर्ष 2024–25 में, इन एच.ई.पी. द्वारा दिसंबर 2024 तक 1,528.11 एम.यू. ऊर्जा उत्पन्न की गई है और मार्च, 2025 तक अतिरिक्त 233.77 एम.यू. उत्पादन का अग्रिम अनुमान है।

ऊहल चरण–3 (100 मेगावाट) एच.ई.पी., एच.पी.एस.ई.बी.एल. की सहायक कंपनी ब्यास वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बी.वी.पी.सी.एल.) द्वारा निर्माणाधीन है।

10.3.2 ट्रांसमिशन

एच.पी.एस.ई.बी.एल. के ट्रांसमिशन विंग ने दिसम्बर, 2024 तक 5,272.55 मेगा वोल्ट एम्पीयर (एम.वी.ए.) और 3,693.49 सर्किट किलोमीटर (सी.के.एम.) ई.एच.वी. लाइनों की परिवर्तन क्षमता के साथ 62 अतिरिक्त उच्च वोल्टेज (ई.एच.वी.) उप–स्टेशन स्थापित किए हैं।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान दिसंबर, 2024 तक 76.2 एम.वी.ए. क्षमता वाले 6 ई.एच.वी. सब–स्टेशन स्थापित किए है और 32.839 सी.के.एम., ई.एच.वी. लाइनें चालू कर दी गई हैं।

10.3.3 एच.पी.एस.ई.बी.एल. के तहत नई हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाएँ

हिमाचल प्रदेश सरकार ने कार्यान्वयन के लिए एच.पी.एस.ई.बी.एल. को जिला चम्बा के तीसा क्षेत्र में 4 परियोजनाएं आवंटित की हैं–देवी कोठी एच.ई.पी. (16 मेगावाट), साईं

कोठी–I एच.ई.पी. (15 मेगावाट), साईं कोठी–II (18 मेगावाट) और हेल एच.ई.पी. (18 मेगावाट)।

10.3.4 परियोजनाएँ

10.3.4.1 हिमाचल प्रदेश में कम वोल्टेज वाली पॉकेट के लिए प्रणाली सुधार (एस.आई.)

योजनाः राज्य के दूरदराज के इलाकों में निवासियों द्वारा सामना की जाने वाली कम वोल्टेज की समस्याओं के समाधान के लिए, वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान ₹158 करोड़ की एक योजना स्वीकृत की गई थी और वर्तमान में इसे राज्य भर में लागू किया जा रहा है। इस योजना में 992 वितरण ट्रांसफार्मर (डी.टी.आर.) की स्थापना, 1,133.25 किमी उच्च–टेंन्शन (एच.टी.) लाइनों का निर्माण और कम वोल्टेज प्रभावित क्षेत्रों में 325 किमी कम–टेंन्शन (एल.टी.) लाइनों के प्रावधान शामिल हैं। दिसंबर, 2024 तक, 988 डी.टी.आर., 648.177 कि.मी. एच.टी. लाइनें, 413.895 कि.मी. तीन–चरण एल.टी. लाइनें और 153.842 कि.मी. संवर्धित एल.टी. लाइनें सफलतापूर्वक स्थापित की गई हैं।

योजना के दूसरे चरण के लिए ₹25.08 करोड़ की राशि भी स्वीकृत की गई है और इसका कार्यान्वयन प्रगति पर है। दिसंबर, 2024 तक 65.421 कि.मी. एच.टी. लाइनों और 39.365 कि.मी. थ्री फेस एल.टी. लाइनों और 14.530 कि.मी. एल.टी. लाइन (संवर्धित) के साथ 60 डी.टी.आर. स्थापित किए गए हैं।

10.3.4.2 पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (आर.डी.एस.एस.): योजना का उद्देश्य वित्तीय रूप से टिकाऊ और परिचालन रूप से कुशल वितरण क्षेत्र को बढ़ावा देकर उपभोक्ताओं में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को बढ़ाना है। इस योजना का लक्ष्य समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (ए.टी./सी.) घाटे को अखिल भारतीय लक्ष्य 12–15 प्रतिशत तक कम करना और 2024–25 तक ए.सी.एस.–ए.आर.आर. (आपूर्ति की औसत लागत – औसत राजस्व प्राप्त) के अंतर को खत्म करना है।

पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (आर.डी.एस.एस.) में दो मुख्य घटक शामिल हैं:

घटक –1

i **मीटरिंगः** हिमाचल प्रदेश के लिए योजना के मीटरिंग घटक के तहत स्वीकृत प्रावधानों को एच.पी.एस.ई.बी.एल. और भारत सरकार (जी.ओ.आई.) के बीच सांझा किया जाता है, जिसमें एच.पी.एस.ई.बी.एल. का योगदान 77.50 प्रतिशत और भारत सरकार का योगदान 22.50 प्रतिशत है। इस घटक के तहत 31 दिसंबर 2024 तक, दक्षिण क्षेत्र में 88,510 मीटर लगाए गए हैं और उत्तरी क्षेत्र और मध्य क्षेत्र में स्थापना कार्य निविदा प्रक्रिया में है।

घटक –2

i **हानि में कमी और वितरण अवसंरचना कार्यः** आर.डी.एस.एस. के अन्तर्गत हानि कटौती कार्यों के लिए ₹1,883.94 करोड़ की संशोधित मंजूरी जून, 2023 में एम/एस पी.एफ.सी. लिमिटेड से प्राप्त हुई थी।

ii **वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वी.वी.पी.):** सरकार ने 15 फरवरी, 2023 को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम (वी.वी.पी.) को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य हिमाचल प्रदेश की उत्तरी सीमा के साथ दो जिलों के स्पीति, कल्पा और पूह ब्लॉकों में चुनिंदा गांवों का व्यापक विकास करना है। कार्यक्रम पर्यटन, सांस्कृतिक विरासत, कौशल विकास, उद्यमिता और कृषि, बागवानी और औषधीय पौधों की खेती में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के माध्यम से आजीविका सृजन पर केंद्रित है। इसमें सड़क कनेक्टिविटी, आवास, बुनियादी ढांचे, नवीकरणीय ऊर्जा और दूरसंचार पहुंच में सुधार भी शामिल है। प्राथमिक उद्देश्य ऐसे सुविधा प्रदान करना है जो लोगों को गांवों में रहने के लिए प्रोत्साहित करें। वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम (वी.वी.पी.) के अंतर्गत निम्नलिखित गांव शामिल हैं:

(क) किन्नौर जिले के अंतर्गत आने वाले गाँवः थानकर्मा (चाला शलखर), सुन्नी (लियो), थानकर्मा (कुंगधा), चांगो, बटसेरी (चिस्पान), छितकुल, चुलिंग (ताशिजोंग), चारंग (रंगरिक), चांगो उपेरला, लाब्रांग, हंगमत और रक्छम।

(ख) लाहौल–स्पीति जिले में स्पीति ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले गांवः धार छोछोडून, धार सुमदो, गिपू, हिक्किम, हल, हर्लिंग, कौरिक, काजा खास, काजा सोमा, की, किब्बर खास, कोमिक, क्यामो, लालुंग खास, लारा खास, लिदांग, लिरिट , रामा खास, समदो और शेगो।

iii **चम्बा जिले की पांगी घाटी में विश्वसनीय बिजली आपूर्ति के लिए थरोट से किलाड़ तक 33 के.वी. लाइन का निर्माणः** एच.पी.एस.ई.बी.एल. ने हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की पांगी घाटी में विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए थरोट से किलाड़ तक 33 के.वी. लाइन के निर्माण के लिए भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। आर.डी.एस.एस. के तहत निगरानी समिति ने निम्नलिखित प्रावधानों के साथ जुलाई, 2024 में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है:

सारणी 10.4

क्रमांक	विवरण	लाइन की लंबाई (कि.मी. में)
1	डबल पोल संरचना पर 33 के.वी. (एस. सी.) लाइन	51.00
2	टावरों पर 33 के.वी. (एस.सी.) लाइन	20.00
3	भूमिगत केबल	3.30
4	ओवरहेड क्रॉस लिंक्ड पॉलीथीन (एक्स.एल.पी.ई.) केबल	1.00

iv **हिमाचल प्रदेश में भारत के उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वितरण बुनियादी ढांचे का विस्तारः** हिमाचल प्रदेश में चिन्हित स्थानों पर बिजली वितरण बुनियादी ढांचे और दूरदराज के सीमावर्ती क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय बिजली की आपूर्ति का कार्य प्रगति पर है। इस योजना के लिए स्वीकृत बजट ₹362.18 करोड़ है, जबकि भारत सरकार और एच.पी. एस.ई.बी.एल. द्वारा 90:10 के अनुपात में साझा किया जाएगा।

10.3.4.3 विद्युत प्रणाली विकास निधिः शिमला, हमीरपुर शहर और नादौन में भूमिगत केबलिंग कार्य के प्रस्तावों को सरकार ने ₹65 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के साथ मंजूरी दी है और कार्य प्रगति पर है।

10.3.5 सूचना प्रौद्योगिकी पहलें

एच.पी.एस.ई.बी.एल. हिमाचल प्रदेश में लगभग 27.50 लाख उपभोक्ताओं के लिए 24X7 बिजली वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कम्प्यूटरीकरण, मीटरिंग–बिलिंग–संग्रह और उपभोक्ता सेवाओं में प्रमुख उपलब्धियाँ निम्नानुसार हैं:

i राज्य में 100 प्रतिशत कम्प्यूटरीकृत बिलिंग हासिल कर ली गई है और लगभग 95 प्रतिशत उपभोक्ताओं को मासिक बिजली बिल उनके घर पर और एस.एम.एस. और ई–मेल के माध्यम से प्रदान किए जा रहे हैं। साथ ही, विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन तरीकों से भुगतान के लिए बिल वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

ii समयबद्ध और कागज रहित तरीके से डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफार्मों के माध्यम से विभिन्न उपभोक्ता संबंधी सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए राज्य के विभिन्न बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक समर्पित उपभोक्ता पोर्टल विकसित और लॉन्च किया गया। प्रदान की जा रही सेवाओं में नए कनेक्शन के लिए आवेदन, नाम में बदलाव, श्रेणी में बदलाव, लोड और मांग में बदलाव, अनुबंध मांग में अस्थायी संशोधन, और

ऑनलाइन प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन कंट्रोलर (पी.ए.सी.) आवेदन शामिल हैं। इसके अलावा यह पोर्टल बिल का भुगतान, उपभोग और भुगतान इतिहास देखना, शिकायत पंजीकरण आदि जैसी बुनियादी सेवाएं भी प्रदान करता है।

iii उपभोक्ताओं को बिजली बिल भुगतान करने के लिए कई विकल्प प्रदान किए जाते हैं जैसे सामान्य सेवा केंद्र (लोक मित्र केंद्र), इंटरनेट बैंकिंग/क्रेडिट/डेबिट कार्ड/यू. पी.आई./भीम आदि का उपयोग करके डिजिटल भुगतान, ई–सी.एम.एस., मोबाइल ऐप आदि। परिणामस्वरूप, मासिक बिजली बिल भुगतान का लगभग 92 प्रतिशत भुगतान केवल डिजिटल लेनदेन के माध्यम से किया जा रहा है।

iv एच.पी.एस.ई.बी.एल. ने शिमला और धर्मशाला स्मार्ट सिटी उपभोक्ताओं के लिए वास्तविक समय के आधार पर उनके उपभोग पैटर्न और बिजली की गुणवत्ता आदि की निगरानी के लिए एच.पी.एस.ई.बी.एल.–स्मार्ट मीटर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है।

v एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ई.आर.पी.) प्रणाली को एच.पी.एस.ई.बी.एल. के सभी स्थानों पर सफलतापूर्वक लागू और एकीकृत किया गया है, और वर्तमान में, सभी व्यावसायिक लेनदेन पूरे बोर्ड में विशेष रूप से सिस्टम अनुप्रयोग उत्पाद–एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (एस.ए.पी.–ई.आर.पी.) के माध्यम से संसाधित होते हैं।

vi एच.पी.एस.ई.बी.एल. ने सभी स्तरों पर जवाबदेही तय करने के अलावा पारदर्शी और कुशल तरीके से विभिन्न सेवाओं की कागज रहित और समयबद्ध डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न ऑनलाइन उपयोगिताएं और मॉड्यूल विकसित और कार्यान्वित किए हैं। विकसित उपयोगिताओं में मुख्य रूप से विक्रेता चालान प्रबंधन प्रणाली, ऑनलाइन गेस्ट हाउस बुकिंग उपयोगिता, बजट प्रबंधन और नियंत्रण मॉड्यूल, केंद्रीकृत सुरक्षा रिफंड उपयोगिता, स्थानांतरण और पोस्टिंग उपयोगिता, पेंशन उपयोगिता और विभिन्न कर्मचारी संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए ऑनलाइन कर्मचारी पोर्टल शामिल हैं।

vii प्राथमिकता के आधार पर उपभोक्ता शिकायतों के पंजीकरण और समाधान के लिए उपभोक्ता शिकायत केंद्र और 24X7 आई.वी.आर.एस. (इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम) का कार्यान्वयन किया गया है।

viii इलेक्ट्रॉनिक कार्यालय, या डिजिटल/पेपरलेस सेटअप में परिवर्तन से बढ़ी हुई दक्षता, लागत–प्रभावशीलता, बेहतर सहयोग और अधिक टिकाऊ पर्यावरणीय प्रभाव जैसे लाभ मिलते हैं।

ix आपूर्ति के घंटों में सुधार और प्रभावी आउटेज मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के लिए, रियल–टाइम डेटा अधिग्रहण प्रणाली (आर.टी.डी.ए.एस.) को 339 फीडरों को शामिल

करते हुए 54 शहरों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है। यह प्रणाली एच.पी.एस.ई.बी. एल. के एस.एम.एस. गेटवे के साथ निर्बाध रूप से एकीकृत है, जो आउटेज के त्वरित समाधान के लिए नामित वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता को स्वचालित सूचनाएं सक्षम करती है। नेशनल फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम (एन.एफ.एम.एस.) के माध्यम से सभी 339 फीडरों के लिए आउटेज और विद्युत मापदंडों पर वास्तविक समय डेटा आसानी से उपलब्ध है, जो बेहतर परिचालन दक्षता और विश्वसनीयता में योगदान देता है। इसके अतिरिक्त, विश्वसनीयता सूचकांक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की सुविधा प्रदान करते हुए, फीडर सिस्टम औसत व्यवधान अवधि सूचकांक / सिस्टम औसत व्यवधान आवृत्ति सूचकांक (SAIDI/SAIFI) मेट्रिक्स और आपूर्ति घंटों की निगरानी के लिए फील्ड कार्यालयों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल का प्रावधान किया गया है।

x आर.डी.एस.एस. योजना के तहत 9,34,409 नंबर स्मार्ट मेट्स को कवर करते हुए स्मार्ट मीटरिंग का कार्यान्वयन ऑपरेशन शिमला जोन में शुरू हो गया है। मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा जोन में आर.डी.एस.एस. के तहत स्मार्ट मीटरिंग के कार्यान्वयन के लिए निविदा कार्य प्रक्रियाधीन है।

10.4 हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.पी.सी.एल.)

एच.पी.पी.सी.एल., कंपनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत दिसंबर, 2006 में स्थापित किया गया था। एच.पी.पी.सी.एल. को पूरे हिमाचल प्रदेश में जलविद्युत उत्पादन के विकास की योजना बनाने, बढ़ावा देने और प्रबंधन करने का काम सौंपा गया हैं। एच.पी.पी.सी.एल. के पास नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एन.टी.पी.सी.), सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एस.जे.वी.एन.एल.) और नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (एन.एच.पी.सी.) जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के समक्ष तकनीकी और संगठनात्मक क्षमताएं हैं।

10.4.1 संचालन/निष्पादन के चरण में परियोजनाएं

एच.पी.पी.सी.एल. के पास जलविद्युत की निम्नलिखित परियोजनाएं हैं:

सारणी 10.5

संचालन/निष्पादन के चरण में परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजनाए	क्षमता (मेगावाट)	स्थिति
1	**एकीकृत कशांग**	243	इस परियोजना में सतलुज की कशांग और केरांग धाराओं के विकास की परिकल्पना की गई है। शुरू होने की तारीख से, दिसम्बर, 2024 तक परियोजना से 1350.35 एम.

			यू. उत्पन्न किया गया है और मार्च, 2025 तक उत्पादन के लक्ष्य 1541.10 एम.यू. हैं। द्वितीय और तृतीय चरण के लिए परियोजना कार्य प्रगति पर है और दिसम्बर, 2024 तक लगभग 35.67 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में काशांग (चरण–1) एच.ई.पी ने पहले ही 185 एम.यू. के उत्पादन लक्ष्य के मुकाबले 218.64 एम.यू. का उत्पादन किया है।
2	**साबडा कुड्डू**	111	वित्तीय वर्ष 2024–25 में सावडा कुड्डू एच.ई.पी. ने 310 एम. यू के उत्पादन लक्ष्य के मुकाबले 241.34 एम.यू. और बिजली की बिक्री से ₹124.72 करोड़ का राजस्व उत्पन्न किया है।
3	**सैंज**	100	अपनी स्थापना के बाद से, सैंज हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (एच.ई.पी.) ने दिसंबर, 2024 तक कुल 2,912.74 एम.यू. बिजली पैदा की है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में परियोजना ने 392.95 एम.यू. बिजली का उत्पादन किया, जो अपने लक्ष्य 322.23 एम.यू. से अधिक है। इस उल्लेखनीय प्रदर्शन ने ₹142.61 करोड़ के राजस्व सृजन में योगदान दिया।
4	**शोंग टोंग करछम**	450	परियोजना वर्तमान में प्रगति पर है, 53.51 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। यह परियोजना नवंबर, 2026 में चालू होने वाली है।
5	**रेणुका जी**	40	आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सी.सी.ई.ए.) ने 15 दिसम्बर, 2021 को प्रधान मंत्री किसान सिंचाई योजना–त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पी.एम.के.एस.वाई.–ए. आई.बी.पी.) के तहत परियोजना के वित्तपोषण के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। भारत के प्रधानमंत्री ने 27 दिसम्बर, 2021 को परियोजना की आधारशिला रखी है। डायवर्जन सुरंगों का निर्माण जून, 2025 में शुरू होने की उम्मीद है।
6	**थाना प्लाउन**	191	इसे मंडी जिले में ब्यास नदी पर प्रक्षेपित किया गया है और इससे 661 एम.यू. बिजली पैदा होगी। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा इसे तकनीकी आर्थिक मंजूरी प्रदान की गई है।
7	**किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना**	660	यह परियोजना उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित टोंस नदी पर प्रस्तावित है। नदी के बाएं किनारे पर 660 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाले एक बांध टो बिजलीघर की योजना बनाई गई है।

8	**कशांग चरण–4**	48	यह चरण एक अपेक्षाकृत स्वतंत्र योजना का प्रतिनिधित्व करता है जिसका उद्देश्य चरण–2 के लिए डायवर्जन साइट के अपस्ट्रीम केरांग धारा की बिजली क्षमता का दोहन करना है। इस योजना में, केरांग धारा के दाहिने किनारे पर स्थित एक भूमिगत बिजलीघर के माध्यम से बिजली उत्पन्न करने के लिए लगभग 300 मीटर के हेड का उपयोग किया जाएगा।
9	**जिस्पा बांध परियोजना**	300	इस राष्ट्रीय महत्व की परियोजना के लिए भारत सरकार द्वारा दिए गए जोर को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि बांध क्षेत्र का ड्रोन सर्वेक्षण किया जाएगा। सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है । अब विभिन्न घटकों, स्पिलवे की स्थिति, इनटेक और अन्य संबंधित संरचनाओं सहित परियोजना का विस्तृत ले आउट चिह्नित किया जाएगा और परियोजना की एक वैचारिक ले आउट योजना अनुमोदन के लिए सी.डब्ल्यू.सी. को प्रस्तुत की जाएगी।
10	**त्रिवेणी महादेव एच. ई.पी.**	72	एच.पी.पी.सी.एल. ब्यास–बिनवा खड्ड संगम के अपस्ट्रीम और यू.एच.एल. एच.ई.पी. पावर हाउस के डाउनस्ट्रीम टीएम हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर (एच.ई.पी.) परियोजना के लिए एक वैकल्पिक प्रस्ताव तलाश रहा है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) द्वारा नए बांध अक्ष पर भूवैज्ञानिक/भू–तकनीकी जांच के साथ परियोजना का योजनाबद्ध लेआउट प्रगति पर है।
11	**सुरगानी सुंडला एच. ई.पी.**	48	इस परियोजना का उद्देश्य एन.एच.पी.सी. के बैरा सिउल पावर स्टेशन के साथ मिलकर काम करना है। एच.पी.पी.सी.एल. सक्रिय रूप से एन.एच.पी.सी. से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एन.ओ.सी.) मांग रहा है। 13 सितंबर, 2023 को परियोजना क्षेत्र में हाल ही में किए गए संयुक्त स्थल दौरे में दोनों संस्थाओं के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास था, जिसमें एच.पी.पी.सी.एल. और एन.एच.पी.सी. दोनों के अधिकारी शामिल थे।
12	**जंगी थोपन पोवारी एच. ई.पी.**	780	जंगी थोपन पोवारी एच.ई.पी. (780 मेगावाट) सतलुज नदी बेसिन में स्थित शोंगटोंग करछम एच.ई.पी. का अपस्ट्रीम विकास है। हिमाचल प्रदेश सरकार के ऊर्जा निदेशालय (डी.ओ.ई.) के अनुसार, यह परियोजना 40 साल की अवधि के लिए निर्माण, स्वामित्व, संचालन और हस्तांतरण (बी.ओ.

			ओ.टी.) आधार पर एच.पी.पी.सी.एल. को आवंटित की गई है।
13	**चांजू–3 एच.ई.पी.**	48	चांजू–3 एच.ई.पी. एक रन–ऑफ–रिवर योजना है जो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में चांजू नाले पर स्थित है। चांजू नाला बैरा नदी की एक सहायक नदी है, जो स्वयं रावी बेसिन में सिउल नदी की एक सहायक नदी है। 90 प्रतिशत निर्भरता के साथ एक वर्ष में, वार्षिक बिजली उत्पादन 228.52 एम.यू. होने की उम्मीद है।
14	**थाना प्लाउन पंप भंडारण परियोजना**	270	परियोजना को एक ऑफ–स्ट्रीम, ओपन–लूप सिस्टम के रूप में डिजाइन किया गया है जो निचले जलाशय के रूप में काम करने के लिए थाना प्लाउन हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (एच.ई.पी.) से पानी खींचेगा। ब्यास नदी की सहायक नदी लूनीखाड़ पर a ±60–मीटर ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध बनाकर बनाए गए ऊपरी जलाशय में पानी डाला जाएगा। इस योजना में a ±250–मीटर जल कंडक्टर प्रणाली और 67.5 मेगावाट की क्षमता वाली चार उत्पादन इकाइयों से सुसज्जित एक भूमिगत बिजलीघर शामिल है।
15	**रेणुकाजी पंप भंडारण परियोजना**	1630	इस परियोजना की कल्पना एक ऑफ–स्ट्रीम, ओपन–लूप प्रणाली के रूप में की गई है, जो निचले जलाशय के रूप में रेणुका जी बांध परियोजना जलाशय का उपयोग करती है। पानी को एक ऊपरी जलाशय में पंप किया जाएगा, जो जिला सिरमौर में गिरि नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी जोगर का खल्ला पर a ±100–मीटर ऊंचा अर्थ–कम–रॉक–फिल बांध बनाकर बनाया जाएगा। इस परियोजना में a ±2,530–मीटर जल कंडक्टर प्रणाली और 10 उत्पादन इकाइयों से सुसज्जित एक भूमिगत बिजलीघर है, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 163 मेगावाट है।

स्त्रोतः हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

10.4.2 विद्युत विकास के अन्य क्षेत्र

हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन रणनीतिक रूप से अतिरिक्त नवीकरणीय स्रोतों, विशेष रूप से सौर ऊर्जा को शामिल करने के लिए जलविद्युत ऊर्जा से परे अपनी बिजली विकास पहल का विस्तार कर रहा है। इस दूरदर्शी दृष्टिकोण का उद्देश्य राज्य के लिए

बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए हल खोजना है और देश के समग्र विकास में योगदान देना है।

i) बेरा–डोल सौर ऊर्जा परियोजना (5 मेगावाट)

एच.पी.पी.सी.एल. ने बिलासपुर जिला में श्री नैना देवी जी तीर्थ के पास 5 मेगावाट सौर ऊर्जा सुविधा का निर्माण किया है। यह सरकार द्वारा राज्य में स्थापित पहली सौर ऊर्जा परियोजना थी। अपनी स्थापना के बाद से, परियोजना ने दिसंबर, 2024 तक 48.20 एम.यू. बिजली का उत्पादन किया है। मार्च, 2025 तक परियोजना का उत्पादन लक्ष्य 50.42 एम.यू. है।

ii) पेखुबेला सौर ऊर्जा परियोजना (32 मेगावाट)

एच.पी.पी.सी.एल. ने ऊना जिले के पेखुबेला गांव में 32 मेगावाट पेखुबेला सौर ऊर्जा परियोजना को सफलतापूर्वक चालू किया है। परियोजना का वाणिज्यिक परिचालन अप्रैल, 2024 में शुरू हुआ। दिसंबर, 2024 तक, परियोजना ने 42.96 एम.यू. बिजली पैदा की है, जिसके परिणामस्वरूप ₹12.46 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ और मार्च, 2025 तक उत्पादन का लक्ष्य 62.85 एम.यू. है।

iii) भंजल सौर ऊर्जा परियोजना (5 मेगावाट)

एच.पी.पी.सी.एल. ने ऊना जिले की तहसील अंब में 5 मेगावाट की भंजल सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण पूरा कर लिया है। परियोजना को नवंबर, 2024 को एच.पी.एस.ई.बी.एल. ग्रिड के साथ सफलतापूर्वक सिंक्रनाइज किया गया था। इसके सिंक्रनाइजेशन के बाद से परियोजना ने दिसंबर, 2024 तक 0.77 एम.यू. बिजली उत्पन्न की है, जिससे ₹0.33 करोड़ का राजस्व अर्जित हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 (दिसंबर, 2024 तक) के दौरान, एच.पी.पी.सी.एल. ने उपरोक्त सौर परियोजनाओं से कुल 49.74 एम.यू. उत्पादन हासिल किया है, जिससे ₹15.35 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है।

iv) सौर ऊर्जा परियोजनाएँ:

- हिमाचल प्रदेश सौर ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। ऊना जिले में अघलोर सौर ऊर्जा परियोजना (10 मेगावाट) पहल पूरी होने वाली है और जनवरी, 2025 तक चालू होने की उम्मीद है। अकेले यह परियोजना सालाना 22.73 मिलियन यूनिट का प्रभावशाली उत्पादन करेगी।
- गोंडपुर बुल्ला सौर ऊर्जा परियोजना (12 मेगावाट) और लमलेहरी उपरली सौर ऊर्जा परियोजना (11 मेगावाट) अगस्त 2025 तक पूरा करने की उम्मीद

है। इसके अतिरिक्त, संयुक्त रूप से पांच और छोटी बिजली परियोजनाओं(एस.पी.पी.) के लिए इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण (ई.पी.सी.) निविदाएं 49 मेगावाट की क्षमता खोली जा चुकी है और वर्तमान में मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में है, जल्द ही काम सौंपे जाने की उम्मीद है।

- कुल 69 मेगावाट क्षमता वाली छह परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार की जा रही है, और डी.पी.आर. को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ई.पी.सी. निविदाएं जारी की जाएंगी। इसके अलावा, लगभग 58 मेगावाट की अस्थायी संयुक्त क्षमता वाली आठ सौर ऊर्जा परियोजनाएं प्रारंभिक विकास चरण में हैं। इन परियोजनाओं का विस्तृत सर्वेक्षण, जांच और प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (पी.एफ.आर.) तैयार की जा रही है।
- डमटाल, कांगड़ा जिले के लिए 200 मेगावाट की सौर परियोजना पूर्व–व्यवहार्यता रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है। साइट सर्वेक्षण फरवरी, 2025 की शुरुआत में, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) मार्च, 2025 तक और निविदा प्रक्रिया मई, 2025 तक की जाएगी और मार्च, 2026 तक शुरू होने की उम्मीद है।
- लगभग 173 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली सात सौर ऊर्जा परियोजनाएं वर्तमान में वन मंजूरी अनुमोदन (एफ.सी.ए.) प्रक्रिया से गुजर रही हैं।

10.4.3 वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्र में परियोजनाओं का विकासः

i) 26 अप्रैल, 2023 को एच.पी.पी.सी.एल. और मैसर्स ऑयल इंडिया लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते को मुख्यमंत्री हि. प्रदेश की उपस्थिति में औपचारिक रूप दिया गया। इस साझेदारी के तहत, दोनों संस्थाओं ने निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए हिमाचल प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्र में संयुक्त रूप से परियोजनाएं विकसित करने की प्रतिबद्धता जताई हैः

1. सौर ऊर्जा
2. हरित हाइड्रोजन
3. संपीड़ित बायोगैस (सी.बी.जी.)
4. भूतापीय ऊर्जा
5. अन्य संभावित नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र।

ii) पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एक मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एक मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के निर्माण के लिए ई.पी.सी. टेंडर 9 सितंबर, 2024 को मेसर्स ऑयल इंडिया

लिमिटेड द्वारा ई.पी.सी. ठेकेदार को दिया गया था। परियोजना का निष्पादन वर्तमान में चल रहा है।

iii) प्रतिदिन दो टन (टी.पी.डी.) क्षमता वाले कंप्रेस्ड बायोगैस (सी.बी.जी.) संयंत्र की स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दो टी.पी.डी. सी.बी.जी. संयंत्र के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) का मसौदा सलाहकार द्वारा तैयार किया गया है, और प्रक्रिया में आगे के चरण अब चल रहे हैं।

10.4.4 निर्माण/कार्यान्वयन चरण के तहत परियोजनाओं के संबंध में वित्तीय उपलब्धियां

हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के निर्माणाधीन/कार्यान्वयन चरण की परियोजनाओं की उपलब्धियां निम्न सारणी में प्रस्तुत हैं:

सारणी 10.6

वित्तीय उपलब्धियां

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	बजट 2024–25	व्यय (अप्रैल–दिसम्बर 2024)	उपयोगिता (प्रतिशत में)
1	शोंग टोंग कड़छम	682.10	111.16	16.30
2	एकीकृत कशांग एच.ई.पी. चरण 2 और 3	53.94	17.46	32.37
3	रेणुका जी बांध परियोजना	261.21	254.89	97.58
4	चांजू–3	152.51	46.16	30.27
5	देवथल चांजू	4.06	1.73	42.61
	कुल	**1153.82**	**431.41**	**37.39**

स्त्रोतः हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सारणी 10.7

बिजली की बिक्री से राजस्व सृजन

(₹करोड में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	31.03.2024 तक बिजली की बिक्री से राजस्व सृजन	बिजली की बिक्री से राजस्व सृजन अप्रैल से दिसम्बर, 2024	कुल योग
1	एकीकृत कशांग एच. ई.पी. चरण–1	283.72	62.73	346.45
2	सैंज एच.ई.पी.	870.44	142.61	1013.05
3	साबडा कुड्डू एच.ई.पी.	427.86	124.72	552.58
4	बेरा– डोल सौर परियोजना	18.12	2.56	20.68

5	पेखुबेला	...	12.46	12.46
6	भंजल	...	0.33	0.33
कुल		1600.14	345.41	1945.55

स्त्रोतः हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

10.5 हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.पी.टी.सी.एल.)

हिमाचल प्रदेश सरकार का यह उद्यम ट्रांसमिशन नेटवर्क के विस्तार और नए उत्पादन संयंत्रों से बिजली की निर्बाध निकासी को सक्षम करने पर केंद्रित है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निगम को सौंपे गए कार्यों में 66 किलोवोल्ट (के.वी) और उससे अधिक की वोल्टेज रेटिंग वाली ट्रांसमिशन लाइन और सब–स्टेशन दोनों सहित सभी नई परियोजनाओं का निष्पादन शामिल है। इसमें हिमाचल प्रदेश के ट्रांसमिशन मास्टर प्लान को तैयार करना, अपग्रेड करना और लागू करना शामिल है, जिसका उद्देश्य ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करना और बिजली की कुशल निकासी की सुविधा प्रदान करना है।

एच.पी.पी.टी.सी.एल. एक राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटी (एस.टी.यू.) के कार्यों का निर्वहन कर रहा है और केंद्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय (भारत सरकार), हिमाचल प्रदेश सरकार और एच.पी.एस.ई.बी. लिमिटेड के साथ ट्रांसमिशन से संबंधित मुद्दों का समन्वय कर रहा है। भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश के पावर सिस्टम मास्टर प्लान (पी.एस.एम.पी.) में शामिल ट्रांसमिशन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए (एशियाई विकास बैंक) ए.डी.बी. ऋण को मंजूरी दे दी है। सारणी 10.8 वित्तीय वर्ष 2024–25 तक एच.पी.पी.टी.सी.एल. द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं का विवरण प्रस्तुत करता है।

सारणी 10.8

वित्तीय वर्ष 2024–2025 तक चालू परियोजनाएं (31 दिसम्बर, 2024) तक

क्र. सं.	परियोजना का नाम	एम.वी.ए.	सी.के.टी. कि.मी.	लागत (₹ करोड में)
	ए.डी.बी. ट्रेंच–1			
1	220/66/22 के.वी., भोक्तू में सब–स्टेशन	56.5	–	32
2	400/220/66 के.वी., वांगतू में सब–स्टेशन	830	–	363
3	प्रगतिनगर में 220/400 के.वी., 1×315 एम.वी.ए. सब–स्टेशन	315	–	161
4	33/132 के.वी., पंडोह में सब–स्टेशन	31.5	–	36
5	33/132 के.वी., चंबी में सब–स्टेशन	63	–	45

6	गुम्मा में 400 के.वी. झाखरी–अब्दुल्लापुर डी./सी. लाइन के दोनों सर्किटों का एल.आई.एल.ओ. और हाटकोटी से गुम्मा तक 220 के.वी.डी./सी.टी.एल.	–	58.4	105
	ए.डी.बी. ट्रेंच–2			
7	66 के.वी. स्विचिंग सब–स्टेशन उरनी	–	–	27
8	33/220/400 के.वी. लाहल सब–स्टेशन	693	–	280
9	220 के.वी. जारोर–बनला टी.एल.	–	36	57
10	220 के.वी. लाहल बुधिल टी.एल.	–	1.9	6
11	चम्बी में 132 के.वी. एल.आई.एल.ओ कांगडा–देहरा टी.एल.	–	30	21
	ए.डी.बी. ट्रेंच–3			
12	बजोली होली एच.ई.पी. से 400/220 के.वी. लाहल जी.आई.एस. तक 220 के.वी. डी./सी. लाइन (ट्विन मूस)	–	36.7	69
13	उरनी में 66 के.वी. स्विचिंग स्टेशन से वांगटू सब स्टेशन (किन्नौर) तक 66 के.वी. डी./सी. लाइन	–	26	20.73
14	सुंडा एस.एस. से हाटकोटी (शिमला) तक 220 के.वी. डी./सी. टी.एल.	–	50.6	46.75
15	कुनिहार–पिंजौर ट्रांसमिशन लाइन के दूसरे सर्किट के एल.आई.एल.ओ. के लिए बद्दी सब–स्टेशन पर दो 220 के.वी. बेस का निर्माण।	–	5.7	4.67
16	हाटकोटी में 220 के.वी. स्विचिंग स्टेशन	–	–	39.77
17	निरमंड में 66/22 के.वी., 2×12.5 एम.वी.ए. जी.आई.एस. सब–स्टेशन	25	–	38.16
18	सुंडा, शिमला में 220/132 के.वी. सब–स्टेशन	200	–	64.84
19	चरोर (कुल्लू) में 132/220 के.वी. सब–स्टेशन	100	–	69.03
20	गुम्मा (शिमला) में 220/66 के.वी. जी.आई.एस. सब–स्टेशन	126	–	44.16
21	निरमंड से कोटला (किन्नौर) तक 66 के.वी. डी.सी. ट्रांसमिशन लाइन	–	46	30.78
22	400/220/33 के.वी. लाहल एसएस से रजेरा (चंबा) तक 400 के.वी. डी.सी. ट्रांसमिशन लाइन	–	70	140.07

23	माजरा से करियन (चंबा) तक 220 के.वी.डी/सी ट्रांसमिशन लाइन	–	36	36.28
24	माजरा (चंबा) में 220/132 केवी, 2×100 एम.वी.ए. जी.आई.एस. सबस्टेशन	200	–	65.54
25	132 के.वी. लिलो कुर्थला बाथरी ट्रांसमिशन लाइन	–	14.4	11.98
	जी.ई.सी.–1			
26	132/33 के.वी. अतिरिक्त पंडोह एस.एस.	31.5	–	16.38
27	400/220 के.वी. अतिरिक्त गुम्मा एस.एस.	315	–	42.16
28	220 के.वी. सनैल–हाटकोटी टी.एल.	–	26.3	25.61
29	220 के.वी. डी./सी. देहन एस.एस. से हमीरपुर एस.एस.	–	115.88	119.51
30	देहन (कांगडा) में 132/220 के.वी., 2×100 एम.वी.ए. सब–स्टेशन	200	–	71.81
31	220/66 के.वी. अतिरिक्त सुंडा सब–स्टेशन	100	–	38.74
32	चरोर सब–स्टेशन (कुल्लू) में अतिरिक्त 220/33 के.वी., 80/100 एमवीए ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराना	100	–	34.96
33	तांगनु रोमाई से 220/132 के.वी. सुंडा सबस्टेशन तक 132 के.वी. डी/सी लाइन	–	22	13.37
34	220/66 के.वी. हीलिंग सबस्टेशन पर 220 के.वी. डी/सी बाजोली होली से लाहल ट्रांसमिशन लाइन का एल.आई.एल.ओ.	–	0.7	4.48
35	33 के.वी. पलचान से प्रीनी ट्रांसमिशन लाइन	–	17.2	–
36	हेइलिंग में 220/66 के.वी. सबस्टेशन	100	–	85.74
	घरेलू			
37	220/33 के.वी. कंरिया सब–स्टेशन	63	–	52
38	220/33 के.वी. फोजल सब–स्टेशन	100	–	72
39	प्रीणी (कुल्लू) में 220/33 के.वी. सबस्टेशन	31.5	–	8.91
40	कालाअंब में 220/132 के.वी.सबस्टेशन	263	–	69.76
41	220 के.वी. कंरिया–रजेरा टी.एल.	–	6	11
42	220 के.वी. लिलो फोजल – पतलीकुहल टी.एल.	–	20.0	17
43	220 के.वी. कशांग – भावा टी.एल.	–	76	87
44	पी.जी.सी.आई.एल. से अंधेरी सबस्टेशन तक 220	–	12.8	15.39

	के.वी. एम.सी.टी. लाइन			
45	एच.पी.पी.टी.सी.एल. कालाअंब से मौजूदा जमटा काला अंब लाइन के टी 20/21 तक 220–132 के.वी. एम.सी.टी. ट्रांसमिशन लाइन (132 के.वी. पार्ट चार्ज्ड)	–	16.93	49.19
46	टी–88 से 220 के.वी. जी.आई.एस. सबस्टेशन देहान (पट्टी) पर 132 के.वी. एस/सी बस्सी–देहन लाइन की एल.आई.एल.ओ. द्वारा 132 के.वी. डी/सी ट्रांसमिशन लाइन	–	7.41	4.48
कुल		**3944**	**732.92**	**2654.25**

स्त्रोतः हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड

उपरोक्त के अलावा, हरित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए किफायती ट्रांसमिशन प्रणाली विकसित करने के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण–1 (जी.ई.सी. –1) शुरू किया गया है। इस योजना को आंशिक रूप से (40 प्रतिशत) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम.एन.आर.ई.) भारत सरकार से कम अनुदान के रूप में और आंशिक रूप से (40 प्रतिशत) जर्मन विकास बैंक, के.एफ.डब्ल्यू. से कम निश्चित ब्याज दर ऋण के रूप में और शेष इक्विटी द्वारा वित्त पोषित किया गया है। जी.ई.सी.–1 के तहत, एच.पी.पी.टी.सी.एल. द्वारा ग्यारह परियोजनाओं का निर्माण किया जाना था। जिनमें से दस परियोजनाएं चालू हो चुकी हैं और एक परियोजना मार्च, 2025 तक चालू होने की संभावना है। इन सभी परियोजनाओं के पूरा होने से 846.5 एम.वी.ए. (मेगा वोल्ट एम्पीयर) परिवर्तन क्षमता और 182.08 सी.के.टी. किलोमीटर (सर्किट किलोमीटर) की बढ़ोतरी होगी।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आर.ई.सी.एल.) की वित्तीय सहायता से, एच.पी.पी.टी.सी.एल. ने 10 परियोजनाओं को सफलतापूर्वक चालू किया है, जबकि 3 अतिरिक्त परियोजनाएं वर्तमान में प्रगति पर हैं। एक अन्य परियोजना के मार्च, 2025 से पहले चालू होने की उम्मीद है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से राज्य के ट्रांसमिशन नेटवर्क में काफी वृद्धि हुई है, जिससे कांगड़ा, कुल्लू, सिरमौर और किन्नौर जिलों में 457.5 एम.वी.ए. परिवर्तन क्षमता और 139.14 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनें जुड़ गई हैं।

10.5.1 प्रमुख उपलब्धियां

वित्तीय वर्ष 2024–25 में दिसंबर 2024 तक, एच.पी.पी.टी.सी.एल. ने ₹269.77 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ दो सबस्टेशन और छह ट्रांसमिशन लाइनों को पूरा और चालू किया है, जिसके परिणामस्वरूप मौजूदा ट्रांसमिशन नेटवर्क में क्रमशः 91.49 सी.के.टी. कि.मी. के साथ 363 एम.वी.ए. परिवर्तन क्षमता शामिल हुई है। एच.पी.पी.टी.सी.एल. ने इस

वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न ट्रांसमिशन परियोजनाओं (पूर्ण और चालू) के लिए कुल पूंजीगत व्यय लगभग ₹58.91 करोड़ किया है।

उपरोक्त के अलावा, ₹8.91 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ एक सी.के.टी कि. मी. की कुल लंबाई वाली एक ट्रांसमिशन लाइन और ₹12.82 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ एक ई.एच.वी. स्विचिंग सबस्टेशन पूरा होने के कगार पर हैं और इन्हें मार्च, 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। संबंधित विवरण नीचे सारणी 10.9 में दिया गया है।

सारणी 10.9

क्र. सं.	परियोजना का नाम	सी.के.टी. किमी/एम.वी.ए. क्षमता	लागत (₹ करोड में)	निधियन एजेंसी
I	**संचरण लाइन**			
	400 के.वी. लाहल रजेरा ट्रांसमिशन लाइन के टी–08 पर कुठेर (240 मेगावाट) एच.ई.पी की 400 के.वी. डी/सी ट्रांसमिशन लाइन का एलआईएलओ	1	8.91	आर.ई.सी.
	योग –I	**1**	**8.91**	
II	**सब–स्टेशन**			
1	पलचान में 33 के.वी. स्विचिंग	–	12.82	के.एफ. डब्ल्यू
	योग –II	**–**	**12.82**	
	कुल योग I + II	**1**	**21.73**	

उपरोक्त परियोजनाओं के चालू होने से कई जलविद्युत परियोजनाओं की बाधा– मुक्त बिजली निकासी की सुविधा मिलेगी और राज्य में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में भी सुधार होगा।

10.6 हिमऊर्जा

हिमऊर्जा का गठन वर्ष 1989 में किया गया था, जिसका मुख्य कार्य नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम.एन.आर.ई), भारत सरकार और राज्य सरकार के वित्तीय सहयोग से राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाना हैं। राज्य में कार्यान्वित किए जा रहे प्रमुख कार्यक्रम हैं सौर ऊर्जा परियोजनाएं, ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप प्लांट, सोलर फोटोवोल्टिक ऑफ–ग्रिड सिस्टम, सोलर थर्मल सिस्टम और लघु जलविद्युत परियोजनाएं (5 मेगावाट क्षमता तक) हैं।

10.6.1 वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान दिसम्बर, 2024 तक की उपलब्धियां तथा मार्च, 2025 तक प्रत्याशित का ब्यौरा निम्न है:

(क) सौर प्रकाशवोल्टिय कार्यक्रम



i) **सौर प्रकाशवोल्टिय पावर परियोजनाऐं/प्लांटः**

अ) **भूमि पर स्थापित ग्रिड संचालित सौर पावर परियोजनाऐं**: प्रथम चरण के तहत, 73.6 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली परियोजनाओं के लिए 83 सौर ऊर्जा परियोजना (एस.पी.पी.) डेवलपर्स को अनंतिम पंजीकरण पत्र जारी किए गए हैं। इस चरण के दौरान, 54.56 मेगावाट की क्षमता को कवर करते हुए 58 बिजली खरीद समझौतों (पी.पी.ए.) पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें से 11.85 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 31 सौर परियोजनाएं पहले ही चालू हो चुकी हैं। मार्च, 2025 तक अतिरिक्त 5 मेगावाट एस.पी.पी. चालू होने की उम्मीद हैं।

ब) **ग्रिड संचालित सौर रूफ टाप प्लांटस**: दिसंबर, 2024 तक 317 किलोवाट की कुल क्षमता वाले ग्रिड–कनेक्टेड सौर ऊर्जा संयंत्र चालू हो गए हैं। मार्च, 2025 तक अतिरिक्त 200 किलोवाट ग्रिड–कनेक्टेड रूफटॉप सोलर (जी.सी.आर.टी.एस.) संयंत्रों की स्थापना निर्धारित हैं।

स) **आफ ग्रिड सौर पावर प्लांट**: 4 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र दिसंबर, 2024 तक स्थापित किए जा चुके हैं। अन्य 25 किलोवाट क्षमता के ऑफ ग्रिड संयंत्र मार्च, 2025 तक स्थापित किए जाएंगे।

ii) **सौर प्रकाशवोल्टिय स्ट्रीट लाईटः** वितीय वर्ष 2024–25 के दौरान दिसम्वर, 2024 तक 14,454 सौर प्रकाशवोल्टिय स्ट्रीट लाईट सामूहिक प्रयोग के लिए स्थापित की जा चुकी हैं तथा मार्च, 2025 तक प्रत्याशित उपलब्धि लगभग 16,000 होगी।

iii) **सौर प्रकाशवोल्टिय घरेलू लाईटः** राज्य में अनुसूचित जाति बी.पी.एल. परिवारों को 53 सोलर होम लाइटिंग प्रणालियाँ प्रदान की गई हैं।।

(ख) सौर तापीय कार्यक्रम

i) **सौर जल तापन संयन्त्रः** वित्तीय वर्ष 2024–25, के दौरान दिसंबर, 2024 तक प्रति दिन 19,800 लीटर की कुल क्षमता वाले सौर जल तापन सिस्टम स्थापित किए गए हैं। मार्च, 2025 तक अनुमानित क्षमता लगभग 21,000 लीटर प्रति दिन तक पहुंचने की उम्मीद हैं।

ii) **सौर कुकरः** वित्तीय वर्ष 2024–25, के दौरान दिसंबर, 2024 तक 29 बॉक्स–प्रकार और डिश–प्रकार के सोलर कुकर उपलब्ध कराए गए थे। मार्च, 2025 तक अनुमानित कुल लगभग 35 सौर कुकर तक पहुंचने की उम्मीद हैं।

(ग) 5 मैगावाट क्षमता तक की लघु जल विद्युत परियोजनाऐं

वित्तीय वर्ष 2024–25, के दौरान दिसम्वर, 2024 तक 4 लघु जल विद्युत परियोजनाऐं स्थापित की गई हैं जिनकी संकलित क्षमता 9.75 मैगावाट हैं।

सारणी 10.10

5 मैगावाट तक क्षमता की 781 लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थिति (दिसम्बर, 2024 तक)

परियोजना की स्थिति	परियोजनाओं की संख्या	क्षमता (मैगावाट)
(1) निजी क्षेत्र में आवंटित लघु जल विद्युत परियोजनाऐं 5 मेगा वाट तक		
(क) कार्यान्वयन समझौते चरण पर आवंटित		
स्थापित	98	351.60
निर्माणाधीन	32	95.84
स्वीकृतियां के स्तर पर	142	361.41
(ख) पूर्व कार्यान्वयन समझौते चरण पर	438	911.26
कुल	710	1720.11
(2) 100 किलोवाट क्षमता तक की सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाओं की स्थिति		
कुल	55	5.50
(3) वी.ओ.टी. आधार पर हिमऊर्जा को आवंटित परियोजनाऐं		
स्थापित	1	4.80
स्वीकृतियां के स्तर पर	0	0.00
सर्वेक्षण और जांच स्तर पर	5	20.00
कुल	6	24.80
(4) राज्य क्षेत्र में स्थापित परियोजनाऐं		
स्थापित	5	0.47
स्थापित (एच.पी.एस.ई.बी.एल. को हस्तांतरित)	5	1.90
कुल	10	2.37
कुल योग (1 से 4 तक)	781	1752.78

निष्कर्षः हिमाचल प्रदेश पनबिजली क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी है, जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने और देश की बिजली आपूर्ति में योगदान करने के लिए अपने प्रचुर जल संसाधनों का लाभ उठाता है। राज्य ने 24,000 मेगावाट पनबिजली उत्पादन की क्षमता के साथ अब तक 11,290 मेगावाट से अधिक का दोहन किया है। राज्य सरकार के प्रयासों के अन्तर्गत पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (आर.डी.एस.एस.), वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और स्मार्ट मीटरिंग पहल बिजली की गुणवत्ता, बुनियादी ढांचे और ऊर्जा

दक्षता में सुधार के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं। इन पहलों का उद्देश्य बिजली की आपूर्ति में विश्वसनीयता बढ़ाना, घाटे को कम करना और सतत विकास को बढ़ावा देना और राज्य के ऊर्जा क्षेत्र को और मजबूत करना है।

******

अध्याय
11



श्रम और रोजगार

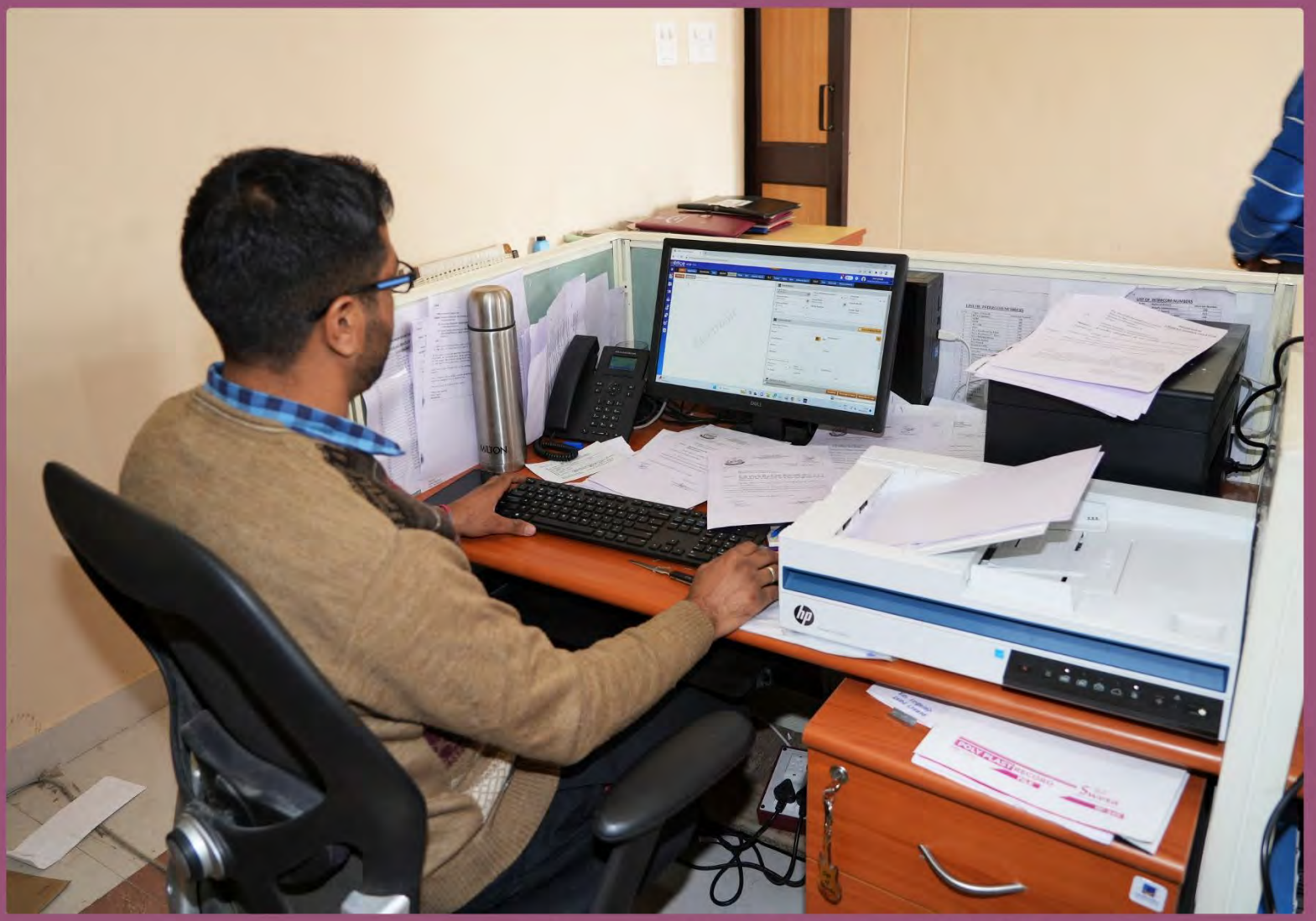



मुख्य बिन्दु

- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी.एल.एफ.एस.) 2023–24 के अनुसार, हिमाचल प्रदेश (60.5) के लिए सभी उम्र की श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) उत्तराखंड (46.2), पंजाब (43.7), हरियाणा (37.4) और भारत (45.1) से अधिक है। महिलाओं के लिए, यह इन सभी राज्यों (उत्तराखंड को छोड़कर) और पूरे भारत से दोगुने से भी अधिक है।

- वर्ष 2023–24 में श्रमिक जनसंख्या अनुपात समस्त आयु वर्ग में हिमाचल प्रदेश की स्थिति (57.2), उत्तराखंड (44.2), पंजाब (41.3), हरियाणा (36.1) और पूरे भारत (43.7) से बेहतर है। सर्वेक्षण के नतीजों से स्पष्ट होता है कि हिमाचल प्रदेश में महिलाएं (51.8 प्रतिशत) अखिल भारतीय स्तर पर और पड़ोसी राज्यों में अपने समकक्षों की तुलना में आर्थिक गतिविधियों में अधिक सक्रिय रूप से भाग ले रहीं हैं।

- पी.एल.एफ.एस. 2023–24 के अनुसार, 2023–24 में हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी दर 5.4 प्रतिशत थी। सामान्य स्थिति (पी.एस.एस.एस.) में बेरोजगारी दर, ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के लिए 3.2 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 7.0 प्रतिशत थी, जबकि शहरी क्षेत्रों में पुरुषों के लिए यह दर 4.8 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 18.2 प्रतिशत थी।

- हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम (एच.पी.के.वी.एन.) राज्य सरकार का निगम है जो राज्य कौशल मिशन के रूप में 14 सितम्बर, 2015 को कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत गठित किया गया। हिमाचल प्रदेश के युवाओं को परिक्षण देने हेतु कौशल विकास निगम द्वारा दो प्रमुख परियोजनाओं को लागू किया जा रहा है। जिसमें कि (i) एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) द्वारा पोषित हिमाचल कौशल विकास परियोजना (एच.पी.एस.डी.पी.) (ii) राज्य द्वारा कार्यान्वित प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.वी.वाई.) 4.0।

- हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना के पूर्व शिक्षण की मान्यता (आर.पी.एल.) घटक के अन्तर्गत 10,622 उम्मीदवारों को नामांकित किया गया है, 8,181 उम्मीदवारों को प्रमाणित किया गया है।

11.1 परिचय

रोजगार देश के नीति नियोजकों के साथ–साथ राज्यों के लिए भी शीर्ष चुनौतियों में से एक बना हुआ है। साक्षरता और स्कूली शिक्षा में सुधार, उच्च शिक्षा और कौशल की प्राप्ति और व्यावसायिक शिक्षा के साथ यह चुनौती समय के साथ और अधिक जटिल हो गई है। नीतियों और सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क के रूप में राज्य के नियोजित हस्तक्षेप राज्य में मुफ्त और सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियाँ प्रदान करने में मदद कर रहे हैं। देश के अन्य हिस्सों की तुलना में, हिमाचल प्रदेश में कृषि और गैर–कृषि दोनों क्षेत्रों में श्रमिकों की मजदूरी दर अधिक है (आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण) हिमाचल प्रदेश में उच्च मजदूरी दर राज्य में प्रवासियों को आकर्षित करती है, खासकर उन राज्यों से जहां मजदूरी की दरें कम हैं। राज्य को अब अतिरिक्त रोजगार के अवसर और रोजगार–गहन विकास की आवश्यकता है, जिसके लिए श्रम बल को कम–मूल्य–वर्धित से उच्च–मूल्य–वर्धित गतिविधियों की ओर बढ़ाना है। राज्य के शहरी और ग्रामीण दोनों हिस्सों में नए रोजगार पैदा करने के लिए, राज्य सरकार अर्थव्यवस्था में रोजगार–प्रेरित समावेशी विकास को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। इस अध्याय में रोजगार और कौशल विकास के रुझानों का विश्लेषण किया गया है। पहले खंड में रोजगार की स्थिति की जांच की गई है, जिसमें कार्यबल के क्षेत्रीय और लैंगिक वितरण के साथ–साथ राज्यवार रुझानों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। दूसरे खंड में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला गया है और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कौशल अवसंरचना विकसित करने की पहल पर भी चर्चा की गई है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से उपेक्षित समूहों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है।

11.2 रोजगार परिदृश्यः हिमाचल प्रदेश, पड़ोसी राज्य और भारत

भारत सरकार ने 2017 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.), अब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एन.एस.ओ.), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एम.ओ.एस.पी.आई.) के पंचवर्षीय रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षणों की जगह, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी.एल.एफ.एस.) शुरू किया है। पी.एल.एफ.एस. डेटा अब राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़ों का प्राथमिक स्रोत है। भारत सरकार ने मई 2019 में पहली आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी.एल.एफ.एस.) 2017–18 रिपोर्ट जारी की, जो कि एन.एस.ओ. द्वारा जुलाई 2017 से जून 2018 तक किए गए सर्वेक्षण और जून 2020 में दूसरी पी.एल.एफ.एस. 2018–19 रिपोर्ट, जो एन.एस.ओ. द्वारा जुलाई 2018 से जून 2019 तक आयोजित किए गए सर्वेक्षण पर आधारित है। वर्तमान में सातवीं वार्षिक रिर्पोट एन.एस.ओ. द्वारा जुलाई 2023 से जून 2024 तक आयोजित सर्वेक्षण के आधार पर प्रकाशित की है।

11.2.1 श्रम बल भागीदारी दर

श्रम बल और कार्य की स्थिति की जांच आम तौर पर रोजगार के दो संकेतकों सामान्य स्थिति (यू.एस.) जिसमें प्रमुख आर्थिक गतिविधि और रोजगार की सहायक आर्थिक गतिविधि शामिल है और वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सी.डब्ल्यू.एस.) के आधार पर की जाती है। दोनों संकेतकों के बीच अंतर को समझना महत्वपूर्ण है।

आर्थिक गतिविधि की स्थिति जिस पर एक व्यक्ति सर्वेक्षण की तारीख से पहले 365 दिनों के दौरान अपेक्षाकृत लंबा समय (प्रमुख समय मानदंड) बिताता है, वह व्यक्ति की प्रमुख गतिविधि स्थिति (पी.एस.) है। ऐसे व्यक्तियों ने अपनी प्रमुख स्थिति के अलावा, सर्वेक्षण की तारीख से पहले 365 दिनों की संदर्भ अवधि के दौरान 30 दिनों या उससे अधिक के लिए कुछ आर्थिक गतिविधि भी होगी। ऐसी स्थिति को सहायक स्थिति (एस.एस.) के रूप में जाना जाता है। पी.एस.+एस.एस. को संयुक्त रूप से सामान्य स्थिति के रूप में जाना जाता है जो लंबी अवधि के लिए रोजगार से मेल खाती है।

कुछ व्यक्ति जो वर्ष में अधिकांश दिनों के लिए नियोजित होते हैं, उन्हें विभिन्न कारणों से बहुमत के दिनों के अलावा अन्य अवधि में नियोजित नहीं किया जा सकता है। इसका पता सर्वेक्षण की तारीख से पहले 7 दिनों की संदर्भ अवधि के दौरान किसी व्यक्ति की वर्तमान साप्ताहिक गतिविधि स्थिति को देखकर लगाया जाता है। यदि किसी व्यक्ति ने सर्वेक्षण की तारीख से पहले के 7 दिनों के दौरान कम से कम एक दिन में कम से कम 1 घंटा काम किया हो या सर्वेक्षण की तारीख से पहले के सात दिनों के दौरान कम से कम एक दिन में कम से कम एक घंटे के लिए उसके पास काम हो, लेकिन काम नहीं किया हो तो उसे सी.डब्ल्यू.एस. की स्थिति के अनुसार कामकाजी (या नियोजित) माना जाता है। उपरोक्त यू.एस. और सी.डब्ल्यू.एस. की परिभाषाओं को देखते हुए, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सी.डब्ल्यू.एस. रोजगार/बेरोजगारी की वर्तमान स्थिति को दर्शाता है जबकि यू.एस. लंबी अवधि के रोजगार को दर्शाता है।

श्रम बल में वे लोग शामिल हैं जो या तो काम कर रहे थे (या नियोजित थे) या जो काम के लिए उपलब्ध थे (या बेरोजगार थे)। श्रम बल में कुछ व्यक्तियों को विभिन्न कारणों से काम से रोका जाता है। उस संख्या को श्रम बल से घटाने पर वास्तविक श्रमिकों की संख्या प्राप्त होती है। इन श्रमिकों को जो किसी भी गतिविधि में लगे हुए हैं उन व्यक्तियों को स्व–रोजगार या नियमित मजदूरी/वेतनभोगी और आकस्मिक श्रमिक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। श्रम शक्ति और कार्यबल के बीच का अंतर बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या बताता है।

हिमाचल प्रदेश में श्रम बल की स्थिति का अंदाजा, श्रम बल भागीदारी दर (एल.एफ.पी.आर.), श्रमिक जनसंख्या दर (डब्ल्यू.पी.आर.), दैनिक मजदूरी दर और औद्योगिक

संबंधों में रुझानो से लगाया जा सकता है। श्रम बल भागीदारी दर को **'आबादी में व्यक्तियों के बीच श्रम बल में व्यक्तियों का प्रतिशत'** के रूप में परिभाषित किया गया है।

पी.एल.एफ.एस. के अनुसार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और भारत में 2022–23 और 2023–24 में एल.एफ.पी.आर. प्रस्तुत करती है। वर्ष 2023–24 में समस्त आयु का एल.एफ.पी.आर. हिमाचल प्रदेश (60.5) के लिए, उत्तराखंड (46.2), पंजाब (43.7), हरियाणा (37.4) और समस्त भारत (45.1) से अधिक है। महिलाओं के लिए यह इन सभी राज्यों (उत्तराखंड को छोड़ कर) व समस्त भारत से दुगने से भी ज्यादा है। हिमाचल प्रदेश में पी.एल.एफ.एस. अन्य निकटवर्ती राज्यों की तुलना में इतना अधिक होने का कारण यह है कि कृषि अभी भी राज्य की बड़े पैमाने पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, और मुख्य रूप से कृषि अर्थव्यवस्थाओं में श्रम बल भागीदारी दर अधिक होती है। चित्र 11.1

बॉक्स: 11.1

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी.एल.एफ.एस.) के बारे में

- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एन.एस.एस.ओ.) ने श्रम बल के बारे में अधिक नियमित जानकारी के महत्व को पहचानते हुए अप्रैल 2017 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी.एल.एफ.एस.) शुरू किया।
- पी.एल.एफ.एस. के प्राथमिक उद्देश्य:
  - वर्तमान साप्ताहिक स्थिति' (सी.डब्ल्यू.एस.) पद्धति का उपयोग करके, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों के लिए हर तीन महीने में प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों (जैसे श्रमिक जनसंख्या अनुपात, श्रम बल भागीदारी दर और बेरोजगारी दर) का तुरंत अनुमान लगाना।
  - ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए 'सामान्य स्थिति' और सी.डब्ल्यू.एस पद्धतियों का उपयोग करके सालाना रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाना।

बुनियादी अवधारणाएं:

- **श्रम बल:** श्रम बल में ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो या तो कार्यरत हैं या सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश में हैं। इसमें एक आबादी के भीतर नियोजित और बेरोजगार दोनों व्यक्ति शामिल हैं जो काम करने की उम्र के हैं और काम करने के लिए उपलब्ध और इच्छुक हैं।
- **बेरोजगारी दर (यू.आर.):** बेरोजगारी दर उस श्रम बल का प्रतिशत है जो बेरोजगार है और सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश कर रहा है।
- **श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यू.पी.आर.):** कार्यबल भागीदारी दर किसी देश की नियोजित या सक्रिय रूप से रोजगार तलाशने वाली आबादी के अनुपात को मापती है।
- **श्रम बल भागीदारी दर (एल.एफ.पी.आर.):** श्रम बल भागीदारी दर श्रम बल में जनसंख्या का प्रतिशत है।
- **सामान्य मूल स्थिति (पी.एस.):**
  - यह विधि सर्वेक्षण तिथि से 365 दिन पहले किसी व्यक्ति की प्राथमिक गतिविधि को देखती है।
  - उदाहरण के लिए, यदि किसी को छह महीने से अधिक समय तक नियोजित किया गया है, तो उन्हें नियोजित माना जाता है।
- **सामान्य प्रमुख और सहायक स्थिति (पी.एस.+एस.एस.):**
  - यह विधि सामान्य प्रिंसिपल स्टेटस से अधिक व्यापक है क्योंकि यह थोडे समय के दौरान किसी व्यक्ति की गतिविधि की स्थिति पर विचार करती है।
  - इस पद्धति के तहत, जिसने भी संदर्भ वर्ष के दौरान कम से कम 30 दिनों तक काम किया है उसे नियोजित के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- **वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सी.डब्ल्यू.एस.):**
  - यह विधि सर्वेक्षण तिथि से ठीक पहले सप्ताह के दौरान किसी व्यक्ति की गतिविधि की स्थिति पर केंद्रित है।
  - जिनके पास उस सप्ताह के दौरान एक घंटे के लिए भी कोई लाभकारी रोजगार नहीं था, उन्हें बेरोजगार की श्रेणी में रखा गया है।

प्रमुख श्रम शक्ति संकेतकों की संरचना

गतिविधि प्रोफ़ाइल	प्रमुख श्रम बल संकेतक
श्रमिक	• श्रम बल भागीदारी दर (एल.एफ.पी.आर.) = (नियोजित व्यक्तियों की संख्या+ बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या)/कुल जनसंख्या*100
	• श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यू.पी.आर.) = नियोजित व्यक्तियों की संख्या/कुल जनसंख्या*100
बेरोजगार	• अनुपात बेरोजगार (पी.यू.) = बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या/कुल जनसंख्या*100
श्रम बल में नहीं	• बेरोजगारी दर (यू.आर.) = बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या / (रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या + बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या) *100

चित्र 11.1

हिमाचल प्रदेश, पड़ोसी राज्य व पूरे भारत के लिए सामान्य स्थिति (पी.एस.+एस.एस.) के अनुसार सभी आयु के व्यक्तियों के लिए एल.एफ.पी.आर.

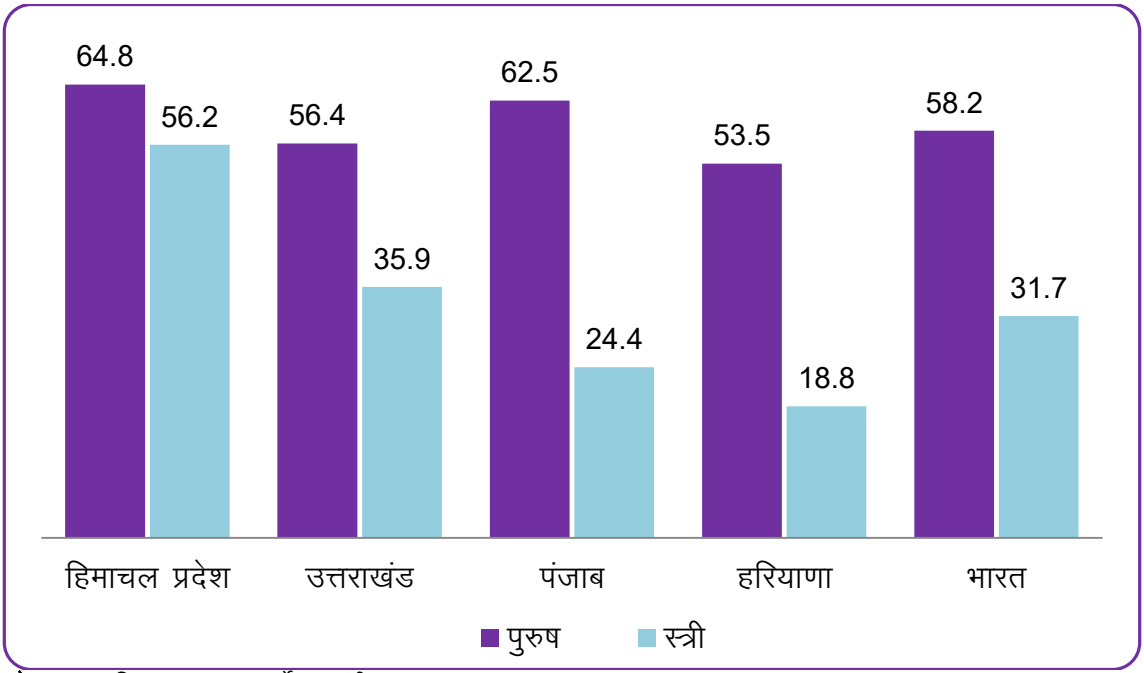

स्रोत : आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी.एल.एफ.एस.) 2023–24

चित्र 11.2

हिमाचल प्रदेश, पड़ोसी राज्य व पूरे भारत के लिए सामान्य स्थिति (पी.एस.+एस.एस.) के अनुसार ग्रामीण–शहरी एल.एफ.पी.आर. 15 से 59 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए

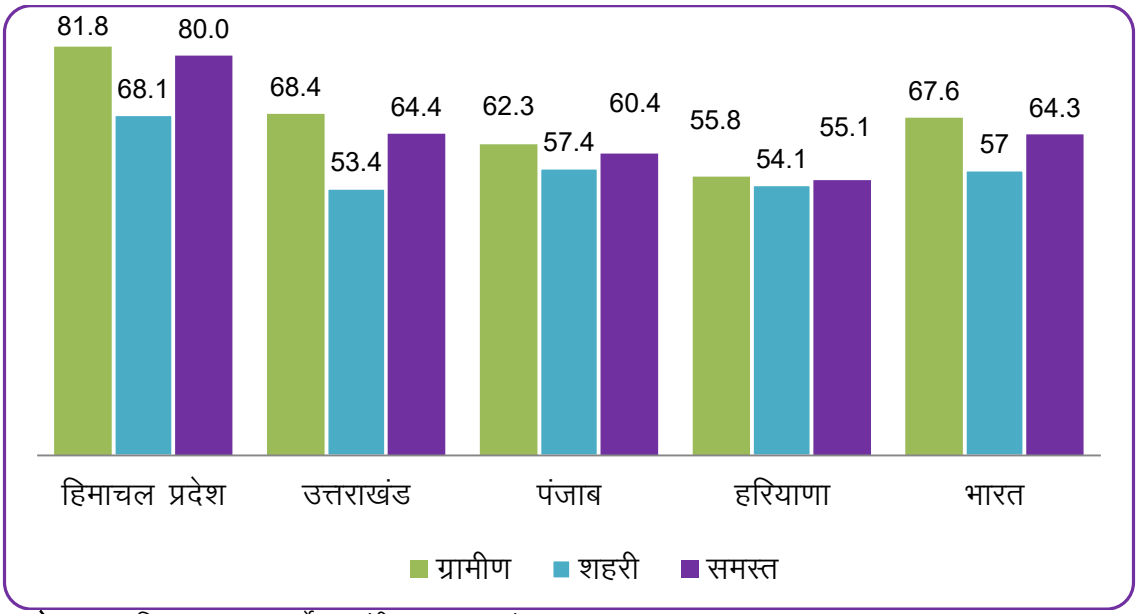

स्रोत : आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी.एल.एफ.एस.) 2023–24

2023–24 में, हिमाचल प्रदेश (80.0) के लिए एल.एफ.पी.आर. (15 से 59 वर्ष की आयु के बीच) उत्तराखंड (64.4), पंजाब (60.4), हरियाणा (55.1) और समस्त भारत (64.3) से अधिक है। हिमाचल प्रदेश के लिए, ग्रामीण और शहरी दोनों एल.एफ.पी.आर. इन सभी राज्यों और पूरे भारत की तुलना में अधिक है। हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण एल.एफ.पी.आर. उत्तराखंड से लगभग 13.4 प्रतिशत अंक अधिक और समस्त भारत की तुलना में 14.2 प्रतिशत अंक अधिक है, जबकि राज्य में शहरी एल.एफ.पी.आर. उत्तराखंड से लगभग 14.7 प्रतिशत अंक अधिक और समस्त भारत की तुलना में 11.1 प्रतिशत अंक अधिक है चित्र11.2

11.2.2 श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यू.पी.आर.)

डब्ल्यू.पी.आर. एक संकेतक है जिसका उपयोग रोजगार की स्थिति का विश्लेषण करने और आबादी का अनुपात जो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में सक्रिय योगदान देता है, को जानने के लिए किया जाता है। ''डब्ल्यू.पी.आर. को जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है'' जिसके द्वारा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, और भारत में श्रमिक जनसंख्या अनुपात को दर्शाया गया है। यह स्पष्ट है कि सभी आयु वर्ग में 2023–24 में हिमाचल प्रदेश का डब्ल्यू.पी.आर. (57.2), उत्तराखंड (44.2), पंजाब (41.3), हरियाणा (36.1) और पूरे भारत (43.7) से बेहतर है। सर्वेक्षण के नतीजों से स्पष्ट होता है कि हिमाचल प्रदेश में महिलाएं (51.8 प्रतिशत) अखिल भारतीय स्तर पर और पड़ोसी राज्यों में अपने समकक्षों की तुलना में आर्थिक गतिविधियों में अधिक सक्रिय रूप से भाग ले रहीं हैं। चित्र 11.3

चित्र 11.3

सभी आयु वर्ग की महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात (ग्रामीण, शहरी) 2023–24

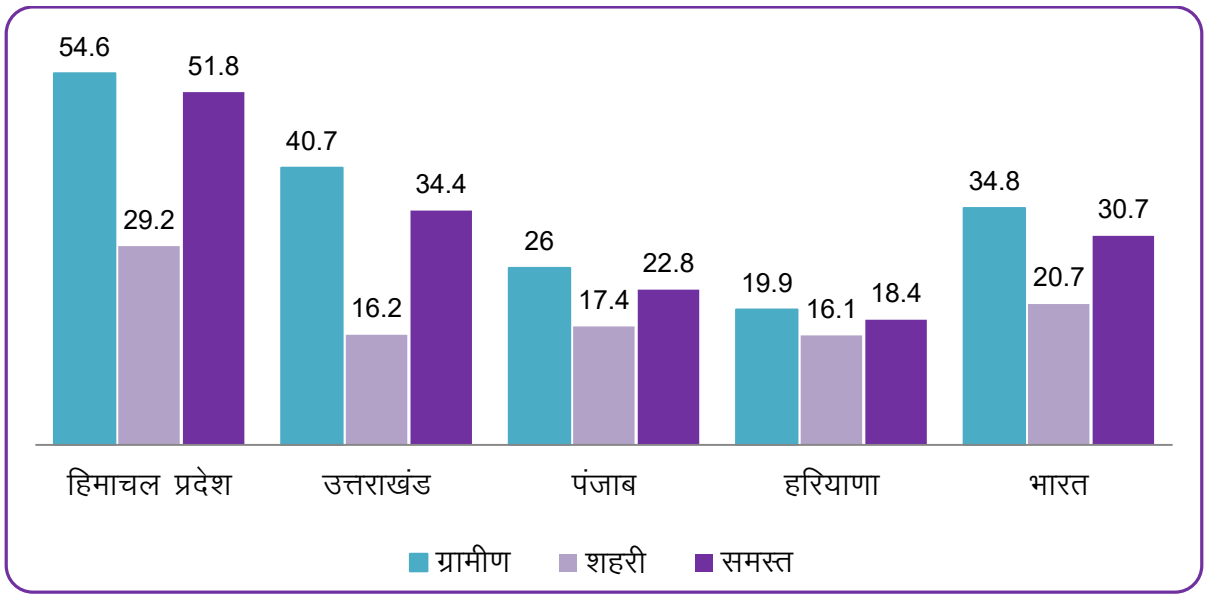

स्रोत : आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी.एल.एफ.एस.) 2023–24

11.2.3 बेरोजगारी दर

''बेरोजगारी दर (यू.आर.) को श्रम बल में व्यक्तियों के बीच बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है''। इसे पी.एल.एफ.एस. सर्वेक्षणों में सामान्य स्थिति (पी.एस.+एस.एस.) और साप्ताहिक स्थिति के संदर्भ में मापा जाता है। यह श्रम बल के उस हिस्से को दर्शाता है जो सक्रिय रूप से काम की तलाश में हैं या उपलब्ध हैं। पी.एल.एफ.एस. 2023–24 के अनुसार सामान्य स्थिति (पी.एस+एस.एस.) के अन्तर्गत समस्त आयु के लोगों के लिए हिमाचल में बेरोजगारी दर **5.4** प्रतिशत थी।

सामान्य स्थिति (पी.एस.+एस.एस.) में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर पुरुषों के बीच 3.2 प्रतिशत और महिलाओं में 7.0 प्रतिशत थी, जबकि शहरी क्षेत्रों में पुरुषों में यह दर 4.8 प्रतिशत और महिलाओं में 18.2 प्रतिशत थी।

11.2.4 रोजगार में स्थिति के अनुसार सामान्य स्थिति में श्रमिकों का विवरण

सामान्य स्थिति (पी.एस.+एस.एस.) के अनुसार श्रमिकों को रोजगार में उनकी स्थिति के अनुसार तीन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ये श्रेणियां हैं: (i) स्व–नियोजित, (ii) नियमित वेतन/वेतनभोगी कर्मचारी और (iii) आकस्मिक श्रमिक। स्व–रोजगार की श्रेणी में दो उप–श्रेणियां निम्नानुसार बनाई गई हैं: (i) स्वयं लेखा कर्मी और नियोक्ता (ii) घरेलु उद्यमों में अवैतनिक सहायक। सारणी 11.1 वर्ष 2022–23 और 2023–24 में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और भारत में रोजगार की स्थिति के अनुसार श्रमिकों का प्रतिशत वितरण प्रस्तुत करती है। वर्ष 2022–23 की रिपोर्ट के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में पड़ोसी राज्यों और अखिल भारतीय स्तर की तुलना में अधिक महिलाएं स्वयं के खाते के श्रमिक, नियोक्ता (46.4 प्रतिशत) के रूप में स्व–रोजगार में हैं। राज्य में महिलाओं की इन्हीं गतिविधियों का अनुपात वर्ष 2023–24 में बढ़कर 47.6 हो गया है, जो कि उनके समकक्षों की तुलना में अधिक है। ऐसा इसलिए क्योंकि क्यों कि हिमाचल प्रदेश में अधिकांश महिलाएं कृषि व सम्बद्ध क्षेत्र में कार्यरत हैं। दूसरी ओर वर्ष 2022–23 के लिए उत्तराखंड (14.6), पंजाब (36.0), हरियाणा (30.0) और की तुलना में हिमाचल प्रदेश में केवल 11.9 प्रतिशत महिलाएं नियमित वेतन कमाने वाली स्थिति में पाई गई हैं। अखिल भारतीय (15.9). वर्ष 2023–24 में महिलाओं का अनुपात बढ़कर 12.6 प्रतिशत हो गया है। आकस्मिक श्रमिक की स्थिति में हिमाचल प्रदेश में महिलाओं का अनुपात वर्ष 2022–23 में फिर अपने पड़ोसी राज्यों व अखिल भारतीय की तुलना में बहुत कम (1.7 प्रतिशत) है। आगे इसी तरह की स्थिति में 2023–24 में महिलाओं का अनुपात बढ़कर 2.8 प्रतिशत हो गया है, जो अपने पड़ोसी राज्यों और पूरे भारत से कम है।

चित्र 11.4

स्व–नियोजित महिलाओं के लिए रोजगार में व्यापक स्थिति

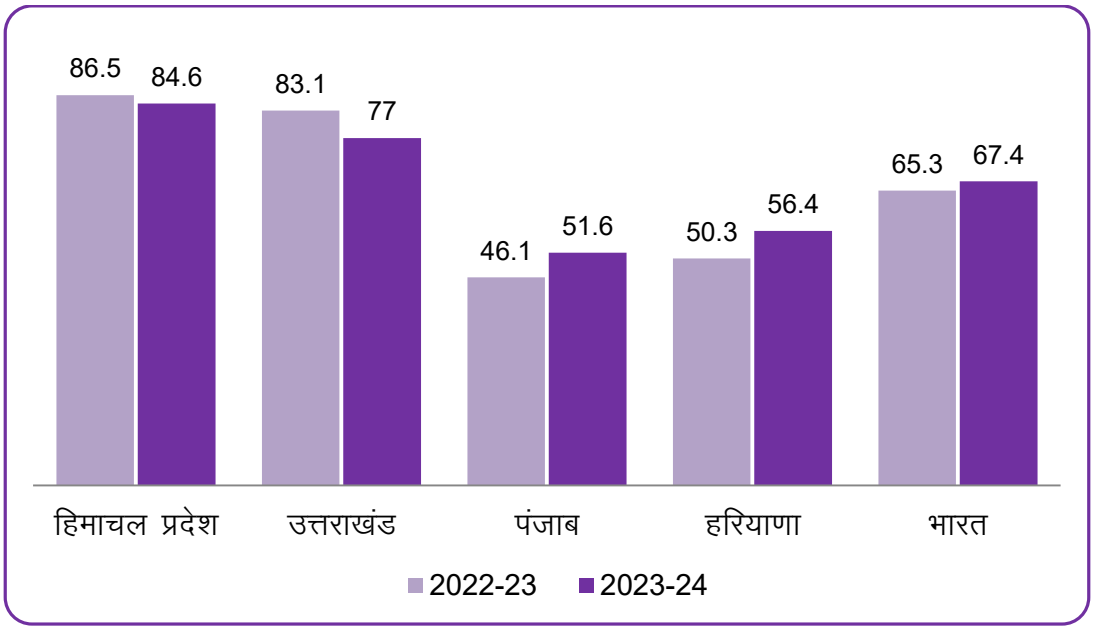

स्रोत : आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी.एल.एफ.एस.) 2023–24

चित्र 11.5

हिमाचल प्रदेश के लिए रोजगार में व्यापक स्थिति द्वारा सामान्य स्थिति में महिला श्रमिकों का वितरण (2023–24)

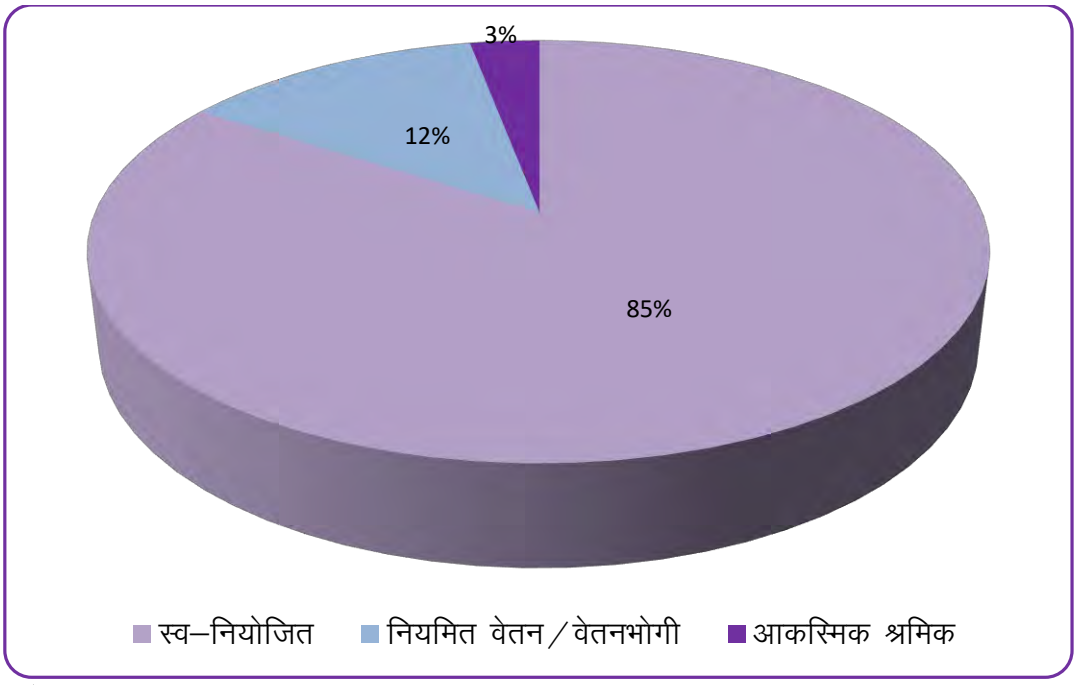

स्रोत : आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी.एल.एफ.एस.) 2023–24

सारणी 11.1

हिमाचल, पड़ोसी राज्यों और अखिल भारतीय के लिए रोजगार में व्यापक स्थिति द्वारा सामान्य स्थिति (पी.एस.+एस.एस.) में श्रमिकों का प्रतिशत वितरण

राज्य	स्व–नियोजित						नियमित वेतन/वेतनभोगी		आकस्मिक श्रमिक	
	स्वय लेखा कर्मी और नियोक्ता		घरेलु उद्यमों में अवैतनिक सहायक		सभी स्व–रोजगार					
	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री
2022-23										
हिमाचल प्रदेश	**44.3**	**46.4**	**14.6**	**40.1**	**58.9**	**86.5**	**27.1**	**11.9**	**14.0**	**1.7**
उत्तराखंड	47.4	27.6	10.0	55.5	57.4	83.1	28.7	14.6	13.9	2.3
पंजाब	37.3	36.6	7.5	9.4	44.8	46.1	32.5	36.0	22.7	18.0
हरियाणा	37.9	31.5	6.0	18.8	43.9	50.3	39.2	30.0	16.9	19.7
भारत	**44.3**	**27.8**	**9.3**	**37.5**	**53.6**	**65.3**	**23.2**	**15.9**	**23.2**	**18.8**
2023-24										
हिमाचल प्रदेश	**37.8**	**47.6**	**13.0**	**36.9**	**50.8**	**84.6**	**30.9**	**12.6**	**18.2**	**2.8**
उत्तराखंड	43.4	32.7	8.4	44.3	51.8	77.0	32.0	17.2	16.2	5.8
पंजाब	36.9	40.4	7.8	11.2	44.7	51.6	33.6	36.1	21.7	12.3
हरियाणा	37.3	34.1	6.2	22.2	43.6	56.4	41.4	31.4	15.0	12.2
भारत	**43.5**	**30.7**	**10.1**	**36.7**	**53.6**	**67.4**	**24.9**	**15.9**	**21.5**	**16.7**

स्रोत : आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी.एल.एफ.एस.) 2022–23 और 2023.24

11.3 रोजगार सहायता और सूचना सेवा

रोजगार चाहने वालों को रोजगार सहायता और सूचना सेवा तीन क्षेत्रीय रोजगार कार्यालयों, 9 जिला रोजगार कार्यालयों, 2 विश्वविद्यालयों में रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्रों और 65 उप–रोजगार कार्यालयों, दिव्यागों के लिए एक विशेष रोजगार कार्यालय और एक केन्द्रीय रोजगार कक्ष के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। युवाओं को व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं रोजगार परामर्श सम्बन्धित जानकारी के साथ–साथ रोजगार बाजार की जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु सभी 77 रोजगार कार्यालयों को कम्पयूटराईज किया जा चुका है और ऑनलाइन हैं। इच्छुक आवेदक ई.ई.एम.आई.एस. पोर्टल के माध्यम से रोजगार कार्यालय में आए बिना कहीं से भी रोजगार कार्यालय में अपना ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं।

11.3.1 न्यूनतम मजदूरी

हिमाचल प्रदेश सरकार ने न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत कामगारों को न्यूनतम वेतन निर्धारित व संशोधित करने के सम्बन्ध में सलाह देने के उद्देश्य से राज्य न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड का गठन किया है। राज्य सरकार ने 1 अप्रैल, 2024 से अकुशल कामगारों का वेतन ₹375 से ₹400 प्रतिदिन अथवा ₹11,250 से ₹12,000 प्रतिमाह न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अंतर्गत सभी वर्तमान 19 अनुसूचित व्यवसायों के लिए निर्धारित कर दिया है। साथ ही अन्य श्रेणियों की न्यूनतम दरों में भी आनुपातिक वृद्धि की गई है।

11.3.2 रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम

वर्ष 1960 से रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार आंकड़े जिला स्तर पर एकत्र किए जा रहे हैं। 31 मार्च, 2024 तक राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में कुल रोजगार 2,84,586 और निजी क्षेत्र में 2,29,887 था। उद्यमों की दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र में कुल 4,627 व निजी क्षेत्र में कुल 2,321 उद्यम कार्यरत थे।

11.3.3 व्यावसायिक मार्गदर्शन

श्रम और रोजगार विभाग युवाओं को व्यावसायिक/कैरियर मार्गदर्शन प्रदान करता है और स्कूलों, कॉलेजों, आईटीआई और पॉलिटेक्निक सहित अन्य स्थानों पर मार्गदर्शन शिविर आयोजित करता है। तदनुसार, विभाग द्वारा युवाओं के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाओं/कल्याणकारी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान करने के अलावा, कौशल विकास, करियर विकल्प, रोजगार/स्वरोजगार के अवसर आदि के बारे में भी जानकारी प्रदान की जाती है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान (31 दिसम्बर, 2024 तक) 26,049 युवाओं को विभाग के सक्षम अधिकारियों द्वारा व्यावसायिक मार्गदर्शन और कैरियर परामर्श प्रदान किया गया।

11.3.4 केन्द्रीय रोजगार कक्ष

हिमाचल प्रदेश के निजी क्षेत्र में कार्यरत एवं लगाई जा रही औद्योगिक इकाईयों, संस्थानों और प्रतिष्ठानों के लिए तकनीकी रूप से कुशल कामगारों को रोजगार उपलब्ध करवाने की दिशा में श्रम एवं रोजगार निदेशालय में गठित केन्द्रीय रोजगार कक्ष हमेशा की तरह वर्ष 2024–25 में भी अपनी सेवाएं देता रहा है। इस प्रकार रोजगार कक्ष, रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार निजी क्षेत्र में उचित रोजगार प्राप्त करने में सहायता करता है। केन्द्रीय रोजगार कक्ष, निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं की अकुशल कामगारों की मांग हेतु कैम्पस साक्षात्कार करवाता है। इस वित्तीय वर्ष में, 31 दिसम्बर, 2024 तक केन्द्रीय रोजगार कक्ष के माध्यम से 3 जॉब फेयर और 297 कैंम्पस साक्षात्कार करवाये गये, जिसमें 4,331 आवेदकों की नियुक्तियां की गई है ।

11.3.5 विशेष रोजगार कार्यालय (दिव्यांगों हेतु)

दिव्यांग व्यक्तियों (शारीरिक, दृष्टि, श्रवण और गति बाधित) की नियुक्ति के लिए विशेष रोजगार कार्यालय की स्थापना 1976 में श्रम और रोजगार निदेशालय में की गई थी, जो दिव्यागों को व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों में रोजगार दिलवाने में भी सहायता करता है। इस वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान (दिसम्बर, 2024 तक) सक्रिय पंजिका में 809 दिव्यांगों को पंजीकृत करके विकलांग पंजीकृतों की संख्या 16,665 हो गई है तथा 21 दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है।

11.3.6 कौशल विकास भत्ता योजना

कौशल विकास भत्ता योजना, 2013 के अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में ₹54.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश के पात्र बेरोजगार युवाओं को उनके कौशल विकास हेतु भत्ते का प्रावधान है ताकि उनकी कौशल विकास व रोजगार प्राप्त करने की क्षमता बढ़ सके। यह भत्ता बेरोजगार व्यक्ति को ₹1,000 प्रतिमाह और 50 प्रतिशत या इससे अधिक स्थायी दिव्यांग आवेदकों को ₹1,500 प्रति माह की दर से कौशल विकास प्रशिक्षण के दौरान अधिकतम दो वर्ष तक देय है। इस वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान दिसम्बर, 2024 तक 67,886 लाभार्थियों को ₹33.16 करोड़ कौशल विकास भत्ता दिया गया। विभाग **औद्योगिक कौशल विकास भत्ता योजना, 2018** को भी लागू कर रहा है। इस योजना के तहत कौशल उन्नयन के लिए राज्य के निजी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में लगे, रोजगार प्राप्त युवाओं को औद्योगिक कौशल विकास भत्ते का प्रावधान है। इस योजना के अन्तर्गत वितरण मापदंड कौशल विकास भत्ता योजना 2013 के अनुरूप है और इस वित्तीय वर्ष में, 129 लाभार्थियों को ₹8.27 लाख वितरित किए गये।

11.3.7 बेरोजगारी भत्ता योजना

बेरोजगारी भत्ता योजना के अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए ₹38.21 करोड़ के बजट का प्रावधान रखा गया है। इस योजना के अन्तर्गत पात्र हिमाचली

बेरोज़गारों को बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान है। यह भत्ता ₹1,000 प्रतिमाह तथा 50 प्रतिशत या इससे अधिक स्थायी विकलांग आवेदकों को ₹1,500 प्रतिमाह की दर से अधिकतम 2 वर्ष तक देय है, ताकि वे एक निश्चित अवधि तक स्वयं को सक्षम बनाएं रख सकें। इस अवधि के दौरान दिसम्बर, 2024 तक 23,579 युवाओं को ₹21.58 करोड़ का लाभ दिया गया।

11.3.8 रोजगार कार्यालयों सम्बन्धी सूचना

चालू वित्त वर्ष के दौरान (दिसंबर, 2024 तक) 94,212 आवेदकों को रोजगार विनिमय योजना के तहत पंजीकृत किया गया । इनमें से 1,069 (गैर–अधिसूचित रिक्तियों सहित) नियुक्तियाँ सरकारी क्षेत्र में 545 अधिसूचित रिक्तियों के विरुद्ध और 4,370 नियुक्तियाँ निजी क्षेत्र में 11,448 अधिसूचित रिक्तियों के विरुद्ध की गईं। दिसंबर, 2024 तक सभी रोजगार कार्यालयों के सक्रिय पंजिका में कुल संख्या 6,75,671 है। अप्रैल से दिसंबर, 2024 तक (विशेष रोजगार कार्यालय सहित) रोजगार कार्यालयों द्वारा किए गए जिलेवार पंजीकरण एवं नियुक्तियां सारणी 11.2 में दर्शाई गई हैं:

सारणी 11.2

रोजगार केन्द्रों की सूचना

जिला	पंजीकरण	अधिसूचित रिक्तियां		नियोजन		सक्रिय पंजिका
		सरकारी	निजी	सरकारी	निजी	
बिलासपुर	6,671	3	2,145	82	480	45,239
चम्बा	7,434	63	1,367	10	265	52,065
हमीरपुर	6,498	0	0	114	308	49,159
कांगड़ा	20,825	0	0	512	995	1,38,191
किन्नौर	551	0	0	1	16	6,240
कुल्लू	6,675	0	276	6	86	36,879
लाहौल–स्पिति	379	0	200	0	21	4,177
मण्डी	18,128	0	0	244	591	1,35,106
शिमला	7,064	161	3,219	23	253	58,420
सिरमौर	7,145	26	3,265	0	691	50,288
सोलन	5,938	7	345	47	105	37,704
ऊना	6,095	6	631	9	559	45,538
विशेष रोजगार कार्यालय (दिव्यांगों हेतु)	809	279	0	21	0	16,665
हिमाचल प्रदेश	**94,212**	**545**	**11,448**	**1,069**	**4,370**	**6,75,671**

स्रोत : श्रम एवं रोजगार विभाग हिमाचल प्रदेश

11.4 हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम (एच.पी.के.वी.एन.)

एच.पी.के.वी.एन. राज्य सरकार का निगम है जो 14 सितम्बर, 2015 को कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत गठित किया गया। हिमाचल प्रदेश के युवाओं को कौशल विकास निगम द्वारा दो प्रमुख परियोजनाओं को लागू किया जा रहा है। जैसे कि (i) एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) द्वारा पोशित हिमाचल कौशल विकास परियोजना (एच.पी. एस.डी.पी.) (ii) राज्य कार्यन्वित प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.वी.वाई.) 4.0.

कोविड–19 महामारी के दौरान एक वर्ष से अधिक समय तक प्रशिक्षण के पूर्ण निलंबन के बावजूद, निगम द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1,18,000 से अधिक प्रशिक्षुओं को नामांकित किया गया है।

सारणी 11.3

सभी घटकों के अंतर्गत प्रशिक्षण स्थिति सारांश

नामांकन	प्रशिक्षार्थी	प्रशिक्षित	प्रमाणित
1,18,639	9,921	1,00,492	83,305

स्रोत : श्रम एवं रोजगार विभाग हिमाचल प्रदेश

11.4.1 एशियन विकास बैंक (ए.डी.बी.) की सहायता से हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना (एच.पी.एस.डी.पी.)

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना मई 2018 से लागू हुई है और जून 2025 को समाप्त हो जाएगी। इस परियोजना की कुल लागत ₹827.00 करोड़ है। जिनका विभाजन निम्नानुसार है:

i एशियन विकास बैंक का भाग : ₹661.00 करोड़

ii प्रदेश सरकार का भाग : ₹166.00 करोड़

अभी तक ₹613.00 करोड़ के अनुबंध दिये जा चुके है और एशियन विकास बैंक के शेयर में से इस परियोजना के अन्तर्गत ₹505.00 करोड़ खर्च के रूप में प्राप्त कर लिये हैं तथा ₹83.15 करोड़ प्रदेश सरकार के शेयर में से व्यय हो चुके हैं।

एच.पी.के.वी.एन. परियोजनाऐं/गतिविधियाँ

i. उत्कृष्ट केन्द्र की स्थापना (सी.ओ.ई.)

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना के अन्तर्गत, एशियन विकास बैंक की सहायता से राज्य में दीर्घकालीन कौशल विकास की आवश्यकताओं के अन्तर्गत संस्थागत ढांचा बनाने के लिए एक उत्कृष्टता केन्द्र वाकनाघाट, सोलन में सिविल कार्यों के लिए ₹84.00 करोड़ की लागत से स्थापित किया जा रहा है जिसके पूरा होने की उम्मीद जून 2025 तक है।

164 उम्मीदवारों को पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र (खाद्य उत्पादन, एफ एंड बी संचालन, होटल संचालन और प्रबंधन, फिटनेस और कल्याण) में प्रशिक्षित किया गया है। 61 उम्मीदवारों वाले पहले बैच ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, जिनमें से 39 को नौकरी मिल चुकी है। दूसरे बैच में 103 छात्र शामिल हैं और उन्होंने इंटर्नशिप की जो 31 दिसंबर, 2024 तक पूरी हो गई और 39 छात्रों को नौकरी मिल चुकी है।

ii. सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से लघु अवधि के राष्ट्रीय कौशल योग्यता प्रशिक्षण कोर्स

एच.पी.के.वी.एन. द्वारा हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में लघु अवधि और बहु कौशल प्रशिक्षण का आयोजन किया है और 21,000 से अधिक छात्रों को नामांकित किया गया है और 13,000 से अधिक को ऑटोमोटिव, निर्माण, प्लंबिंग, आई.टी.–आई.टी.ई.एस, पूंजीगत सामान, परिधान मेड–अप, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में 21,236 के प्रशिक्षण लक्ष्य के सापेक्ष प्रमाणित किया गया।

iii. स्नातक युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

28 सरकारी डिग्री कॉलेजों के स्नातक के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के रोजगार की सम्भावना को बढ़ाने की दृष्टि से एच.पी.के.वी.एन. द्वारा विभिन्न कार्यक्षेत्रों जैसे 1) बी.एफ.एस.आई. (बैंकिंग वित्त प्रतिभूति और बीमा), 2) आई.टी–आई.टी.ई.एस., 3) परिधान और मेड–अप, 4) आतिथ्य और पर्यटन, और 5) मीडिया और मनोरंजन में राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा के अनुरूप ग्रेजुएट एड ओन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया हैं जो कि उनके मूल अध्ययन का पूरक होगा। इसके अन्तर्गत 7,500 निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 6,868 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

iv. राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे (एन.एस.क्यू.एफ.) के अनुरूप पूर्व शिक्षा मान्यता प्राप्त (आर.पी.एल.) प्रशिक्षण

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना के पूर्व शिक्षण की मान्यता (आर.पी.एल.) घटक के तहत 10,622 उम्मीदवारों को नामांकित किया गया है और 8,181 उम्मीदवारों को प्रमाणित किया गया है।

v. प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं के माध्यम से अन्य लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम

हिमाचली युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों/नौकरी भूमिकाओं में उद्योग प्रासंगिक कौशल में अल्पकालिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है और वर्तमान में 4,832 से अधिक उम्मीदवारों को प्रमाणित किया गया है।

vi. वोकेशन डिग्री कार्यक्रम में स्नातक शिक्षा (बी.वोक.)

कार्यक्रम एच.पी.के.वी.एन. और उच्च शिक्षा विभाग (डी.ओ.एच.ई.) के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। यह तीन वर्षीय पूर्णकालिक डिग्री कार्यक्रम एच.पी.एस. डी.पी. के राज्य घटक के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है। बी.वोक. कार्यक्रम शुरू में शैक्षणिक सत्र 2017–18 से शुरू होकर दो क्षेत्रों, खुदरा प्रबंधन और पर्यटन और आतिथ्य में 12 कॉलेजों में शुरू किया गया था। 2021–22 शैक्षणिक सत्र में इसे 6 कॉलेजों में और 2023–24 शैक्षणिक सत्र में 2 अतिरिक्त कॉलेजों में विस्तारित किया गया। वर्तमान में, 2,880 के लक्ष्य के विरुद्ध 5,755 उम्मीदवारों का नामांकन किया गया है, और 2,053 उम्मीदवारों को प्रमाणित किया गया है।

vii. दिव्यांग व्यक्तियों की आजीविका आधारित कौशल प्रशिक्षण

विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवारों के लिए आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए, 403 उम्मीदवारों को खुदरा और पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्रों में एच.पी.के.वी.एन. द्वारा प्रमाणित किया गया है।

viii 64 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, महिला पोलिटैक्निक, (रैहन, जिला कांगडा) तथा राजकीय अभियांत्रिक महाविद्यालयों के औजारों एवं उपकरणों का उन्नयन

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना (एच.पी.एस.डी.पी.) ने 64 आई.टी.आई. के उन्नयन में सहायता की है, जिसमें 29 ट्रेडों को ₹81.00 करोड़ के वित्त पोषण प्रावधानों के साथ एस.सी.वी.टी. से एन.सी.वी.टी. स्तर में परिवर्तित/स्तरोन्नत किया गया था। इसमें महिला पॉलिटेक्निक रैहन और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों के उपकरण शामिल हैं। उपरोक्त सभी तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन हेतु खरीद पूरी हो चुकी है।

ix शहरी आजीविका केन्द्र (सी.एल.सी.), ग्रामीण आजीविका केन्द्र (आर.एल.सी.), मॉडल कैरियर केन्द्र (एम.सी.सी.) और अन्य सम्बन्धित श्रेणी की संरचना

राज्य भर में कौशल विकास गतिविधियों के लिए संस्थागत सहायता प्रदान करने के लिए 6 सी.एल.सी, 7 आर.एल.सी. और 10 एम.सी.सी. का निर्माण ₹153.00 करोड़ के बजटीय प्रावधान के साथ किया जा रहा है।

11.4.2 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.वी.वाई.)

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2 अक्टूबर 2016 को शुरू की गई थी। एच.पी.के.वी.एन, पी.एम.के.वी.वाई. 2.0 (2016–20) और 3.0 (2020–21) के राज्य घटक के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। उक्त अध्यादेश को पूरा करने के लिए, एच.पी.के.वी.एन. ने वित्तीय वर्ष

2018–19 से 22 क्षेत्रों में विभिन्न नौकरी भूमिकाओं में 16,500 से अधिक युवाओं को पी.एम. के.वी.वाई. 2.0 के तहत नामांकित किया है। पी.एम.के.वी.वाई. 3.0 को दिसंबर 2020 में लॉन्च किया गया था और वित्तीय वर्ष के दौरान प्रशिक्षण शुरू हो गया है। पी.एम.के.वी.वाई. 3.0 के तहत सभी प्रशिक्षण आयोजित किए गए, जिसमें नामांकन 501 उम्मीदवारों का था, और 394 को अल्पकालिक प्रशिक्षण के तहत प्रमाणित किया गया था। आर.पी.एल. में के अन्तर्गत कुल 1235 अभ्यर्थियों को प्रमाणित किया गया। पी.एम.के.वी.वाई. 4.0 भी लॉन्च किया गया है और 5000 के प्रारंभिक लक्ष्य के मुकाबले 3000 से अधिक उम्मीदवारों का नामांकन किया गया है। शेष सीटों के लिए नामांकन जारी है। इसके अलावा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से 10,000 का अतिरिक्त लक्ष्य प्राप्त हुआ है।

11.4.3 आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता (एस.ए.एन.के.ए.एल.पी.)

एच.पी.के.वी.एन.राज्य भर में संस्थागत तंत्र और कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए ₹2.10 करोड़ की स्वीकृत धनराशि के साथ विश्व बैंक सहायता प्राप्त संकल्प को लागू कर रहा है और उक्त परियोजना मार्च 2025 तक बंद होने वाली है।

11.4.4 प्रतिष्ठित सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समझौते

उच्च श्रेणी के प्रशिक्षणों को ध्यान में रखते हुए एच.पी.के.वी.एन. ने सरकारी संस्थाओं और सार्वजनिक विश्वविद्यालयों जैसे राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सीडैक, होटल प्रबन्धन संस्थान, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण और संबद्ध खेलों का संस्थान, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, भारतीय अधिकृत लेखापाल संस्थान, उद्यान एवं वाणिकी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान और राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के साथ उद्योग संचालित नौकरी भूमिकाओं में लगभग 15,206 हिमाचली युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उक्त प्रशिक्षण के अंतर्गत वर्तमान में 17,817 से अधिक प्रशिक्षुओं को नामांकित किया गया है और 14,786 को प्रमाणित किया जा चुका है।

11.4.5 अंग्रेजी, रोजगार और उद्यमिता (ई.ई.ई.) प्रशिक्षण

एच.पी.के.वी.एन. ने उच्च शिक्षा निदेशालय (डी.ओ.एच.ई.) के सहयोग से शैक्षणिक सत्र 2022–23 के दौरान हिमाचल प्रदेश के कुल 56 सरकारी डिग्री कॉलेजों में अंग्रेजी, रोजगार और उद्यमिता (ई.ई.ई.) कार्यक्रम शुरू किया। इसका उद्देश्य सरकारी डिग्री कॉलेजों के अंतिम वर्ष के 5,000 स्नातक छात्रों को अंग्रेजी भाषा बोलने, रोजगार योग्यता और उद्यमशीलता कौशल के विकास को सुविधाजनक बनाना है। इसके बाद, समझौता ज्ञापन

(एम.ओ.यू.) का विस्तार किया गया और 5,000 छात्रों का अतिरिक्त लक्ष्य आवंटित किया गया। वर्तमान में, 5,680 छात्रों को प्रमाणित किया गया है।

11.4.6 फ्लेक्सी समझौता ज्ञापन योजना (फ्लेक्सी–एम.ओ.यू.)

फ्लेक्सी–एम.ओ.यू. एक अनूठी पहल है जिसमें 70 प्रतिशत प्रमाणित उम्मीदवारों की प्लेसमेंट सुनिश्चित करना है इस पहल के अन्तर्गत, कुल 522 युवाओं के प्रमाणीकरण के सापेक्ष 408 उम्मीदवारों को सफलतापूर्वक नौकरी मिल चुकी है।

11.4.7 ड्रोन सेवा तकनीशियन प्रशिक्षण के लिए सरकारी औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थानों (आई.टी.आई.) के साथ समझौता ज्ञापन

उद्योग 4.0 पाठ्यक्रमों की शुरूआत के मद्देनजर, एन.एस.क्यू.एफ. संरेखित अल्पकालिक प्रशिक्षण के अन्तर्गत, 249 उम्मीदवारों को 11 आई.टी.आई. में ड्रोन सेवा तकनीशियन नौकरी भूमिका में नामांकित किया गया है।

11.4.8 21 सेक्टर कौशल परिषदों के साथ समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.)

एच.पी.के.वी.एन. ने उद्योग 4.0 के लिए युवाओं को भविष्य के कौशल में प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एच.पी.एस.डी.पी. के अन्तर्गत 21 सेक्टर कौशल परिषदों (एस.एस.सी.) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आवंटित लक्ष्य 10,880 के सापेक्ष 9,013 छात्रों का नामांकन हो चुका है, 6,823 का प्रमाणीकरण हो चुका है तथा शेष अभ्यर्थियों का परिणाम प्रतीक्षित है।

11.5 हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (बी.ओ.सी.डब्ल्यू.) कल्याण बोर्ड

हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड 2 मार्च, 2009 को अस्तित्व में आया। एच.पी.बी.ओ.सी.डब्ल्यू. कल्याण बोर्ड राज्य भर में भवन और अन्य निर्माण कार्यों में लगे सभी पंजीकृत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वित्तीय लाभ देने के मुख्य उद्देश्य के साथ काम कर रहा है।

कल्याण बोर्ड में पंजीकरण के लिए, प्रत्येक भवन निर्माण श्रमिक जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, लेकिन 60 वर्ष पूरे नहीं किए हैं, किसी अन्य कल्याण निधि में सदस्य नहीं है और जिसने एक वर्ष में भवन निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिनों का रोजगार पूरा कर लिया है, वह निधि में सदस्यता के लिए पात्र है।

बोर्ड विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चला रहा है जैसे विवाह सहायता योजना, मातृत्व–पितृत्व सहायता योजना, शिक्षा सहायता योजना, चिकित्सा सहायता योजना, पेंशन सहायता योजना, विकलांगता पेंशन सहायता योजना, मृत्यु–अंत्येष्टि सहायता योजना, कन्या

शिशु जन्म उपहार योजना, विकलांग बच्चों के लिए लाभ योजना, विधवा पेंशन, बोर्ड के पंजीकृत श्रमिकों के कल्याण के लिए निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए छात्रावास सुविधा योजना।

बोर्ड ने स्थापना के बाद से नवम्बर, 2024 तक 4,57,964 श्रमिकों को पंजीकृत किया है और 7,049 लाभार्थियों को ₹26.69 करोड़ का वित्तीय लाभ वितरित किया गया है। वर्ष 2024–25 में दिसम्बर, 2024 तक विभिन्न प्रतिष्ठानों से ₹103.53 करोड़ की राशि का श्रम उपकर संग्रहित किया गया। बोर्ड ने अपनी स्थापना के बाद से 5,58,904 लाभार्थियों को विभिन्न कल्याण योजनाओं पर ₹500.40 करोड़ की राशि का लाभ वितरित किया है। कल्याण बोर्ड ने अपने लाभार्थियों के ई–के.वाई.सी. में तेजी लाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी और शासन विभाग के माध्यम से एक मोबाइल ऐप विकसित किया है और इसका उपयोग बोर्ड के लाभार्थियों के नए पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए जिला श्रम कल्याण अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है।

बोर्ड कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार–प्रसार के लिए राज्य भर में श्रम कल्याण अधिकारियों के माध्यम से जागरूकता शिविर आयोजित कर रहा है।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में कल्याण बोर्ड में पंजीकृत महिला श्रमिकों के लिए नई योजना "मुख्यमंत्री विधवा/एकल/निराश्रित/दिव्यांग महिला आवास योजना" को मंजूरी दी है। इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत महिला श्रमिकों को घर बनाने के लिए ₹3.00 लाख की सहायता प्रदान की जाएगी, जिनकी वार्षिक आय ₹2.50 लाख से कम है।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने रोजगार और कौशल विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है। पी.एल.एफ.एस. 2023–24 के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में विशेष रूप से महिलाओं में, श्रम बल भागीदारी दर और श्रमिक जनसंख्या अनुपात अधिक है। राज्य ने हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी पहलों के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण में सुधार पर भी ध्यान केंद्रित किया है। कुल 1.18 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं के नामांकन के साथ, इन कार्यक्रमों का उद्देश्य रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त, रोजगार कार्यालयों के नेटवर्क, कौशल विकास भत्ते और रोजगार मेलों के माध्यम से रोजगार सहायता प्रदान की जाती है। हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत 5.5 लाख से अधिक लाभार्थियों को सहायता प्रदान की है। राज्य ने रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए विशेषकर उपेक्षित समूहों को कौशल विकास के बुनियादी ढांचे में निरन्तर निवेश कर रही है।

******

अध्याय
12



पर्यटन, सड़क एवं परिवहन


EXIT
हिमाचल पथ परिवहन निगम
HRTC
SBI
8174
VALID THRU
RuPay
PREPAID
National Common Mobility Card



मुख्य बिन्दु

- हिमाचल प्रदेश उत्तरी भारत का एक सुरम्य राज्य है जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। दिसम्बर, 2024 तक राज्य ने लगभग 181.24 लाख पर्यटकों को आकर्षित किया, जिनमें से 180.41 लाख भारतीय और 0.83 लाख विदेशी थे।
- हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एच.पी.टी.डी.सी.) ने नवंबर, 2024 तक ₹74.21 करोड़ की आय अर्जित की है और दिसंबर, 2024 से मार्च, 2025 की अवधि के लिए अनुमानित आय ₹34.90 करोड़ है, जबकि वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष) 2024–25 के लिए ₹115.00 करोड़ का लक्ष्य है।
- प्रसाद योजना के अन्तर्गत मां ''चिंतपूर्णी मंदिर'', अंब, जिला ऊना के विकास के लिए ₹57.57 करोड़ के बजट प्रावधान के साथ संशोधित ड़ी.पी.आर. पर कार्य चल रहा है।
- राज्य में 23,91,265 (परिवहन एवं गैर परिवहन) वाहन पंजीकृत हैं।
- राज्य में 31 दिसंबर, 2024 तक परिवहन विभाग का राजस्व संग्रह ₹656.80 करोड़ है।
- इच्छुक उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, परिवहन विभाग ने 322 प्रदूषण जांच केंद्रों (पी.सी.सी.) सहित राज्य में 408 ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों (डीटीएस) को लाइसेंस दिए हैं।
- परिवहन विभाग ने बेरोजगार युवाओं को विभिन्न श्रेणियों के परमिट प्रदान करके 31 दिसम्बर, 2024 तक 46,805 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है।
- हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने विभिन्न हितधारकों के सहयोग से राज्य भर में ''इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन'' के लिए 100 स्थानों (पहले चरण में, 46 सरकारी साइटें, 54 पेट्रोल पंप) की पहचान की है। और चालू वित वर्ष, 2024–25 में 43 अतिरिक्त पेट्रोल पंप की पहचान की है।

12.1 परिचय

हिमाचल प्रदेश दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। हिमाचल प्रदेश अपने हिमालयी परिदृश्य और लोकप्रिय हिल स्टेशनों के लिए प्रसिद्ध है। रॉक क्लाइम्बिंग, माउंटेन बाइकिंग, पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग, राफ्टिंग, आइस स्केटिंग और हेली–स्कीइंग जैसी कई बाहरी गतिविधियाँ हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण हैं। हिमाचल प्रदेश पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है, जो राज्य की आय में बड़ा हिस्सा योगदान दे रहा है। पर्यटन में इस उछाल ने हिमाचल प्रदेश में होटलों और रेस्तरा की संख्या में वृद्धि की है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है।

राज्य अपने बर्फ से ढके पहाड़ों, हरी–भरी घाटियों, प्राचीन नदियों और साहसिक खेलों के लिए जाना जाता है, जो इसे प्रकृति प्रेमियों और रोमांच चाहने वालों के लिए एक स्वर्ग बनाता है। प्रमुख आकर्षणों में शिमला ''पहाड़ों की रानी'' मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, स्पीति घाटी और महान हिमालयन नेशनल पार्क, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल शामिल हैं।

हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था स्थायी पर्यटन प्रथाओं द्वारा समर्थित है, जो न केवल स्थानीय आबादी के लिए रोजगार के अवसर पैदा करती है, बल्कि इसकी प्राकृतिक और सांस्कृतिक संपत्तियों के संरक्षण को भी बढ़ावा देती है। पारिस्थितिकी पर्यटन, साहसिक पर्यटन और कल्याण पर्यटन सतत विकास के लिए प्रमुख फोकस क्षेत्र हैं।

राज्य में तीर्थ स्थलों और पुरातात्विक महत्व वाले स्थानों का एक समृद्ध धरोहर है। वर्तमान में, विभाग के पास लगभग 1,38,136 बिस्तर क्षमता वाले 4,938 होटल पंजीकृत हैं, इसके अलावा, राज्य में लगभग 4,905 होम स्टे इकाइयाँ पंजीकृत हैं, जिनमें लगभग 30,881 बिस्तर हैं। यह अध्याय राज्य के पर्यटन क्षेत्र से प्राप्त वृद्धि को दर्शाता है, साथ ही पर्यटन और परिवहन क्षेत्रों के योगदान पर ध्यान केन्द्रित करता है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यटन के नवीनतम विश्व पर्यटन बैरोमीटर के अनुसार, 2024 में अनुमानित 1.4 बिलियन पर्यटकों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यात्रा की, जो महामारी से पूर्व स्तर 99 प्रतिशत तक पहुंचने का संकेत देता है। यह 2023 की तुलना में 11 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

दुनिया के शीर्ष पांच पर्यटन आय वालों में, यूनाइटेड किंगडम (+40 प्रतिशत), स्पेन (+36 प्रतिशत), फ्रांस (+27 प्रतिशत), और इटली (+23 प्रतिशत) में 2019 की तुलना में 2024 के पहले नौ से ग्यारह महीनों में मजबूत वृद्धि देखी गई। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यय के आंकडे समान प्रवृत्ति को दर्शाते है, जिसमें विशेष रूप से जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम (2019 की तुलना में दोनों +36 प्रतिशत) संयुक्त राज्य अमेरिका (+34 प्रतिशत), इटली (+25 प्रतिशत) और फ्रांस (+11 प्रतिशत) शामिल है। वर्ष 2023 में असाधारण वृद्धि के बाद, 2024 की पहली छमाही में भारत का व्यय अधिक रहा (2019 के स्तर से +81 प्रतिशत अधिक)।

अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन 2024 में महामारी–पूर्व स्तर पर पहुंच जाएगा

- अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन 2024 में लगभग महामारी पूर्व स्तर (99 प्रतिशत) पर पहुंच जाएगा, जिसमें अधिकांश गंतव्यों पर 2019 की संख्या से अधिक संख्या होगी।
- 2024 में कोविड–19 महामारी के फैलने के चार साल बाद, अब तक के सबसे खराब संकट से अंतरराष्ट्रीय सुदृढ़ीकरण का प्रतीक है।
- वर्ष 2024 में दुनिया भर में अनुमानित 1.4 बिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का आगमन (रात में ठहरने वाले पर्यटक) दर्ज किया गया जोकि 2023 की तुलना में 11 प्रतिशत की वृद्धि या 140 मिलियन से अधिक पर्यटको का आगमन दर्शाता है।
- यह परिणाम, महामारी के बाद की मजबूत मांग, वैश्विक स्तर पर बड़े स्रोत बाजारों के मजबूत प्रदर्शन के साथ–साथ एशिया और प्रशांत क्षेत्र में गंतव्यों की चल रही रिकवरी से प्रेरित थे।
- 2019 की तुलना में मध्य पूर्व सबसे मजबूत प्रदर्शन करने वाला क्षेत्र बना रहा, 2024 में अंतरराष्ट्रीय आगमन पूर्व–महामारी के स्तर से 32 प्रतिशत ऊपर पहुंच गया, हालांकि 2023 की तुलना में 1 प्रतिशत ही अधिक था।
- यूरोप में 2019 की तुलना में 1 प्रतिशत और 2023 की तुलना में 5 प्रतिशत अधिक आगमन हुआ, जबकि अफ्रीका में 2019 की तुलना में 7 प्रतिशत और 2023 की तुलना में 12 प्रतिशत अधिक की वृद्धि देखी गई।
- अमेरिका ने अपने महामारी–पूर्व आगमन का 97 प्रतिशत, और एशिया और प्रशांत क्षेत्र ने 87 प्रतिशत पुनर्प्राप्त किया।
- उप क्षेत्रों में उत्तरी अफ्रीका (+22 प्रतिशत) और मध्य अमेरिका (+17 प्रतिशत) में 2019 की तुलना में 2024 में सबसे मजबूत प्रदर्शन देखा गया।
- पर्यटन (यात्री परिवहन सहित) से कुल निर्यात राजस्व 2024 में रिकॉर्ड 1.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, जो महामारी से पहले की तुलना में लगभग 3 प्रतिशत अधिक और 2019 (वास्तविक तौर पर) की तुलना में 4 प्रतिशत अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन निर्यात पहले ही 2023 में महामारी–पूर्व स्तर पर पहुंच चुका था।
- प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, 2024 की तुलना में 2025 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन 3 से 5 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है।
- इस क्षेत्र के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण नवीनतम संयुक्त राष्ट्र पर्यटन विश्वास सूचकांक में परिलक्षित होता है, जिसमें 2025 के लिए 130 का स्कोर है (0 से 200 के पैमाने पर आधारित, जहां 100 समान प्रदर्शन के बराबर है)।
- संयुक्त राष्ट्र पर्यटन पैनल के लगभग 64 प्रतिशत विशेषज्ञ 2024 की तुलना में 2025 के लिए 'बेहतर' या 'बहुत बेहतर' संभावनाओं का संकेत देते हैं।
- आर्थिक और भू–राजनीतिक चुनौतियाँ आत्मविश्वास के स्तर के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा कर रही हैं।

स्रोतः विश्व पर्यटन संगठन (यू.एन.डब्ल्यू.टी.ओ.) संयुक्त राष्ट्र पर्यटन बैरोमीटर 20, जनवरी, 2025।

12.2 हिमाचल में पर्यटन–आर्थिक विकास के लिए एक अभिन्न चालक

पर्यटन सबसे बड़े आर्थिक क्षेत्रों में से एक है जो रोजगार पैदा करता है, निर्यात बढ़ाता है और समृद्धि पैदा करता है। इसमें स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान देने की भी प्रमुख क्षमता है। परिदृश्य, व्यंजन, विरासत, रोमांच, वन्य जीवन और संस्कृति में विविधता वाला हिमाचल हाल के वर्षों में विदेशी और घरेलू दोनों यात्रियों के लिए एक प्रसिद्ध गंतव्य के रूप में उभरा है।

हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) में पर्यटन उद्योग का योगदान 7.78 प्रतिशत है। यह आतिथ्य, परिवहन, हस्तशिल्प और अन्य संबद्ध उद्योगों से जुड़ी गतिविधियों से प्रेरित है।

12.2.1 पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र

पर्यटकों का आगमन किसी विशेष गंतव्य में पर्यटन की मांग के मुख्य संकेतकों में से एक है। सारणी 12.1 हिमाचल प्रदेश में 2012 से 2024 तक विदेशी और घरेलू पर्यटकों के आगमन पर डेटा प्रस्तुत करती है। COVID-19 महामारी के बाद, घरेलू पर्यटकों का आगमन 2020 में 32.13 लाख से बढ़कर 2021 में 56.37 लाख, 2022 में 150.99 लाख और 2023 में 160.05 लाख से बढ़कर 2024 में पूर्ण रूप से 181.24 हो गया है। इससे पता चलता है कि पर्यटकों का आगमन महामारी–पूर्व स्तर पर पहुंच रहा है। हमारे नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को देखते हुए, समय की मांग यह सुनिश्चित करना है कि यह विकास निरंतर जारी रहे।

सारणी: 12.1

पर्यटकों का आगमन लाख में

वर्ष	भारतीय	विदेशी	कुल
2012	156.46	5.00	161.46
2013	147.16	4.14	151.30
2014	159.25	3.90	163.15
2015	171.25	4.06	175.31
2016	179.98	4.53	184.51
2017	191.31	4.71	196.09
2018	160.94	3.56	164.50
2019	168.29	3.83	172.12
2020	31.70	0.43	32.13
2021	56.32	0.05	56.37
2022	150.70	0.29	150.99
2023	159.42	0.63	160.05
2024 (दिसंबर 2024 तक)	180.41	0.83	181.24

स्रोत: पर्यटन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार।

चित्र 12.1 दर्शाता है कि लॉकडाउन 2020 (–81.33 प्रतिशत) के बाद पर्यटकों की आमद में भारी सुधार हुआ।

चित्र 12.1

पर्यटक अंतर्वाह की वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि दर

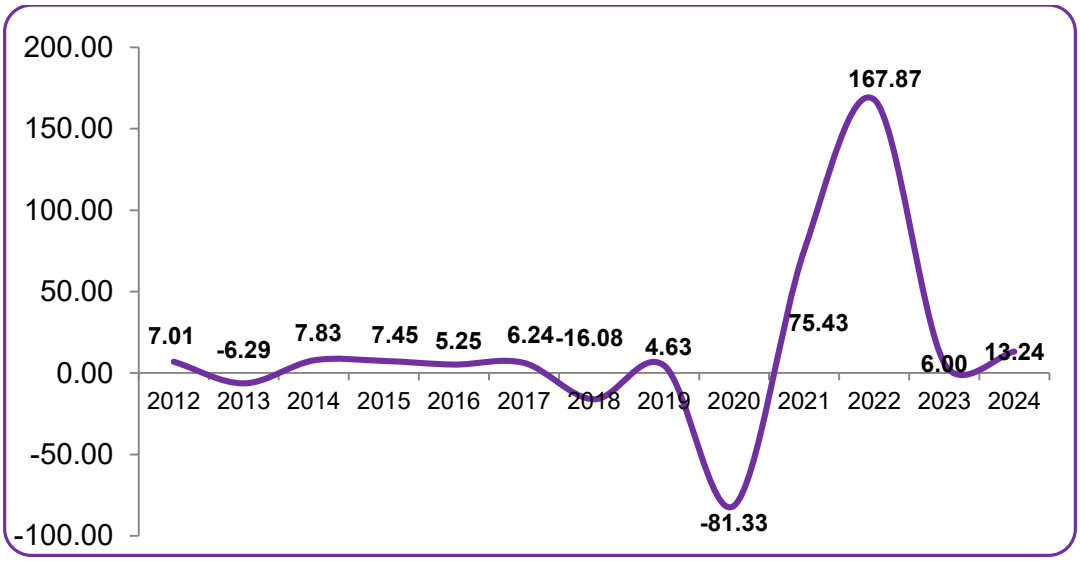

टिप्पणी: इन आंकड़ों का डेटा कैलेंडर वर्ष से संबंधित है।

स्रोत: पर्यटन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार।

चित्र 12.2

सकल राज्य मुल्य वर्धित (जी.एस.वी.ए.) में ट्रेड, होटल और रेस्तरां का योगदान प्रतिशत में

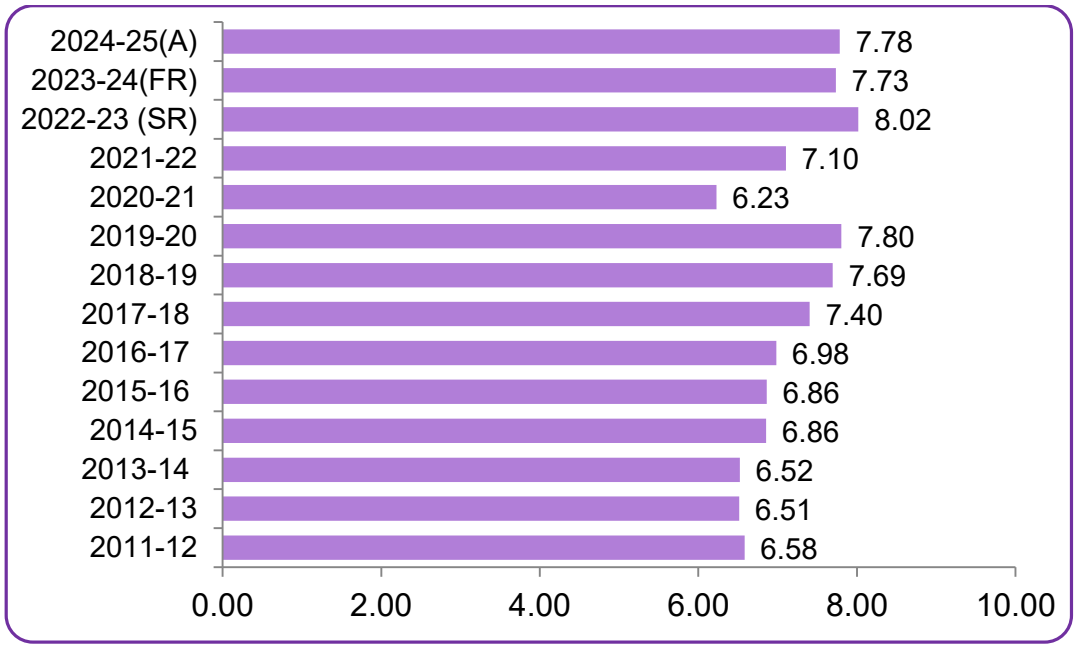

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार।

12.3 पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने की पहल

पर्यटन अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है, इसलिए हिमाचल प्रदेश और भारत सरकार द्वारा विभिन्न विकास पहल की गई हैं।

12.3.1 एशियाई विकास बैंक (एडीबी)

भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग, (डी.इ.ए.) ने 30 नवंबर, 2021 को हिमाचल प्रदेश के लिए एक ए.डी.बी. परियोजना एक नई परियोजना–2 को मंजूरी दी है। परियोजना की कुल लागत यू.एस. $291.04 मिलियन (₹2415.63 करोड़) है। इसमें से ए.डी. बी. का हिस्सा यू.एस.$233 मिलियन (₹1933.90 करोड़) और राज्य का हिस्सा यू.एस. $58. 04 मिलियन (₹481.73 करोड़) है। परियोजना को दो चरणों में क्रियान्वित किया जाएगा। ए. डी.बी. और राज्य का हिस्सा क्रमशः 80:20 के अनुपात में है।

विभाग ने भाग–1 (सिविल उप–परियोजनाएं, सॉफ्ट कंपोनेंट और सामान एवं उपकरण) के तहत स्वीकृत उप–परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट(डी.पी.आर.एस.) तैयार कर ली है। नई ए.डी.बी. परियोजना के भाग–1 के तहत प्रस्तावित उप–परियोजनाएं 05 जिलों जैसे शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा और हमीरपुर में क्रियान्वित की जाएंगी। इसके साथ ही, भाग –2 उप–परियोजनाओं की सूची तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी।

12.3.2 स्वदेश दर्शन योजना 2.0

भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने देश में सतत पर्यटन स्थलों को विकसित करने के उद्देश्य से अपनी ''स्वदेश दर्शन योजना'' को स्वदेश दर्शन 2.0 के रूप में नया रूप दिया है। स्वदेश दर्शन 2.0 के अन्तर्गत पौंग बांध को पर्यटन स्थल के रूप में चुना गया है। जिला प्रशासन और वन विभाग के साथ विस्तृत विचार–विमर्श और परामर्श के बाद नगरोटा सूरियां के लिए मास्टर प्लान इटरेशन–1 को प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स (पी.डी.एम.सी.) (वॉयंट्स सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा तैयार किया गया है और इसे मंजूरी भी मिल गई है।

12.3.3 चुनौती आधारित गंतव्य

पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत एक उप–परियोजना ''चुनौती आधारित गंतव्य विकास'' शुरू की है और इसके लिए दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं। तदनुसार, पर्यटन विभाग और नागरिक उड्डयन, हिमाचल प्रदेश ने चुनौती आधारित गंतव्य विकास योजना के तहत विकास के लिए पाँच गंतव्यों की पहचान की है और 10 जनवरी, 2024

को पर्यटन मंत्रालय, (एम.ओ.टी.), भारत सरकार को निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं:

- चंदर ताल, जिला लाहौल–स्पीति, हिमाचल प्रदेश
- काजा, जिला लाहौल–स्पीति, हिमाचल प्रदेश
- तांदी, जिला लाहौल–स्पीति, हिमाचल प्रदेश
- रकछम, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
- नाको–चांगो–खाब, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

पर्यटन मंत्रालय ने उप–योजना के अन्तर्गत दो गंतव्यों अर्थात काजा (संस्कृति एवं विरासत) और रक्छम छितकुल (वाइब्रैंट गांव कार्यक्रम) के चयन की सूचना दी है। राज्य सरकार ने इन गंतव्यों के लिए गंतव्य प्रबंधन संगठन (डी.एम.ओ.) को अधिसूचित किया है।

12.3.4 तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (प्रसाद) योजना

विभाग ने उक्त परियोजना की डी.पी.आर. 30 दिसंबर, 2023 को भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय, को भेज दी है, जिसमें पहले चरण में ₹24.55 करोड़ मंजूर करने के राज्य के प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध किया गया है। भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय, ने दिनांक 7 मार्च, 2024 को प्रसाद योजना के अन्तर्गत लगभग ₹24.55 करोड़ की परियोजना "माँ चिंतपूर्णी मंदिर का विकास" अम्ब, जिला, ऊना का शुभारंभ किया है। डी.पी.आर. पर पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई टिप्पणियों के कारण, विभाग ने 16 दिसंबर, 2024 को डी.पी.आर. को संशोधित करके ₹57.57 करोड़ कर दिया है।

12.3.5 नागरिक उड्डयन

राज्य सरकार के पास 3 हवाई अड्डे हैं जैसे जुब्बरहट्टी (जिला, शिमला), गग्गल (जिला, कांगड़ा), भुंतर (जिला, कुल्लू)। छोटे रनवे के कारण, इन हवाई अड्डों से ए–320 जैसे बड़े विमान संचालित नहीं किए जा सकते। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) के विभिन्न अध्ययनों के अनुसार, जुब्बरहट्टी और भुंतर में रनवे का विस्तार संभव नहीं है। इसलिए, कांगड़ा हवाई अड्डा विस्तार के लिए अंतिम विकल्प है जिसके लिए राज्य सरकार आवश्यक कदम उठा रही है।

शिमला से धर्मशाला के बीच उड़ान संचालन एलायंस एयर एविएशन (ए.ए.ए.) के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, जिसके लिए व्यवहार्यता अंतर निधि (वी.जी.एफ.) राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है। क्षेत्रीय संपर्क योजना (आर.सी.एस.) उड़ान योजना के अन्तर्गत दिल्ली–शिमला–दिल्ली, अमृतसर–शिमला–अमृतसर, अमृतसर–कुल्लू–अमृतसर और देहरादून– कुल्लू–देहरादून के बीच उड़ान संचालन भी एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड द्वारा संचालित किया जा रहा है।

12.3.6 कांगड़ा (गग्गल) हवाई अड्डे का विस्तार

राज्य सरकार कांगड़ा हवाई अड्डे की वर्तमान रनवे लंबाई 1376 x 30 मीटर से बढ़ाकर 3278 x 45 मीटर करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, ताकि भारतीय विमान प्राधिकरण (ए.ए.आई.) से प्राप्त मास्टर प्लान के अनुसार कांगड़ा हवाई अड्डे पर बड़े विमान उतारे जा सकें। कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 147–75–87 हेक्टेयर भूमि (जिसमें से 122–66–23 हेक्टेयर भूमि निजी भूमि है) की पहचान की गई है। प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के लिए, एस.आर. एशिया नामक एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एस.आई.ए.) द्वारा किया गया था। विस्तृत विचार–विमर्श के बाद मंत्रिमंडल द्वारा इसकी मूल्यांकन रिपोर्ट को मंजूरी दी गई। इसके बाद सरकार ने 12 मार्च, 2024 को कांगड़ा हवाई अड्डे के प्रस्तावित विस्तार से प्रभावित होने वाले परिवारों के लिए ₹3349.00 करोड़ की पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना को मंजूरी दी है।

तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टी.ई.एफ.आर.) का मसौदा वाटर एण्ड़ पावर कन्सल्टेंन्सी (डब्लयू.ए.पी.सी.ओ.एस.) के माध्यम से तैयार किया गया है, जिसमें पूंजीगत खर्च का अनुमान ₹4064.27 करोड़ (कर सहित) लगाया गया है। टी.ई.एफ.आर. को मंजूरी के लिए भारतीय विमान प्राधिकरण (ए.ए.आई.) को भेजा गया है। 31 दिसंबर, 2024 तक, भूमि अधिग्रहण कलेक्टर गग्गल एयरपोर्ट–सह–एसडीएम–कांगड़ा ने पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे के अधिकार की धारा 23 के अन्तर्गत ₹489.10 करोड़ का प्रस्ताव पारित किया है और आगे प्रतिकर के लिए जिला पर्यटन विकास अधिकारी (डी. टी.डी.ओ.) कांगड़ा को आबंटित कर दी गई है।

12.3.7 हिमाचल प्रदेश में हेलीपोर्ट

राज्य सरकार ने प्रत्येक जिला मुख्यालय में हेलीपोर्ट विकसित करके तथा राज्य में महत्वपूर्ण जनजातीय स्थानों को कनेक्टिविटी प्रदान करके हवाई संपर्क के विस्तार के लिए एक बड़ी पहल की है। सरकार राज्य में 15 नए हेलीपोर्ट विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले चरण में नौ हेलीपोर्ट विकसित किए जा रहे हैं, अर्थात रक्कड़ और पालमपुर (जिला कांगड़ा), सुल्तानपुर (जिला चंबा), आलू ग्राउंड मनाली (जिला कुल्लू), जसकोट (जिला हमीरपुर), शारबो (जिला किन्नौर), जिस्पा, सिस्सू और रंगरिक (जिला लाहौल और स्पीति) में और दूसरे चरण के लिए धारकियारी (नाहन), बिलासपुर (स्थल की पहचान की जा रही है), बसाल (जिला सोलन), जनकौरहार (जिला ऊना), होली और पांगी (जिला चंबा) 6 हेलीपोर्ट शामिल हैं।

सारणी 12.2

जिलों और संभावित क्षेत्रों का थीम–वार प्रदर्शन

क्र.सं.	थीम	वर्तमान में अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिले	संभावित जिले
1	पारिस्थितिकी पर्यटन	लाहौल–स्पीति	किन्नौर, कांगड़ा, चंबा, मंडी(जंजैहली, बरोट घाटी), कुल्लू, शिमला (चांसल)
2	कृषि/जैविक पर्यटन	चम्बा, शिमला, किन्नौर	सिरमौर (राजगढ़), मंडी (करसोग घाटी), बिलासपुर (घुमारवीं), लाहौल–स्पीति (स्पीति), चंबा और कुल्लू
3	हिम पर्यटन	कुल्लू	शिमला (नारकंडा और चांशल), किन्नौर, लाहौल–स्पीति, चंबा
4	झील पर्यटन	लाहौल–स्पीति, कांगड़ा	चंबा, मंडी, बिलासपुर, ऊना
5	साहसिक काम	कुल्लू, चम्बा. लाहौल–स्पीति	किन्नौर, मंडी, सिरमौर, कांगड़ा और शिमला
6	तीर्थ यात्रा	हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में धार्मिक सर्किट के माध्यम से प्रचार और विपणन	
7	सांस्कृतिक विरासत	कुल्लू, शिमला, कांगड़ा लाहौल स्पीति	चम्बा, सिरमौर (नाहन), किन्नौर, मंडी और हमीरपुर
8	स्वास्थ्य और कल्याण	कांगड़ा	सोलन (चायल), कुल्लू, किन्नौर, लाहौल–स्पीति, मंडी
9	फ़िल्म पर्यटन	शिमला, कुल्लू	लाहौल–स्पीति, कांगड़ा (पालमपुर), कुल्लू (मनाली), चंबा (प्रियंगल), शिमला (फागू)
10	बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियाँ (एम. आई.सी.ई.) पर्यटन	शिमला, सोलन, कांगड़ा	सोलन, कांगड़ा, कुल्लू और सिरमौर

सारणी 12.3

दिसंबर, 2024 तक होटल, गेस्ट हाऊस, रेस्तरां, होम स्टे, ट्रैवल एजेंसी, गाईड, फोटोग्राफर और बिस्तर /कमरों की संख्या।

क्र. सं.	जिला	होटलों, गेस्ट हाउसों और,होम स्टे इकाइयों की संख्या	रेस्तरांओं की संख्या	कमरों की संख्या						बिस्तरों की क्षमता	ट्रैवल एजेंसिया	फोटोग्राफर	गाइड
				एस.बी. आर.	डी.बी. आर.	डी.ओ. आर.	एफ.एस.	टी.बी. आर.	कुल				
1	बिलासपुर	104	13	50	872	9	91	17	1,039	2,198	65	1	34
2	चंबा	326	47	115	3,883	10	130	25	4,163	8,476	75	141	206
3	हमीरपुर	79	40	66	516	13	3	5	603	1,295	18	0	2
4	कांगड़ा	939	196	483	10,470	59	532	95	11,639	24,126	796	4	301
5	किन्नौर	160	9	202	1,630	103	52	38	2,025	4,750	32	0	19
6	कुल्लू	1,553	97	457	20,588	29	1,332	60	22,466	46,910	1,740	840	534
7	लाहौल–स्पीति	136	0	218	1,488	15	28	0	1,749	3,486	45	0	26
8	मंडी	295	47	150	2,474	43	129	30	2,826	5,618	243	3	82
9	शिमला	623	171	167	9,704	249	453	23	10,596	21,705	1,830	128	409
10	सिरमौर	149	102	130	1,354	45	30	34	1,593	3,674	23	0	56
11	सोलन	433	275	148	5,919	48	192	72	6,379	12,758	195	0	72
12	ऊना	141	28	89	1,296	12	51	7	1,455	3,140	14	0	0
	कुल	**4,938**	**1,025**	**2,275**	**60,194**	**635**	**3,023**	**406**	**66,533**	**1,38,136**	**5,076**	**1,117**	**1,741**
होम स्टे इकाइयां		4,905	0	98	14,648	0	445	3	20,099	30,881			
कुल योग		**9,843**	**1,025**	**2,373**	**74,842**	**635**	**3,468**	**409**	**86,632**	**1,69,017**	**5,076**	**1,117**	**1,741**

स्रोत: हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम, हिमाचल प्रदेश सरकार।

एस.बी.आर.: Single Bed Room

डी.बी.आर.: Double Bed Room

डी.ओ.आर.: Dormitory

टी.बी.आर: Three Bed Room

सारणी 12.4

वर्ष 2024 (जनवरी से दिसंबर) के लिए घरेलू और विदेशी पर्यटक आगमन का अनुमान जिलेवार

माह	बिलासपुर		चम्बा		हमीरपुर		कांगड़ा		किन्नौर		कुल्लू		लाहौल और स्पीति		मंडी		शिमला		सिरमौर		सोलन		ऊना		कुल	
	I	F	I	F	I	F	I	F	I	F	I	F	I	F	I	F	I	F	I	F	I	F	I	F	I	F
Jan.	67731	0	27153	54	60540	0	36425	530	2100	80	262322	583	51275	71	121675	41	132328	1967	44300	20	229785	146	102804	9	1138438	3501
Fab.	78242	0	20705	100	61145	0	41805	1310	2530	213	270415	661	5213	102	136554	73	117874	3653	39200	37	195321	236	103832	0	1072836	6385
Mar.	98378	0	46775	100	62980	0	130244	5822	9180	138	284331	601	87695	60	157851	88	159130	3630	88600	64	202946	222	104870	0	1432980	10725
Apr.	104353	0	42235	100	69278	0	59117	2459	45910	148	302831	1094	147711	111	169926	116	236657	2271	242800	38	180395	301	115357	0	1716570	6638
May	109325	0	92235	66	76205	0	81187	2201	87620	379	374205	880	179840	320	176753	90	340478	1077	194600	16	231605	117	126892	6	2070945	5152
June	133240	0	111546	61	78491	0	98244	1773	100620	959	473737	1295	291486	826	215742	106	448392	1283	188200	20	345124	158	131967	0	2616789	6481
July	58975	0	121141	100	80061	0	39926	1218	31321	530	292325	1626	94014	2118	72142	74	151832	1073	74200	28	120795	157	137245	0	1273977	6924
Aug.	43610	0	265143	44	81662	0	52345	1245	1350	328	166503	1711	31008	1389	58472	134	125649	989	93600	12	132711	117	142374	0	1194427	5969
Sept.	59762	0	371430	68	65407	0	40511	3157	80666	750	204325	1848	78203	1866	72345	79	165473	1770	109200	36	149960	106	92834	0	1490116	9680
Oct.	65742	0	24556	100	47602	0	45669	2788	42168	268	219757	1389	35408	553	86384	120	196265	3259	220600	69	173968	252	66224	17	1224343	8815
Nov.	72542	0	22937	100	44602	0	64692	2487	4221	63	246641	773	25804	65	104652	48	218532	3778	185600	60	198696	332	62224	3	1251143	7709
Dec.	112580	0	45911	100	35854	2	84275	1205	9700	65	441138	834	27582	23	143251	26	284345	2284	96266	15	232185	232	46278	0	1559365	4786
Total	1004480	0	1191767	993	763827	2	774440	26195	417386	3921	3538530	13295	1055239	7504	1515747	995	2576955	27034	1577166	415	2393491	2376	1232901	35	18041929	82765
																						Percentage change			+13.17	+31.78

स्रोत: पर्यटन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार।

भारतीय	1,80,41,929
विदेशी	82,765
कुल	1,81,24,694
2023 की तुलना में कुल 13.24 प्रतिशत की वृद्धि।	

12.4 हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (एच.पी.टी.डी.सी.)

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एच.पी.टी.डी.सी.) हिमाचल प्रदेश में पर्यटन बुनियादी ढांचे के विकास में अग्रणी है। यह आवास खानपान, परिवहन, सम्मेलन और खेल गतिविधियों सहित पर्यटन सेवाओं का पूरा पैकेज प्रदान करता है। इसके पास राज्य में होटलों और रेस्तरां की सबसे बड़ी श्रृंखला है जिसमें 56 होटल, 1,111 कमरे सहित 2,508 बिस्तर हैं।

जैसा कि राज्य का पर्यटन उद्योग महामारी के बाद की स्थिति से उबरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जुलाई और अगस्त, 2024 के महीने में बाढ़ और भारी बारिश ने न केवल राज्य में पर्यटकों की संख्या कम कर दी, बल्कि बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान पहुंचाया। एच.पी.टी.डी.सी. इन नुकसानों से उबरने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।

एच.पी.टी.डी.सी. ने वर्ष 2024–25 के लिए ₹115.00 करोड़ के लक्ष्य के समकक्ष नवंबर, 2024 तक ₹74.21 करोड़ की आय अर्जित की है और दिसंबर 2024 से मार्च 2025 की अवधि के लिए अनुमानित आय ₹34.90 करोड़ का लक्ष्य है।

12.5 सड़कें और पुल (राज्य क्षेत्र)

सड़कें राज्य के तीव्र आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा हैं। कृषि, बागवानी, उद्योग, खनन और वानिकी जैसे अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का विकास एक कुशल सड़क नेटवर्क पर निर्भर करता है। रेलवे और जलमार्ग जैसे परिवहन के किसी अन्य उपयुक्त और व्यवहार्य साधनों की अनुपस्थिति में, सड़कें हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लगभग शून्य से शुरू करते हुए, राज्य सरकार ने दिसंबर, 2024 तक 42,779 किलोमीटर (कि.मी.) मोटर योग्य सड़कें (जीप योग्य और ट्रैक सहित) बनाई हैं। राज्य सरकार सड़क क्षेत्र को बहुत उच्च प्राथमिकता दे रही है।

हिमाचल प्रदेश राज्य में अच्छा सड़क नेटवर्क है। यहां 19 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिनकी कुल लंबाई 2,592 किलोमीटर है। राज्य में 15,586 गांव सड़कों से जुड़े हुए हैं। राज्य के महत्वपूर्ण आर्थिक विस्तार के लिए सड़कें बुनियादी ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए निर्धारित लक्ष्य और दिसंबर, 2024 तक की उपलब्धियां सारणी 12.5 में दी गई हैं।

सारणी 12.5

सड़कें और पुल

मद	इकाई	2024–25 का लक्ष्य	दिसम्बर 2024 तक की उपलब्धि
मोटर योग्य सड़क	कि.मी.	860	451
क्रॉस जल निकासी	"	1,067	1,009
मेटलिंग और टारिंग	"	1,075	1,020
जीप योग्य	"	25	44
पुल	संख्या	57	37
गांवों की कनेक्टिविटी	"	40	10

स्रोतः लोक निर्माण विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

राज्य में दिसंबर, 2024 तक 15,586 गांव सड़कों से जुड़े हुए हैं, जैसा कि सारणी 12.6 में दिखाया गया है।

सारणी 12.6

सड़कों से जुड़े हुए गांव

सड़क से जुड़े हुए गांव	2022–23	2023–24	2024–25 (दिसम्बर, 2024 तक)
1500 से अधिक की	436	436	436
1000–1499	553	553	554
500–999	2,297	2,300	2,301
250–499	3,966	3,976	3,978
250 से कम	8,286	8,296	8,317
कुल	15,538	15,561	15,586

स्त्रोतः लोक निर्माण विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

12.6 राष्ट्रीय राजमार्ग (केंद्रीय क्षेत्र)

राज्य में 2,592 किलोमीटर की लंबाई वाले 19 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के पास 1,008 किलोमीटर लंबाई के विकास और रखरखाव की जिम्मेदारी है और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) NH–07 और NH–03 जिसकी लम्बाई 230 किलोमीटर है उसे हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारे के रूप में उन्नत कर रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHA) 785 किलोमीटर लंबाई के 5 राष्ट्रीय राजमार्ग विकसित कर रहा है और राज्य में 569 किलोमीटर लंबाई की सड़क के विकास और रखरखाव की जिम्मेदारी, सीमा सड़क संगठन (BRO) के पास है।

सारणी 12.7

सड़कें किलोमीटर में

सड़क का प्रकार	2023–24	2024–25 दिसंबर, 2024 तक (किलोमीटर में)
मोटर योग्य फोर लेन	262	262
मोटर योग्य डबल लेन	2,027	2,027
मोटर योग्य सिंगल लेन	38,414	39,163
जीप योग्य	1,272	1,327
जीप योग्य भी नहीं	0	0
कुल	41,975	42,779

स्त्रोतः लोक निर्माण विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार
नोटः आंकड़ों में राष्ट्रीय राजमार्ग भी शामिल हैं।

12.7 परिवहन विकास

परिवहन विभाग मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्य करता है। परिवहन विभाग मुख्य रूप से मोटर वाहन अधिनियम, 1988, हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1972 और उसके तहत बनाए गए नियमों को लागू करने के लिए स्थापित किया गया है। हिमाचल प्रदेश का परिवहन विभाग परिवहन सुविधाओं के विकास में अन्य संगठनों की सहायता करता है और सड़क मार्ग से यात्रियों और माल की आवाजाही के लिए एक कुशल, पर्याप्त और सस्ती परिवहन सेवा प्रदान करने का प्रयास करता है। यह विभाग मोटर वाहनों पर करों के रूप में एक प्रमुख राजस्व अर्जित करने वाला विभाग भी है।

12.8 परिवहन विभाग

(i) राजस्व सृजनः वित्तीय वर्ष 2023–24 और 2024–25 के लिए राजस्व संग्रह का विवरण निम्नानुसार हैः

वर्ष	संग्रह	वर्ष	अनुमानित संग्रह	दिसम्बर, 2024 तक संग्रह किया गया
2023–24	₹781.73 करोड़	2024–25	₹902.25 करोड़	₹656.80 करोड़

(ii) मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमों का प्रवर्तनः परिवहन विभाग मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से क्रियान्वयन कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान किए गए चालानों का सारांश इस प्रकार हैः

क्र.सं.	मद	वर्ष 2024–25 (दिसम्बर, 2024 तक)
1	विभिन्न अपराधों के लिए चालान किए गए वाहनों की संख्या।	36,654
2	वाहनो को जपत कर एकत्रित शुल्क की राशि	₹886 करोड़

स्त्रोतः परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश।

(iii) वाहनों का पंजीकरणः राज्य में 23,91,265 वाहन (परिवहन और गैर–परिवहन) पंजीकृत हैं। पंजीकृत वाहनों का जिलावार विवरण निम्नानुसार हैः

सारणी 12.8

जिलावार वाहनों का पंजीकरण

क्र.सं	जिला	पंजीकृत वाहन
1	बिलासपुर	1,29,686
2	चंबा	95,620
3	हमीरपुर	1,72,978
4	कांगड़ा	5,89,139
5	किन्नौर	16,884
6	कुल्लू	1,23,333
7	लाहौल–स्पीति	9,596
8	मंडी	2,76,985
9	शिमला	2,33,900
10	सिरमौर	1,60,785
11	सोलन	3,28,107
12	ऊना	2,54,252
	कुल	23,91,265

स्रोतः क्षेत्रीय परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार ।

12.9 परिवहन विभाग की नीतियाँ

हिमाचल प्रदेश के परिवहन विभाग ने चालू वित्त वर्ष के दौरान उल्लेखनीय प्रगति की है। चालू वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान विभाग द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ, योजनाएँ और लिए गए निर्णय इस प्रकार हैं:

i. **बद्दी में निरीक्षण एवं प्रमाणन केंद्र (ए.टी.एस.) की स्थापनाः** सोलन जिले के बद्दी में बिना मानवीय हस्तक्षेप के स्वचालित तरीके से वाहन फिटनेस के प्रमाणन के लिए निरीक्षण एवं प्रमाणन केंद्र को वर्ष 2019 में मंजूरी दी गई थी, जिसकी

परियोजना लागत ₹16.35 करोड़ थी। 95 प्रतिशत सिविल कार्य पूरा हो चुका है। इस केंद्र को जल्द ही चालू किया जाएगा।

ii. **ट्रांसपोर्ट नगरों की स्थापना:** राज्य के 6 जिलों जैसे शिमला, कांगड़ा, हमीरपुर, सिरमौर, सोलन और ऊना में ट्रांसपोर्ट नगरों के निर्माण के लिए भूमि की पहचान कर ली गई है और इसके लिए मंजूरी में तेजी लाई जा रही है।

iii. **ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल (डी.टी.एस.) और प्रदूषण जांच केंद्र (पी.सी.सी.):** वर्तमान में, राज्य में 408 ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल और 322 प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित हैं। 31 दिसंबर, 2024 तक ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों और प्रदूषण जांच केंद्रों का विवरण इस प्रकार है:

सारणी 12.9

क्र.सं	आर.टी.ओ. का नाम	कुल डी.टी.एस. की संख्या	निजी		एच.आर.टी.सी.	सरकारी आई.टी.आई.	पी.सी.सी. की संख्या	पी.सी.सी. की संख्या	पी. सी.सी. की कुल संख्या
			एल.एम.वी.	एच.टी.वी.	एच.टी.वी.	एल.एम.वी/एच.टी.वी.	निजी	एच.आर.टी.सी.	
1.	आर.टी.ओ. शिमला	41	37	02	01	01	26	01	27
2.	आर.टी.ओ. हमीरपुर	46	39	06	01	00	20	01	21
3.	आर.टी.ओ. ऊना	22	15	06	00	01	27	00	27
4.	आर.टी.ओ. चंबा	09	08	00	01	00	11	01	12
5.	आर.टी.ओ. रामपुर	16	15	00	01	00	03	00	03
6.	आर.टी.ओ. मंडी	89	78	09	01	01	40	00	40
7.	आर.टी.ओ. सोलन	26	24	01	00	01	26	00	26
8.	आर.टी.ओ. बद्दी–नालागढ़	12	08	02	01	01	18	00	18
9.	आर.टी.ओ. कुल्ल	11	09	01	01	00	09	01	10
10.	आर.टी.ओ. सिरमौर नाहन	08	06	02	00	00	06	00	06
11.	आर.टी.ओ. बिलासपुर	33	25	07	01	00	15	00	15

12.	आर.टी.ओ. धर्मशाला	95	83	10	02	00	117	00	117
कुल		408	347	46	10	05	318	04	322

स्रोतः परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार।

iv. रोजगार सृजनः परिवहन विभाग ने चालू वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान 31 दिसंबर, 2024 तक 46,805 आवेदकों को कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट/स्टेज कैरिज परमिट/गुड्स कैरिज परमिट और पैसेंजर सर्विस व्हीकल (PSV) परमिट देकर राज्य में बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए हैं। विभाग द्वारा दिए गए परमिटों ने बेरोजगार युवाओं को स्वंय का परिवहन व्यवसाय शुरू करने में सक्षम बनाया है। विवरण इस प्रकार है।

सारणी 12.10

रोजगार सृजन की स्थिति

परमिट का प्रकार	प्रत्येक परमिट के समकक्ष प्रति व्यक्ति रोजगार की संख्या	अप्रैल से दिसंबर, 2024 की अवधि के लिए जारी किये गए परमिट	कुल रोजगार
टैक्सी/मैक्सी कैब	2	6,142	12,284
बस स्टेज कैरिज	3	148	444
ट्रक (माल ढुलाई)	3	11,061	33,183
यात्री सेवा वाहन (पी.एस.वी.)	2	447	894
कुल	10	17,798	46,805

स्रोतः क्षेत्रीय परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार।

v. इलेक्ट्रिक वाहन नीतिः राज्य ने हिमाचल प्रदेश को इलेक्ट्रिक वाहन (ई.वी.) के लिए एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए "हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2022" अधिसूचित की है। राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरूआत राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

(i) इलेक्ट्रिक वाहन

हिमाचल प्रदेश को प्रदूषण मुक्त राज्य बनाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए परिवहन विभाग ने अपने बेड़े में शामिल सभी 19 आई.सी.सी. वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदल दिया है।

(ii) ई–चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना

राज्य सरकार विभिन्न हितधारकों जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल.) आदि के सहयोग से पूरे राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की दिशा

में आगे बढ़ रही है। इस उद्देश्य के लिए, राज्य सरकार ने शुरुआत में 100 स्थानों की पहचान की है, जिनमें से 54 पेट्रोल पंप और 46 सरकारी स्थल हैं। चालू वित्त वर्ष 2024–25 के लिए, चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए अतिरिक्त 43 और पेट्रोल पंपों की पहचान की गई है।

राज्य ने निम्नलिखित छह ग्रीन कॉरिडोर अधिसूचित किए हैं:

1. परवाणू–नालागढ़–ऊना–हमीरपुर–देहरा–अंब–मुबारिकपुर–संसारपुर टैरेस–नूरपुर।
2. पांवटा–नाहन–सोलन–शिमला।
3. परवाणू–सोलन–शिमला–रामपुर–पियो–पूह–ताबो–काजा–लोसर।
4. शिमला–बिलासपुर–हमीरपुर–कांगड़ा–नूरपुर–बनीखेत–चंबा।
5. मंडी–जोगिंद्र नगर–पालमपुर–धर्मशाला–कांगड़ा।
6. कीरतपुर–बिलासपुर–मंडी–कुल्लू–मनाली–केलांग–ज़िंग–ज़िंग बार।

उपरोक्त 6 हरित गलियारों में से 4 गलियारे अर्थात पहला, चौथा, पांचवां और छठा कार्यात्मक हैं, क्योंकि इन गलियारों पर पेट्रोल पंपों पर अधिकांश ई.वी. चार्जिंग स्टेशन आम जनता के उपयोग के लिए कार्यात्मक हैं।

क) पेट्रोल पंप:

क्रम संख्य	तेल कंपनी का नाम	लक्ष्य 2023–24	कार्यात्मक	लक्ष्य* 2024–25	कार्यात्मक
1.	**आई.ओ.सी.एल.**	34	20	60	-
2.	**बी.पी.सी.एल.**	12	3	17	-
3.	**एच.पी.सी.एल.**	8	0	20	-
	कुल	54	23	97	-
***इसमें पिछले साल के 31 पेट्रोल पंप भी शामिल हैं।**					

तेल कम्पनियों ने 38 पेट्रोल पंपों पर ई–चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के पास धनराशि जमा करा दी है तथा सेवाएं शीघ्र ही चालू कर दी जाएंगी।

ख) सरकारी स्थल:

परिवहन विभाग ने चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए सभी ग्रीन कॉरिडोर पर 46 सरकारी स्थलों की पहचान की है। 41 सरकारी स्थलों में से, विभाग ने निम्नलिखित ई.वी. कंपनियों के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.मोड) में 31 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशनों के विकास/स्थापना के लिए रियायत समझौते किए हैं:

कॉरीडोर	कंपनी का नाम	स्थान
कॉरिडोर नंबर 1 (परवाणू–नूरपुर)	ई.वी.आई. टेक	08
कॉरिडोर नंबर 3 (परवाणु–लोसर)	ई.वी.आई. टेक	14
कॉरिडोर नंबर 4 (शिमला–चंबा)	इलेक्ट्रो वेव	10
कॉरिडोर नंबर 5 (मंडी–पठानकोट)	जियो	03
कॉरिडोर नंबर 6 (किरतपुर–ज़िंगज़िंगबार)	जियो	06
कुल		**41**

परिवहन विभाग द्वारा 31 स्थानों के लिए 2 निजी भागीदारों यानी मेसर्स जियो बी.पी. और ई.वी.आई. टेक्नोलॉजीज के साथ रियायत समझौते पर परिवहन निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। इन निजी भागीदारों ने अब उपरोक्त स्थानों पर सड़क के किनारे सुविधाओं के साथ चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए निष्पादन कार्य शुरू कर दिया है।

ग) पर्यटन होटल

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एच.पी.टी.डी.सी.) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.) के साथ समन्वय करके 65 होटलों में ई.वी. चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना चाहता है। पहले चरण में 10 स्थलों का चयन किया गया है।

घ) निजी होटल

परिवहन विभाग निजी होटलों में ई.वी. चार्जिंग स्टेशन की स्थापना को बढ़ावा दे रहा है, जिसके लिए निजी होटलों के साथ नियमित बैठकें की जा रही हैं। वर्तमान में, निजी होटलों में निम्नलिखित चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं

शिमला में होटलों ने ईवी चार्जर लगाए		
क्र.सं.	**होटल का नाम**	**क्षमता**
1.	होटल सिसल, चौड़ा मैदान	60 किलोवाट (डी.सी.)
2.	होटल ऑर्चिड, शनान	30 किलोवाट (डी.सी.) 7.4 किलोवाट (ए.सी.)
3.	होटल रेडिसन, कुफरी	22 किलोवाट (ए.सी.)
4.	होटल रेडिसन जैस भराड़ी	7.7 किलोवाट (ए.सी.) X 2
5.	ताज, ठियोग रिज़ॉर्ट	60 किलोवाट (डी.सी.)
6.	वाईल्ड फ्लावर हॉल	60 किलोवाट (डी.सी.)
7.	एडवेंचर रिज़ॉर्ट, कुफरी	60 किलोवाट (डी.सी.)
8.	रॉयल ट्यूलिप, कुफरी	25 किलोवाट (ए.सी.)
9.	गैबल्स, मशोबरा	22 किलोवाट (ए.सी.)
10.	प्रिस्टिन पीक, बल्देयां	22 किलोवाट (ए.सी.) X 2

iii. ई–टैक्सी:

सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार योजना, 2023 के अन्तर्गत ई–टैक्सी किराए पर लेने के लिए 1 सितंबर, 2023 को मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) अधिसूचित की है। इस योजना के अन्तर्गत सरकार बेरोजगार युवाओं को ई–टैक्सी खरीदने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है। ये सभी ई–टैक्सी सरकारी विभागों, निगमों और बोर्डों में लगाई जाएंगी। पहले चरण में सरकार ने ई–टैक्सी सब्सिडी देने के लिए 54 आवेदकों का चयन किया है।

iv. स्वचालित परीक्षण स्टेशन (ए.टी.एस.):

भारत सरकार ने अधिसूचित किया है कि वाहन की फिटनेस अब अनिवार्य रूप से स्वचालित परीक्षण एजेंसी (ए.टी.एस.) के माध्यम से ही की जाएगी। राज्य सरकार ने सरकारी क्षेत्र में दो ए.टी.एस. स्थापित करने को मंजूरी दी है। ये दो ए.टी.एस. नादौन जिला हमीरपुर और हरोली जिला ऊना में क्रमशः परिवहन विभाग व हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा स्थापित किए जाएंगे। सरकारी क्षेत्र में ए.टी.एस. स्थापित करने के लिए आर.टी.ओ. हमीरपुर और एच.आर.टी.सी. ऊना को प्रारंभिक पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने निजी क्षेत्र में 5 ए.टी.एस. स्थापित करने को मंजूरी दी है। ये स्टेशन बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा, सोलन और नालागढ़ में स्थापित किए जाएंगे। विभाग ने इन ए.टी.एस. की स्थापना के लिए सभी निजी निवेशकों को प्रारंभिक पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान कर दिए हैं और कार्य प्रगति पर है।

v. पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आर.वी.एस.एफ.):

परिवहन विभाग ने हिमाचल प्रदेश में निजी क्षेत्र में वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केन्द्र (वी.एस.सी.) स्थापित करने के लिए 80 आवेदकों के पक्ष में प्रारंभिक सहमति प्रदान की है। वर्तमान में, केवल दो आवेदकों ने सोलन और हमीरपुर में वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केन्द्रों की स्थापना के लिए काम शुरू किया है और ये केन्द्र फरवरी, 2025 के अंत तक चालू हो जाएंगे। अब तक राज्य में वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केन्द्रों के माध्यम से 1,056 वाहनों (496 सरकारी और 560 निजी) को स्क्रैप किया जा चुका है

vi. मोटर साइकिल और मोटर कैब किराए पर लेने की योजना:

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधान के तहत मोटर बाइक किराए पर लेने की योजना अधिसूचित की गई है। राज्य परिवहन प्राधिकरण ने आवेदकों को 3,943 परमिट दिए और इस उद्देश्य के लिए 3,586 मोटर साइकिल पंजीकृत की गई हैं।

vii. निजी बसों और टैक्सियों के बेड़े की संख्याः

हिमाचल प्रदेश में निजी स्टेज कैरिज बसों की कुल संख्या 3,488 है और टैक्सियों (सीटिंग क्षमता 4+1) की संख्या 33,822, मैक्सी (6+1 और उससे अधिक) की संख्या 14,006 है। जिलावार और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आर.टी.ओ.) वार विवरण इस प्रकार हैः

सारणी 12.11

टैक्सियों और निजी बसों के बेड़े की संख्या

हिमाचल प्रदेश में आर.टी.ओ. वार प्राइवेट स्टेज कैरिज बसों का विवरण 31 दिसंबर, 2024 तक ।		
क्र सं	आर.टी.ओ. का नाम	निजी बसों की संख्या
1	आर.टी.ओ. शिमला	263
2	आर.टी.ओ. किन्नौर स्थित रामपुर	82
3	आर.टी.ओ. सोलन	235
4	आर.टी.ओ. बद्दी स्थित नालागढ़	100
5	आर.टी.ओ. बिलासपुर	317
6	आर.टी.ओ. हमीरपुर	379
7	आर.टी.ओ. कुल्लू	173
8	आर.टी.ओ. ऊना	339
9	आर.टी.ओ. मंडी	435
10	आर.टी.ओ. धर्मशाला	843
11	आर.टी.ओ. सिरमौर	172
12	आर.टी.ओ. चम्बा	150
कुल		3,488

31 दिसंबर, 2024 तक हिमाचल प्रदेश में पंजीकत टैक्सी और मैक्सी की संख्या का जिलेवार विवरण			
क्र.सं.	जिले का नाम	टैक्सियों की कुल संख्या (4+1)	मैक्सी (6+1) और उससे ऊपर की कुल संख्या
1	कुल्लू	7,503	2,791
2	शिमला	5,814	2,844
3	सोलन	1,972	726
4	सिरमौर	352	146
5	कांगड़ा	7,337	2,639
6	हमीरपुर	2,210	851
7	ऊना	589	355
8	मंडी	3,994	1,776
9	लाहौल–स्पीति	17	13
10	किन्नौर	606	163
11	बिलासपुर	1,287	714
12	चंबा	2,141	988
कुल		33,822	14,006

12.10 हिमाचल पथ परिवहन निगम

हिमाचल पथ परिवहन (एच.आर.टी.सी.) निगम राज्य में सार्वजनिक परिवहन का मुख्य स्रोत है क्योंकि अन्य परिवहन साधन जैसे रेलवे, वायुमार्ग आदि नंगण्य हैं। इसलिए हिमाचल पथ परिवहन निगम का महत्व सर्वोपरि है। हिमाचल प्रदेश के लोगों को राज्य के भीतर और बाहर यात्री परिवहन सेवाएं हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा 3,079 बसों, 110 इलेक्ट्रिक बसों, 38 टैक्सियों, 50 इलेक्ट्रिक टैक्सियों और 12 टेम्पो ट्रैवलर के बेड़े के साथ प्रदान की जा रही हैं।

12.10.1 यात्रियों के लाभ के लिए एच.आर.टी.सी. की योजनाएं

i) **ग्रीन कार्ड योजनाः** ग्रीन कार्डधारक को किराए में 25 प्रतिशत की छूट दी जाती है।

ii) **स्मार्ट कार्ड योजनाः** स्मार्ट कार्ड की कीमत ₹100 है और इसकी वैधता एक साल है। इसमें किराए में 10 प्रतिशत की छूट है और यह एच.आर.टी.सी. की साधारण, सुपर फास्ट, सेमी डीलक्स और डीलक्स बसों में भी मान्य है।

iii) **वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मान कार्ड योजनाः** वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मान कार्ड योजना शुरू की है। इस योजना के अन्तर्गत साधारण बसों में किराए में 30 प्रतिशत की छूट दी जाती है।

iv) **महिलाओं को निःशुल्क सुविधाः** महिलाओं को "रक्षाबंधन" और "भैयादूज" के अवसर पर साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है। मुस्लिम महिलाओं को "ईद" और "बकर ईद" के अवसर पर निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है।

v) **महिलाओं को किराये में छूटः** राज्य के भीतर साधारण बसों में महिलाओं को किराये में 50 प्रतिशत की छूट दी है।

vi) **सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को निःशुल्क सुविधाः** सरकारी स्कूलों के +2 कक्षा तक के विद्यार्थियों को साधारण बसों में उनके घर से स्कूल तथा स्कूल से घर तक निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है।

vii) **गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को मुफ्त सुविधाः** कैंसर, रीढ़ की हड्डी की चोट, किडनी और डायलिसिस के रोगियों को डॉक्टर द्वारा जारी रेफरल पर्ची पर चिकित्सा उपचार के उद्देश्य से बसों में एक परिचर के साथ मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की जाती है।

viii) **दिव्यांगजनो को निःशुल्क सुविधाः** 70 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता वाले दिव्यांगजनो को एक परिचर के साथ राज्य के भीतर निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाती है।

ix) **वीरता पुरस्कार विजेताओं को निःशुल्क सुविधाः** वीरता पुरस्कार विजेताओं को राज्य में डीलक्स बसों के अतिरिक्त एच.आर.टी.सी. की साधारण बसों में भी निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई है।

x) हिमाचल प्रदेश बस स्टैंड प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण ने चंबा जिले में भंजराडू, शिमला जिले के ढली और कुमारसैन (रामपुर) में नए बस स्टैंड का निर्माण पूरा कर लिया है। 4 बस स्टैंड, बंजार बस स्टैंड पर एक कार पार्किंग और मनाली के वोल्वो ग्राउंड में 1 बस पार्किंग का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और उद्घाटन के लिए तैयार है। प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान 6 बस स्टैंड के निर्माण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। 3 और नए बस स्टैंड के निर्माण का प्रस्ताव है।

xi) प्रथम दर्शन सेवा के अंतर्गत धार्मिक स्थलों जिसमें श्री अयोध्या धाम भी शामिल है के लिए नई बस सेवा शुरू की है।

xii) निगम ने 2,672 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली 17 नई बस सेवाएं शुरू की हैं तथा 1,362 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली 37 सेवाओं का विस्तार/परिवर्तन किया है।

xiii) बसों में टिकट खरीदते समय नकदी रहित लेन–देन करने के उद्देश्य से, नए इलेक्ट्रिकल बैटरी थर्मल मैनेजमेंट (ई.बी.टी.एम.) की शुरूआत करके डिजिटल किराया संग्रह प्रणाली शुरू की गई है, जिसमें डेबिट कार्ड, त्वरित प्रतिक्रिया कोड (क्यूआर) स्कैन और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एन.सी.एम.सी.) कार्ड के माध्यम से नकदी रहित लेनदेन की सुविधा है।

सारणी 12.12

राष्ट्रीयकृत सड़क परिवहन

वर्ष	बसे	संलग्न बसें	इलेक्ट्रिक बस	टैक्सियाँ	इलेक्ट्रिक टैक्सियाँ	अन्य	कुल	परिचालन के अन्तर्गत मार्गों की कुल संख्या,	कवर की गई दूरी ('000 किलोमीटर)
2009-10	2,005	21	-	-	-	82	2,108	2,004	1,62,855
2010-11	1,979	17	-	-	-	97	2,093	2,148	1,65,546
2011-12	2,024	0	-	-	-	93	2,117	2,048	1,65,417
2012-13	2,091	0	-	-	-	54	2,145	2,077	1,66,503
2013-14	2,054	33	-	-	-	52	2,139	2,142	1,71,647
2014-15	2,447	33	-	-	-	50	2,530	2,225	1,79,396
2015-16	2,645	34	-	-	-	85	2,764	2,325	1,88,292
2016-17	3,105	53	-	-	-	77	3,235	2,573	2,11,519
2017-18	3,110	62	-	-	-	86	3,258	2,723	2,27,767
2018-19	3,078	69	40	21	50	92	3,350	2,833	2,31,155
2019-20	3,093	76	75	21	50	95	3,410	2,953	2,22,646
2020-21	3,099	51	75	21	50	92	3,391	2,350	77,767
2021-22	3,103	48	75	21	50	99	3,396	2,170	1,43,717
2022-23	3,142	31	75	38	50	106	3,442	2,813	2,08,837
2023-24	3,180	23	110	47	50	56	3,343	3,466	1,99,559
2024-25 जुलाई, 2024 तक	3,079	20	110	47	50	52	3,336	3,358	69,918

स्रोतः क्षेत्रीय परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार।

चित्र 12.3

सकल राज्य मूल्य वर्धित (जी.एस.वी.ए.) में परिवहन क्षेत्र का योगदान प्रतिशत में

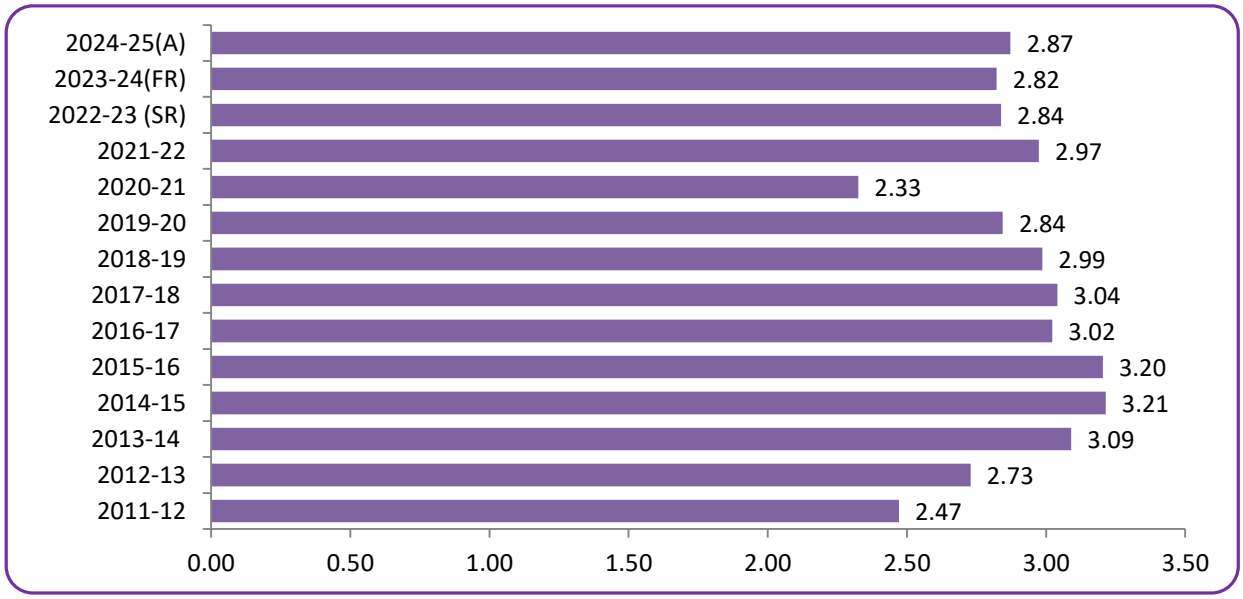

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

निष्कर्षः हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2024 में 181.24 लाख पर्यटकों के आगमन में महत्वपूर्ण बढ़त देखी गई, जिसमें 180.41 लाख भारतीय और 0.83 लाख विदेशी पर्यटक शामिल थे। सरकार ने प्रसाद योजना के अन्तर्गत मां चिंतपूर्णी मंदिर के विकास के लिए ₹57.57 करोड़ आवंटित किए।

राज्य में पंजीकृत 23.91 लाख वाहनों के माध्यम से परिवहन विभाग ने ₹656.80 करोड़ राजस्व अर्जित किया। इसके अतिरिक्त, विभाग ने 408 ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों को लाइसेंस प्रदान किए जिससे 46,805 लोगों को रोजगार प्रदान हुआ। राज्य ने अपनी स्तत परिवहन पहल को आगे बढ़ाते हुए इलेक्ट्रिक वाहन ई.वी. चार्जिंग स्टेशनों के लिए 100 स्थानों को चिन्हित किया।

राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश को ई.वी. के लिए एक मॉडल राज्य बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ई.वी. सम्बधिंत निति निर्धारण, निरीक्षण केंद्रों और चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हिमाचल सड़क परिवहन निगम यात्रीयों को विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करता है और राज्य के भीतर और बाहर व्यापक बस सेवाएं संचालित कर रहा है। बस अड्डों का निरंतर विकास, डिजिटल भुगतान प्रणाली की शुरूआत, आधुनिकीकरण और सरल पहुंच के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

******

अध्याय
13



शिक्षा




5 June World Environment Day
Save Environment

मुख्य बिन्दु

- हिमाचल प्रदेश में शिक्षा और पहुंच पर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि यहां सार्वजनिक क्षेत्र में बड़ी संख्या में स्कूल और कॉलेज हैं।राज्य भर में छात्रों की पढ़ाई के लिए 9,943 प्राथमिक विद्यालय, 1,786 माध्यमिक विद्यालय, 961 उच्च विद्यालय और 1,988 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार उच्च शिक्षा को और अधिक बल देने के लिए 145 डिग्री कॉलेज संचालित करती है।

- वर्ष 2011 में हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 82.80 प्रतिशत थी, जो राष्ट्रीय औसत 74.0 प्रतिशत से 8.8 प्रतिशत अधिक थी। पुरुष साक्षरता दर 89.53 प्रतिशत थी, जबकि महिला साक्षरता दर 75.93 प्रतिशत थी। 2019–21 में किये गये राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एन.एफ.एच. एस.)–5 के अनुसार, नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश में साक्षरता दर बढ़कर 93.3 प्रतिशत हो गई है। पुरुष और महिला साक्षरता दर अब क्रमशः 94.9 प्रतिशत और 91.7 प्रतिशत है, जिसमें 3.2 प्रतिशत लैंगिक असमानता है।

- अपना विद्यालय हिमाचल स्कूल दत्तक ग्रहण कार्यक्रम को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 3 जनवरी, 2024 को अधिसूचित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य सरकारी स्कूलों में सुधार के लिए जन प्रतिनिधियों, प्रशासनिक नेताओं और कुशल पेशेवरों के बीच एक सहक्रियात्मक साझेदारी बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1,765 सरकारी उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को गोद लिया गया है।

- एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.)/गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल) छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत पहली से पांचवीं कक्षा तक के छात्रों को प्रति वर्ष ₹500 और छठी से आठवीं कक्षा तक के छात्रों को प्रति वर्ष ₹700 दिए जाते हैं। इस योजना के अन्तर्गत 65,495 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं।

- डॉ. अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत, हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (एच.पी.बी.ओ.एस.ई.) की मैट्रिक परीक्षा के अनुसूचित जाति (एस.सी.) के शीर्ष 1,250 छात्रों और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) के 1,000 मेधावी छात्रों को प्रति वर्ष ₹18,000 दिए जाते हैं। इस योजना के अन्तर्गत 1,770 अनुसूचित जाति के छात्र और 704 अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र लाभान्वित हुए हैं।

- इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत, 10+2 (एच.पी.बी. ओ.एस.ई. से संबद्ध) की मेरिट सूची के शीर्ष 10 छात्रों और 10+2 के बाद के पाठ्यक्रमों के लिए प्रति वर्ष ₹18,000 दिए जाते हैं। इस योजना के अन्तर्गत 47 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं।

- स्वामी विवेकानन्द उत्कृष्ट छात्रवृति योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला से मैट्रिक परीक्षा के सामान्य वर्ग के शीर्ष 2000 मेधावी छात्रों को प्रति वर्ष ₹18,000 की दर से छात्रवृत्ति दिए जाते हैं। इस योजना से 1,989 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं।

13.1 परिचय

पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने पर, राज्य में साक्षरता दर बहुत कम 31.96 प्रतिशत थी। फिर भी, राज्य ने शिक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों में पर्याप्त प्रगति की है, जिसका मुख्य कारण शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विस्तार में ठोस प्रयास हैं। स्कूल नामांकन और साक्षरता दर में वृद्धि राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक जुड़ाव और सामाजिक पहल की सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रमाण है। 86वें संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21ए को शामिल करना इस प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। यह अनुच्छेद कहता है कि राज्य को प्रासंगिक कानूनों अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। 2009 का बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम इस प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है, यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरा होने तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिले। यह अध्याय हिमाचल प्रदेश में शिक्षा की स्थिति और इस सार्वजनिक सुविधा को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई विभिन्न नीतिगत पहलों का अन्वेषण करता है।

हिमाचल प्रदेश में साक्षरता दर 82.80 प्रतिशत थी, जो राष्ट्रीय औसत 74.0 प्रतिशत से 8.8 प्रतिशत अधिक थी। पुरुष साक्षरता दर 89.53 प्रतिशत थी, जबकि महिला साक्षरता दर 75.93 प्रतिशत थी। 2019–21 में किये गये राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एन.एफ. एच.एस.)–5 के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में साक्षरता दर बढ़कर 93.3 प्रतिशत हो गई है। पुरुष और महिला साक्षरता दर अब क्रमशः 94.9 प्रतिशत और 91.7 प्रतिशत है, जिसमें 3.2 प्रतिशत लैंगिक असमानता है।

13.2 प्रारम्भिक शिक्षा

31 दिसम्बर, 2024 तक सरकारी क्षेत्र में 9,943 राजकीय प्राथमिक और 1,786 राजकीय माध्यमिक विद्यालय है प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी को दूर करने हेतु सरकार द्वारा जरूरत वाले स्कूलों में नई नियुक्तियों के लिए प्रयत्न किये जा रहे है। सरकार दिवयांग बच्चों की शिक्षा सम्बन्धित जरूरतों को पूरा करने के लिये भी प्रयासरत है। प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धित सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन निम्नलिखित उद्देश्य के साथ किया जा रहा है:

- प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना।
- सभी बच्चों की उच्च गुणवत्ता वाली प्रारम्भिक शिक्षा सुनिश्चित करना।
- राज्य में शिक्षा को हर बच्चे तक पहुंचाना।

राज्य प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाएं:

वर्ष 2024–25 में विभिन्न प्रकार के निम्नलिखित प्रोत्साहन दिये गये है:

सारणी–13.1

प्राथमिक शिक्षा के लिये राज्य प्रायोजित छात्रवृति योजनाएं

क्र. सं.	राज्य प्रायोजित छात्रवृति योजनाए	योजनाओं का विवरण	कुल लाभान्वित विद्यार्थी
1	**मेधावी छात्रवृत्ति योजना**	पांचवी कक्षा के वो छात्र जिन्होंने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में अपने शिक्षा खंड में सर्वोच्च चार स्थान (दो छात्र एवं दो छात्राएं) प्राप्त किये हो को ₹1200 प्रति वर्ष दिया जायेगा। यह उन्हें इस शर्त के साथ 8वी कक्षा तक मिलता रहेगा अगर वो सरकारी स्कूल में पढ़ते रहेंगे तथा छठी व सातवीं कक्षा में कम से कम बी ग्रेड प्राप्त करेंगें।	1,490
2	**एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी) / गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों (बीपीएल) के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति**	पहली से पांचवीं तक अध्ययनरत् विद्यार्थियों को ₹500 वार्षिक तथा कक्षा छठी से आठवीं तक अध्ययनरत् विद्यार्थियों को ₹700 वार्षिक की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।	65,495
3	**सशस्त्र बलों में काम करने वाले सैनिकों के बच्चों के लिये छात्रवृत्ति**	पहली से पांचवी कक्षा के उन छात्रों को जिनके माता–पिता युद्ध के दौरान शहीद हुए या उन्हें 50 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता प्राप्त हुई, उन्हें प्रतिवर्ष ₹25,000 दिये जातें हैं और जिन्हें 50 प्रतिशत से कम दिव्यांगता प्राप्त हुई उन्हें प्रतिवर्ष ₹12,500 दिये जाते है।	शून्य
4	**लाहौल–स्पिति पैटर्न पर छात्रवृति**	इस छात्रवृति योजना के अन्तर्गत प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के सरकारी पाठशालाओं में कक्षा प्रथम से आठवीं तक अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को ₹80 प्रति वर्ष दिये जातें हैं।	2,911
5	**निशुल्क पाठय पुस्तकें**	पहली से आठवीं कक्षा के सभी श्रेणियों के	पहली से

		छात्रों के लिये निःशुल्क पुस्तकें हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रदान की जाती है।	आठवीं कक्षा के सभी विद्यार्थी
6	**प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण व मुरम्मत**	वर्ष 2024–25 में सरकार द्वारा प्राथमिक तथा माध्यमिक पाठशालाओं के भवनों की मुरम्मत, रख–रखाव जिसमें किचन शैड, शौचालय व चार–दिवारी आदि सम्मिलित है, के लिए ₹1,250 लाख जबकि मुख्य कार्य शीर्ष के अंतर्गत ₹1,600 लाख पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवंटित किए गए हैं, जैसे प्राथमिक विद्यालय भवनों/कमरों और जिला/ब्लॉक कार्यालयों का निर्माण।	
7	**प्रधानमंत्री पोषण योजना (मध्याह्न भोजन योजना)**	यह योजना 2004 में प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए लागू की गई थी। 2008 में इस योजना को 8वीं कक्षा के छात्रों तक बढ़ा दिया गया। इस योजना के तहत प्री–प्राइमरी, प्राइमरी (एस.एस.ए. और कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा समर्थित एन.आर.एस. टी. केंद्रों सहित) के छात्रों को गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने एक नई योजना मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पूरक पोषण सामग्री यानी उबले अंडे / अच्छी गुणवत्ता वाले फल (केला/सेब) सप्ताह में एक बार छात्रों को दिए जा रहे हैं।	5,13,484
8	**स्वर्ण जयंती मिडल मैरिट छात्रवृति योजना**	यह योजना सरकारी स्कूलों में छठीं, सातवीं व आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले मेधावी छात्रों के लिये है, इसके लिये मेधावी छात्रों का चयन राज्य स्तरीय परीक्षा द्वारा किया जाता है, जिसे एस.सी.ई.आर.टी., सोलन द्वारा आयोजित किया जाता है जिसमें चयनित	193

		बच्चों को छठी कक्षा में ₹4,000, सातवीं कक्षा में ₹5,000 तथा आठवीं कक्षा में ₹6,000 पुरस्कार के रूप में दिये जाते है।	
9	**नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (एन.आई. एल.पी.)**	यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जो कि प्रौढ़ शिक्षा के लिये है। यह 2022–23 में प्रारंभ हुइ है जो कि 2026–27 तक चलेगी इसका उद्देश्य राज्य में 89,000 प्रौढ़ निरक्षरों को साक्षर करना है।	सभी 12 जिलों में

13.3 उच्च शिक्षा

दिसंबर 2024 तक राज्य में सरकारी क्षेत्र में 961 हाई स्कूल, 1,988 सीनियर सेकेंडरी स्कूल और 145 डिग्री कॉलेज, जिनमें 9 संस्कृत कॉलेज, 1 राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एस.सी.ई.आर.टी.), 1 बी.एड. कॉलेज और 1 फाईन आर्ट कॉलेज संचालित हैं।

13.4 छात्रवृत्ति योजनाएँ

समाज के वंचित वर्ग की शैक्षिक स्थिति में सुधार लाने के लिए राज्य/केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न चरणों में विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियाँ/वजीफे प्रदान किए जा रहे हैं। छात्रवृत्ति योजनाएँ इस प्रकार हैं

सारणी 13.2

2024–25 के दौरान माध्यमिक/उच्च शिक्षा के लिए राज्य/केंद्र प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाएँ

क्र. सं.	योजनाएं	छात्रवृत्ति और आधारभूत ढाँचा	कुल लाभान्वित विद्यार्थी
राज्य प्रायोजित छात्रवृति योजनाएं			
1	**अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए डा0 अम्बेदकर मेधावी छात्रवृति योजना**	हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्धित स्कूलों के परिणाम के आधार पर 10वीं कक्षा की परीक्षा के शीर्ष 1,250 अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को ₹18,000 प्रतिवर्ष दिए जाते हैं।	1770
2	**अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए डा0 अम्बेदकर**	हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्धित स्कूलों के परिणाम के आधार पर 10वीं कक्षा की परीक्षा के शीर्ष 1,000	704

	मेधावी छात्रवृति योजना	अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को ₹18,000 प्रतिवर्ष दिए जाते हैं।	
3	**स्वामी विवेकानन्द उत्कृष्ट छात्रवृति योजना**	हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्धित स्कूलों के 10वीं कक्षा की परीक्षा के आधार पर सामान्य श्रेणी के शीर्ष 2,000 मेधावी छात्रों को ₹18,000 प्रतिवर्ष दिए जाते हैं।	1989
4	**ठाकुर सेन नेगी उत्कृष्ट छात्रवृति योजना**	हिमाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजाति से सम्बन्ध रखने वाले शीर्ष 100 लड़कियां और 100 लड़कों को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (एच.पी.बी.ओ.एस.ई.) दसवीं कक्षा की परीक्षा के आधार पर ₹11,000 प्रतिवर्ष दिए जाते हैं।	229
5	**महार्षि बाल्मीकि छात्रवृति योजना**	बाल्मीकि परिवारों से संबंधित हिमाचली लड़कियों को ₹18,000 प्रतिवर्ष दिए जाते हैं।	भुगतान प्रक्रियाधीन है।
6	**प्लस टू के बाद के छात्रों के लिए इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृति योजना**	यह छात्रवृत्ति हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान की जाने वाली 10+2 कला, विज्ञान और वाणिज्य की प्रत्येक स्ट्रीम के 10 टॉपरों को और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली बीए/बीएससी/बीकॉम की मेरिट सूची के 10 टॉपरों को प्रदान की जाती है, जिसके तहत प्रति छात्र ₹18,000 प्रति वर्ष की राशि प्रदान की जाती है।	47
7	**सैनिक स्कूल सुजानपूर टिहरा छात्रवृति**	यह छात्रवृति सैनिक स्कूल सुजानपुर टीहरा में छठी से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले उन विद्यार्थियों के लिए है जो हिमाचल प्रदेश के वास्तविक निवासी हैं । प्रति विद्यार्थी ₹18,000 प्रति वर्ष की राशि के साथ–साथ 295 दिनों के लिए ₹10 प्रतिदिन की दर से आहार राशि, वस्त्र भत्ता पहले वर्ष के लिए ₹1,500 प्रति वर्ष तथा उसके बाद के वर्षों के लिए ₹750 प्रति वर्ष	142

		प्रदान किया जाता है।	
8	**राष्ट्रीय रक्षा अकादमी छात्रवृति योजना**	यह छात्रवृति नेशनल अकादमी खडकवासला मे ट्रेनिंग ले रहे हिमाचल प्रदेश के छात्रों को विभिन्न दरों से प्रदान की जा रही है । निम्न आय समूह के कैडेट को ₹12000 (₹3000 आरंभिक एकमुश्त अनुदान और ₹1500 छह सेमेस्टर के लिए प्रति कैडेट प्रति सेमेस्टर की दर पर पॉकेट भत्ता) प्रदान किया जा रहा है। मध्यम आय समूह के कैडेट को ₹9450 (₹2,250 आरंभिक एकमुश्त अनुदान और ₹1,200 छह सेमेस्टर के लिए प्रति कैडेट प्रति सेमेस्टर की दर पर) पॉकेट भत्ता प्रदान किया जा रहा है)। उच्च आय समूह के कैडेट को ₹6900 (₹1,500 आरंभिक एकमुश्त अनुदान और ₹900 छह सेमेस्टर के लिए प्रति कैडेट प्रति सेमेस्टर की दर पर पॉकेट भत्ता प्रदान किया जा रहा है)।	आज तक किसी भी छात्र ने इस योजना के अन्तर्गत आवेदन नहीं किया है।
9	**कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना**	इस योजना के अन्तर्गत, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा दी गई मेरिट सूची के अनुसार प्रत्येक विषयों जैसे कि विज्ञान, कला और वाणिज्य की शीर्ष 2,000 मेधावी छात्राओं को 12वीं के बाद के पाठक्रमों के लिए प्रति वर्ष ₹18,000 दिए जाते हैं।	2,352
10	**मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना**	हिमाचल प्रदेश के छात्र जो यहाँ के मूल निवासी हैं, द्वारा किसी भी भारतीय तकनीकी संस्थान और अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान में डिग्री कोर्स, भारतीय प्रबंधन अनुसन्धान, इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स धनबाद, झारखंड में और भारतीय विज्ञान अनुसंधान बैंगलोर के	179

		स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश प्राप्त होने पर एकमुश्त ₹75,000 का पुरस्कार दिया जाता है।	
11	**राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज छात्रवृत्ति**	हिमाचल प्रदेश के छात्र जो यहाँ के मूल निवासी हैं और राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज, देहरादून में 8वीं से 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं, ₹24,000 प्रति वर्ष की राशि दी जाती है।	9
12	**मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना (आई.आर.डी.पी. छात्रवृत्ति योजना)**	इस छात्रवृत्ति के अंतर्गत पुरुष स्कूली छात्रों के लिए ₹1,500, महिला स्कूली छात्राओं के लिए ₹2,000 और कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों (डे स्कॉलर) के लिए ₹5,000, छात्रावास में रहने वालों के लिए ₹6,000 प्रति वर्ष दिए जाते हैं। राज्य सरकार ने आई.आर.डी.पी. छात्रवृत्ति योजना का नाम बदलकर "मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना" कर दिया है।	7,861
13	**विभिन्न युद्धों के दौरान शहीद हुए /दिव्यांग हुए सशस्त्र सेनाओं के बच्चों के लिए वित्तीय सहायता**	विभिन्न युद्धों / ऑपरेशनों में शहीद / विकलांग हुए सशस्त्र बलों के कर्मियों के बच्चे इस सहायता के लिए पात्र हैं। यदि विकलांगता 50 प्रतिशत से कम है, तो बच्चों को आधी छात्रवृत्ति मिलेगी। छात्रवृत्ति की राशि प्रति छात्र ₹18,000 प्रति वर्ष है (संशोधित 2022–23 से)।	इस योजना के अंतर्गत किसी भी आवेदक ने आवेदन नहीं किया।
14	**मुख्यमंत्री ज्ञान दीप योजना (शिक्षा ऋण सब्सिडी योजना)**	इस योजना के अंतर्गत भारत में उच्च अध्ययन के लिए अधिकतम ₹10 लाख तक के शिक्षा ऋण पर 4 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी दी जाती है।	1,088
15	**डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना (शैक्षिक ऋण सब्सिडी योजना)**	इस योजना के अन्तर्गत पात्र मूल हिमाचली विद्यार्थी व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रबंधन, पैरा–मेडिकल, फार्मेसी, नर्सिंग, कानून और आईटीआई/पॉलिटेक्निक से तकनीकी पाठ्यक्रमों में डिप्लोमा और डिग्री पाठ्यक्रम	इस योजना के अंतर्गत ऋण के लिए निदेशालय स्तर पर 24 छात्रों के आवेदन पत्रों

		और साथ ही संबंधित शैक्षणिक संस्थानों/विश्वविद्यालयों से पीएचडी करने के लिए जो सक्षम नियामक निकायों जैसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, अखिल भारतीय प्रबंधन संघ, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय नर्सिंग परिषद, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इत्यादि द्वारा मान्यता प्राप्त हों, हिमाचल प्रदेश में स्थित अनुसूचित बैंकों के माध्यम से 1 प्रतिशत की ब्याज दर पर शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं । इस छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के लिए छात्रों को पिछली कक्षा में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए। शिक्षा ऋण भारत और विदेश में अध्ययन के लिए उपलब्ध होगा। छात्र अधिकतम ₹20.00 लाख तक का शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। आवेदक के परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹4.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, शैक्षिक ऋण की सुविधा प्राप्त करने के लिए छात्रों की आयु सीमा निर्दिष्ट पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण/प्रवेश तिथि के अनुसार अधिकतम 28 वर्ष होगी।	की अनुशंसा /अनुमोदन किया गया।

केन्द्र प्रायोजित योजनाएं (2024–25)

1.	**ओ.बी.सी. और अन्य के लिए वाइब्रेंट इंडिया के अन्तर्गत् पी.एम. यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना (पी.एम.–वाई.ए.एस.ए.एस.वी.आई.)**		
क्र. सं.	**योजनाएं**	**छात्रवृत्ति और आधारभूत ढाँचा**	**कुल लाभान्वित विद्यार्थी**
i	**अन्य पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग एवं डी.एन.टी. वर्ग के छात्र/छात्राओं के**	छात्रवृत्ति उन छात्रों को दी जाती है जिनके माता–पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों से आय ₹2,50,000 प्रति वर्ष से अधिक नहीं है। छात्रों को प्रति वर्ष ₹4,000 का समेकित शैक्षणिक भत्ता दिया जाता है।	7,358

	लिये पूर्व मैट्रिक छात्रवृति		
ii	**अन्य पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग/डी. एन.टी. वर्ग के छात्र/ छात्रों के लिये के लिये मैट्रिकोत्तर छात्रवृति**	मैट्रिकोत्तर छात्रवृति ₹2.50 लाख प्रति वर्ष तक की वार्षिक आय वाले सभी ओ.बी.सी./ई.बी.सी./डी.एन.टी. छात्रों को दी जाएगी। समूह–1 पाठ्यक्रमों के लिए–20,000 रुपये की निश्चित राशि (फीस 10,000 रुपये + शैक्षणिक भत्ता 10,000 रुपये) प्रदान की जाती है। समूह–2 पाठ्यक्रमों के लिए–13,000 रुपये तक की निश्चित राशि (फीस 5,000 रुपये + शैक्षणिक भत्ता 8,000 रुपये) प्रदान की जाती है। समूह–3 पाठ्यक्रमों के लिए–8,000 रुपये की निश्चित राशि और (फीस 2,000 रुपये + शैक्षणिक भत्ता 6,000 रुपये) प्रदान की जाती है। समूह–4 पाठ्यक्रमों के लिए–सभी पोस्ट–मैट्रिकुलेशन पाठ्यक्रम जैसे 10+1 और 10+2 कक्षाएं, 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा/ आई.टी.आई. कोर्स के लिए ₹5,000 की निश्चित राशि (शुल्क शून्य, ₹5,000 का शैक्षणिक भत्ता) प्रदान की जाती है।	14,554
iii	**अन्य पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग/डी. एन.टी. वर्ग के छात्र/ छात्रों के लिये शीर्ष श्रेणी की स्कूली शिक्षा छात्रवृति**	सर्वोच्च श्रेणी की स्कूली शिक्षा उन सभी ओबीसी/ईबीसी/डीएनटी छात्रों को दी जाएगी जिनके माता–पिता/ अभिभावकों की सभी स्रोतों से वार्षिक आय प्रति वर्ष ₹2,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। शीर्ष श्रेणी के स्कूल जिन्होंने 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में 100 प्रतिशत उत्तीर्ण प्रतिशत बनाए रखा है, उन्हें मंत्रालय में संयुक्त सचिव (बी.सी.) की	शून्य

		अध्यक्षता वाली एक समिति और स्कूल शिक्षा विभाग और नीति आयोग के प्रतिनिधित्व के साथ शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। स्कूलों द्वारा आवश्यकतानुसार ट्यूशन फीस, छात्रावास शुल्क और अन्य शुल्क के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है, जो कक्षा 9वीं और 10वीं के प्रत्येक छात्र के लिए अधिकतम ₹75,000 प्रति वर्ष और कक्षा 11वीं और 12वीं के प्रत्येक छात्र के लिए ₹1,25,000 प्रति वर्ष है। इनमें से कम से कम 30 प्रतिशत छात्रवृत्तियाँ लड़कियों के लिए आरक्षित हैं।	
2.	**अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृति**	यह छात्रवृति अनुसूचित जाति के सभी छात्रों को देय है जिनके माता पिता की वार्षिक आय ₹2,50,000 तक हो। समूह–1 के डिग्री और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रम के डे स्कॉलर के लिए ₹7,000 और हॉस्टलर्स के लिए ₹13,500 वार्षिक। समूह–2 के अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाणपत्र कोर्स के डे स्कॉलर के लिए ₹6,500 और हॉस्टलर्स के लिए ₹9,500 वार्षिक। समूह–3 के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जो समूह । और समूह 2 के अंतर्गत नहीं आते हैं। डे स्कॉलर के लिए ₹3,000 और हॉस्टलर्स के लिए ₹6,000 वार्षिक । समूह–4 के लिए सभी पोस्ट–मैट्रिकुलेशन गैर–डिग्री पाठ्यक्रमों के डे स्कॉलर के लिए ₹2,500 और हॉस्टलर्स के लिए ₹4,000 वार्षिक ।	22,175

3.	**अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृति**	अनुसूचित जनजातियों के वे छात्र जिनके माता–पिता की वार्षिक आय ₹2,50,000 तक है, इस योजना के लिए पात्र हैं। समूह–1, डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के डे स्कॉलर और हॉस्टलर्स क्रमशः ₹5,500 और ₹12,000 प्रति वर्ष के लिए पात्र हैं। समूह–2 के अन्य व्यावसायिक डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम, के लिए डे स्कॉलर और हॉस्टलर्स क्रमशः ₹5,300 और ₹8,200 प्रति वर्ष के लिए पात्र हैं। समूह–3 के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अंतर्गत नहीं आते हैं, डे स्कॉलर और हॉस्टलर्स क्रमशः ₹3,000 और ₹5,700 प्रति वर्ष के लिए पात्र हैं। समूह–4 के पाठ्यक्रम (कक्षा 10 के बाद) गैर–डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए डे स्कॉलर और हॉस्टलर्स क्रमशः ₹2,300 और ₹3,800 प्रति वर्ष के लिए पात्र हैं।	3,989
4.	**अनुसूचित जाति वर्ग के लिये पूर्व मैट्रिक छात्रवृति**	पूर्व मैट्रिक छात्रवृति अनुसूचित जाति के 9वीं व 10वीं कक्षा के ऐसे छात्र/छात्राओं को देय है, जिनके माता–पिता/संरक्षक की वार्षिक आय ₹2.50 लाख से अधिक न हो। एक शैक्षणिक वर्ष के लिए डे स्कॉलर्स को ₹3,500 और हॉस्टलर्स को ₹7,000 प्रति वर्ष की दर से छात्रवृति दी दी जाती है।	17,124
5.	**अनुसूचित जन–जाति वर्ग के लिये पूर्व मैट्रिक छात्रवृति**	पूर्व मैट्रिक छात्रवृति अनुसूचित जन–जाति के 9वीं व 10वीं कक्षा के ऐसे छात्र/छात्राओं को देय है, जिनके माता–पिता/संरक्षक की वार्षिक आय ₹2.50 लाख से अधिक न हो। एक	2,035

		शैक्षणिक वर्ष के लिए, डे स्कॉलर्स को ₹3,000 और हॉस्टलर्स को ₹6,250 प्रति वर्ष की दर से स्कॉलरशिप दी जाएगी।	
6.	**अल्प सख्यंक वर्ग के लिए मैरिट–कम –मीन्ज छात्रवृति योजना**	यह छात्रवृत्ति मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध समुदायों के अल्पसंख्यक छात्रों के लिए है।	शून्य
7.	**अल्प सख्यंक वर्ग के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृति**	यह छात्रवृत्ति सरकारी/मान्यता प्राप्त निजी स्कूल/कॉलेज/संस्थान में ग्यारहवीं से पीएचडी स्तर तक (तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित) अल्पसंख्यक (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी) विद्यार्थियों के लिए दी जा रही है।	शून्य
8	**विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की योजना**	**(i) बेंचमार्क विकलांगता वाले छात्रों के लिए प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति** एक वर्ष में स्वीकृत की जाने वाली प्री–मैट्रिक छात्रवृत्तियों की संख्या 25,000 है। वह सरकारी स्कूल या सरकार द्वारा केंद्रीय/राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 9वीं व 10वीं में पढ़ने वाला एक नियमित, पूर्णकालिक छात्र होना चाहिए। यह छात्रवृत्ति 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता वाले विद्यार्थियों के लिए है, जिनके पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नियमों के तहत विकलांगता का वैध प्रमाण पत्र है। प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान उन छात्रों को किया जाएगा जिनके माता–पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों से आय प्रति वर्ष ₹2,50,000 से अधिक नहीं है। **(ii) बेंचमार्क विकलांगता वाले छात्रों के लिए पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति–** यह छात्रवृत्ति 40 प्रतिशत या उससे अधिक	47 93

		विकलांगता वाले विद्यार्थियों के लिए है, जिनके पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नियमों के तहत विकलांगता का वैध प्रमाण पत्र है। पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान उन छात्रों को किया जाएगा जिनके माता–पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों से आय प्रति वर्ष ₹2,50,000 से अधिक नहीं है। **(iii) शीर्ष श्रेणी शिक्षा छात्रवृत्ति** – यह छात्रवृत्ति डी.ई.पी.डब्ल्यू.डी द्वारा अधिसूचित संस्थानों में स्नातक डिग्री/स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा के लिए दी जाती है। यह छात्रवृत्ति 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता वाले विद्यार्थियों के लिए है, जिनके पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नियमों के तहत विकलांगता का वैध प्रमाण पत्र है।	02
9	**अल्पसंख्यक समुदायों की मेधावी छात्राओं के लिए बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति**	इस योजना के अंतर्गत कक्षा 9वीं व 10वीं की छात्राओं को ₹5,000 तथा 11वीं और 12वीं की छात्राओं को ₹6,000 प्रदान किए जाते हैं।	
10	**अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति**	यह छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदायों (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी) के विद्यार्थियों को भारत में किसी सरकारी या निजी स्कूल में कक्षा 1 से कक्षा 10 तक अध्ययन के लिए प्रदान की जाती है, जिन्होंने पिछली अंतिम परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों।	

13.5 संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देना

संस्कृत शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु प्रदेश सरकार के साथ–साथ केन्द्र सरकार द्वारा भी निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों का विवरण निम्न प्रकार से है:

क) उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में संस्कृत पढ़ रहे विद्यार्थियों को संस्कृत छात्रवृति प्रदान करना ।

ख) माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत पढ़ाने के लिए संस्कृत व्याख्याताओं के वेतन के लिए अनुदान प्रदान करना

ग) संस्कृत पाठशालाओं का आधुनिकीकरण करना।

घ) संस्कृत के उत्थान तथा शोध/शोध परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना।

13.6 शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष 2024–25 के दौरान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद सोलन और राजकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश ने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें स्कूलों/कॉलेजों के 802 शिक्षण और गैर–शिक्षण कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।

13.7 निःशुल्क पाठय पुस्तकें

राज्य सरकार 9वीं और 10वीं कक्षा के सभी छात्रों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें प्रदान करती है। 2024–25 के दौरान इस योजना के तहत 1,41,970 छात्र लाभान्वित हुए हैं।

13.8 विशेष रूप से सक्षम बच्चों को मुफ्त शिक्षा

40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले छात्रों को जमा दो स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है तथा शिक्षा शुल्क और अन्य निधि भी नहीं ली जा रही है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा शुल्क में भी छूट प्रदान की गई है।

13.9 लड़कियों को मुफ्त शिक्षा

राज्य में छात्राओं को विश्वविद्यालय स्तर तक बिना किसी शिक्षण शुल्क के निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है।

13.10 सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा

सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा सभी सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में स्वयं आर्थिक प्रबन्धन आधार पर प्रदान की जाती है, जिसमें छात्र इसे वैकल्पिक विषय के रूप में चुनते

हैं। विभाग प्रति छात्र प्रति माह ₹110 का सूचना प्रौद्योगिकी शुल्क लेता है। अनुसूचित जाति (बी.पी.एल.) परिवारों के छात्रों को शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी जाती है। शैक्षणिक वर्ष 2024–25 में, कुल 68,250 छात्र सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा में नामांकित हैं, और अनुसूचित जाति (बी.पी.एल.) पृष्ठभूमि के 4,756 छात्रों ने इस योजना के अन्तर्गत शुल्क छूट का लाभ उठाया है।

13.11 राजीव गांधी सरकारी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल

माननीय मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 2023–24 के बजट भाषण में हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक "राजीव गांधी सरकारी मॉडल डे–बोर्डिंग स्कूल" खोलने की घोषणा की है, जिसमें प्री–प्राइमरी से 12वीं कक्षा तक कम से कम 900–1000 छात्रों को समायोजित करने की क्षमता होगी। इन स्कूलों में हाईटेक स्मार्ट क्लास रूम, खेल के मैदान, इनडोर स्टेडियम/खेल के मैदान और स्विमिंग पूल जैसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

पांच राजीव गांधी सरकारी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूलों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जिनमें लाहडू और नगरोटा बगवां (कांगड़ा), अमलेहड़ और भोरंज (हमीरपुर) और साघनेई (ऊना) शामिल हैं।

13.12 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान

उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए राज्य में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान लागू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत 70 कॉलेजों और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) को अनुदान दिया जा रहा है। एचपीयू शिमला को मल्टी–डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज (एम.ई.आर.यू.) के तहत चुना गया है। सरदार पटेल विश्वविद्यालय, मंडी को मजबूत करने के लिए अनुदान (जी.एस.यू), 4 कॉलेजों यानी सरकारी कॉलेज दाड़लाघाट, सरकारी कॉलेज भलेई, डीएवी कांगड़ा, सरकारी कॉलेज मंडी को मजबूत करने के लिए अनुदान (जी.एस.सी.) और 04 जिलों यानी सिरमौर, चंबा, ऊना और कांगड़ा को प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम–यू.एस.एच.ए.) के लिंग समावेशन और इक्विटी पहल (जी.आई एंड ई.आई.) के तहत चुना गया है।

13.13 मेधा प्रोत्साहन योजना

इस योजना का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित तकनीकी/व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT)/राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET)/भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान–संयुक्त प्रवेश परीक्षा (IIT-JEE) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS)/सशस्त्र सेना मेडिकल कॉलेज (AFMC)/राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)/कर्मचारी चयन

आयोग (SSC)/बैंकिंग आदि परीक्षाओं की कोचिंग प्रदान कर उनकी सहायता करना है। हिमाचल प्रदेश के मेधावी विद्यार्थी जिनके परिवारों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं है, वे इस योजना के लिए पात्र हैं। कुछ छात्रवृत्तियों के विलय का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

13.14 क्लोज सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) निगरानी प्रणाली की स्थापना

सी.सी.टी.वी. निगरानी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान राज्य के 91 सरकारी उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में कैमरे लगाए जा रहे हैं।

13.15 खेल से स्वास्थ्य योजना

वर्ष 2023–24 और 2024–25 के दौरान विभाग ने स्कूलों और कॉलेजों को 74 कबड्डी मैट, 08 बॉक्सिंग रिंग, 09 कुश्ती मैट और 17 वेटलिफ्टिंग प्लेटफॉर्म सेट उपलब्ध कराए हैं, जिनकी कीमत ₹255.71 लाख है। इस योजना के अन्तर्गत लगभग 70 स्कूल और 20 कॉलेज शामिल किए जा रहे हैं।

13.16 स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना

इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों के 10वीं कक्षा के शीर्ष 100 मेधावी छात्रों को व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कोचिंग लेने हेतु ₹1.00 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान इस योजना के लिए ₹1.00 करोड़ की राशि स्वीकृत की है।

13.17 स्कूलों और कॉलेजों के लिए सी.वी. रमन वर्चुअल क्लासरूम

सी.वी. रमन वर्चुअल क्लासरूम योजना के अन्तर्गत, राज्य के 29 सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों और और 17 सरकारी कॉलेजों के लिए खरीद प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

13.18 व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रम (बी. वोक) के स्नातक

राज्य के 20 सरकारी कॉलेजों में दो क्षेत्रों यानी रिटेल मैनेजमेंट (आरएम) और हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म (एचएंडटी) में बी.वोक डिग्री प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस योजना के तहत एक बैच में 80 छात्र नामांकित हैं (आरएम में 40 छात्र और एचएंडटी में 40 छात्र)। शैक्षणिक सत्र 2024–25 के दौरान 3,347 छात्र प्रशिक्षण के अन्तर्गत नामांकित हैं।

13.19 क्लस्टर स्कूल

सरकार ने दिशा–निर्देश जारी किए हैं कि राज्य शिक्षा विभाग स्कूल क्लस्टर दृष्टिकोण अपनाए ताकि शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों के समग्र विकास पर सकारात्मक

प्रभाव डाला जा सके। वर्तमान में राज्य में 2,252 क्लस्टर स्कूल (सरकारी उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय) काम कर रहे हैं।

13.20 स्कूलों को गोद लेना

"अपना विद्यालय हिमाचल स्कूल गोद लेने का कार्यक्रम" के तहत, 1,765 सरकारी सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों / उच्च विद्यालयों को 2,811 व्यक्तियों द्वारा गोद लिया गया है। इनमें सेवानिवृत्त शिक्षाविद्/ विधायक/ सांसद/ आई.ए.एस./ एच.ए.एस./ आई.एफ.एस./ आई.पी.एस./ डॉक्टर/सामाजिक कार्यकर्ता/अन्य विभागीय कर्मचारी आदि शामिल हैं।

सारणी 13.3

शैक्षणिक संस्थानों का वितरण

स्कूलों का प्रकार	शैक्षणिक संस्थानों की संख्या 2024–25 दिसंबर, 2024 तक	गैर–कार्यात्मक शैक्षणिक संस्थानों की संख्या
उच्च विद्यालय	961	02
वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	1988	04
सरकारी डिग्री कॉलेज/संस्कृत कॉलेज	145	05
कुल	**3094**	**11**

13.21 समग्र शिक्षा

इस एकीकृत योजना का मुख्य जोर दो टी–शिक्षक और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करके स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस रणनीति के तहत स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सीखने के परिणामों को बढ़ाना है। समग्र शिक्षा 90:10 (90 प्रतिशत भारत सरकार और 10 प्रतिशत राज्य सरकार) के साझा पैटर्न में चल रही है।

समग्र शिक्षा के तहत चल रही विभिन्न मुख्य योजनाएँ इस प्रकार हैं

प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा

प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) को स्कूली शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है। ये स्कूल से पहले के वर्ष बच्चे के शैक्षिक जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं और बाद के वर्षों में प्रभावी स्कूली शिक्षा की नींव रखते हैं। प्रभावी ई.सी.सी.ई. से उच्च कक्षाओं में गुणात्मक नामांकन होता है, ड्रॉपआउट दर में कमी आती है और बच्चों को

प्रारंभिक कक्षाओं में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता हासिल करने में भी मदद मिलती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.ई.पी.) 2020 में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के विस्तार की परिकल्पना की गई है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शामिल करने पर जोर दिया गया है। यह नीति बच्चों के शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक–भावनात्मक–नैतिक, सांस्कृतिक/कलात्मक, संचार और प्रारंभिक भाषा, साक्षरता और संख्यात्मक विकास कौशल पर केंद्रित है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा पर जोर देने से पूरे भारत में प्रारंभिक कक्षा के शिक्षार्थियों के लिए व्यापक विकासात्मक लाभ प्रदान करने की क्षमता है।

13.22 पूर्व प्राथमिक ई.सी.सी.ई.

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में पहले चरण में राज्य भर के 3,391 प्राथमिक विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक (ई.सी.सी.ई.) कक्षाएं शुरू की गई थीं। पिछले कुछ वर्षों में, विभिन्न जिलों के स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से जोड़ा गया है। वर्तमान में राज्य के चयनित 6,202 प्राथमिक विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कार्यक्रम चल रहा है और राज्य भर में इस कार्यक्रम के तहत 66,852 बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

i. सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) परियोजना

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) आधुनिक समाज के मूलभूत निर्माण खंडों में से एक बन गई है। पहुँच, समानता और गुणवत्ता के तीन प्रमुख सिद्धांतों को ICT की अपार क्षमता का दोहन करके प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सकता है। शिक्षकों के लिए, ICT न केवल ICT कौशल का निर्माण करता है बल्कि व्यापक रूप से शिक्षण और सीखने को भी बढ़ाता है। ICT समाधानों ने आधारभूत कौशल के निर्माण में अपनी शक्ति दिखाई है, जिससे संचार, सहयोग, रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और समस्या–समाधान जैसे महत्वपूर्ण 21वीं सदी के कौशल विकसित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

ii. व्यावसायिक शिक्षा

भारत सरकार ने सितंबर, 2013 में स्कूली शिक्षा में रोजगारपरक शिक्षा को एकीकृत करके माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की एक संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की है। अब यह योजना हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में स्कूली शिक्षा के व्यावसायीकरण के तहत राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा कार्यक्रम कार्यान्वयन के अंतर्गत आती है, जिसने व्यावसायिक कौशल का प्रमाणन

प्रदान करके स्कूल से उच्च शिक्षा तक स्पष्ट व्यावसायिक मार्ग की एक प्रणाली स्थापित की है। इस परियोजना को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए अनुमोदित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य छात्रों को उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद रोजगारपरक बनाना है।

राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा को राज्य के 1,274 सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में 16 विभिन्न व्यावसायिक ट्रेडों/क्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया है, जिनमें स्वास्थ्य सेवा, कृषि, खुदरा, पर्यटन और आतिथ्य, ऑटोमोबाइल, आईटी/आईटीईएस, दूरसंचार, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा, मीडिया और मनोरंजन, शारीरिक शिक्षा, निजी सुरक्षा, परिधान निर्माण और घरेलू साज–सज्जा, सौंदर्य और कल्याण, इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर, खाद्य प्रसंस्करण और प्लंबिंग शामिल हैं।

सत्र 2022–23 और 2023–24 के दौरान छात्रों का कुल नामांकन क्रमशः 92,054 और 97,821 था

iii. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा (CwSN)

समावेशी शिक्षा एक सामान्य शिक्षण वातावरण में की जाती है, जो एक शैक्षिक सेटिंग है जहाँ विभिन्न क्षमताओं वाले छात्र एक समावेशी वातावरण में एक साथ सीखते हैं। विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना वर्ष 1992 में सामान्य स्कूलों में विकलांग बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करने और स्कूल प्रणाली में उनके बने रहने की सुविधा के लिए शुरू की गई थी। समग्र शिक्षा मानदंडों को विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 द्वारा और मजबूत किया गया, जो जाति, लिंग, विकलांगता आदि के आधार पर किसी भी भेदभाव के बिना बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की बात करता है।

हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2023–24 में विशेष आवश्यकता वाले 5,700 बच्चों की पहचान की गई है, जिनमें से पूर्व–प्राथमिक स्तर पर 129, प्रारंभिक स्तर पर 4,013 तथा माध्यमिक स्तर पर 1,558 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को औपचारिक स्कूलों में शामिल किया गया है। प्रारंभिक स्तर पर गंभीर और गहन गंभीर श्रेणी के 1,464 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए गृह आधारित शिक्षा कार्यक्रम लागू किया गया।

समावेशी शिक्षा के अंतर्गत गतिविधियाँ

क) चिकित्सा मूल्यांकन शिविर

ख) सहायक उपकरण एवं सहायता सामग्री का वितरण
ग) दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल पुस्तकें और विस्तृत प्रिंट पुस्तकें
घ) अनुरक्षण भत्ता
ड़) गृह आधारित शिक्षा कार्यक्रम
च) लड़कियों के लिए वजीफा
छ) पर्यावरण निर्माण कार्यक्रम
ज) विशेष शिक्षकों की नियुक्ति
झ) सेवारत विशेष शिक्षकों की क्षमता निर्माण
ञ) खेलकूद कार्यक्रम
ट) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक्सपोजर विजिट
ठ) मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए डे केयर सेंटर
ड) छात्रावास सुविधा वाले मॉडल समावेशी स्कूल
ढ) प्रधानाचार्यों, शैक्षिक प्रशासकों का उन्मुखीकरण

iV. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (के.जी.बी.वी.)

हिमाचल प्रदेश में 14 के.जी.बी.वी. हैं। जिनमें से ग्यारह चंबा जिले में, एक शिमला जिले में और दो सिरमौर जिले में हैं। सभी 14 के.जी.बी.वी. पूरी तरह से काम कर रहे हैं और समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) के माध्यम से प्रबंधित किए जा रहे हैं। वर्तमान में, सभी केजीबीवी में 908 लड़कियां रह रही हैं। ये सभी छात्रावास सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक / उच्च विद्यालयों से जुड़े हुए हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आई.आर.डी.पी. से संबंधित लड़कियां छात्रावास में रह रही हैं। हिमाचल प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पढ़ने वाली लड़कियां ज्यादातर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों से हैं।

V. शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (UDISE+)

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने ऑफ़लाइन UDISE को ऑनलाइन UDISE+ में बदल दिया है ताकि भविष्य में देश वास्तविक समय डेटा की ओर बढ़ सके। वर्ष 2022–23 के लिए UDISE+ ऑनलाइन डेटा एकत्र किया गया और 24 अगस्त, 2023 को अंतिम रूप दिया गया और प्रमाणित किया गया। जिलों को संबंधित UDISE रिपोर्ट स्कूलों, क्लस्टर संसाधन केंद्र समन्वयक (सीआरसीसी), ब्लॉक संसाधन केंद्र समन्वयक (बीआरसीसी), ब्लॉक प्राथमिक शिक्षा अधिकारी (बीपीईओ) और उप निदेशकों के साथ साझा करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा, सभी जिले सामाजिक लेखापरीक्षा के भाग के रूप में समुदाय अर्थात स्कूल प्रबंधन

समिति/मातृ शिक्षक संघ (एसएमसी/एमटीए) आदि के साथ UDISE स्कूल रिपोर्ट कार्ड को साझा करते हैं और उस पर चर्चा करते हैं।

vi शिक्षक एवं छात्र विनिमय कार्यक्रम

शिक्षक और छात्र विनिमय कार्यक्रम के तहत, 240 छात्रों के साथ 24 शिक्षकों ने दो बैचों में केरल का दौरा किया। 120 छात्रों और 12 अनुरक्षण शिक्षकों के पहले समूह ने 20 से 28 जनवरी 2024 तक और 120 छात्रों और 12 अनुरक्षण शिक्षकों के दूसरे समूह ने 27 जनवरी से 04 फरवरी 2024 तक केरल का दौरा किया।

vii. खेल और शारीरिक शिक्षा

खेल और शारीरिक शिक्षा घटक समग्र शिक्षा का हिस्सा रहा है जिसमें खेल उपकरणों की खरीद का प्रावधान है। इनडोर और आउटडोर खेलों के लिए खेल उपकरणों की खरीद पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए इस घटक से खर्च किया जाता है।

viii. युवा और पर्यावरण क्लब

युवा क्लबों में भागीदारी, छात्रों को आवश्यक जीवन कौशल विकसित करने, उनके आत्मसम्मान को पोषित करने और चुनौतियों और बाधाओं को दूर करने की क्षमता विकसित करने का अवसर प्रदान करती है।

स्कूलों में इको क्लब समग्र शिक्षा के तहत एक हस्तक्षेप है जो छात्रों को सार्थक पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों और परियोजनाओं को अपनाने में सक्षम बनाता है, जिससे चल रही पर्यावरणीय चिंता के लिए संवेदनशीलता और समझ विकसित होती है।

ix. सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग और इंसिनेरेटर मशीनें

वित्त वर्ष 2023–24 में, हिमाचल प्रदेश के 4,739 सरकारी विद्यालयों में समग्र शिक्षा के तहत सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग और इंसिनेरेटर मशीनें स्थापित की गई हैं, जिनमें 1,949 मिडिल माध्यमिक विद्यालय, 936 उच्च विद्यालय और 1,854 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं।

x. आत्मरक्षा प्रशिक्षण

समग्र शिक्षा के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के सरकारी माध्यमिक/ उच्च विद्यालय / वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को आत्मरक्षा की विभिन्न तकनीकों में विशेषज्ञ प्रशिक्षकों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है।

वर्ष 2023–24 में 4,706 सरकारी स्कूलों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया गया तथा 2,58,223 छात्राओं को प्रशिक्षित किया गया

13.23 तकनीकी शिक्षा

तकनीकी शिक्षा विभाग वर्ष 1968 में अस्तित्व में आया। जुलाई, 1983 में व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को इसके दायरे में लाया गया। वर्तमान में विभाग तकनीकी, व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। इच्छुक छात्र इंजीनियरिंग और फार्मेसी में डिग्री कोर्स, पॉलिटेक्निक कॉलेजों में डिप्लोमा कोर्स और आई. टी.आई. में सर्टिफिकेट कोर्स में निम्नलिखित संस्थानों में प्रवेश ले सकते हैं:

सारणी 13.4

नाम तथा संस्थाओं की संख्या

क्रमांक	संस्थान का नाम	संस्थानों की संख्या
1	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.), मंडी, कमांद	01
2	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर	01
3	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, कांगड़ा	01
4	भारतीय प्रबंधन संस्थान (आई.आई.एम.), सिरमौर	01
5	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ऊना	01
6	केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (सी. आई.पी.ई.टी.), बद्दी, तहसील नालागढ़, जिला सोलन।	01
7	महिलाओं के लिए क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान (आर. वी.टी.आई.) झुंडला, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला	01
8	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) प्रौद्योगिकी केंद्र बद्दी, जिला सोलन, हि.प्र.	01
9	सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज	05
10	सरकारी फार्मेसी कॉलेज	05
11	बी–फार्मेसी कॉलेज (निजी क्षेत्र)	18
12	इंजीनियरिंग कॉलेज (निजी क्षेत्र)	07
13	बहुतकनीकी सरकारी क्षेत्र में	17
14	बहुतकनीकी निजी क्षेत्र में	05
15	डी–फार्मेसी कॉलेज (निजी क्षेत्र)	15
16	डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में द्वितीय शिफ्ट (निजी क्षेत्र)	03
17	सरकारी सह–शिक्षा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	129
18	अत्याधुनिक आई.टी.आई.	11
19	राजकीय मॉडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.)	03

	नालागढ़, जिला सोलन, संसारपुर टैरेस और गढ़जमुला, जिला कांगड़ा	
20	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला)	08
21	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान(निःशक्त व्यक्ति) सुंदरनगर	01
22	सरकारी मोटर ड्राइविंग स्कूल, ऊना	01
23	औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र निजी क्षेत्र में	133
	योग	**369**

सारणी 13.5

कार्यरत संस्थानों में प्रशिक्षणार्थियों की प्रवेश क्षमता

क्रमांक	संस्थानों का विवरण	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1	डिग्री स्तर	2,896
2	बी–फार्मेसी	2,024
3	डिप्लोमा स्तर	5,197
4	सरकारी/निजी आई.टी.आई.	44,284
	योग	**54,401**

13.24 औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव) परियोजना

भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने विश्व बैंक की सहायता प्राप्त एक केंद्रीय क्षेत्र योजना (सी.एस.एस.) स्ट्राइव परियोजना शुरू की है जिसका उद्देश्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) और प्रशिक्षुता के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले कौशल प्रशिक्षण की प्रासंगिकता और दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना में निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और औद्योगिक क्लस्टर भी शामिल हैं। यह परियोजना दिसंबर, 2017 में शुरू हुई और मई, 2024 में पूरी हो गई।

स्ट्राइव परियोजना के तहत राज्य के 33 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (32 सरकारी आई.टी.आई. और 01 निजी) का चयन इन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए किया गया है ताकि प्रशिक्षुओं को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जा सके। परियोजना के अन्तर्गत् ₹4,295 लाख की धनराशि उपयोग का किया गया है।

राज्य में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए, परियोजना के अन्तर्गत् 06 उद्योग क्लस्टर यानी बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (बी.बी.एन.आई.ए.) बद्दी, जिला लघु उद्योग संघ (जे.एल.यू.एस.) बिलासपुर, हिमाचल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड

इंडस्ट्री (एच.सी.सी.आई.) पांवटा साहिब, मैहतपुर औद्योगिक संघ मैहतपुर, सोलन औद्योगिक संघ और हरोली ब्लॉक उद्योग संघ का चयन किया गया है।

वर्ष 2024–25 के दौरान स्ट्राइव परियोजना के अन्तर्गत् उपलब्धियां:

- केंन्द्र प्रायोजित योजना (सी.एस.एस.) स्ट्राइव के अन्तर्गत् 25 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए ₹97.82 लाख की लागत से कुल 25 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम और 3 सरकारी आई.टी.आई. के लिए 6 इंटरैक्टिव पैनल खरीदे गए।
- 10 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के आईटी और कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक (सीओपीए) प्रयोगशालाओं के लिए 120 ऑल–इन–वन कंप्यूटर खरीदे गए, जिन पर कुल ₹89.05 लाख खर्च हुए।
- 16 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए 10 किलो–वोल्ट–एम्पीयर (के.वी.ए.) के पावर सेविंग इनवर्टर की खरीद की गई, जिस पर ₹71.95 लाख खर्च हुए।
- राज्य के 03 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों नामतः औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान निहरी, शिलाई और गढ़जमुल्ला में ₹36.75 लाख की लागत से 25 किलोवोल्ट (के.वी.) के ऑन–ग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य के 16 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में ₹11.79 लाख की लागत से 100 सौर स्ट्रीट लाइट (9 वाट) लगाई गई ।

13.25 अन्य पहल की गई

- राजकीय बहुतकनीकी जन्दौर को शैक्षणिक सत्र 2024–25 से आरम्भ कर दिया गया है।
- राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना के तहत 49 प्रशिक्षुओं और राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत् इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, फार्मेसी कॉलेजों तथा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 94 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण के साथ छात्रवृति भी दी जा रही है।
- राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर में 27 छात्रों को कौशल विकास मंत्रालय के अन्तर्गत् तथा आई.आई.टी. रुड़की द्वारा प्रायोजित "जल ऊर्जा मित्रा कौशल विकास कार्यक्रम" में प्रशिक्षण दिया गया है।
- 399 संकाय सदस्यों और 4,019 छात्रों ने ऑनलाइन ओपन कोर्स/स्वयं पाठ्यक्रमों में पंजीकरण/प्रशिक्षण करवाया गया है।
- 161 संकाय सदस्यों को राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एन.आई.टी.टी.टी.आर.) चंडीगढ़ तथा हिमाचल लोक प्रशासन संस्थान,

शिमला (हिपा) द्वारा ऑनलाइन/ऑफलाइन आयोजित फैक्लटी डेब्लपमैंट प्रोग्राम में प्रशिक्षित करवाया गया है।

- राजकीय हाईड्रो ईंजीनियरिंग महाविद्यालय बंदला में एम.टेक. इलैक्ट्रीकल ईंजीनियरिंग (इलैक्ट्रीकल व्हीकल टेक्नालॉजी) को चलाने हेतू प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है।

13.26 शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ए.एस.ई.आर.)

वर्ष 2024 के लिए ASER (शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट) रिपोर्ट ग्रामीण हिमाचल प्रदेश से एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर एक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट राज्य में शिक्षा की स्थिति के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए विभिन्न आंकड़ों के माध्यम से प्रमुख निष्कर्षों पर प्रकाश डालती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिमाचल उन शीर्ष राज्यों में से एक है, जिन्होंने 2022–2024 के बीच स्कूलों में विभिन्न क्षेत्रों में 10 प्रतिशत से अधिक की समग्र वृद्धि के साथ महत्वपूर्ण लाभ दर्ज किया है।

वर्ष 2024 के लिए नवीनतम वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ए.एस.ई.आर.) रिपोर्ट, जिसमें 268 ग्रामीण स्कूलों का निरीक्षण किया गया, ग्रामीण हिमाचल प्रदेश विशेषकर सरकारी स्कूलों के लिए उत्साहजनक परिणाम दर्शाती है। कई क्षेत्रों में स्कूल. कुछ संकेतक सारणीयों और रेखाचित्रों के साथ नीचे दिखाए गए हैं।

सारणी–13.6

आयु समूह और लिंग के अनुसार विभिन्न प्रकार के स्कूलों में नामांकित छात्रों का प्रतिशत 2024 हिमाचल प्रदेश (ग्रामीण)

आयु समूह	लिंग	सरकारी	प्रा.	स्कूल में नहीं	कुल
06–14	सभी	58.6	41.0	0.4	100
07–16	सभी	61.8	37.5	0.8	100
07–10	सभी	55.7	44.1	0.2	100
07–10	लड़के	54.0	45.8	0.3	100
07–10	लड़कियाँ	57.6	42.2	0.2	100
11–14	सभी	63.5	36.1	0.4	100
11–14	लड़के	60.4	39.5	0.2	100
11–14	लड़कियाँ	66.6	32.8	0.6	100
15–16	सभी	71.7	25.3	3.0	100
15–16	लड़के	70.2	26.5	3.3	100
15–16	लड़कियाँ	73.1	24.3	2.6	100

स्रोत: शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ए.एस.ई.आर.), 2024

चित्र–13.1

आयु समूह और लिंग के अनुसार विभिन्न प्रकार के स्कूलों में नामांकित छात्रों का प्रतिशत 2024 हिमाचल प्रदेश (ग्रामीण)

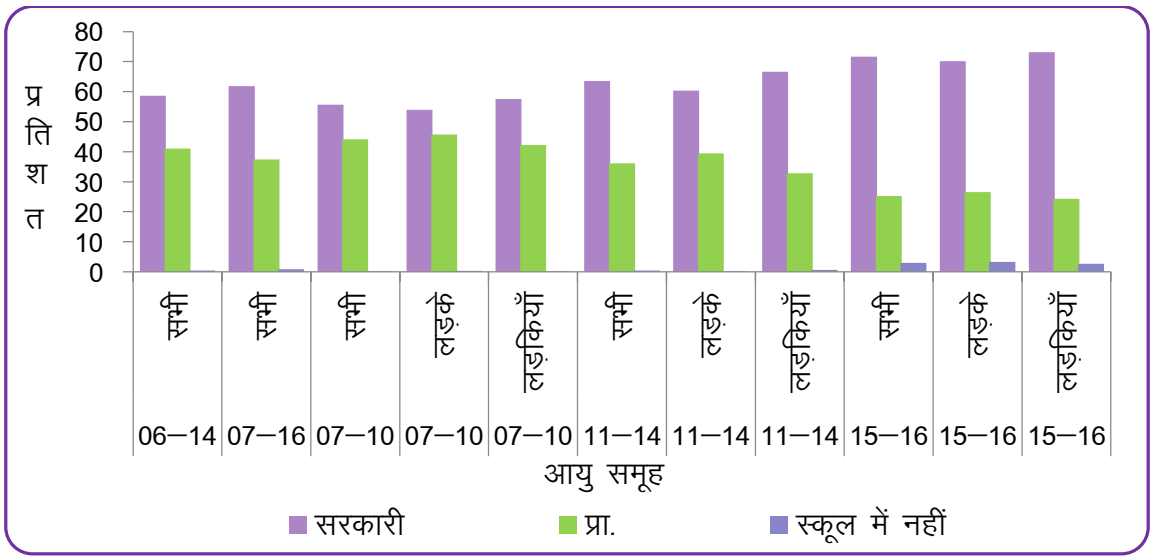

स्त्रोतः शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (एएसईआर), 2024

ऊपर दिया गया चित्र विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के नामांकन की स्थिति को प्रतिशत में दर्शाता है। 7–10 वर्ष आयु वर्ग (लड़कियाँ और लड़के दोनों) में सरकारी स्कूलों में नामांकन 55.7 प्रतिशत है, जबकि इसी आयु वर्ग में लड़कियों और लड़कों का नामांकन क्रमशः 57.6 और 54 प्रतिशत है। 15–16 वर्ष आयु वर्ग (लड़कियाँ और लड़के) में कुल नामांकन प्रतिशत 71.7 है, जबकि इसी आयु वर्ग में लड़कियों और लड़कों का नामांकन क्रमशः 73.1 और 70.2 प्रतिशत है। यह दर्शाता है कि सरकारी स्कूलों में छात्राओं का नामांकन प्रतिशत छात्रों की तुलना में अधिक है।

सारणी–13.7

ग्रेड और पढ़ने के स्तर के अनुसार बच्चों का प्रतिशत (सभी बच्चे) हिमाचल प्रदेश (ग्रामीण) 2024

कक्षा	यहां तक कि अक्षर नहीं है	अक्षर	शब्द	कक्षा –I का पाठय स्तर	कक्षा –II का पाठय स्तर
प्रथम	12.8	34.4	29.2	14.6	9.0
द्वितीय	6.6	18.5	19.6	30.8	24.6
तृतीय	3.1	9.9	11.4	27.9	47.6
चतुर्थ	1.7	5.1	9.8	25.7	57.8
पांचवीं	1.3	4.1	5.9	21.8	66.8

छठी	0.4	2.3	3.0	15.9	78.4
सातवीं	0.5	2.2	3.1	16.2	78.0
आठवीं	0.1	1.8	2.1	11.7	84.2

स्रोत: शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ए.एस.ई.आर.), 2024

चित्र–13.2

ग्रेड और पढ़ने के स्तर के अनुसार बच्चों का प्रतिशत (सभी बच्चे) हिमाचल प्रदेश (ग्रामीण) 2024

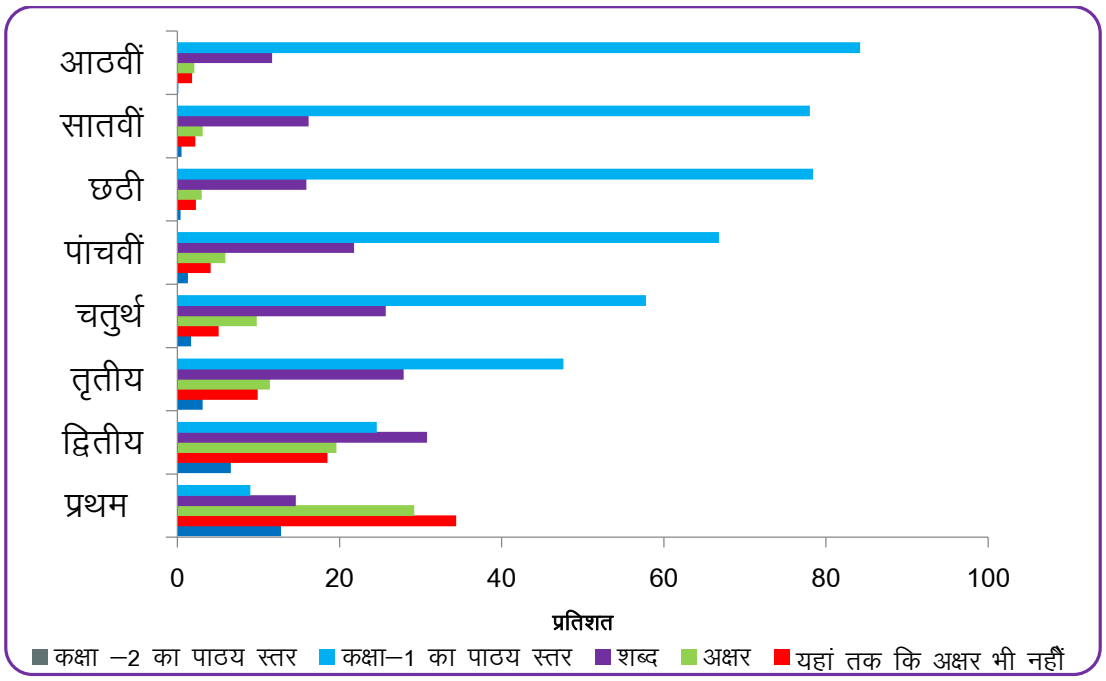

स्त्रोतः शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (एएसईआर), 2024

ऊपर दिया गया चित्र बच्चों की पढ़ने की क्षमता को प्रतिशत में दर्शाता है, उपरोक्त आंकड़े बताते हैं कि कक्षा–1 के 12.8 प्रतिशत छात्र एक अक्षर भी नहीं पढ़ पाते हैं, 29.2 प्रतिशत छात्र एक शब्द पढ़ सकते हैं। दूसरी ओर, कक्षा–1 के 14.6 प्रतिशत छात्र कक्षा 1 की पाठ्यपुस्तक पढ़ सकते हैं और 9.0 प्रतिशत छात्र कक्षा–2 की पुस्तकें पढ़ सकते हैं। कक्षा–8 के 0.1 प्रतिशत छात्र एक अक्षर भी नहीं पढ़ पाते हैं।

सारणी–13.8

ग्रेड और अंकगणित स्तर के अनुसार बच्चों का प्रतिशत (सभी बच्चे) हिमाचल प्रदेश (ग्रामीण) 2024

कक्षा	संख्या1 से 9 नहीं पहचानते	1 से 9 संख्या को पहचानते हैं	संख्या 11 से 99 को पहचानते हैं	घटाना	भाग
प्रथम	9.0	19.2	62.6	6.9	2.4

द्वितीय	3.7	18.4	44.3	30.1	3.6
तृतीय	1.5	11.8	31.5	37.4	17.8
चतुर्थ	0.9	6.0	28.7	28.0	36.5
पांचवीं	1.0	4.8	21.8	25.4	47.0
छठी	0.3	2.8	21.5	22.0	53.3
सातवीं	0.1	3.0	23.8	24.0	49.2
आठवीं	0.0	2.8	24.8	20.6	51.8

स्त्रोतः शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ए.एस.ई.आर.), 2024

चित्र–13.3

ग्रेड और अंकगणित स्तर के अनुसार बच्चों का प्रतिशत (सभी बच्चे) हिमाचल प्रदेश (ग्रामीण) 2024

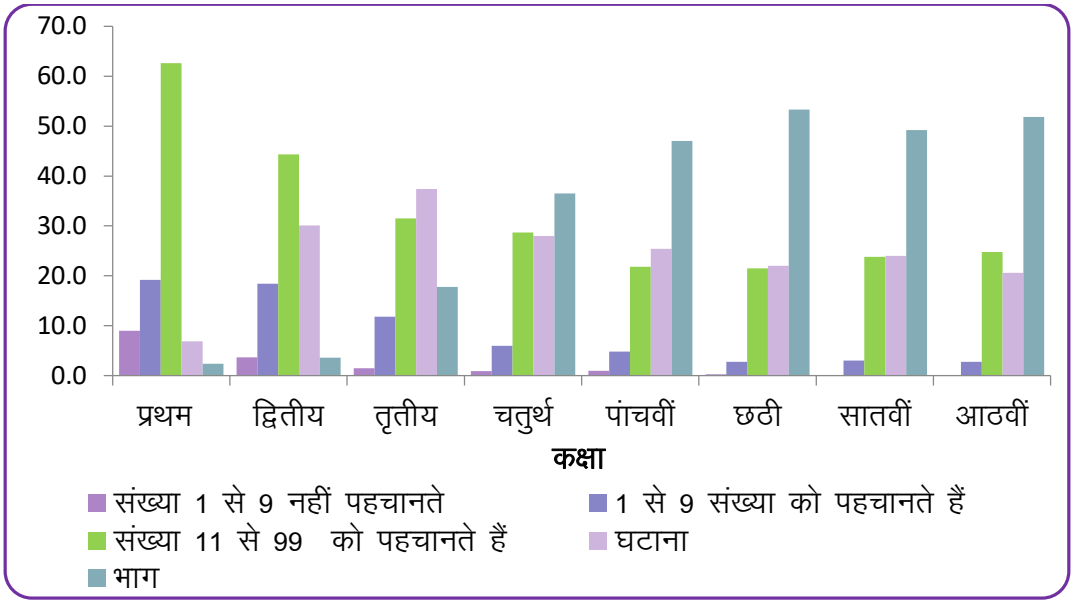

स्त्रोतः शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (एएसईआर), 2024

चित्र दर्शाता है कि कक्षा–1 के 19.2 प्रतिशत छात्र संख्या 1–9 को पहचानते हैं और 62.6 प्रतिशत छात्र संख्या 11–99 को पहचानते हैं, 6.90 प्रतिशत छात्र घटा सकते हैं और 2.40 प्रतिशत छात्र संख्याओं को भाग दे सकते हैं। जबकि कक्षा–8 के 20.60 प्रतिशत छात्र घटा सकते हैं और 51.80 छात्र संख्याओं को भाग दे सकते हैं।

सारणी 13.9 हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण बच्चों के बीच डिजिटल उपकरणों की पहुँच और स्वामित्व को प्रतिशत के रूप में दर्शाती हैं। स्मार्ट फोन की उपलब्धता और उपयोग का संक्षिप्त विश्लेषण दर्शाता है कि 14 वर्ष की आयु में 97.4 प्रतिशत बच्चों के पास अपना स्मार्ट फोन है, 94.1 प्रतिशत इसका उपयोग कर सकते हैं और 83.1 प्रतिशत इसका उपयोग डिजिटल कार्यों में कर सकते हैं। जबकि 16 वर्ष की आयु में 96.5 प्रतिशत बच्चों

के पास अपना मोबाइल है, 95.7 प्रतिशत इसका उपयोग कर सकते हैं और 84.3 प्रतिशत इसका उपयोग डिजिटल कार्यों में कर सकते हैं।

सारणी–13.9

ग्रामीण हिमाचल प्रदेश में 14–16 आयु वर्ग के बच्चों के लिए डिजिटल साक्षरता और स्मार्टफोन की उपलब्धता और उपयोग 2024

आयु	बच्चों का प्रतिशत जिनके पास स्मार्टफोन है	बच्चों का प्रतिशत जो स्मार्टफोन का उपयोग डिजिटल कार्य करने के लिए कर सकते है	बच्चों का प्रतिशत जो स्मार्टफोन का उपयोग कर सकते हैं	वे बच्चे जिनके पास अपना स्मार्टफोन है उन बच्चों का प्रतिशत जो स्मार्ट फोन का उपयोग कर सकते हैं
14	97.4	83.1	94.1	24.3
15	96.1	83.1	93.4	34.9
16	96.5	84.3	95.7	47.9
सभी	96.7	83.4	94.3	35.0

स्रोत: शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ए.एस.ई.आर.), 2024

निष्कर्षः हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए महत्वपूर्ण प्रगति की है। राज्य में विविध प्रकार की शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनमें 9,943 प्राथमिक विद्यालय, 1,786 माध्यमिक विद्यालय और 1,988 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। राज्य की साक्षरता दर 2011 में 82.8 प्रतिशत से बढ़कर 2021 में 93.3 प्रतिशत हो गई है, जो शिक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। विभिन्न श्रेणियों के छात्रों को कई राज्य–प्रायोजित छात्रवृत्तियाँ सहायता प्रदान की जाती है जिसमें मेधावी छात्रवृति योजना, डॉ. अम्बेडकर मेधावी छात्रवृति योजना और स्वामी विवेकानन्द उत्कृष्ट छात्रवृति योजना शामिल हैं, जिससे हजारों छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रधान मन्त्री पोषण योजना और मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना जैसी पहलों का उद्देश्य छात्रों के पोषण में सुधार करना और उनकी शैक्षणिक प्रगति को सहयोग देना है। ये प्रयास समावेशी शिक्षा और विद्यार्थियों के समग्र उत्थान पर केन्द्रित हैं।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य भर में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहलें लागू की हैं। इनमें छात्रवृत्ति और अनुदान के माध्यम से संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देना, विशेष रूप से सक्षम बच्चों और लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करना और स्कूलों में बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करना शामिल है। इस दिशा में राजीव गांधी सरकारी मॉडल डे–बोर्डिंग स्कूल और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जैसे उल्लेखनीय कार्यक्रमों का उद्देश्य शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार करना है। समग्र शिक्षा एक प्रमुख योजना है, जो शिक्षक प्रशिक्षण, समावेशी शिक्षा और डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर केंद्रित है।

सरकार खेलकूद के माध्यम से पाठ्येतर गतिविधियों, लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण और इको–क्लबों के माध्यम से पर्यावरण जागरूकता पर भी बल देती है।

शिक्षा के क्षेत्र में, 2024 ए.एस.ई.आर. रिपोर्ट में ग्रामीण स्कूलों में उल्लेखनीय प्रगति पर प्रकाश डाला गया है, विशेष रूप से लड़कियों के लिए, जिसमें सरकारी स्कूलों में उच्च नामांकन शामिल है। रिपोर्ट से मजबूत डिजिटल साक्षरता भी पता चलता है। जिसमें 14–16 वर्ष आयु वर्ग के अधिकांश बच्चे शैक्षिक कार्यों के लिए स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे हैं, जो हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण शिक्षा और डिजिटल पहुंच में सकारात्मक रुझान को दर्शाता है।

******

अध्याय
14







स्वास्थ्य


PHILIPS



मुख्य बिन्दु

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने 115 सिविल अस्पतालों, 106 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, 585 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, 24 कर्मचारी राज्य बीमा (ई.एस.आई.) सिविल डिस्पेंसरियों और 2,114 स्वास्थ्य उप–केंद्रों सहित स्वास्थ्य सुविधाओं के एक सुस्थापित नेटवर्क की उपस्थिति के साथ उपचारात्मक, निवारक और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया है।
- हिमाचल हैल्थ केयर योजनाः हिमकेयर का क्रियान्वयन दिनांक 1 जनवरी, 2019 से कर रहा है। यह योजना उन परिवारों के लिए है जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत नहीं आते हैं या सरकारी मैडिकल प्रतिपूर्ति का लाभ पाने के हकदार नहीं हैं। इस योजना के अंतर्गत कैशलेस उपचार कवरेज प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5.00 लाख हैं। कुल 5.63 लाख परिवार पंजीकृत किए गए हैं और 1.71 लाख लाभार्थियों ने इस योजना के अन्तर्गत ₹259.30 करोड़ का कैशलेस उपचार प्राप्त किया है।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जे.एस.एस.के.) के लाभार्थियों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में निःशुल्क दवाएँ, उपभोग्य वस्तुएँ, निदान, उपचार, परिवहन, भोजन तथा सभी उपयोगकर्ता शुल्कों से छूट दी जाती है। वित्त वर्ष 2024–25 (अप्रैल–नवंबर 2024) में इस योजना के अंतर्गत 1,02,606 महिलाएँ लाभान्वित हुई हैं।
- शैक्षणिक सत्र 2024–25 के दौरान सरकारी और निजी क्षेत्र में 870 एम.बी.बी.एस. सीटें भरी गईं (सरकारी में 720 और निजी क्षेत्र में 150)। इसी प्रकार, विभिन्न विशिष्टताओं में 339 स्नातकोत्तर डॉक्टर ऑफ मेडिसिन/मास्टर ऑफ सर्जन (एम.डी./एम.एस.) सीटें सरकारी (247 सीटें) और निजी मेडिकल कॉलेजों (92 सीटें) में आवंटित की गई हैं।
- ''अश्वगंधाः एक स्वास्थ्य क्रांति'' शीर्षक से ''विथानिया सोम्नीफेरा'' पर एक राष्ट्रीय शोध परियोजना को भारत सरकार से ₹18.90 करोड़ के वित्त पोषण के साथ मंजूरी दी गई है।
- डॉ. राजिंदर प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज (डॉ.आर.पी.जी.एम.सी.), टांडा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) योजना के तहत एक व्याख्यान थियेटर परिसर का निर्माण हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसकी कुल लागत ₹14.13 करोड़ है।
- डॉ. राधाकृष्ण राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर के जोल सप्पड़ में 240 बिस्तरों वाले अस्पताल और शैक्षणिक ब्लॉक का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है, जिसके लिए ₹375.00 करोड़ केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सी.पी.डब्ल्यू.डी.) को जारी किए गए हैं।

14.1 परिचय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग संचारी और गैर–संचारी रोगों, अस्पतालों और औषधालयों और चिकित्सा शिक्षा के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है, आयुष विभाग आयुर्वेद, होम्यो, यूनानी, सिद्धा जैसी स्वदेशी चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा देने और स्वदेशी चिकित्सा में चल रहे अनुसंधान का ध्यान रखता है। 2007 में गठित चिकित्सा अनुसंधान विभाग मुख्य रूप से चिकित्सा और स्वास्थ्य गतिविधियों में अनुसंधान से संबंधित है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एन.ए.सी.ओ.) एड्स की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। यह अध्याय प्रमुख स्वास्थ्य संकेतकों में राज्य द्वारा की गई प्रगति पर प्रकाश डालता है, साथ ही हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकारी पहल को भी प्रस्तुत करता है।

हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने अपने नागरिकों की भलाई को प्राथमिकता दी है और अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण व्यक्त किया है। व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने, संचारी और गैर–संचारी दोनों प्रकार की बीमारियों को खत्म करने और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित करना जनसंख्या के समग्र स्वास्थ्य में सुधार के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाता है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने 115 सिविल अस्पतालों, 106 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, 585 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, 24 ई.एस.आई. सिविल डिस्पेंसरियों और 2,114 स्वास्थ्य उप केंद्रों सहित स्वास्थ्य सुविधाओं के एक सुस्थापित नेटवर्क की उपस्थिति के साथ उपचारात्मक, निवारक और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया है।

सारणी 14.1

स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या

स्वास्थ्य संस्थान	2021–22	2022–23	2023–24	2024–25 (दिसम्बर 2024 तक)
संस्थानों की संख्या				
1. ऐलोपैथिक अस्पताल	108	108	115	115
2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	104	104	106	106
3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	580	580	583	585
4. कर्मचारी राज्य बीमा (ई.एस.आई.) औषधालय	16	16	16	24
कुल	808	808	820	830
5. उपलब्ध बिस्तरों की संख्या	15,618	15,618	16,699	16,699

स्रोतः निदेशालय स्वास्थ्य सेवाए, हिमाचल प्रदेश

व्यापक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता से महत्वपूर्ण सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इनमें जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, शिशु मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर, 5 वर्ष से कम उम्र की

मृत्यु दर में कमी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, प्रसव देखभाल, टीकाकरण दर और मातृ स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

14.1.1 जन्म के समय जीवन प्रत्याशा – भारत की तुलना में हिमाचल

हिमाचल प्रदेश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में पिछले कुछ वर्षों में लगातार वृद्धि देखी गई है वर्ष 2014–18, 2015–19 और 2016–20 से एस.आर.एस.–आधारित संक्षिप्त जीवन सारणीयों के अनुसार, वर्तमान में यह राष्ट्रीय औसत से अधिक है। समग्र जीवन प्रत्याशा 2014–18 में 72.9 वर्ष से बढ़कर 2016–20 में 73.5 वर्ष हो गई। 2016–20 में, पुरुषों के लिए जीवन प्रत्याशा 70.3 वर्ष थी, जबकि महिलाओं के लिए यह 77.5 वर्ष थी। पुरुषों की तुलना में उच्च महिला जीवन प्रत्याशा का यह पैटर्न राष्ट्रीय प्रवृत्ति के अनुरूप है।

14.1.2 शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर.) – भारत की तुलना में हिमाचल

हिमाचल प्रदेश में शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर.), 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (यू.5.एम.आर.), और नवजात मृत्यु दर (एन.एन.एम.आर.) में गिरावट आ रही है, जो बाल स्वास्थ्य में सुधार का संकेत है। आई.एम.आर. 2005–06 में प्रति 1000 जीवित जन्म पर 36 से घटकर 2019–21 में प्रति 1000 जीवित जन्म पर 25.6 हो गया है। इसी तरह, इसी अवधि के दौरान (यू.5.एम.आर.) 42 से गिरकर 28.9 हो गया है। हिमाचल प्रदेश में आई.एम.आर., यू.5.एम.आर. और एन.एन.एम.आर. राष्ट्रीय औसत (राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण) से कम हैं।

शिशु और बाल मृत्यु दर में कमी का श्रेय मुख्य रूप से राज्य के सक्रिय हस्तक्षेपों को जाता है, जिसमें आई.एम.आर. मिशन (2001) और छोटे बच्चों के लिए घर–आधारित देखभाल (2019) जैसे स्वास्थ्य कार्यक्रम शामिल हैं। अन्य पहल, जैसे नवजात देखभाल कॉर्नर, नवजात स्थिरीकरण ईकाइयां, बीमार नवजात देखभाल ईकाइयां और पोषण पुनर्वास केंद्रों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

14.1.3 संस्थागत प्रसव – भारत की तुलना में हिमाचल

बेहतर प्रसव देखभाल से संस्थागत प्रसव दरों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संस्थागत प्रसव, प्रसव संबंधी जटिलताओं को रोकने, पता लगाने और प्रबंधित करने के साथ–साथ मातृ मृत्यु दर (एम.एम.आर.) और आई.एम.आर. को कम करने की कुंजी है। हिमाचल प्रदेश में, संस्थागत प्रसव दर 2005–06 (एन.एफ.एच.एस.–3) में 43.1 प्रतिशत से बढ़कर 2019–21 (एन.एफ.एच.एस.–5) में 88.2 प्रतिशत हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत के लगभग बराबर है।

जननी सुरक्षा योजना (जे.एस.वाई.), जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जे.एस.एस.के.), मुफ्त दवा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पी.एम.एस.एम.ए.) और 108 एम्बुलेंस सेवा जैसी सरकारी पहलों ने संस्थागत प्रसव दरों में सुधार में योगदान दिया है।

14.1.4 12–23 महीने की आयु के बच्चों का पूर्ण टीकाकरण – भारत की तुलना में हिमाचल

राज्य ने बच्चों के लिए पूर्ण टीकाकरण प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। 2019–21 (एन.एफ.एच.एस.–5) के अनुसार, 12–23 महीने की उम्र के 89.3 प्रतिशत बच्चों को पूरी तरह से टीका लगाया गया था, जो 2005–06 (एन.एफ.एच.एस.–3) में 74.2 प्रतिशत से अधिक है। यू–विन प्लेटफॉर्म ने टीकाकरण के रिकॉर्ड़ को ड़िजिटल बनाने के लिए और टीकाकरण की वृद्धि में योगदान दिया है।

14.1.5 कुल प्रजनन दर (टी.एफ.आर.)–भारत की तुलना में हिमाचल

कुल प्रजनन दर (टी.एफ.आर.) का उपयोग किसी महिला की प्रजनन अवधि के दौरान बच्चे पैदा करने की क्षमता को मापने के लिए किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में टी. एफ.आर. समय के साथ गिरा है और राष्ट्रीय औसत से कम है। तीनों अवधियों में हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय औसत की तुलना में लगातार टी.एफ.आर. कम रही है। हिमाचल प्रदेश में टी.एफ.आर. 2005–06 (एन.एफ.एच.एस.–3) में 1.9 से 2019–21 (एन.एफ.एच.एस.–5) में 1. 7 हो गयी जोकि लगातार गिरावट दिखाती है।

वर्ष 2024–25 के दौरान राज्य में विभिन्न स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है:

सारणी–14.2

क्षय रोग को नियंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश में आधारभूत संरचना

क्र.स.	क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम	संख्या
1	राज्य क्षय रोग सेनेटोरियम	1
2	जिला क्षय रोग केंद्र	12
3	ब्लॉक क्षय रोग युनिट	77
4	नामित माईक्रोस्कोपिक केंद्र (डी.एम.सी.)	238
5	माध्यमिक सन्दर्भ प्रयोगशाला (आई.आर.एल. धर्मपुर)	1
6	राज्य दवा भण्डार	1
7	जिला दवा भण्डार	12
8	राज्य क्षय रोग प्रशिक्षण केन्द्र	1

9	कार्टिज आधारित न्यूक्लिक एसिड और प्रवर्धन परीक्षण (सी.वी.एन.ए.ए.टी.)–जांच प्रयोगशालाएं	56
10	ट्रू–एन.ए.ए.टी.(न्यूक्लियर एसिड एण्ड एम्पलीफिकेशन टैस्ट) मशीनें	65
11	कलचर एवं ड्रग टैस्ट प्रयोगशालाएं	2
12	नोडल ड्रग रेसिस्टैंट टी.वी. केन्द	4
13	जिला ड्रग रेसिस्टैंट टी. वी. केन्द्र	19
	योग	489

सारणी–14.3

राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के विभिन्न कार्यक्रम

क्र.स.	कार्यक्रम	संक्षिप्त विवरण
1	**राष्ट्रीय वैक्टर बोरन रोग नियंत्रण कार्यक्रम**	दिसंबर 2024 तक 2,61,952 स्लाइड्स की जांच की गई, जिनमें से 28 स्लाइड्स पॉजिटिव पाई गईं। इस अवधि के दौरान मलेरिया से कोई मौत नहीं हुई।
2	**एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम**	इस कार्यक्रम का उद्देश्य दैनिक आधार पर संचारी रोगों की निगरानी और रिपोर्टिंग संचारी रोग, जल जनित रोग, इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारी (आई.एल.आई) और गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण (एस.ए.आर.आई) और राज्य महामारी प्रवण रोग) सुनिश्चित करना और किसी भी प्रकोप को रोकने के लिए प्रारंभिक चेतावनी संकेत देना है। साप्ताहिक औसत रिपोर्टिंग संदिग्ध एस.फार्म–95 प्रतिशत, संभावित पी. फॉर्म–97 प्रतिशत, लैब द्वारा पुष्टि किए गए मामले एल. फार्म–95 प्रतिशत
3	**राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम**	जहां 1995–96 के दौरान प्रसार दर 5.14 थी जो 2023–24 के दौरान घटकर 0.14 प्रति दस हजार रह गई है। 30 नवंबर 2024 तक कुष्ठ रोग के 88 नए मामले सामने आए हैं।
4	**राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एन.टी.ई.पी.) संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (आर.एन.टी.सी.पी.)**	वर्ष 2024 के दौरान निजी क्षेत्र द्वारा अधिसूचित 1,562 रोगियों सहित कुल 15,537 नए रोगियों का निदान किया गया। 4 कार्ट्रिज आधारित न्यूक्लिक एसिड और एम्प्लीफिकेशन टेस्ट (सी.बी.एन.ए.ए.टी.) मशीनों की स्थापना के बाद, राज्य को 97 प्रतिशत सार्वभौमिक दवा संवेदनशीलता परीक्षण (डी.एस.टी.) का प्रदर्शन मिला है। जो भारत का सबसे अधिक है। राज्य ने भारत सरकार के शासनादेश के अनुसार पोषण संबंधी सहायता के लिए

		सभी टीबी रोगियों को प्रति रोगी ₹500 का प्रोत्साहन दिया है। 2024 में, सभी क्षय रोग (टीबी)/(ड्रग–रेसिस्टेंट क्षय रोग (डी.आर.टी.बी.) रोगियों को निक्षय पोषण योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी.बी.टी.) के माध्यम से ₹4.59 करोड़ हस्तांतरित किए गए हैं। वर्ष 2024 में, राज्य ने इस योजना से सभी मल्टीपल ड्रग रेसिस्टेंट (एम.डी. आर.) रोगियों को ₹27.25 लाख का भुगतान किया।
5	**अंधेपन के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम**	यह कार्यक्रम राज्य में 1977–78 के दौरान केंद्र प्रायोजित परियोजना के रूप में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अंधेपन की व्यापकता दर को 0.87 प्रतिशत से घटाकर 0.3 प्रतिशत करना है। कार्यक्रम के तहत अप्रैल से नवंबर 2024 तक 28,702 मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए गए।
6.	**हिमाचल स्वास्थ्य देखभाल योजना (हिमकेयर)**	हिमाचल स्वास्थ्य देखभाल योजना (हिमकेयर) का क्रियान्वयन दिनांक 1 जनवरी, 2019 से कर रहा है। यह योजना उन परिवारों के लिए है जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत नहीं आते हैं या सरकारी मैडिकल प्रतिपूर्ति का लाभ पाने के पात्र नहीं हैं। इस योजना के अंतर्गत कैशलेस उपचार कवरेज प्रति वर्ष ₹5.00 लाख हैं। कुल 5.63 लाख परिवार पंजीकृत किए गए हैं और 1.71 लाख लाभार्थियों ने इस योजना के तहत ₹259.30 करोड़ का कैशलेस उपचार प्राप्त किया है।
7	**आयुष्मान भारत–प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना**	आयुष्मान भारत–प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना का शुभारम्भ 23 सितम्बर 2018 को किया गया। इस योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष प्रति परिवार ₹5.00 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 5 लाख परिवार कैशलेस इलाज पाने के पात्र हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में कुल 5.32 लाख पात्र परिवार चयनित हैं। योजना के शुरू होने से अब तक 59,646 निर्धन लाभार्थियों ने ₹95.35 करोड़ के उपचार का लाभ उठाया है।
8	**मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष**	मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का शुभारम्भ 20 अक्तूबर, 2018 को किया गया है। कोष का गठन राज्य के जरूरतमंद गरीब लोगो को जो गंभीर बिमारियों से पीड़ित हैं, के इलाज के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किया गया है। योजना के शुरू होने से अब

<table>
<tr><td></td><td></td><td>तक इस कोष के अंतर्गत 639 लाभार्थियों ने उपचार के लिए ₹2.68 करोड की वित्तीय सहायता का लाभ उठाया है।</td></tr>
<tr><td>9</td><td>मुख्यमंत्री सहारा योजना</td><td>प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 15 जुलाई, 2019 से मुख्यमन्त्री सहारा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत् निर्दिष्ट बीमारियों से पीड़ित या किसी बीमारी के कारण अक्षम रोगियों को प्रति माह ₹3,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत वर्तमान में 33,915 लाभार्थी पंजीकृत हैं।</td></tr>
<tr><td>10</td><td>स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र</td><td>यह परिकल्पना की गई है कि सी.पी.एच.सी. को स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के माध्यम से वितरित किया जाएगा। मौजूदा पी.एच.सी / यू.पी.एच.सी और एच.एस.सी को एच. डबल्यू.सी में अपग्रेड किया जाना है। तदनुसार, राज्य ने 2,079 एच.एस.सी, 563 पी.एच.सी और 21 यू.पी.एच.सी को अपग्रेड किया है। इसके अतिरिक्त इन एच.डब्ल्यू.सी के माध्यम से विस्तारित स्वास्थ्य पैकेजों की एक श्रृंखला वितरित की जानी है। तदनुसार, हिमाचल प्रदेश राज्य में विस्तारित पैकेज के रोलआउट की स्थिति निम्नानुसार है:
<table>
<tr><th>मौखिक देखभाल रोलआउट स्थिति</th><th>ई.एन.टी देखभाल रोलआउट स्थिति</th><th>नेत्र देखभाल रोलआउट स्थिति</th><th>मानसिक स्वास्थ्य देखभाल रोलआउट स्थिति</th><th>उपशामक देखभाल रोलआउट स्थिति</th><th>बुजुर्गों की देखभाल रोलआउट स्थिति</th><th>आपात कालीन देखभाल रोलआउट स्थिति</th></tr>
<tr><td>77 प्रतिशत</td><td>80 प्रतिशत</td><td>75 प्रतिशत</td><td>71 प्रतिशत</td><td>60 प्रतिशत</td><td>62 प्रतिशत</td><td>72 प्रतिशत</td></tr>
</table>
स्वास्थ्य सेवाओं के रोलआउट के लिए छूटे हुए फ्रंट लाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण जारी है।</td></tr>
<tr><td>11</td><td>कैंसर, मधुमेह और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम</td><td>(क) राष्ट्रीय कार्यक्रम: गैर संचारी रोग (एन.पी.–एन.सी.डी.) गैर–संचारी रोग (एन.पी.–एन.सी.डी.) के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम 30 से ऊपर की सभी आबादी की वार्षिक आधार पर उच्च रक्तचाप और मधुमेह के लिए जांच की वकालत करता है। वित्त वर्ष 2024–25 में दिसंबर, 2025 तक 30 वर्ष और उस से अधिक आयु की लगभग 13 लाख आबादी की उच्च रक्तचाप और मधुमेह की जांच/पुनः जांच की जा चुकी है। वित्त वर्ष 2023–24 से लेकर अब तक उच्च रक्तचाप के लगभग 2.1 लाख और मधुमेह के 1.3 लाख रोगियों को उपचार पर रखा गया है।
(ख) निरोग क्लीनिक: गैर–संचारी रोगों के रोगियों के प्रवाह को सुव्यवस्थित करने के लिए, राज्य में निरोग</td></tr>
</table>

		क्लीनिक की अवधारणा शुरू की गई थी। जिला अस्पताल /सिविल अस्पताल /सी.एच.सी. में निरोग क्लीनिक स्थापित किए जा रहे हैं। 40 निरोग क्लीनिक अधिसूचित किए गए हैं और 16 को कार्यात्मक बनाया गया है। एन.एच.एम. के माध्यम से प्रत्येक निरोग क्लीनिक में एक समर्पित स्टाफ नर्स और डेटा एंट्री ऑपरेटर रखा गया है। निरोग क्लीनिक में मरीज को एनसीडी पोर्टल पर पंजीकृत किया जाता है, जोखिम मूल्यांकन फॉर्म (सी.बी.ए.सी.) दिया जाता है, उसका रक्तचाप और रक्त शर्करा मापा जाता है, अनुवर्ती तिथियां दी जाती हैं और जीवन शैली में बदलाव की सलाह दी जाती है। **(ग) राज्य में जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्री की स्थापना:** हिमाचल प्रदेश राज्य भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के सहयोग से जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्री की स्थापना करने जा रहा है, जिससे राज्य को कैंसर और सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थानों के लिए कैंसर के मामलों की रिपोर्ट करना अनिवार्य कर दिया गया है। **(घ) राज्य में डे केयर सेंटर:** हिमाचल प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य सलाहकार बोर्ड को अधिसूचित किया है, जिसमें देश भर के कुछ प्रमुख ऑन्कोलॉजिस्ट शामिल हैं। 2024–25 के बजट भाषण में, माननीय मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश ने जिला अस्पतालों और चयनित आदर्श स्वास्थ्य संस्थान में कीमोथेरेपी के लिए डे केयर सेंटर की स्थापना की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कैंसर रोगियों को अनुवर्ती उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज, पी.जी.आई, चंडीगढ़ और एम्स की यात्रा करने की आवश्यकता न हो और वे अपने घर के नजदीक किसी स्वास्थ्य संस्थान में कीमोथेरेपी प्राप्त कर सकें, जिससे उनका समय और पैसा दोनों की बचत होगी। 5 स्वास्थ्य संस्थानों में कीमोथेरेपी सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। **(ड़) मुफ्त इंसुलिन पंप का प्रावधान :** टाइप 1 मधुमेह, जिसे किशोर मधुमेह या इंसुलिन–निर्भर मधुमेह के रूप में भी जाना जाता है, एक स्थायी बीमारी है। चूंकि एक इंसुलिन पंप की अनुमानित लागत लगभग ₹2.5 लाख है जो गरीब परिवारों के लिए महंगी है, इसलिए सरकार ने टाइप–1 मधुमेह से पीड़ित बच्चों को मुफ्त इंसुलिन पंप प्रदान करने का निर्णय लिया है। अब तक राज्य में

		विभिन्न बच्चों को 10 इंसुलिन पंप प्रदान किए जा चुके हैं। **(च) एसटी–सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन (एस.टी.ई.एम.आई) परियोजना** : हिमाचल प्रदेश राज्य में दिल के दौरे के कारण होने वाली मृत्यु दर और रुग्णता को कम करने के लिए, वर्ष 2020 में आई.जी.एम.सी. की कार्डियोलॉजी टीम के साथ हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में एक एस.टी.–सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन परियोजना को पायलट आधार पर चलाया गया और पाया गया कि अगर दिल के दौरे के मरीज को परिधीय स्वास्थ्य संस्थान में तुरंत प्राथमिक उपचार मिल जाए, तो मृत्यु दर और रुग्णता दर को कम किया जा सकता इस परियोजना की सफलता को देखते हुए, इस पहल को हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में चलाया गया। अब यह परियोजना सभी जिलों में सुचारू रूप से चल रही है और वित्त वर्ष 2024–25 में, समूह में अब तक कुल 3,420 संदिग्ध मायोकार्डियल इंफार्क्शन (एम.आई) मामले सामने आए और उपचार किया हैं।
12	**राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत मासिक धर्म स्वच्छता कार्यक्रम**	मासिक धर्म स्वच्छता योजना के तहत राज्य की सभी किशोरियों (स्कूली और स्कूल से बाहर) को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, सभी ब्लॉक चिकित्सा अधिकारियों को 47,56,374 सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए गए, ताकि किशोरियों के बीच वितरण के लिए उनके संबंधित ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी/निजी स्कूलों में नैपकिन की आपूर्ति की जा सके।
13	**प्रधान मंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम (पी.एम. एन.डी.पी.)**	वर्तमान में प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की 24 डायलिसिस ईकाइयां चल रही हैं, जिनमें से 22 ईकाइयां हंस फाउंडेशन तथा 2 ईकाइयां (नेरचौक व सुंदरनगर) राही केयर द्वारा चलाई जा रही हैं। हंस फाउंडेशन द्वारा संचालित केंद्रों में सभी (गरीबी रेखा से ऊपर) ए.पी.एल. व गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) मरीजों को निशुल्क डायलिसिस सुविधा प्रदान की जा रही है, जब कि राही केयर ए.पी.एल. मरीजों से हिम केयर कार्ड या नकद राशि लेता है। इस वर्ष दिसंबर 2024 तक 6,322 मरीजों के 44,206 डायलिसिस सत्र पूरे हो चुके हैं।

14	**राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एन.टी.सी.पी.)**	यह कार्य क्रम राज्य के सभी जिलों में चलाया जा रहा है तथा इस के अंतर्गत जागरूकता एवं कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से सार्वजनिक संस्थानों को धूम्रपान मुक्त तथा शिक्षण संस्थानों को तम्बाकू मुक्त बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। इस वर्ष नवम्बर माह तक 4,461 विद्यालयों तथा 1,717 पंचायतों को तम्बाकू मुक्त बनाने के लिए 24 सितम्बर 2024 से 23 नवम्बर 2024 तक विशेष अभियान चलाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023 में तम्बाकू के उपयोग को कम करने के लिए राज्य को पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस वर्ष नवम्बर, 2024 तक 9,928 लोगों ने तम्बाकू मुक्ति केन्द्रों/नशा मुक्ति केन्द्रों/नई दिशा केन्द्रों में तम्बाकू मुक्ति सेवाओं का लाभ उठाया ।
15	**कायाकल्प**	सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में स्वच्छता, सफाई और संक्रमण नियंत्रण प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए 51 स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को I, II और III प्राप्त स्थानों के लिए सम्मानित किया गया है और 2023–24 तक 400 प्रशंसा पुरस्कार दिए गए हैं।
16	**गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम**	इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में सस्ती, न्यायसंगत और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना है। यह राज्य में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानकों और मापदंडों पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का राष्ट्रीय प्रमाणन है। हिमाचल प्रदेश में 167 स्वास्थ्य संस्थान राज्य स्तर पर और 3 स्वास्थ्य सेवा संस्थान राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित हैं।
17	**जननी सुरक्षा योजना प्लस जे. एस.एस.के.**	संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने बी.पी.एल./अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के परिवारों की गर्भवती महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता काप्रावधान किया है जिस में संस्थागत प्रसव करवाने पर ₹1100 देने का प्रावधान है। बी.पी.एल. गर्भवती महिलाओं के मामले में घर में प्रसव करवाने पर भी ₹500 का वित्तीय लाभ दिया जाता है। इस योजना के तहत वर्ष 2024–25 में (अप्रैल–नवंबर 2024 तक) 10,847 महिलाओं को वित्तीय सहायता दी गई है।
18	**जननी शिशु सुरक्षा कार्यकम जे.स.स.के.**	जे.एस.एस.के. कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में सभी गर्भवती महिलाओं तथा जन्म के बाद एक वर्ष आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क सुविधाएं एवं मुफ्त उपचार दिया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निःशुल्क उपचार, खून की व्यवस्था, दवाईयां, एक संस्थान से दूसरे उच्च संस्थान के लिए रैफर करना तथा

		शल्य चिकित्सा का प्रावधान है। वर्ष 2024–25 में (अप्रैल–नवंबर 2024 तक) 1,02,606 महिलाओं ने इस योजना का लाभ उठाया है।
19	**प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पी.म.स.म.)**	पी.एम.एस.एम.ए. के अंतर्गत हर महीने की 9 तारीख को गर्भावस्था के दूसरे/तीसरे तिमाही में महिलाओं को निश्चित दिन गुणवत्ता वाली प्रसवपूर्व देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। पी.एम.एस.एम.ए. का मूल उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व देखभाल, जांच, रेफरल, उपचार, उच्च जोखिम वाली गर्भधारण और जटिलता वाली महिलाओं की निगरानी का प्रावधान है। वित्त वर्ष 2024–25 (अप्रैल–नवंबर 2024) में इस योजना के अन्तर्गत 43,067 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है।
20	**बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम** **(क) एनीमिया मुक्त भारत**	एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम – एनीमिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए वर्ष 2018 में एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम शुरु किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आयरन फोलिक सिरप/टैबलेट जो मातृ एव शिशु मृत्यु दर में कमी व सुधार के लिए दी जाती है। 6 माह से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को एक सप्ताह में दो बार आयरन फोलिक एसिड सिरप दी जाती है। इस प्रकार 8–10 खुराक एक माह में दी जाती है। हर वर्ष लगभग 5 लाख बच्चों को यह खुराक दी जाती है। 6 साल से 19 साल तक के बच्चों एंव किशोर / किशोरियों को हर सप्ताह आयरन फोलिक एसिड की (नीली व गुलाबी) गोलियां लगभग 12 लाख बच्चों को हर सप्ताह दी जाती है।
	(ख) राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस	बच्चों में पोषण और एनीमिया की स्थिति में सुधार लाने के लिए कृमि मुक्ति दिवस वर्ष में दो बार 1 वर्ष से 19 वर्ष तक के बच्चों को एल्बेंडाजोल टैबलेट की खुराक देकर मनाया जाता है। हर वर्ष लगभग 19 लाख बच्चों को एल्बेंडाजोल टैबलेट दी जाती है। इस वर्ष पहला चरण अगस्त 2024 में मनाया गया और 99 प्रतिशत बच्चों को एल्बेंडाजोल टैबलेट की खुराक दी गई। साथ ही विटामिन ए की खुराक 1 से 5 वर्ष तक के बच्चो को इस दौरान पिलाई जाती है जो बच्चों की दृष्टि और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। इस वर्ष अगस्त 2024 में 99 प्रतिशत बच्चों को विटामिन–ए की खुराक दी गई।
	(ग) तीव्र डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा	प्रदेश में हर साल जुलाई /अगस्त माह में डायरिया नियंत्रण पखवाडे का आयोजन किया जाता है, जिसके अंतर्गत 5 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों (लगभग 5



		लाख) को ओ.आर.एस. तथा डायरिया से पीडित बच्चों को जिंक की गोली के साथ ओ.आर.एस बांटी जाती है। इस कार्यक्रम को प्रभावी तौर से चलाने के लिए पोस्टर वितरित किये जाते हैं। बाल सुपोषण योजना के अन्तर्गत डायरिया नियंत्रण पखवाडे का आयोजन तीन चरणो में किया जा रहा है। यह पखवाडा जून, नवम्बर व मार्च माह में मनाया जाता है। इस वर्ष पहले चरण में 4,84,864 और दूसरे चरण में कुल 4,75,375 बच्चों को ओ.आर.एस के साथ जिंक की गोली दी गई। मार्च 2025 में (तीसरे चरण में) पांच वर्ष से कम आयु के लगभग 5 लाख बच्चों को कवर किया जाएगा।
	(घ) राष्ट्रीय मिशन छोटे बच्चों की गृह आधारित देखभाल (एच.बी.वाई.सी.)	राष्ट्रीय मिशन छोटे बच्चों की गृह आधारित देखभाल (एच. बी.वाई.सी.) के अंतर्गत सितंबर 2019 में यह नयी पहल शुरु की गई है जिसके अंतर्गत आशा कार्यकर्ता 42 दिनों के बाद भी बच्चों के घर द्वार जाती हैं जब वे 3,6,9,12 और 15 महीने का हो जाते हैं। इसका उद्देश्य छोटे बच्चों के पोषण के स्तर में सुधार, समुचित विकास और बाल्यावस्था में होने वाली बीमारियों से उनके बचाव के बारे में बताया जाता है।
	(ड़) नवजात शिशुओं की गृह आधारित देखभाल	इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में नवजात मृत्यु दर में कमी के लिए आशा कार्यकर्ताओं द्वारा घर पर नवजात शिशुओं व माताओं की निरंतर देखभाल के लिए 6 से 7 बार (42 दिनों तक) आवश्यक देखभाल व खतरों के लक्षण पर उन्हें शीघ्र इलाज हेतु भेजा जाता है। इस वर्ष नवम्बर, 2024 तक 44,331 नवजात शिशुओं के घर में जाकर आशा कार्यकर्ताओं द्वारा जांच की गई।
	(च़) इन्दिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना	परिवार नियोजन के अंतिम तरीकों को अपनाने वाले योग्य दंपत्ति, जिनके पास एक/दो लड़कीयां हैं और कोई लड़का नहीं है, उन्हें क्रमशः 35,000/25,000 की राशि प्रदान की जाती है।
	(छ) पंचायतों की उत्कृष्ट महिला जन्म दर पर अतिरिक्त विकास अनुदान	इस योजना के अन्तर्गत हर जिले में एक सर्वोत्तम लिंगानुपात वाली पंचायत का चयन किया जाता है व अतिरिक्त विकास अनुदान के रूप में ₹5.00 लाख दिये जाते है। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पी.सी. और



	(ज) कन्या भ्रूण हत्या की सूचना देने वालों को प्रोत्साहन **(झ) राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम**	पी.एन.डी.टी.) अधिनियम, 1994 के तहत कन्या भ्रूण हत्या के बारे में सूचना देने वाले को ₹1.00 लाख का पुरस्कार दिया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों/आंगनवाड़ी केंद्रों में जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के सभी बच्चों की स्वास्थ्य जांच करना है। इस वर्ष दिसंबर 2024 तक कुल 9,13,582 बच्चों की जांच की गई और 15 बच्चों को श्रवण – संबंधी उपकरण उपलब्ध कराए गए, 67 क्लब फुट बच्चों का इलाज किया गया और 45 की सर्जरी की गई।
21	**अटल आशीर्वाद योजना**	हिमाचल सरकार ने ''अटल आशीर्वाद योजना'' 2018 में लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की है जिसके अन्तर्गत राज्य के सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थानों में सभी नवजात शिशुओं की माताओं को बेबी किट प्रदान की जा रही है मौजूदा रुझान के अनुसार प्रति वर्ष लगभग एक लाख संस्थागत प्रसव होने की उम्मीद है। एक किट की कीमत ₹1,500 (लगभग) प्रत्येक नवजात शिशु को उनकी मां के माध्यम से प्रदान किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में अटल आशीर्वाद योजना के अन्तर्गत 30 नवंबर, 2024 तक नवजात शिशुओं की माताओं को 3,57,833 बेबी केयर किट प्रदान किए हैं।
22	**राष्ट्रीय एड्स रोकथाम कार्यक्रम**	वित्तीय वर्ष 2024–25 में नवंबर, तक 2,31,987 जाँच किए गए व्यक्तियों में से 483 एच.आई.वी. के अनुकूल मामले पाए गए। **(क) एकीकृत जाँच एवं** परामर्श **केन्द्रः**– हिमाचल प्रदेश में कुल 55 एकीकृत जाँच एवम् परामर्श केन्द्रों द्वारा जाँच एवं परामर्श सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में नवंबर, 2024 तक कुल जाँच किए गए लोगो में 43,059 गर्भवती महिलाऐं थी जिनमें से 15 एच.आई.वी. से ग्रसित है। हिमाचल प्रदेश में 2 मोबाईल आई.सी.टी.सी. वैन भी कार्य कर रही है। **(ख) यौन रोग नियन्त्रण कार्यक्रमः**– हिमाचल प्रदेश में 20 यौन रोग उपचार केन्द्र कार्य कर रहे हैं जिसमें व वर्ष 2024–25 में नवंबर, 2024 तक 67,267 लोगों ने आर.टी. आई./एस.टी.आई. सेवाऐं ली।

		(ग) रक्त सुरक्षा कार्यक्रमः– राज्य के 18 रक्त बैंको के माध्यम से रक्त एकत्रित किया जा रहा है। 3 रक्त पृथिकरण केन्द्र इन्दिरा गांधी आयुर्वेद महाविद्यालय (आई. जी.एम.सी.) शिमला, जोनल अस्पताल मण्डी और ड़ॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय (आर.पी. जी.एम.सी.) कांगड़ा में कार्यरत है। **(घ) एंटिरेट्रोवायरल उपचार कार्यक्रमः**– हिमाचल प्रदेश में पांच ए.आर.टी. केन्द्र आई.जी.एम.सी. शिमला, जोनल अस्पताल हमीरपुर, डॉ0 यशवंत सिंह परमार राजकीय आर्युविज्ञान महाविद्याल नाहन सिरमौर, मेडिकल कॉलेज नेरचौक मंडी और आर.पी.जी.एम.सी. टाण्डा व 2 एफ.ए. आर.टी. केन्द्र ऊना व बिलासपुर में स्थापित किए गए हैं। 5 लिंक एंटिरेट्रोवायरल उपचार कार्यक्रम द्वारा एच.आई. वी. एड्स से ग्रसित लोगो को मुफ्त दवाईयां उपलब्ध करवाई जा रही है। **(ड़) लक्षित हस्तक्षेप परियोजनाऐंः** हिमाचल प्रदेश में उच्च जोखिम पूर्ण समूह के लिए 18 लक्षित हस्तक्षेप परियोजनाऐं चलाई जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में नवम्बर 2024 तक 20,750 लोगों को यौन रोग सम्बन्धित सुविधाऐं प्रदान करवाई गई।

14.2 चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान

वर्तमान में चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान निदेशालय सार्वजनिक क्षेत्र में छः मेडिकल कॉलेज, एक डेन्टल कॉलेज, एक अटल मेडिकल एंव रिसर्च विश्वविद्यालय, और एक अटल इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज और इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र के एक मेडिकल कॉलेज व चार डेन्टल कॉलेजों को नियंत्रित करता है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में जिला बिलासपुर में एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) स्थापित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–2025 के दौरान 9 जनवरी, 2025 तक स्वीकृत बजट एवं व्यय की गई धनराशि का संस्थान वार ब्यौरा निम्न प्रकार से है।

सारणी–14.4

संस्थान–वार बजटीय आबंटन और व्यय

(₹करोड़ में)

संस्थान का नाम	स्वीकृत बजट	व्यय
1. निदेशालय चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान	5.46	5.41



2. इन्दिरा गांधी आयुविज्ञान महाविद्यालय एवं सम्बन्धित अस्पताल, शिमला	332.30	207.56
3. दन्त महाविद्यालय एव चिकित्सालय, शिमला	31.34	21.77
4. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय आयुविज्ञान महाविद्यालय कांगडा स्थित टाण्डा	207.78	137.80
5. डॉ. यशवंत सिंह परमार राजकीय आर्युविज्ञान महाविद्यालय, नाहन	76.17	48.37
6. पं0 जवाहर लाल नेहरू राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, चम्बा	80.49	36.78
7. डॉ. राधाकृष्णन राजकीय आर्युविज्ञान महाविद्यालय, हमीरपुर	86.72	54.93
8. श्री लाल बहादुर शास्त्री आर्युविज्ञान महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, मण्डी, स्थित नेरचौक	127.86	92.59
9. अटल चिकित्सा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय, मण्डी स्थित नेरचौक	0.87	0.45
10. अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी, चमियाणा, शिमला	42.08	32.89

स्रोतः निदेशालय चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान हिमाचल प्रदेश

14.3 अकादमिक उपलब्धियां

चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान में शैक्षणिक उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

i. **बैचलर ऑफ मेडिसन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी (एम.बी.बी.एस.) और पोस्ट ग्रजुएट (पी.जी.):** शैक्षणिक सत्र 2024–2025 के दौरान कुल 870 एम. बी. बी. एस. सीटें सरकारी व निजी क्षेत्र में भरी गई (720 सीटें सरकारी क्षेत्र में एवं 150 निजी क्षेत्र में), इसके अतिरिक्त 339 पी. जी. (एम.डी./एम.एस.) सीटें सरकारी (247 सीटें) व (92 सीटें) निजि क्षेत्र में आबंटित की गई ।

ii. **बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (बी.डी.एस.) और मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी (एम.डी.एस.):** शैक्षणिक सत्र 2024–25 के दौरान सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (बी.डी.एस.) की 295 सीटें (सरकारी डेंटल कॉलेज में 75 और निजी क्षेत्र में 220) भरी गईं। इसी तरह से सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी (एम.डी.एस.) की 100 सीटें (सरकारी डेंटल कॉलेज में 23 और निजी डेंटल कॉलेजों में 77) भरी गईं।

iii. **नर्सिंगः** शैक्षणिक सत्र 2024–25 में जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी (जी.एन.एम.) पाठ्यक्रम के लिए 1,650 सीटें, 2014 बी.एस.सी. नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग की 670 एवं एम.एस.सी. नर्सिंग डिग्री कोर्स की 216 सीटों की स्वीकृति विभिन्न सरकारी एवं निजी संस्थानों में प्रदान की गयी है।

iv. **छात्रवृतियां/वजीफेः** वर्तमान में राज्य के सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों एवं दन्त महाविद्यालय में निम्नलिखित सभी श्रेणियों को वजीफा दिया जा रहा हैः

क्रमांक	पद/छात्र की श्रेणी	वर्ष (यदि लागू हो)	प्रति माह/प्रति छात्र छात्रवृति (डॉक्टर)
1.	बैचलर ऑफ मेडिसन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी (एम.बी.बी.एस.) (इंटर्न)	–	20,000/–
2.	बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (बी.डी.एस.) (इंटर्न)	–	17,000/–
3.	जुनियर रेजिडेंट/टयुटर जरनल	–	41,000/–
4.	सिनियर रेजिडेंट/टयुटर स्पैशलिस्ट	प्रथम वर्ष	60,000/–
		द्वितीय वर्ष	62,500/–
		तृतीय वर्ष	65,000/–
5.	डॉक्टर ऑफ मेडीसिन/मास्टर ऑफ सर्जरी(एम.डी./एम.एस.)	प्रथम वर्ष	60,000/–
		द्वितीय वर्ष	62,500/–
		तृतीय वर्ष	65,000/–
6.	स्नातकोत्तर राजनयिक राष्ट्रीय बोर्ड(एम.डी./एम.एस.) और राजनयिक राष्ट्रीय बोर्ड (डी.एन.बी.)	प्रथम वर्ष	40,000/–
		द्वितीय वर्ष	45,000/–
		तृतीय वर्ष	50,000/–

v. **सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रमः** इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय शिमला में विभिन विशिष्टताओं में सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों में 7 सीटें भरी गई और 6 सीटें डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद राजकीय आयुविज्ञान महाविद्यालय कांगड़ा स्थित टांडा को आंबटित की गई । डी.एन.बी. सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों के तहत डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय कांगड़ा स्थित टांडा में (डी.एन.बी. न्यूरोलॉजी 2 सीटें और डी.एन.बी. कार्डियोलॉजी 2 सीट) है।

दिसंबर, 2024 तक संस्थानवार प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित तालिका में दी गई हैः

सारणी–14.5

संस्थानवार प्रमुख उपलब्धियां

संस्थान	विकसित सुविधाएं
इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आई.जी.एम.सी.) शिमला	• **तृतीयक देखभाल कैंसर केन्द्र टी.सी.सी.सी. कैंसर अस्पताल का विस्तारः** इसका उद्घाटन माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश द्वारा दिनांक 07 अक्टूबर, 2024 को किया गया है । भवन की दो मंजिलों को कार्यात्मक बनाया गया है, जो

	कैंसर रोगियों के कल्याण हेतु समर्पित है । इन मंजिलों में ओ.पी.डी. (बाह्य रोगी विभाग) और दो वार्ड (पुरूष एवं महिला) शामिल है । • **मशीनरी और उपकरणः–** इस नए कैंसर अस्पताल भवन में दो प्रमुख मशीने, सी.टी. सिम्युलेटर और लीनियर एक्सेलेटर स्थापित की जाएगी । • **सी.टी. मशीन और डिजिटल एक्स–रे मशीनः–** 128–स्लाइस सी.टी. मशीनें और डिजिटल एक्स–रे मशीनें, ट्रॉमा सेंटर भवन, रेडियो–डायग्नोसिस विभाग के अन्तर्गत की गई है। • **3–टेस्ला एम.आर.आई. मशीनः** इस मद में ₹27.70 करोड़ की प्रशासनिक और व्यय स्वीकृति प्रदान की गई है । इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, शिमला ने हाल ही में कॉमन सर्विस सेंटर/जन आरोग्य सुविधा की शुरूआत की है, जिसका उद्देश्य मरीजों और तीमारदारों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है।
डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय कांगड़ा स्थित टांडा	• **मानसिक स्वास्थ्य उत्कृष्टता केंद्र** हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य उत्कृष्टता केंद्र, डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय कांगड़ा में ₹35.38 करोड़ की लागत से निर्मित किया गया है, जिसके लिए धनराशी भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई हैं। • **200 बिस्तरों वाला मातृ एवं शिशु अस्पताल** केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय कांगड़ा स्थित टांडा में 200 बिस्तरों वाले मातृ एवं शिशु चिकित्सालय का निर्माण किया गया हैं। इसकी निर्माण लागत ₹41.46 करोड़ है, जिसमें से ₹39.59 करोड़ आबंटित किए जा चुके हैं। • **ई.डब्ल्यू.एस. योजना के तहत लेक्चर थियेटर परिसर का निर्माणः** इस संस्थान में ई.डब्ल्यू.एस. योजना के तहत हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा एक लेक्चर थियेटर परिसर का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी कुल लागत ₹14.13 करोड है।



	• रोगी देखभाल में असुविधा से बचने के लिए एक अतिरिक्त 20 किलोलीटर क्षमता का तरल ऑक्सीजन गैस प्लांट लगाया गया है।
डॉ यशवंत सिंह परमार आयुर्विज्ञान महाविद्यालय नाहन	डॉ0 यशवन्त सिहं परमार राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय नाहन के विभिन्न विभागों में ₹53.45 लाख की मशीने एवं उपकरण खरीदे गये है • नर्सिंग कॉलेज के निर्माण हेतु केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच 90:10 के अनुपात में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। • नर्सिंग कालेज के निर्माण हेतु भूमि राजस्व विभाग नाहन द्वारा मौजा धारक्यारी में 11 वीघा 13 बिस्वा चिन्हित करने के उपरान्त चिकित्सा विभाग के नाम पर कर दी है। • 06 जनवरी, 2024 को हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ₹14.65 करोड़ के बजट से बनाए जाने वाले 120 एम. बी.बी.एस, इंटर्न हॉस्टल की आधारशिला रखी गई।
पंडित जवाहर लाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय चम्बा	• **प्रथम चरणः–** मेडिकल कॉलेज के प्रथम चरण में 200 बिस्तरों वाला अस्पताल, 8 क्लीनिकल विभाग मेडिसिन, बाल रोग, मनोचिकित्सा, छाती और टी.बी., सर्जरी, ई.एन.टी, ओ.बी.जी, दंत चिकित्सा, कैजुअल्टी, रेडियोलॉजी की ओ.पी. डी, एम.बी.बी.एस. लड़कों, लड़कियों और नर्सों के लिए छात्रावास, 36 आवासीय आवास टाइप–III और 24 टाइप–IV आवासीय आवास, बायोमेडिकल अपशिष्ट भस्मक शामिल हैं। • अस्पताल के ए–ओ.पी.डी. ब्लॉक, अस्पताल के बी–इमरजेंसी ब्लॉक, अस्पताल के सी–आई.पी.डी. ब्लॉक, विद्युत सबस्टेशन और सर्विस ब्लॉक का काम पूरा हो चुका है। • इस अस्पताल की केंद्रीय प्रयोगशाला पहले से ही (24X7) प्रयोगशाला परीक्षण सेवाएं प्रदान कर रही है। • सभी लाभार्थियो को हिम केयर और आयुष्मान भारत मुफ्त दवा नीति और परीक्षण जैसी विभिन्न योजनाओ के अन्तर्गत सुविधाएं/ लाभ प्रदान किए जा रहे है। • जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओ व एक वर्ष तक के शिशु व् जननी को मुफ्त दवाइयों व एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान की जा रही है।



डॉ राधा कृष्णन आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हमीरपुर	• जोल सप्पड़ में 240 बिस्तरों वाले अस्पताल एवं एकेडमिक ब्लॉक का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है जिसके लिए ₹376.00 करोड का प्रावधान था जिसमें से 375.00 करोड़ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को आबंटित कर दिए गये है। • अस्पताल एवं एकेडमिक में फर्नीचर लगाने का कार्य सरकार द्वारा, एच.एस.सी.सी. (इंडिया) लिमिटेड को सोंपा गया है, जिसके क्रय करने हेतु सरकार द्वारा ₹5.00 करोड़ का प्रावधान किया है। • सरकार द्वारा, सभागार बनाने के लिए ₹36.90 करोड़ की लागत का प्रावधान था जिसका निर्माण कार्य शुरू हो गया है जिसके लिए ₹25.89 करोड़ हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को आबंटित कर दिए गए है। • कैंसर केयर अस्पताल के लिए उत्कृष्टता केन्द्र, जिसके लिए हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को ₹5.00 करोड़ आबटित किए गए हैं। इसके लिए अतिरिक्त ₹85.00 करोड डी.पी.आर. के पूरा होने के बाद आबंटित किए जाएंगे ।
श्री लाल बहादुर शास्त्री आयुर्विज्ञान महाविद्यालय मण्डी	• जॉनसन एण्ड जॉनसन के साथ त्रिपक्षीय समझौते के तहत ओ.बी.जी. और गायनी विभाग में ₹25.00 लाख की लागत से एक स्किल लैब की स्थापना की गई है काम पूरा हो चुका है और लैब पूरी तरह से काम कर रही है। • बाल रोग विभाग (एन.आई.सी.यू. और पी.आई.सी.यू.) में ₹75.00 लाख की लागत से सी.एल.एम.सी. की स्थापना की जा रहीं है और कार्य प्रगति पर है। • 10 बिस्तरों वाले डी.आर.टी.बी. केंन्द्र ने अपना काम शुरू कर दिया है। • 58 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक के निर्माण की निविदा प्रक्रिया ₹23.75 करोड की लागत से एच.एल.एल. के माध्यम से पूरी कर ली गई है जल्द की काम शुरू हो जाएगा। • केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा ₹19.17 करोड की लागत से तृतीयक देखभाल केंन्द्र भवन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया तथा मशीनरी, उपकरण और फर्नीचर की स्थापना के बाद शीघ्र ही आई.पी.डी. सेवाएं शुरू कर दी जाएगी ₹21.05 करोड की लिनैक मशीन खरीदी जा चुकी है तथा स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी नेरचौक मंडी	• अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी अपने ई.आर.पी. (इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम) प्रणाली लागू करने वाला राज्य का पहला विश्वविद्यालय है: I. ऑनलाइन पेपर सेटिंग, प्रश्न पत्रों का मॉडरेशन। II. उत्तर पुस्तिकाओं का ऑनलाइन मूल्यांकन। III. थीसिस का ऑनलाइन मूल्यांकन।
अटल इन्सटीयूट ऑफ मेडिकल सूपर स्पेशलिटी शिमला चमियाना	• **अतिरिक्त ब्लॉकः–** अतिरिक्त ब्लॉक में डायग्नोस्टिक्स लैब ब्लड बैंक, मोर्चरी, बायो–मेडिकल बेस्ट और गेस्ट रूम हैं। जिनका निर्माण कार्यदायी संस्था की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किया जा रहा है। • **क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माणः** राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) की योजना के अन्तर्गत किया जा रहा है। एन.एच.एम द्वारा अस्पताल सेवा परामर्श निगम लिमिटेड (एच.एस.सी.सी.) के पक्ष में ₹11.87 करोड आबंटित किये है और क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।

14.4 आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी (आयुष)

इस विभाग में आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी चिकित्सा प्रणालियाँ शामिल हैं। प्रदेश में भी इस विभाग को आयुष के नाम से जाना जाता है।

आयुष विभाग हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आयुष के माध्यम से आम जनता को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं सारणी 14.6 में दर्शायी गई हैं।

सारणी–14.6

हिमाचल प्रदेश में आयुष स्वास्थ्य अधोसंरचना की उपलब्धता

क.सं.	संस्थान	संख्या (दिसम्बर, 2024 तक)
1	पी.जी. आयुर्वेदिक कॉलेज	1
2	फार्मास्युटिकल साइंस कॉलेज	1
3	क्षेत्रीय अस्पताल	2
4	आयुर्वेदिक अस्पताल	32
5	नेचर केयर हॉस्पिटल	1
6	आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र	445

7	आयुष हैल्थ एवं वैलनेस केन्द्र	740
8	अनुसंधान संस्थान भारतीय चिकित्सा पद्धति (हर्बल गार्डन)	4
9	औषधि परीक्षण प्रयोगशाला	1
10	यूनानी स्वास्थ्य केंद्र	3
11	होम्योपैथिक स्वास्थ्य केंद्र	14
12	अमची क्लीनिक	4
13	आयुर्वेदिक फार्मेसी	3
कुल		1251

14.4.1 हर्बल संसाधनों का विकास

- 198 औषधीय पोधों के लिए क्यू.आर. कोड **(QR code)** विकसित किए गए हैं, जिससे स्कैनिंग के माध्यम से औषधीय पौधों के बारे में सारी जानकारी एकदम उपलब्ध हो जाती है। इसके अतिरिक्त औषधीय पौधों के बारे में जागरूकता हेतु 46,000 प्रतियां मुद्रित की गई।
- अश्वगन्धा अभियान के अर्न्तगत 70,000 अश्वगन्धा पौधे वितरित किये गये। ग्राम सभा/महिला मण्डलों/स्कूलों आदि की बैठकों के दौरान अश्वगन्धा के उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाई गई, साथ ही स्कूलों में आई.ई.सी. साम्रगी का वितरण और प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया।
- भारत सरकार द्वारा ₹18.90 करोड़ के वितीय परिव्यय के साथ "***Withania somnifera***" (अश्वगंधा) पर राष्ट्रीयव्यापी अभियान अश्वगंधा–एक स्वास्थ्य प्रवर्तक" नामक एक परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है।

14.4.2 आयुष आरोग्य कल्याण निधि: आयुष आरोग्य कल्याण निधि के निर्माण के माध्यम से राज्य भर में स्थित आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र (ए.एच.सी.) को उनकी लघू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये नई पहल की गई है।

14.4.3 आचार्य चरक योजना: क्षेत्रीय आयुष संस्थानों में मुफ्त औषधीय व लैब परीक्षण की सुविधायें प्रदान करने के लिये तैयार की गई है।

निष्कर्ष में हिमाचल प्रदेश सरकार जनता के स्वास्थ्य में सुधार की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू कर रही है। प्रमुख पहलों में मलेरिया, कुष्ठ रोग, टीबी और अंधापन के लिए रोग नियंत्रण कार्यक्रम, साथ ही आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना और हिमकेयर कार्यक्रम जैसी व्यापक सेवाएं शामिल हैं, जो परिवारों के लिए कैशलेस उपचार प्रदान करती हैं। राज्य सरकार स्क्रीनिंग और उपचार, कैंसर देखभाल और दिल के दौरे और मधुमेह रोगियों के लिए सहायता के माध्यम से गैर–संचारी रोगों पर भी ध्यान

केंद्रित करती है। अन्य कार्यक्रम जिनमें विशिष्ट हस्तक्षेप शामिल है उनके द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, मासिक धर्म स्वच्छता, स्वच्छता और एच.आई.वी./एडस पर ध्यान केन्द्रित करती है।

आधारभूत ढांचे के विकास के लिए धन के आवंटन और चिकित्सा, दंत चिकित्सा और नर्सिंग पाठ्यक्रमों में विभिन्न सीटों को भरने के साथ, चिकित्सा शिक्षा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। विभिन्न स्तरों पर मेडिकल छात्रों को विभिन्न प्रकार के मानदेय और छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। उल्लेखनीय उपलब्धियों में मेडिकल कॉलेजों में कैंसर केंद्र, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान और महत्वपूर्ण देखभाल ब्लॉक जैसी उन्नत सुविधाओं का निर्माण शामिल है। राज्य ने कई अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी प्रथाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयुष स्वास्थ्य देखभाल में काफी प्रगति की है। अश्वगंधा अभियान और आयुष आरोग्य कल्याण निधि जैसी परियोजनाएं हर्बल चिकित्सा के उपयोग को बढ़ावा देती हैं और स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों को सहायता उपलब्ध करवाती हैं।

******

अध्याय 15



समाज कल्याण

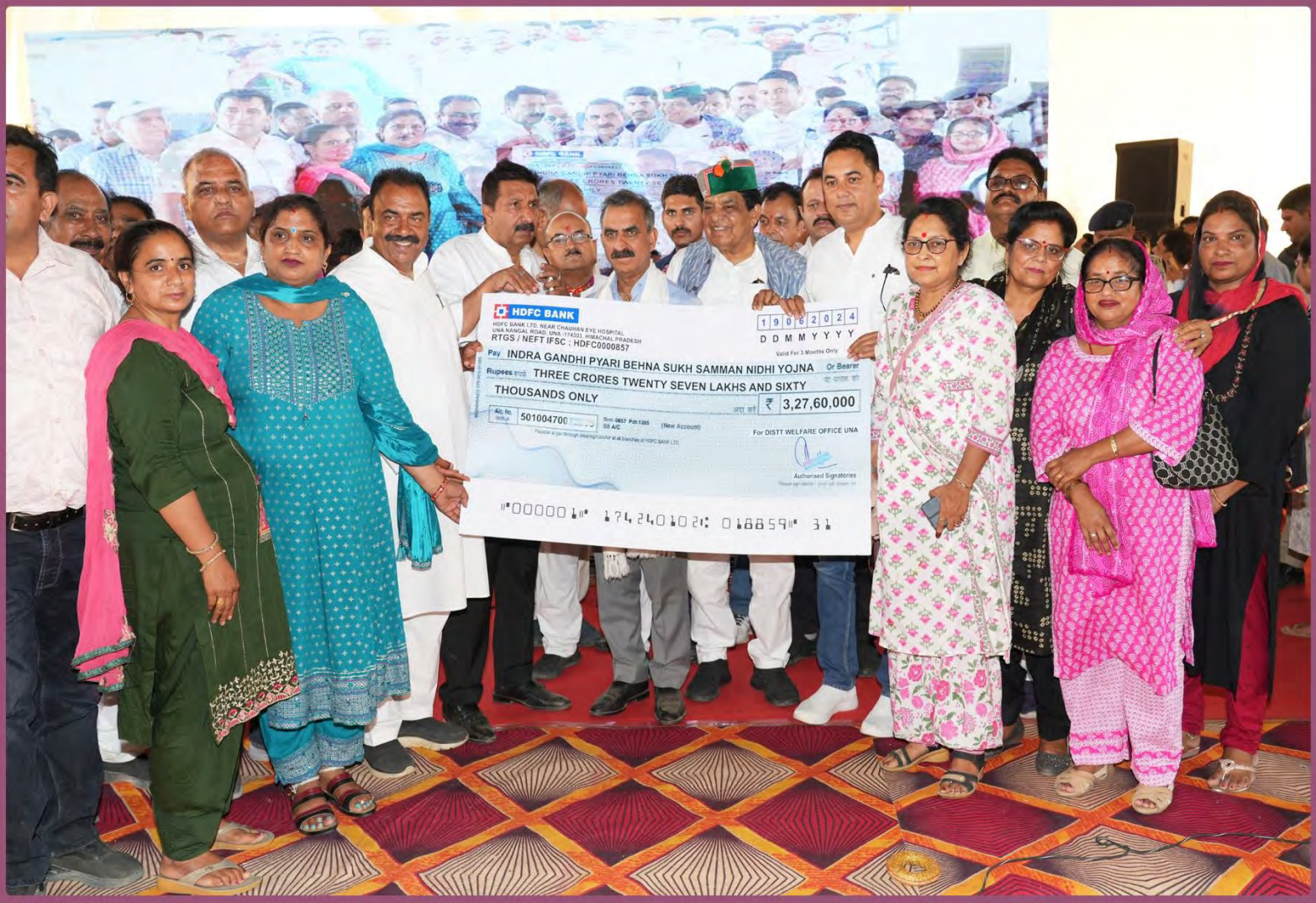
HDFC BANK
HDFC BANK LTD. NEAR CHAUHAN EYE HOSPITAL
UNA NANGAL ROAD UNA -174303 HIMACHAL PRADESH
RTGS / NEFT IFSC : HDFC0000857
1 9 0 6 2 0 2 4
D D M M Y Y Y Y
Valid For 3 Months Only
Pay INDRA GANDHI PYARI BEHNA SUKH SAMMAN NIDHI YOJNA Or Bearer
Rupees THREE CRORES TWENTY SEVEN LAKHS AND SIXTY
THOUSANDS ONLY
₹ 3,27,60,000
Sb A/C
(New Account)
For DISTT WELFARE OFFICE UNA
Authorised Signatories



मुख्य बिन्दु

- मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा अनाथ, अर्ध–अनाथ, विशेष रूप से विकलांग और अन्य बच्चों, एकल नारी, निराश्रित महिलाओं को देखभाल और सुरक्षा की व्यापक देखभाल और सुरक्षा प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो जाते हैं।

- मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के तहत 449 बच्चों को शामिल किया गया है, जो उच्च शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास और स्टार्ट–अप कर रहें हैं।

- हिमाचल प्रदेश सरकार ने सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं में पुरानी पेंशन योजना, विशेष क्षमता राहत भत्ता, विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी पेंशन आदि शामिल हैं।

- हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम (एच.पी.एस.सी. और एस.टी.डी.सी.) और हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एच.पी.बी.सी.एफ. और डी.सी.) कई स्व–रोजगार हेतु कार्यक्रम चला रहे हैं।

- हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम द्वारा छोटे उद्यम स्थापित करने के लिए 40 प्रतिशत या उससे अधिक की विशेष क्षमता वाले अक्षम व्यक्तियों को ऋण प्रदान किया जाता है।

- बाल संरक्षण योजना, मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना, बेटी है अनमोल योजना और सशक्त महिला योजना सहित महिलाओं, लड़कियों और बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए राज्य द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

- राज्य में महिलाओं को प्रति माह ₹1500 प्रदान करने के उद्देश्य से (इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना–2024) की शुरुआत की गई है।

15.1 परिचय

हिमाचल प्रदेश सरकार महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों, अनुसूचित जाति (एस.सी.), अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) सहित सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समूहों की भलाई के लिए समर्पित है। कल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि यह सुनिश्चित हो की लागू किए जाने वाले कार्यक्रम विशेष वर्गों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हैं और व्यवस्थित रूप से प्रदेश सरकार के नियोजित सामाजिक लक्ष्यों को पूरा करते हो।

इस अध्याय में अनुसूचित जातियों (एस.सी.), अनुसूचित जनजातियों (एस.टी.), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.), महिलाओं, किसानों, युवाओं और गरीबों के लिए नीतिगत प्राथमिकताओं का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। इसमें विशेष रूप से इस बात पर बल दिया गया है कि आर्थिक गतिविधियों में उनकी सक्रिय और प्रभावी भागीदारी को बढ़ावा मिले जोकि समावेशी विकास नीतियों की सफलता का एक महत्वपूर्ण मापदंड भी है।

15.2 समाज कल्याण एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

निदेशालय अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक मामलों के सशक्तिकरण विशेष रूप से दिव्यागों के अधिकारिता (ईसोमा), विभाग की है। विभाग के कार्यक्रम मुख्य रूप से इन लोगों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को बढ़ाने पर केंद्रित हैं ताकि उन्हें हर प्रकार से समाज में जोड़ा जा सके। लक्ष्य समूहों का सामाजिक, शिक्षात्मक और आर्थिक विकास ईसोमा विभाग के कार्यक्रमों और योजनाओं में प्राथमिकता पर रहा है जिसके परिणामस्वरूप इन समूहों के लोगों के जीवन में काफी सुधार हुआ है।

सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से अत्यधिक अभाव, जोखिम और कमजोरियों दोनों को दर्शाता है। अगर सब कुछ बाजार और विकास के भरोसे छोड़ दिया जाए तो असमानता को दूर नहीं किया जा सकता है। यह न केवल सामाजिक असुरक्षा जैसे बीमारी, बुढ़ापा, बेरोजगारी और सामाजिक बहिष्कार से संबंधित है, बल्कि उन कार्यक्रमों से भी संबंधित है जो गरीबों के लिए आय प्रदान करते हैं। विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना प्रदेश में सुचारू रूप से कार्यान्वित की जा रहीं ताकि समाज का पूर्ण रूप से कल्याण हो सके जोकि निम्नलिखित है।

राज्य की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं का विवरण सारणी 15.1 में दर्शाया गया है।

सारणी 15.1

राज्य की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं

योजनाएं	पात्रता शर्तें/बजट प्रावधान	राशि (₹) प्रति माह
वृद्धावस्था पेंशन	• विभाग द्वारा बिना किसी आय सीमा के सभी लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जा रही है जिसके लिए दम्पति में से कोई भी सरकारी सेवा की पेंशन न ले रहा हो और न ही आयकर दाता हो। • 60–69 वर्ष के पेंशनर • 70 वर्ष व उससे अधिक के पेंशनर • 60–69 वर्ष की महिला पेंशनर • इस योजना के अन्तर्गत 4,92,519 पेंशनरों के लक्ष्य के लिए ₹824.79 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया हैं जिसके अंतर्गत दिसम्बर, 2024 तक ₹613.33 करोड़ व्यय किए गए है।	1,000 1,700 1,500
विशेष दिव्यांगता राहत भत्ता	• जिनकी 40 प्रतिशत से 69 प्रतिशत तक दिव्यांगता से पीड़ित है। • बिना किसी आय सीमा के जिनकी 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता है। • 76,809 पेंशनरों के लिए 128.00 करोड के लक्ष्य के समकक्ष ₹97.09 करोड़ की राशि दिसम्बर, 2024 तक व्यय की गई है।	1,150 1,700
विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी पेंशन	• 45 से 69 वर्ष की महिलाएं । • 70 वर्ष और उससे अधिक । • 1,23,319 पेंशनरों के लक्ष्य हेतु ₹215.31 करोड़ के बजट प्रावधान के अंतर्गत ₹163.33 करोड़ की राशि दिसम्बर, 2024 तक व्यय की गई।	1,500 1,700
कुष्ठ रोगी पुर्नवास भत्ता	• 69 वर्ष तक के कुष्ठ रोगी चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो। • 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के कुष्ठ रोगी को • 60–69 वर्ष के आयु वर्ग की महिलाएं। 1,018 पेंशनभोगियों के लक्ष्य के लिए 2.20 करोड़ के बजट प्रावधान में दिसंबर, 2024 तक ₹1.19 करोड़ खर्च किए गए हैं।	1,000 1,700 1,500
ट्रांसजेंडर पेंशन	• 69 वर्ष तक के ट्रांसजेंडर को पेंशन। • 70 वर्ष से अधिक उम्र के ट्रांसजेंडर पेंशन । • दिसम्बर 2024 तक 49 पेंशनभोगियों के लक्ष्य के	1,000 1,700

	लिए ₹15.00 लाख के बजट प्रावधान में से ₹0.96 लाख व्यय किए गए हैं।	
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन (बी.पी.एल.)	• 60 से 69 वर्ष के व्यक्ति जो बी.पी.एल. से संबंधित हैं। • 70 वर्ष और अधिक के व्यक्ति जो बी.पी.एल. परिवार से संबंधित है। • 60 से 69 वर्ष की महिला जो बी.पी.एल. से संबंधित हैं। 1,04,542 पेंशनरों के लक्ष्य हेतु ₹42.33 करोड के बजट प्रावाधान के अंतर्गत ₹32.64 करोड की राशि दिसम्बर 2024 तक व्यय की गई।	1,000 1,700 1,500
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	• 40 वर्ष से 69 वर्ष तक की आयु वर्ग की विधवाएं जो बी.पी.एल. से संबंधित हैं। • 70 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले बी.पी.एल. परिवार से संबंधित है। 25,354 पेंशनरों के लक्ष्य हेतु ₹9.46 करोड के बजट प्रावाधान के अंतर्गत ₹7.14 करोड की राशि दिसम्बर 2024 तक व्यय की गई।	1,500 1,700
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विशेष रूप से दिव्यांगता	• दिव्यांग व्यक्ति, जो 80 प्रतिशत तक दिव्यांग हो और बी.पी.एल. से संबंधित हो। 1,319 पेंशनरों के लक्ष्य हेतु ₹52.00 लाख के बजट प्रावाधान के अंतर्गत ₹39.35 लाख की राशि दिसम्बर 2024 तक व्यय की गई।	1,700

15.2.1 राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवार से संम्बन्धित 18 से 59 वर्ष की आयु के मुख्य कमाने वाले की दुर्भाग्यपूर्ण घटना मे मृत्यु हो जाती है तो ₹20,000 रुपये की राशि मदद के रुप में मिलेगी, दिसम्बर, 2024 तक 428 परिवारों को वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। ₹4.32 करोड़ के बजट प्रावधान के अंतर्गत ₹85.60 लाख़ की राशि दिसम्बर, 2024 तक व्यय की गई।

15.2.2 इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना

हिमाचल प्रदेश में महिलाओं की जनसंख्या लगभग 49 प्रतिशत है। राज्य का अधिकांश क्षेत्र दुर्गम है, जहाँ अन्य क्षेत्रों और राज्यों की तुलना में जीवनयापन अधिक कठिन और चुनौतीपूर्ण है। राज्य की महिलाएँ घरेलू कार्यों से लेकर परिवार की आर्थिकी को सुदृढ़ करने तक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस योजना का उद्देश्य राज्य के विकास और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में महिलाओं के योगदान को सम्मानित करना, साथ ही उनका आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है।

राज्य में महिलाओं को प्रति माह ₹1500 प्रदान करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना 2024 शुरू की गई है। इस योजना के लिए ₹27.64 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। अब तक 30,929 महिलाओं को इसका लाभ मिल चुका है, जिसके तहत ₹20.99 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

15.2.3 स्व–रोजगार योजनाएँ

हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास निगम, हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम और हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित एवं विकास निगम अनेक स्वयं रोजगार योजनाएं चलाने हेतु राज्य सरकार से वित्तीय सहायता राशि प्राप्त कर रहे हैं।

इन निगमों द्वारा दिसम्बर, 2024 तक दिये गये ऋणों का विवरण सारणी 15.2 में है:

सारणी 15.2

निगम का नाम	योजना का नाम	लक्ष्य समूह	वित्तीय उपलब्धियाँ (लाख में)	भौतिक उपलब्धियाँ
हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	सावधि ऋण (स्वरोजगार)	अन्य पिछड़ा वर्ग	345.23	65
हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	लघु व्यवसाय ऋण	अल्पसंख्यक	473.15	81
		दिव्यांगजन	177.50	33
	कृषि इकाई	अल्पसंख्यक	52.00	07
		दिव्यांगजन	8.00	1
	शैक्षिक ऋण	अल्पसंख्यक	29.63	2
	परिवहन क्षेत्र	दिव्यांगजन	10.00	1
		अल्पसंख्यक	15.68	02
	गृह ऋण	दिव्यांगजन	0	0
		अल्पसंख्यक	15.00	01
हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम	स्वरोजगार योजना	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवार	21.80	54
	हस्तशिल्प विकास योजना		3.75	25
	ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण		7.04	7
	अम्बेदकर लघु ऋण योजना/महिला समृद्धि योजना/ आदिवासी		34.00	74

	महिला सशक्तिकरण योजना/लघु व्यवसाय योजना			
	दलित वर्ग व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना		0	20
	हिमस्वाबलम्बन योजना		16.80	07

15.2.4 अनुसूचित जाति विकास योजना

कुल राज्य विकास योजना आवंटन का 25.19 प्रतिशत अनुसूचित जाति विकास योजना के लिए व्यक्तिगत लाभार्थी कार्यक्रमों के अर्न्तगत विशेष कवरेज प्रदान करने और अनुसूचित जाति केंद्रित गांवों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अलग रखा गया है। अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम का बजट वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए ₹2483.20 करोड़ है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए एस.सी. विकास कार्यक्रम को अतिरिक्त केंद्रीय विकास बजट के रूप में ₹1345.40 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं इसमें से राज्य विकास बजट के अन्तर्गत ₹1422.47 करोड की अनुमानित राशि का व्यय वितीय वर्ष 2024–25 मे दिसम्बर, 2024 तक किया जा चुका है। इन व्यय का वर्ष वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

चित्र 15.1

अनुसूचित जाति विकास योजनान्तर्गत व्यय

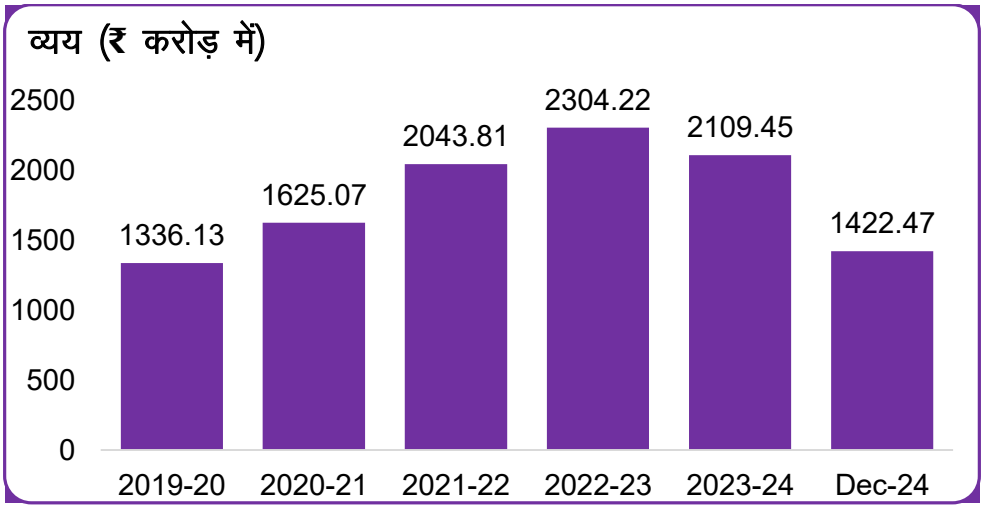

15.2.5 अनुसूचित जनजाति उप–योजना

आर्थिक विकास के लिए एस.टी. उप–दृष्टिकोण योजना क्षेत्रवार आधारित है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) विकास योजना के तहत अनुसूचित जनजाति विकास कार्यक्रम के लिए ₹899.05 करोड़ आवंटित किया गया है।

अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) विकास योजना के हिस्से के रूप में, राज्य में एस.टी. के कल्याण के लिए वित्तीय वर्ष 2023–24 में सितम्बर, 2024 तक ₹100.47 करोड़ व्यय किए गए हैं। चित्र 15.2 में वर्ष वार व्यय का विश्लेषण दर्शाया गया है।

चित्र 15.2

एस.टी.सी./जनजाति उप–योजना के अन्तर्गत व्यय

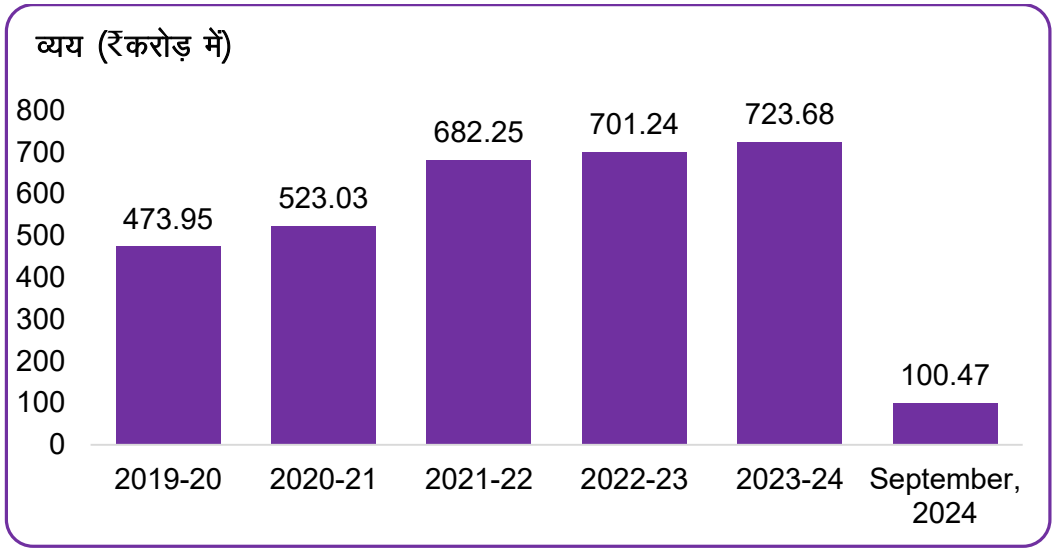

15.2.6 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण

2024–25 के दौरान लागू की गई महत्वपूर्ण योजनाएँ इस प्रकार हैं:

सारणी 15.3

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यको के लिए राज्य की विभिन्न योजनाएँ

योजना	संक्षिप्त विवरण
अंतर्जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन	अंतर्जातीय विवाह करने वाले जोडों को ₹50,000 का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वर्ष 2024–25 के अन्तर्गत ₹5.10 करोड़ का बजट प्रावधान प्रदान किया गया तथा 573 दम्पतियों को दिसम्बर, 2024 तक ₹2.79 करोड़ की राशि व्यय करके लाभान्वित किया गया।
स्वर्ण जयन्ती आश्रय योजना/अवास सब्सिडी	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को जिनकी आय 50,000 से अधिक नहीं है को गृह अनुदान ₹1,50,000 प्रति परिवार घर निर्माण के लिए दिए जाते हैं। वर्ष 2024–25 के अन्तर्गत ₹25 करोड़ का बजट प्रदान किया गया है तथा 228 व्यक्तियों को दिसम्बर, 2024 तक लाभान्वित किया गया।

कंप्यूटर प्रशिक्षण और कार्य में निपुणता एवं संबंधित कार्यकलाप	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, बी.पी.एल. अल्पसंख्यकों, दिव्यांग, एकल महिला और विधवा या जिनकी वार्षिक आय ₹2.00 लाख से कम है, को ₹1,350 प्रति माह और दिव्यांगो के लिए ₹1,500 की राशि प्रशिक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं और प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु को ₹1,000 प्रतिमाह और ₹1,200 प्रतिमाह विशेष रूप से विकलांगों प्रशिक्षु के लिए छात्रवृति दी जाती है। कंप्यूटर कार्य में प्रवीणता लाने के लिए संगठनों/कार्यालयों में 6 माह की नियुक्ति प्रदान की जाती है, इस अवधि में सामान्य वर्ग के अभ्यार्थी को ₹1,500 प्रति माह तथा दिव्यांग अभ्यार्थीयों को ₹1,800 प्रति माह प्रदान किये जाते हैं। वर्ष 2024–25 में ₹5.00 करोड़ का बजट प्रावधान प्रदान किया गया है और दिसम्बर, 2024 तक ₹338.60 लाख़ की राशि व्यय की गई है।
अनुवर्ती कार्यक्रम	₹50,000 तक की वार्षिक आय वाले एस.सी. और ओ.बी.सी. व्यक्तियों की सहायता के लिए वित्त वर्ष 2024–25 के लिए ₹2.03 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। इस योजना के तहत, बढ़ईगीरी, बुनाई, चमड़े के काम और अन्य व्यवसायों में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के लिए ₹1,300 प्रदान किए जाएंगे, जबकि सिलाई मशीनों के लिए ₹1,800 दिए जाएंगे।
एस.सी./एस.टी. पर अत्याचार के पीड़ितों को मुआवजा अत्याचार के निवारण (पी.ओ.ए.) एक्ट–1989	एस.सी/एस.टी. अत्याचार निवारण (पी.ओ.ए.) अधिनियम–1989 के अन्तर्गत, पीड़ितों को ₹85,000 से ₹8.25 लाख तक की राहत प्रदान की जाती है। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान 245 पीड़ितों को मुआवजा राशि प्रदान करने के लिए ₹3.09 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है और दिसंबर, 2024 तक ₹1.22 करोड़ की राशि खर्च की गई है।
सिविल सेवाओं के लिए कोचिंग हेतु वित्तीय सहायता	हिमाचल के स्थाई निवासीयों को केंन्द्रीय लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली प्रारंभिक परिक्षा उतीर्ण करने पर विभाग द्वारा ₹30,000 की राशि एक बार प्रदान की जाती है। वित वर्ष 2024–25 के दौरान, ₹10.50 लाख का बजट का प्रावधान किया गया है। जिसके अंतर्गत दिसम्बर 2024 तक 33 उम्मीदवारों को ₹9.9 लाख का प्रावधान किया गया है।

नशीली दवाओं के सेवन पर रोकथाम	नशीली दवाओं के सेवन के खतरे को रोकने और दवा की मांग को कम करने के लिए, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने राज्य में एकीकृत पुनर्वास केंद्र नशा करने वालो के लिए 3 आई.आर.सी.ए.एस. की स्थापना की है, जबकि राज्य सरकार ने एन.जी.ओ. के सहयोग से 2 आई.सी.आर.ए.एस. की स्थापना की है, जिन्हें सहायता अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता शिविर नुक्कड़ नाटक लोकल मीडिया समूहों और शिक्षण संस्थानों में जाम सत्र आयोजित किए गए, ताकि नशे की बुराई को कम किया जा सके। चालू वित्त वर्ष 2024–25 के लिए इस योजना के तहत ₹208.61 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।
स्वयं सेवी संस्थाओं को अनुदानः वृद्ध आश्रम चलाने हेतु अनुदान	ऐसे वृद्धजनों के लिए राज्य में गैर–सरकारी संगठनों/विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा 9 वृद्धाश्रम, 22 डे केयर सेंटर 07 वरिष्ठ नागरिक सुविधा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिन्हें सहायता अनुदान दिया जा रहा है। चालू वित्त वर्ष 2024–25 के लिए इस योजना के अन्तर्गत ₹1.75 करोड का बजट प्रावधान किया गया है। जिसमें से दिसम्बर 2024 तक ₹144.42 लाख की राशि का व्यय किया जा चुका है।
विशेष रूप से सक्षमों का कल्याणः	
विशेष रूप से अक्षम के लिए छात्रवृत्ति	40 प्रतिशत और उससे अधिक की विशेष क्षमता वाले सभी श्रेणियों के बच्चों को जो कि अनावासीक है। उन्हें प्रति माह ₹625 से ₹3,750 तक और छात्रावास में रहने वाले छात्र के लिए ₹1,875 से ₹5,000 प्रति माह छात्रवृत्ति दी गई है। दिसंबर, 2024 तक 456 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए ₹170.00 लाख के बजट प्रावधान के अंतर्गत ₹75.84 लाख की राशि खर्च की गई है।
विशेष रूप से अक्षम व्यक्तियों से विवाह करने वाले व्यक्तियों को विवाह अनुदान	स्वस्थ पुरूष व महिला को दिव्यांग व्यक्ति से विवाह के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से 40 से 74 प्रतिशत की दिव्यांगता पर ₹25,000 दिए जाते है। 75 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता पर ₹50,000 दिए जाते हैं। ₹94.00 लाख के बजट प्रावधान के अंतर्गत दिसम्बर, 2024 तक ₹19.89 लाख की राशि से 30 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संस्थान	दृष्टिहीन और श्रवण बाधित बच्चों को शिक्षा और व्यवसायिक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य में ढली–(शिमला), दाड़ी–(धर्मशाला) तथा सुंदरनगर (मण्डी) में तीन संस्थान स्थापित किए गए हैं। सुंदरनगर स्थित यह संस्थान पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा संचालित है। वित्त वर्ष 2024–25 के लिए इसमें ₹206.29 लाख का बजट प्रावधान किया गया है, जिसमें से दिसंबर 2024 तक ₹135.69 लाख की राशि व्यय की गई है।
जिला पुनर्वास केंद्र	हमीरपुर और धर्मशाला में दो जिला पुनर्वास केंद्र स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2024–25 के दौरान ₹20.00 लाख की राशि प्रत्येक जिला पुनर्वास केंद्र के लिए जारी की गई है।
मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति का पुनर्वास	मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राज्य में दो हाफवे होम स्थापित किए गए हैं वर्ष 2024–25 के दौरान इन 2 हाफ वे होम के लिये ₹14.05 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।
विशिष्ट विकलांगता आई.डी. कार्ड (यू. डी.आई.डी.) :	भारत सरकार के निर्देशानुसार इस यू.डी.आई.डी. परियोजना के माध्यम से दिव्यांगजनों की सुविधा और पहचान के लिए पूरे देश में विकलांगता कार्ड के स्थान पर एक ही यू.डी.आई.डी. कार्ड बनाना अनिवार्य है। दिसम्बर 2024 तक, राज्य भर में दिव्यांगजनों को 95,105 यू.डी.आई.डी. कार्ड जारी किए गए हैं। यू.डी.आई.डी. कार्ड ऐसे दिव्यांगजनों को जारी किया जाता है जिनकी विकलांगता स्वास्थ्य विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा चिकित्सीय परीक्षण के दौरान 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो। यू.डी.आई.डी. कार्ड के माध्यम से दिव्यांगजन राज्य के भीतर एच.आर.टी.सी. बसों में मुफ्त यात्रा सुविधाओं का लाभ उठाते हैं।
त्यौहार अनुदान	राज्य सरकार वृद्धाश्रमों/विशेष घरों में रहने वाले सभी निवासियों को त्यौहार अनुदान ₹500 कि दर से दिया जाता है। इसके अतिरिक्त 25 निवासियों की क्षमता वाले संस्थानों को ₹5000 और 25 से अधिक निवासियों की क्षमता वाले संस्थानों को ₹10,000 भी प्रदान किए जाते हैं। 728 लाभार्थियों को दिसम्बर 2024 तक ₹67.00 लाख के बजट प्रावधान में से ₹23.73 लाख व्यय किए गए हैं।

15.3 महिला एवं बाल विकास

राज्य में सभी विषयों में समान विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान देने के साथ कई उपायों को लागू कर रही है। ये कार्यक्रम पुरुषों और महिलाओं के बीच आय के अंतर को कम करने, घरेलू आय बढ़ाने और महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने पर केंद्रित हैं। सरकार ने स्वयं सहायता समूहों के एक विशाल नेटवर्क के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने और शादियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं। उपरोक्त पहलों के अलावा, सरकार बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, एकीकृत बाल संरक्षण सेवाएं, पूरक पोषण कार्यक्रम, पोषण अभियान, आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण और नवीनीकरण, और तस्करी एवं वाणिज्यिक यौन शोषण के पीड़ितों के लिए उज्ज्वला जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं को भी लागू कर रही है।

वर्ष 2011 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के एक भाग के रूप में महिला एवं बाल विकास निदेशालय की स्थापना की गई थी।

सारणी 15.4

महिला, बाल एवं लड़कियों के कल्याण के लिए राज्य की विभिन्न योजनाएं

योजनाएँ	संक्षिप्त विवरण
राज्य गृह सह सुरक्षात्मक गृह मशोबरा	इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवा लड़कियों, विधवा, बेसहारा तथा निराश्रय महिलाएं जो आर्थिक रूप से कमजोर है और जिनकी अस्मिता को खतरा हो, को निःशुल्क आश्रय, खाद्य, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य दवाईयां, परामर्श तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण देना है। मशोबरा स्टेट होम में वर्तमान में 22 निवासी हैं। महिलाओं को सेवा सदन छोड़ने पर पुनर्वास के लिए ₹25,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है तथा शादी करने के लिए उसे ₹51,000 की आर्थिक सहायता भी दी जाती है।
वन स्टॉप सेन्टर	वन स्टॉप सेन्टर एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य एक ही छत के नीचे निजी तथा सार्वजनिक स्थानो में हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एकीकृत सहायता प्रदान करना है तथा चिकित्सकीय, कानूनी, मनोवैज्ञानिक तथा परामर्श सहायता सहित कई सेवाएं तत्काल आपातकालीन और गैर आपातकालीन स्थितियों में प्रदान करना है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक जिले में एक "वन स्टॉप सेंटर" की स्थापना की गई है।
सक्षम गुड़िया	इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं/किशोरियों के सशक्तिकरण,

बोर्ड	नीतिगत सिफारिशें करना, बचाव व सुरक्षा से सम्बन्धित एक्ट, नियमों, नीतियों और कार्यक्रमों के लिए तथा अपराध के खिलाफ बालिकाओं/किशोरियों की सुरक्षा के लिए उत्थान एवं सशक्तिकरण हेतु विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना है।
मुख्यमंत्री सुख–आश्रय योजना	मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा अनाथ, अर्ध–अनाथ, विशेष रूप से विकलांग और अन्य बच्चों, एकल नारी, निराश्रित महिलाओं को देखभाल और सुरक्षा की व्यापक देखभाल और सुरक्षा प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से अक्षम, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इन बच्चों और निराश्रित महिलाओं की उच्च शिक्षा और कौशल विकास प्रशिक्षण की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बच्चों और बेसहारा महिलाओं को उच्च शिक्षा एवं कौशल विकास प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से एक कोष स्थापित किया है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार किया जा सके। इस कोष में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा किए गए स्वैच्छिक दान, अंशदान, सदस्यता शुल्क तथा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत प्राप्त धनराशि शामिल की गई है। इस योजना के तहत उच्च शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास और स्टार्ट–अप में संलग्न कुल 449 बच्चों को मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के अंतर्गत शामिल किया गया है।
मिशन वात्सल्य योजना	बाल संरक्षण सेवा योजना को 01 अप्रैल 2022 को संशोधित करके, इसे अब 'मिशन वात्सल्य योजना' के रूप में जाना जा रहा है। मिशन वात्सल्य जिसे 17 सितम्बर 2012 से पहले शुरू किया गया था। सीडब्ल्यूसी और जेजेबी के आदेश पर देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों (सीएनसीपी) और कानून के साथ संघर्ष में बच्चों (सीआईसीएल) को संस्थागत देखभाल सेवाएं प्रदान की जाती हैं। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश राज्य में किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत पंजीकृत 60 बाल देखभाल संस्थानों में संस्थागत देखभाल के तहत 1,327 बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है और आवासीय सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं; इसमें 42 बाल गृह, 2 पर्यवेक्षण गृह–सह–विशेष गृह–सह–सुरक्षा स्थल, 4 खुला आश्रय और 12 शिशु गृह शामिल हैं। गैर–संस्थागत देखभाल के अंतर्गत 1,316 लाभार्थियों में से 1,206 बच्चे पालन

	पोषण/प्रायोजित कार्यक्रम और 110 बच्चें देखभाल सेवाओं के द्वारा अप्रैल से सितम्बर, 2024 के दौरान लाभान्वित हुऐ।
बलात्कार और बाल उत्पीड़न तथा वस्तुकरण पृष्ठभूमि पीड़िता का पुनर्वास	इस योजना का उद्देश्य गहन परामर्श, वित्तीय सुरक्षा, कौशल उन्नयन, पुनर्वास और आजीविका सहायता के माध्यम से बलात्कार और बाल शोषण के नाबालिग पीड़ितों को आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा लौटाना है। अपराध की पुष्टि होने पर पीड़ित को 21 वर्ष की आयु तक ₹7,500 प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई के काउंसलर के माध्यम से पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों की गहन काउंसलिंग भी की जाती है। 350 लाभार्थियों को बलात्कार और बाल दुर्व्यवहार और आपत्तिजनक पृष्ठभूमि के नाबालिग पीड़ितों को पुनर्वास सहायता के तहत वित्तीय सहायता मिली है।
आंगनबाड़ी सेवाएं	विभाग गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं और 6 महीने से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को पूरक पोषण, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं प्रदान करता है तथा 3–6 वर्ष के बच्चों के लिए अनौपचारिक प्री–स्कूल शिक्षा प्रदान कर रहा है।
पूरक पोषण कार्यक्रम और बाल पोषाहार टॉप–अप योजना	महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 6 माह से 6 वर्ष की आयु के बच्चों, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं और गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को पूरक पोषण कार्यक्रम और बाल पोषाहार टॉप–अप योजना के तहत पूरक पोषण प्रदान किया जा रहा है। अनुशंसित आहार भत्ते और किसी व्यक्ति के भोजन के वास्तविक सेवन के बीच अंतर को पाटने के लिए पूरक पोषण प्रदान किया जाता है। पूरक पोषण कार्यक्रम एवं बाल पोषाहार टॉप–अप योजना के तहत 6 माह से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रति दिन ₹10.00 (₹8.00+ ₹2.00), प्रति गर्भवती/स्तनपान करने वाली मां के ₹11.50 प्रति दिन (₹9.50+₹2.00) और गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को प्रति दिन ₹14.00 (₹12.00+₹2.00)प्रदान किया जाता है। चालू वितीय वर्ष में 6 माह से 6 वर्ष तक के 2,99,350 बच्चे, 66,645 गर्भवती एवं धात्री माताएं तथा 1,393 कुपोषित बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। वित्त वर्ष 2024–25 के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत ₹75.06 करोड़ के रूप में ₹7.90 करोड़ राज्य भाग के रुप में है और बाल पोषाहार टॉप–अप योजना के अंतर्गत ₹30.00 करोड़ राज्य सरकार का बजटीय प्रावधान है। दिसंबर, 2024 तक पूरक पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र अंश के रूप

	में ₹69.64 करोड़, राज्य अंश के रूप में ₹7.33 करोड़ तथा बाल पोषण टॉप–अप योजना के अंतर्गत ₹23.98 करोड़ की धनराशि का उपयोग किया जा चुका है।
किशोरियों के लिए योजना (एसएजी)	वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए किशोरियों हेतु योजना के तहत केन्द्रीय मांग के रूप में ₹438.00 लाख तथा राज्य मांग के रूप में ₹46.00 लाख का प्रावधान है। दिसंबर, 2024 तक केंद्रीय भाग से ₹168.00 लाख और राज्य भाग से ₹18.48 लाख की राशि का उपयोग किया गया है।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बेसहारा लड़कियों के अभिभावकों को उनकी शादी के लिए ₹51,000 का अनुदान दिया जा रहा है, बशर्ते उनकी वार्षिक आय ₹50,000 से अधिक न हो। यह विवाह अनुदान तलाकशुदा महिलाओं, उनकी बेटियों, अनाथ लड़कियों के लिए उपलब्ध है, जिनकी वार्षिक आय ₹50,000 से अधिक न हो।
महिलाओं के लिए स्व–रोज़गार सहायता	इस योजना के अन्तर्गत ₹50,000 से कम वार्षिक आय वाली महिलाओं को ₹5,000 आय सृजन करने वाली गतिविधियों को चलाने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
विधवा पुनः विवाह योजना	इस योजना का मुख्य उद्देश्य विधवा पुनः विवाह के बाद पुनर्वास में मदद करने के लिए सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अर्न्तगत दम्पति को ₹2.00 लाख प्रदान किए जाते है।
मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना	इस योजना का उद्देश्य निराश्रित विधवाओं, तलाकशुदा या परित्यक्त महिलाओं, या उन महिलाओं को जिनके पति पिछले 2 वर्षों से लापता हैं, उनके बच्चों के भरण–पोषण के लिए अधिकतर दो बच्चों को प्रति बच्चा, प्रति वर्ष ₹6,000 की सहायता प्रदान करना है, बशर्ते उनकी वार्षिक आय ₹50,000 से अधिक न हो। जब तक कि ये बच्चे 18 वर्ष की आयु के ना हो जाए।
इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना	सितंबर, 2024 में अधिसूचित इस योजना के तहत, विधवा, निराश्रित या परित्यक्त महिलाओं तथा विकलांग माता–पिता के 0 से 18 वर्ष तक के पात्र बच्चों को ₹1000 प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता उन परिवारों को दी जाएगी, जिनकी वार्षिक आय ₹1,00,000 से अधिक नहीं है, ताकि बच्चों की शिक्षा सुचारू रूप से सुनिश्चित की जा सके।
विशेष महिला उत्थान योजना	इस योजना के अर्न्तगत् शारीरिक और यौन शोषित महिलाओं को पुर्नवास के लिए तकनीकी व व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इस

	योजना के द्वारा ₹3,000 प्रतिमाह छात्रवृति तथा प्रशिक्षण अवधि पूरी होने के पश्चात् ₹800 प्रति प्रशिक्षु परीक्षा शुल्क प्रदान किया जाता है।
बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना	यह योजना सभी जिलों में कार्यन्वित है जिसका उद्देश्य लिंग के आधारीत पक्षपात को रोकना है।
बेटी है अनमोल योजना	इस योजना के तहत बी.पी.एल. परिवारों से संबंधित दो लड़कियों के लिए प्रति परिवार ₹21,000 का जन्म उपरान्त अनुदान प्रदान किया जाता है। 12 अगस्त, 2021 से पहले जन्म लेने वाली बालिकाओं को और स्कूल जाने पर प्रथम श्रेणी से स्नातक स्तर तक ₹450 से ₹5000 तक की छात्रवृत्ति व जन्म उपरान्त ₹12,000 अनुदान का प्रावधान है।
मुख्यमंत्री शगुन योजना	मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत बी.पी.एल.परिवार की लडकीयों की शादी के लिए ₹31,000 विवाह अनुदान का प्रावधान है।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	इस योजना के अंतर्गत, पहले बच्चे के मामले में ₹5,000 की राशि दो किश्तों में दी जाती है और दूसरे बच्चे के लिए, ₹6,000 का लाभ एक किश्त में प्रदान किया जाता है, अगर दूसरी संतान लडकी हो।
पोषण अभियान	पोषण अभियान एक समग्र पोषण सहायता कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य छोटे बच्चों (6 वर्ष तक), किशोरियों (14–18 वर्ष) और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण की समस्या का समाधान करना है। इसका प्रमुख उद्देश्य स्थायी स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को सुनिश्चित करने के लिए पोषण जागरूकता को बढ़ावा देना और अच्छे खानपान की आदतों को प्रोत्साहित करना है। विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन अगस्त 2024 के पहले सप्ताह में किया गया। सितंबर 2024 में पोषण माह मनाया गया, जिसमें एनीमिया, विकास निगरानी, पूरक आहार, पोषण भी पढ़ाई भी, बेहतर प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, एक पेड़ माँ के नाम, विकसित भारत संकल्प यात्रा और अन्य जागरूकता गतिविधियाँ जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर 6,75,014 गतिविधियाँ आयोजित की गईं। हिमाचल प्रदेश के पौष्टिक भोजन और उनके पोषण मूल्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, सितंबर 2024 में सोशल मीडिया के माध्यम से 3 रंग हिमाचली व्यंजन के संग अभियान भी संचालित किया गया। 31 दिसंबर, 2024 तक सभी आंगनवाड़ी केंद्रों (ए.डब्ल्यू.सी.) पर कुल 3,14,903 समुदाय आधारित कार्यक्रम (सी.बी.ई.) आयोजित किए गए। वित्त वर्ष 2024–25 के लिए पोषण अभियान के अंतर्गत 54.19 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान है। जिसमें से दिसम्बर 2024 तक ₹37.49

	करोड खर्च किये जा चुके है।
वो दिन योजना	वो दिन योजना (मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन, एनीमिया और बच्चे के पहले 1000 दिन) को वर्ष 2020–21 में शुरू किया गया था। इस योजना का क्रियान्वयन राज्य के सभी जिलों में महिला एवं बाल विकास निदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा आयुष विभाग के सहयोग से किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2024–25 के लिए वो दिन योजना के अंतर्गत ₹1.00 करोड़ के बजट का प्रावधान है। जिसमें से दिसम्बर 2024 तक ₹3.91 लाख खर्च किये जा चुके है।

निष्कर्षः हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, विकलांग व्यक्तियों और सामाजिक रूप से वंचित समुदायों (एससी, एसटी, ओबीसी) और उपेक्षित समूहों की सहायता करने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। इन पहलों में बुजुर्गों, विधवाओं और विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन जैसे सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, साथ ही कुष्ठ रोगियों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए वंचित समूहों के लिए ऋण और अनुदान जैसी स्व–रोजगार योजनाएं उपलब्ध की जाती हैं। राज्य शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण, पुनर्वास सेवाओं और मुख्य रूप से कमाने वालों की मृत्यु उपरान्त उनके परिवारों के लिए सहायता पर भी ध्यान केंद्रित करता है। पर्याप्त बजट आवंटन के साथ, इन योजनाओं का लक्ष्य हिमाचल प्रदेश में उपेक्षित लोगों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थितियों में सुधार करना है।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं और बच्चों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए विभिन्न पहल शुरू की हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य लैंगिक आधारित मजदुरी के अंतर को कम करना, घरेलू आय में सुधार करना और महिलाओं की तोल मोल की शक्ति को बढ़ाना है। इसके लिए प्रमुख योजनाओं में बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, महिला तस्करी पीड़ितों के लिए उज्ज्वला और किशोर लड़कियों की सुरक्षा के लिए सक्षम गुड़िया बोर्ड शामिल हैं।

मुख्यमंत्री सुख–आश्रय योजना अनाथ और निराश्रित महिलाओं और बच्चों की सहायता करती है, जबकि मिशन वात्सल्य योजना जरूरतमंद बच्चों की देखभाल करती है। इसके अतिरिक्त, वन–स्टॉप सेंटर, पोषण अभियान और विधवा पुनर्विवाह योजना जैसी पहल स्वास्थ्य, शिक्षा और वित्तीय सहायता जैसे क्षेत्रों में आवश्यक सहायता प्रदान करती हैं। इन प्रयासों को कमजोर महिलाओं और बच्चों के लिए वित्तीय सहायता और पुनर्वास कार्यक्रमों द्वारा पूरक किया जाता है, जो सामाजिक समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हैं।

******

अध्याय 16





ग्रामीण विकास और पंचायती राज


कार्यालय
ग्राम पंचायत लाड़थ
विकास खण्ड फतेहपुर तह. नूरपुर जिला. काँगड़ा (हि.प्र.)
सभा कक्ष
ग्राम पंचायत लाड़थ



मुख्य बिन्दु

- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य सभी गरीब परिवारों तक पहुंचना, उन्हें स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) में संगठित करना, उन्हें स्थायी आजीविका के अवसरों से जोड़ना और गरीबी से बाहर आने तक उनका पोषण करना है।
- दीनदयाल उपाध्याय–ग्रामीण कौशल्य योजना (डी.डी.यू.–जी.के.वाई.) की शुरुआत (सितंबर, 2017) से लेकर 31 दिसंबर, 2024 तक विभिन्न व्यापार और नौकरी की भूमिकाओं के माध्यम से प्रशिक्षण के लिए 19,442 लाभार्थियों का चयन किया गया, जिनमें से 17,254 लाभार्थियों ने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया और 11,690 युवाओं को विभिन्न कंपनियों में रोजगार मिला। इन नियुक्त उम्मीदवारों में से 9,656 युवाओं को नौकरी मिल चुकी है।
- स्प्रिंगशेड प्रबंधन कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश के 23 परियोजना क्षेत्रों में संचालित है। 414 स्रोतों की पहचान की गई है, जिनका पुनर्निर्माण किया जाएगा और प्रत्येक स्रोत को जनसंख्या की निर्भरता के आधार पर घटते क्रम की श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।
- मुख्यमंत्री आवास योजना (पी.एम.ए.वाई.) के अन्तर्गत दिसंबर, 2024 तक 351 घरों को मंजूरी दी गई है
- स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण (एस.बी.एम.–जी.) के अंतर्गत 17,630 गांवों के लक्ष्य के मुकाबले 16,067 गांवों को खुले में शौच मुक्त (ओ.डी.एफ.) प्लस घोषित किया गया है, जिनमें से 1,857 गांव आकांक्षी, 717 गांव उभरते हुए और 13,493 गांव ओ.डी.एफ. प्लस मॉडल श्रेणी में हैं।
- हिमाचल प्रदेश में 12 जिला परिषद, 81 पंचायत समितियाँ और 3,615 ग्राम पंचायतें हैं।
- 15वें केंद्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत वित्त वर्ष 2024–25 के लिए ₹352.00 करोड़ मंजूर किए गए हैं, जिनमें से ₹229.19 करोड़ भारत सरकार द्वारा जारी किए गए हैं और पंचायत राज संस्थाओं को वितरित किए गए हैं।
- मातृ शक्ति बीमा योजना के अंतर्गत 10–75 वर्ष की आयु वर्ग की गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली सभी महिलाओं को कवर किया जाता है। यह पॉलिसी परिवार के सदस्य/ बीमित महिलाओं को किसी भी तरह की दुर्घटना, शल्य चिकित्सा जैसे कि नसबंदी, बच्चे के जन्म/प्रसव के समय दुर्घटना, डूबने, बाढ़ में बह जाने, भूस्खलन, कीड़े के काटने के कारण होने वाली मृत्यु या विकलांगता के मामले में राहत प्रदान करती है और यह योजना विवाहित महिलाओं को उनके पति की आकस्मिक मृत्यु के मामले में भी लाभ देती है।

16.1 ग्रामीण विकास

ग्रामीण विकास विभाग सतत आर्थिक विकास, बेहतर आश्रय और स्वच्छता, बेहतर ग्रामीण बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में ग्रामीण समुदायों की जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करता है। विकास खंड, विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं की योजना बनाने और उन्हें लागू करने के लिए केंद्रीय बिंदु हैं। यह परिवर्तन विभिन्न योजनाओं जैसे दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डी.ए.वाई.–एन.आर.एल.एम.), दीनदयाल उपाध्याय–ग्रामीण कौशल योजना (डी.डी.यू.–जी.के.वाई.), वाटरशेड विकास कार्यक्रम (डब्ल्यू.डी.सी.) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–2.0, स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण (एस.बी.एम.–जी.), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए.), प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), मुख्यमंत्री आवास योजना (एम.एम.ए.वाई.) और मातृ–शक्ति बीमा योजना जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाया जाता है।

हिमाचल प्रदेश मुख्य रूप से ग्रामीण है, जहाँ लगभग 90 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जोकि पहाड़ी क्षेत्रों की एक सामान्य विशेषता है। ग्रामीण जनसंख्या का आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देने के रूप में पहचानते हुए, राज्य सरकार उनके कल्याण और विकास में सक्रिय भागीदारी को प्राथमिकता दे रही है। यह अध्याय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने और ग्रामीण समुदायों के कल्याण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों को उजागर करता है।

16.2 दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डी.ए.वाई.–एन.आर.एल.एम)

01 अप्रैल, 2013 से राज्य में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) को डी.ए.वाई.–एन.आर.एल.एम. द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। यह कार्यक्रम भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है, जिसका लक्ष्य कम आय वाले परिवारों को उत्पादक संबंधी स्वरोजगार और दीर्घकालिक निर्वाह के लिए कुशल मजदूरी नौकरियों के अवसर प्रदान करके गरीबी को कम करना है। एन.आर.एल.एम. को पूरे राज्य के 91 ब्लॉकों में लागू किया जा रहा है।

16.2.1 इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं

- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य सभी गरीब परिवारों तक पहुंचना है, उन्हें स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) से जोड़ना है, ताकि स्थायी आजीविका के अवसरों तक पहुँच बन सके और उन्हें तब तक पोषित करना है जब तक वे गरीबी से निकलकर एक अच्छा गुणवत्ता वाला जीवन व्यतीत करने लग जाऐ। यह कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित है, इसलिए एन.आर.

एल.एम. के तहत ग्रामीण गरीब परिवारों (एच.एच.) को उनकी महिला सदस्यों के माध्यम से कवर किया जाता है। इन महिलाओं को पहले स्वयं सहायता समूहों में और उसके बाद भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार उनकी सहायता करने के लिए गाँव/खण्ड/जिला संघों में संगठित किया जाता है।

- हिमाचल प्रदेश में योजना के अंतर्गत राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में उन सभी ग्रामीण गरीब और गरीब से गरीब व्यक्ति को शामिल किया जाएगा, जिन्हें 2011 के गरीबों की सहभागिता पहचान (पी.आई.पी.) और सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत गणना (एस.ई.सी.सी.) डेटा का उपयोग करके चुना गया है। चयनित महिलाओं को एस.एच.जी. में बांटा गया है, और उनके फेडरेटेड इंस्टीट्यूशंस को आवर्ती सुलभ ऋण के लिए बैंकों से जोड़ा गया हैं। उपरोक्त समूहों के अलावा, एन.आर.एल.एम. एकल महिलाओं, युद्ध विधवाओं, विकलांगों और बुजुर्गों के कवरेज को जोड़ने की प्राथमिकता देता है जिनका कोई देखभाल करने वाले नहीं हैं।

सारणी 16.1

जिलावार एन.आर.एल.एम. के अन्तर्गत लक्ष्य एवं उपलब्धियां वर्ष 2024–25 (दिसम्बर, 2024 तक)

क्र0 सं0	जिला का नाम	स्वयं सहायता समूह का गठन		दी गई परिक्रमा राशि की उपलब्धियों का वितरण				दिया गया सामुदायिक निवेश				ऋण वितरण			
		लक्ष्य	उपलब्धियां	स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.) के लिए परिक्रमा राशि का लक्ष्य		एस.एच.जी. के लिए परिक्रमा राशि की उपलब्धियां		एस.एच.जी. के लिए सामुदायिक निवेश का लक्ष्य		एस.एच.जी. के लिए सामुदायिक निवेश की उपलब्धियां		एस.एच.जी. के लिए बैंको द्वारा ऋण वितरण का लक्ष्य		एस.एच.जी. के लिए ऋण वितरण की उपलब्धियां	
				एस.एच.जी.	(₹लाख में)	एस.एच.जी.	(₹लाख में)	एस.एच.जी.	(₹लाख में)	एस.एच.जी.	(₹लाख में)	एस.एच.जी.	(₹लाख में)	एस.एच.जी.	(₹लाख में)
1	बिलासपुर	40	18	199	29.85	172	25.80	376	188.00	72	36.50	1450	1610.0	117	232
2	चम्बा	120	167	431	64.65	398	59.85	323	161.50	70	37.00	1800	1630.0	108	334.16
3	हमीरपुर	30	11	258	38.70	438	65.70	296	148.00	143	71.50	970	1080.0	190	448.32
4	कांगड़ा	316	169	1076	161.40	1069	160.35	1001	500.50	298	149.00	6060	8080.0	737	2109.03
5	किन्नौर	75	08	105	15.75	160	24.00	100	50.00	62	31.23	260	360.0	27	29.41
6	कुल्लू	126	21	488	73.20	636	97.70	447	223.50	44	22.80	1150	1200.0	177	389.27
7	लाहौल–स्पिति	40	05	36	5.40	40	6.00	27	13.50	0	0.00	20	20.00	02	8.00
8	मण्ड़ी	177	53	1134	170.10	1479	221.85	958	479.00	176	99.00	5590	6140.0	815	1704.41
9	शिमला	180	72	545	81.75	836	125.40	606	303.00	259	137.35	3290	4700.0	656	1105.47
10	सिरमौर	35	41	215	32.25	473	70.95	348	174.00	132	68.00	1170	1610.0	137	306.37
11	सोलन	60	46	300	45.00	377	56.55	235	117.50	147	74.00	1500	1670.0	208	420.16
12	ऊना	45	32	213	31.95	324	48.60	283	141.50	77	47.05	1440	1900.0	439	1038.23
	कुल योग	1244	643	5000	750.00	6402	962.75	5000	2500.00	1480	773.43	24700	30000.00	3613	8124.83

स्त्रोतः ग्रामीण विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

16.3 दीनदयाल उपाध्याय–ग्रामीण कौशल्य योजना (डी.डी.यू–जी.के.वाई)

दीनदयाल उपाध्यय ग्रामीण कौशल्य योजना, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वाकांक्षी योजना है। यह रोजगार परक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसका मुख्य लक्ष्य 15–35 वर्ष के ग्रामीण युवाओं को विभिन्न प्रचलित ट्रेड़स एवं जॉब रोल्स के माध्यम से निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करवाना तथा उन्हें न्यूनतम मासिक मजदूरी से अधिक के सुनिश्चित रोजगार दिलाना है।

16.3.1 दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डी.डी.यू.–जी.के.वाई.) के अन्तर्गत प्रशिक्षण एंव उम्मीदवारों के अधिकारः

- बहु प्रचलित ट्रेडस एवं जॉब रोल्स, में 3–12 महिनों तक निःशुल्क प्रशिक्षण
- निःशुल्क प्रशिक्षण, भोजन तथा आवासीय सुविधा।
- भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा प्रशिक्षण।
- अंग्रेजी बोलने, संवाद कौशल तथा सूचना प्रौद्योगिकी में निःशुल्क 160 घंटों का प्रशिक्षण।
- प्रत्येक उम्मीदवार के लिए पढ़ाई हेतु कंप्यूटर, लैब्स तथा डिजीटल –टेबलेटस् की सुविधा।
- ऑन–द–जॉब प्रशिक्षण के माध्यम से इंडस्ट्री का अनुभव।
- रोजगार प्राप्त करने के पश्चात कार्यक्रम दिशा–निर्देशिका के अनुसार 2–6 माह तक ₹1270 प्रतिमाह की मदद।

16.3.2 दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डी.डी.यू.–जी.के.वाई.) के अन्तर्गत मुख्य उपलब्धियांः

हिमाचल प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना(डी.डी.यू.–जी.के.वाई.) की शुरूआत (सितम्बर, 2017) से लेकर 31 दिसम्बर, 2024 तक योजना के अन्तर्गत् कुल 19,442 लाभार्थियों को विभिन्न ट्रेडज व जॉब रोल्स के माध्यम से प्रशिक्षण हेतु चयनित किया जा चुका है, इनमें से 17,254 लाभार्थियों ने प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है तथा 11,690 लाभार्थी युवाओं को विभिन्न कम्पनियों के माध्यम से रोजगार दिलाया जा चुका है। इन नियुक्त उम्मीदवारों में से 9,656 युवाओं को नौकरी मिल चुकी है। इस कार्यक्रम के तहत ₹130.70 लाख खर्च किए गए हैं।

16.4 वाटरशेड विकास कार्यक्रम (डब्ल्यू.डी.सी.–प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना 2.0)

राज्य में बंजर भूमि, सूखा प्रवण एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों के विकास के उद्देश्य से केन्द्र एवं राज्य के बीच 90:10 के वित्त पोषण स्वरूप पर जलसंभर विकास योजना संचालित की जा रही है। परियोजना को भारत सरकार द्वारा 2021–2026 की अवधि के लिए स्वीकृत किया गया था। मार्च, 2022 से धन प्राप्त हुआ, जिसके बाद राज्य के लिए प्रारम्भिक गतिविधियों का क्रियान्वयन शुरू हुआ।

16.4.1 वाटरशेड विकास परियोजनाओं के उद्देश्यः

- एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन के माध्यम से वर्षा सिंचित/निम्नीकृत भूमि की उत्पादक क्षमता में सुधार करना।
- आजीविका और वाटरशेड स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए समुदाय आधारित स्थानीय संस्थानों को मजबूत करना।
- क्रॉस लर्निंग और प्रोत्साहन तंत्र के माध्यम से वाटरशेड परियोजनाओं की दक्षता में सुधार करना।

सूक्ष्म–स्तर पर, डब्ल्यू.डी.सी.–पी.एम.के.एस.वाई.–2.0 परियोजनाओं का दृष्टिकोण देश के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कृषि की आर्थिक विकास दर में तेजी लाना है। वाटरशेड स्तर पर, विकास योजना किसानों के लिए उच्च आय प्राप्त करने की आवश्यकता, भूमिहीनों के लिए विस्तारित आजीविका विकल्पों, लाभों के वितरण में समानता, सामुदायिक स्वामित्व और प्रबंधन, और पारिस्थितिक रूप से स्थायी कार्य योजना द्वारा निर्देशित होगी।

16.4.2 संस्था और क्षमता निर्माण (आई.एण्ड.सी.बी.)

डब्ल्यू.डी.सी.–पी.एम.के.एस.वाई. 2.0 परियोजना में लगे कनिष्ठ अभियन्ताओं, कृषि विशेषज्ञों, तकनीकी सहायकों और जी.आर.एस., पी.आर.आई. और अन्य गैर–तकनीकी कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने और वाटरशेड और स्प्रिंगशेड विकास परियोजनाओं के निष्पादन में भविष्य में उनकी क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा चुके हैं। विभाग ने अब तक प्रशिक्षित 1,881 कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए कुल 63 प्रशिक्षण आयोजित किए।

जिला विकास अधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों, पंचायती राज संस्थाओं, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों, कनिष्ठ अभियंताओं और कृषि विशेषज्ञों सहित विभिन्न हितधारकों के लिए "पारिस्थितिकी, पर्यावरण और सतत पारिस्थितिकी तंत्र" विषय पर क्षमता निर्माण किया गया।

16.4.3 प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एन.आर.एम.)

603 एन.आर.एम. कार्य पूरे हो चुके है, 320 कार्य प्रगति पर है।

16.4.4 हिमाचल प्रदेश में स्प्रिंगशेड प्रबंधन

- स्प्रिंगशेड प्रबंधन में झरनों का विश्लेषण, पुनर्भरण क्षेत्रों की पहचान एवं जल गुणवत्ता, वर्षा और झरने के निर्वहन की निगरानी करना शामिल है। इसका उद्देश्य झरनों को पुनर्जीवित करना और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता का समर्थन करते हुए पीने के पानी की विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
- स्प्रिंगशेड प्रबंधन कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश के 23 परियोजना क्षेत्रों में संचालित है। 414 स्रोतों की पहचान की गई है, जिनका पुनर्निर्माण किया जाएगा और प्रत्येक स्रोत को जनसंख्या की निर्भरता के आधार पर घटते क्रम की श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

सारणी 16.2

डब्ल्यू.डी.सी.–पी.एम.के.एस.वाई.–2.0 के अंतर्गत पुनर्जीवित किए जाने हेतु पहचाने गए स्प्रिंग्स की संख्या

स्प्रिंग्स की पहचान	स्प्रिंग्स पुनर्जीवित	चल रहे	शुरु नहीं हुए
414	119	30	265

स्त्रोतः ग्रामीण विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

16.4.5 वित्त वर्ष 2024–25 के लिए डब्ल्यू.डी.सी.–पी.एम.एस.के.वाई. 2.0 की वित्तीय उपलब्धि

- वित्त वर्ष 2023–24 में, डब्ल्यू.डी.सी.–पी.एम.के.एस.वाई. 2.0 के अंतर्गत ₹38.25 करोड़ प्राप्त हुए हैं। (केंद्रीय हिस्सा ₹34.42 करोड़ और राज्य हिस्सा ₹3.83 करोड़)।
- वित्त वर्ष 2024–25 में ₹23.71 करोड़ (केंद्र व राज्य) प्राप्त हुए हैं।
- दिसंबर, 2024 तक वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान ₹8.68 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

16.5 प्रधानमन्त्री आवास योजना– ग्रामीण (पी.एम.ए.वाई–जी.)

प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण (पी.एम.ए.वाई.–जी.) का लक्ष्य सभी बेघर और कच्चे आवास में रह रहे परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के आवास प्रदान करना है। इकाई (आवास) लागत केंद्र और राज्य सरकार के बीच 90:10 के अनुपात से विभाजित होती है।

- राज्य ने 2023–24 में आपदा का सामना किया। 12,940 मकान स्वीकृत किए गए, जिनमें से 6,561 पूरे हो चुके हैं और 6,379 निर्माणाधीन हैं।
- 2018 में किए गए आवास सर्वेक्षण के आधार पर राज्य में 69,187 घरों को मंजूरी दी गई
- वित्त वर्ष 2024–25 में, दिसंबर 2024 तक घरों के निर्माण के लिए ₹520.44 करोड़ का उपयोग किया जा चुका है।

16.6 मुख्यमंत्री आवास योजना (एम.एम.ए.वाई.)

दिसंबर 2024 तक 351 घरों को मंजूरी दी जा चुकी है और उनके निर्माण के लिए 2.09 करोड़ रुपये का उपयोग किया जा चुका है।

16.7 मातृ शक्ति बीमा योजना

इस योजना में 10–75 वर्ष की आयु वर्ग के भीतर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली सभी महिलाओं को शामिल किया गया है। यह पॉलिसी परिवार के सदस्यों/बीमित महिलाओं को किसी भी प्रकार की दुर्घटना, सर्जिकल ऑपरेशन जैसे नसबंदी, बच्चे के जन्म/प्रसव के समय दुर्घटना, डूबने, बाढ़ में बहने, भूस्खलन, कीड़े के काटने के कारण होने वाली मृत्यु या विकलांगता के मामले में राहत प्रदान करती है और यह योजना विवाहित महिलाओं को उनके पति की आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में भी लाभ देती है। मुआवजे का घटक वार विवरण निम्न प्रकार से है:

- मृत्यु के मामले में ₹2.00 लाख
- स्थायी पूर्ण विकलांगता ₹2.00 लाख
- एक अंग और एक आंख या दोनों आंखों और दोनों अंगों की विकलांगता होने पर ₹2.00 लाख
- एक अंग/एक आंख/एक कान की विकलांगता होने पर ₹1.00 लाख
- पति की मृत्यु की स्थिति में ₹2.00 लाख

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत ₹97.00 लाख की वित्तीय सहायता 49 परिवारों को दिसंबर, 2024 तक जारी कर दी गई हैं।

16.8 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण दिनांक 2 अक्तूबर, 2014 को देश में लागू किया तथा हिमाचल प्रदेश को 28 अक्तूबर, 2016 को बाह्य शौच मुक्त राज्य घोषित कर दिया गया। एस.बी.एम.–जी. के चरण–1 के दिशानिर्देश 31 मार्च, 2020 तक लागू थे और चरण–2 के दिशानिर्देश 01 अप्रैल, 2020 से लागू हो गए हैं। अब स्वच्छ भारत मिशन –ग्रामीण के अन्तर्गत लिए जाने वाले कार्यों का विवरण निम्न प्रकार से है:

- नो वन लैफट बीहाइंड के अन्तर्गत व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आई.एच.एच.एल.) व सामुदायिक स्वच्छता परिसर (सी.एस.सी.)
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (गैर–बायो–डिग्रेडेबल और बायो–डिग्रेडेबल)
- तरल अपशिष्ट प्रबंधन (ग्रे–पानी और काला पानी)।
- गोबर्धन परियोजनाएं।
- सूचना शिक्षा और संचार (आई.ई.सी.)/क्षमता निर्माण

16.8.1 वर्ष 2024–25 के दौरान भौतिक उपलब्धियां

- 17,630 गांवों के लक्ष्य के मुकाबले 16,067 गांवों को ओ.डी.एफ. प्लस घोषित किया गया है, जिनमें से 1,857 गांव आकांक्षी, 717 गांव उभरते और 13,493 गांव ओ.डी.एफ. प्लस मॉडल श्रेणी में हैं।
- 4,104 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया है
- 1,153 (बैकलॉग सहित) सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया गया है
- 14,751 गांवों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत कवर किया गया है
- 15,777 गांवों को तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत कवर किया गया है
- 36 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र स्थापित किए गए हैं

16.9 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)

महात्मा गांधी नरेगा का उद्देश्य देश भर के ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान किया जाता है, जिसमें वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं। महात्मा गांधी नरेगा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों, महिला मुख्या वाले परिवारों और अन्य उपेक्षित समूहों सहित ग्रामीण क्षेत्रों के सबसे कमजोर वर्गों तक पहुंचकर गरीबों के आजीविका संसाधन आधार को मजबूत करने के महत्व को पहचानता है।

यह योजना पंचायत राज संस्थाओं को मजबूत करके समुदाय और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को प्रोत्साहित करती है। महात्मा गांधी नरेगा योजना और क्रियान्वयन के लिए नीचे से ऊपर की ओर दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है, जिससे स्थानीय समुदायों को अपने विकास की जिम्मेदारी लेने का अधिकार मिलता है।

वित्त वर्ष 2024–25 (1 जनवरी, 2025 तक) के दौरान की गई प्रगति का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:

सारणी 16.3

धन राशि लाख ₹में			संख्या	
केन्द्रीय हिस्सा	राज्य हिस्सा	कुल व्यय	अर्जित कार्य दिवस (लाख में)	रोजगार प्रदान किया गया
119568.76	22824.12	124641.18	239.70	6,33,569

स्त्रोतः ग्रामीण विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

16.10 पंचायती राज

राज्य में 12 जिला परिषदें, 81 पंचायत समितियां और 3,615 ग्राम पंचायतें हैं। राज्य सरकार संविधान के अनुच्छेद 243–जी के प्रावधानों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने और सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने, उन्हें स्थानीय स्वशासन के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने और ग्राम पंचायतों को अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए पहले ही कई कदम उठाए हैं और निर्णय लिए हैं।

1 15वें वित्त आयोग का कार्यान्वयन 2020–21 में शुरू हुआ। इस आयोग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए राज्य के लिए ₹352.00 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से ₹229.19 करोड़ भारत सरकार द्वारा जारी किए गए हैं और पंचायती राज संस्थाओं को वितरित किए गए हैं।

2 बर्ष 2024–25 के दौरान, राज्य वित्त आयोग (एस.एफ.सी.) द्वारा जिला परिषद ग्राम पंचायत संवर्ग के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के वेतन/मजदूरी/मानदेय और प्रदर्शन संबंधी प्रोत्साहन के तीन स्तरों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए ₹448.08 करोड़ का अनुदान उपलब्ध कराया गया है।

3 ग्राम पंचायत घरों के निर्माण के लिए नया अनुमान और डिजाइन तैयार किया गया है, वित्त वर्ष 2024–25 के लिए ग्राम पंचायत घरों के निर्माण/उन्नयन/मुरम्मत के लिए ₹39.32 करोड़ जारी किए जा रहे हैं। इसमें से 115

नवगठित ग्राम पंचायतों के निर्माण के लिए ₹13.49 करोड़, जबकि 166 पुराने ग्राम पंचायत घरों के निर्माण/उन्नयन/मुरम्मत के लिए ₹25.83 करोड़ और जिला परिषद भवनों के निर्माण के लिए ₹2.72 करोड़, जबकि पंचायत समिति कार्यालय भवन के उन्नयन/मुरम्मत के लिए ₹1.06 करोड़ जारी किए गए हैं।

4 इस राज्य के लिए वित्त वर्ष 2024–25 के लिए केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.) के अन्तर्गत ₹100.42 करोड़ की सहायता राशि मंजूर की गई है, जिसमें से ₹30.23 करोड़ भारत सरकार द्वारा 90:10 के अनुपात में जारी किए गए हैं। निम्नलिखित लक्ष्य हासिल किए गए हैं:

- आर.जी.एस.ए. योजना के तहत 1,05,000 प्रतिभागियों को क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
- प्रथम चरण में 1,130 ग्राम पंचायतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं स्थापित करने के लिए धनराशि जारी की गई है।
- हरेटा (हमीरपुर), कम्याणा (शिमला) और अंदरोली (ऊना) की ग्राम पंचायतों में आर्थिक संवर्द्धन और आजीविका सृजन इकोटूरिज्म परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं के लिए, वित्त वर्ष 2024–25 में ₹5.00 करोड़ जारी किए गए हैं, हरेटा परियोजना के लिए ₹2.00 करोड़, कम्याणा परियोजना के लिए ₹2.00 करोड़ और अंदरोली परियोजना के लिए ₹1.00 करोड़।
- वित्त वर्ष 2024–25 में, नव निर्मित ग्राम पंचायतों के 26 ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण के लिए ₹5.20 करोड़ जिसके अन्तर्गत प्रति ग्राम पंचायत ₹20.00 लाख स्वीकृत किए गए हैं।
- ग्राम पंचायत भवन के साथ 52 ग्राम पंचायत कॉमन सर्विस सेंटर (सी.एस.सी.) के निर्माण के लिए ₹2.60 करोड़ यानी प्रति ग्राम पंचायत ₹5.00 लाख मंजूर किए गए हैं।
- 1,160 सी.एस.सी. में को–लोकेशन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उसके बाद 761 ग्राम पंचायतों में ग्राम स्तरीय उद्यमी (वी.एल.ई.) नियुक्त किए गए हैं।
- प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए मंडी और बिलासपुर में स्थित दो जिला पंचायत संसाधन केंद्रों को क्रियाशील बनाया गया है। कांगड़ा, शिमला और सिरमौर जिलों में निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। प्रशिक्षण और अन्य अनुकरणीय गतिविधियों के लिए 8 पंचायत लर्निंग सेंटर चालू किए गए हैं।
- पंचायतों के अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार (पेसा) अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने और निगरानी करने के लिए सचिव पंचायती राज की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर समन्वय समिति का गठन किया गया है।

- दो ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ग्राम पंचायत थानाधार, विकास खंड नारकंडा, जिला शिमला को थीम 7: सामाजिक रूप से सुरक्षित ग्राम पंचायत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए ₹75 लाख और समग्र सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सशक्त विकास पुरस्कार के लिए ₹1.00 करोड़ से सम्मानित किया गया है। ग्राम पंचायत सिकंदर, विकास खंड बमसण, हमीरपुर को थीम 4: जल पर्याप्त ग्राम पंचायत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए ₹75 लाख से सम्मानित किया गया है।
- वित्त वर्ष 2024–25 के लिए पंचायती राज संस्थाओं के 100 प्रतिशत ऑनलाइन ऑडिट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 31 दिसंबर, 2024 तक इस लक्ष्य का 54 प्रतिशत हासिल किया जा चुका है।
- वर्तमान वर्ष के दौरान ₹13.75 करोड़ की उगाही/सुलह विशेष अभियान के अन्तर्गत जिला और ब्लॉक स्तर पर ऑडिट उगाही के रूप में की गई और 8,278 ऑडिट पैरा को सुलझाए गए।

राज्य सरकार ने आर्थिक विकास, सामाजिक सशक्तिकरण और ग्रामीण उत्थान के लिए पहल करते हुए नागरिकों के जीवन को सुधारने की प्रतिबद्धता दिखाई है। डी.ए.वाई.–एन.आर.एल.एम., डी.डी.यू.–जी.के.वाई. और डब्ल्यू.डी.सी.–पी.एम.के.एस.वाई.–2.0 परियोजना जैसी योजनाओं का कार्यान्वयन विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों में ग्रामीण आजीविका को बढ़ाने, युवाओं को प्रशिक्षण व संसाधन प्रदान करने और कृषि विकास को बढ़ावा देने पर स्पष्ट रूप से ध्यान केंद्रित करता है। मुख्यमन्त्री आवास योजना और मातृ शक्ति बीमा योजना राज्य की उन कमजोर वर्गों जिसमें गरीबी रेखा से नीचे रह रही महिलाओं और जरूरतमंद परिवारों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण और राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का पुर्नगठन जमीनी स्तर पर शासन को बल प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये सामूहिक प्रयास सतत विकास को बढ़ावा देने, सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करने और समाज के सभी वर्गों में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य के रणनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं।

******

अध्याय
17



आवास और शहरी विकास





मुख्य बिन्दु

- हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) ने विभिन्न आवासीय कॉलोनियों में 13,289 मकान/फ्लैट और 5,621 प्लॉट का निर्माण किया है।
- हिमाचल प्रदेश में 74 शहरी स्थानीय निकाय (यू.एल.बी.) हैं, जिनमें 08 नगर निगम यानी शिमला, धर्मशाला, सोलन, मंडी, पालमपुर, ऊना और बद्दी, 29 नगर परिषद और 37 नगर पंचायतें शामिल हैं।
- 74 शहरी स्थानीय निकाय लगभग 5,000 कि.मी. सड़कों, मार्गों, गलियों और जल निकासी का प्रबंधन करते हैं।
- 30 क्षेत्र स्तरीय संघ (ए.एल.एफ.) और 13 शहर स्तरीय संघ बनाए गए हैं। 27 ए.एल.एफ. को परिक्रम निधि (आर.एफ.) प्रदान किया गया है। 227 लाभार्थियों को ₹3.11 करोड़ की व्यक्तिगत ऋण राशि प्रदान की गई है और 367 एस.एच.जी. को बैंकों के माध्यम से ₹7.96 करोड़ का ऋण प्रदान किया गया है, 4,973 स्ट्रीट वेंडरों की पहचान की गई है और 4,973 स्ट्रीट वेंडरों को विक्रय प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है।
- स्वच्छ भारत मिशन 2.0 (शहरी) भारत सरकार (जी.ओ.आई.) का एक प्रमुख कार्यक्रम है और इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य शहरी विकास विभाग के माध्यम से सभी यू.एल.बी. में लागू किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन (एस.बी.एम.) का मुख्य उद्देश्य शहरों/कस्बों को खुले में शौच से मुक्त बनाना और सभी को स्वस्थ और रहने योग्य वातावरण प्रदान करना है।
- शहरी विकास विभाग ने एम.एम.एस.ए.जी.वाई. के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है। लाभार्थी नगर पालिका कार्यालय में जाए बिना खुद को पंजीकृत कर सकता है। इस योजना के तहत, दिसंबर 2024 तक 18,012 लाभार्थियों को कुल 6,76,846 मानव दिवसो का लाभ मिला है और ₹19.20 करोड़ का वितरण किया गया है।
- टी.सी.पी. विभाग ने पूरे राज्य के नियोजन/विशेष क्षेत्रों और यू.एल.बी. के लिए ई–डी.सी.आर. क्षमता वाला वेब पोर्टल विकसित किया है। इससे नियोजन अनुमति के लिए प्रस्तुत किए गए मानचित्रों की कम्प्यूटरीकृत स्वचालित जांच संभव हो सकेगी। ई–डी.सी.आर. प्रस्तुत किए गए रेखाचित्रों में कमियों से संबंधित वास्तविक समय की रिपोर्ट तैयार करेगा।
- अब तक पंजीकृत रियल एस्टेट परियोजनाओं की कुल संख्या 214 है। प्राधिकरण ने 131 रियल एस्टेट एजेंटों को भी पंजीकृत किया है।

17.1 आवास

शहरीकरण, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में आबादी का स्थानांतरण, एक वैश्विक घटना है जो आर्थिक अवसरों, बेहतर बुनियादी ढांचे और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच जैसे कारकों से प्रेरित है। लोगों के इस आगमन से शहर का तेजी से विकास होता है, जिसके साथ अक्सर रोजगार सृजन, आर्थिक विस्तार और प्रौद्योगिकी और संस्कृति में उन्नति जैसे सकारात्मक विकास होते हैं।

हालांकि, अनियंत्रित शहरीकरण भी महत्वपूर्ण चुनौतियां ला सकता है। तेजी से बढ़ती आबादी मौजूदा बुनियादी ढांचे पर दबाव डाल सकती है, जिससे भीड़भाड़, यातायात जाम और अपर्याप्त आवास की स्थिति पैदा हो सकती है। लोगों के आगमन से संसाधनों पर भी दबाव पड़ सकता है, जिससे पानी, बिजली और अन्य आवश्यक सेवाओं की कमी हो सकती है। इसके अलावा, विकास की तेज गति से पर्यावरण को नुकसान/क्षति पहुंच सकती है, जिसमें वायु और जल प्रदूषण भी शामिल है।

हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड की स्थापना 1972 में हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड अधिनियम 1972 के अन्तर्गत की गई थी, जिसका उद्देश्य प्रदेश के जरूरतमंद लोगों को किफायती दरों पर मकान उपलब्ध कराना था। 01 जुलाई, 2004 से इसका नाम बदलकर हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) कर दिया गया है। अब तक जिला शिमला (शिमला, शोघी, रामपुर और रोहडू), जिला सोलन (सोलन, परवाणू, बद्दी, मंधाला, अटल नगर और नालागढ़), जिला ऊना (ऊना और बंगाणा), जिला हमीरपुर (हमीरपुर), जिला कांगड़ा (कांगड़ा, धर्मशाला, पालमपुर, देहरा, नूरपुर, इंदौरा और कंदरोड़ी), जिला सिरमौर (नाहन, पांवटा साहिब) और जिला मंडी (मंडी और सुंदरनगर) में विभिन्न आवासीय कॉलोनियों में 13,289 मकान/फ्लैट निर्मित किए गए हैं और 5,621 प्लॉट विकसित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए आवास कार्यक्रम का बजट ₹112.09 करोड़ रखा गया है। इसके अन्तर्गत 152 फ्लैट और 183 प्लॉट विकसित करने का प्रस्ताव है। यह अध्याय शहरी विकास को बढ़ावा देने और हिमाचल प्रदेश में जनता की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से विभिन्न पहल और योजनाओं का अवलोकन प्रदान करता है। जैसे–जैसे राज्य का विकास और शहरीकरण बढ़ रहा है, स्थिर और समावेशी शहरी विकास सुनिश्चित करना एक प्रमुख प्राथमिकता बन गई है। अध्याय में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार करने और शहरी क्षेत्रों में रहने योग्य स्थान विकसित करने के लिए सरकारी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की गई है।

17.2 शहरी विकास

राज्य का शहरी विकास विभाग, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतें (यू. एल.बी.) के साथ घनिष्ठ साझेदारी के साथ राज्य की शहरी समस्याओं जैसे एकीकृत शहरी

परिवहन, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, शहरी बुनियादी ढांचे, शहरी गरीबी, शहरी आवास, शहरी नियोजन, यू.एल.बी. की वित्तीय स्थिरता और सामान्य शहरी शासन के लिए नवीन और उन्नत तकनीकी समाधान खोजने का प्रयास कर रहा है।

हिमाचल प्रदेश में 74 यू.एल.बी. हैं, जिनमें 08 नगर निगम यानी शिमला, धर्मशाला, सोलन, मंडी, पालमपुर, ऊना हमीरपुर और बद्दी, 29 नगर परिषद और 37 नगर पंचायतें शामिल हैं। सरकार इन स्थानीय निकायों को आम जनता को नागरिक सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए हर साल अनुदान सहायता प्रदान कर रही है। राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वित्त वर्ष 2024–25 के लिए ₹202.25 करोड़ (80 प्रतिशत बेसिक और 20 प्रतिशत प्रदर्शन आधारित) स्वीकृत किए गए हैं, वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान 31 दिसंबर, 2024 तक यू.एल.बी. को ₹80.90 करोड़ (बेसिक अनुदान) और ₹10.69 करोड़ (प्रदर्शन आधारित अनुदान) की राशि जारी की गई है और शेष राशि कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद यू.एल.बी. को जारी की जाएगी। इसमें विकास अनुदान और आय एवं व्यय के बीच की अंतरपूर्ति अनुदान शामिल है।

चित्र 17.1 राज्य भर में यू.एल.बी. की संख्या में वृद्धि को दर्शाता है, जो वित्त वर्ष 2001–02 की तुलना में वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान बढ़कर 74 यू.एल.बी.तक पहुंच गया है।

चित्र 17.1

शहरी विकास

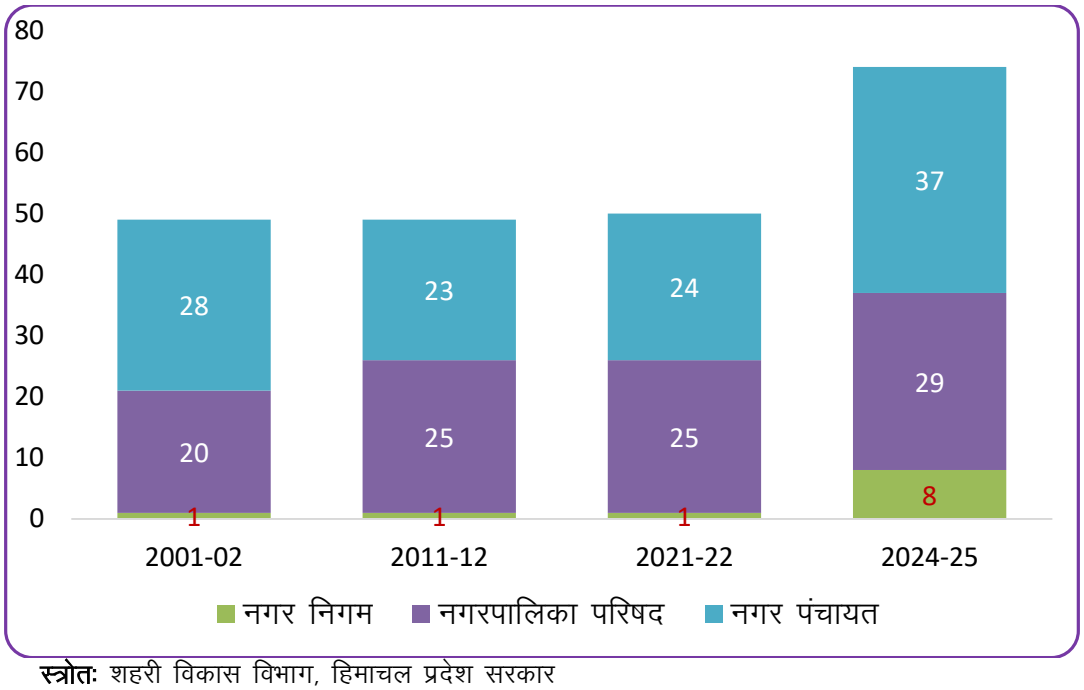

स्त्रोतः शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

चित्र 17.2

हिमाचल प्रदेश और भारत में शहरी आबादी का अनुमानित हिस्सा प्रतिषत में (2011–2036)

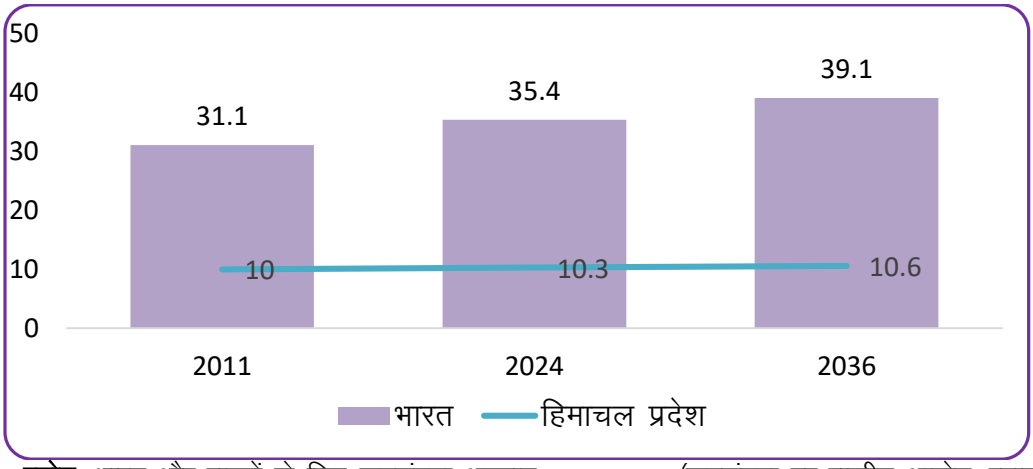

स्त्रोतः भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011–2036 (जनसंख्या पर राष्ट्रीय आयोग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकारः 2020)

चित्र 17.3

शहरी क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या की जिलावार दशकीय वृद्धि दर (जनगणना 2001 और 2011)

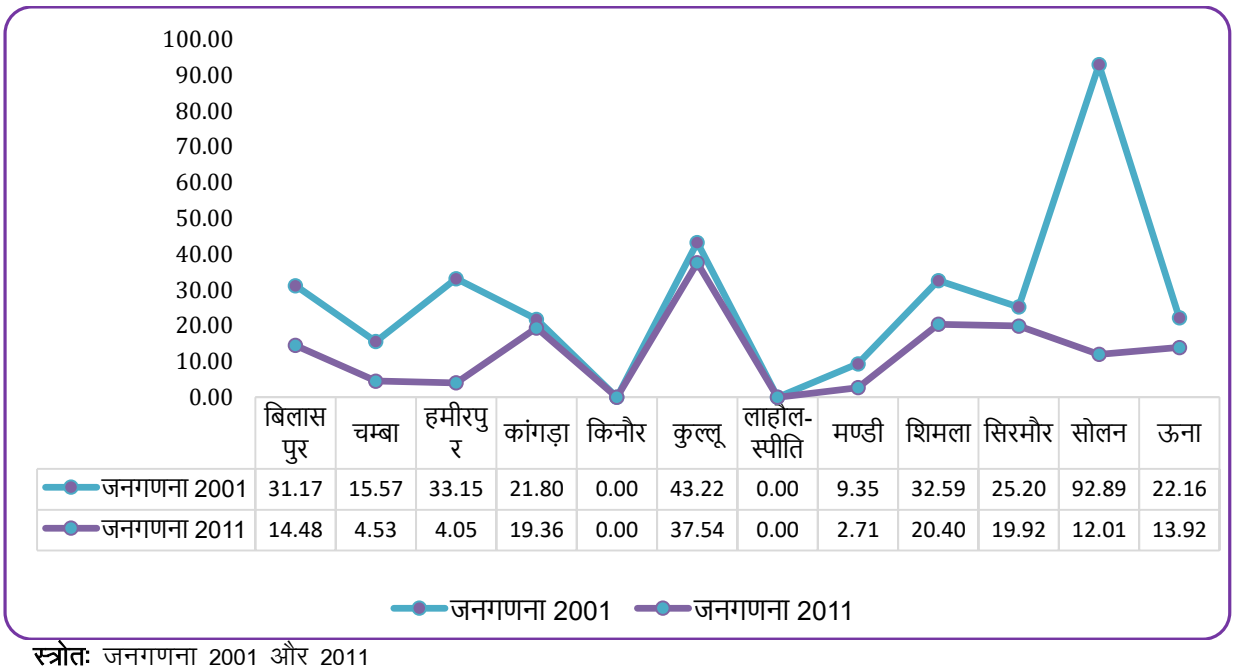

	बिलासपुर	चम्बा	हमीरपुर	कांगड़ा	किन्नौर	कुल्लू	लाहौल-स्पीति	मण्डी	शिमला	सिरमौर	सोलन	ऊना
जनगणना 2001	31.17	15.57	33.15	21.80	0.00	43.22	0.00	9.35	32.59	25.20	92.89	22.16
जनगणना 2011	14.48	4.53	4.05	19.36	0.00	37.54	0.00	2.71	20.40	19.92	12.01	13.92

स्त्रोतः जनगणना 2001 और 2011

17.2.1 शहरी क्षेत्रों में सड़कों का रख–रखाव

74 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लगभग 5,000 किलोमीटर सड़कें, रास्ते, गलियों तथा नालियों का रख–रखाव किया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष 2024–25 में इन सड़कों के लिए सरकार द्वारा ₹6.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

17.3 दीन दयाल अन्तोदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डी.ए.वाई. एन.यू.एल.एम.)

योजना का प्राथमिक उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रह रहे गरीब परिवारों का सामाजिक आर्थिक एवं संस्थागत क्षमता को विकास करना तथा प्रशिक्षण व वित्तीय सहायता के माध्यम से रोजगार एवं स्वरोजगार अवसर प्रदान करते हुए सतत् तौर पर आजीविका साधनों को सुदृढ़ करना है, जिससे वे सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें।

17.3.1 वर्ष 2024–25 की उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:

- 233 स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं।
- 30 क्षेत्रिय स्तर के संगठन (ए.एल.एफ.) और 13 शहरी स्तर के संगठनों का गठन किया गया है। 27 ए.एल.एफ. को रिवाल्विंग फंड (आर.एफ.) प्रदान किया गया है। 227 आवेदकों को ₹3.11 करोड़ और 367 स्वयं सहायता समूहों को ₹7. 96 करोड बैंकों के माध्यम से स्वीकृत किये जा चुके हैं। 4,973 स्ट्रीट वेंडरों की पहचान कर वेडिंग प्रमाणपत्र प्रदान किए गये हैं। इसके साथ 46 स्थायी शहरी वेडिंग कमेटियों का गठन किया गया है।
- नगर निगम सोलन में वेंडर मार्किट का ₹80 लाख से निर्माण कराया गया है। इसके अलावा नगर परिषद ऊना में ₹1.03 करोड की लागत से वेंडर मार्किट का निर्माण किया जा रहा है।
- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अन्तर्गत आवेदकों को विभिन्न चरणों में ऋण उपलब्ध करवाए गए जिसमें प्रथम चरण में 5,440 आवेदकों को ₹10 हजार, दूसरे चरण में 3,084 आवेदकों को ₹20 हजार तथा तीसरे चरण में 1,449 आवेदकों को ₹50 हजार शमिल हैं।

17.4 केन्द्रीय वित्तायोग अनुदान

15वें वित्तायोग ने शहरी स्थानीय निकायों एवं छावनी परिषदों् के लिए दो प्रकार की अनुदान राशि वितरण करने का प्रस्ताव किया है। पहली अनुदान राशि (40 प्रतिशत) जोकि बिना शर्त के प्रदान की जाती है और दूसरी अनुदान राशि (60 प्रतिशत) वह है जोकि 15वें वित्तायोग द्वारा सुझाई गई कुछ शर्तों को पूरा करने के उपरान्त जारी की जाती है। इस वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए ₹181.00 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त 15वें वित्तायोग के अन्तर्गत् ₹6.23 करोड़ की स्वास्थ्य अनुदान राशि शहरी स्थानीय निकायों को इस वित्तीय वर्ष में जारी की गई। वित्तीय वर्ष 2023–24 की सशर्त अनुदान और बिना शर्त के अनुदान की दूसरी किश्त ₹81.00 करोड़ शहरी स्थानीय निकायों एवं छावनी परिषदों को वित्तीय वर्ष 2024–25 में जारी की जा चुकी है।

17.5 बाहरी रुपांतरण तथा पुनरावर्तन के लिए अटल मिशन (अमरूत) व अमरूत–2.0

अमरूतः इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहर के उन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है जहां यह सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। इस के अन्तर्गत शिमला और कुल्लू शहरों का चयन किया गया है। इस योजना का कुल आकार ₹304.52 करोड़ निर्धारित है, जिसमें 75 योजनाएं शामिल हैं। कुल 75 परियोजनाओं में से ₹283.66 करोड़ की 71 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है और शेष ₹20.85 करोड़ की 4 परियोजनाएं मार्च 2025 तक पूरी कर ली जाएंगी।

अमरूत–2.0: इस मिशन का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा शहरों को पानी की सर्कुलर व्यवस्था के माध्यम से 'जल उपलब्धता' और 'स्वयं सक्षम' बनाने के उद्देश्य से 01 अक्तुबर, 2021 को किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पेयजल आपूर्ति को सदृढ़ करना, सीवरेज और सैपटेज प्रबन्धन, उपचारित अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण/पुनः उपयोग, जल निकायों के कायाकल्प और हरित स्थानों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना है।

इस योजना की अवधि वित्त वर्ष 2021–22 से वित्त वर्ष 2025–26 तक है। सभी वैधानिक कस्वों (61 शहरी स्थानीय निकायों + 7 छावनी परिषदों) को कवर करने के प्रस्ताव के साथ फंडिग पैटर्न 90:10 अनुपात (केन्द्र और राज्य) है। इस योजना का कुल परिव्यय ₹284.44 करोड का है (₹256.00 करोड केन्द्र भाग एवं 28.44 करोड राज्य भाग)। राज्य जल कार्य योजना तीन चरण में प्रस्तुत की गई। राज्य स्तरीय तकनीकी समिति और राज्य उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति की मंजूरी के बाद पहले, दूसरे एवं तीसरे चरण (संचालन और रख–रखाव सहित) क्रमशः ₹170.57 करोड, ₹39.01 करोड, ₹112.08 करोड़ की परियोजनाएं आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत की गई और सभी तीनों किश्तों को मंजूरी दे दी गई है।

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान सरकार द्वारा ₹56.79 करोड़ (केंद्र से ₹51.11 करोड़ और राज्य से ₹5.68 करोड़) जारी किए गए हैं और परियोजना कार्यान्वयन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को वितरित किए गए हैं। ₹119.62 करोड़ की 23 परियोजनाओं के लिए अनुबंध दिए गए हैं। ₹45.39 करोड़ की लागत वाली 07 परियोजनाओं के लिए निविदा आमंत्रण सूचना (एन.आई.टी.) जारी की गई है और ₹1.34 करोड़ की लागत वाली 05 परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी की गई हैं।

17.6 स्मार्ट सिटी मिशन (एस.सी.एम.)

एस.सी.एम. का उद्देश्य ऐसे शहरों को बढ़ावा देना है जो 'स्मार्ट' समाधानों के अनुप्रयोग के माध्यम से मूलभूत बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं और अपने नागरिकों को अच्छी गुणवत्ता वाला जीवन प्रदान करते हैं।

भारत सरकार द्वारा 28 जून, 2017 को एस.सी.एम. के तीसरे दौर में शिमला का चयन किया गया था। हालाँकि, वित्त वर्ष 2024–25 के लिए, इस मिशन के तहत कोई आवंटित बजट प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने शहर के विकास के लिए पहले ही ₹465 करोड़ जारी कर दिए हैं। शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने कुल 53 प्रस्तावित पहलों में से 28 उच्च प्राथमिकता वाली परियोजनाओं की पहचान की है। इन परियोजनाओं को आगे 204 घटकों में विभाजित किया गया है, जिनमें से 182 पूरी हो चुकी हैं, जबकि 22 अभी भी प्रगति पर हैं। धर्मशाला स्मार्ट सिटी की कुल 80 परियोजनाओं में से 56 परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं तथा 24 परियोजाओं का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

17.7 स्वच्छ भारत मिशन 2.0 (शहरी)

स्वच्छ भारत अभियान 2.0(शहरी) भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है और राज्य शहरी विकास विभाग द्वारा सभी शहरी नगर निकायों में कार्यान्वित है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य शहरों/कस्बों को खुले में शौच मुक्त व नागरिकों को स्वस्थ और रहने योग्य वातावरण प्रदान करना है।

इस योजना के अन्तर्गत, वित्त वर्ष 2024–25 में राज्य सरकार का बजट प्रावधान ₹6.60 करोड़ है।

स्वच्छ भारत अभियान के विभिन्न घटकों के लिए वित्त वर्ष 2024–25 में जारी केंद्रीय सहायता सारणी 17.1 में दी गई है:

सारणी 17.1

क्र. सं.	घटक का नाम	स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि
1.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन घटक	22.61	3.03
2.	अपशिष्ट जल प्रबंधन घटक	100.91	25.22
3.	शौचालय घटक	2.20	0.55

स्त्रोतः शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

17.8 प्रधानमंत्री आवास योजना सभी के लिए आवास (शहरी) (पी.एम.ए.वाई.–एच एफ.ए. (यु.))

जून, 2015 में "सभी के लिए आवास" (शहरी) की शुरुआत की गई थी। इस योजना का उद्देश्य झुग्गी–झोपड़ी पुनर्वास घटक के तहत झुग्गी–झोपड़ी में रहने वालों के लिए घर उपलब्ध कराना है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ई.डब्ल्यू.एस.), निम्न–आय समूहों (एल.आई.जी.) और मध्यम–आय समूहों (एम.आई.जी.) के लिए क्रेडिट–लिंक्ड सब्सिडी के माध्यम से किफायती घर और सार्वजनिक–निजी भागीदारी के माध्यम से आवास उपलब्ध

कराना शामिल है। आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय पी.एम.ए.वाई.–एच.एफ.ए. के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न गतिविधियों को चलाने के लिए राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। अनुदान स्वरुप अनुपात 90:10 (केंद्र और राज्य) का है।

इस योजना के अंतर्गत, ₹9.64 करोड़ की वित्तीय सहायता से 479 मकान पूरे हो चुके हैं।

17.9 पार्किंग का निर्माण

शहरी स्थानीय निकायों में पार्किंग की समस्या के समाधान हेतु इस वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹5.00 करोड़ का बजट प्रावधान है। इस योजना के अन्तर्गत, वित्तीय सहायता 75:25 के आधार पर उपलब्ध करवाई जाती है (75 प्रतिशत सरकार द्वारा और 25 प्रतिशत सम्बन्धित नगरीय निकाय द्वारा वहन की जाती है)

17.10 मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना (एम.एम.एस.ए.जी.वाई.)

हिमाचल प्रदेश सरकार ने महामारी के दौरान पात्र परिवारों को 120 दिनों की गारंटी–कृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके शहरी क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के लिए एम.एम.एस.ए.जी.वाई. को अधिसूचित किया है। इस योजना के अन्तर्गत, पंजीकृत होने वाले परिवारों के वयस्क सदस्य काम करने के पात्र होंगे। यू.एल.बी. के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले यू.एल.बी. के निवासी पात्र हैं। शहरी विकास विभाग ने एम.एम.एस.ए.जी.वाई. के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है। लाभार्थी नगर पालिका कार्यालय में जाए बिना खुद को पंजीकृत कर सकता है। इस योजना के अन्तर्गत, दिसंबर, 2024 तक 18,012 लाभार्थियों को कुल 6,76,846 मानव दिवसों का लाभ मिला है और ₹19.20 करोड़ का वितरण किया गया है।

17.11 नगर एवं ग्राम योजना

हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 को 60 योजना क्षेत्रों और 36 विशेष क्षेत्रों में कार्यात्मक, आर्थिक, पर्यावरणीय सतत् और सौन्दर्यात्मक जीवन, न्यायसंगत और विनियमित विकास सुनिश्चित करने हेतू लागू किया गया है।

पहलें

- राज्य सरकार ने तेजी से शहरीकरण हो रहे कस्बों/विकास केंद्रो में जैसे कि रोहडू, बंजार, कुफरी, ऊना, हाटकोटी, धौलाकुआं–माजरा, पालमपुर, धर्मशाला, चंबा, अंब–गगरेट, बरोट, बीर–बिलिंग, शाहपुर, नेरवा, चिरगांव और बैजनाथ–पपरोला में एच.पी.टी.सी.पी. अधिनियम, 1977 के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है।

- 2023 के मानसून ऋतु के दौरान, राज्य में अभूतपूर्व वर्षा हुई, जिसके परिणामस्वरूप जीवन और संपत्ति को काफी नुकसान हुआ। भविष्य में ऐसी स्थितियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए राज्य सरकार ने उच्च जोखिम वाले इमारतों में संरचनात्मक डिजाइन रिपोर्ट और भूवैज्ञानिक जांच रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। अब नाले के 5.0 मीटर और खड्ड के 7.0 मीटर के भीतर निर्माण प्रतिबंधित है।

  इसके अलावा हरित आवरण की रक्षा के लिए, राज्य सरकार ने शिमला योजना क्षेत्र के हरित क्षेत्र को मौजूदा, 17 पॉकेट से बढ़ाकर 25 पॉकेट कर दिया है।

- राज्य सरकार ने योजना/विशेष क्षेत्रों और प्रदेश के सभी यू.एल.बी. के लिए ई–डी.सी.आर. क्षमता वाला वेब पोर्टल विकसित किया है। इससे योजना से अनुमति के लिए प्रस्तुत नक्शों की कम्प्यूटरीकृत स्कैनिंग संभव होती है। ई–डी. सी.आर. आधारित ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम वेब–पोर्टल मुख्यमंत्री द्वारा मार्च, 2024 को लॉन्च किया गया है। अब इस नए वेब–पोर्टल में पंजीकृत निजी पेशेवरों द्वारा 500 वर्गमीटर क्षेत्र तक के आवासीय उपयोग की योजना की अनुमति दी जाती है। अब तक, ई–डी.सी.आर. वेबपोर्टल द्वारा कुल 856 मामलों में स्वीकृती दी है।

- क्षितिज वर्ष–2041 के लिए शिमला योजना क्षेत्र के लिए जी.आई.एस. आधारित विकास योजना दिनांक 20.06.2023 की अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित की गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 11.01.2024 के अपने निर्णय द्वारा राज्य सरकार को विकास योजना के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने की अनुमति दी।

  शिमला योजना क्षेत्र की जनसंख्या 2011 में 3,11,429 से बढ़कर 2041 में 6,25,127 हो जाने की संभावना है। विकास योजना 2041 की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है।

17.12 हिमाचल प्रदेश रियल इस्टेट नियामक अधिनियम (हि.प्र.रेरा)

रियल इस्टेट विनियामक प्राधिकरण हिमाचल प्रदेश ने 1 जनवरी, 2020 से अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है। इस प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र को विनियमित और बढ़ावा देने के साथ–2 हिमाचल प्रदेश में भूखण्डों, अपार्टमैंटस या भवनों की बिक्री एक कुशल तरीके से हो और उपभोक्ता/घर खरीदारों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करना है।

17.12.1 हि.प्र.रेरा की पहल

- प्राधिकरण में 214 रियल एस्टेट परियोजनाएं पंजीकृत हैं। प्राधिकरण ने 131 रियल एस्टेट एजेंटों को भी पंजीकृत किया है।

- यह प्राधिकरण आवंटियों/घर खरीदारों को उनकी शिकायतों के निवारण की सुविधा प्रदान कर रहा है। अप्रैल से दिसंबर, 2024 तक प्राधिकरण के पास 19 शिकायतें दर्ज की गई। अप्रैल, 2024 तक, प्राधिकरण के पास 42 शिकायतें लंबित थीं। वेब–एक्स सुनवाई के माध्यम से 19 शिकायतों का निपटारा किया गया है और शेष 42 शिकायतें प्रक्रियाधीन हैं।
- एच.पी.आर.ई.आर.ए. संबंधित विभागों के समन्वय के साथ रियल एस्टेट परियोजनाओं के लंबित अनुमोदनों की ऑनलाइन निगरानी कर रहा है ताकि प्रमोटरों को समय पर वैधानिक अनुमोदन/मंजूरी मिल सके।

17.13 भवन निर्माण लागत सूचकांक

राष्ट्रीय भवन संगठन ने आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश को राज्य में भवन सामग्री के भाव एकत्र करने व भवन लागत सूचकांक को संकलित करने का काम सौंपा है। विभाग आधार वर्ष 2011–12 पर राज्य स्तरीय भवन निर्माण लागत सूचकांक (BCCI) तैयार करके जारी कर रहा है। तिमाही सूचकांकों के आधार पर, वार्षिक सूचकांकों को तैयार किया गया है और इन्हें सारणी 17.2 में दर्शाया गया है:

सारणी 17.2

भवन निर्माण लागत सूचकांक

वर्ष	सामग्री लागत सूचकांक	श्रम लागत सूचकांक	अन्य व्यय सूचकांक	समग्र भवन निर्माण लागत सूचकांक
2022–23	146.53	145.99	148.92	146.99
2023–24	148.15	148.29	150.92	148.67
2024–25*	147.97	149.58	151.60	148.90

*सूचकांक तीन तिमाहियों के औसत है अर्थात जून, सितम्बर और दिसम्बर, 2023

स्त्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

उपरोक्त सारणी के अनुसार, सामग्री लागत सूचकांक 146.53 से बढ़कर वर्ष 2023–24 में 148.15 हो गया है, जो वर्ष 2024–25 में और बढ़कर 147.97 हो गया है। श्रम लागत सूचकांक भी 145.99 से बढ़कर वर्ष 2023–24 में 148.29 और वर्ष 2024–25 में बढ़कर 149.58 हो गया है, इस सूचकांक के मजदूरी घटक में वृद्धि के कारण श्रम लागत सूचकांकों में वृद्धि दर्ज हुई। इसी प्रकार घटक अन्य व्यय, जिसमें कान्ट्रेकटर और पर्यवेक्षी शुल्क आदि शामिल है, जो अन्य व्यय सूचकांक के अन्तर्गत आता है, यह भी 2023–24 में 148.92 से बढ़कर 150.92 हो गया है और वर्ष 2024–25 में बढ़कर 151.60 हो गया है। इन सभी सूचकांकों में वृद्धि के परिणामस्वरुप समग्र भवन निर्माण लागत सूचकांक वर्ष 2023–24 के 148.67 से बढ़कर वर्ष 2024–25 में 148.90 हो गया है।

हिमाचल प्रदेश विभिन्न आवास और शहरी विकास पहलों के माध्यम से शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने पर केंद्रित है। हिमाचल प्रदेश आवास और शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) का लक्ष्य सस्ती दर पर आवास उपलब्ध कराना है, जिसके अन्तर्गत 13,000 से अधिक घर और 5,600 प्लॉट विकसित किए गए हैं। शहरी विकास के लिए स्थानीय निकायों को अनुदान के माध्यम से समर्थन दिया जाता है, जिसके लिए वित्त वर्ष 2024–25 में ₹202.25 करोड़ उपलब्ध करवाए गए है। इसके अन्तर्गत प्रमुख कार्यक्रमों में गरीबी उन्मूलन के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना, शहरी बुनियादी ढांचे के लिए अमृत और शिमला और धर्मशाला में परियोजनाओं के साथ स्मार्ट सिटी मिशन शामिल हैं। राज्य टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट, रियल एस्टेट विनियमन और निर्माण लागत निगरानी के माध्यम से सतत विकास पर काम कर रहा है। शहरी आधारभूत ढ़ांचा स्वच्छता, आवास और शहरी गरीबों की आजीविका को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

******

अध्याय 18



डिजिटल प्रौद्योगिकी और शासन


t Of Information Technology



मुख्य विचार

- एम.एम.एस.एस. हेल्पलाइन @1100 के लॉन्च होने के बाद से 31 दिसंबर 2024 तक इस हेल्पलाइन के माध्यम से कुल 1,21,118 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 1,05,345 (87 प्रतिशत) शिकायतों का निपटारा किया गया जा चुका है, और 82,237 (68 प्रतिशत) शिकायतें जिनका समाधान संबंधित नागरिकों की संतुष्टि के अनुसार किया गया है।

- वर्तमान में, हिमाचल प्रदेश सचिवालय की 108 शाखाएँ, निदेशालय 98, उपायुक्त कार्यालय 12, पुलिस अधीक्षक कार्यालय 13, अन्य क्षेत्रीय कार्यालय 457 शाखाएँ, ई–ऑफिस पर कार्य कर रही हैं।

- वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान विभाग ने ऑनलाइन डिलीवरी के लिए हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल में 77 सेवाएं जोड़ी हैं। अब विभिन्न विभागों की 294 सेवाएँ ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दी जा रही है।

- वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान दिसम्बर, 2024 तक 52 योजनाओं के तहत 17.45 लाख लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी.बी.टी.) के माध्यम से ₹1,274.17 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई है।

- हिमस्वान की स्थापना फरवरी, 2008 में की गई थी और वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, राज्य भर में कुल 1,936 सरकारी कार्यालय इस नेटवर्क के माध्यम से जुड़े हुए हैं।

- राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली पर कुल 1,21,246 मामले ऑनलाइन पंजीकृत हैं, जिनमें से 61,353 मामलों का निपटारा किया जा चुका है।

18.1 परिचय

डिजिटल प्रौद्योगिकी और शासन विभाग की स्थापना (पूर्व में जिसका नाम सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग था) 2004 में की गई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य राज्य में डिजिटल प्रौद्योगिकियों और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के विकास के लिए एक मजबूत और प्रभावी आधार स्थापित करना है। विभाग आईटी और आईटी–आधारित सेवाओं में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है, आईटी संस्थानों की स्थापना हेतु आवश्यक सुविधाएं प्रदान करता है, राज्य में आईटी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए लगातार काम करता आ रहा है, और एक स्मार्ट (सरल, नैतिक, जवाबदेह, उत्तरदायी और पारदर्शी) सरकार सुनिश्चित करने के लिए आईटी उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाता है।

इसका लक्ष्य हिमाचल प्रदेश को डिजिटल बनाने की दिशा में आगे बढ़ाना है। जिसमें उन्नत डिजिटल प्रौद्योगिकियों, विश्वसनीय डेटा और प्रभावी प्रशासन और समावेशी विकास के लिए कनेक्टिविटी शामिल है, जिसका लक्ष्य हिमाचल प्रदेश को डिजिटल करना है।

हिमाचल प्रदेश ने डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, राज्य ने ब्रॉडबैंड अवसंरचना में महत्वपूर्ण निवेश किया है, जिससे ऑनलाइन सेवाओं, ई–गवर्नेंस और शिक्षा तक सुगम और व्यापक पहुंच सुनिश्चित हुई है। इस डिजिटल परिवर्तन ने शासन को अधिक कुशल, पारदर्शी और जवाबदेह बनाया है, जिससे सार्वजनिक सेवाओं का त्वरित और प्रभावी वितरण संभव हुआ है। परिणामस्वरूप शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सामाजिक–आर्थिक विकास को गति प्रदान हुई है। इसी संदर्भ में, यह अध्याय राज्य की डिजिटल प्रौद्योगिकी में उपलब्धियों और उनके व्यापक प्रभाव का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

18.2 डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर और डेटा गवर्नेंस

18.2.1. मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन @1100

मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन @1100 राज्य में सभी नागरिकों की शिकायतों के लिए एक केंद्रित समाधान सेवा (वन स्टॉप शॉप) है। इसमें शिकायतों के विभिन्न स्रोत शामिल हैं, जैसे कि टोल–फ्री नंबर 1100 के माध्यम से कॉल सेंटर पर प्राप्त शिकायतें, पत्राचार, ईमेल, सीएम संकल्प मोबाइल ऐप, और मुख्यमंत्री सेवा संकल्प पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतें।

हिमाचल प्रदेश में नागरिक शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए एम.एम.एस.एस. (मुख्यमंत्री सेवा संकल्प) हेल्पलाइन (1100) एक प्रभावी मंच के रूप में कार्य कर रही है।

31 दिसंबर 2024 तक, 2024–25 के दौरान इस हेल्पलाइन के माध्यम से कुल 1,21,118 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इनमें से 1,05,345 शिकायतों (87 प्रतिशत) का समाधान किया जा चुका है, जबकि 82,237 शिकायतों (68 प्रतिशत) जिनका समाधान संबंधित नागरिकों की संतुष्टि के अनुसार कर दिया गया है।

चित्र 18.1

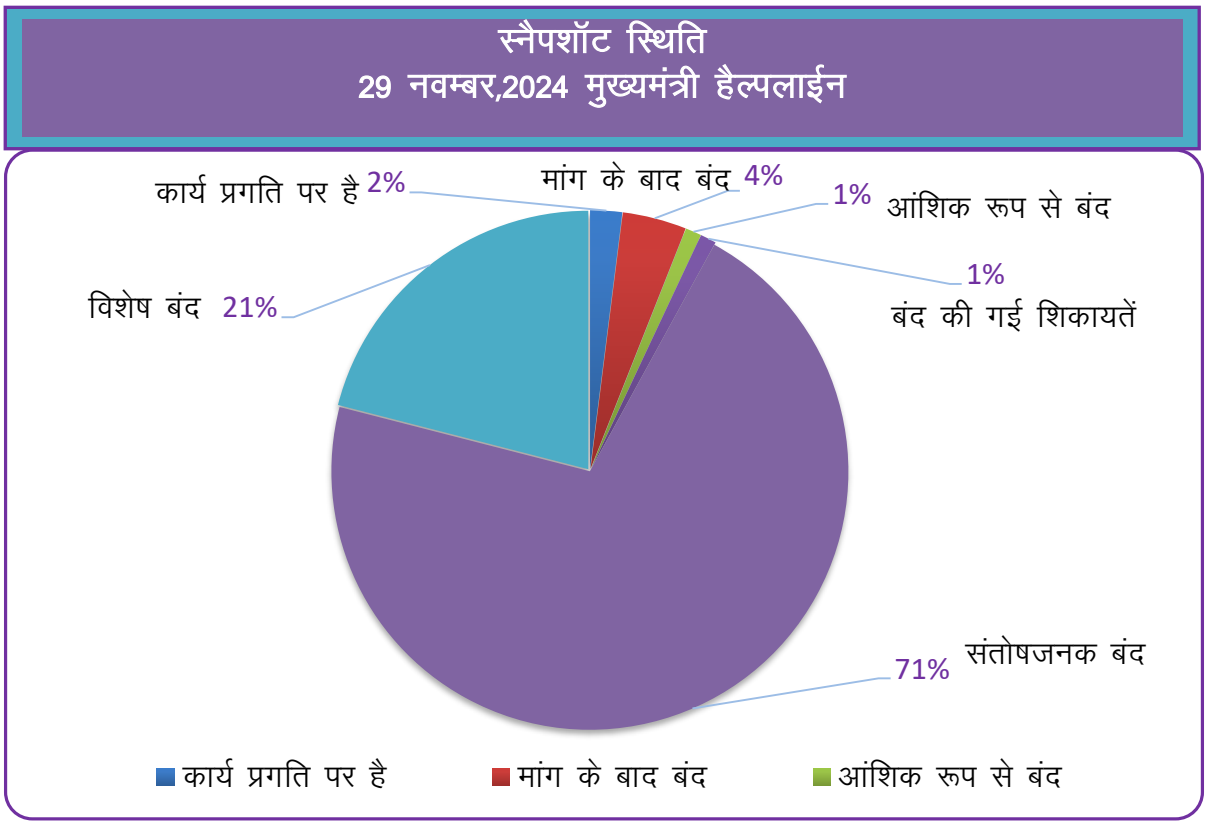

एम.एम.एस.एस हेल्पलाइन के शुभारंभ के बाद से कुल 7,78,364 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 7,57,354 (97 प्रतिशत) शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। इनमें से 5,53,303 (71 प्रतिशत) शिकायतों का समाधान नागरिकों की संतुष्टि के अनुसार किया गया है।

मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार, एम.एम.एस.एस. हेल्पलाइन विभिन्न विभागीय हेल्पलाइनों के संचालन के लिए एक केंद्रीकृत कॉल सेंटर के रूप में कार्य कर रही है। निम्नलिखित हेल्पलाइनों को एम.एम.एस.एस. हेल्पलाइन कॉल सेंटर के तहत स्थानांतरित कर दिया गया है।

- 24X7 हिमाचल राज्य पथ परिवहन निगम (एच.आर.टी.सी.) एम.एम.एस.एस. बसों के माध्यम से यात्रा करने वाले यात्रियों को तत्काल सहायता प्रदान हो रही हैं।

अभी तक 18,988 पंजीकृत मामलों का सफलतापूर्वक समाधान किया जा चुका है।

- 1 जनवरी 2024 से, आपदा हेल्पलाइन के लिए एक वैकल्पिक एम.एम.एस.एस हेल्पलाइन के साथ एकीकृत किया गया है।
- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1967 हेल्पलाइन को एम.एम.एस.एस हेल्पलाइन के तहत स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां अब तक कुल 9,045 मामले पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें से 9,005 मामलों का समाधान कर उन्हें बंद कर दिया गया है।

डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं प्रशासन विभाग ने विभागीय अनुप्रयोगों और पोर्टलों से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त प्रश्नों के समाधान हेतु एक डिजिटल हेल्पलाइन स्थापित की है। इस हेल्पलाइन पर सामान्य कार्यालय समय के दौरान 0177–3525101/02 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।

नागरिक अनुभव को सुधारने के उद्देश्य से, एम.एम.एस.एस हेल्पलाइन प्रणाली में व्हाट्सएप चौटबॉट सुविधा लागू की जा रही है।

18.2.2. ई–ऑफिस

ई–ऑफिस पहल हिमाचल प्रदेश में कागज रहित प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो शासन में दक्षता और स्थिरता के साथ क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। यह प्रणाली न केवल पर्यावरण संरक्षण में योगदान करती है, बल्कि संगठनों के लिए लागत में भी महत्वपूर्ण बचत करती है। दस्तावेज प्रबंधन, फाइल ट्रैकिंग, कार्य प्रबंधन, कार्य स्वचालन, ई–हस्ताक्षर और संचार उपकरणों सहित सुविधाओं के व्यापक सेट से सुसज्जित यह प्लेटफॉर्म सरकारी अधिकारियों के बीच निर्बाध सहयोग को बढ़ावा देता है। वर्तमान में, निम्नलिखित कार्यालय सफलतापूर्वक ई–ऑफिस प्लेटफॉर्म पर एकीकृत हो चुके हैं।

सारणी 18.1

क्र. सं.	कार्यालय	ई–ऑफिस	लक्ष्य
1.	**हिमाचल प्रदेश सचिवालय**	108 शाखा	राज्य के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को जोड़ना
2.	**निदेशालय**	98	
3.	**उपायुक्त कार्यालय**	12	
4.	**पुलिस अधीक्षक कार्यालय**	13	
5.	**उप–विभागीय मजिस्ट्रेट कार्यालय**	69	
6.	**ब्लॉक विकास अधिकारी कार्यालय**	88	
7.	**क्षेत्रीय कार्यालय**	300	

इसके अतिरिक्त, एक वेब–आधारित अनुप्रयोग के रूप में ई–ऑफिस एप्लिकेशन को किसी भी नेटवर्क के माध्यम से, सक्सेंस और फोर्टी–क्लाइंट का उपयोग करके कहीं से भी, कभी भी सचालन किया जा सकता है। हाल ही में, आधार आधारित ई–साइन सुविधा को मौजूदा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डी.एस.सी.) विकल्प के साथ विस्तारित किया गया है, ताकि उपयोगकर्ता नोटिंग और ड्राफ्ट पत्रों पर भी हस्ताक्षर कर सकें। राज्य सरकार अब यह सुनिश्चित करने पर जोर दे रही है कि सभी कार्यालय डिजिटल हस्ताक्षर (ई–साइन/डी.एस.सी.) का उपयोग करके ई–ऑफिस के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ संवाद करें। इसके अलावा, संचार को ई–ऑफिस एप्लिकेशन की इंट्रा–ई–ऑफिस सुविधा के माध्यम से भी भेजा जा सकता है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य में पूरी तरह से कागज रहित कार्यालय प्रणाली को लागू करना है।

18.2.3. हिमाचल ऑनलाइन सेवा (ई–डिस्ट्रिक्ट) पोर्टल

सरकारी कार्यालयों में लोगों की संख्या कम करने और राज्य के नागरिकों को उनके दरवाजे पर विभिन्न सरकारी सेवाओं की सुविधा प्रदान करने के लिए, ऑनलाइन सेवा पोर्टल बनाया गया है, यह पोर्टल नागरिकों को सरकारी योजनाओं/सेवाओं तक सबसे आसान और पारदर्शी तरीके से पहुंच सके।

ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना का उद्देश्य जिला और उप–मंडल स्तर पर नागरिक–केंद्रित सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी प्रदान करना है। इसमें भाग लेने वाले विभागों में वर्कफ्लो, बैकएंड प्रक्रियाओं और कम्प्यूटरीकरण के स्वचालन की व्यवस्था शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, विभाग ने ऑनलाइन डिलीवरी के लिए हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल में 77 सेवाएं जोड़ी थी। अब विभिन्न विभागों राजस्व, महिला एंव बाल विकास पंचायती राज, ग्रामीण विकास विभाग, शहरी विकास आदि की 294 सेवाओं की जानकारी आनलाईन इस पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जा रही है। हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल के माध्यम से प्रतिदिन विभिन्न सेवाओं के लिए औसतन 6,000 लेनदेन होते हैं। चालू वित्त वर्ष में दिसम्बर, 2024 तक कुल 15,92,958 ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। इसके अलावा, जब कोई नागरिक सेवाओं के लिए आवेदन करता है तो दस्तावेज की कमियों की पूर्व–जांच करने के लिए पोर्टल में ए.आई. लागू किया गया है, जिससे मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता कम हो जाती है।

18.2.4. आधार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई.) का उद्देश्य प्रत्येक निवासी को उसकी जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी से जुड़ी एक विशिष्ट पहचान संख्या जारी करना है, जिसका उपयोग वे भारत में कहीं भी अपनी पहचान बनाने और कई

सेवाओं का लाभ लेने के लिए कर सकते हैं। राज्य में कुल 104.29 प्रतिशत (लाइव) विशिष्ट पहचान संख्या (यू.आई.डी.) सृजित किए गए हैं। राज्य में 5 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या के लिए आधार संतृप्ति स्तर 100 प्रतिशत से अधिक है। आधार जनरेशन के मामले में राज्य ने देश में समग्र रूप से चौथा रैंक और 0–5 वर्ष आयु वर्ग में पहला रैंक हासिल किया है। छूटी हुई आबादी और आधार अपडेशन को कवर करने के लिए, वर्तमान में डिजिटल प्रौद्योगिकी और शासन विभाग और लोकमित्र केन्द्रों के माध्यम से राज्य के सभी जिलों और ब्लॉकों को कवर करते हुए 215 स्थायी नामांकन केंद्र (पी.ई.सी.) काम कर रहे हैं।

18.2.5. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी.बी.टी.)

सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का वित्तीय लाभ वास्तविक समय के आधार पर नागरिकों तक पहुंचाने के लिए, शून्य चोरी सुनिश्चित करते हुए, राज्य में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण लागू किया गया है। डिजिटल प्रौद्योगिकी और शासन विभाग ने वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान संबंधित विभागों के साथ 165 (केंद्र–79, राज्य–86) योजनाओं की पहचान की है, जिनमें से 52 योजनाओं (केंद्र–17, राज्य–35) में डी.बी.टी. लागू किया गया है। दिसम्बर, 2024 तक 52 योजनाओं के अन्तर्गत 17.45 लाख लाभार्थियों को ₹1274.17 करोड़ डी.बी.टी. के माध्यम से हस्तांतरित किये गये हैं।

18.2.6. हिमस्वान

राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना (एन.ई.जी.पी.) के तहत, हिमाचल प्रदेश डिजिटल प्रौद्योगिकी और शासन विभाग ने हिमाचल प्रदेश स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (हिमस्वान) नामक सुरक्षित नेटवर्क बनाया। हिमस्वान राज्य सरकार के सभी विभागों को ब्लॉक स्तर तक सुरक्षित नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करता है और जी.टू.जी. (सरकार से सरकार), जी.टू.सी. (सरकार से नागरिक) और जी.टू.बी. (सरकार से व्यवसाय) सेवाओं की कुशल इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी प्रदान करता है। हिमस्वान की स्थापना फरवरी, 2008 में की गई थी और अब, राज्य भर में 1,936 सरकारी कार्यालय इस नेटवर्क के माध्यम से जुड़े हुए हैं। बढ़ती मांग के कारण, बैंडविड्थ को नवीनतम मल्टीप्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग (एम.पी.एल.एस.) तकनीक के साथ उन्नत किया गया है। अब न्यूनतम बैंडविड्थ 8 एम.बी.पी.एस. है। हालाँकि, जिला स्तर पर उच्च इंटरनेट उपयोग वाले सभी निदेशालयों और कार्यालयों को 100 एम.पी.बी.एस. में अपग्रेड कर दिया गया है। श्रेणीवार स्थिति इस प्रकार है:

सारणी 18.2

क्र. सं.	कार्यालयों की श्रेणी	न्यूनतम बैंड्विडथ (एम.बी.पी.एस.)	जुड़े कार्यालयों की संख्या
1	निदेशालय /अन्य क्षेत्रीय कार्यालय	100	107
2	जिला स्तरीय कार्यालय /अन्य क्षेत्रीय कार्यालय	50	3
3	जिला स्तरीय कार्यालय /अन्य क्षेत्रीय कार्यालय	32	76
4	जिला स्तरीय कार्यालय /अन्य क्षेत्रीय कार्यालय	20	471
5	जिला स्तरीय कार्यालय /अन्य क्षेत्रीय कार्यालय	12	478
6	जिला स्तरीय कार्यालय /अन्य क्षेत्रीय कार्यालय	8	801
कुल योग			1,936

18.2.7 हिमाचल प्रदेश राज्य डेटा सेंटर

हिमाचल प्रदेश राज्य डेटा सेंटर (एच.पी.एस.डी.सी.) मुख्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) आधारभूत ढांचे में से एक है। जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज और गवर्नेंस विभाग द्वारा बनाई गई हैं। जिसमे सरकार से सरकार (जी.टू.जी), सरकार से नागरिक (जी.टू.सी) और सरकार से व्यवसाय (जी.टू.बी.) सेवाओं की कुशल इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी दी गयी। विभिन्न विभागों/बोर्डों/निगमों की कुल 227 वेबसाइटें/एप्लिकेशन एच.पी. स्टेट डेटा सेंटर में होस्ट किए गए हैं। एच.पी.एस.डी.सी. में होस्ट किए गए राज्य सरकार के सभी वेबसाइट एप्लिकेशन की समय–समय पर साइबर सुरक्षा ऑडिट करते हैं। सुरक्षा ऑडिट और अनुपालन के बिना किसी भी वेबसाइट या पोर्टल या एप्लिकेशन को एच.पी. स्टेट डेटा सेंटर में होस्ट नहीं किया जा सकता है। आगामी 5 वर्षों के लिए विभिन्न विभागों की होस्टिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य डाटा सेंटर की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है।

होस्टिंग प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और मानकीकृत सुरक्षा प्रथाओं को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, हिमाचल प्रदेश राज्य डेटा केंद्र के लिए अनुप्रयोग और अवसंरचना होस्टिंग नीति को अधिसूचित किया गया है।

18.2.8 सी.एम. डैशबोर्ड

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रमुख परियोजनाओं/योजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए एक सी.एम. डैशबोर्ड विकसित किया गया है। पहले चरण में, 8 विभाग (राजस्व, महिला और बाल विकास, जल शक्ति, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास, शिक्षा, जनजातीय और स्वास्थ्य सेवाएं जिनमें स्वास्थ्य सेवा निदेशालय (डी.एच.एस.), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय (डी.एम.ई.) सी.एम. डैशबोर्ड

के साथ एकीकरण के लिए पहचान की गई और संबंधित विभागों के परामर्श से कुल 81 प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (के.पी.आई.) की पहचान की गई। सी.एम. डैशबोर्ड एप्लिकेशन परियोजनाओं अर्थात, भौतिक प्रगति, धन का उपयोग, विभागीय स्तर की निगरानी, जिलों/क्षेत्रीय कार्यालयों की प्रगति के आधार पर रैंकिंग आदि की वास्तविक समय निगरानी की सुविधा प्रदान करता है। प्रत्येक विभाग परामर्श के समय प्रदान किए गए अपने पदानुक्रम के आधार स्तर पर प्रदर्शन की निगरानी कर सकता है। इसके अतिरिक्त, जिला सुशासन सूचकांक (डी.जी.जी.आई.) राज्य/जिला स्तर पर विभिन्न विषयों के तहत एक व्यापक और कार्यान्वयन योग्य ढांचा सीएम डैशबोर्ड एप्लिकेशन के हिस्से के रूप में विकसित किया गया है।

18.2.9 हिम परिवार

हिम परिवार परियोजना के तहत आवश्यक तकनीकी ढांचे के विकास के लिए प्रमुख गतिविधियाँ पूरी की गई हैं। इस परियोजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक निवासी के लिए विशिष्ट आई.डी. तैयार की गई है। इस रजिस्ट्री का उद्देश्य सक्रिय और पात्रता–आधारित लाभ वितरण सुनिश्चित करना है, जिससे सरकारी योजनाओं में धोखाधड़ी को कम किया जा सके और नागरिकों पर दस्तावेजी बोझ घटाया जा सके। इसके अतिरिक्त, यह लाभार्थी की पहचान को सरल बनाएगा और साक्ष्य–आधारित नीति निर्माण के लिए डेटा प्रदान करेगा।

इस पहल के अन्तर्गत हिमएक्सेस सिंगल साइन–ऑन सिस्टम विकसित किया गया है, जो नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों को एक ही उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड के माध्यम से विभिन्न सरकारी सेवाओं तक पहुँचने के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करता है। यह प्रणाली सुविधा और दक्षता को बढ़ावा देती है, जिससे नागरिकों को विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ने में समय की बचत होती है। अब तक, 1.62 लाख उपयोगकर्ता हिमएक्सेस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हो चुके हैं और विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य में डिजिटल पहचान की सुरक्षा, गोपनीयता और प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल पहचान और पहुँच प्रबंधन पर नीति दस्तावेज को अधिसूचित किया गया है।

हिम परिवार परियोजना के तहत एक सर्वेक्षण मंच भी विकसित किया गया है। शहरी विकास विभाग द्वारा शहरी क्षेत्रों में परिवार रजिस्टर तैयार करने और हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एच.पी.एस.ई.बी.एल.) द्वारा बिजली मीटरों को परिवारों से जोड़ने के लिए किए गए सर्वेक्षण वर्तमान में प्रगति पर हैं। शहरी विकास विभाग की पहल के अन्तर्गत अब तक 1,99,747 परिवारों के 6,28,959 व्यक्तियों का सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है। इसी तरह, एच.पी.एस.ई.बी.एल. के सर्वेक्षण के अन्तर्गत कुल 18,19,955 बिजली मीटरों का सर्वेक्षण किया गया है।

18.2.10 मुकदमेबाजी निगरानी प्रणाली (एल.एम.एस.)

सॉफ्टवेयर में निम्नलिखित विशेषताएं शामिल हैं:

- **जिला न्यायालय ए.पी.आई. के साथ एकीकरण** यह सुविधा केस विवरण, आदेश और जुड़े मामलों के बारे में जानकारी को स्वचालित रूप से प्राप्त करने में सक्षम बनाती है।

- **उपयोगकर्ता मामले वॉचलिस्ट मॉड्यूल** यह एक सुव्यवस्थित सुविधा है, जो उपयोगकर्ताओं को चयनित मामलों को वास्तविक समय में अपडेट प्राप्त करने और आसानी से पहुँच के साथ ट्रैक और मॉनिटर करने की अनुमति देती है।

- **दैनिक एस.एम.एस. सूचनाएं:** साप्ताहिक सुनवाई के संबंध में एक दैनिक एस.एम. एस. अधिसूचना भेजी जाती है, साथ ही अपडेट के लिए मुख्य सचिव को एक समर्पित एस.एम.एस. भी भेजा जाता है।

- **अपडेट मॉड्यूल:** हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को विभागों द्वारा चिह्नित मामलों की सुनवाई पर अपडेट प्रदान करने के लिए एक अपडेट मॉड्यूल विकसित किया गया है।

18.2.11 राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (आर.सी.एम.एस.)

राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (आर.सी.एम.एस.), एक व्यापक सॉफ्टवेयर है जो राजस्व विभाग व डिजिटल टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस विभाग के निकट समन्वय से डाटा संचालित परीक्षण द्वारा बनाया गया है। आर.सी.एम.एस. एक डिजिटल समाधान है जिसे हिमाचल प्रदेश में राजस्व अदालत के संचालन को आधुनिक बनाने और सुव्यवस्थित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस पहल के एक हिस्से के रूप में राजस्व अदालत प्रक्रियाओं, मामलों का प्रबंधन और रिकॉर्ड–कीपिंग को डिजिटल बनाया गया है। नागरिक और वकील अपने मामलों से संबंधित सभी जानकारी निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी जानकारी में मामलों का प्रोफाइल, मामलों की स्थिति, अंतरिम आदेश, अंतिम आदेश, मामलों की सूची इत्यादि शामिल हैं। आर.सी.एम.एस. द्वारा कुल 1,21,246 मामले ऑनलाइन पंजीकृत हैं, जिनमें से 61,353 मामलों का निपटारा किया जा चुका है।

18.2.12 राजस्व रलीफ एप्लिकेशन पोर्टल

राजस्व रलीफ एप्लिकेशन पोर्टल एक डिजिटल समाधान है जिसे हिमाचल प्रदेश में राहत निधि के प्रबंधन और वितरण को सरल और तेज बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह राहत अनुप्रयोगों को संसाधित करने, उनकी प्रगति पर नजर रखने और राहत

कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक मंच के रूप में कार्य करता है। डेटा–संचालित, निर्णय लेने की सुविधा के लिए व्यावहारिक रिपोर्ट तैयार करता है। राजस्व प्रबंधन प्रणाली (आर.एम.एस) के माध्यम से कुल 69,609 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 37,497 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं।

18.2.13 नीतिगत पहलः

हिमाचल प्रदेश राज्य डेटा सेंटर के लिए आधारभूत ढांचा और अनुप्रयोग होस्टिंग नीति

हिमाचल प्रदेश राज्य डेटा सेंटर (एच.पी.एस.डी.सी.) के लिए आधारभूत ढांचा और अनुप्रयोग होस्टिंग नीति अगस्त 2024 में अधिसूचित की गई थी। इस नीति का उद्देश्य राज्य डेटा सेंटर में होस्ट किए गए बुनियादी ढांचे और अनुप्रयोगों के प्रबंधन, सुरक्षा और संचालन को मानकीकृत और सुव्यवस्थित करना है। यह नीति (एच.पी.एस.डी.सी.) के तहत सरकारी अनुप्रयोगों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षित, विश्वसनीय और कुशल होस्टिंग सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश और प्रक्रियाएं स्थापित करती है। साथ ही, इसका उद्देश्य सरकारी विभागों और संगठनों के लिए अनुप्रयोगों और बुनियादी ढांचे की मेजबानी से संबंधित आवश्यक प्रक्रियाओं, कार्यप्रणालियों और दिशानिर्देशों के बारे में जागरूकता पैदा करना और एक स्पष्ट संदर्भ प्रदान करना है।

- **डिजिटल पहचान और पहुँच प्रबंधन पर नीति**

अगस्त 2024 में शुरू की गई डिजिटल पहचान और पहुँच प्रबंधन नीति राज्य सरकार की संस्थाओं द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों में सिंगल साइन–ऑन लागू करने के लिए दिशा–निर्देशों की रूपरेखा तैयार करती है। इस नीति का उद्देश्य सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और अन्य संगठनों में हिम एक्सेस सिस्टम के सुरक्षित, कुशल और सुसंगत उपयोग को सुनिश्चित करना है। यह नीति राज्य सरकार की सेवाओं को ऑनलाइन एक्सेस करने वाले सभी कर्मचारियों, संस्थाओं और नागरिकों पर लागू होती है।

- **दस्तावेज प्रबंधन नीति**

असंगत दस्तावेज प्रबंधन, सुरक्षा अंतराल और पहुँच संबंधी चुनौतियों के मौजूदा मुद्दों को हल करने के लिए, 23 अक्टूबर 2024 को दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली (डी.एम.एस.) नीति शुरू की गई। इस नीति का उद्देश्य दस्तावेजों के प्रबंधन में सुधार करना, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना और आवश्यकतानुसार उचित पहुँच प्रदान करना है। (डी.एम.एस.) पोर्टल (https://dms.hp.gov.in/Index.aspx) को एक ही स्थान पर सभी आधिकारिक दस्तावेजों के भंडारण, उपयोग और पहुँच को प्रबंधित करने के लिए एक उपयोगकर्ता–अनुकूल और एकीकृत मंच के रूप में विकसित किया गया है। यह पोर्टल दस्तावेजों की सुरक्षा, संचालन

में पारदर्शिता और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करता है, जिससे उपयोगकर्ताओं को सहजता से दस्तावेजों तक पहुँच प्राप्त होती है।

8.2.14. 4G संतृप्ति परियोजनाः

हिमाचल प्रदेश सरकार ने 4G संतृप्ति परियोजना के तहत बीएसएनएल को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की है, जिससे राज्य विभागों से सभी स्वीकृतियाँ समयबद्ध तरीके से प्राप्त हो रही हैं। अब तक, बीएसएनएल को 349 वन स्थलों और 45 सरकारी स्थलों के लिए मंजूरी प्रदान की गई है, जिससे परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी आई है और 4जी नेटवर्क की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान राज्य को विशेष सहायता योजना (दूरसंचार क्षेत्र) के तहत भारत सरकार से ₹50 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है, जिसका उपयोग लाहौल और स्पीति, चंबा और किन्नौर जिलों के वंचित गांवों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। अब तक, 500 टावरों का निर्माण किया जा चुका है, जिससे इन क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं की पहुँच में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

18.2.15 निवेश और उद्योग प्रोत्साहन

(एस.टी.पी.आई.–शिमला, एस.टी.पी.आई.–कांगड़ा, सी.ओ.ई–आई.टी वाकनाघाटः एस.टी.पी.आई./इनक्यूबेशन)

आई.टी. निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य में दो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (एस.टी.पी.आई.) केंद्र शिमला और कांगड़ा में स्थापित किए जा रहे हैं। इनमें से एक केंद्र शिमला के मैहली में 18,000 वर्ग फीट व दूसरा चैतडू जिला कांगडा में 35,602 वर्ग फीट क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है जिसका उद्देश्य 25–32 उद्यमियों को सहायता प्रदान करना और 500–650 युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना है।

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम (एच.पी.के.वी.एन.) ने वाकनाघाट में 47,595.85 वर्ग फीट के कुल निर्मित क्षेत्र के साथ सीओई–आईटी भवन का निर्माण किया है। इस परिसर के अन्तर्गत, डिजिटल प्रौद्योगिकी और शासन विभाग (डी.डी.टी. एंड जी.) द्वारा एस. टी.पी.आई के सहयोग से 1,800 वर्ग फीट क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में उत्कृष्टता केंद्र (सी.ओ.ई) स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा, मुख्यमंत्री स्टार्टअप/इनोवेशन प्रोजेक्ट/न्यू इंडस्ट्रीज पहल के अंतर्गत 10,000 वर्ग फीट क्षेत्र को इनक्यूबेशन सुविधा के लिए आवंटित किया जाएगा। शेष अनिर्मित क्षेत्र को सफल स्टार्टअप और आई.टी./आई.टी.ई.एस. कंपनियों को व्यावसायिक उपयोग के लिए किराये के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा।

18.3 हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड

हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड, डिजिटल टेक्नोलॉजीज और गवर्नेंस विभाग एच.पी. के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य कर रहा है निगम की मुख्य गतिविधियाँ सरकार को गुणवत्तापूर्ण कंप्यूटर हार्डवेयर और संबद्ध सेवाएँ, पैकेज्ड सॉफ़्टवेयर हार्डवेयर कार्यालय स्वचालन और मेडिकल, अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण की आपूर्ति करना और हिमाचल प्रदेश में विभाग, बोर्ड़ कोर्पोरेशन और सार्वजनिक उपक्रम को मानव सेवाएं उपल्ब्ध करवाना है इसके अतिरिक्त निगम संबंधित ओ.ई.एम./विक्रेताओं/ए. एस.पी. के माध्यम से आपूर्ति किए गए हार्डवेयर का उचित रखरखाव सुनिश्चित करना है। एच.पी.एस.ई.डी.सी. यह सुनिश्चित करता है कि सभी खरीद प्रक्रियाएं GeM पोर्टल, एच.पी. ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल, और टेंडर इंक्वायरी (एन.आई.क्यू.–कोटेशन आमंत्रण नोटिस) के माध्यम से संपन्न की जाएं।

18.3.1 वित्तीय उपलब्धियाँ

हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम ने वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान विभिन्न सेवाएं प्रदान कीं और दिसंबर 2024 तक निम्नलिखित व्यवसाय अर्जित किया है।

सारणी 18.3

क्रमांक	वित्तीय उपलब्धियाँ	(₹करोड में)
1	हार्डवेयर की बिक्री	132.60
2	सेवाओं की बिक्री और अन्य आय	121.69
3	कुल कारोबार	254.29
4	शुध्द लाभ	12.16

स्त्रोतः डिजिटल प्रौद्योगिकी और शासन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार ने शासन, पहुंच और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए डिजिटल परिवर्तन में महत्वपूर्ण प्रगति की है। प्रमुख पहलों में शिकायत समाधान के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन, कागज रहित प्रशासन को बढ़ावा देने वाली ई–ऑफिस प्रणाली और नागरिकों को ऑनलाइन सरकारी सेवाएं प्रदान करने वाला हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल शामिल हैं। अन्य उल्लेखनीय विकासों में आधार नामांकन, कुशल वित्तीय सहायता के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी.बी.टी.), सुरक्षित सरकारी कनेक्टिविटी के लिए हिमस्वान और सरकारी अनुप्रयोगों की मेजबानी के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य डेटा सेंटर शामिल हैं। राज्य 4G सेचुरेशन प्रोजेक्ट के साथ कनेक्टिविटी भी बढ़ा रहा है, आई.टी. इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित कर रहा है और प्रौद्योगिकी में निवेश को बढ़ावा दे रहा है। ये प्रयास कुशल, पारदर्शी शासन और समावेशी विकास के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं।

******

परिवर्णी शब्द

ए.	अग्रिम
ए.ए.ए.	एलायंस एयर एविएशन
ए.एम.आई	कृषि विपणन अवसंरचना
ए.ए.वाई.	अंत्योदय अन्न योजना
ए.ए.फ.डी.	एजेन्स फ्रांसेइस डे डेवलपमेंट (एक जर्मन एजेंसी)
ए.ए.आई.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
ए.एल.एफ.	क्षेत्र स्तरीय संघ
ए.ई.	अग्रिम अनुमान
ए.बी.वी.आई.एम.ए.एस.	अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सम्बद्ध खेल संस्थान
ए.बाई.यु.एस.एच.	आयुष आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी
एम.एम.एम.वी.वाई.	मुख्यमंत्री मधु विकास योजना
एम.एम.एस.एस.	मुख्यमंत्री सेवा संकल्प
एम.एम.एस.ए.जी.वाई.	मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना
एम.एम.ए.वाई.	मुख्यमंत्री आवास योजना
एम.एम.के.एस.वाई.	मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना
एम.एम.के.यू.एस.वाई.	मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना
एम.एम.आर.	मातृ मृत्यु अनुपात
एम.एस.	मास्टर ऑफ सर्जन
एम.एस.एम.ई.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
एम.एस.पी.	न्यूनतम समर्थन मूल्य
एम.एस.सी.	बहु सेवा केंद्र
एम.एन.आर.ई.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
एम.एल.ए.	विधान सभा के सदस्य
एम.एल.डी.	न्यूनतम तरल निर्वहन
एम.यू.डी.आर.ए.	सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनर्वित्त एजेंसी
एम.ई.पी.	मोटर की क्षमता पैदा
एम.के.यू.एस.वाई.	मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना
एम.पी	संसद सदस्य
एम.पी.पी.	बहुउद्देश्यीय परियोजना
एम्स	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
एम.सी.सी.	मॉडल कैरियर सेंटर
एम.डी.	डॉक्टर ऑफ मेडिसिन
एम.डी.एस.	मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी
एम.वी.ए.	मेगा वोल्ट एम्पीयर
एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

एम.टी.	मीट्रिक टन
एम.टी.ए.	मदर्स टीचर्स एसोसिएशन
एम.आई.एस	एच.पी. बागवानी विकास परियोजना
एम.आई.एस	मण्डी मध्यस्थता योजना
एम.आई.डी.एच.	एकीकृत बागवानी विकास मिशन
एम.आई.जी.	मध्यम–आय समूहों
एम.आर.आई.	चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग
एम.ओ.एस.पी.आई.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
एम.ओ.एच.एफ.डब्ल्यू.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
एम.ओ.एच.यू.पी.ए.	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
एम.ओ.यू.	समझौता ज्ञापन
एम.ओ.ई.ई. और सी.सी.	पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एम.ओ.टी.	पर्यटन मंत्रालय
एम.ओ.आर.डी.	ग्रामीण विकास मंत्रालय
ए.पी.एल.	गरीबी रेखा से ऊपर
ए.पी.वाई	अटल पेंशन योजना
एस. सी.	अनुसूचित जाति
एस. टी.	अनुसूचित जनजाति
एस.ए.एम.ई.	कृषि विस्तार पर उप मिशन
एस.ए.एम.बी.	हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
एस.ए.एम.बी.	राज्य कृषि विपणन बोर्ड
एस.एम.ए.एम.	कृषि मशीनीकरण पर उप–मिशन
एस.एम.एस.पी.	बीज एवं रोपण सामग्री उप–मिशन
एस.एम.एफ.	बीज गुणन फार्म
एस.एम.सी.	स्कूल प्रबंधन समिति
एस.एम.वाई.	उप बाज़ार यार्ड
एस.ए.पी.–ई.आर.पी.	सिस्टम अनुप्रयोग उत्पाद–एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग
एस.एस.	सहायक स्थिति
एस.एच.ई.पी.	लघु जल विद्युत परियोजना
एस.एच.जी.	स्वयं सहायता समूह
एस.एफ.बी.	लघु वित्त बैंक
एस.ए.जी	किशोरियों के लिए योजना
एस.ए.आई.एफ.आई.	सिस्टम औसत व्यवधान आवृत्ति सूचकांक
एस.ए.आई.डी.आई.	सिस्टम औसत व्यवधान अवधि सूचकांक
एस.एल.बी.सी.	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति
एस.यू.आई.एस.	स्टैंड–अप इंडिया योजना
एस.ई.पी.	स्वरोजगार कार्यक्रम

एस.ई.सी.सी.	जातिगत गणना
एस.बी.एम.	स्वच्छ भारत मिशन
एस.बी.एम.–जी.	स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण
एस.बी.आर.	एक बिस्तर वाला कमरा
एस.पी.पी.	सौर ऊर्जा परियोजना
एस.सी.	अनुसूचित जाति
एस.सी.एम.	स्मार्ट सिटी मिशन
एस.सी.वी.टी.	व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए राज्य परिषद
एस.ड.जी.	सतत विकास लक्ष्य
एस.जी.एस.वाई.	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
एस.जे.एस.आर.वाई.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना
एस.जे.वी.एन.एल.	सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड
एस.टी.	अनुसूचित जनजाति
एस.टी.यू.	राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटी
एस.टी.पी.	मानक तापमान और दबाव
एस.आई.ए.	सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन
एस.आर.	द्वितीय संशोधन
एस.ओ.पी.	मानक संचालन प्रक्रिया
ए.डी.बी.	एशियाई विकास बैंक
एच.ए.एस.	हिमाचल प्रशासनिक सेवा
एच.एम.आई.एस.	स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली
एच.एच.सी.	होम्योपैथिक स्वास्थ्य केंद्र
एच.ई.पी.	हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर
एच.बी.वाई.सी.	छोटे बच्चों के लिए गृह–आधारित देखभाल कार्यक्रम
एच.पी.एम.सी.	बाजार हस्तक्षेप स्कीमर
एच.पी.एम.सी.	हिमाचल प्रदेश विपणन निगम
एच.पी.एस.ए.एम.बी.	हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
एच.पी.एस.ई.बी.एल.	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड
एच.पी.एस.सी.एस.सी.	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम
एच.पी.एस.सी.आर.डी.बी.	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एच.पी.एस.डी.पी.	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना
एच.पी.एस.डी.सी.	हिमाचल प्रदेश राज्य डेटा सेंटर
एच.पी.एस.आर.एल.एम.	हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
एच.पी.एच.डी.पी.	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
एच.पी.एच.डी.पी.	हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना
एच.पी.यू.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
एच.पी.बी.एस.एम.डी.ए.	हिमाचल प्रदेश बस स्टैंड प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण

एच.पी.बी.ओ.एस.ई.	हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड
एच.पी.के.वी.एन.	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम
एच.पी.के.वाई.	हिमाचल पुष्प क्रांति योजना
एच.पी.मिल्क फेड	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड
एच.पी.पी.सी.एल.	हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
एच.पी.पी.डब्ल्य.डी.	हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग
एच.पी.पी.टी.सी.एल.	हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
एच.पी.जी.बी.	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक
एच.पी.टी.डी.सी.	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम
एच.डब्ल्यू.सी.	स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र
एच.डी.एस.	बागवानी विकास योजना
एच.वाई.वी.पी.	उच्च उपज देने वाली किस्में
एच.टी.	उच्च–तनाव
एच.आई.वी.	ह्यूमन इम्युनोडेफिशिएंसी वायरस
एच.आर.टी.सी.	हिमाचल राज्य पथ परिवहन निगम
एफ.एस.	पारिवारिक सूट
एफ.एस.पी.एफ.	कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि
एफ.एच.टी.सी	संचालित घरेलू नल कनेक्शन
एफ.ए.आई.डी.एफ.	मत्स्य पालन और जलकृषि अवसंरचना विकास निधि
एफ.एल.सी.	वित्तीय साक्षरता केंद्र
एफ.पी.ओ.	किसान उत्पादक संगठन
एफ.सी.ए.	वन मंजूरी अनुमोदन
एफ.आर.	प्रथम संशोधन
एन.ए.एस.	आवश्यकता आधारित मूल्यांकन अध्ययन
एन.ए.बी.ए.आर.डी.	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एन.एम.ए.ई.टी.	कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी
एन.एम.एस.ए.	सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन
एन.एस.एस.ओ.	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन
एन.एस.क्यू.एफ.	राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा
एन.ए.सी.ओ.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन
एन.एस.ओ.	राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय
एन.एच.ए	राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
एन.एच.एम.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
एन.एच.पी.सी.	नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन
एन.एफ.एम.एस.	नेशनल फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम
एन.एफ.एस.ए.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
एन.एफ.एस.एम.	परम्परागत कृषि विकास योजना
एन.एफ.एच.एस.	राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण

एन.एन.एम.आर.	नवजात मृत्यु दर
एन.ए.आई.पी.	राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान योजना
एन.यू.एल.एम.	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
एन.ई.पी.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति
एन.सी.एम.सी.	नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड
एन.सी.डी.	गैर–संचारी रोग
एन.सी.वी.टी.	व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद
एन.डी.डी.	राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस
एन.डी.डी.बी.	राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड
एन.टी.पी.सी.	नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड
एन.टी.सी.पी.	राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम
एन.आई.एफ.एम.	राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान
एन.आई.एफ.टी.	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान
एन.आई.इ.एल.आई.टी.	राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान
एन.आई.ई.एस.बी.यू.डी.	राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान
एन.आर.एम.	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन
एन.आर.एल.एम.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
एन.ओ.सी.	अनापत्ति प्रमाण पत्र
ए.टी.एम	स्वचालित गणक मशीन
ए.टी.एस.	स्वचालित परीक्षण स्टेशन
ए.आई.एफ.	कृषि अवसंरचना कोष
ए.आई.डी.एस.	एक्वायर्ड इम्युनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम
ए.आई.आई.एम.एस.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
एल.एम.एस.	मुकदमेबाजी निगरानी प्रणाली
एल.एफ.पी.आर.	श्रम बल भागीदारी दर
एल.टी.	कम–तनाव
एल.आई.डीए.आर	लाइट डिटेक्शन और रेंजिंग
यू.एस.	सामान्य स्थिति
यू.एच.एफ.	बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय
यू.एन.डब्ल्यू.टी.ओ.	विश्व पर्यटन संगठन
यू.एल.बी.	शहरी स्थानीय निकाय
यू.एल.बी.	नगर परिषद और नगर पंचायतें
यू.5.एम.आर.	अंडर–5 मृत्यु दर
यू.पी.एच.सी.	शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ
यू.डी.आई.ए.सई.	शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली
यू.आई.डी.ए.आई.	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
यू.आर.	बेरोजगारी दर
द्व.स.अ.	दूसरे संशोधित अनुमान

ई.ए.पी.	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना
ई.एन.टी.	कान, नाक और गला
ई.बी.टी.एम.	इलेक्ट्रिकल बैटरी थर्मल मैनेजमेंट
ई.डब्ल्यू.एस.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
ई.वी.	इलेक्ट्रिक वाहन
ई.ए.पी.	बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना
ई.एस.आई	कर्मचारी राज्य बीमा
ई.एच.वी.	अतिरिक्त उच्च वोल्टेज
ई.ई.ई.	अंग्रेजी, रोजगार और उद्यमिता
ई.सी.सी.ई.	प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा
ई.सो.म.सा.	अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक मामलों के सशक्तिकरण विशेष रूप से दिव्यागों के अधिकारिता
ई.डब्ल्यू.एस.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों
ई.डी.पी.	इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग
ई.वी.	विद्युतीय वाहन
ई.आर.पी.	एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग
ई.ओ.डी.बी.	व्यापार करने में आसानी
बी.एम.सी.	जैव विविधता प्रबंधन समिति
बी.एस.बी.डी.ए.	बेसिक बचत बैंक जमा खाता
बी.एफ.एस.आई.	बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा
बी.पी.एल.	गरीबी रेखा से नीचे
बी.पी.सी.एल.	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
बी.डी.एस.	बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी
बी.वी.पी.सी.एल.	ब्यास वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
बी.वोक	व्यवसाय स्नातक
बी.आर.ओ.	सीमा सड़क संगठन
बी.ओ.सी.डब्ल्यू.	भवन और अन्य निर्माण श्रमिक
बी.ओ.ओ.टी.	निर्माण, स्वामित्व, संचालन और हस्तांतरण
प्र.स.अ.	प्रथम संशोधित अनुमान
ब.अ.	बजट अनुमान
क्यू.आर.	त्वरित प्रतिक्रिया कोड
के.एम.एस.	ख़रीफ़ विपणन सीज़न
के.एफ.डब्ल्यू.	क्रेडिटनस्टाल्ट फर विडेरुफ़बाउ (एक जर्मन बैंक)
के.सी.सी.	किसान क्रेडिट कार्ड
के.सी.सी.बी.	कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक
के.वी	किलोवोल्ट
के.वी.आई.बी.	खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड
के.वी.आई.सी.	खादी और ग्रामोद्योग आयोग
द्वि.स.अ.	दूसरा संशोधित अनुमान

कि.मी.	किलोमीटर
हिम.कोस्ट.	हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद
हिमकेयर	हिमाचल स्वास्थ्य देखभाल
हि.प्र.रेरा	हिमाचल प्रदेश रियल इस्टेट नियामक अधिनियम
वि.व.	वित्तीय वर्ष
फिनो	वित्तीय समावेशन नेटवर्क और संचालन
हेक्ट.	हैक्टर
पी.एम.–के.यू.एस.यू.एम.	प्रधानमंत्री–किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना
पी.एम.एस.एम.ए.	प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान
पी.एम.एस.एस.बाई.	प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना
पी.एम.ए.वाई.	मुख्यमंत्री आवास योजना
पी.एम.ए.वाई.–एच एफ.ए.यु.	प्रधानमंत्री आवास योजना सभी के लिए आवास शहरी
पी.एम.एन.डी.पी.	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम
पी.एम.के.एस.वाई.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
पी.एम.के.एस.वाई.	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
पी.एम.के.एस.वाई.–ए.आई.बी.पी.	प्रधान मंत्री किसान सिंचाई योजना–त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम
पी.एम.के.एस.वाई.–पी.डी.एम.सी.	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–प्रति बूंद अधिक फसल
पी.एम.के.वी.वाई.	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
पी.एम.वाई.	प्रिंसिपल मार्केट यार्ड
पी.एम.जे.ए.वाई.	प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
पी.एस.	मुख्य स्थिति
पी.एस.एम.पी.	पावर सिस्टम मास्टर प्लान
पी.ए.सी.	प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन कंट्रोलर
पी.ए.सी.एस.	प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां
पी.एस.वी.	पैसेंजर सर्विस व्हीकल
पी.एफ.आर.	प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोर्ट
पी.एल.एफ.एस.	आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण
पी.बी.आर.	लोगों का जैव विविधता रजिस्टर
पी.के.के.के.वाई.–जेड.बी.एन.एफ.	प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना – शून्य बजट प्राकृतिक खेती
पी.के.वी.वाई.	पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना
पी.के.वी.वाई.	परम्परागत कृषि विकास योजना
पी.पी.पी.	सार्वजनिक निजी भागीदारी
पी.सी.सी.	प्रदूषण जांच केंद्र
पी.सी.आई.	प्रति व्यक्ति आय

पी.डब्ल्यू.डी.	विकलांग व्यक्ति
पी.डी.एम.सी.	प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स
पी.डी.एस.	आलू विकास स्टेशन
पी.जी.आई .	पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट
पी.आई.पी.	गरीबों की सहभागिता पहचान
पी.एम.एम.वाई.	प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
पी.एम.एस.बी.वाई.	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
पी.एम.यू.	परियोजना प्रबंधन इकाई
पी.एम.ई.जी.पी.	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
पी.एम.जे.डी.वाई.	प्रधानमंत्री जन–धन योजना
पी.एम.जे.जे.बी.वाई.	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
पी.एस.बी.	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
पी.पी.डी.	पूर्व निर्धारित भुगतान और जमा
संकल्प	आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता
सं.अ.	संशोधित अनुमान
सी.एफ.एल.	वित्तीय साक्षरता केंद्र
सी.ए.जी.आर.	चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर
सी.एल.सी.	शहरी आजीविका केंद्र
सी.बी.ए.सी.	समुदाय आधारित मूल्यांकन चेकलिस्ट
सी.बी.बी.ओ	क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठन
सी.बी.जी.	संपीड़ित बायोगैस
सी.के.एम.	सर्किट किलोमीटर
सी.पी.एच.सी .	व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल
सी.पी.डब्ल्यू.डी.	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग
सी.पी.आई.	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सी.सी.ए.	खेती योग्य कमांड क्षेत्र
सी.सी.ई.ए.	आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति
सी.सी.टी.वी.	क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन
सी.डब्ल्यू.एस.	वर्तमान साप्ताहिक स्थिति
सी.डी.ए.सी.	उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र
सी.डी.आर.	क्रेडिट जमा अनुपात
सी.आई.पी.ई.टी.	केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान
सी.ओ.ई.	उत्कृष्टता केंद्र
सी.एडी.	कमांड एरिया डेवलपमेंट
डब्लयू.ए.एस.एच.	जल, सफाई एवं स्वच्छता
डब्ल्यू.ई.ओ.	विश्व आर्थिक दृष्टिकोण
डब्ल्यू.पी.आई.	थोक मूल्य सूचकांक
डब्ल्यू.पी.आर.	श्रमिक जनसंख्या अनुपात

डब्ल्यू.डी.सी.	वाटरशेड विकास कार्यक्रम
डब्लयू.ए.पी.सी.ओ.एस.	जल एवं विद्युत परामर्श
डी.ए.एम.	डिजिटल कृषि मिशन
डी.एम.एस.	दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली
डी.एम.ई.	चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय
डी.एम.ओ.	गंतव्य प्रबंधन संगठन
डी.एस.टी.	औषधि संवेदनशीलता परीक्षण
डी.ए.वाई.–एन.आर.एल.एम	दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
डी.इ.ए.	आर्थिक मामलों के विभाग
डी.ई.एस.टी.एंड.सी.सी	पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग
डी.बी.टी.	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
डी.बी.आर.	दो बिस्तरो वाला कमरा
डी.पी.आर.	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
डी.डी.यू.–जी.के.वाई.	दीन दयाल उपाध्याय–ग्रामीण कौशल योजना
डी.डी.टी. एंड जी.	डिजिटल प्रौद्योगिकी और शासन विभाग
डी.वी.डी.एम.एस.	दवा और वैक्सीन वितरण प्रबंधन प्रणाली
डी.टी.एस.	ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल
डी.टी.डी.ओ.	जिला पर्यटन विकास अधिकारी
डी.टी.आर.	वितरण ट्रांसफार्मर
डी.ओ.ई.	ऊर्जा निदेशालय
डी.ओ.आर.	डोरमैटरी
वी.एस.सी.	स्क्रैपिंग सुविधा केन्द्र
वी.डी.एस.	सब्जी विकास केंद्र
वी.वी.पी.	वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम
वी.जी.एफ.	व्यवहार्यता अंतर निधि
वा.	वस्तविक
फलैक्सी–एम.ओ.यू.	लचीला समझौता ज्ञापन
जी.एस.डी.पी.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
जे.एस.वी.ए	सकल राज्य संवर्धित मूल्य
जी.एस.वी.ए.	सकल राज्य मूल्य वर्धित
जी.एस.आई.	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण
जी.एच.एस.	सरकारी उच्च विद्यालय
जी.सी.आर.टी.एस.	ग्रिड–कनेक्टेड रूफटॉप सोलर

जी.डी.एस.	अदरक विकास केंद्र
जी.डी.पी.	सकल घरेलू उत्पाद
जी.वी.ए.	सकल मूल्य वर्धित
जी.आई.	भौगोलिक संकेत
जी.आई.एस.	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
जी.एस.एस.एस.	सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
जी.पी.	ग्राम पंचायत
जी.कृवी.ए.	सकल संवर्धित मूल्य
जे.जे.एम.	जल जीवन मिशन
जे.आई.सी.ए.	जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी
जे.एस.एस.के.	जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम
जे.एल.जी.	संयुक्त देयता समूह
नैबकॉन्स	नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज
टी.एफ.एफ.	प्रौद्योगिकी सुविधा निधि
टी.एफ.आर.	कुल प्रजनन दर
टी.ई.एफ.आर.	तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट
टी.ई.सी.	तकनीकी आर्थिक मंजूरी
टी.बी.	क्षय रोग
टी.बी.आर.	तीन बिस्तरो वाला कमरा
टी.पी.डी.एस.	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली
टी.पी.डी.एस.	राज्य विषेष रूप से सब्सिडी वाली योजना और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली
टी.सी.सी.सी.	तृतीयक देखभाल कैंसर केंद्र
टी.डी.एफ.	आदिवासी विकास निधि
आयुष	आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी
आई.ए.एफ.	आयरन और फोलिक एसिड
आई.एच.बी.टी.	इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो टेक्नोलॉजी
आई.सी.ए.आर.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
आई.ओ.सी.एल.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
आई.ए.एस.	भारतीय प्रशासनिक सेवा
आई.एण्ड.सी.बी.	संस्था और क्षमता निर्माण
आई.एस.ए.एम.	कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना

आई.एच.एम.	होटल प्रबंधन संस्थान
आई.एफ.एस.	भारतीय विदेश सेवा
आई.ई.सी.	सूचना शिक्षा और संचार
आई.पी.एस.	भारतीय पुलिस सेवा
आई.सी.एम.आर.	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद
आई.सी.ए.आई.	भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
आई.सी.टी.	मुख्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
आई.वी.आर.एस.	इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम
आई.वाई.ओ.एम.	अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष
आई.जी.ई.	व्यक्तिगत और समूह उद्यम
आई.टी.	सूचना प्रौद्योगिकी
आई.टी.ई.एस.	सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएँ
आई.टी.आई.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
आई.ओ.टी.	इंटरनेट ऑफ थिंग्स
आर–डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस.	पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना
आर.ए.एफ.टी.ए.आर.	कृषि और संबद्ध क्षेत्र के कायाकल्प के लिए लाभकारी दृष्टिकोण
आर.एंड.डी.	अनुसंधान और विकास
आर.एम.एस.	रबी विपणन सीजन
आर.एस.ई.टी.आई.	ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान
आर.ए.डी.	कृषि विकास पहल
आर.एफ.	रिवाल्विंग फंड
आर.एल.सी.	ग्रामीण आजीविका केंद्र
आर.ई.सी.एल.	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड
आर.बी.एस.के.	राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम
आर.बी.आई.	भारतीय रिजर्व बैंक
आर.के.वी.वाई.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
आर.के.वी.वाई.–रफतार	पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना
आर.पी.एल.	पूर्व शिक्षा की मान्यता
आर.सी.एम.एस.	राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली
आर.सी.एस.	क्षेत्रीय संपर्क योजना
आर.डी.एस.एस.	पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना
आर.वी.एस.एफ.	पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा

आर.वी.टी.आई.	क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान
आर.जी.एम.	राष्ट्रीय गोकुल मिशन
आर.टी.डी.ए.एस.	रियल–टाइम डेटा अधिग्रहण प्रणाली
आर.टी.ओ.	क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय
आर.आई.आई.एस.एम.	भारतीय औषधि प्रणाली अनुसंधान संस्थान
आर.आई.डी.एफ.	ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि
आर.आर.बी.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
ओ.एफ.पी.ओ.	ऑफ फार्म उत्पादक संगठन
ओ.बी.सी	अन्य पिछड़ा वर्ग
ओ.आर.एस.	मौखिक पुनर्जलीकरण समाधान
अ.अ.	अग्रिम अनुमान

शब्दावली

मूल कीमत	मूल कीमत वह राशि है जो उत्पादक द्वारा क्रेता से उत्पादित किसी वस्तु या सेवा की इकाई के लिए देय सभी करों को घटाकर और साथ ही उत्पादक द्वारा उसके उत्पादन या बिक्री के परिणामस्वरूप प्राप्त होने वाली किसी भी सब्सिडी को जोड़कर प्राप्त की जाती है। इसमें निर्माता द्वारा लिया जाने वाला परिवहन शुल्क शामिल नहीं हैं।
आकस्मिक श्रम	एक व्यक्ति जो आकस्मिक रूप से दूसरों के कृषि या गैर कृषि उद्यमों (घरेलू और गैर घरेलू दोनों) में लगा हुआ था और बदले में दैनिक या आवधिक कार्य अनुबंध की शर्तों के अनुसार मज़दूरी प्राप्त करता है उसे आकस्मिक श्रम माना जाता है।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.)	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.) को एक निश्चित स्थान पर एक परिभाषित जनसंख्या समूह के औसत परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के एक निश्चित वस्तुओं के समूह के खुदरा कीमतों के स्तर में समयोपरि परिवर्तन को मापने का तन्त्र है।
स्थिर कीमतें	स्थिर कीमतें मुद्रास्फीति के प्रभावों के लिए समायोजित होती हैं। स्थिर कीमतों का उपयोग हमें उत्पादन में वास्तविक मूल्य परिवर्तन को मापने में सक्षम बनाता है (न कि केवल मुद्रास्फिति के प्रभाव के कारण वृद्धि)।
वर्तमान दैनिक स्थिति	किसी व्यक्ति के लिए वर्तमान दैनिक गतिविधि की स्थिति को प्राथमिकता या अधिक समय मापदंड का उपयोग करते हुए संदर्भ सप्ताह के प्रत्येक दिन उसकी गतिविधि की स्थिति के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
वर्तमान साप्ताहिक स्थिति	व्यक्ति की वर्तमान साप्ताहिक गतिविधि स्थिति सर्वेक्षण की तारीख से पहले 7 दिनों की संदर्भ अवधि के दौरान किसी व्यक्ति के लिए प्राप्त गतिविधि की स्थिति है। यह एक निश्चित प्राथमिकता या अधिक समय मापदंड के आधार पर तय किया जाता है। प्राथमिकता मानदंड के अनुसार ''काम नहीं कर रहे बल्कि काम के लिए इच्छुक या उपलब्ध'' की स्थिति पर काम करने वालों की स्थिति को प्राथमिकता मिलती है, और 'न तो काम कर रहा है और न ही काम के लिए उपलब्ध है" की स्थिति पर काम नहीं कर रहे बल्कि काम के लिए इच्छुक या उपलब्ध को प्राथमिकता मिलती है।
प्रचलित मूल्य	प्रचलित मूल्य सकल घरेलू उत्पाद/मुद्रास्फीति/परिसंपति की कीमतों को अर्थव्यवस्था में देखी गई वास्तविक कीमतों का उपयोग करके मापते हैं। वर्तमान कीमतें मुद्रास्फीति के लिए कोई समायोजन नहीं करती हैं। वर्तमान मूल्य वे हैं जो किसी

	निश्चित समय पर इंगित किए जाते हैं।
जनसंख्या घनत्व	जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। भौगोलिक इकाई, वार्ड, शहर, जिला, राज्य, देश और विश्व है।
राजकोषीय घाटा	राजकोषीय घाटा सरकार के व्यय और उसके राजस्व के बीच का अन्तर है (उस धन को छोड़कर जो उसने उधार लिया है)। किसी देश के राजकोषीय घाटे को आमतौर पर उसके सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है।
सकल राज्य आय	सकल राज्य आय जी.एस.डी.पी. से उत्पादन और आयात पर शुद्ध कर घटाकर, कर्मचारियों का मुआवजा घटाकर, शेष दुनिया को देय संपत्ति आय घटाकर,जमा शेष दुनिया से प्राप्त संबंधित वस्तु (दूसरे शब्दों में, सकल राज्य घरेलू उत्पाद घटाकर गैर–निवासी इकाइयों के लिए प्राथमिक आय जमा अनिवासी इकाइयों से प्राप्त होने वाली प्राथमिक आय) है। बाजार मूल्यों पर जी.एस.आई. को मापने का एक वैकल्पिक तरीका जो सभी क्षेत्रों के लिए सकल प्राथमिक आय के शेष के कुल मूल्य के रूप में है। (ध्यान दें कि सकल राज्य आय सकल राज्य उत्पाद (जी.एस.पी.) के बराबर होती है, जैसा कि पहले आमतौर पर राष्ट्रीय खातों में उपयोग किया जाता था)।
सकल मूल्य वर्धित (जी.वी.ए)	सकल मूल्य वर्धित किसी अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र, उद्योग या क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का माप है। राष्ट्रीय खातों में जी.वी.ए.,उत्पादन और उत्पादन लागत का अंतर है।
मूल कीमतों पर सकल मूल्य वर्धन	मूल कीमतों पर वर्धित सकल मूल्य को मूल कीमतों पर मूल्य वर्धित उत्पाद के रूप में परिभषित किया गया है जिसमें उत्पादन से क्रेताओं की कीमतों पर मूल्यांकित मध्यवर्ती उपभोग को घटाया गया है। यहां जी.वी.ए. उस कीमत से जाना जाता है जिसके साथ उत्पादन का मूल्यांकन किया जाता है। उत्पादक के दृष्टिकोण से इनपुट के लिए साधनों/कारकों की कीमतें और उत्पादन के लिए मूल कीमतें वास्तव में भुगतान और प्राप्त कीमतों का प्रतिनिधित्व करती है। उनका उपयोग सकल मूल्य वर्धित माप की ओर ले जाता है जो विशेष रूप से उत्पादक के लिए प्रासंगिक है।
शिशु मृत्यु दर	शिशु मृत्यु दर प्रत्येक 1,000 जीवित जन्मों के लिए शिशु मृत्यु (शिशु के पहले जन्मदिन से पहले मृत्यु) की संख्या का अनुमान है।
मुद्रास्फीति	मुद्रास्फीति को वस्तुओं और सेवाओं के लिए कीमतों के सामान्य स्तर में निरंतर वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे वार्षिक प्रतिशत वृद्धि के रूप में मापा जाता है।

	जैसे–जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती है, हमारे पास मौजूद प्रत्येक रूपया किसी एक वस्तु या सेवा का एक छोटा सा प्रतिशत खरीदता है।
श्रम बल	श्रम बल वे व्यक्ति जो या तो 'काम कर रहे' (कार्यरत) या 'काम की तलाश या उपलब्ध' (या बेरोजगार) थे, श्रम बल का गठन करते हैं।
श्रम बल भागीदारी दर (एल.एफ.पी.आर.)	श्रम बल भागीदारी दर, श्रम बल और समूह के कुल आकार (समान आयु सीमा की राष्ट्रीय जनसंख्या) का अनुपात है।
साक्षरता दर	साक्षरता दर से अभिप्राय छः या उससे ऊपर की उम्र की जनसंख्या के प्रतिशत से है जो प्रतिदिन के कार्यों में साधारण वाक्यों को लिखने व पढ़ने की क्षमता रखता है।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण संपूर्ण भारत में परिवारों के एक प्रतिनिधि नमूने के माध्यम से व्यापक पैमाने पर अयोजित किया जाने वाला एक बहु–आयामी सर्वेक्षण है।
प्रति व्यक्ति आय	प्रति व्यक्ति द्वारा एक वर्ष के अन्दर अर्जित आय प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। इसका आकलन किसी क्षेत्र में कुल आय से उस क्षेत्र की जनसंख्या को भाग देकर किया जाता है।
खुदरा मूल्य	किसी वस्तु के खुदरा मूल्य से अभिप्राय, ऐसी कीमत से है जिसे अंतिम उपभोक्ता द्वारा सापेक्षित छोटे वस्तुओं के विनिमय/या लेन–देन के लिए दिया जाता है।
लिंग अनुपात	लिंगानुपात को प्रति 1,000 पुरूषों पर महिलाओं की संख्या के रुप में परिभाषित किया जाता है।
सामान्य प्रधान स्थिति	यह स्थिति 365 दिनों के संदर्भ अवधि के दौरान अपेक्षित लम्बी अवधि की गतिविधि के संदर्भ में निर्धारित की जाती है।
बेरोजगारी की दर	यह अर्थव्यवस्था में उपलब्ध श्रम बल तथा बेरोजगार व्यक्तियों का अनुपात बताता है। इसकी गणना बेरोजगार व्यक्तियों को कुल श्रम बल से विभाजित करके की जाती है।
सामान्य प्रधान स्थिति (यू.पी.एस.) या सामान्य स्थिति (पी.एस.)	जिस गतिविधि पर किसी व्यक्ति ने सर्वेक्षण की तारीख से पहले पिछले 365 दिनों में अपेक्षाकृत अधिक समय बिताया हों, उसे उस व्यक्ति की सामान्य प्रमुख गतिविधि माना जाता है। सामान्य प्रधान गतिविधि स्थिति (यू.पी.एस.) जिसे सामान्य स्थिति के रुप में लिखा जाता है, को अधिकतम समय मापदण्ड का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है और उस गतिविधि की स्थिति को संदर्भित करता है जिस पर उसने वर्ष का अधिकतम समय बिताया।
सामान्य प्रधान सहायक स्थिति (यू.पी.एस.एस.) या सामान्य स्थिति	यह दृष्टिकोण उन लोगों में से 'श्रमिकों' की पहचान करने का प्रयास करता है, जिन्हें यू.पी.एस. दृष्टिकोण के अधिक समय मानदंड के आधार पर 'बेरोजगार' या 'सेवाहर श्रम बल' के रुप में वर्गीकृत किया गया था। इस दृष्टिकोण के अनुसार वे सभी व्यक्ति जो या तो बेरोजगार हैं या श्रम बल से बाहर हैं,

	लेकिन संदर्भ वर्ष के दौरान कम से कम 30 दिनों की छोटी अवधि के लिए काम किया है, उन्हें सहायक स्थिति मज़दूर के रूप में वगीकृत किया गया है।
थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई)	थोक मूल्य सूचकांक लेनदेन के प्रारम्भिक चरण के स्तर पर थोक बिक्री के लिए वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन को मापता है।
श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यू.पी.आर)	श्रमिक जनसंख्या अनुपात कुल जनसंख्या में कार्यरत व्यक्तियों के प्रतिशत को परिभाषित करता है।

भाग – II

सांख्यिकीय सारणी

2024–25

विषय–सूची

सारणी	अध्याय का नाम	पृष्ठ सं.
1	चयनित संकेतक 1950–51 से 2021–22	1
2	सकल तथा निवल राज्य घरेलू उत्पाद	2
3	सकलराज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर /निवल राज्य घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय	3
4	सकल राज्य घरेलू उत्पाद बाजार कीमतों पर (प्रचलित किमतों पर)	4
5	बाजार कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स्थिर किमतों पर)	5
6	स्कल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर	6
7	हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या की प्रमुख विशेषताएं	7
8	क्षेत्र, जनसंख्या, लिंगानुपात व घनत्व का जिलावार	7
9	लिंगानुपात ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या-2011 जनगणना	8
10	मुख्य फसल का उत्पादन	8
11	पोषक तत्वों के सेवन में उर्वरकों का योगदान	9
12	जिला–वार अमली जोतों कीसंख्या तथा क्षेत्रफल	9
13	पशुधन तथा कुक्कट	10
14	मुख्य एंव गौण वन उपज का उत्पादन व मूल्य	10
15	वनों का क्षेत्रफल	11
16	उचित मूल्य की दुकानें	11
17	हिमाचल प्रदेश में तरल पेट्रोलियम गैस	12
18	हिमाचल प्रदेश में जिलावार पेट्रोल / डीजल की खुदरा दुकानें	12
19	गैस अभिकरणों का जिलावार / कंपनी वार विवरण	13
20	सहकारिता	14
21	विद्युत उत्पादन एवं खपत	15
22	फलों के उत्पादन का क्षेत्रफल	16
23	फलों का उत्पादन	16
24	हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी	17
25	पर्यटक आगमन वर्ष 2022	17
26	शिक्षा	18
27	चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य	18
28	सड़कें	19
29	राष्ट्रीय सड़क परिवहन	19
30	हिमाचल प्रदेश में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	20
31	थोक मूल्य के सभी भारतीय सूचकांक	20
32	अपराध की घटनाएं	21
33	विकास बजट परिव्यय	22

सारणी– 1

चयनित संकेतक **1950-51** से **2021-2022**

मद / वर्ष	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	2000-01	2011-12	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17
आर्थिक संकेतक																	
राज्य सकल घरेलु उत्पाद (₹ करोड)																	
(i) प्रचलित कीमतों पर	27*	48*	223*	794**	2815**	5661***	72720****	103772	114239	125634	138551	148383	159164	151905	170654	191659	210662
(ii) स्थिर कीमतों पर	..	..	..	794**	1285**	5004***	72720****	89060	96274	103055	109406	116414	121227	115894	121481	128779	137320
प्रति व्यक्ति आय (₹ में)																	
(i) प्रचलित कीमतों पर	240	359	651	1704**	4910**	22795***	87721****	123299	135512	150290	165497	174804	186559	173565	193392	214489	234782
(ii) स्थिर कीमतों पर	..	..	..	1704**	2241**	21959***	87721****	105241	112723	122208	129303	136292	140999	132015	137402	144807	154330
उत्पादन																	
(क) खाद्यान्न अनाज (लाख टन)				11.58	14.33	11.12	15.44	16.08	16.37	15.63	15.81	16.92	15.94	15.21	15.79	15.23	
(ख) फलों का उत्पादन (लाख टन)				1.4	3.86	4.28	3.73	7.52	9.29	6.12	5.65	4.95	8.45	6.24	7.53	8.14	
(ग) बिजली उत्पादन (मिलियन यूनिट)	0.4	..	52.8	245.1	1262	1153	1906	2097	1573	1596	1941	2063	2243	1955	2203	2157	
थोक मूल्य सूचकांक (आधार 2011–12 = 100)							100.0	113.9	109.7	111.6	114.9	119.8	121.8	123.4	139.4	152.5	
सामाजिक संकेतक																	
जनसंख्या (लाख में)	11.09	28.12	34.60	42.81	51.17	60.78	69.23	71.10	71.19	72.60	73.30	73.90	74.60	75.20	75.90	76.40	
साक्षरता दर (प्रतिशत)																	
(क) पुरुष	7.5	27.2	42.3	53.2	75.4	85.3	89.5										
(ख) महिला	2.9	6.2	20.0	31.5	52.1	67.4	75.9										
कुल	4.8	17.1	31.3	42.5	63.9	76.5	82.8										

*शुद्ध राज्य घरेलू उत्पान । **आधार 1980–81 *** आधार 1999–2000 ****आधार 2011–12

स्त्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

सारणी– 2
सकल तथा निवल राज्य घरेलू उत्पाद

(₹करोड़)

वर्ष	बाजार कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद		बाजार कीमतों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद		प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद / प्रति व्यक्ति आय (₹)	
	प्रचलित कीमतों पर	स्थिर कीमतों पर	प्रचलित कीमतों पर	स्थिर कीमतों पर	प्रचलित कीमतों पर	स्थिर कीमतों पर
1	2	3	4	5	6	7
1950-51*	27	27	27	27	240	..
1960-61*	48	35	48	35	359	..
1966-67*	138	91	138	91	440	..
1970-71*	223	223	223	223	651	..
1980-81	794	794	723	723	1704	..
1990-91	2815	1285	2522	1151	4910	..
(आधार 1993-94)						
1994-95	5825	5244	5193	4664	9451	8489
1995-96	6698	5569	5930	4921	10607	8801
1996-97	7755	5955	6803	5199	11960	9140
1997-98	8837	6335	7807	5571	13488	9625
1998-99	10696	6792	9508	5966	16144	10131
(आधार 1999-2000)						
1999-2000	14112	14112	12467	12467	20806	20806
2000-01	15661	15004	13853	13262	22795	21824
2001-02	17148	15786	15215	13938	24608	22543
2002-03	18905	16585	16751	14617	26627	23234
2003-04	20721	17925	18127	15596	28333	24377
(आधार 2004-05)						
2004-05	24077	24077	21189	21189	33348	33348
2005-06	27127	26107	23743	23009	36949	35806
2006-07	30281	28483	26247	24819	40393	38195
2007-08	33963	30917	28873	26362	43966	40143
2008-09	41483	33210	33115	27649	49909	41666
2009-10	48189	35897	39141	29149	58402	43492
2010-11	56980	39054	46216	31590	68297	46682
नई श्रृंखला (आधार 2011-12)						
2011-12	72720	72720	60536	60536	87721	87721
2012-13	82820	77384	69432	64519	99730	92672
2013-14	94764	82847	80129	69398	114095	98816
2014-15	103772	89060	87345	74553	123299	105241
2015-16	114239	96274	96850	80563	135512	112723
2016-17	125634	103055	108359	88112	150290	122208
2017-18	138551	109406	119704	93525	165497	129303
2018-19	148383	116414	127257	99221	174804	136292
2019-20	159164	121227	136692	103310	186559	140999
2020-21	151905	115894	127987	97348	173565	132015
2021-22	170654	121481	143400	101883	193392	137402
2022-23 (द्वितीय संशोधित अनुमान)	191659	128779	159858	107925	214489	144807
2022-23 (प्रथम संशोधित अनुमान)	210662	137320	175852	115593	234782	154330

नोट– *निवल राज्य घरेलू उत्पाद।

राज्य सकल घरेलू उत्पाद व निवल राज्य घरेलू उत्पाद 1950–51से 2010–11 तक कारक लागत पर।

स्त्रोतः आर्थिक एंव सांख्यिकी विभाग।



सारणी– 3
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर/ निवल राज्य घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय (प्रचलित तथा स्थिर कीमतों पर)

(प्रतिशत)

वर्ष	बाजार कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़)		बाजार कीमतों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद (₹करोड़)		प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद / प्रति व्यक्ति आय (₹)	
	प्रचलित कीमतों पर	स्थिर कीमतों पर	प्रचलित कीमतों पर	स्थिर कीमतों पर	प्रचलित कीमतों पर	स्थिर कीमतों पर
1	2	3	4	5	6	7
(आधार 1980-81)						
1990-91	15.6	3.9	15.5	2.5	12.3	(-)0.4
1991-92	17.8	0.4	18.0	0.6	15.9	(-)1.3
1992-93	15.3	5.6	14.7	4.6	12.2	2.5
(आधार 1993-94)						
1994-95	21.7	9.6	22.2	9.7	20.8	7.9
1995-96	15.0	6.2	14.2	5.5	12.3	3.7
1996-97	15.8	6.9	14.7	5.7	12.8	3.9
1997-98	13.9	6.4	14.8	7.1	12.8	5.3
1998-99	21.0	7.2	21.8	7.1	19.7	5.2
(आधार1999-2000)						
2000-01	10.9	6.3	11.1	6.4	9.6	4.9
2001-02	9.5	5.2	9.8	5.1	7.9	3.3
2002-03	10.2	5.1	10.1	4.9	8.2	3.5
2003-04	9.6	8.1	8.2	6.7	6.4	4.9
(आधार2004-05)						
2005-06	12.7	8.4	12.1	8.6	10.8	7.4
2006-07	11.6	9.1	10.5	7.9	9.3	6.7
2007-08	12.2	8.5	10.0	6.2	8.8	5.1
2008-09	22.1	7.4	14.7	4.9	13.5	3.8
2009-10	16.2	8.1	18.2	5.4	17.0	4.4
2010-11	18.2	8.8	18.1	8.4	16.9	7.3
नई श्रृंखला (आधार2011-12)						
2012-13	13.9	6.4	14.7	6.6	13.7	5.6
2013-14	14.4	7.1	15.4	7.6	14.4	6.6
2014-15	9.5	7.5	9.0	7.4	8.1	6.5
2015-16	10.1	8.1	10.9	8.1	9.9	7.1
2016-17	10.0	7.0	11.9	9.4	10.9	8.4
2017-18	10.3	6.2	10.5	6.1	10.1	5.8
2018-19	7.1	6.4	6.3	6.1	5.6	5.4
2019-20	7.3	4.1	7.4	4.1	6.7	3.5
2020-21	-4.6	-4.4	-6.4	-5.8	-7.0	-6.4
2021-22	12.3	4.8	12.0	4.7	11.4	4.1
2022-23 (द्वितीय संशोधित अनुमान)	12.3	6.0	11.5	5.9	10.9	5.4
2023-24 (प्रथम संशोधित अनुमान)	9.9	6.6	10.0	7.1	9.5	6.6

स्त्रोतः आर्थिक एंव सांख्यिकी विभाग।

सारणी – 4
सकल राज्य घरेलू उत्पाद बाजार कीमतों पर
(प्रचलित कीमतों पर) (₹करोड)

वर्ष	कृषि वानिकी तथा मत्स्य पालन, खनन तथा उत्खनन	विनिर्माण, निर्माण, बिजली, गैस तथा जलापूर्ति	परिवहन संचार तथा व्यापार	बैंकिंग तथा बीमा अचल संपत्ति तथा आवास व्यवसाय सेवाओं का स्वामित्व	लोक प्रशासन, रक्षा तथा अन्य सेवाएँ	आधार कीमतों पर सकल वर्धित मूल्य	उत्पाद कर (-)उत्पाद अनुदान	बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1950-51*	19	2	2	2	2	--	--	27
1960-61*	30	5	3	3	7	--	--	48
1966-67*	104	24	16	6	21	--	--	171
1970-71*	131	37	18	9	28	--	--	223
पुरानी श्रृंखला (आधार 1980-81)								
1980-81	376	156	67	79	116	--	--	794
1981-82	448	178	79	90	130	--	--	925
1982-83	437	206	85	103	156	--	--	987
1983-84	525	220	102	111	169	--	--	1127
1984-85	489	224	105	121	200	--	--	1139
1985-86	576	312	123	132	228	--	--	1371
1986-87	615	339	145	150	268	--	--	1517
1987-88	627	416	168	162	349	--	--	1722
1988-89	781	549	204	196	427	--	--	2157
1989-90	895	568	229	237	506	--	--	2435
1990-91	987	746	260	266	556	--	--	2815
1991-92	1243	841	316	301	616	--	--	3317
1992-93	1368	1014	378	371	693	--	--	3824
(आधार 1993-94)								
1993-94	1567	1313	569	502	831	--	--	4782
1994-95	1802	1875	683	570	895	--	--	5825
1995-96	1979	2246	783	622	1068	--	--	6698
1996-97	2229	2690	909	696	1231	--	--	7755
1997-98	2488	2958	1116	727	1548	--	--	8837
1998-99	2930	3560	1303	858	2045	--	--	10696
(आधार 1999-2k)								
1999-2000	3265	5162	1737	1286	2662	--	--	14112
2000-01	3954	5602	2056	1365	2684	--	--	15661
2001-02	4442	6095	2305	1552	2754	--	--	17148
2002-03	4657	6867	2742	1678	2961	--	--	18905
2003-04	5194	7468	2888	2042	3129	--	--	20721
(आधार 2004-05)						--	--	
2004-05	6197	9176	3468	1767	3469	--	--	24077
2005-06	6858	10373	4007	1918	3971	--	--	27127
2006-07	7010	12101	4235	2177	4758	--	--	30281
2007-08	7887	13507	5027	2405	5137	--	--	33963
2008-09	8316	17848	6141	2778	6400	--	--	41483
2009-10	9166	20679	7471	3268	7605	--	--	48189
2010-11	10914	24040	8347	3672	10007	--	--	56980
नई श्रृंखला (आधार 2011-12)								
2011-12	11913	30405	7576	9622	9887	69403	3317	72720
2012-13	13443	33935	8660	11346	11524	78908	3912	82820
2013-14	15262	38440	10285	13002	12369	89358	5406	94764
2014-15	15265	41617	11764	14724	13961	97331	6441	103772
2015-16	17393	45652	13141	15936	15135	107257	6982	114239
2016-17	18762	50237	14200	16897	17399	117495	8139	125634
2017-18	16473	56692	15862	18008	19563	126599	11952	138551
2018-19	18207	62381	17513	19687	21196	138984	9399	148383
2019-20	23340	63013	18927	20288	23474	149042	10122	159164
2020-21	21261	61681	15629	21125	23389	143085	8820	151905
2021-22	22957	67187	19878	24347	25119	159487	11167	170654
2022-23 (द्वितीय संशोधित अनुमान)	24044	72383	23647	27637	31664	179374	12285	191659
2023-24 (प्रथम संशोधित अनुमान)	29124	79017	25872	30347	33280	197640	13022	210662

नोट–*निवल राज्य घरेलू उत्पाद।
राज्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद व निवल राज्य घरेलू उत्पाद 1950–51 से 2010–11 तक कारक लागत पर।
स्त्रोतः आर्थिक एंव सांख्यिकी विभाग।

सारणी – 5
बाजार कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद
(स्थिर कीमतों पर)

(₹करोड)

वर्ष	कृषि वानिकी तथा मत्स्य पालन, खनन तथा उत्खनन	विनिर्माण, निर्माण, बिजली, गैस तथा पानी की आपूर्ति	परिवहन संचार तथा व्यापार	बैंकिंग तथा बीमा अचल संपत्ति तथा आवास व्यवसाय सेवाओं का स्वामित्व	लोक प्रशासन, रक्षा तथा अन्य सेवाएँ	आधार कीमतों पर सकल वर्धित मूल्य	उत्पाद कर (-) उत्पाद अनुदान	बजार कीमतों लागत पर सकल घरेलू उत्पाद
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1950-51*	19	2	2	2	2	--	--	27
1960-61*	20	5	3	0	7	--	--	35
1966-67*	57	18	9	4	13	--	--	101
1970-71*	131	37	18	9	28	--	--	223
(आधार 1980-81)								
1980-81	376	156	67	79	116	--	--	794
1981-82	405	164	72	84	116	--	--	841
1982-83	355	173	74	88	128	--	--	818
1983-84	396	168	81	92	124	--	--	861
1984-85	343	161	78	95	137	--	--	814
1985-86	387	207	85	100	147	--	--	926
1986-87	417	208	95	113	158	--	--	991
1987-88	360	235	98	119	188	--	--	1000
1988-89	400	288	108	116	212	--	--	1124
1989-90	488	265	112	139	234	--	--	1238
1990-91	484	316	117	141	227	--	--	1285
1991-92	465	323	124	152	226	--	--	1290
1992-93	469	362	135	162	234	--	--	1362
(आधार 1993-94)								
1993-94	1567	1313	569	502	831	--	--	4782
1994-95	1590	1686	625	532	811	--	--	5244
1995-96	1622	1856	669	535	886	--	--	5568
1996-97	1646	2084	712	578	935	--	--	5955
1997-98	1673	2179	791	597	1095	--	--	6335
1998-99	1692	2324	867	631	1278	--	--	6792
(आधार 1999-2000)								
1999-2000	3265	5162	1737	1286	2662	--	--	14112
2000-01	3773	5437	1920	1252	2622	--	--	15004
2001-02	4093	5694	2080	1336	2583	--	--	15786
2002-03	4184	6153	2186	1370	2692	--	--	16585
2003-04	4671	6544	2356	1582	2772			17925
(आधार 2004-05)								
2004-05	6197	9176	3468	1767	3469	--	--	24077
2005-06	6578	9960	3820	1958	3791	--	--	26107
2006-07	6539	11315	4078	2270	4282	--	--	28484
2007-08	7118	12371	4488	2513	4427	--	--	30917
2008-09	7059	13547	5179	2625	4800	--	--	33210
2009-10	6340	15390	5757	3040	5370	--	--	35897
2010-11	7496	15987	5999	3578	5994	--	--	39054
नई श्रृंखला (आधार 2011-12)								
2011-12	11913	30405	7576	9622	9887	69403	3317	72720
2012-13	12725	32049	8040	10598	10714	74126	3258	77384
2013-14	13954	34223	9134	11203	10775	79289	3558	82847
2014-15	13525	37551	10099	12354	11573	85102	3958	89060
2015-16	14674	40724	11460	12793	12275	91926	4348	96274
2016-17	14478	44934	12075	13351	13479	98317	4738	103055
2017-18	13748	49485	12684	13688	14525	104130	5277	109407
2018-19	14186	53092	13054	14632	15049	110012	6402	116414
2019-20	16764	52885	13902	14635	15920	114106	7121	121227
2020-21	15677	50623	13134	14542	15324	109299	6595	115894
2021-22	16129	52273	14228	15991	15823	114444	7037	121481
2022-23 (द्वितीय संशोधित अनुमान)	16402	55040	15308	16852	18303	121906	6873	128779
2023-24 (प्रथम संशोधित अनुमान)	16116	60239	16845	17562	19075	129836	7484	137320

नोट–*निवल राज्य घरेलू उत्पाद।

राज्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद व निवल राज्य घरेलू उत्पाद 1950–51 से 2010–11 तक कारक लागत पर।

स्त्रोतः आर्थिक एंव सांख्यिकी विभाग।

सारणी –6

सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर (स्थिर कीमतों पर)

(प्रतिशत)

वर्ष	कृषि वानिकी तथा मत्स्य पालन, खनन तथा उत्खनन	विनिर्माण, निर्माण, बिजली, गैस तथा पानी की आपूर्ति	परिवहन संचार तथा व्यापार	बैंकिंग तथा बीमा अचल संपत्ति तथा आवास व्यवसाय सेवाओं का स्वामित्व	लोक प्रशासन, रक्षा तथा अन्य सेवाएँ	बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद
1	2	3	4	5	6	7
(आधार 1980-81)						
1981-82	8.3	5.1	7.7	6.3	0	5.9
1982-83	12.6	5.5	2.8	4.7	10.3	(-) 2.7
1983-84	11.5	2.9	9.5	4.5	3.1	5.3
1984-85	13.4	4.8	3.7	3.3	10.5	(-) 5.5
1985-86	13.1	29.4	8.8	5.3	7.3	13.8
1986-87	7.5	0.5	11.8	13	7.5	7
1987-88	13.7	13	3.2	5.3	18.1	0.9
1988-89	11.1	22.6	10.2	2.5	12.8	12.4
1989-90	22	(-) 8.0	3.7	18.1	10.4	10.1
1990-91	(-)0.8	19.3	4.5	2.9	2.1	3.8
1991-92	3.9	2.2	5.1	7.8	0.4	0.4
1992-93	0.9	12.1	8.9	6.7	3.5	5.6
(आधार 1993-94)						
1994-95	1.2	28.4	9.9	5.9	(-) 2.5	9.6
1995-96	2	10.1	7.1	0.5	9.3	6.2
1996-97	1.5	12.3	6.5	8	5.5	6.9
1997-98	1.6	4.5	10.9	3.3	17.1	6.4
1998-99	1.2	6.6	9.6	5.7	16.6	7.2
(आधार 1999-2k)						
2000-01	15.6	5.3	10.5	(-) 2.6	(-) 1.5	6.3
2001-02	8.5	4.7	8.3	6.7	(-) 1.5	5.2
2002-03	2.2	8.1	5.1	2.5	4.2	5.1
2003-04	11.6	6.4	7.8	15.5	3	8.1
(आधार 2004-05)						
2005-06	6.1	8.5	10.2	10.8	9.3	8.4
2006-07	(-) 0.6	13.6	6.8	15.9	12.9	9.1
2007-08	8.9	9.3	10.1	10.7	3.4	8.5
2008-09	(-) 0.8	9.5	15.4	4.5	8.4	7.4
2009-10	(-)10.2	13.6	11.2	15.8	11.9	8.1
2010-11	18.2	3.9	4.2	17.7	11.6	8.8
श्रृंखला (आधार 2011-12)						
2012-13	6.8	5.4	6.1	10.1	8.4	6.4
2013-14	9.7	6.8	13.6	5.7	0.6	7.1
2014-15	(-)3.1	9.7	10.6	10.3	7.4	7.5
2015-16	8.5	8.4	13.5	3.6	6.1	8.1
2016-17	(-)1.3	10.3	5.4	4.4	9.8	7
2017-18	(-)5.0	10.1	5	2.5	7.8	6.2
2018-19	3.2	7.3	2.9	6.9	3.6	6.4
2019-20	18.2	-0.4	6.5	0.0	5.8	4.1
2020-21	-6.5	-4.3	-5.5	-0.6	-3.7	-4.4
2021-22	2.9	3.3	8.3	10.0	3.3	4.8
2022-23(द्वितीय संशोधित अनुमान)	1.7	5.3	7.6	5.4	15.7	6.0
2023-24(प्रथम संशोधित अनुमान)	-1.7	9.4	10.0	4.2	4.2	6.6

स्रोत: आर्थिक एंव सांख्यिकी विभाग।

सारणी–7

हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या की प्रमुख विशेषताएं

वर्ष	कुल जनसंख्या (लाख में)	दस–वार्षिक विकास दर	लिंगानुपात (महिलाएं प्रति हजार पुरुष)	प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व	साक्षरता प्रतिशत	शहरी जनसंख्या प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1951	23.86	5.42	912	43	..	4.1
1961	28.12	17.87	938	51	21.27	6.3
1971	34.60	23.04	958	62	31.96	7.0
1981	42.81	23.71	973	77	42.48	7.6
1991	51.71	20.79	976	93	63.86	8.7
2001	60.78	17.54	968	109	76.48	9.8
2011	68.65	12.94	972	123	82.80	10.0

स्रोत: भारत की जनगणना 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 तथा 2011.

सारणी–8

क्षेत्र, जनसंख्या, लिंगानुपात व घनत्व का जिलावार

2011 की जनगणना

जिला	क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर		जनसंख्या		लिंगानुपात (महिलाएं प्रति हजार पुरुष)	प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व
1.	2.		3.		4.	5.
बिलासपुर	1,167	(2.10)	3,81,956	(5.56)	981	327
चंबा	6,522	(11.71)	5,19,080	(7.56)	986	80
हमीरपुर	1,118	(2.01)	4,54,768	(6.63)	1095	407
कांगड़ा	5,739	(10.31)	15,10,075	(22.00)	1012	263
किन्नौर	6,401	(11.50)	84,121	(1.23)	819	13
कुल्लू	5,503	(9.88)	4,37,903	(6.38)	942	80
लाहौल–स्पीति	13,841	(24.86)	31,564	(0.46)	903	2
मंडी	3,950	(7.09)	9,99,777	(14.56)	1007	253
शिमला	5,131	(9.22)	8,14,010	(11.86)	915	159
सिरमौर	2,825	(5.07)	5,29,855	(7.72)	918	188
सोलन	1,936	(3.48)	5,80,320	(8.45)	880	300
ऊना	1,540	(2.77)	5,21,173	(7.59)	976	338
हिमाचल प्रदेश	**55,673**	**(100.00)**	**68,64,602**	**(100.00)**	**972**	**123**

स्रोत: भारत की जनगणना, 2011

सारणी–9

लिंगानुपात ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या-2011 जनगणना

जिला	जनसंख्या								
	ग्रामीण			शहरी			कुल		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
बिलासपुर	179653	177174	356827	13111	12018	25129	192764	189192	381956
चंबा	241963	241009	482972	19357	16751	36108	261320	257760	519080
हमीरपुर	200748	222590	423338	16322	15108	31430	217070	237698	454768
कांगड़ा	705365	718429	1423794	45226	41055	86281	750591	759484	1510075
किन्नौर	46249	37872	84121	0	0	0	46249	37872	84121
कुल्लू	203269	193243	396512	22183	19208	41391	225452	212451	437903
लाहौल–स्पीति	16588	14976	31564	0	0	0	16588	14976	31564
मंडी	466050	471090	937140	32015	30622	62637	498065	501712	999777
शिमला	314295	298364	612659	110744	90607	201351	425039	388971	814010
सिरमौर	246175	226515	472690	30114	27051	57165	276289	253566	529855
सोलन	249736	228437	478173	59018	43129	102147	308754	271566	580320
ऊना	240254	236006	476260	23438	21475	44913	263692	257481	521173
हिमाचल प्रदेश	**3110345**	**3065705**	**6176050**	**371528**	**317024**	**688552**	**3481873**	**3382729**	**6864602**

स्रोत: भारत की जनगणना-2011

सारणी–10

मुख्य फसल का उत्पादन

('000 टन में)

फसलें	2021-22	2022-23	2023-24 (अनंतिम)	2024-25 (लक्ष्य)
1.	2.	3.	4.	5.
खाद्यान्न (अनाज एंव दाले)				
क. अनाज				
1. चावल	151.39	130.06	172.86	161.82
2. मक्का	703.26	680.65	607.94	628.18
3. रागी	1.06	1.07	0.96	0.90
4. छोटे अनाज	1.41	1.33	1.30	2.29
5. गेहूँ	642.24	614.15	782.66	628.00
6. जौ	28.28	26.42	30.72	30.00
कुल–अनाज	**1527.64**	**1453.68**	**1596.44**	**1451.19**
ख. दालें				
1. चना	0.27	0.20	0.19	0.37
2. अन्य दालें	51.51	44.00	46.92	52.79
कुल दालें	**51.78**	**44.20**	**47.11**	**53.16**
कुल– खाद्यान्न	**1579.41**	**1497.88**	**1643.55**	**1504.35**
1. आलू	**195.15**	**194.50**	**195.09**	**195.00**
2. सब्जियाँ	**1803.89**	**1867.41**	**1849.80**	**1870.00**
3. अदरक	**33.94**	**32.80**	**33.15**	**34.00**

स्रोतः कृषि निदेशालय, हिमाचल प्रदेश

सारणी–11

पोषक तत्वों के सेवन में उर्वरकों का योगदान

(मीट्रिक टन)

वर्ष / जिला	खरीफ (एन+पी+के)	रवी (एन+पी+के)	कुल (एन+पी+के)
1	2	3	4
2018-19	21690	35865	57555
2019-20	25898	35880	61778
2020-21	29269	35973	65242
2021-22	26369	31524	57894
2022-23	27479	30373	57852
2023-24	**19238**	**32232**	**51470**
जिलावार			
बिलासपुर	931	1099	2030
चंबा	745	467	1212
हमीरपुर	1149	895	2044
कांगड़ा	2564	4733	7297
किन्नौर	80	247	327
कुल्लू	1123	4069	5192
लाहौल–स्पीति	271	160	431
मंडी	2021	3584	5605
शिमला	3897	7644	11541
सिरमौर	1668	2326	3994
सोलन	1447	1879	3326
ऊना	3342	5129	8471

स्रोत: कृषि निदेशालय, हिमाचल प्रदेश

सारणी–12

जिला–वार कार्यरत जोतों की संख्या तथा क्षेत्रफल

(2015-16 कृषि गणना)

जिला	संख्या	क्षेत्रफल (हैक्टर)
1.	2.	3.
बिलासपुर	59201	49073
चंबा	72221	54866
हमीरपुर	75950	72943
कांगड़ा	235735	197091
किन्नौर	10983	13684
कुल्लू	77163	39974
लाहौल–स्पीति	4267	6710
मंडी	160500	124429
शिमला	121971	118893
सिरमौर	51815	98095
सोलन	55609	85335
ऊना	71394	83133
हिमाचल प्रदेश	**996809**	**944226**

स्रोतः भू-अभिलेख निदेशालय, हिमाचल प्रदेश

सारणी–13

पशुधन तथा कुक्कट

(हजारों में)

वर्ग	2003	2007	2012	2019
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**
क .पशुधन				
1. मवेशी	2,196	2,269	2,149	1,828
2. भैंस	773	762	716	647
3. भेड़	906	901	805	791
4. बकरियाँ	1,116	1,241	1,119	1,108
5. घोड़ा तथा छोटा घोड़ा	17	13	15	9
6. खच्चर तथा गधा	33	26	31	25
7. सूअर	3	2	5	2
8. अन्य पशुधन	2	2	4	3
कुल पशुधन	5,046	5,216	4,844	4,413
ख .कुक्कट	764	809	1,104	1,342

स्रोतः पशुपालन निदेशालय, हिमाचल प्रदेश

सारणी–14

मुख्य एंव गौण वन उपज का उत्पादन व मूल्य

वर्ष	मुख्य उत्पाद		गौण उत्पाद वनोपज (₹'000 में मूल्य)		
	इमारती लकड़ी ('000 घन मीटर)	ईंधन (टन)	बिरोजा	चारा व चराई	अन्य उत्पाद
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**
2011-12	146.1	18	1,02,457	947	80,141
2012-13	207.1	33	76,278	918	1,68,374
2013-14	245.1	39	85,451	878	2,10,615
2014-15	242.3	775	83,262	1,035	2,29,280
2015-16	148.2	..	94,249	542	5,69,832
2016-17	225.1	..	84,434	382	4,37,722
2017-18	226.5	..	74,655	646	3,51,587
2018-19	187.6	50	58,809	401	4,14,361
2019-20	230.8	178	59,510	582	6,32,175
2020-21	196.02	183	45,938	487	4,11,227
2021-22	126.65	183	45,938	487	4,11,227
2022-23 #	158.83	1.31	2,76,840	894	5,71,185
2023-24 #(संभावित)	164.88	2.05	3,59,400	764	9,10,291

स्रोत: वन विभाग, हिमाचल प्रदेश

*केवल हमीरपुर सर्किल में एकत्रित या निकासी की गई लकड़ी ।

नोटः बांस और रसिन का मूल्य विभाग द्वारा एच.पी.एस.इ.डी.सी. लिमिटेड द्वारा निर्धारित दर के अनुसार गणना किया गया है, जबकि औषधीय जड़ी–बूटियों का मूल्य अनुमानित है।

#(संभावित)

सारणी–15

वनों का क्षेत्रफल

(वर्ग किलोमीटर)

वर्ष	आरक्षित वन	संरक्षित वन	गैर वर्गीकृत वन	अन्य वन	वन विभाग के नियंत्रण के अधीन न आने वाले वन	कुल
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2010-11	1,898	33,130	886	369	750	**37,033**
2011-12	1,896	33,123	886	370	758	**37,033**
2012-13	1,896	33,123	886	370	758	**37,033**
2013-14	1,898	33,123	886	369	750	**37,033**
2014-15	1,898	33,130	886	369	750	**37,033**
2015-16	1,898	33,130	886	369	750	**37,033**
2016-17	1,898	33,130	886	369	750	**37,033**
वर्ष	आरक्षित वन	संरक्षित वन	अन्य वन	गैर–सीमांकित संरक्षित वन	वन विभाग के नियंत्रण के अधीन न आने वाले वन	कुल
2017-18*	1,883	12,852	7,160	16,035	18	**37,948**
2018-19*	1,883	12,852	7,160	16,035	18	**37,948**
2019-20*	1,883	12,852	7,160	16,035	18	**37,948**
2020-21*	1,883	12,852	7,160	16,035	18	**37,948**
2021-22*	1,883	12,852	7,160	16,035	18	**37,948**
2022-23	1,883	12,852	7,160	16,035	18	**37,948**
2023-24	1,883	12,852	7,160	16,035	18	**37,948**

स्रोत: वन विभाग, हिमाचल प्रदेश

* अस्थायी

नोट: अन्य वनों में अवर्गीकृत, शामलात, सहकारी वन समितियां, चारागाह बिल्ला द्रख्तन, पट्टी वन आदि शामिल हैं।

सारणी–16

उचित मूल्य की दुकानें

(31.12.2024 तक)

जिला	ग्रामीण	शहरी	कुल
1.	2.	3.	4
बिलासपुर	242	9	251
चंबा	498	18	516
हमीरपुर	292	24	316
कांगड़ा	1053	82	1135
किन्नौर	68	0	68
कुल्लू	448	34	482
लाहौल–स्पीति	65	0	65
मंडी	789	58	847
शिमला	534	78	612
सिरमौर	350	27	377
सोलन	294	48	342
ऊना	283	36	319
हिमाचल प्रदेश	**4,916**	**414**	**5,330**

स्रोत: खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले, हिमाचल प्रदेश.

सारणी –17

हिमाचल प्रदेश में तरल पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.) उपभोक्ता

(31.12.2024 तक)

जिला	एस. बी. सी.	डी. बी. सी.	कुल
1.	**2.**	**3.**	**4.**
बिलासपुर	64,318	78,929	1,43,247
चंबा	1,10,955	48,921	1,59,876
हमीरपुर	60,139	90,332	1,50,471
कांगड़ा	2,76,004	2,70,757	5,46,761
किन्नौर	9,686	21,658	31,344
कुल्लू	58,749	88,270	1,47,019
लाहौल–स्पीति	3,749	10,262	14,011
मंडी	1,58,632	1,89,199	3,47,831
शिमला	94,221	2,11,723	3,05,944
सिरमौर	80,122	78,239	1,58,361
सोलन	65,015	1,36,408	2,01,423
ऊना	67,491	94,295	1,61,786
हिमाचल प्रदेश	**10,49,081**	**13,18,993**	**23,68,074**

स्रोत: खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले, हिमाचल प्रदेश

सारणी–18

हिमाचल प्रदेश में जिलावार पेट्रोल / डीजल की खुदरा दुकानें

(31.12.2024 तक)

जिला	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन	भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड	हिन्दुतान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड	अन्य	कुल
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**
बिलासपुर	26	16	19	9	70
चंबा	12	3	6	0	21
हमीरपुर	23	7	14	10	54
कांगड़ा	68	24	19	9	120
किन्नौर	4	0	2	0	6
कुल्लू	16	6	6	1	29
लाहौल–स्पीति	3	0	0	0	3
मंडी	38	10	14	10	72
शिमला	33	8	20	7	68
सिरमौर	16	9	10	5	40
सोलन	40	20	21	9	90
ऊना	40	12	22	9	83
हिमाचल प्रदेश	**319**	**115**	**153**	**69**	**656**

स्रोत: खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले, हिमाचल प्रदेश.

सारणी–19

गैस अभिकरणों का जिलावार / कंपनी वार विवरण

(31.12.2024 तक)

जिला	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन	भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड	हिन्दुतान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड	आई. बी. पी. सी.	कुल
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	6.
बिलासपुर	10	-	4	-	14
चंबा	7	2	1	-	10
हमीरपुर	10	-	-	-	10
कांगड़ा	23	3	10	-	36
किन्नौर	5	-	1	-	6
कुल्लू	6	5	2	-	13
लाहौल–स्पीति	2	1	-	-	3
मंडी	21	5	2	-	28
शिमला	24	3	2	-	29
सिरमौर	13	1	2	-	16
सोलन	11	3	5	-	19
ऊना	8	2	2	-	12
हिमाचल प्रदेश	**140**	**25**	**31**	**-**	**196**

स्रोत: खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले, हिमाचल प्रदेश

सारणी–20
सहकारिता

मद	2021-22	2022-23	2023-24
1.	2.	3.	4.
I. संस्थायें (संख्या):			
कृषि	2144	2179	2226
गैर–कृषि	2692	2928	2943
शहरी बैंक	5	5	5
राज्य तथा केंद्रीय बैंक	4	4	4
अन्य माध्यमिक संस्थायें	36	40	63
कुल	**4881**	**5156**	**5241**
II. सदस्यता ('000)			
कृषि संस्थायें	1343	1351	1371
गैर–कृषि संस्थायें	386	390	395
शहरी बैंक	28	30	30
राज्य तथा केंद्रीय बैंक	139	140	145
अन्य माध्यमिक संस्थायें	3	4	5
कुल	**1899**	**1915**	**1946**
III. कार्यशील पूंजी (₹लाखों में)			
कृषि संस्थायें	757818.29	901832.41	828111.09
गैर–कृषि संस्थायें	350902.56	370154.32	104395.66
शहरी बैंक	142177.90	149817.36	80053.15
राज्य तथा केंद्रीय बैंक	3345325.88	3634504.70	3801033.00
अन्य माध्यमिक संस्थायें	5079.52	5126.18	4594.99
कुल	**4601304.15**	**5061434.17**	**4818187.89**
IV. दिए गए ऋण (₹लाखों में)			
कृषि संस्थायें	65733.38	109540.00	69954.34
गैर–कृषि संस्थायें	7327.73	23231.36	30163.54
शहरी बैंक	17914.17	7872.06	17622.20
तथा राज्य तथा केंद्रीय बैंक	924713.80	363425.60	671035.00
कुल	**1015689.08**	**504069.02**	**788775.08**
V. बकाया ऋण (₹लाखों में)			
कृषि संस्थायें	139681.31	187406.60	137040.45
गैर–कृषि संस्थायें	44247.56	51279.14	44548.08
शहरी बैंक	81608.09	74099.03	42630.70
प्राथमिक भूमि बंधक बैंक तथा राज्य तथा केंद्रीय बैंक	1229508.09	852593.20	1509363.00
कुल	**1495045.05**	**1165377.97**	**1733582.23**

स्रोतः सहकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश.

सारणी–21

विद्युत उत्पादन एवं खपत

(मीट्रिक इकाई)

क्र0सं0	मद्	2022-23	2023-24	2024-25 (दिसंबर, 2024 तक)
1	2	3	4	5
1	उत्पादित विद्युत	**2157.468**	**1664.57**	**1528.32**
2	बी.बी.एम.बी. तथा अन्य राज्यों से क्रय की गई विद्युत	**13551.85**	**13566.67**	**-**
3	राज्य में खपत की गई विद्युत	2619.823	2724.49	2129.76
क	घरेलू	176.797	186.00	132.61
ख	गैर घरेलू गैर व्यावसायिक	710.04	737.67	559.11
ग	व्यावसायिक	6382.637	6616.48	5203.85
घ	सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था	11.297	12.97	9.21
ङ	कृषि	90.93	79.40	75.44
च	उद्योग	167.714	192.83	123.37
छ	सरकारी सिचाई एवं पेयजल योजना	738.868	738.93	612.05
ज	अस्थाई आपूर्ति	57.726	54.66	44.01
झ	बल्क तथा विविध	0.001	1.27	1.94
ञ	विद्युत वाहन	**10955.833**	**11344. 69**	**8891.34**
4	राज्य के बाहर	**2969.18**	**2532.48**	**-**
	कुल खपत/बेची गई	**13925.013**	**13877.17**	**-**

स्रोत: राज्य विद्युत बोर्ड, हिमाचल प्रदेश

सारणी–22
फलों के उत्पादन का क्षेत्रफल

(हेक्टेयर)

वर्ष	सेब	मेवे तथा सूखे फल	नींबू प्रजाति	अन्य फल	कुल
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2010-11	1,01,485	11,022	22,305	76,483	**2,11,295**
2011-12	1,03,644	11,039	22,396	77,495	**2,14,574**
2012-13	1,06,440	10,902	22,809	78,152	**2,18,303**
2013-14	1,07,686	10,819	23,110	79,091	**2,20,706**
2014-15	1,09,553	10,621	23,704	80,474	**2,24,352**
2015-16	1,10,679	10,491	24,063	81,566	**2,26,799**
2016-17	1,11,896	10,364	24,475	82,467	**2,29,202**
2017-18	1,12,634	10,301	24,649	83,268	**2,30,852**
2018-19	1,13,154	10,194	24,869	83,922	**2,32,139**
2019-20	1,14,144	10,070	25,051	84,035	**2,33,300**
2020-21	1,14,646	10,029	25,654	84,450	**2,34,779**
2021-22	1,15,016	9,786	26,096	84,887	**2,35,785**
2022-23	1,15,680	9,583	26,370	84,833	**2,36,466**
2023-24	1,16,240	9,277	26,432	85,001	**2,36,950**

स्रोत: बागवानी विभाग, हिमाचल प्रदेश

सारणी–23
फलों का उत्पादन

('000 टन)

वर्ष	सेब	नींबू प्रजाति	मेवे तथा सूखे फल	अन्य फल	कुल
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2011-12	275.04	25.03	2.49	70.26	**372.82**
2012-13	412.39	24.32	2.81	116.19	**555.71**
2013-14	738.72	22.27	3.48	101.87	**866.34**
2014-15	625.20	22.17	2.41	102.16	**751.94**
2015-16	777.13	26.62	3.37	121.71	**928.83**
2016-17	468.13	28.05	2.99	112.71	**611.88**
2017-18	446.57	26.85	3.38	88.50	**565.31**
2018-19	368.60	29.34	3.65	93.77	**495.36**
2019-20	715.25	32.11	4.25	93.82	**845.42**
2020-21	481.06	33.29	4.69	105.45	**624.49**
2021-22	611.90	32.93	3.68	105.46	**753.98**
2022-23	672.34	31.94	3.27	107.06	**814.61**
2023- 24	506.69	35.31	3.11	92.12	**637.23**
2024-25	497.41	7.83	1.43	86.15	**592.81**

स्रोत: बागवानी विभाग, हिमाचल प्रदेश

सारणी–24

हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी

31 मार्च तक	नियमित	अंशकालिक कर्मचारी	वर्क चार्जड	दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी
1.	2.	3.	4.	5.
2008	1,82,746	13,168	5,904	14,824
2009	1,89,065	13,050	2,167	11,908
2010	1,90,560	13,088	0	11,551
2011	1,87,604	11,639	0	10,170
2012	1,87,419	11,780	0	9,979
2013	1,84,761	8,153	0	12,337
2014	1,83,600	7,750	0	11,599
2015	1,82,049	6,312	0	11,512
2016	1,78,744	5,687	0	10,950
2017	1,77,338	4,666	0	10,578
2018	1,81,376	4,048	0	7,760
2019	1,81,231	3,334	0	7,253
2020	1,81,379	3,619	0	6,256
2021	1,87,899	3,086	0	4,930
2022	1,90,137	2,430	0	4,412
2023	1,85,698	5,726	0	4,593
2024	1,80,800	6,015	0	3,715

नोट: अनुबंध, तदर्थ तथा स्वयंसेवी कर्मचारी के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश

सारणी–25

पर्यटक आगमन वर्ष 2024

जिला	भारतीय	विदेशी	कुल
1.	2.	3.	4.
बिलासपुर	1004480	0	1004480
चंबा	1191767	993	1192760
हमीरपुर	763827	2	763829
कांगड़ा	774440	26195	800635
किन्नौर	417386	3921	421307
कुल्लू	3538530	13295	3551825
लाहौल–स्पीति	1055239	7504	1062743
मंडी	1515747	995	1516742
शिमला	2576955	27034	2603989
सिरमौर	1577166	415	1577581
सोलन	2393491	2376	2395867
ऊना	1232901	35	1232936
हिमाचल प्रदेश	**18041929**	**82765**	**18124694**

स्रोत: पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग, हिमाचल प्रदेश

सारणी–26
शिक्षा

कार्यरत शैक्षणिक संस्थानों की संख्या	2024-25 दिसंबर, 2024 तक
1.	2.
1. प्राथमिक	9,943
2. माध्यमिक	1,786
3. उच्च विद्यालय	961
4. उच्च माध्यमिक विद्यालय	1,988
5. डिग्री महाविद्यालय	145
कुल	**14,825**

स्रोत: शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश ।

सारणी–27
चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य

मद	2022-23	2023-24	2024-25 (दिसंबर, 2024 तक)
1.	2.	3.	4.
1.एलोपैथिक संस्थान			
(i) संस्थानों की संख्या			
(क)अस्पताल	108	115	115
(ख)सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	104	106	106
(ग)प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	580	583	585
(घ) ईएसआई डिस्पेंसरी	16	16	24
कुल	**808**	**820**	**830**
(ii) उपलब्ध बिस्तर	15,618	16,699	16,699
2. आयुर्वेदिक संस्थान			
(क) स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय	1	1	1
(ख) फार्मास्युटिकल साइंस महाविद्यालय	1	1	1
(ग) क्षेत्रीय अस्पताल	2	2	2
(घ) आयुर्वेदिक अस्पताल	31	31	32
(ङ) प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र	1	1	1
(च) आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र	1185	1185	1185
(छ) अनुसंधान संस्थान हर्बल गार्डन	4	4	4
(ज) औषधि परीक्षण प्रयोगशाला	1	1	1
(झ) आयुर्वेदिक फार्मेसी	3	3	3
(ञ) आमची स्वास्थ्य केंद्र	4	4	4
(ii) आयुर्वेदिक संस्थानों में उपलब्ध बिस्तर	775	790	790
3. युनानी औषधालयों की संख्या	3	3	3
4. होम्योपैथी औषधालयों की संख्या	14	14	14

स्रोत: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आयुर्वेद निदेशालय, हिमाचल प्रदेश।

सारणी–28

सड़कें

(किलोमीटर में)

सड़क के प्रकार	2023-24	2024-25 (दिसम्बर, 2024 तक)
1.	2.	3.
1. फोर लेन	262	262
2. दोहरी सड़कें	2,027	2,027
3. एकहरी सड़कें	38,414	39,163
4. जीप चलने योग्य सड़कें	1272	1327
5. जीप चलने अयोग्य सड़कें	0	0
कुल	**41,975**	**42,779**

स्रोत: लोक निर्माण विभाग हिमाचल प्रदेश।

नोट: आंकड़ों में राष्ट्रीय राजमार्ग भी शामिल हैं।

सारणी–29

राष्ट्रीय सड़क परिवहन

वर्ष	मोटर वाहनों की संख्या							संचालित मार्गों की संख्या	परिचालित की गई दूरी ('000 किलोमीटर)
	बसें	संलग्न बसें	इलेक्ट्रिक बसें	टैक्सियां	इलेक्ट्रिक टैक्सी	अन्य	कुल		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2013-14	2,054	33	0	0	0	52	2,139	2,142	1,71,647
2014-15	2,447	33	0	0	0	50	2,530	2,225	1,79,396
2015-16	2,645	34	0	0	0	85	2,764	2,325	1,88,292
2016-17	3,105	53	0	0	0	77	3,235	2,573	2,11,519
2017-18	3,110	62	0	0	0	86	3,258	2,723	2,27,767
2018-19	3,078	69	40	21	50	92	3,350	2,833	2,31,155
2019-20	3,093	76	75	21	50	95	3,410	2,953	2,22,646
2020-21	3,099	51	75	21	50	92	3,391	2,350	77,767
2021-22	3,103	48	75	21	50	99	3,396	2,170	1,437,17
2022-23	3,142	31	75	38	50	106	3,442	2,813	2,08,837
2023-24	3,180	23	110	47	50	56	3,343	3,466	1,99,559
2023-24 सितम्बर तक	3,079	20	110	47	50	52	3,336	3,358	69,918

स्रोत: हिमाचल पथ परिवहन निगम, शिमला।

सारणी–30

हिमाचल प्रदेश में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

वर्ष/माह	औद्योगिक श्रमिकों के लिए आधार : 2016 = 100	
	सामान्य सूचकांक	खाद्य सूचकांक
1.	2.	3.
2021	123	120
2022	130	128
2023	132.5	131.8
2024	135.9	140.2
जनवरी	132.5	133.0
फरवरी	133.9	135.1
मार्च	133.8	136.4
अप्रैल	133.0	134.7
मई	132.8	134.2
जून	134.0	137.3
जुलाई	136.1	141.1
अगस्त	136.0	140.8
सितंबर	138.0	144.2
अक्तूबर	139.9	149.0
नवंबर	140.0	149.4
दिसंबर	140.2	146.8

स्रोत: श्रम ब्यूरो भारत सरकार

सारणी–31

थोक मूल्य के भारतीय सूचकांक

मद	(आधार : 2011-12=100)		
	2021-22	2022-23	2023-24
1.	2.	3.	4.
सभी वस्तुएं	**139.4**	**152.5**	**151.4**
I. मुख्य सामग्री :	**160.7**	**176.8**	**183**
(क) खाद्य सामग्री :	167.3	179.5	191.3
(ख) गैर–खाद्य सामग्री :	158.1	172.1	162.4
(ग) खनिज	197.2	203.5	217.7
II. ईंधन, बिजली, प्रकाश तथा स्नेहक	**124.6**	**159.5**	**152**
III. विनिर्मित उत्पाद	**135**	**142.6**	**140.2**
(क) खाद्य उत्पादों	157.9	165.3	160.5
(ख) पेय पदार्थ, तंबाकू तथा तंबाकू उत्पाद	126.8	128.9	131.5
(ग) वस्त्र	135.2	142.7	134.6
(घ) लकड़ी एवं लकड़ी के उत्पाद	141.0	143.2	146.6
(ङ) कागज एवं कागज के उत्पादों	137.5	152.0	140.3
(च) चमड़ा एवं चमड़े के उत्पाद	119.2	122.2	124.1
(छ) रबर एवं प्लास्टिक के उत्पाद	124.8	129.7	127.5
(ज) रासायनिक एवं रासायनिक उत्पाद	133.5	145.4	136.9
(झ) गैर–धात्विक खनिज उत्पाद	123.7	133.7	134.7
(ञ) मुख्य धातु, मिश्र धातु एवं धातु उत्पाद	140.1	148.7	141.0
(ट) बिजली मशीनों सहित मशीनें एवं उनके पुर्जे	120.0	126.2	129.0
(ठ) परिवहन उपकरण एवं पुर्जे	131.7	137.4	143.1

स्रोत: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

सारणी–32
अपराध की घटनाएं

जिला / अन्य	2020	2021	2022	2023	2024
1.	2	3	4	5	6
बिलासपुर	1562	1349	1319	1435	1325
चंबा	1300	1245	1134	1125	921
हमीरपुर	1102	901	1020	1115	892
कांगड़ा	3850	3390	2261	2585	2222
किन्नौर	416	471	465	469	334
कुल्लू	1585	1413	1639	1473	1430
लाहौल–स्पीति	83	130	215	182	143
मंडी	3308	2567	2535	2606	2443
शिमला	2704	2621	2426	2469	1942
सिरमौर	1260	1336	1402	1518	1416
सोलन	1033	953	1102	1119	1167
ऊना	1329	1355	1317	1431	1414
रेलवे एवं ट्रैफिक	10	14	15	20	15
सी.आई.डी.	37	32	18	17	01
पुलिस जिला नुरपुर	0	0	1087	1169	1008
पुलिस जिला बद्दी	1045	1051	1087	1167	1131
पुलिस थाना साइबर अपराध	6	5	11	87	111
हिमाचल प्रदेश	**20630**	**18833**	**19053**	**19987**	**17915**

स्रोत: पुलिस विभाग, हिमाचल प्रदेश.

सारणी–33
विकास बजट परिव्यय

(₹करोड़ में)

क्रमांक	विकास के मुख्य /लघु मद	स्वीकृत परिव्यय (2024–25)
1	2	3
I	आर्थिक सेवाएं कृषि तथा संबद्ध सेवाएँ	
	1.कृषि	187.04
	2.बागवानी	220.86
	3.मृदा तथा जल संरक्षण	52.76
	4.पशुपालन	29.09
	5.डेयरी विकास	37.74
	6.मत्स्य	10.50
	7.वानिकी तथा वन्यजीव	345.28
	8.कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	0.00
	9. सहकारिता	1.88
	10. बागवानी विपणन	25.00
	कुल -I	910.15
II	ग्रामीण विकास	
	1. डी.आर.डी.ए. प्रशासन	14.02
	2. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	24.50
	3. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी।.	150.00
	4. एन.आर.एल.एम.	10.00
	5. डी.डी.यू–जी.के.वाई.	16.67
	6. राष्ट्रीय आर–शहरी मिशन	0.03
	7.पी.एम.के.एस.वाय(डब्ल.डी.सी.)	3.00
	8.राष्ट्रीय बांस मिशन	0.00
	9. अन्य	8.36
	9.भूमि सुधार	15.00
	10.समुदाय विकास तथा पंचायतें	45.47
	कुल -II	287.05
III	विशेष क्षेत्रों के कार्यक्रम	1.50
	कुल -III	1.50

जारी.....

सारणी–33 ...

(₹करोड़ में)

1	2	3
IV	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	
	1. प्रमुख तथा मध्यम सिंचाई	0.16
	2. लघु सिंचाई	224.70
	3. कमांड एरिया डेवलपमेंट	60.03
	4. बाढ़ नियंत्रण	15.77
	कुल - IV	300.66
V	ऊर्जा	
	1. ऊर्जा	570.00
	2. ऊर्जा के गैर–पारंपरिक स्त्रोत	19.30
	कुल - V	589.30
VI	उद्योग तथा खनिज	
	1. ग्राम तथा लघु उद्योग	82.41
	2. अन्य उद्योग (वि एस आई के अलावा)	10.00
	3. खनिज	0.00
	कुल - VI	92.41
VII	परिवहन	
	1. नागरिक उड्डयन	910.00
	2. सड़कें तथा पुल	1365.00
	3. सड़क परिवहन	389.34
	4. रेल परिवहन	15.00
	5. परिवहन सेवाओं के अलावा अन्य	2.50
	कुल -VII	2681.84
VIII	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	
	1 .वैज्ञानिक अनुसंधान	12.90
	2. पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण	1.30
	3. सूचना प्रौद्योगिकी	27.00
	कुल - VIII	41.20
IX	सामान्य आर्थिक सेवाएँ	
	1. सचिवालय आर्थिक सेवाएँ	23.00
	2. उत्पाद शुल्क तथा कराधान	8.00
	3. पर्यटन	18.88
	4. नागरिक आपूर्ति	185.05
	5. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ	13.00
	6. वजन तथा माप	0.08
	7. जिला योजना / जिला परिषद	637.11
	कुल -IX	885.12
	कुल आर्थिक सेवाएं	5789.23

जारी.....



सारणी–33

(₹करोड़ में)

1	2	3
X	B. सामाजिक सेवाएं	
	1. सामान्य शिक्षा	
	a) प्राथमिक शिक्षा तथा साक्षरता	214.43
	b)उच्च / माध्यमिक शिक्षा	251.18
	2. तकनीकी शिक्षा	97.83
	3. खेल एवं युवा सेवाएं	30.45
	4. कला एवं संस्कृति	13.00
	5. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	520.78
	6. जल आपूर्ति स्वच्छता	709.29
	7. आवास सहित पुलिस आवास	84.64
	8. शहरी विकास	89.68
	9. सूचना एवं प्रचार	0.96
	10. एस.सी, एस.टी एवं ओ.बी.सी. का कल्याण	1413.95
	11. श्रम एवं रोजगार	93.95
	12. महिला एवं बाल विकास	457.45
	13. पोषण	7.90
	कुल -X	3985.49
XI	C. सामान्य सेवाएं	
	1. जेल	13.00
	2. लोक निर्माण	28.44
	3. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	73.54
	कुल -XI	114.98
	कुल योग	9889.70

स्रोत: योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश

.....अंत





Economics and Statistics Department
Government of Himachal Pradesh
Block No - 38, SDA Complex, Kasumpti, Shimla
Pin Code - 171009
Ph.& Fax +91-177-2626302
Email: ecostat-hp@nic.in
https://himachalservices.nic.in/economics